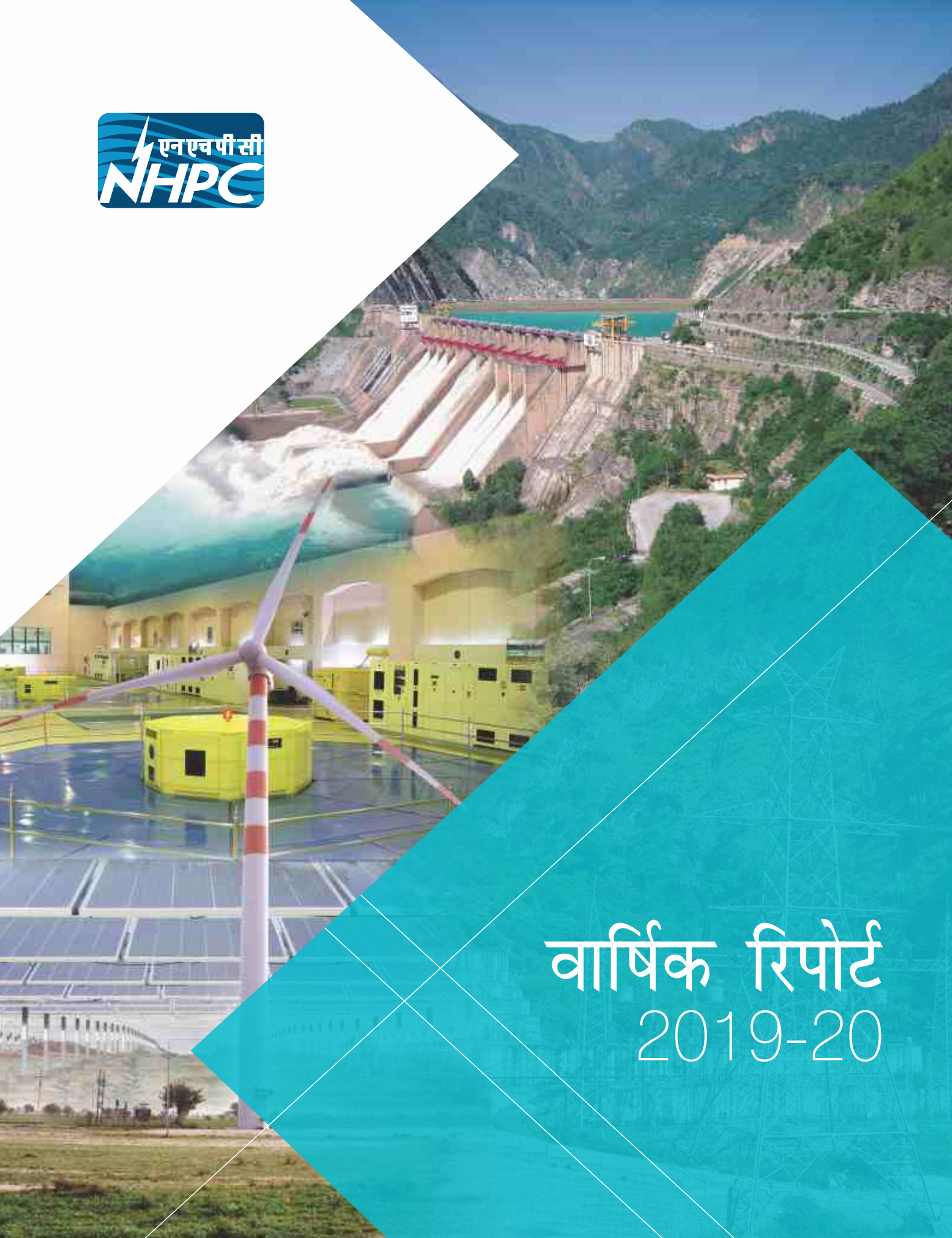


एनएचपीसी
NHPC

वार्षिक रिपोर्ट
2019-20

निगम का दृष्टिकोण

दक्ष, उत्तरदायी और नवाचारी मूल्यों के माध्यम से स्वच्छ विद्युत के धारणीय विकास हेतु एक वैश्विक रूप से अग्रणी संगठन बनना।

निगम का लक्ष्य

- ✓ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्वच्छ विद्युत के विकास में उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- ✓ परियोजनाओं का निष्पादन और प्रचालन एक कुशल तथा दक्ष संविदा प्रबंधन और नवाचारी अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल तथा सामाजिक–आर्थिक जिम्मेदारी निभाते हुए करना।
- ✓ मानव पूंजी की पूर्ण संभाव्यता का लाभ लेने के लिए उसे विकसित, पोषित तथा सशक्त बनाना।
- ✓ एक सशक्त कारपोरेट पहचान बनाने के लिए कारपोरेट अभिशासन की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और दक्ष मूल्य आधारित प्रबंधन को अपनाना तथा कर्मचारियों, ग्राहकों, पर्यावरण तथा समाज के लिए अधिक सरोकार रखना।
- ✓ प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से नवाचारी अत्याधुनिक प्रोद्योगिकियों को अपनाना और प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना।



श्री ए.के. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी, लाभांश भुगतान एडवाइस को श्री आर.के. सिंह, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं केंद्रीय राज्य मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता, भारत सरकार को सौंपते हुए। साथ में श्री संजीव नंदन सहाय, सचिव (विद्युत), भारत सरकार और श्री अनिरूद्ध कुमार, तत्कालीन संयुक्त सचिव (हाइड्रो), श्री एन.के.जैन, निदेशक (कार्मिक), श्री महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त) और श्री जर्नादन चौधरी, तत्कालीन निदेशक (तकनीकी) उपस्थित हैं।

विषय सूची

एनएचपीसी

निदेशक मंडल 2

संदर्भ सूचना 3

महत्वपूर्ण वित्तीय डाटा का डाइजेस्ट (5 वर्ष) 5

शेयरधारकों को पत्र 6

निदेशकों की प्रोफाइल 10

निदेशकों की रिपोर्ट 14

कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट 31

कारपोरेट अभिशासन से संबंधित अनुपालन प्रमाण–पत्र 62

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट 63

ऊर्जा संरक्षण, टेक्नोलॉजी आमेलन और विदेश मुद्रा अर्जन तथा व्यय 81

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट 84

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट 95

वार्षिक रिटर्न का उद्धरण 101

लाभांश वितरण नीति 111

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट 114

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 120

वित्तीय विवरण 132

समेकित

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 261

वित्तीय विवरण 271

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन का उत्तर 410

निदेशक मण्डल



श्री अभय कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



श्री रतीश कुमार
निदेशक (परियोजनाएं)



श्री निखिल कुमार जैन
निदेशक (कार्मिक)



श्री महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)



श्री यमुना कुमार चौबे
निदेशक (तकनीकी)



श्री तन्मय कुमार
सरकारी नामित निदेशक



श्री जुगल किशोर महापात्रा
स्वतंत्र निदेशक



श्री भागवत प्रसाद
स्वतंत्र निदेशक

संदर्भ सूचना

पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालय

एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर–33, फरीदाबाद
हरियाणा–121003
टेलीफोन : +91 129 2588500, + 91 129 2588110
फैक्स : +91 129 2278018
वेबसाइट : www.nhpcindia.com
सीआईएन : एल40101एचआर1975जीओआई032564

कंपनी सचिव

श्री विजय गुप्ता

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार,
चैतन्य काम्प्लेक्स, प्रेम भवन,
रेसीडेंसी रोड, जम्मू तवी – 180001
जम्मू एवं कश्मीर

मैसर्स डीएसपी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
783, देश बंधु गुप्ता रोड,
निकट फैज रोड, करोल बाग,
नई दिल्ली – 110005

मैसर्स लोधा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार,
14, गर्वमेंट प्लेस ईस्ट,
कोलकाता – 700069

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स चंद्र वधवा एंड कंपनी
1305 और 1306, विजया बिल्डिंग,
बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली –110001

मैसर्स बलविंदर एंड एसोसिएट्स
एफ –125, फेज 8–बी, इंडस्ट्रियल एरिया,
सेक्टर 74, मोहाली, पंजाब – 160071

मैसर्स संजय गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सी4ई/135, जनक पुरी, नई दिल्ली – 110058

मैसर्स के.एल. जयसिंह एंड कंपनी
जे –7, सेक्टर–11, जयसिंह हाउस, नोएडा,
उत्तर प्रदेश – 201301

मैसर्स के. जी. गोयल एंड एसोसिएट्स
289, महावीर नगर–2,
महारानी फार्मस, दुर्गापुरा,
जयपुर, राजस्थान – 302018

मैसर्स आर.जे. गोयल एंड कंपनी
1011, पर्ल्स बेस्ट हाइट्स–2,
सी –9, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा
दिल्ली – 110034

मैसर्स डीजीएम एंड एसोसिएट्स
64, बीबी गांगुली स्ट्रीट, दूसरा तल,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल – 700012

मैसर्स नीरान एंड कंपनी
मोहित काली अपार्टमेंट, ब्लॉक–ए, फ्लैट–2 डी,
161, सबर्णपारा रोड, पीओ – बरिशा,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल – 700008

सचिवालयीन लेखापरीक्षक

मैसर्स अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
डी–427, दूसरा तल, पालम एक्सटेंशन,
रामफल चौक, सेक्टर–7,
द्वारका, नई दिल्ली – 110075

आंतरिक लेखापरीक्षक

श्री विजय कुमार, कार्यपालक निदेशक (वित्त)

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
बैंक ऑफ इंडिया
एक्सिस बैंक
एचडीएफसी बैंक
इंडसइंड बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
डॅयुश बैंक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
कोटक महिन्द्रा बैंक
आरबीएल बैंक
आईडीबीआई बैंक
यस बैंक
आईडीएफसी बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
कैनरा बैंक
एयू स्माल फाइनेन्स बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
कर्नाटक बैंक लिमिटेड

रजिस्ट्रार एंव शेयर अंतरण एजेंट

इक्विटी शेयरों तथा कर मुक्त बॉण्ड हेतु :

मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड,
(पूर्व में मैसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड)
सेलेनियम टावर बी, प्लाट 31–32,
गाचीबाउली, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट,
ननाकरमगुडा, हैदराबाद– 500 032
दूरभाष नं.: 040 67161500, 67162222
ई–मेल : einward.ris@kfintech.com
वेबसाइट : www.kfintech.com

अन्य बांड हेतु

मैसर्स आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्रा.) लिमिटेड.
बी–25/1, प्रथम तल
ओखला फेज – II
नई दिल्ली – 110020
दूरभाष सं.: 011–26387320
ई–मेल : investor.services@rcmcdelhi.com

मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी

श्री अनुज कपूर,
महाप्रबंधक (वित्त)

प्रतिभूतियां सूचीबद्ध होना

शेयर और कर मुक्त बांड :

बीएसई लिमिटेड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

निजी स्थापन पर जारी अन्य बांड (थोक ऋण बाजार खंड के अंतर्गत):

'वाई1', 'एए' और 'एए1' श्रृंखला बाण्ड – बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
'वी', 'वी2' 'डब्ल्यू1' और 'डब्ल्यू2' श्रृंखला बाण्ड – बीएसई लिमिटेड
अन्य सभी बाण्ड – नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

डिपोसिट्री

नेशनल सिक्योरिटीज डिपोसिट्री लिमिटेड
सेन्ट्रल डिपोसिट्री सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड

डिबेंचर ट्रस्टी

9 प्रतिशत पी श्रृंखला, 9.25 प्रतिशत क्यू श्रृंखला, कर मुक्त बाण्ड एनएचपीसी 2013 (8.18 प्रतिशत श्रृंखला 1ए, 8.43 प्रतिशत श्रृंखला 1बी, 8.54 प्रतिशत 2ए श्रृंखला, 8.79 प्रतिशत 2बी श्रृंखला, 8.67 प्रतिशत 3ए श्रृंखला और 8.92 प्रतिशत 3बी श्रृंखला) और 8.49 प्रतिशत एस1 श्रृंखला बाण्ड, 8.54 प्रतिशत एस2 श्रृंखला बाण्ड, 8.50 प्रतिशत टी श्रृंखला बाण्ड, 6.84 प्रतिशत वी श्रृंखला बाण्ड, 7.52 प्रतिशत वी2 श्रृंखला बाण्ड, 6.91 प्रतिशत डब्ल्यू1 श्रृंखला बाण्ड और 7.35 प्रतिशत डब्ल्यू2 श्रृंखला बाण्ड, 8.65 प्रतिशत एक्स श्रृंखला बाण्ड और 8.12 प्रतिशत भारत सरकार पूर्णतः सेवित बाण्ड, 7.50 प्रतिशत वाई श्रृंखला बाण्ड, 7.38 प्रतिशत वाई1 श्रृंखला बाण्ड, 7.13 प्रतिशत एए श्रृंखला बाण्ड और 6.89 प्रतिशत एए1 श्रृंखला बाण्ड।

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.
एशियन बिल्डिंग, भूतल,
17, आर, कमानी मार्ग, बलार्ड एस्टेट,
मुंबई–400001
टेलीफोन :+91 22 40807000
ई–मेल : itsl@idbitrustee.com

8.70 प्रतिशत आर1, 8.85 प्रतिशत आर2 और 8.78 प्रतिशत आर3 श्रृंखला, 8.24 यू श्रृंखला, 8.17 यू1 श्रृंखला बाण्ड

एसबीआई ट्रस्टी कंपनी लि.
एपीजे हाउस, 6ठां तल,
3 दिनशा वाचा मार्ग, चर्चगेट,
मुंबई–400020
टेलीफोन :+91 22 43025553/55/56
ई–मेल: helpdesk@sbicaptrustee.com

महत्वपूर्ण वित्तीय डाटा का डाइजेस्ट (एकल लेखा)

(करोड़ रूपए में)

	वित्तीय	2019–20	2018–19	2017–18	2016–17	2015–16
ए	ऊर्जा की बिक्री	8,301.03	8,095.13	6,868.64	7,139.46	7,265.71
बी	अन्य प्रचालन आय, विद्युत व्यापार से राजस्व व संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों से राजस्व	434.38	66.05	69.58	131.71	87.29
सी	अन्य आय(असाधारण मदों सहित)	1,036.18	924.78	1,420.55	1,457.67	992.07
डी	**कुल आय (ए)+(बी)+(सी)**	9,771.59	9,085.96	8,358.77	8,728.84	8,345.07
ई	विद्युत की खरीद – व्यापार हेतु	234.13	12.68	-		
एफ	उत्पादन व्यय	901.67	796.85	716.39	773.67	790.87
जी	कर्मचारी लाभ व्यय	1,515.52	1,704.65	1,535.89	1,574.84	1,158.36
एच	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	1,545.34	1,589.99	1,395.51	1,388.40	1,359.07
आई	वित्त लागत	795.42	894.88	922.32	1,073.22	1,072.10
जे	अन्य व्यय	1,514.95	1,165.53	972.36	1,158.10	1,335.07
के	**कुल व्यय (ई) + (एफ) + (जी) +(एच) +(आई) + (जे)**	6,507.03	6,164.58	5,542.47	5,968.23	5,715.47
एल	**कर और दर विनियमित आय से पूर्व लाभ (डी) – (के)**	3,264.56	2,921.38	2,816.30	2,760.61	2,629.60
एम	वित्त लागत के कारण दर विनियमित आय	157.61	76.78	331.39	365.32	396.22
एन	अन्य के कारण दर विनियमित आय	186.00	746.62	(269.06)	659.53	312.53
ओ	**कुल दर विनियमित आय (एम) +(एन)**	343.61	823.40	62.33	1,024.85	708.75
पी	**कर पूर्व लाभ (एल) + (ओ)**	3,608.17	3,744.78	2,878.63	3,785.46	3,338.35
क्यू	आयकर व्यय	601.00	1,114.23	109.60	989.87	908.46
आर	**कर उपरान्त लाभ (पी) – (क्यू)**	3,007.17	2,630.55	2,769.03	2,795.59	2,429.89
एस	**अन्य व्यापक आय**	(0.62)	(12.41)	5.88	7.67	3.24
टी	**कुल व्यापक आय (आर) + (एस)**	3,006.55	2,618.14	2,774.91	2,803.26	2,433.13
यू	प्राधिकृत शेयर पूंजी	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
वी	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	10,045.03	10,045.03	10,259.32	10,259.32	11,070.67
डब्ल्यू	अन्य इक्विटी (आरक्षित एवं अधिशेष)	19,938.78	19,169.70	18,092.50	16,682.81	18,690.48
एक्स	पट्टा दायित्व सहित दीर्घावधि / गैर–वर्तमान ऋण	20,889.74	17,044.63	16,728.20	17,245.64	18,181.08
वाई	अन्य दीर्घावधि देयताएं और दीर्घावधि प्रावधान	4,169.54	3,910.44	1,688.94	1,985.03	1,829.95
जेड	विलंबित कर देयताएं	3,641.19	3,610.63	3,145.39	3,664.73	3,277.31
एए	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियां, निवेश संपत्ति और उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां	23,295.52	23,851.84	20,017.98	20,977.21	21,303.90
एबी	चालू पूंजीगत कार्य	16,097.65	14,898.11	18,813.96	17,350.13	16,578.71
एसी	निवेश (गैर–वर्तमान)	3,400.74	2,361.66	2,209.56	2,100.32	1,683.01
एडी	अन्य दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम और अन्य गैर चालू आस्तियां	7,397.07	6,428.38	4,418.92	3,424.21	3,645.30
एई	नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	6,836.22	6,492.61	5,669.21	5,630.56	4,596.66
एएफ	कार्यशील पूंजी	1,657.08	(252.17)	(1,215.28)	355.10	5,241.91
एजी	**सकल पूंजी नियोजित (एए)+(एबी) +(एसी) + (एडी) + (एई) + (एफ)**	58,684.28	53,780.43	49,914.35	49,837.53	53,049.49
एएच	पट्टा दायित्व सहित दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता	1,619.78	1,605.16	1,593.91	1,678.59	1,757.14
एआई	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के प्रति देय राशि	2,017.20	2,017.20	-	-	-
एजे	**निवल मूल्य (वी)+(डब्ल्यू)**	29,983.81	29,214.73	28,351.82	26,942.13	29,761.15
एके	**अदा किया गया लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित)**	1,938.69	1000.46	1,251.65	2,524.13	1,461.33
	अनुपात	**2019-20**	**2018-19**	**2017-18**	**2016-17**	**2015-16**
	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ((पी)+(आई)+(एम)– / (एजी)	7.24%	8.48%	6.95%	9.02%	7.57%
	निवल मूल्य पर प्रतिफल (आर) / (एजी)	10.03%	9.00%	9.77%	10.38%	8.16%
	ऊर्जा की बिक्री पर निवल लाभ (आर) / (ए)	36.23%	32.50%	40.31%	39.16%	33.44%
	प्रति शेयर बही मूल्य	29.85	29.08	27.64	26.26	26.88
	प्रति शेयर अर्जन	2.99	2.57	2.70	2.53	2.19
	प्रति शेयर लाभांश (अंतरिम + वर्ष हेतु प्रस्तावित)	1.50	1.46	1.40	1.80	1.50
	ऋण इक्विटी अनुपात ((एक्स) + (एएच)) / (एआई) / (एजे)	0.82	0.71	0.65	0.70	0.67
	वर्तमान अनुपात	1.28	0.96	0.79	1.07	2.10
	प्रचालन कार्य–निष्पादन	**2019-20**	**2018-19**	**2017-18**	**2016-17**	**2015-16**
	उत्पादन (एमयू)	26,121.00	24193.00	22625.00	23948.00	23404.00
	क्षमता (मेगावाट में)	5,551.20	5551.20	5551.20	5171.20	5041.20
	संयंत्र उपलब्धता कारक (%)	84.04	84.97	85.32	83.41	81.60
	जनशक्ति (संख्या)	6131	6753	7351	8009	8654

टिप्पणी 1 : क्रम सं. ''एके'' पर लाभांश वर्ष के दौरान अदा किया गया वास्तविक लाभांश है।

टिप्पणी 2 : पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां–कहीं आवश्यक हो, पुनः समूहबद्ध / पुनःव्यवस्थित किया गया है।

टिप्पणी 3 : उत्पादन में चुटक और निम्मो बाजगो पावर स्टेशनों का उत्पादन शामिल नहीं है।

शेयरधारकों को पत्र



प्रिय सदस्यगण,

आपके साथ संवाद का यह अवसर प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। मुझे एनएचपीसी का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नियुक्त किए जाने पर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैंने इस यात्रा की शुरुआत सबके प्रति आभार की भावना के साथ की है तथा हमारी कंपनी का नेतृत्व करना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य का विषय है।

वर्ष 2020 की शुरुआत के बाद से ही, हम वैश्विक महामारी कोविड–19 द्वारा उत्पन्न की गई अभूतपूर्व परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन, हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्यों, संगठनों और बड़े पैमाने पर समाजों के अस्तित्व के लिए उद्भव, विकास और अनुकूलन अनिवार्य हैं। सुविख्यात जापानी विद्वान ओकाकुरा काकुजो ने कहा था कि 'जीवन की कला हमारे परिवेश के साथ हमारे निरंतर समायोजन पर आधारित है'। मेरा मानना है कि हम वैश्विक महामारी कोविड–19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पाते हुए अपने परिवेश को विकसित, अनुकूलित और समायोजित करने में सक्षम होंगे, जिससे एक नए सामान्य विश्व का निर्माण होगा।

एनएचपीसी में, हमने परिवर्तनों के साथ पुनःसमायोजित करना और विकसित होना प्रारंभ कर दिया है। हम यह देख रहे हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए घर से काम करते समय, कर्मचारियों की उत्पादकता, यदि अत्यंत बेहतर नहीं है, तो उतनी ही अच्छी है, जैसी कि वे पूर्व–कोविड युग में प्रदान कर रहे थे। जब हम इस संकट से बाहर निकलेंगे, तो संपूर्ण विश्व जीने और काम करने के लिए एक अत्यंत भिन्न स्थान होगा।

कोविड–19 संकट का सामना करने के लिए निर्णायक उपाय

हमने इस वैश्विक महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए एक सतर्क और अति–सक्रिय प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित किया है जिसमें मानवीय, प्रचालनात्मक, वित्तीय और रणनीतिक पहलुओं को शामिल किया गया है। आपकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी है तथा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा और स्वच्छता प्रथाओं को अपनाया है और संचलनता को पुनर्निर्धारित किया है ताकि कठिन परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण प्रणालियां चलती रहें। आपकी कंपनी ने अपने विभिन्न पावर स्टेशनों पर आवश्यक सुविधाओं और सामान के साथ संगरोध केंद्रों की स्थापना करते हुए समुदायों की मदद करने की दिशा में भी योगदान दिया है। इसके अलावा, एनएचपीसी के अस्पतालों/औषधालयों ने आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को 24 घंटे ओपीडी सेवाएं प्रदान की हैं। ।

आपकी कंपनी ने 24X7 निरंतर प्रचालन सुनिश्चित करते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान की और 5 अप्रैल, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री की '9पीएम9मिनट' पहल के दौरान राष्ट्रीय ग्रिड की स्थिरता में योगदान दिया।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान प्रदर्शन

आपकी कंपनी संवृद्धि और विकास की खोज में निरंतर प्रयासरत रहती है। वर्ष 2019–20 आपकी कंपनी के प्रदर्शन के संबंध में उपलब्धियों के लिए एक उल्लेखनीय वर्ष था।

परिचालन खंड–वार प्रदर्शन :

ऊर्जा उत्पादन के अपने प्रमुख परिचालन खंड में, आपकी कंपनी ने 26,121 मिलियन यूनिट्स (एमयू) का उच्चतम वार्षिक उत्पादन हासिल करते हुए नए आयाम स्थापित किए हैं। कंपनी का उत्पादन विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता–ज्ञापन (एमओयू) के अंतर्गत 'उत्कृष्ट' रेटिंग के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्य 26,000 एमयू से अधिक हो गया है। आपकी कंपनी के 23 पावर

स्टेशनों में से, 13 ने अपनी संस्थापना के बाद अब तक का सबसे अधिक उत्पादन हासिल किया है। यह हमारी परिचालन क्षमताओं तथा प्रचालन और रख–रखाव में हो रहे निरंतर सुधार को दर्शाता है।

विद्युत व्यापार के द्वितीयक परिचालन खंड में, कंपनी ने लाभार्थी राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू–कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के लिए अनुबंधों को सफलतापूर्वक निष्पादित करके वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 695.84 करोड़ रुपए के साथ 2,022 एमयू का कारोबार किया है। मार्च 2020 के दौरान, आपकी कंपनी ने अल्पकालिक संव्यवहारों के लिए व्यापारियों के मध्य छठा स्थान प्राप्त किया है।

वित्तीय प्रदर्शनः

वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में उसकी परिचालन संबंधी उपलब्धियां भी प्रतिबिंबित हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 और 2017–18 में कुल आय की तुलना में कंपनी की कुल आय बढ़कर 9,771.59 करोड़ रुपए हो गई, जिसमें क्रमशः 7.50 प्रतिशत और 17.20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2019–20 के दौरान कुल व्यापक आय और निवल कर उपरांत लाभ (पीएटी) क्रमशः 3,006.55 करोड़ रुपए और 3,007.17 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान परिचालन से बिक्री 8,735.41 करोड़ रुपए थी जबकि अधिभार सहित प्राप्ति 7,817.53 करोड़ रुपए थी।

क्षमता संवर्धन और विकास के लिए पहलः

वर्ष के दौरान, कंपनी के मुख्य व्यवसाय खंड में क्षमता संवर्धन के लिए कार्यक्रम को निम्नलिखित तथ्यों के साथ और आगे बढ़ाया गया हैः

क. अक्टूबर 2019 से सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना (2,000 मेगावाट) में निर्माण गतिविधियों को पुनः प्रारंभ करना।

ख. सिक्किम में तीस्ता–VI जलविद्युत परियोजना (500 मेगावाट) के कार्यान्वयन के लिए अक्टूबर, 2019 में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के माध्यम से लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) का अधिग्रहण।

ग. जलविद्युत निगम लिमिटेड (जेपीसीएल) ऋणदाता समिति द्वारा एनएचपीसी को सफल समाधान आवेदक के रूप में घोषित किया गया। जेपीसीएल सिक्किम में रंगित चरण–IV जलविद्युत परियोजना (120 मेगावाट) का कार्यान्वयन कर रही है और अधिग्रहण के लिए माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, हैदराबाद खंडपीठ द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

घ. हिमाचल प्रदेश में डुगर जलविद्युत परियोजना (449 मेगावाट) के निष्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता–ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर।

जब मैं आपके साथ यह संवाद कर रहा होउंगा, तब तक कंपनी द्वारा जून, 2020 में पार्बती–II जलविद्युत परियोजना (800 मेगावाट) में 1500 मी. एचआरटी के निष्पादन के लिए ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग पद्धति (डीबीएम) पैकेज के तहत कार्य आबंटित कर दिया होगा। आपकी कंपनी ने नेपाल में जलविद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु संयुक्त सहयोग करने के लिए जून, 2020 में एचआईडीएल (हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड – नेपाल सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी) के साथ एक समझौता–ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना (2000 मेगावाट) के पावर स्टेशन से संबंधित शेष कार्यों के निष्पादन के लिए अनुबंध प्रदान करने का कार्य अग्रिम अवस्था पर है।

निर्माणाधीन परियोजनाओं अर्थात सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना (2000 मेगावाट) और पार्बती–II जलविद्युत परियोजना (800 मेगावाट) की संस्थापना के उपरांत जलविद्युत उत्पादन के लिए आपकी कंपनी की संस्थापित क्षमता समेकित आधार पर 9,871 मेगावाट और स्टैंडअलोन आधार पर 8,351 मेगावाट होगी।

आपकी कंपनी अपने गैर–केंद्रित व्यापार खंडों अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत व्यापार को सुदृढ़ बनाने के लिए भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 100 मेगावाट की मौजूदा उत्पादन क्षमता (50 मेगावाट पवन और 50 मेगावाट सौर) को संवर्धित करने के लिए, कंपनी ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार की अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क (यूएमआरईपीपी) योजना के तहत ओडिशा और तेलंगाना में 500–500 मेगावाट तथा केरल में 50 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं की परिकल्पना की है। कंपनी को ओडिशा में सोलर पार्क की क्षमता को संवर्धित करने के लिए (100 मेगावाट से 140 मेगावाट) एमएनआरई से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई है, जिसमें गंजम और देवगढ़ जिले में क्रमशः 40 मेगावाट और 100 मेगावाट की दो परियोजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जैसे तेलंगाना (293 मेगावाट), तमिलनाडु (25x25 मेगावाट) और लेह (50 मेगावाट) में अन्य उपयोगिता परिमाण की सौर परियोजनाओं के विकास के लिए संभावनाओं का पता भी लगाया जा रहा है।

अपने व्यापारिक व्यवसाय की मात्रा में सुधार करने के लिए, कंपनी ने इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) ग्रिड कनेक्टेड फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के लिए सौर ऊर्जा उत्पादकों को लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी किए हैं जिसकी कुल मात्रा 2,000 मेगावाट तक है। आपकी कंपनी उत्पन्न विद्युत की बिक्री और खरीद के लिए क्रमशः उत्पादकों और डिस्कॉम्स/ सरकारी उपयोगिताओं के मध्य सुविधा–प्रदाता के रूप में कार्य करेगी।

निदेशकों की रिपोर्ट में कंपनी के परिचालन संयंत्रों, चल रही और नई परियोजनाओं की स्थिति की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। हालांकि, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि 5,945 मेगावाट की अपेक्षित क्षमता वाली जलविद्युत ऊर्जा परियोजना मंजूरी/अनुमोदन की अवस्था में है। 2,226 मेगावाट जलविद्युत ऊर्जा (भूटान में 770 मेगावाट सहित) और 32 मेगावाट सौर ऊर्जा की अतिरिक्त क्षमता को भी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से अनुमानित किया गया है।

प्रवर्तकों द्वारा विनिवेश

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, भारत सरकार ने अक्टूबर, 2019 में भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) और फरवरी, 2020 में सीपीएसई ईटीएफ के माध्यम से कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 2.38 प्रतिशत हिस्सा का विनिवेश कर दिया। इस विनिवेश के बाद, आपकी कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी से कम होकर 70.95% हो गई है।

हितधारकों की आकांक्षाओं को पूरा करना

एक चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल के बीच वर्ष 2019–20 में बेहतर व्यवसाय प्रदर्शन को देखते हुए, बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 0.32/- रुपए के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो आपकी स्वीकृति के अधीन है। कंपनी ने मार्च, 2020 में प्रति शेयर 1.18/- रुपए के अंतरिम लाभांश का भुगतान पहले ही कर दिया है। अनुमोदन होने पर, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कुल लाभांश भुगतान निवल मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक और कर के बाद लाभ का लगभग 50 प्रतिशत होगा।

आपकी कंपनी ने सीएसआर पहलें जारी रखी हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर समाज पर, विशेष रूप से इसके प्रचालन के पड़ोस में स्थित समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। वर्ष के दौरान, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण, आदि के क्षेत्र में विभिन्न सीएसआर गतिविधियां संचालित की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर और एसडी गतिविधियों पर किया गया व्यय 126.44 करोड़ रुपए था। एनएचपीसी महामारी के संकट की स्थिति में देश के साथ खड़ा था और उसने अपने सीएसआर बजट से पीएम केयर्स फंड में 40 करोड़ रुपए का योगदान दिया।

कारपोरेट शासन

कारपोरेट शासन, आपकी कंपनी के सभी कार्यों और प्रक्रियाओं का एक अभिन्न हिस्सा है और इसे एक अलग कार्य/क्रियाकलाप के रूप में नहीं लिया जाता है। सेबी (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा सीपीएसई के लिए कारपोरेट शासन पर जारी दिशा–निर्देशों के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट शासन आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा उस सीमा तक निष्ठापूर्वक प्रयास किए जा रहे हैं, जहां तक यह कंपनी के प्रबंधन के क्षेत्राधिकार में आता है। वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी के 'कॉरपोरेट शासन पर डीपीई दिशा–निर्देशों' द्वारा अनुपालन को डीपीई द्वारा निर्धारित "कॉरपोरेट शासन ग्रेडिंग सिस्टम" के तहत "उत्कृष्ट" दर्जा प्रदान किया गया है।

मान्यताएं

पुरस्कार और प्रशंसा के परिणामस्वरूप सुधार करने, उत्कृष्टता लाने और निरंतर सर्वश्रेष्ठ कार्य करते रहने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है। वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी को सीबीआईपी पुरस्कार, 2020 में 'जलविद्युत क्षेत्र में उत्कृष्ट निष्पादन करने वाली कंपनी' का पुरस्कार प्रदान करके तथा फोरम ऑफ वीमेन इन पब्लिक सेक्टर (डब्ल्यूआईपीएस) द्वारा मिनिरत्न और अन्य श्रेणी के अंतर्गत 'डब्ल्यूआईपीएस गतिविधियों की मान्यता पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है। कंपनी द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए किए गए प्रयासों को विभिन्न मंचों पर सराहा गया और इसे वर्ष 2018–19 के लिए राजभाषा के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य के लिए 'द्वितीय पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

दृष्टिकोण

क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं तथा केंद्र सरकार द्वारा घोषित अनेक व्यावहारिक सुधारों जैसे पीपीए के अंतर्गत भुगतान सुरक्षा तंत्र का अनिवार्य प्रवर्तन, संघ राज्यक्षेत्रों में डिस्कॉम्स का निजीकरण, प्रस्तावित विद्युत अनुबंध प्रवर्तन एजेंसी प्राधिकरण की स्थापना, राज सहायताओं का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, वहन और सामग्री का पृथक्करण आदि पर विचार करते हुए विद्युत क्षेत्र का दृष्टिकोण आशावादी है। ये उपाय तथा इनके साथ ही डिस्कॉम्स को उनकी बकाया राशि को चुकाने में समर्थ बनाने के लिए घोषित 90,000 करोड़ रुपए के लिक्विडिटी इनफ्यूजन पैकेज से क्षेत्र के समग्र स्वास्थ्य के सुधार में मदद मिलनी चाहिए। अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप एक कदम आगे बढ़ाते हुए और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की सलाह के अनुपालन में आपकी कंपनी ने विभिन्न डिस्कॉम्स को विद्युत आपूर्ति बिलों में 185 करोड़ रूपए की राशि की छूट की पेशकश की है।

आपकी कंपनी विद्युत क्षेत्र को मजबूत बनाने और साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान (एबीए) के लिए योगदान देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, एबीए में योगदान करते हुए आपकी कंपनी ने विदेशी मौलिक उपकरण विनिर्माता (ओईएम) की सहायता लिए बिना, सिक्किम में तीस्ता लो डैम–III पावर स्टेशन (132 मेगावाट) के गैस इंसुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस) की मरम्मत कार्य का कार्य आंतरिक रूप से ही संचालित किया, जिसके परिणामस्वरूप बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत हुई।

एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से, मैं हमारे प्रयासों में मूल्यवान मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए अपने सभी हितधारकों, व्यापार भागीदारों, ग्राहकों, सीईआरसी, राज्य सरकारों और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं इस अवसर पर कोविड–19 संकट से निपटने के लिए कार्यरत अग्रिम पंक्ति के अपने सभी योद्धाओं जैसे चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मचारी, नगर निगम के अधिकारी, सेना, पुलिस और आवश्यक सेवाओं में शामिल अन्य सभी लोगों को उनके द्वारा प्रदर्शित की गई अटूट भावना के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं।

मैं उन सभी कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं और जिन पर कंपनी भरोसा करती है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम अपने देश के निर्बाध विकास के लिए स्वच्छ और हरित ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे।

मैं आपके निरंतर विश्वास, आत्मविश्वास और समर्थन के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं।

सादर,

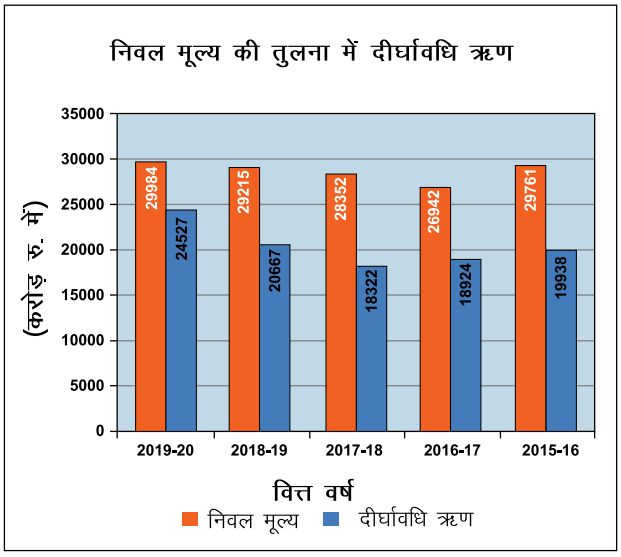
आपका,

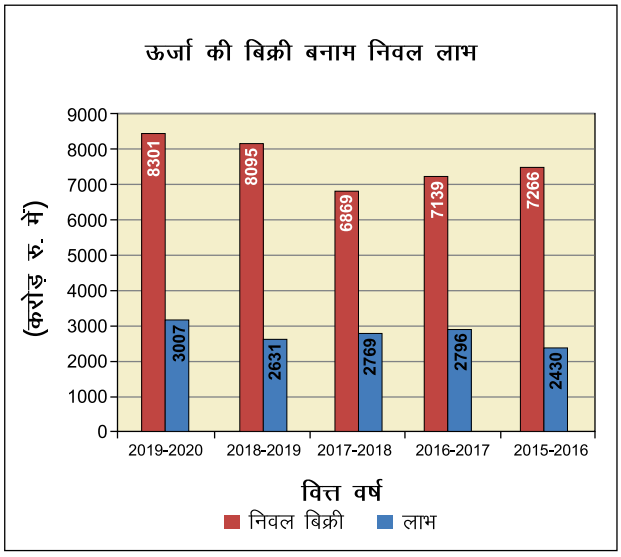


हस्ता./–
(अभय कुमार सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08646003

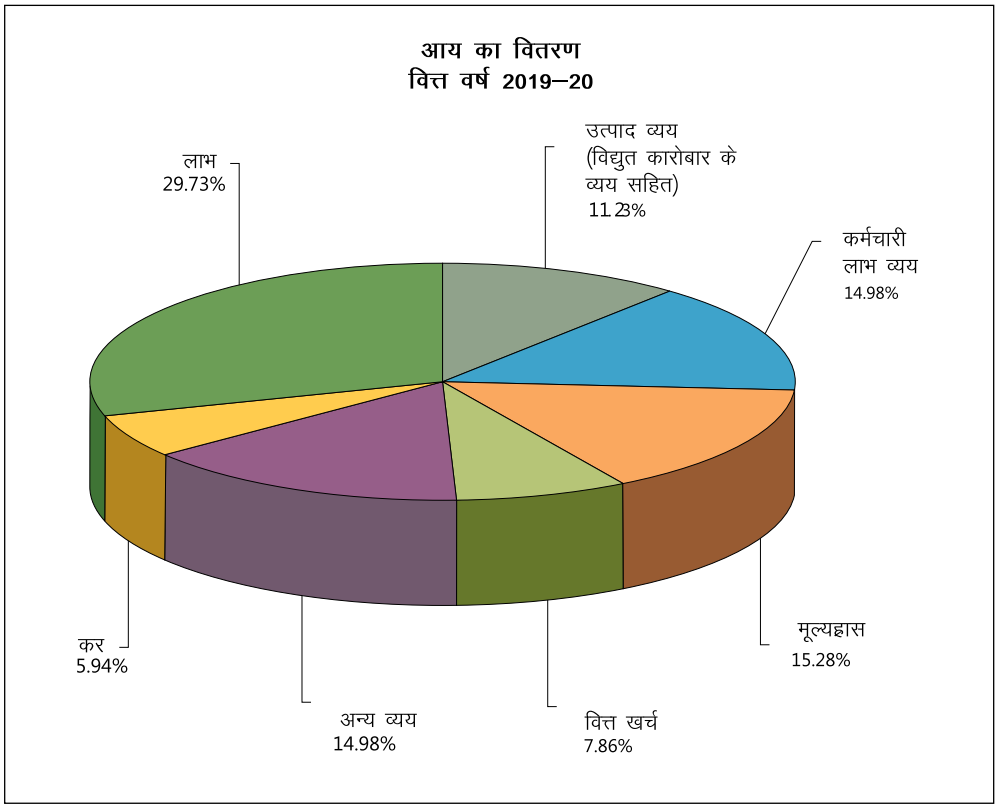
दिनांक : 27 अगस्त, 2020
स्थान : फरीदाबाद

एनएचपीसी का कार्य–निष्पादन





*दीर्घावधि ऋण में उसकी तत्संबंधी वर्तमान परिपक्वताएं, तत्संबंधी वर्तमान परिपक्वताओं सहित पट्टा बाध्यताएं और भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बाण्ड के प्रति देय शामिल है।



निदेशकों की प्रोफाइल



श्री अभय कुमार सिंह
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08646003

श्री अभय कुमार सिंह एनएचपीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हैं। वे एनएचडीसी लिमिटेड और लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक–मंडल के अध्यक्ष भी हैं।

श्री अभय कुमार सिंह रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, दुर्गापुर (अब एनआईटी) से 1983 बैच के सिविल इंजीनियरिंग स्नातक हैं तथा उन्हें जलविद्युत क्षेत्र में 35 साल का व्यापक अनुभव है। श्री सिंह ने 1985 में एनएचपीसी में परिवीक्षा कार्यपालक के रूप में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की। सफलता पाने के जुनून और अपेक्षित प्रतिभा रखने के कारण, श्री सिंह ने लगातार वरिष्ठ पद प्राप्त किए और इस अवधि के दौरान वे कई सफल परियोजनाओं से जुड़े रहे, जिन्होंने देश में प्रमुख जलविद्युत विकासकर्ता के रूप में एनएचपीसी के दर्जे में बढ़ोतरी की। उन्होंने टनकपुर, धौलीगंगा, तीस्ता लो डैम स्टेज-IV, पार्बती-II, पार्बती-III और किशनगंगा जैसी परियोजनाओं के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रमुख के रूप में, उन्होंने सौर और पवन क्षेत्रों में विविधीकरण लाने के एनएचपीसी के प्रयासों को गति दी।

एनएचपीसी के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान, श्री सिंह ने उल्लेखनीय योगदान देते हुए संगठन की सेवा की है। श्री सिंह जलविद्युत विकास के सभी पहलुओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं और उन्होंने परियोजना निर्माण के अपने विशेषज्ञता क्षेत्र के अलावा अनेक अन्य समकक्ष क्षेत्रों में भी कार्य किया है जैसे परियोजना निगरानी और आयोजना, व्यवसाय विकास आदि। उन्होंने हमेशा संगठन की परियोजना निष्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर जोर दिया है।

श्री अभय कुमार सिंह ने हमेशा संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए टीम के दृष्टिकोण और मजबूत टीमों के विकास पर जोर दिया है। वे सर्वोत्तम प्रथाओं को संस्था में अपनाने और अभिनव पहल के कार्यान्वयन में दृढ़ विश्वास रखते हैं। श्री सिंह के पास तकनीकी और लोक प्रबंधन कौशल का उत्कृष्ट मिश्रण रखते है तथा वे त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने के लिए कर्मचारियों को सशक्त बनाने में विश्वास करते हैं। श्री सिंह जलविद्युत विकास और इन परियोजनाओं द्वारा परियोजना क्षेत्र के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में निभाई जा रही मुख्य भूमिका को लेकर बेहद भावुक हैं।



श्री रतीश कुमार
निदेशक (परियोजनाएं)
डीआईएन : 06852735

श्री रतीश कुमार (59 वर्ष) एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक (परियोजनाएं) है। उन्होंने जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर (उत्तर प्रदेश) से इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और उनके पास जलविद्युत तथा साथ ही साथ सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के क्षेत्र में 38 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

उन्होंने अक्तूबर, 1982 से एनएचपीसी लिमिटेड से संबद्ध है और उत्तरदायित्व, नैतिकता तथा समर्पण की अत्यधिक समझ के साथ पेशेवर क्रम में ऊपर के सोपान पर पहुंचे। निदेशक (परियोजनाएं) के अपने वर्तमान कार्य में, श्री रतीश कुमार सभी एनएचपीसी परियोजनाओं जो निर्माणाधीन तथा निर्माण–पूर्व चरणों में हैं, साथ ही वे प्रमुख कार्यों यथा माध्यस्थम, निर्माण उपकरण आयोजना, सीएसआर एवं एसडी और सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार आदि के प्रभारी हैं।

उनका परिणामोन्मुख दृष्टिकोण और समूह के साथ मिलकर कार्य करने की भावना परियोजनाओं के विकास के लिए विभिन्न आरओडब्ल्यू और राज्य के मुद्दों को प्रभावी तरीके से हल करने में सहायक है। उनके मार्गदर्शन में, एनएचपीसी ने जलविद्युत के साथ–साथ सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक नई ऊंचाई हासिल की है और विभिन्न लक्ष्यों को पूरा किया है जैसे सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना के

संबंध में एनजीटी मुद्दों का समाधान और इस परियोजना पर निर्माण गतिविधियों की शुरुआत, एनसीएलटी द्वारा एनएचपीसी के पक्ष में लैंको तीस्ता जलविद्युत परियोजना प्रदान करना, 9 महीने की निर्दिष्ट अवधि के भीतर तमिलनाडु में 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत, कश्मीर घाटी में उग्रवाद के कारण अशांति और वहां की अत्यंत विषम जलवायु परिस्थितियों के बावजूद जम्मू–कश्मीर में किशनगंगा जलविद्युत परियोजना की शुरुआत आदि ।

श्री रतीश कुमार को 01.08.2017 से 22.09.2017 और 01.01.2020 से 24.02.2020 की अवधि के दौरान एनएचपीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। वर्तमान में वह बुंदेलखंड सौर उर्जा लिमिटेड (यूपीएनईडीए के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी) और लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एनएचपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी) के बोर्ड में मनोनित निदेशक–अध्यक्ष के रूप में भी सेवारत हैं।

श्री रतीश कुमार भारतीय मानक ब्यूरो के इलेक्ट्रो–तकनीकी खंड परिषद (ईटीडीसी) में एक योगदानकर्ता सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं और हाई वोल्टेज स्विचगियर तथा नियंत्रण गियर के क्षेत्र में भारतीय मानकों के निरूपण हेतु तकनीकी समिति के एक सदस्य भी रहे हैं। वह कई राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशनों, जीआईएस, बस डक्ट और ट्रांसफार्मर आदि संबंधी सीबीआईपी मैनुअल में एक विशेषज्ञ सदस्य भी रहे हैं।

श्री रतीश कुमार ने 6 जनवरी, 2016 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।



श्री निखिल कुमार जैन
निदेशक (कार्मिक)
डीआईएन : 05332456

श्री निखिल कुमार जैन (57 वर्ष) आईआईटी रूड़की से औद्योगिक इंजीनियरिंग मे स्नातक डिग्री तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्रीधारक है।
एनएचपीसी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री जैन एयर इंडिया लिमिटेड में निदेशक (कार्मिक) के पद पर कार्यरत थे। श्री जैन का सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में लगभग तीन दशक से अधिक का व्यापक तथा प्रचुर अनुभव है। उन्होंने भारतीय रेलवे में वर्ष 1988 में भारतीय रेल कार्मिक सेवा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने रेलवे में विभिन्न स्तरों पर कार्य किया है तथा रेल मंत्रालय में कार्यपालक निदेशक (संयुक्त सचिव) के पद पर भी रहे है।
श्री निखिल कुमार जैन ने 7 फरवरी, 2017 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।



श्री महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 02889021

श्री महेश कुमार मित्तल (59 वर्ष) की एक विशिष्ट शैक्षणिक पृष्ठभूमि रही है और वह एम.कॉम (स्वर्ण पदक के साथ) और वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर (प्रीवियस) है। वह भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के एक फेलो सदस्य है और भारतीय कंपनी सचिव संस्था के भी फेलो सदस्य है।

श्री मित्तल के पास वित्त, लेखांकन, कराधान और नियामक मामलों के क्षेत्र में तीन दशक से अधिक का व्यापक अनुभव है। एनएचपीसी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री मित्तल डेडिकेटेट फ्राइट कोरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड में महाप्रबंधक (वित्त), हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड में निदेशक (वित) और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटड में मुख्य लेखाधिकारी तथा कंपनी सचिव के रूप में भी कार्य किया है।

वर्तमान में, वे चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड तथा पीटीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में मनोनित निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं।
श्री महेश कुमार मित्तल ने 1 मार्च, 2017 को एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल में कार्यभार ग्रहण किया।



श्री यमुना कुमार चौबे
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन : 08492346

श्री यमुना कुमार चौबे आईआईटी, खड़गपुर से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और 1985 में एनएचपीसी लिमिटेड में परिवीक्षा कार्यपालक (सिविल) के रूप में 540 मेगावाट के चमेरा जलविद्युत परियोजना, वर्तमान में चमेरा-I पावर स्टेशन, हिमाचल प्रदेश में शामिल हुए और तब से लेकर अब तक वे अपने करियर में निरंतर आगे बढ़ते रहे तथा आज वर्तमान स्तर पर पहुंच गए हैं।

1 अप्रैल, 2020 से एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक (तकनीकी) के रूप में शामिल होने से पूर्व, श्री चौबे एनएचपीसी लिमिटेड में कार्यपालक निदेशक थे तथा वे कारपोरेट कार्यालय के सिविल संविदा विभाग और ई एंड एम संविदा विभाग के प्रभारी थे। वह 25 जून, 2019 से बुंदेलखंड सौर उर्जा लिमिटेड के बोर्ड में भी नामित निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

एनएचपीसी के विभिन्न विभागों जैसे संविदा, डिजाइन एवं इंजीनियरिंग और निर्माण परियोजनाओं में 34 से अधिक वर्षों तक कार्य करते हुए उनके पास जलविद्युत के विकास के सभी पहलुओं में अवधारणा से लेकर संस्थापना तक का अगाध अनुभव है और उन्होंने एनएचपीसी लिमिटेड के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

कार्यपालक निदेशक (संविदा) के रूप में, वह प्रमुख संविदाओं अर्थात सिविल, हाइड्रो–मैकेनिकल, इलेक्ट्रो–मैकेनिकल, सोलर आदि को अंतिम रूप देने और उनका कार्य प्रदान करने के लिए उत्तरदायी थे जिसमें कार्य प्रदान किए जाने के पूर्व और बाद के चरणों से संबंधित संविदात्मक मुद्दों का निपटान भी शामिल था।

उनके करियर के 25 से अधिक वर्ष डिजाइन और इंजीनियरिंग विभाग में कार्य करते हुए बीते हैं जहां उन्होंने पीएफआर/एफआर/डीपीआर के लिए आयोजना एवं लेआउट इंजीनियरिंग और हाइड्रो–इलेक्ट्रिक/रिवर वैली परियोजनाओं के निर्माण और लेआउट इंजीनियरिंग में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्हें अनेक प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं की आयोजना और डिजाइनिंग का श्रेय प्राप्त है, जैसे 540 मेगावाट की चमेरा-I परियोजना, हिमाचल प्रदेश, 60 मेगावाट की कुरिचू परियोजना, भूटान, 231 मेगावाट की चमेरा-III परियोजना, हिमाचल प्रदेश, 2000 मेगावाट की सुबनसिरी लोअर परियोजना, असम/अरुणाचल प्रदेश, 2880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजना, अरुणाचल प्रदेश।

उन्होंने एनएचपीसी की दो प्रतिष्ठित परियोजनाओं के निर्माण में भी अपनी सेवाएं दी हैं अर्थात 540 मेगावाट की चमेरा-I परियोजना, हिमाचल प्रदेश जिसे कनाडा के एसएनसी/एसीआरईएस के सहयोग से निष्पादित किया गया और 480 मेगावाट की उड़ी जलविद्युत परियोजना, जम्मू और कश्मीर जिसे उड़ी सिविल – एक स्वीडिश कंसोर्टियम द्वारा टर्नकी आधार पर निष्पादित किया गया।

उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में वर्ष 2014 में बीजिंग, चीन में आयोजित तीसरी चीन–भारत रणनीतिक आर्थिक वार्ता के लिए नामित कार्य–दल के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में भी अपना योगदान दिया। पोलावरम परियोजना प्राधिकरण के अनुरोध पर, उन्होंने 2017 में कॉफर बांध की वैकल्पिक व्यवस्था वाली पोलावरम बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए एनएचपीसी विशेषज्ञ दल का नेतृत्व किया।

वह वर्ष 1993 में प्रौद्योगिकी अंतरण कार्यक्रम के तहत स्टॉकहोम, स्वीडन गए। उन्होंने सियोल, दक्षिण कोरिया में आयोजित आईसीओएलडी–2004 और जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईसीओएलडी–2016 में भी भाग लिया।



श्री तन्मय कुमार
सरकारी नामिति निदेशक
डीआईएन : 02574098

श्री तन्मय कुमार, आईएएस, 1993 (आरजे) बैच (53 वर्ष) आईआईटी, दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक हैं और आईआईटी, दिल्ली से ही सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग में एम.टेक हैं।

वह वर्तमान में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे हैं और अन्य के साथ–साथ ट्रांसमिशन सेक्टर, पोस्को (पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड) और नवीकरणीय ऊर्जा के ग्रिड एकीकरण संबंधी कार्यों को देख रहे हैं। उन्होंने लगभग 27 वर्षों तक राजस्थान सरकार में विभिन्न पदों पर काम किया है – लगातार 6 से अधिक वर्षों तक भरतपुर, अलवर और कोटा के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, मुख्यमंत्री कार्यालय में सर्वप्रथम 3 वर्षों तक माननीय मुख्यमंत्री के उप सचिव, विशेष सचिव और सचिव के रूप में तथा बाद में 5 वर्षों (2013–2018) के लिए माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में। सार्वजनिक सेवा में अपने लंबे करियर के दौरान, उन्होंने ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य किया है तथा वे अपने काम के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। वह प्रणाली को मजबूत बनाने और मौजूदा प्रणाली में निरंतर सुधार/नवाचार किए जाते रहने के साथ–साथ व्यापार प्रक्रिया की पुनः इंजीनियरिंग/सरकारी प्रक्रिया की पुनः इंजीनियरिंग में विश्वास

रखते है। उन्होंने 5 वर्षों के लिए राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम (आरआरईसी) के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। उनके पास राजस्थान मुख्यमंत्री के साथ काम करते हुए विद्युत क्षेत्र का अगाध और विविध अनुभव है, जो ऊर्जा मंत्री भी रहे थे।

उन्हें बोर्ड में 11 जून, 2020 से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।



श्री जुगल किशोर महापात्रा

स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन : 03190289

श्री जुगल किशोर महापात्रा (63 वर्ष), दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्नातकोत्तर है, और उन्होंने 1979 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के ओडिशा कैडर में कार्यभार ग्रहण किया। बाद में, उन्होंने बोस्टन विश्वविद्यालय, अमेरीका से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि भी प्राप्त की। श्री महापात्रा के पास भारत सरकार और ओडिशा सरकार में व्यापक अनुभव है। उन्होंने वर्ष 2014–16 के दौरान भारत सरकार के उर्वरक विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया। वह ओडिशा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, ओडिशा सरकार के प्रधान सचिव वित्त और मुख्य सचिव थे।

वर्तमान में वे नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालिक निदेशक और गैर–कार्यकारी अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ अर्बन मास ट्रांजिट कम्पनी लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक और बोर्ड ऑफ फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वेल्यू चेन्स में नामिति निदेशक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं।

श्री जुगल किशोर महापात्रा 7 अक्टूबर, 2017 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।



श्री भागवत प्रसाद

स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन : 07941795

श्री भागवत प्रसाद का जन्म 12 जुलाई 1968 को हुआ था। वह अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। वह ट्रेड यूनियनों से संबद्ध हैं और भारत के उत्तराखंड में एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह पूर्व में उत्तराखंड सरकार के राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

श्री भागवत प्रसाद 7 अक्टूबर, 2017 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल पिछली रिपोर्ट के पश्चात से, आपकी कंपनी के घटनाक्रम और प्रगति की प्रमुख झलकियों और साथ में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एण्ड एजी) द्वारा वित्तीय विवरणों की समीक्षा को सहर्ष प्रस्तुत करता हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कंपनी ने देश की ऊर्जा आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करते हुए सभी मानदण्डों में अपना 'उत्कृष्ट' निष्पादन बनाए रखा है। आपकी कंपनी की मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

- वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान पावर स्टेशनों ने 26,121 मिलियन यूनिट (एमयू) का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक उत्पादन प्राप्त करते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त किए गए 24,193 एमयू के पिछले अधिकतम उत्पादन को पार किया।
- कुल राजस्व और प्रचालनों से राजस्व (निवल) क्रमशः 9,771.59 करोड़ रूपए और 8,735.41 करोड़ रूपए थे। कुल व्यापक आय, कर पश्चात निवल लाभ (पीएटी) और अन्य व्यापक आय क्रमशः 3,006.55 करोड़ रूपए, 3,007.17 करोड़ रूपए और (0.62) करोड़ रूपए थी।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान लाभांश, लाभांश वितरण कर तथा आयकर के माध्यम से भारत सरकार के राजकोष में 2,320.56 करोड़ रूपए का नकदी योगदान दिया गया।
- 20 जुलाई, 2020 को एनएचपीसी लिमिटेड तथा ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड (जीईडीसीओएल) के बीच एक समझौता–ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसका उद्देश्य ओडिशा राज्य में 500 मेगावाट की तकनीकी–व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं की आयोजना और विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जीवीसी) का गठन करना है।
- एनएचपीसी ने अक्टूबर, 2019 में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के माध्यम से सिक्किम में तीस्ता–VI जलविद्युत परियोजना (500 मेगावाट) के कार्यान्वयन के लिए लैंको तीस्ता हाइड्रोपावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) का अधिग्रहण कर लिया है। यह सीआईआरपी के माध्यम से कंपनी द्वारा किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का प्रथम अधिग्रहण था। अधिग्रहण के बाद, एलटीएचपीएल, एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी बन गई है।
- एनएचपीसी को सिक्किम में रंगित स्टेज–IV जलविद्युत परियोजना (120 मेगावाट) को क्रियान्वित करने वाली कंपनी जलविद्युत निगम लिमिटेड की ऋणदाता समिति द्वारा सफल समाधान आवेदक घोषित किया गया है, जो माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, हैदराबाद न्यायपीठ द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन के अधीन है।
- हिमाचल प्रदेश में डुगर जलविद्युत परियोजना (449 मेगावाट) के निष्पादन के लिए सितंबर, 2019 में हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता–ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- एनएचपीसी और एनईए इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, नेपाल ने जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए दिसंबर, 2019 में 'आशय–पत्र' का आदान–प्रदान किया है। यह आदान–प्रदान नेपाल में जलविद्युत के विकास के लिए भारत और नेपाल के बीच सहयोग की दिशा में एक नई यात्रा की शुरूआत करेगा। इसके अलावा, नेपाल में जलविद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु संयुक्त सहयोग के लिए नेपाल सरकार द्वारा जून, 2020 में स्वामित्व में ली गई कंपनी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इंवेस्टमेंट एंड डेवेलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) के साथ एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- एनएचपीसी ने सितंबर, 2019 में आईआईटी कानपुर तथा नवंबर, 2019 में आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के साथ अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता–ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

1. वित्तीय निष्पादन

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों को **तालिका 1** में सार रूप में दर्शाया गया है।

तालिका 1 : वित्तीय विशिष्टताएं

(रु.करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	
	2018–19	2019–20
प्रचालनों से राजस्व	8,161.18	8,735.41
मूल्यह्रास, ब्याज, दर विनियमित आय और कर–पूर्व लाभ	5,406.25	5,605.32
मूल्यह्रास	1,589.99	1,545.34
मूल्यह्रास के उपरान्त परन्तु दर विनियमित आय, ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ	3,816.26	4,059.98
ब्याज एवं वित्त प्रभार	894.88	795.42
मूल्यह्रास और ब्याज के उपरान्त परन्तु दर विनियमित आय और कर से पूर्व लाभ	2,921.38	3,264.56
दर विनियमित आय	823.40	343.61
कर	1,114.23	601.00
मूल्यह्रास, ब्याज, दर विनियमित आय और कर–उपरान्त लाभ	2,630.55	3,007.17
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	(12.41)	(0.62)

कुल व्यापक आय (टीसीआई)	2,618.14	3,006.55
पिछले वर्षों के लाभ एवं हानि लेखे के विवरण का अधिशेष (अन्य व्यापक आय सहित)	3,590.61	4,995.92
बांड विमोचन आरक्षित से अंतरण	244.98	244.97
उप जोड़	6,453.73	8,247.44
घटाएं : विनियोजन		
बांड विमोचन आरक्षित को अंतरण	308.78	-
लाभांश और कारपोरेट लाभांश कर (सीडीटी)	1,149.03	2,237.47
अन्य व्यापक आय सहित प्रतिधारित अर्जन का अंतिम शेष	4,995.92	6,009.97

1.1 राजस्व

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 9771.59 करोड़ रूपए का राजस्व अर्जित किया। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान अर्जित किया गया राजस्व 9085.96 करोड़ रूपए था।

1.2 व्यय

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कुल व्यय 6507.03 करोड़ रूपए था जबकि वित्तीय वर्ष 2018–19 में इसकी तुलना में कुल व्यय 6164.58 करोड़ रूपए था।

1.3 लाभ

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 3006.55 करोड़ रूपए की कुल व्यापक आय अर्जित की है जबकि इसकी तुलना में वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान यह 2618.14 करोड़ रूपए थी।

1.4 निवल मूल्य

आपकी कंपनी का निवल मूल्य 31 मार्च, 2020 को 29983.91 करोड़ रूपए था जबकि इसकी तुलना में यह पिछले वर्ष 29214.73 करोड़ रूपए था।

1.5. शेयर पूंजी

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 10045.03 करोड़ रुपए थी जो वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान अपरिवर्तित रही।

2. भारत सरकार द्वारा विनिवेश

भारत के राष्ट्रपति 7,365,964,993 इक्विटी शेयर धारण कर रहे थे जो 1 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार कुल प्रदत्त शेयर पूंजी के 73.33 प्रतिशत हिस्सा रहा। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, भारत सरकार ने अक्टूबर, 2019 में भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) को और फरवरी, 2020 में सीपीएसई ईटीएफ को क्रमशः 2,20,34,198 और 21,71,58,119 शेयरों का हस्तांतरण करते हुए एनएचपीसी में अपनी धारिता को विनिवेशित कर दिया। शेयरों के हस्तांतरण के बाद, एनएचपीसी में भारत सरकार की हिस्सेदारी 31 मार्च, 2020 तक घटकर 7,12,67,72,676 हो गई जो कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 70.95 प्रतिशत है।

3. लाभांश

आपकी कंपनी का लाभांश भुगतान का एक सतत ट्रैक रिकार्ड रहा है। निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु 0.32 रूपए प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है जिसकी राशि 321.44 करोड़ रूपए होती है। उक्त लाभांश मार्च, 2020 में अदा किए गए 1.18 रूपए प्रति इक्विटी शेयर की दर से 1185.31 करोड़ रूपए की राशि के कुल भुगतान (लाभांश वितरण कर के अतिरिक्त) वाले अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु कुल लाभांश 1.50 रूपए प्रति इक्विटी शेयर होता है।

आपकी कंपनी की एक लाभांश वितरण नीति है। कंपनी की लाभांश वितरण नीति के अनुसार लाभांश भुगतान मोटे तौर पर कर पश्चात लाभ का 30 प्रतिशत या निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होगा। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु 1.50 रूपए प्रति इक्विटी शेयर की दर से कुल लाभांश भुगतान (कंपनी के सदस्यों द्वारा अंतिम लाभांश के अनुमोदन के अधीन) 1506.75 करोड़ रूपए (अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर के अतिरिक्त) होगा जो 31 मार्च, 2020 की यथास्थिति को कर पश्चात लाभ का 50 प्रतिशत और निवल मूल्य का 5.03 प्रतिशत होता है जबकि पिछले वर्ष कुल लाभांश भुगतान 1466.58 करोड़ रूपए था जो 31 मार्च, 2019 की यथास्थिति को कर पश्चात लाभ का 56 प्रतिशत और निवल मूल्य का 5.02 प्रतिशत था।

लाभांश वितरण नीति को एक पृथक अनुबंध के रूप में दिया गया है और यह कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.nhpcindia.com पर उपलब्ध है।

4. प्रचालनात्मक निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एमओयू के अंतर्गत 'उत्कृष्ट' रेटिंग के लिए 26,000 एमयू के उत्पादन लक्ष्य को पार करते हुए 26121 एमयू का अब तक का सबसे अधिक उत्पादन प्राप्त किया। उक्त उत्पादन में चुटक और निम्मो बाजगो पावर स्टेशनों से 195 एमयू का मानद उत्पादन शामिल नहीं है।

वर्ष के दौरान 13 पावर स्टेशनों ने अपने प्रारंभ किए जाने से अब तक का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त किया है। पाँडेज पावर स्टेशनों, अर्थात रन ऑफ द रिवर तथा सीमित संयंत्रों के अतिरिक्त, ने 89.30 प्रतिशत का संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) प्राप्त किया है। जलविद्युत स्टेशनों का समग्र पीएएफ 84.04 प्रतिशत था। सात पावर स्टेशनों यथा सलाल, टनकपुर, उड़ी, धौलीगंगा, सेवा–II, उड़ी–II और किशनगंगा ने वर्ष के दौरान अपने चालू होने के पश्चात् अब तक का अपना सबसे अधिक पीएएफ प्राप्त किया है। विद्युत–वार उत्पादन और पीएएफ **तालिका–2** में दिया गया है।

तालिका 2 : वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान पावर स्टेशन वार उत्पादन और संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ)

पावर स्टेशन का नाम	उत्पादन लक्ष्य* (एमयू)	वास्तविक उत्पाादन (एमयू)	पीएएफ लक्ष्य* (%)	वास्तविक पीएएफ (%)
पॉण्डेज पावर स्टेशन **				
लोकतक (105 मेगावाट)	600	367	95.75	90.64
चमेरा–I (540 मेगावाट)	2460	2663	96.25	95.19
रंगित (60 मेगावाट)	340	355	96.25	95.35
चमेरा–II (300 मेगावाट)	1470	1237	96.25	54.89
धौलीगंगा (280 मेगावाट)	1100	1325	94.25	98.99
दुलहस्ती (390 मेगावाट)	2200	2065	94.05	79.75
तीस्ता–V (510 मेगावाट)	2720	2832	95.75	97.50
सेवा–II (120 मेगावाट)	500	648	96.25	104.04
चमेरा–III (231 मेगावाट)	1085	1056	96.25	93.16
टीएलडीपी–III (132 मेगावाट)	585	582	93.75	95.43
टीएलडीपी–IV (160 मेगावाट)	720	739	93.25	89.42
उप जोड़ (क)	13780	13869	95.35	89.30
रन ऑफ द रिवर पावर स्टेशन और सीमित संयंत्र				
बैरास्यूल (180 मेगावाट)	300	331	57.00	44.81
सलाल (690 मेगावाट)	3520	4010	79.00	97.43
टनकपुर (94.2 मेगावाट)	450	558	68.00	84.41
उड़ी (480 मेगावाट)	2920	3408	78.00	93.61
चुटक[1] (44 मेगावाट)	47	98	47.00	51.05
निम्मो बाजगो[1] (45 मेगावाट)	110	172	68.00	75.02
उड़ी–II (240 मेगावाट)	1490	1794	83.00	97.91
पार्बती–III (520 मेगावाट)	685	692	59.00	61.83
किशनगंगा (330 मेगावाट)	1700	849	89.00	48.92
पार्बती–III[2] (800 मेगावाट)	300	190	-	-
उप जोड़ (ख)	11522	12102	73.85	78.37
कुल क+ख (जलविद्युत)	25302	25971	85.00	84.04
पवन विद्युत परियोजना, जैसलमेर (50 मेगावाट)	100	53	-	-
सौर विद्युत परियोजना, तमिलनाडु (50 मेगावाट)	98	97	-	-
कुल	**25500**	**26121**	**85.00**	**84.04**

* दर्शाए गए लक्ष्य भारत सरकार के साथ एमओयू के अनुसार "बहुत अच्छा" रेटिंग हेतु है।

** वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु पीएएफ पॉंडेज पावर स्टेशनों के लिए एमओयू के अनुसार (अर्थात रन ऑफ द रिवर पावर स्टेशनों तथा सीमित संयंत्रों को शामिल नहीं किया गया है)।

टिप्पणी :

1. उत्पादन में चुटक पावर स्टेशन (102.6 एमयू) और निम्मो बाजगो पावर स्टेशन (92.40 एमयू) का मानद उत्पादन शामिल नहीं है।
2. उत्पादन में अपुष्ट विद्युत शामिल है।

वर्ष के दौरान तीस्ता लो डैम-III पावर स्टेशन, पश्चिम बंगाल और तीस्ता लो डैम-IV पावर स्टेशन, पश्चिम बंगाल का सुदूर नियंत्रित संचालन क्षेत्रीय कार्यालय, सिलीगुड़ी से सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया।

आपकी कंपनी ने अपने दो पावर स्टेशनों का 35 वर्ष का उपयोगी जीवन–काल पूरा होने पर उनके जीवन–विस्तार (आर एंड एम एलई) के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का काम प्रारंभ किया है। ये पावर स्टेशन हैं बैरास्यूल (180 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश और लोकतक (105 मेगावाट), मणिपुर।

बैरास्यूल पावर स्टेशन में, एक यूनिट (यूनिट # II) का आरएंडएम एलई पूरा हो चुका है और दूसरी यूनिट (यूनिट # I) का काम चल रहा है। आर एंड एम एलई का समापन वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निर्धारित है जिसमें उत्पादन के लिए दो इकाइयों की और आरएंडएम के तहत एक इकाई की समवर्ती उपलब्धता शामिल है। लोकतक पावर स्टेशन के आरएंडएम एलई को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसे 2021–24 की अवधि के दौरान निर्धारित किया गया है।

5. वाणिज्यिक निष्पादन

5.1 बिक्री तथा वसूली

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, प्रचालनों से आपकी कंपनी का राजस्व 8735.41 करोड़ रूपए था। कंपनी का 7642.26 करोड़ रूपए की प्रधान राशि की बिलिंग के प्रति एकत्रीकरण 7500.56 करोड़ रूपए था अर्थात 98 प्रतिशत से अधिक। हमें यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपकी कंपनी वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 7817.53 करोड़ रूपए की राशि को वसूल पाने में समर्थ हुई है जिसमें 325.66 करोड़ रूपए के अधिभार का एकत्रीकरण शामिल है। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान ग्रिड आवृत्ति में परिवर्तन के कुशल संचालन और समय पर दर्शाई गई प्रतिक्रिया द्वारा 156 करोड़ रु. (लगभग) के शुद्ध विचलन प्रभार अर्जित किया है।

31 मार्च, 2020 के अनुसार, 2677.61 करोड़ रूपए के कुल बकाया देय (453.47 करोड़ रूपए के अधिभार सहित) 45 दिवस से अधिक हेतु लंबित थे। बकाया मुख्यतः विद्युत विकास विभाग, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (1467.83 करोड़ रूपए) और उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (746.09 करोड़ रूपए) से संबंधित हैं।

आपकी कंपनी लाभग्राहियों के साथ लगातार अनुवर्तन से बकाया देयों की वसूली के लिए प्रयास कर रही है।

5.2 विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर करना

आपकी कंपनी के पावर स्टेशनों के लिए दीर्घकालिक पीपीए की उपलब्धता उनके स्थायित्व की कुंजी है। ये पीपीए कंपनी के लिए संभावित राजस्व जुटाते हैं और प्रतिलाभ की आश्वासित दर सुनिश्चित करते हैं। आपकी कंपनी अपने पावर स्टेशनों के लिए दीर्घकालिक पीपीए हस्ताक्षरित करने का प्रयास करती है। एनएचपीसी के पास अपने अधिकांश पावर स्टेशनों के लिए लाभार्थियों के साथ दीर्घकालिक पीपीए हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान पीपीए के संबंध में प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार दी गई हैं:

6. चालू परियोजनाओं की स्थिति

आपकी कंपनी वर्तमान में 2800 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली दो जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में लगी है। इन परियोजनाओं में निर्माण गतिविधियों को 23 मार्च, 2020 से 22 अप्रैल, 2020 तक निलंबित रखा गया, क्योंकि केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर देशव्यापी तालाबंदी का आदेश दिया गया। इन चालू परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है:

6.1 पार्बती–II जलविद्युत परियोजना 800 मेगावाट (4X200 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश:

पार्बती–II जलविद्युत परियोजना का निर्माण हिमाचल प्रदेश के कुल्लु जिले में पार्बती नदी पर एक रन–ऑफ–द–रिवर योजना के रूप में किया जा रहा है। बांध, इनटेक ढांचा, गाद हटाने के चेम्बर, प्रेशर शॉफ्ट, सर्ज शॉफ्ट, विद्युत गृह और जीवा नाला कार्यों जैसे प्रमुख सिविल कार्य पूरे हो चुके हैं। विद्युतगृह के इलेक्ट्रो–मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य भी पूरे हो चुके हैं। टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) द्वारा हेड रेस टनल (एचआरटी) की खुदाई, जो परियोजना के पूरा होने के लिए महत्वपूर्ण है, प्रगति पर है। परियोजना के 1500 मी. एचआरटी कार्यों के निष्पादन के लिए ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग पद्धति (डीबीएम) पैकेज टीबीएम के माध्यम से निष्पादनकारी एजेंसी के काम की समाप्ति के बाद जून, 2020 में प्रदान किया गया है।

पहली और दूसरी यूनिट जीवा नाला से डिस्चार्ज का उपयोग करते हुए सितम्बर, 2018 में आंशिक लोड पर ग्रिड के साथ सफलतापूर्वक समक्रमित की जा चुकी है। तीसरी और चौथी यूनिट को भी सितम्बर, 2019 में ग्रिड के साथ सफलतापूर्वक समक्रमित किया जा चुका है। परियोजना दिसम्बर, 2021 में चालू किए जाने की प्रत्याशा है।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ वितरण कंपनी का नाम	पावर स्टेशन का नाम	वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) से वैधता अवधि (वर्षों में)
प्रचालनशील विद्युत स्टेशन			
1	जम्मू और कश्मीर	उड़ी–II	10*
2	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल), उत्तर प्रदेश	उड़ी–II और पार्बती–III	35
3	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल), दिल्ली		40
4	उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएएल, उत्तराखंड)		
5	हरियाणा पावर परचेज केन्द्र (एचपीपीसी), हरियाणा		
निर्माण परियोजनाएं			
6	विद्युत विभाग, अरूणाचल प्रदेश	सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना	40
7	केरल राज्य विद्युत बोर्ड	फ्लोटिंग सौर संयंत्र	25**

* पीपीए का 5 वर्षों के लिए नवीकरण किया गया।

** सौर विद्युत संयंत्र का उपयोगी जीवनकाल केवल 25 वर्ष होता है।

6.2 सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना 2000 मेगावाट (8 x 250 मेगावाट), अरूणाचल प्रदेशः

जुलाई, 2019 में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के अनुसार, परियोजना को सार्वजनिक हित में जारी रखा जाएगा। अगस्त, 2019 में सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए असम सरकार के साथ एक समझौता करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना से बिजली की आपूर्ति के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ अगस्त, 2019 में एक पीपीए पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। एनजीटी के आदेश और असम सरकार के साथ समझौता करार पर हस्ताक्षर किए जाने के अनुसार परियोजना की निर्माण गतिविधियों को अक्टूबर, 2019 में फिर से शुरू किया गया। पावर हाउस पैकेज (लॉट–एसएसएल–6 कार्य) के लिए निविदा संबंधी कार्य प्रगति पर है। ड्राफ्ट ट्यूब (डीटी) गेट्स 3, 4 और 5 लगाने का कार्य भी पूरा हो गया है। परियोजना के सितंबर, 2023 तक चालू होने का अनुमान है।

7. मंजूरी/अनुमोदन के अधीन परियोजनाएं :

आपकी कंपनी हरित क्षेत्र परियोजनाएं लेने के अलावा अपनी स्थायी नेतृत्व की स्थिति को बनाए रखने के लिए अपने क्रियाकलापों का विस्तार किए जाने के महत्व को पहचानती है।

आपकी कंपनी सीआईआरपी प्रक्रिया के माध्यम से देश की रुग्ण जलविद्युत परियोजनाओं के अधिग्रहण के लिए बोली प्रक्रिया में भाग ले रही है। वर्ष 2019–20 के दौरान, एनएचपीसी ने एलटीएचपीएल का अधिग्रहण किया और उसे जलविद्युत निगम लिमिटेड के लिए एक सफल समाधान आवेदक के रूप में घोषित किया गया, जो माननीय एनसीएलटी के अनुमोदन के अध्यधीन है।

मंजूरी/अनुमोदन के विभिन्न चरणों के तहत परियोजनाओं, जिसमें अनुषंगियों/संयुक्त उपक्रमों की परियोजनाएं भी शामिल हैं, की स्थिति **तालिका 3** में दी गई है।

तालिका 3. स्वीकृति/अनुमोदन चरण के अधीन परियोजनाएंः

क्रम संख्या	परियोजना	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
क. एकल आधार पर			
(क) जलविद्युत परियोजनाएं			
1.	कोटली भेल–IA *	उत्तराखंड	195
2.	तीस्ता–IV	सिक्किम	520
3.	दिबांग	अरूणाचल प्रदेश	2,880
4.	तवांग–I		600
5.	तवांग–II		800
6.	बरसर	जम्मू एवं कश्मीर	800
7.	गोरीगंगा–IIIए	उत्तराखंड	150
उप–जोड़ (क)			**5,945**
(ख) पवन विद्युत परियोजनाएं			
1.	पवन विद्युत परियोजना, पलक्कड़	केरल	8
उप–जोड़ (ख)			**8**
कुल क (क+ख)			**5,953**
ख. अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम के माध्यम से			
(क) जलविद्युत परियोजनाएं			
1.	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (मणिपुर सरकार के साथ संयुक्त उद्यम) द्वारा लोकतक डाउनस्ट्रीम जलविद्युत परियोजना	मणिपुर	66
2.	क्वार (जेकेएसपीडीसी और पीटीसी इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम)	जम्मू एवं कश्मीर	540
3.	रतले (जेकेएसपीडीसी के साथ संयुक्त उद्यम – अभी अधिनिगमित की जानी है) **		850
4.	भूटान में चमखारच्छू–I (ड्रुक ग्रीन पावर कारपोरेशन लिमिटेड, भूटान के साथ संयुक्त उद्यम – अभी अधिनिगमित की जानी है)		770
उप–जोड़ (क)			**2,226**

क्रम संख्या	परियोजना	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
(ख) सौर परियोजनाएं			
1.	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (यूपीएनईडीए के साथ संयुक्त उद्यम) के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जालौन में परियोजना ***	उत्तर प्रदेश	32
उप–जोड़ (ख)			32
कुल ख (क+ख)			2,258
सकल योग (क+ख)			8,211

* परियोजना हेतु सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) का अनुमोदन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृति के अधीन है। इस परियोजना के अन्य निर्माण क्रियाकलाप भी माननीय न्यायालय के निर्णय पर निर्भर हैं।

** एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से रतले जलविद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे प्रारंभ में एनएचपीसी की 51 प्रतिशत तथा जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (जेकेएसपीडीसी) की 49 प्रतिशत इक्विटी शेयरधारिता के साथ अधिनिगमित किया जाएगा। एनएचपीसी की इक्विटी को चालू होने की तिथि से 5 वर्ष समाप्त होने के पश्चात जेकेएसपीडीसी द्वारा 15 वर्षों में समान किश्तों पर खरीदा जाएगा।

*** उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना को स्थापित करने के लिए एनएचपीसी और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए) के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्तमान में केवल 32 मेगावाट के लिए भूमि उपलब्ध है, अतः इसकी वाणिज्यिक व्यहार्यता का पता लगाने के लिए परियोजना की क्षमता में वृद्धि के लिए नया प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

8. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयारी के अधीन परियोजना

डुगर जलविद्युत परियोजना (449 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश

सितंबर, 2019 में हस्ताक्षरित समझौता–ज्ञापन के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश के लाहौल–स्पीति घाटी में स्थित डुगर जलविद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण स्वयं प्रचालन एवं अंतरण (बीओओटी) आधार पर एनएचपीसी को 70 वर्षों की अवधि के लिए आवंटित किया गया है। मौजूदा डीपीआर, जिसे पूर्व विकासकर्ता से प्राप्त किया गया है, को अद्यतन करने का काम अतिरिक्त जांच और अध्ययन के लिए किया जा रहा है। विषम जलवायु परिस्थितियों के कारण वर्ष के दौरान परियोजना पर सीमित पहुंच ही संभव हो सकी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए), भारत सरकार से मंजूरी के बाद परियोजना का निष्पादन अत्यंत त्वरित आधार पर किया जाएगा।

9. विविधीकरण

आपकी कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों अर्थात सौर, पवन आदि की परियोजनाओं को लेकर अपने क्रियाकलापों में विविधता लाने का प्रयास कर रही है। ऐसी परियोजनाओं की स्थापना के लिए कंपनी के प्रयास निम्नानुसार हैं :

9.1 सौर ऊर्जा परियोजनाएं

9.1.1. एमएनआरई की अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क (यूएमआरईपीपी) योजना के तहत परिकल्पित परियोजनाएं

यूएमआरईपीपी के विकास की संभावना का पता लगाने के लिए, भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने तेलंगाना और ओडिशा राज्य (फ्लोटिंग सोलर के लिए) और जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र एनएचपीसी को आवंटित किए हैं। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र में उपलब्ध क्षमता के आधार पर यूएमआरईपीपी को क्रियान्वित करने की कार्य–रीतियों के बारे में चर्चा चल रही है। एनएचपीसी ने यूएमआरईपीपी के तहत अन्वेषण और विकास के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं की परिकल्पना की है :

(i) ओडिशा में 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना

एनएचपीसी लिमिटेड और ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड (जीईडीसीओएल) के बीच जुलाई, 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार, पक्षकार एमएनआरई की यूएमआरईपीपी योजना के तहत ओडिशा राज्य में अधिमानतः 50 मेगावाट प्रत्येक के पैकेज में एक चरणबद्ध तरीके से 500 मेगावाट की तकनीकी–व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं की योजना और विकास करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) की स्थापना के लिए सहायता और सहयोग कर सकती हैं। पक्षकारों ने ओडिशा राज्य में पश्चातवर्ती अवधियों में संयुक्त रूप से पहचान के बाद फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए आगे और अधिक संभावनाएं तलाशने पर भी सहमति व्यक्त की।

(ii) तेलंगाना में 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना

एनएचपीसी और तेलंगाना स्टेट नवीकरणीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएसआरईडीसीओ) (स्टेट नोडल एजेंसी) के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाए जाने के बारे में चर्चा भी की जा रही है जिसका उद्देश्य मिड मनैर बांध, करीम नगर, तेलंगाना के जलाशय में 500 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ व्यवहार्य फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं का संयुक्त रूप से अन्वेषण और विकास करना है। । तेलंगाना सरकार से अनुमोदन के बाद समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(iii) 50 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना, केरल

एनएचपीसी पश्चिम कल्लाडा, केरल में फ्लोटिंग सौर विद्युत परियोजना के विकास की प्रक्रिया में है। प्रथम चरण के तहत इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति और निर्माण (ईपीसी) ठेकेदार द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) जमा नहीं करने के कारण, 10 मेगावाट फ्लोटिंग सौर

परियोजना के लिए कार्य प्रदान किए जाने संबंधी पत्र को रद्द कर दिया गया। केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) ने एमएनआरई की यूएमआरईपीपी योजना के तहत एक बार में 50 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना के कार्यान्वयन के साथ कार्यवाही करने के लिए अपनी सहमति दी है। ईपीसी बोलियों के लिए निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) 30 जून, 2020 को जारी किए गए है।

(iv) अन्य स्थानों पर अन्वेषण

अन्य स्थानों पर यूएमआरईपीपी के विकास का अन्वेषण भी किया जा रहा है। विभिन्न अन्य संभावित संसाधन समृद्ध राज्यों में भूमि की पहचान की प्रक्रिया चल रही है और भूमि स्वामियों से रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से निजी भूमि की व्यवस्था करने पर भी एमएनआरई योजना के तहत लाभ लेने के लिए विचार किया जा रहा है।

9.1.2 यूटिलिटी सौर ऊर्जा परियोजनाएं

(i) ओडिशा में 140 मेगावाट की एनएचपीसी सोलर पार्क

एमएनआरई ने ओडिशा में सोलर पार्क की क्षमता को बढ़ाने (100 मेगावाट से 140 मेगावाट), के लिए एनएचपीसी को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है जिसमें गंजम जिले में 40 मेगावाट की परियोजना और देवगढ़ जिले में 100 मेगावाट परियोजना के विकास की परिकल्पना की गई है। दोनों परियोजनाओं के लिए राज्य तकनीकी समिति के अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं और इन परियोजनाओं के विकास के लिए आवश्यक भूमि की पहचान की गई है। गंजम जिले में 40 मेगावाट की परियोजना के लिए भूमि के आवंटन के लिए अनुमोदन का संप्रेषण इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड (आईडीसीओएल) द्वारा सूचित किया गया है और देवगढ़ जिले में 100 मेगावाट की परियोजना के लिए पहचान की गई भूमि आईडीसीओएल द्वारा निर्धारित की गई है। सौर परियोजनाओं के विकास के लिए अन्य गतिविधियाँ जारी हैं।

(ii) अन्य यूटिलिटी परिमाणी सौर परियोजनाएँ

एनएचपीसी विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों जैसे तेलंगाना (293 मेगावाट), तमिलनाडु (25X25 मेगावाट) और लेह (50 मेगावाट) में अन्य परिमाणी सौर परियोजनाओं की संभावनाओं का भी अन्वेषण कर रहा है।

(iii) सुविधाप्रदाता की भूमिका में सौर परियोजनाओं का विकास (एक व्यापारी के रूप में)

एक विकासकर्ता के रूप में चयन हेतु अनुरोध (आरएफएस) दस्तावेज कुल 2,000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए भारत में कहीं से भी आमंत्रित किए गए थे। उपरोक्त आरएफएस के लिए ई–रिवर्स नीलामी एनएचपीसी द्वारा 16 अप्रैल, 2020 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। संपूर्ण 2,000 मेगावाट के लिए कार्य प्रदान पत्र (एलओए) जारी किए गए हैं तथा पीपीए (विकासकर्ताओं के साथ विद्युत क्रय करार) और पीएसए (डिस्कॉम/उपभोक्ताओं के साथ विद्युत विक्रय करार) पर हस्ताक्षर किए जाने की प्रक्रिया में है।

9.2 पवन ऊर्जा परियोजनाएं

केरल पवन ऊर्जा परियोजना (72 मेगावाट)

एनएचपीसी ने केरल राज्य में पवन ऊर्जा परियोजनाओं का विकास किया है। केरल सरकार के विद्युत विभाग के साथ एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। इससे पहले केरल सरकार ने एनएचपीसी से कहा था कि वह रिक्तीकरण अवसंरचना की उपलब्धता के अनुसार पालक्कड़ जिले के अगाली गाँव में उपलब्ध उच्च पवन क्षमता का दोहन करे। 8 मेगावाट की पूर्व में परिकल्पित परियोजना के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के संबंध में खराब प्रतिक्रिया प्राप्त होने के कारण, केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) ने 72 मेगावाट की परियोजना को एक बार में कार्यान्वित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अपनी सहमति दी है, ताकि एक व्यवहार्य प्रस्ताव की परिकल्पना की जा सके। विद्युत निकासी व्यवस्था तथा परियोजना के उन्नयन के लिए और अतिरिक्त भूमि की आवश्यक अन्वेषण जारी है।

9.3 विद्युत व्यवसाय

व्यापार विस्तार और विविधीकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में आपकी कंपनी विद्युत व्यापार व्यवसाय में भी शामिल हो गई है। कंपनी के विद्युत व्यापार व्यवसाय के प्रयास अपने ग्राहकों जैसे क्रेता/डिस्कॉम, उत्पादक/विक्रेता, उपयोगिताएं आदि के लिए कुशल और स्मार्ट व्यापार समाधान प्रदान करना हैं। सीईआरसी ने अप्रैल, 2018 में संपूर्ण भारत में बिजली के अंतरराज्यीय व्यापार के लिए श्रेणी–I व्यापार लाइसेंस प्रदान किया है। एनएचपीसी डीईईपी (दक्ष विद्युत मूल्य अन्वेषण) ई–बोली पोर्टल पर पंजीकृत है और इसने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) में व्यापारिक सदस्यता प्राप्त की है। मार्च, 2020 के दौरान, अल्पकालिक संव्यवहारों के लिए एनएचपीसी ने व्यापारियों के मध्य छठा स्थान हासिल किया है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 695.84 करोड़ रु. (जिसमें विद्युत व्यापार व्यवसाय की एजेंसी प्रकृति शामिल है) के टर्नओवर के साथ 2,022 एमयू का व्यवसाय किया है। कंपनी ने 2019–20 के दौरान उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू–कश्मीर संघ शासित प्रदेश के लिए निविदाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है।

10. अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट कंपनियों का ब्यौरा

31 मार्च, 2020 के अनुसार आपकी कंपनी की निम्नलिखित अनुषंगी कंपनियां/एसोसिएट/संयुक्त उद्यम कंपनियां है:

कंपनी का नाम	संयुक्त उद्यम भागीदारों का ब्यौरा (इक्विटी प्रतिभागिता)	वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी का कार्य–निष्पादन
अनुषंगी कंपनियां		
एनएचपीसी लिमिटेड (एनएचडीसी)	एनएचपीसी (51.08 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश सरकार (48.92 प्रतिशत)	एनएचडीसी लिमिटेड के मध्य प्रदेश में दो प्रचालनशील पावर स्टेशन है अर्थात इंदिरा सागर (1000 मेगावाट) और ओमकारेश्वर (520 मेगावाट)। वर्ष 2019–20 के दौरान एनएचडीसी ने अपने पावर स्टेशनों से 4109.63 एमयू अर्थात इंदिरा सागर पावर स्टेशन से 2877.34 एमयू तथा ओमकारेश्वर पावर स्टेशन से 1232.29 एमयू का उत्पादन किया था।

कंपनी का नाम	संयुक्त उद्यम भागीदारों का ब्यौरा (इक्विटी प्रतिभागिता)	वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी का कार्य–निष्पादन
		एनएचडीसी मध्य प्रदेश राज्य में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों में विविधीकरण के माध्यम से अपनी क्षमता वर्धन की संभावनाओं को भी तलाश रही है।
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)	एनएचपीसी (73.17 प्रतिशत) और मणिपुर सरकार (26.83 प्रतिशत)	एलडीएचसीएल वर्तमान में मणिपुर के टमेंगलोंग जिले में लोकतक डाउनस्ट्रीम जलविद्युत परियोजना (66 मेगावाट) का कार्यान्वयन कर रही है। परियोजना के निष्पादन हेतु सभी सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। ईपीसी पैकेजों हेतु निविदा दिए जाने की प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है। पीपीए को शीघ्र हस्ताक्षरित किए जाने के लिए प्रयास प्रक्रियाधीन है। मणिपुर सरकार ने कम्पनी को थोबल बहुउद्देश्य योजना के जलविद्युत घटक (7.5 मेगावाट) को भी कंपनी को आंवटित किया है। एनएचपीसी बोर्ड ने इस परियोजना के इक्विटी अंशदान हेतु सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान कर दिया है। परियोजना वर्तमान में अन्वेषण चरण के अधीन है।
बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	एनएचपीसी (99.99 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश न्यू एण्ड रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (यूपीएनईडीए)	बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की कल्पी तहसील में एक 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे सौंपी जाने वाली अन्य कोई परम्परागत या अपराम्परागत विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अधिनिगमित किया गया था। बीएसयूएल को 63.491 हैक्टेयर भूमि अंतरित की जा चुकी है। अब भूमि की उपलब्धता के आधार पर एक 32 मेगावाट सौर संयंत्र को कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है। पुनः निविदा के पश्चात् पता लगाई गई ईपीसी लागत के अनुसार, 32 मेगावाट परियोजना की स्थापना के लिए वर्तमान प्रस्ताव को तकनीकी–वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया था। अभी की स्थिति के अनुसार बीएसयूएल को अतिरिक्त भूमि के आवंटन द्वारा परियोजना की क्षमता के विस्तार का नया प्रस्ताव विचाराधीन है।
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एचटीएचपीएल)	पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी	एलटीएचपीएल सिक्किम में 500 मेगावाट की तीस्ता VI जलविद्युत परियोजना संचालित कर रहा है। एनएचपीसी ने अक्तूबर, 2019 में सीआईआरपी प्रक्रिया के माध्यम से एलटीएचपीएल का अधिग्रहण किया है और अनुमोदित समाधान योजना के अनुसरण में विचारणीय राशि के रूप में 897.50 करोड़ रु. की इक्विटी इसमें निवेशित की है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, भारत सरकार ने मार्च, 2019 में एलटीएचपीएल के अधिग्रहण और तीस्ता VI जलविद्युत परियोजना के शेष कार्यों के निष्पादन के लिए 5,748.04 करोड़ रु. की अपनी निवेश स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रमुख अनुबंध पैकेज अर्थात परियोजना के लॉट–1 और लॉट–2 मार्च, 2020 में प्रदान किए गए हैं। शेष हाइड्रो–मैकेनिकल (एचएम) और ईएंडएम कार्यों के लिए निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं।

सहयोगी / संयुक्त उद्यम कंपनियां		
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल)	एनएचपीसी लिमिटेड (49.98 प्रतिशत), जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड और पीटीसी इंडिया लिमिटेड (0.22 प्रतिशत)	जम्मू एवं कश्मीर में 3 परियोजनाएं अर्थात पकल दुल जलविद्युत परियोजना (1000 मेगावाट), किरू जलविद्युत परियोजना (624 मेगावाट) और क्वार जलविद्युत परियोजना (540 मेगावाट) को सीवीपीपीपीएल द्वारा विकसित किया जा रहा है। कंपनी ने परियोजनाओं के लिए आधारभूत ढांचा विकास कार्यों यथा सड़क, पुल, भवन आदि को शुरू किया है। पकल दुल जलविद्युत परियोजना का निष्पादन प्रमुख घटकों के पांच पैकेजों यथा, एचआरटी–टीबीएम, बांध, विद्युत गृह, ईएंडएम और एचएम हाइड्रो–मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रो–मैकेनिकल के पैकेजों के माध्यम से किया जा रहा हैं। बांध और विद्युत गृह ईएंडएम और एचएम पैकेजों हेतु कार्य दिए जा चुके हैं। एचआरटी– टीबीएम पैकेज के लिए बोलियां प्रक्रियाधीन हैं। किरू जलविद्युत परियोजना के सभी तीन पैकेजों अर्थात सिविल, एचएम और ईएंडएम के लिए निविदाएं फरवरी, 2020 में प्रदान की गई हैं। हालांकि, क्वार जलविद्युत परियोजना के सभी तीन पैकेजों के लिए निविदाएं फिर से आमंत्रित की जा रही हैं।
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)	एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दामोदर घाटी निगम और केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (प्रत्येक की शेयरधारिता 20 प्रतिशत है)	एनएचपीटीएल की स्थापना देश में शॉर्ट सर्किट जांच सुविधा के लिए एक ऑन लाइन हाई पावर जांच प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए की गई थी। 400 केवी स्तर और 765 केवी स्तर पर उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर (एचवीटीआर) हेतु प्रयोगशाला पहले से ही बीना, मध्य प्रदेश में प्रचालनशील है। मीडियम वोल्टेज ट्रांसफार्मर (एमवीटीआर) हेतु प्रयोगशाला सितम्बर, 2020 तक चालू किए जाने की प्रत्याशा है।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, एलटीएचपीएल, एनएचपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी बन गई है। इसके अलावा, वर्ष 2019–20 के दौरान, सीवीपीपीपीएल, एनएचपीसी की अनुषंगी कंपनी नहीं रही क्योंकि अपेक्षित मिलान योगदान जेकेएसपीडीसी द्वारा प्रदान किया गया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के प्रथम परंतुक के अनुसार आपकी कंपनी की अनुषंगी कंपनियों, एसोसिएट कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं को अंतर्विष्ट करता एक विवरण तथा अवधि के दौरान कंपनी के समग्र निष्पादन में इन कंपनियों के व्यक्तिगत योगदान का विवरण समेकित वित्तीय विवरणों के तहत दिया गया है।

अनुषंगी कंपनियों के संबंध में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 के अनुसार उक्त दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने में इच्छुक होने वाला कोई शेयरधारक कम्पनी की वेबसाइट अर्थात www.nhpcindia.com पर देख सकता है।

11. स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई)

आपकी कंपनी एक सुदृढ़ पर्यावरण–संबंधी विवेक के साथ अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो सतत विकास, सुरक्षित कार्यस्थल और अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध बनाना सुनिश्चित करता है। यह पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के प्रति अपने दायित्व से भली–भांति अवगत है। जांच की अवस्था के दौरान, परियोजनाओं को निष्पादित करते समय पर्यावरण पर संभावित प्रभाव का आकलन और पहचान की जाती है। परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई के लिए आवश्यक उपाय करते हुए पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं प्रस्तावित और कार्यान्वित की जाती है। उपरोक्त के अलावा, इमारतों का निर्माण इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वे पर्यावरण के अनुकूल बन सकें।

आपकी कंपनी के अधिकांश पॉवर स्टेशन आईएसओः 9001 और 14001 प्रमाणित हैं यानी उन्हें सतत विकास के लिए प्रमाणन प्राप्त है और इसके साथ–साथ वे व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस / ओएचएसएएस–18001 / 45001) द्वारा भी प्रमाणित हैं। सुरक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं और पर्यावरण कानूनों के अनुपालन की नियमित निगरानी की जाती है।

12. परामर्शी सेवाएं

आपकी कंपनी मुख्य रूप से देश और उसके पड़ोसी देशों में अपनी पहुंच और उपस्थिति को बढ़ाने के लिए परामर्श कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य भौगोलिक रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में जलविद्युत क्षेत्र में अपने साथी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। सर्वोत्तम ओ एंड एम प्रक्रियाएं, जिन्होंने एनएचपीसी

को सर्वोत्तम संयंत्र उपलब्धता हासिल करने में समर्थ बनाया है, इसकी दक्षता बढ़ाई है और इसके विभिन्न पावर स्टेशनों में संयंत्र/उपकरण के जीवन–काल में वृद्धि की है, परामर्श के माध्यम से भी साझा की जाती हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न ग्राहकों को प्रदान की गई परामर्श सेवाओं का औसत वार्षिक टर्नओवर 40 करोड़ रु. है।

13. नई परियोजनाओं का वित्त–पोषण

आपके निदेशकों का मानना है कि आपकी कंपनी की उपलब्ध आंतरिक प्राप्तियां नई/चालू परियोजनाओं के इक्विटी घटक को वित्त–पोषित करने के लिए पर्याप्त हैं। कंपनी सीईआरसी मानदंडों के अनुसार, इसके निम्न कर्ज–भारित पूंजीगत ढांचे तथा दृढ़ क्रेडिट रेटिंग को देखते हुए अपेक्षित ऋण जुटाने में बेहतर स्थिति में है। वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से उधारियों के विभिन्न विकल्पों के माध्यम से 5553.39 करोड़ रुपए अर्थात निजी प्लेसमेंट के आधार पर कारपोरेट बॉन्ड्स के माध्यम से 4000 करोड़ रुपए, भारतीय स्टेट बैंक से सावधि ऋण के माध्यम से 310 करोड़ रुपए, भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में 554.64 करोड़ रुपए और एमयूएफजी बैंक, हांगकांग से 688.75 करोड़ (1079.55 जेपीवाई) रूपए जुटाए हैं।

आपकी कंपनी योजित क्षमतावर्धन कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित ऋण जुटाने के लिए बहुपक्षीय/द्विपीक्षीय एजेंसियों द्वारा मुहैया करवाई जाने वाली विदेशी विकास सहायता सहित घरेलू तथा साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय ऋण विकल्पों को तलाश रही है।

14. क्रेडिट रेटिंग

- **घरेलू रेटिंग**

  आपकी कंपनी के पास घरेलू रेटिंग एजेंसियों अर्थात आईसीआरए, सीएआरई और इंडिया रेटिंग्स द्वारा इसके सूचीबद्ध बॉन्डों के लिए 'एएए' की उच्चतम घरेलू क्रेडिट रेटिंग है। यह भारत में उच्चतम क्रेडिट रेटिंग का प्रतीक है, इसलिए, निवेशकों के लिए कम क्रेडिट जोखिम वहन करता है।

- **अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग**

  एस एंड पी ने कंपनी के लिए स्थिर दृष्टिकोण के साथ अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग 'बीबीबी' को बनाए रखा है, जो भारत की संप्रभु रेटिंग के समकक्ष है।

15. सूचना प्रौद्योगिकी और संचार

आपकी कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी को व्यवसाय में स्थायी विकास की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण घटक मानती है। आपकी कंपनी ने कागजरहित या कम–कागज वाले कार्यालय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने सभी स्थानों पर एनआईसीएसआई के ई–ऑफिस (ई–फाइल) सोलुशन को लागू किया है।

नवीनतम प्रौद्योगिकी से लैस एक अत्याधुनिक 'डाटा केन्द्र' जनवरी, 2020 में चालू कर दिया गया है। आपकी कंपनी को अपने डाटा केन्द्र सहित आईटी एवं सी प्रभाग के लिए आईएसएमएस 27001:20 13 प्रमाणन भी प्रदान किया गया है। आईएसएमएस 27001:2013 का कार्यान्वयन गोपनीयता, सत्यनिष्ठा परिसंपत्ति सूचना की उपलब्धता का आश्वासन देता है। राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की अवधि के दौरान कंपनी के दिन–प्रतिदिन के कामकाज विभिन्न ई–मॉड्यूलों जैसे ई–ऑफिस, ईआरपी, ई–आईओएम आदि के कुशल प्रकार्य के माध्यम से लगभग निर्बाध रूप से जारी रहे हैं। आपकी कंपनी ने कर्मचारियों के लिए घर से कार्य करने की सुविधा प्रदान की है।

समूचे भारत में कंपनी की विभिन्न यूनिटें मल्टीमोड और विफलता से सुरक्षित संप्रेषण लिंक के माध्यम से कारपोरेट कार्यालय से जुड़ी हुई हैं। सूचना उपलब्धता, पारदर्शिता तथा निर्णय लेने में सुधार करने के लिए एनएचपीसी में इसके सभी व्यापार कार्यों के एकीकरण के लिए उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी) एप्लीकेशन कार्यान्वित किया गया है।

भारत सरकार के निदेशों के अनुसार, ई–प्रापण, सरकारी ई–बाजार (जीईएम) और ई–रिवर्स बोली प्रणाली के माध्यम से खरीद प्रक्रिया कंपनी में प्रचालनशील है। आपकी कंपनी घटक सदस्य संगठनों में साइबर सुरक्षा संबंधी क्रियाकलापों के मार्गदर्शन तथा निगरानी हेतु सीईआरटी–हाइड्रो के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रही है।

16. मानव संसाधन प्रबंधन

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी के पास 6131 कर्मचारियों का एक मजबूत और समर्पित कार्यबल है जिसमें 3380 कार्यपालक और 2751 गैर–कार्यपालक शामिल थे। उपरोक्त कार्यबल में 649 महिला कर्मचारी भी शामिल हैं।

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन में सुधार करने और उनकी संगठनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ उनके लिए आजीवन सीखने और क्षमता विकास करने के मंत्र में विश्वास करती है। एनएचपीसी अपने कर्मचारियों को आंतरिक संकाय और प्रमुख संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षित करता है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी के प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास (टी एंड एचआरडी) प्रभाग ने अग्रणी प्रबंधन और इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे आईआईएम, आईआईटी, आईसीएआई आदि के माध्यम से अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ये कार्यक्रम कर्मचारियों की उनकी जिम्मेदारियों को और अधिक प्रभावी निर्वहन के लिए उनके कौशलों और दक्षता को बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। आपकी कंपनी वरिष्ठ और संभावित कर्मचारियों को विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी नियुक्त करती है ताकि उन्हें जलविद्युत के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम विकास के प्रति पूर्णतः जागरूक रखा जा सके। उपरोक्त के अलावा, एनएचपीसी अपने अधिकारियों को उच्च योग्यता और विशेषज्ञता हासिल करने के लिए विभिन्न संस्थानों में भी प्रायोजित भी करता है। एनएचपीसी में चार प्रशिक्षण केंद्र अर्थात सलाल पावर स्टेशन (जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र), उड़ी–I पावर स्टेशन (जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र), टनकपुर पावर स्टेशन (उत्तराखंड) और चमेरा–I पावर स्टेशन (हिमाचल प्रदेश) हैं।

एनएचपीसी अपने कर्मचारियों के लिए वेब–लर्निंग को भी प्रोत्साहित कर रहा है। वर्ष 2019–20 के दौरान, विभिन्न ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कंपनी के विभिन्न स्थानों/इकाइयों में ईआरपी मॉड्यूलों अर्थात मानव संसाधन, वित्त, वेतन–पर्ची, अधिप्राप्ति

एवं संविदा और इन्वेंट्री पर ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कंपनी की सभी इकाइयों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया और वे वेब–लर्निंग से लाभान्वित हुए। राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की अवधि के दौरान, टी एंड एचआरडी प्रभाग ने वेबिनार के माध्यम से अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

महाप्रबंधकों के कौशलों और दक्षताओं की पहचान और उनका आकलन करने के लिए आकलन विकास केंद्र (एडीसी) का संचालन किया गया। 200 से अधिक कार्यपालकों का आकलन किया गया और उन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए उनके प्रशिक्षण के लिए वैयक्तिक विकास योजनाएं तैयार की गई हैं।

कंपनी में औद्योगिक संबंध वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बने रहे हैं। आपकी कंपनी का मानना है कि कर्मचारियों के मध्य सामग्र और सार्थक जुड़ाव तथा उनका सही विकास कर्मचारियों की क्षमता में संवृद्धि करेगा।

आपकी कंपनी समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/पीडब्ल्यूडी (विकलांग व्यक्ति) के उम्मीदवारों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेवाओं में आरक्षण के बारे में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करती है। इस संबंध में नियमों के अनुसार आवश्यक रियायतें/छूट भर्ती में दिव्यांग व्यक्तियों तक विस्तारित की जाती हैं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार विकलांग कर्मचारियों की संख्या 117 थी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/पीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधित्व का विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

17. पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एण्ड आर)

आपकी कंपनी परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान विस्थापित जनसंख्या की कठिनाइयों को समझती है। परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास योजनाओं को "उचित मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के अंतर्गत आर्थिक धारणीयता मुहैया करवाने के लिए निरूपित किया जाता है। हाल ही में एनएचपीसी ने परियोजना प्रभावित परिवारों और परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के निकट निवास कर रहे स्थानीय लोगों हेतु प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कुछ कार्यों को आरक्षित करने हेतु एक नीति निरूपित की है।

18. सतर्कता

सतर्कता कार्य का उद्देश्य समूची कंपनी में सत्यनिष्ठा के उच्चतम स्तर को बनाए रखना है। आपकी कंपनी अपने प्रचालनों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और निर्णय लेने की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता वाला एक सर्तकता विभाग है। सतर्कता शिकायतों तथा अनुशासनात्मक मामलों की निगरानी करने तथा उससे निपटने के लिए प्रणालियां प्रलेखित हैं।

सतर्कता विभाग विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) तथा सरकार के अन्य संबंधित विभागों के साथ भी समन्वय करता है। 31 मार्च, 2020 की यथास्थिति के अनुसार कदाचार, दुर्विनियोजन तथा आय से अधिक संपत्ति से संबंधित 5 सतर्कता मामले जांच के अधीन हैं।

निवारात्मक सतर्कता के एक भाग के रूप में समय–समय पर किए गए विभिन्न निरीक्षणों/गहन परीक्षणों के आधार पर नियमित रूप से परिपत्र तथा दिशा–निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और नीति शास्त्र को बढ़ावा देने के लिए कंपनी द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह और अन्य सतर्कता जागरूकता कार्यकमों का भी नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है।

19. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कम्पनी के पास इसके वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं। वर्ष के दौरान ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया है और डिजाइन या प्रचालन में कोई सूचित की जाने वाली भौतिक कमी नहीं पाई गई थी।

20. जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी यह मानती है कि व्यापार से जुड़े जोखिमों का एक प्रभावी प्रबंधन इसकी निरंतर लाभप्रदता और दीर्घावधि धारणीयता के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है। आपकी कंपनी की जोखिमों के प्रति एक ढाँचाबद्ध तथा अनुशासित एप्रोच के लिए एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है। जोखिम प्रबंधन नीति का विकास और कार्यान्वयन प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में कवर किया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

21. सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से खरीद

भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) आदेश 2012 के लिए लोक प्रापण नीति अधिसूचित की है ताकि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के विपणन में सहायता दी जा सके। इस नीति के अनुपालन में इसके अंतर्गत, सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद की जाने वाली मदों सहित वार्षिक प्रापण योजना को एमएसई के लाभ हेतु एनएचपीसी की वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर अपलोड किया गया है।

एमएसई को प्रोत्साहित करने के लिए निविदा शुल्क, धरोहर जमा राशि, सुरक्षा जमा में छूट, खरीद प्राथमिकता, एमएसई को विलंबित भुगतान पर ब्याज और पूर्व अनुभव – पूर्व टर्नओवर मानदण्ड से छूट जैसे लाभों का विस्तार एमएसई को भी किया है जोकि गुणवत्ता तथा तकनीकी विनिर्देशनों को पूरा करने के अधीन है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कंपनी ने कुल वार्षिक खरीद मूल्य के 56.59 प्रतिशत की वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद एमएसई से की जबकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित बाध्यकारी लक्ष्य 25 प्रतिशत का है। वर्ष के दौरान, 1003 एमएसई लाभान्वित हुए है जिसमें से 73 एमएसई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबद्ध है और 8 एमएसई का स्वामित्व महिलाओं के पास था।

व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) प्लेटफार्म एमएसएमई के बीजकों को पृथक करने को सुविधाजनक बनाता है जो उनके

नियमित व्यापार प्रचालनों हेतु कार्यशील पूंजी को उत्पन्न करने को सुकर करता है। एनएचपीसी भी सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लाभ के लिए इस प्लेटफार्म पर पंजीकृत है।

आपकी कंपनी ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर विक्रेता विकास कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है/इसके द्वारा उनमें प्रतिभागिता की गई।

22. राजभाषा कार्यान्वयन

आपकी कंपनी राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार विभिन्न कार्यालयों / स्थानों / इकाइयों में दिन–प्रतिदिन के कामकाज में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), फरीदाबाद की त्रैमासिक बैठकें राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा के लिए आयोजित की गईं।

वर्ष के दौरान, एनएचपीसी ने हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जैसे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, हास्य कवि सम्मेलन, 'महात्मा गांधी की भाषा परिकल्पना' पर हिंदी संगोष्ठी, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी काव्य संगोष्ठी आदि। उपरोक्त के अलावा, हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम, हिंदी कार्यशालाएं और विभागीय कंप्यूटर कार्यशालाएं भी नियमित रूप से आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, हिंदी में कार्य करने में कर्मचारियों की रुचि बढ़ाने के लिए, कारपोरेट कार्यालय, फरीदाबाद में एक 'ऑनलाइन हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता' शुरू की गई है। हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 'राजभाषा ज्योति' और 'नगर सौरभ' नामक राजभाषा पत्रिकाएँ भी प्रकाशित की गईं।

हिंदी के प्रचार में सक्रिय भागीदारी करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी घरेलू पत्रिकाओं के लिए लेख/आलेख का योगदान करने, हिंदी किताबें पढ़ने, और हिंदी में टिप्पण और प्रारूपण आदि करने वाले कर्मचारियों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन योजनाओं को लागू किया गया है।

कंपनी द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए किए गए प्रयासों को विभिन्न मंचों पर सराहा गया है। आपकी कंपनी ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में वर्ष 2018–19 के लिए आयोजित राजभाषा शील्ड योजना के तहत 'द्वितीय पुरस्कार' प्राप्त किया। समग्र विद्युत क्षेत्र में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए आपकी कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.nhpcindia.com को द्विभाषी प्रचालन मोड, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किया गया है।

23. खेल कूल तथा अन्य क्रियाकलाप

वर्ष 2019–20 के दौरान, एनएचपीसी ने विद्युत खेलकूद नियंत्रण बोर्ड, विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न अन्य अंतर सीपीएसयू खेल प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। एनएचपीसी टीमों ने बैडमिंटन, शतरंज और वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं में पदक जीते। आपकी कपंनी ने दिसम्बर, 2019 में सिलीगुड़ी में अंतर सीपीएसयू कैरम प्रतियोगिता का आयोजन किया।

एनएचपीसी ने विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित ऊर्जा संरक्षण 2019 संबंधी राष्ट्रीय जागरूकता अभियान के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली बच्चों हेतु चित्रकला प्रतियोगिताओं का समन्वय किया। श्री प्रियरंजन, उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन), क्षेत्रीय कार्यालय ईटानगर को संघ राज्य क्षेत्र, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'श्रेष्ठ नोडल अधिकारी' घोषित किया गया था।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने अपने क्रियाकलापों को दर्शाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी प्रतिभागिता की थी।

24. सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामलों का निपटान करने के लिए एक व्यापक तंत्र स्थापित किया गया है। कंपनी ने एक वरिष्ठ स्तर के कार्यकारी को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया है। कंपनी ने एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और एक पारदर्शिता अधिकारी भी नामित किया है। ये अधिकारी कॉर्पोरेट ऑफिस में स्थित हैं। उपरोक्त के अलावा, विभिन्न इकाइयों/कार्यालयों में 32 सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) नामित किए गए हैं। सभी नामित अधिकारियों, तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदि का विवरण कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.nhpcindia.com पर उपलब्ध है।

कंपनी की ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टल से संरेखित है। पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सभी आवेदनों/अपीलों पर तदनुसार कार्रवाई/निपटान किया जाता है। वर्ष 2019–20 के दौरान, आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत 458 आवेदन और 53 प्रथम चरण अपीले प्राप्त हुई थी, जिसमें से 454 (99.13 प्रतिशत) आवेदनों और 52 प्रथम चरण अपीलों (98.11 प्रतिशत) का उत्तर दिया गया/निपटान किया गया था। आवेदकों द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष 5 द्वितीय चरण अपीलें दायर की गई थी जिनका भी निपटान कर दिया गया था।

25. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी पिछले कई वर्षों से विभिन्न कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से रत है। सीएसआर क्रियाकलापों का उद्देश्य विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए आमतौर पर समाज पर एक गहरे सकारात्मक प्रभाव को स्थापित करना है, विशेष रूप से हितधारकों की सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय तथा कल्याण चिन्ताओं पर ध्यान देकर और सीमांत तथा वंचित तबकों/समुदायों के सशक्तीकरण के माध्यम से साम्य विकास द्वारा। सीएसआर के अंतर्गत बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण आदि शामिल है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा किए गए सीएसआर क्रियाकलापों के संबंध में एक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में दी गई है। आपकी कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति

http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/CSR_Policy_E_CMA_201811_1.pdf पर उपलब्ध है।

26. सम्बन्धित पक्षों के साथ संविदाएं तथा व्यवस्थाएं

वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी ने अपने किसी संबंधित पक्ष के साथ कोई भौतिक संव्यवहार नहीं किया है। कंपनी के प्रमुख संबंधित पक्ष संव्यवहार इसकी सहायक कंपनियों तथा एसोसिएट के साथ परामर्शी सेवाएं मुहैया करवाने, सम्पत्तियों को पट्टे पर देने तथा जनशक्ति सेवाएं मुहैया करवाने के लिए होते हैं। संबंधित पक्षों के साथ की गई सभी संविदाएं/व्यवस्थाएं/संव्यवहार परस्पर सहमति आधार पर थे जो कंपनी के हितों को बढ़ावा देने के लिए थे। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अंतर्गत यथापेक्षित संबंधित पक्ष संव्यवहार का फार्म एओसी–2 में प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।

वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 8 की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया जाता हैं जो इंड एएस–24 के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटीकरणों को निर्धारित करती है।

27. व्हिसल ब्लोअर तंत्र – सतर्कता तंत्र – व्हिसल ब्लोअर और धोखाधड़ी निवारण नीति

आपकी कंपनी ने एक 'व्हिसल ब्लोअर नीति' तैयार की है जिसमें कंपनी के निदेशक, कर्मचारी, ठेकेदार और विक्रेता लागू विधियों, नियमों, विनियमों या कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन में किए गए किसी भी ऐसे अनैतिक व्यवहारों की सूचना देने के लिए स्वतंत्र हैं, जो कंपनी के प्रचालन, व्यवसाय प्रदर्शन और/या प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

यह नीति लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच की भी अनुमति देती है। शिकायतकर्ता/सूचना प्रदाता की पहचान को नीति के तहत किसी भी शिकायत की जांच करते समय गोपनीय रखा जाता है ताकि उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सके। नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और नीति के अंतर्गत पंजीकृत शिकायतों से निपटने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया गया है।

वर्ष 2020–19 के दौरान व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस नीति के अंतर्गत प्रक्रिया के अनुसार जांच की गई तथा लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वर्ष के दौरान, व्हिसल ब्लोअर नीति से संबंधित मुद्दे पर लेखापरीक्षा समिति पर पहुंच हेतु किसी व्यक्ति को इन्कार नहीं किया गया है।

आपकी कंपनी ने धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी को रोकने, उसका पता लगाने और उसके त्वरित निपटान को समर्थ बनाने के लिए धोखाधड़ी निवारण और पहचान नीति तैयार की है। नीति के तहत स्थापित किए गए तंत्र का संगठन के भीतर सभी स्तरों पर उचित रूप से प्रचार–प्रसार किया जाता है और उसे कंपनी के इंट्रानेट पर भी प्रदर्शित किया गया है।

28. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निवारण

आपकी कंपनी का मानना है कि कार्यस्थल पर विविधता लाना वचनबद्धता, संरेखण, नवाचार और उच्च प्रदर्शन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है और सभी को समान उचित सम्मान दिया जाता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुरूप कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण पर एक नीति तैयार की गई है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत के निवारण के लिए कंपनी के विभिन्न स्थानों पर 'आंतरिक शिकायत समितियों' का गठन किया गया है। कारपोरेट कार्यालय, फरीदाबाद की समिति का नेतृत्व एक वरिष्ठ महिला अधिकारी करती है और इसमें एक सदस्य के रूप में गैर–सरकारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। आपकी कंपनी ने 'एनएचपीसी आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली' के तहत यौन उत्पीड़न को भी कदाचार के रूप में शामिल किया है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में किए गए प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

क.	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	कोई नहीं।
ख.	वित्तीय वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की संख्या	
ग.	वित्तीय वर्ष के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या	
घ.	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	

29. डिबेंचर ट्रस्टी

सेबी (एलओडीआर) की आवश्यकताओं के अनुपालन में कंपनी द्वारा जारी बॉण्डों की विभिन्न श्रृंखला हेतु इसके द्वारा नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी का ब्यौरा इस वार्षिक रिपोर्ट की संदर्भ सूचना में दिया गया है।

30. कोविड–19

कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण दुनिया पर महामंदी के साथ–साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी एक भारी मंदी का खतरा मंडरा रहा है। देश इस वैश्विक महामारी के कारण आर्थिक मोर्चे पर छाई अब तक की सबसे विषम मंदी के दौर से गुजर रहा है। विद्युत क्षेत्र भी इस संकट से अछूता नहीं रहा है, हालांकि, इस कठिन अवधि के दौरान इसने अत्यंत कुशलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। आपकी कंपनी ने निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान की और यह सुनिश्चित किया कि उसका प्रचालन 24X7 जारी रहे। भारत में जलविद्युत उत्पादन में अग्रणी एनएचपीसी ने 5 अप्रैल, 2020 को

माननीय प्रधानमंत्री की '9पीएम9मिनट' पहल के दौरान राष्ट्रीय ग्रिड के स्थायित्व में योगदान देकर जलविद्युत के महत्व को सिद्ध किया था। एनएचपीसी संकट की इस घड़ी में राष्ट्र के साथ खड़ा था और अपने सीएसआर बजट से पीएम केयर्स फंड के लिए 40 करोड़ रुपए का योगदान दिया।

31. सांविधिक और अन्य जानकारी

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और सीपीएसई हेतु निगमित शासन संबंधी डीपीई के दिशा–निर्देश के अनुसार प्रस्तुत किया जाने हेतु अपेक्षित सूचना इस रिपोर्ट के निम्नानुसार संलग्न है:

विवरण	अनुबंध
कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट	I
कारपोरेट अभिशासन की शर्तो के अनुपालन के संबंध में पेशेवर कंपनी सचिव से प्रमाण–पत्र	II
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	III
ऊर्जा संरक्षण, टेकनोलॉजी आमेलन और विदेश मुद्रा अर्जन तथा व्यय	IV
व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट	V
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट	VI
वार्षिक रिर्टन का उद्धरण	VII
लाभांश वितरण नीति	VIII

32. लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

32.1 सचिवालयीन लेखापरीक्षा

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु कंपनी की सचिवालयीन लेखापरीक्षा के संचालन के लिए मैसर्स अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएटस, कंपनी सचिव, दिल्ली को नियुक्त किया है। सचिवालयीन लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कुछ अभिमत व्यक्त किए हैं। सचिवालयीन लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और साथ में उस पर प्रबंधन के उत्तर **अनुबंध–IX** में दिए गए है।

सेबी एलओडीआर के विनियम 24क के अनुपालन में एनएचडीसी लिमिटेड, जो एनएचपीसी लिमिटेड की एक भौतिक गैर–सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनी है, की सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी **अनुबंध–X** में दी गई है।

32.2 सांविधिक लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाता है। तदनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु निम्नलिखित संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों को नियुक्त किया है:

1. मैसर्स डीएसपी एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली;
2. मैसर्स लोधा एण्ड कंपनी कोलकाता; और
3. मैसर्स अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी, जम्मू

वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट बिना किसी अर्हता के है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2103 की धारा 143(12) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों और साथ में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को **अनुबंध–XI** में दिया गया है। कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों और साथ में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को **अनुबंध–XII** में दिया गया है।

32.3 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एण्ड एजी) द्वारा लेखे की समीक्षा

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कपंनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा करने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु आपकी कंपनी के एकल तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर शून्य टिप्पणी की है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के एकल तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर की गई टिप्पणियां **अनुबंध–XIII** में दी गई हैं।

32.4 लागत लेखा–परीक्षा

कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखापरीक्षा) नियमावली, 2014 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट आवश्यकता के अनुसार कंपनी द्वारा लागत लेखाकन रिकार्डों को रखा जा रहा है। लेखापरीक्षा समिति द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार आपके बोर्ड द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु पावर स्टेशनों के लागत लेखांकन रिकार्डों की लेखापरीक्षा के संचालन हेतु लागत लेखाकारों की निम्नलिखित फर्मों को नियुक्त किया गया था:

फर्म का नाम	पावर स्टेशन/परियोजना का नाम
मैसर्स चन्द्र वधवा एण्ड कंपनी, दिल्ली (प्रमुख लेखापरीक्षक)	दुलहस्ती और सलाल
मैसर्स बलविन्दर एण्ड एसोसिएटस, मोहाली – पंजाब	चमेरा-I, चमेरा-III और सेवा-II
मैसर्स संजय गुप्ता एण्ड एसोसिएटस, दिल्ली	उड़ी-I, उड़ी-II और किशनगंगा
मैसर्स के.एल.जयसिंह एण्ड कंपनी, नोएडा	धौलीगंगा, पवन विद्युत परियोजना (जैसलमेर) और टनकपुर
मैसर्स के.जी. गोयल एण्ड एसोसिएटस, जयपुर	चमेरा-I, बैरास्यूल और पार्बती-III
मैसर्स आर.जे.गोयल एण्ड कंपनी, दिल्ली	चुटक और निम्मो बाजगो
मैसर्स डीजीएम एण्ड एसोसिएटस, कोलकाता	रंगित, तीस्ता-V और टीएलडीपी-III
मैसर्स नीरन एण्ड कंपनी, कोलकाता	लोकतक, टीएलडीपी-IV और 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना (तमिलनाडु)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु एक्सबीआरएल प्रारूप में समेकित लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट को 15 अक्तूबर, 2019 को केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट को निर्धारित समय अवधि के भीतर दायर किया जाएगा।

33. ऋण, निवेश और कारपोरेट गारंटी के ब्यौरे

आधारभूत ढांचा सुविधाएं मुहैया करवाने के व्यापार में नियोजित कम्पनियों पर दिए गए ऋण, गारंटी या गारंटी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (सिवाय उप धारा (1) के) लागू नहीं होती है।

34. कर्मचारियों का ब्यौरा

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्राप्त है। अतः ऐसे विवरणों को निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

जहां तक कंपनी के प्रमुख प्रबंध कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक, वेतन ढांचे, भत्ते और अन्य लाभों संबंधी नीति का संबंध है, ये संबंधित डीपीई दिशा–निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। कंपनी का वेतन ढांचा और भत्ते वेबसाइट पर http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/RTI%20Corner%20Wages%20UpdationENG_CAA_201905_1.pdf. पर भी उपलब्ध हैं।

35. बोर्ड तथा बोर्ड की समितियां

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 10 बैठकें की। बोर्ड की बैठकों की तिथि तथा उनमें उपस्थिति के संबंध में ब्यौरा कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है जो इस रिपोर्ट का भाग है।

आपकी कंपनी की लेखापरीक्षा समिति,हित धारक संबंध समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं धारणीय विकास संबंधी समिति और अन्य बोर्ड स्तरीय समितियां हैं। इन समितियों की संरचना और बैठकों की संख्या का ब्यौरा कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है जो इस रिपोर्ट का भाग है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं था जहां बोर्ड ने उसकी किसी समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जो बाध्यकारी रूप से अपेक्षित होती है।

36. बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पढ़े जाने वाले सेबी एलओडीआर के अनुरूप बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन हेतु एक नीति बनाई है। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी के बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और स्वतंत्र निदेशकों का वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन पर निदेशक मंडल की मार्च 2020 में हुई बैठक में किया गया था। स्वतंत्र निदेशकों ने जून, 2019 को हुई अपनी पृथक बैठक में कार्यकारी निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन नहीं करने का निर्णय लिया था क्योंकि उनके निष्पादन का मूल्यांकन विद्युत मंत्रालय (प्रशासनिक मंत्रालय) द्वारा किया जा रहा है। बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दी गई है।

37. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) और 134(5) की आवश्यकता के अनुरूप, निदेशक उत्तरदायित्व के विवरण के संबंध में एतदद्वारा यह पुष्टि की जाती है कि:

क) वार्षिक लेखों की तैयारी में प्रयोज्य लेखांकन मानदंड का अनुसरण किया गया है और तत्संबंधी महत्वपूर्ण विचलन के बारे में उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं, जो इतने युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हैं, कि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की वास्तविक तथा उचित झलक प्रस्तुत करते हैं;

ग) निदेशकों ने पूरी क्षमता एवं सत्यनिष्ठा से परिसंपत्तियों के संरक्षण और जाल–साजी के निवारण तथा उसका पता लगाने और अन्य अनियमितताओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकार्ड के रखरखाव के लिए उचित उपाय किए हैं;

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे को एक कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया है;

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रों को स्थापित किया है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रक पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे; और

(च) कंपनी के निदेशकों ने सभी लागू विधियों के प्रावधानों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों को विकसित किया है और ये प्रणालियां पर्याप्त थी तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

38. सचिवालयीन मानक

निदेशक मंडल की बैठकों और आम बैठकों से संबंधित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवालयीन मानकों का कंपनी द्वारा अनुपालन किया गया है।

39. सामान्य

निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई प्रकटीकरण अथवा सूचना अपेक्षित नहीं हैं क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई संव्यवहार नहीं किए गए थे:

1. लाभांश, मतदान या अन्यथा के संबंध में विभेदी अधिकारों के साथ इक्विटी शेयरों के मुद्दे।

2. किसी योजना के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को शेयर (स्वीट इक्विटी शेयरों सहित) जारी करना।

3. नियामकों अथवा अदालतों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश जो कम्पनी की चालू अवधारणा स्थिति तथा भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करे।

4. वित्त वर्ष के अंत के पश्चात से इस रिपोर्ट की तिथि तक ऐसा कोई भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धता का होना जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।

5. अधिनियम के अध्याय 5 के अंतर्गत कवर किए गए जमा से संबंधित ब्यौरे।

40. कंपनी की विभिन्न नीतियों हेतु वेबसाइट लिंक

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 आदि के अनुसार कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.nhpcindia.com पर प्रदर्शित किए जाने हेतु अपेक्षित सूचना के लिए वेबसाइट लिंक निम्नानुसार है:

विवरण	वेबसाइट लिंक
संबंधित पक्ष संव्यवहार संबंधी नीति	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Related-Party-Transaction.pdf
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/CSR_Policy_E_CMA_201811_1.pdf
भौतिक अनुषंगी कंपनियों संबंधी नीति	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Material-Subsidiary.pdf
व्हिसल ब्लोअर नीति	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/wbp.pdf
निदेशकों हेतु परिचयात्मक कार्यक्रम	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Details%20of%20Director%20Training_FY2019-20%20-%20English.pdf
लाभांश वितरण नीति	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Dividend-Policy-21062017.pdf
वार्षिक उद्धरण का सार	http://www.nhpcindia.com/NHPC-annual-reports.htm

41. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधनकर्मी

पिछली वार्षिक रिपोर्ट के पश्चात से निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

1. श्री सत्य प्रकाश मंगल, प्रो. कनिका टी. भाल और प्रो. अरुण कुमार 17 नवंबर, 2019 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के पद पर नहीं रहे।

2. श्री बलराज जोशी 31 दिसंबर, 2019 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नहीं रहे।

3. श्री अभय कुमार सिंह को प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय के आदेश के अनुसार 24 फरवरी, 2020 से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले, श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं) ने 1 जनवरी, 2020 से 24 फरवरी, 2020 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला था।

4. श्री जनार्दन चौधरी 31 मार्च, 2020 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के पद पर नहीं रहे।

5. श्री यमुना कुमार चौबे को विद्युत मंत्रालय के आदेश के अनुसार 1 अप्रैल, 2020 से कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया।

6. श्री अनिरुद्ध कुमार विद्युत मंत्रालय के आदेश के अनुसार 29 मई, 2020 से कंपनी के नामांकित निदेशक के पद पर नहीं रहे।

7. श्री तन्मय कुमार को विद्युत मंत्रालय के आदेश के अनुसार 11 जून, 2020 से कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक/बैठक शुल्क का ब्यौरा कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है।

31 मार्च, 2020 को सभी स्वतंत्र निदेशकों ने यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियमन, 2015 के विनियम 16(1)(ख) में निर्धारित किए अनुसार स्वतंत्रता के मानदण्ड को पूरा करते हैं। उन्होंने आगे घोषणा की है कि उन्हें ऐसी किसी परिस्थिति या स्थिति की जानकारी नहीं है जो मौजूद हो या तर्कसंगत रूप से प्रत्याशित हो, जिसके चलते एक निष्पक्ष स्वतंत्र निर्णय तथा बिना किसी बाहरी दबाव के उनके कर्तव्यों के निर्वाहन की उनकी क्षमता बाधित या प्रभावित न होती हो। स्वतंत्र निदेशकों ने यह भी घोषणा की है कि उन्होंने भारतीय कॉर्पोरेट मामले संस्थान (आईआईसीए) द्वारा अनुरक्षित स्वतंत्र निदेशकों के डाटा बैंक में उनका नाम शामिल करने से संबंधित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) पांचवां संशोधन नियम, 2019 के नियम 6(1) और (2) का अनुपालन किया है।

श्री निखिल कुमार जैन, निदेशक (कार्मिक) और श्री महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त) क्रमानुसार सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी हैं और पात्र होने के कारण उन्हें आगामी वार्षिक आम बैठक में पुनः नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है। आगामी एजीएम में नियुक्त/पुनः नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित निदेशकों की एक संक्षिप्त रूपरेखा एजीएम बैठक की सूचना में प्रदान की गई है।

42. आभारोक्ति

बोर्ड भारत सरकार, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, और साथ ही साथ राज्य सरकारों, विनियामक और सांविधिक प्राधिकारियों से समय–समय पर प्राप्त मार्गदर्शन तथा सहयोग के लिए धन्यवाद देता है।

बोर्ड बैंकरों, निवेशकों, सदस्यों, ग्राहकों, परामर्शदाताओं, संविदाकारों, वेंडरों आदि सहित सभी हितधारकों को भी उनके सतत समर्थन तथा कंपनी में व्यक्त किए जाने वाले विश्वास के लिए आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवालयीन लेखापरीक्षक और लागत लेखापरीक्षकों से प्राप्त रचनात्मक सुझावों को भी स्वीकार करते हैं।

बोर्ड कंपनी के बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान श्री बलराज जोशी, श्री जनार्दन चौधरी, श्री अनिरुद्ध कुमार, श्री सत्य प्रकाश मंगल, प्रो. अरुण कुमार और प्रो. कनिका टी. भाल द्वारा दिए गए मूल्यवान मार्गदर्शन और महत्वपूर्ण योगदान के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करना चाहता है।

बोर्ड वर्ष 2019–20 के दौरान सभी स्तरों पर प्राप्त उत्कृष्ट निष्पादन के लिए एनएचपीसी कर्मियों द्वारा किए गए अनवरत प्रयासों तथा समर्पित योगदानों हेतु भी अपनी सराहना दर्ज करने के इच्छुक हैं।

अंत में लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, बोर्ड सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मियों, चिकित्सकों, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा कर्मचारियों, पुलिस, कानून प्रवर्तन और अन्य एजेंसियों के प्रति आभार प्रकट करता है जो आवश्यक सेवाओं को चालू रखकर महामारी से लड़ने के लिए अग्रिम पंक्ति में हैं। एनएचपीसी को विशेष रूप से पावर स्टेशनों और परियोजनाओं में तैनात अपने कर्मचारियों पर गर्व है जो इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान राष्ट्र की सेवा में योगदान दे रहे हैं।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

(अभय कुमार सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 08646003

तारीख : 27 अगस्त, 2020
स्थान : फरीदाबाद

कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट

1. कारपोरेट अभिशासन पर कंपनी का दर्शनः

आपकी कम्पनी का यह दृढ़ विचार मत है कि कम्पनी के कार्यों का प्रबंधन निष्पक्ष, नीतिपरक एवं पारदर्शी स्वरूप में करने के लिए कारपोरेट अभिशासन की मूल्य आधारित ऐसी रूपरेखा होनी अत्यंत आवश्यक है जिसका प्रसार कानून में प्रतिष्ठापित व्यवहारों से भी बढ़कर होना चाहिए।

आपकी कंपनी चूंकि सामाजिक संसाधनों का विशाल मात्रा में उपयोग कर रही है, अतः अभिशासन प्रक्रिया में ऐसे संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जो हितधारकों की आकांक्षाओं और सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप हों। कारपोरेट अभिशासन के लिए हमारे विचार मत का कार्यान्वयन कंपनी के संबंध में लागू कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर), लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लागू कारपोरेट अभिशासन दिशानिर्देश तथा भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले अन्य निदेश/दिशानिर्देश जैसे सभी विनियामक प्रावधानों का अनुपालन करके किया जाता है।

कारपोरेट अभिशासन के उपबंधों तथा वर्ष 2019–20 के लिए की गई प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अनुपालन की रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है :

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का प्रमुख कार्य रणनीतिक पर्यवेक्षण के माध्यम से शेयरधारकों के मूल्यों का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। निदेशक मंडल द्वारा लक्ष्य भी स्थापित किए जाते हैं और कम्पनी से इन लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चिय करने के लिए निर्देश दिए जाने एवं यथोचित नियंत्रण की स्थापना का सुनिश्चिय भी किया जाता है। निदेशक मंडल के सम्मुख प्रत्येक सांविधिक एवं अन्य महत्वपूर्ण सामग्रीगत जानकारी प्रस्तुत की जाती है जिससे दायित्वों का निर्वाह प्रभावी एवं फलोत्पादक विधि से किया जा सकें।

विकास क्रम को जारी रखने एवं प्रत्यय अनुरक्षण को बरकरार रखने के उद्देश्य से स्टेकधारकों के हितों के संरक्षण के लिए आपकी कंपनी का निदेशक मंडल निरंतर ऐसे नए लक्ष्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करने का प्रयास करता है जिससे आपकी कंपनी के विजन और मिशन की पूर्ति होती हो।

(i) निदेशक मंडल का आकार एवं संरचना :

कम्पनी के संगम अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल में न्यूनतम चार तथा अधिकतम पंद्रह निदेशक होने अपेक्षित हैं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल में आठ निदेशक थे जिनमें से पांच कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्ण–कालिक निदेशक), दो स्वतंत्र निदेशक एवं एक सरकार से नामित निदेशक थे।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अर्थ के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड एक सरकारी कम्पनी है तथा यह विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है। कम्पनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार, कम्पनी के सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन की प्रक्रिया विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तदनुसार, निदेशक मंडल के प्रभावी क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

कम्पनी के निदेशक मंडल के वर्तमान पदाधिकारी नीतिशास्त्र, लेखांकन, इंजीनियरिंग, वित्त, बैंकिंग, मानव संसाधन, सामान्य कॉर्पोरेट प्रबंधन, अर्थशास्त्र इत्यादि के क्षेत्रों के समृद्ध ज्ञान, विशेषज्ञता एवं अनुभव के साथ विविध पृष्ठभूमियों से हैं।

रिपोर्ट में विचाराधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या न होने के कारण निदेशक मंडल की संरचना सेबी एलओडीआर तथा लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं थी। भारत सरकार को विद्युत मंत्रालय/लोक उद्यम विभाग के माध्यम से कम्पनी के निदेशक मंडल में अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुरोध किए गए हैं।

(ii) निदेशकों की कार्य अवधि :

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि अथवा उम्मीदवार की सेवानिवृत्ति की तारीख तक या भारत सरकार के आगामी आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, तक के लिए होती है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा सामान्यतः 3 वर्ष तक के लिए की जाती है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले, सरकार द्वारा नामित निदेशक नामित करने वाले प्राधिकारी के विवेकाधिकार के अनुसार अथवा विद्युत मंत्रालय के अधिकारी रहने तक बोर्ड में बने रहते हैं।

(iii) नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का जीवन–वृत :

आगामी वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के लिए आवेदन कर रहे निदेशकों का संक्षिप्त जीवन–वृत वार्षिक आम बैठक आमंत्रण सूचना के साथ संलग्न किया गया है।

(iv) निदेशक मंडल की बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निदेशक मंडल की 10 बैठकें हुई। वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का ब्योरा नीचे **तालिका–1** में दिया गया है।

तालिका 1 : वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान हुई बोर्ड की बैठकें

क्र. सं.	बोर्ड बैठक संख्या	बोर्ड बैठक की तिथि	बोर्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या		बोर्ड बैठक की उपस्थिति का प्रतिशत *
				व्यक्तिगत रूप से	वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से	
1.	424	27 मई, 2019	11	11	-	100
2.	425	29 जुलाई, 2019	11	8	2	91
3.	426	09 अगस्त, 2019	11	9	-	82
4.	427	17 सितम्बर, 2019	11	10	1	100
5.	428	09 अक्तूबर, 2019	11	10	-	91
6.	429	11 नवम्बर, 2019	11	10	-	91
7.	430	30 दिसम्बर, 2019	8	7	1	100
8.	431	07 फरवरी, 2020	7	7	-	100
9.	432	24 फरवरी, 2020	7	3	1	57
10.	433#	14 मार्च, 2020	8	8	-	100

* पूर्णांक किया गया।

बैठक लोक उद्यम विभाग द्वारा सुझाए गए पर्यटक स्थलों में से एक में आयोजित की गई थी।

बोर्ड की दो बैठकों के बीच अधिकतम तीन माह से अधिक का अंतराल नहीं रहा। सभी बैठकों में आवश्यक गणपूर्ति मौजूद थी। आमतौर पर निदेशक मंडल के समक्ष विचार हेतु निम्नलिखित कार्यसूची मदों को प्रस्तुत किया जाता है :

- वार्षिक संचालन योजनाएं, बजट तथा तत्संबंधी कोई अद्यतन जानकारी।
- पूंजीगत बजट और तत्संबंधी अद्यतन जानकारी।
- कंपनी के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम।
- संदर्भ की शर्तों के साथ निदेशक मंडल की समितियों का गठन/पुनर्गठन।
- निदेशकों की रिपोर्ट।
- प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति और वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यकारी निदेशक के स्तर पर पदोन्नित जो बोर्ड स्तर से ठीक नीचे है।
- बोर्ड की लेखा–परीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।
- बोर्ड की अनुषंगी कंपनियों की बैठकों के कार्यवृत।
- विभिन्न स्थलों/यूनिटों पर घातक और गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई सामग्री उत्सर्जन या प्रदूषण संबंधी समस्याएं।
- वस्तुगत रूप से महत्वपूर्ण होने वाले कारण बताओ, मांग, अभियोजन तथा शास्ति नोटिस।
- प्रमुख निवेश, अनुषंगी इकाइयों, संयुक्त उद्यमों और कार्यनीतिक भागीदारों का गठन।
- निदेशकों द्वारा निदेशक के पदों/सदस्यता में उनके हितों का प्रकटीकरण।
- स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा।
- निर्माणाधीन परियोजनाओं, एनएचपीसी के पावर स्टेशनों का ओ एण्ड एम और निवेश–पूर्व चरण में होने वाली परियोजनाएं।
- महत्वपूर्ण पूंजी निवेश प्रस्ताव या बड़ी संविदाओं को दिया जाना।
- बोर्ड द्वारा वांछित मामलों संबंधी की गई कार्रवाई रिपोर्ट।
- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा व्यवहारों में परिवर्तन और तत्संबंधी कारण सहित।
- बोर्ड को आवधिक रिपोर्टें, जैसे कि :
  - अनुषंगी कंपनियों द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण संव्यवहारों तथा व्यवस्थाओं का त्रैमासिक विवरण।

- नामांकन आधार पर की गई खरीद/कार्य/संविदाओं के संबंध में त्रैमासिक सूचना।
- विभिन्न विधियों के अनुपालन संबंधी त्रैमासिक रिपोर्ट।
- निवेशक शिकायतों की त्रैमासिक स्थिति।
- कार्यात्मक निदेशकों तथा कर्मचारियों की विदेश यात्रा संबंधी त्रैमासिक रिपोर्ट।
- अल्पावधि जमा तथा निवेश संबंधी त्रैमासिक रिपोर्ट।
- शेयर पूंजी लेखापरीक्षा के मिलान संबंधी त्रैमासिक रिपोर्ट।
- कारपोरेट अभिशासन मानदण्डों के अनुपालन संबंधी त्रैमासिक रिपोर्ट।
- माध्यस्थम मामलों की त्रैमासिक स्थिति।

• सेबी (एलओडीआर), 2015 और अन्य सांविधियों के अंतर्गत बोर्ड की समीक्षा/ सूचना के लिए उसके समक्ष रखे जाने वाले अन्य सभी मामले।

वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति, पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उनकी उपस्थिति, कंपनी में धारित शेयरों की संख्या, 31 मार्च, 2020 के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के नाम जिनमें कंपनी के निदेशक, निदेशक पद धारित किए हुए है तथा ऐसे निदेशक पदों की संख्या, और अन्य कंपनियों में धारित बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्ष के पदों की संख्या **तालिका 2** में दी गई है।

तालिका–2

निदेशक का नाम (सर्व श्री/श्रीमती)	वर्ष के दौरान आयोजित और भाग ली गई बोर्ड बैठकें	पिछली एजीएम में उपस्थिति (23 सितम्बर, 2019 को हुई)	निदेशकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों के ब्यौरे*	अन्य कंपनियों में धारित समिति सदस्यता के ब्यौरे **		अन्य सूचीबद्ध निकायों में निदेशक का पद (निदेशक पद की श्रेणी)
					अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप मे	
कार्यात्मक निदेशक							
अभय कुमार सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक [1]	1/1	लागू नहीं	16,425	2	–	–	–
बलराज जोशी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक [2]	7/7	जी, हां	12,391	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं)	10/10	जी, हां	15,986	2	–	–	–
निखिल कुमार जैन, निदेशक (कार्मिक)	9/10	जी, हां	–	–	–	–	–
महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त)	10/10	नहीं	–	2	–	–	पीटीसी इंडिया लिमिटेड (नामिति निदेशक)
जनार्दन चौधरी, निदेशक (तकनीकी) [3]	9/10	जी, हां	21,056	–	–	–	–
सरकारी नामिति निदेशक							
अनिरूद्ध कुमार, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय	9/10	जी, हां	1,500	2	–	1	एसजेवीएन (नामिति निदेशक)
स्वतंत्र निदेशक							
सत्य प्रकाश मंगल [4]	6/6 (वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से 1 बैठक सहित)	जी, हां	15,000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कनिका टी. भाल [4]	4/6	जी, हां	–	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

निदेशक का नाम (सर्व श्री/श्रीमती)	वर्ष के दौरान आयोजित और भाग ली गई बोर्ड बैठकें	पिछली एजीएम में उपस्थिति (23 सितम्बर, 2019 को हुई)	निदेशकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों के ब्यौरे*	अन्य कंपनियों में धारित समिति सदस्यता के ब्यौरे **		अन्य सूचीबद्ध निकायों में निदेशक का पद (निदेशक पद की श्रेणी)
					अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप मे	
अरूण कुमार [4]	5/6 (वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से 1 बैठक सहित)	जी, हां	–	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
भागवत प्रसाद	9/10	जी, हां	–	–	–	–	–
जुगल किशोर महापात्रा	9/10 (वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से 3 बैठकों सहित)	नहीं	–	4	1	–	–

* भारतीय कंपनियों में धारित निदेशक पद को लिया गया है।

** अन्य कंपनियों में लेखापरीक्षा समिति तथा हितधारक संबंध समिति की सदस्यता/अध्यक्षता को लिया गया है।

1. 24.02.2020 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त।
2. 31.12.2019 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कंपनी के बोर्ड में निदेशक पद पर नहीं रहे।
3. 31.03.2020 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कंपनी के बोर्ड में निदेशक पद पर नहीं रहे।
4. 17.11.2019 को कार्यकाल पूरा होने पर कंपनी के बोर्ड में निदेशक नहीं रहे।

टिप्पणी :

क) कंपनी का कोई निदेशक एक समय में सात (7) सूचीबद्ध कंपनियों सहित दस (10) से अधिक कंपनियों में निदेशक नहीं है।

ख) इसके अतिरिक्त, कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक का पद धारित की हुई सभी कंपनियों में दस (10) से अधिक समितियों का सदस्य या पांच (5) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है। बोर्ड समितियों की सीमा के निर्धारण के उद्देश्य से लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति अध्यक्षता और सदस्यता पर विचार किया गया है।

ग) कंपनी का कोई भी पूर्णकालिक निदेशक तीन से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं कर रहा है।

घ) कंपनी का कोई भी स्वतंत्र निदेशक सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं कर रहा है।

ङ) कंपनी के निदेशकों का आपस में परस्पर संबंध नहीं है।

च) एनएचपीसी ने अद्यतन तिथि तक कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं की है अतः किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक ने ऐसी कोई लिखत धारित नहीं की है।

(v) बोर्ड की स्वतंत्रता

कम्पनी के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन की प्रक्रिया प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तदनुसार, कम्पनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्त/नामांकित किए जाने वाले व्यक्ति की सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता एवं अनुभव के संबंध में विचार भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।

31 मार्च, 2020 को यथारूप सभी स्वतंत्र निदेशकों ने यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्रता की अपेक्षा को पूरा करते हैं। घोषणाओं के आधार पर, बोर्ड के मतानुसार स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर में निर्दिष्ट किए गए अनुसार स्वतंत्रता की शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

स्वतंत्र निदेशकों ने अपना नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) द्वारा अनुरक्षित स्वतंत्र निदेशकों के बैंक डेटा में शामिल करने के संबंध में कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) पांचवा संशोधन नियमावली, 2019 के नियम 6(1) तथा (2) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने की घोषणा भी कर दी है।

किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व कम्पनी से त्याग पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान श्री सत्य प्रकाश मंगल, प्रोफेसर अरूण कुमार तथा प्रोफेसर (श्रीमती) कनिका टी. भाल के कार्यकाल 17 नवम्बर, 2019 को पूरे हो गए थे जिससे वे कम्पनी में स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे हैं।

(vi) निदेशकों हेतु परिचयात्मक कार्यक्रम :

कम्पनी के निदेशकों को समय समय पर लोक उद्यम विभाग, स्कोप एवं अन्य विख्यात संस्थानों द्वारा कारपोरेट अभिशासन, निदेशकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व तथा अन्य उद्योग संबंधित मामलों के लिए आयोजित किए जाने वाले सम्मेलनों/कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए

नामांकित किया जाता है। कम्पनी के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों को कम्पनी की कार्यपद्धति, प्रबंधन व्यवस्था, कम्पनी के परिचालन, उद्योग परिदृश्य इत्यादि से भिज्ञ करवाने के प्रत्येक अवसर प्रदान किए गए हैं। इससे उनके ज्ञान एवं कार्यकौशल का संवर्धन होता है और वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह प्रभावी एवं फलोत्पादक स्वरूप में कर पाते हैं।

बोर्ड सदस्यों के प्रशिक्षण संबंधी एक नीति मौजूद है। यह नीति सीएमडी और कंपनी के बोर्ड में शामिल होने वाले अन्य सभी निदेशकों को कवर करती है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निदेशकों द्वारा भाग लिए गए परिचयात्मक कार्यक्रमों का ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Details%20of%20Director%20Training_FY2019-20%20-%20English.pdf

(vii) स्वतंत्र निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपनी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से अन्य बातों के साथ–साथ सरकारी कंपनियों को उस तरीके से सूचना मुहैया करवाने से छूट प्राप्त है जिस तरीके से बोर्ड, इसकी समितियों तथा पृथक निदेशकों का मूल्यांकन किया जाता है। उक्त अधिसूचना में, सरकारी कपंनियों को निदेशकों की रिपोर्ट में उस तरीके से सूचना मुहैया करवाने से छूट प्राप्त है जिस तरीके से बोर्ड, इसकी समितियों तथा पृथक निदेशकों का मूल्यांकन किया जाता है, यदि इसे प्रभारी प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है तो।

लोक उद्यम विभाग ने पहले ही सीपीएसई के सभी शीर्ष प्रबंधन पदधारियों के निष्पादन मूल्यांकन हेतु एक तंत्र निर्धारित किया है और अतः कंपनी के सभी कार्यात्मक निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय द्वारा उक्त तंत्र के अनुसार किया जा रहा है। नामिति निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन भी प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन के लिए कंपनी ने "बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन संबंधी नीति" बनाई हैं। नीति के अनुसार, कंपनी द्वारा निम्नानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुपालन किया जा रहा है :

क. नामांकन और पारिश्रमिक समिति प्रत्येक निदेशक को नीचे दिए गए अनुसार बोर्ड, स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल की समितियों के मूल्यांकन हेतु पूर्व–निर्धारित पैरामीटरों पर रेटिंग देने का अनुरोध करती है :

रेटिंग पैमाना

पैमाना	निष्पादन
5	अत्यधिक अच्छा
4	अच्छा
3	संतोषजनक
2	सुधार की आवश्यकता है
1	अस्वीकार्य

ख. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति सील बंद लिफाफे में मूल्यांकन फार्म प्राप्त करने और रेटिंग का सारांश तैयार करने का कार्य करती है। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष रेटिंगों के सारांश के आधार पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देते है। वे स्पष्टीकरण या व्याख्या की आवश्यकता होने पर पृथक निदेशक के साथ चर्चा कर सकते हैं।

ग. रिपोर्ट नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के विचार हेतु रखी जाती है। समिति रिपोर्ट की समीक्षा करती है और बोर्ड द्वारा विचार किए जाने हेतु अपनी सिफारिश प्रस्तुत करती है।

घ. बोर्ड नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों पर विचार करता है और आवश्यक निदेशक जारी करता है।

निदेशक मंडल, निदेशक मंडल स्तरीय समितियों एवं स्वतंत्र निदेशकों के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 का निष्पादन मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2019–20 में किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए निष्पादन मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान किया जाएगा। समिति सामान्यतः कम्पनी सचिव से अनुरोध करके निदेशक मंडल के निदेशकों, निदेशक मंडल स्तरीय समितियों एवं स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन की रेटिंग करवाती है, मूल्यांकन फार्म प्राप्त करती है और रेटिंग का संक्षेपण करके अध्यक्ष के सम्मुख रिपोर्ट अंतिम कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करती है।

3. निदेशक मंडल की समितियां :

कम्पनी की गवर्नेंस संरचना में निदेशक मंडल की समितियों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। ये समिति विशिष्ट क्षेत्रों/ क्रियाकलापों की ओर ध्यान केन्द्रित करके निदेशक मंडल को सूचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती हैं। इनके कार्यक्षेत्र में आने वाले मामलों पर समितियों की अनुशंसाएं निदेशक मंडल के सम्मुख सूचना/अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। प्रभावी एवं ध्यान केन्द्रित निर्णय निर्धारण के सुनिश्चय के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनिवार्य एवं गैर–अनिवार्य समितियों का गठन किया गया है :

अनिवार्य समितियां

1. लेखापरीक्षा समिति
2. हितधारक संबंध समिति
3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
4. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति
5. जोखिम प्रबंधन समिति

गैर–अनिवार्य समितियां

1. एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आबंटन और आबंटन पश्चात गतिविधियों से संबंधित निदेशकों की समिति
2. निदेशकों की समिति – अपीलीय प्राधिकरण

सांविधिक समितियों की संरचना, गणपूर्ति, संदर्भ की शर्तें आदि कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुरूप है। कंपनी सचिव, समितियों के सचिव के रूप में कार्य करते है। जहां–कहीं समितियों द्वारा अपेक्षित हो, समितियों के समक्ष रखे गए मामलों पर आवश्यक सूचना/स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाता है।

बोर्ड ने बोर्ड की समितियों की उन सभी सिफारिशों को स्वीकार किया है जो निदेशक मंडल के अनुमोदन हेतु समितियों द्वारा संस्तुत किए अनुसार बाध्यकारी रूप से अपेक्षित होती है।

सांविधिक तथा गैर–सांविधिक समितियों के सदस्यों, आयोजित बैठकों, संदर्भ की शर्तों आदि के ब्यौरे निम्नानुसार है :

3.1 लेखा–परीक्षा समिति :

31 मार्च, 2020 के अनुसार लेखा–परीक्षा समिति का संघटन इस प्रकार थाः

i)	श्री जुगल किशोर महापात्रा	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	श्री भागवत प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	श्री अनिरूद्ध कुमार	सरकारी नामिति निदेशक	सदस्य

निदेशक (परियोजनाएं), निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में पदेन आमंत्रिती होते है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रमुख को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों और लागत लेखापरीक्षकों को भी लेखापरीक्षा समिति की उन बैठकों में आमंत्रित किया गया था जिनमें क्रमशः वित्तीय विवरणों तथा लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर चर्चा की गई थी।

संदर्भ की शर्तें:

समिति की वर्तमान संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं:

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण और उसकी वित्तीय सूचना का प्रकटीकरण ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त, और विश्वसनीय है।
2. लेखा–परीक्षा शुल्क निर्धारित करने की सिफारिश बोर्ड को भेजना।
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान की मंजूरी देना।
4. वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, विशेषकर निम्नांकित के संदर्भ में प्रबंधन के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना :
   क) बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में सम्मिलित करने के लिए अपेक्षित मामले;
   ख) लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हों, और उनके लिए कारण;

ग) प्रबंधन द्वारा अपने विवेक के आधार पर लगाए गए अनुमानों से संबंधित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां;

घ) लेखा–परीक्षा निष्कर्षों के कारण वित्तीय विवरण में किए गए महत्त्वपूर्ण समायोजन;

ङ) वित्तीय विवरण से संबंधित सूचीकरण और अन्य वैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन;

च) संबंधित पक्ष लेन–देन से संबद्ध कोई प्रकटीकरण; और

छ) प्रारूप लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत।

5. तिमाही वित्तीय विवरण को मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व प्रबंधन के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना।

6. सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य–निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की प्रबंधन के साथ मिलकर समीक्षा करना।

7. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के ढांचे सहित, उसमें कर्मचारियों की संख्या, और विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग ढांचे की कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्तता की समीक्षा।

8. किसी महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष और तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या लेखापरीक्षकों के साथ विचार–विमर्श।

9. ऐसे मामलों में, जहां किसी धोखेबाज़ी या अनियमितता अथवा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की महत्त्वपूर्ण विफलता का संदेह हो और विभागीय लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों/एजेंसियों की जांच के बाद निष्कर्ष सामने आए हों, तो उनकी समीक्षा करना और मामले की जानकारी बोर्ड को देना।

10. कंपनी की लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा के स्वरूप और क्षेत्र के बारे में बातचीत करना तथा लेखापरीक्षा पूरी हो जाने पर फिर से उनके साथ बातचीत करना ताकि किसी महत्त्वपूर्ण सरोकार का पता लगाया जा सके।

11. जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांशों की अदायगी न किए जाने के मामले में) और ऋणदाताओं को भुगतान में कोई बड़ी चूक होने के कारणों का पता लगाना।

12. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कार्यकरण की समीक्षा करना।

13. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा में की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के बारे में की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

14. लोक उद्यमों से सम्बद्ध संसदीय समिति की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

15. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार के लिए एक मुक्त आयाम प्रदान करना।

16. कम्पनी में सम्बन्धित पक्ष के सभी प्रकार के कारोबार को मंजूरी देना अथवा बाद में उसमें कोई संशोधन करना।

17. स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ मिलकर लेखा परीक्षा प्रयासों में समन्वय की समीक्षा करना ताकि विषयों के कवरेज की पूर्णता सुनिश्चित की जा सके, व्यर्थ के प्रयासों में कमी लायी जा सके, और सभी लेखा परीक्षा संसाधनों का प्रभावकारी इस्तेमाल किया जा सके।

18. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ मिलकर निम्नांकित विषयों पर विचार करना और उनकी समीक्षा करना :

- कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रणों और सुरक्षा सहित, आतंरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, और
- स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक की सिफारिशों और निष्कर्षों तथा उन पर प्रबंधन द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करना।

19. निम्नांकित विषयों पर प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ विचार करना और उनकी समीक्षा करना:

- पिछली लेखा परीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान सामने आए महत्वपूर्ण निष्कर्ष, और
- अपेक्षित जानकारी तक पहुंच या तत्सम्बन्धी गतिविधियों के क्षेत्र पर किसी प्रकार के प्रतिबंधों सहित, लेखा परीक्षा कार्य के दौरान सामने आयी किसी प्रकार की कठिनाइयां।

20. लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता तथा कार्य–निष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा और निगरानी।

21. अंतः कारपोरेट ऋणों तथा निवेश की जाँच।

22. कंपनी के वचनों अथवा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां–कहीं यह आवश्यक हो।

23. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।

24. प्रबंधन के साथ किसी इश्यू (पब्लिक इश्यू, राइटस इश्यू, अधिमानी इश्यू आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/अनुप्रयोग के विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका/सूचना में बताए गए के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग की गई निधियों के विवरण और किसी पब्लिक अथवा राइटस इश्यू की प्राप्तियों के उपयोग का प्रबोधन करने वाली प्रबोधक एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा

करना और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु बोर्ड को उचित सिफारिशें करना।

25. बोर्ड को कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक की सिफारिश करना।

26. निम्नलिखित की समीक्षा :

1) प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थितियों तथा प्रचालनों के परिणामों का विश्लेषण।

2) प्रबंधन पत्र/ सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किए गए आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र।

3) आंतरिक नियंत्रण कमियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

27. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की समीक्षा तथा उसे हटाना।

28. अनुषंगी कंपनी में 100 करोड़ रूपए से अधिक अथवा अनुषंगी कंपनी के परिसंपत्ति आकार के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक के कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों और/अथवा अग्रिमों/निवेश के उपयोग की समीक्षा।

29. वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार सेबी (आंतरिक व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करना।

30. इसकी जांच करना कि सेबी (आंतरिक व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 मे दी गई आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण हेतु प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से प्रचालन कर रही हैं।

31. कम्पनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) और लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट शासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ की शर्तो में यथा उल्लिखित अन्य कोई कार्य करना।

बैठकें और उपस्थितिः

रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की 9 बैठकें हुई। बैठकों में सदस्यों के भाग लेने संबंधी ब्योरा **तालिका–3** में दिया गया है।

तालिका–3 : लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

क्र.स.	बैठक की तिथि	श्री सत्य प्रकाश मंगल [1]	प्रो. कनिका टी. भाल [1]	प्रो. अरूण कुमार [1]	श्री भागवत प्रसाद	श्री जुगल किशोर महापात्रा [2]	श्री अनिरूद्ध कुमार [2]
1.	4 अप्रैल, 2019	👤	👤	👤	👤	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	27 मई, 2019	👤	👤	👤	👤	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	19 जुलाई, 2019	👤	👤	💻	👤	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	09 अगस्त, 2019	👤	●	👤	👤	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	17 सितम्बर, 2019	👤	👤	💻	👤	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	11 नवम्बर, 2019	👤	👤	👤	👤	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	07 फरवरी, 2020	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	👤
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		6	6	6	7	1	1
भाग ली गई बैठकें		6	5	6	7	1	1
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत*		100	83	100	100	100	100

* पूर्णांक किया गया।

[1] 17.11.2019 को कंपनी के निदेशक के रूप में कार्यकाल पूरा होने पर समिति के सदस्य पद पर नहीं रहे।

[2] 30.12.2019 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त।

● अनुपस्थिति की अनुमति, 👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 💻 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, श्री सत्य प्रकाश मंगल, स्वतंत्र निदेशक ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व आयोजित की गई सभी बैठकों की अध्यक्षता की थी। तत्पश्चात, आयोजित हुई बैठकों की अध्यक्षता श्री जुगल किशोर महापात्रा, स्वतंत्र निदेशक ने की थी। किन्हीं दो लेखापरीक्षा समिति बैठकों के मध्य समयांतराल 120 दिवस से अधिक का नहीं था। लेखापरीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष कम्पनी की पिछली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

3.2 हितधारक संबंध समिति

31 मार्च, 2020 को हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

1)	श्री भागवत प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2)	श्री जुगल किशोर महापात्रा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3)	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त)	पदेन सदस्य

आरटीए द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों के संबंध में अवगत होने के लिए समिति की बैठकों में कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया था।

संदर्भ की शर्तें

समिति की वर्तमान संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं :

(i) प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार तथा उनका समाधान करेगी जिसमें शेयरों के अंतरण/ट्रांसमिशन, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए/डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने, आम बैठकों आदि से संबंधित शिकायतें शामिल होंगी।

(ii) शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी उपयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना।

(iii) रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं की संबंध में अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा।

(iv) अदावाकृत लाभांशों की मात्रा को कम करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों तथा पहलों की समीक्षा करना और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटिसों की समय से प्राप्ति को सुनिश्चित करना।

(v) कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर और डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार यथा अपेक्षित अन्य कोई कार्य करना।

समिति ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान तीन बैठकें की। बैठकों और सदस्यों की उपस्थिति के बारे में ब्यौरा **तालिका 4** में दिया गया है।

तालिका 4 : हितधारक संबंध समिति बैठक

क्र.स.	बैठक की तिथि	श्री भागवत प्रसाद	प्रो. कनिका टी. भाल[1]	श्री महेश कुमार मित्तल	श्री जुगल किशोर महापात्रा
1.	23 अप्रैल, 2019	👤	🖵	👤	लागू नहीं
2.	08 नवम्बर, 2019	👤	●	👤	लागू नहीं
3.	06 मार्च, 2020	👤	लागू नहीं	👤	🖵
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		3	2	3	1
भाग ली गई बैठकें		3	1	3	1
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत		100	50	100	100

[1] 17.11.2019 को कंपनी के निदेशक के रूप में कार्यकाल पूरा होने पर समिति के सदस्य नहीं रहे।

[2] 30.12.2019 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त।

● अनुपस्थिति की अनुमति, 👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 🖵 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम :

श्री विजय गुप्ता, कम्पनी सचिव, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन के विनियम 6 के संदर्भ में समिति के अनुपालन अधिकारी हैं।

शेयरधारकों/ बाण्डधारकों से प्राप्त शिकायतें :

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरधारकों/बाण्डधारकों की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई की सिवाय विवादों अथवा कानूनी बाधाओं से बाधित मामलों के। वर्ष के दौरान प्राप्त तथा निपटान की गई शिकायतों का ब्यौरा **तालिका–5** में दिया गया है।

तालिका 5 : शेयरधारकों / बाण्डधारकों की शिकायतें :

विवरण	1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभिक शेष	31,मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	31, मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निपटारा की गई शिकायतें	31, मार्च 2020 को लंबित शिकायतें
क. इक्विटी शेयर				
रिफंड ऑर्डर प्राप्त न होना	-	-	-	-
लाभांश वारंट प्राप्त न होना	.	2,172	2,172	-
सेबी स्कोर्स पर प्राप्त शिकायतें	.	13	13	-
स्टॉक एक्सचेंज की शिकायतें	-	-	-	-
उपभोक्ता मंच/अदालती मामले	2	-	.	2
वकील के नोटिस	-	-	-	-
कुल (क)	2	2,185	2,185	2
ख. बाण्ड				
रिफंड ऑर्डर प्राप्त न होना	-	-	-	-
टीडीएस प्रमाण–पत्र प्राप्त न होना	-	-	-	-
इलेक्ट्रोनिक क्रेडिट प्राप्त न होना	-	-	-	-
ब्याज वारंट प्राप्त न होना	-	46	46	-
बाण्ड/प्रतिभूतियों का प्राप्त न होना	-	12	12	-
कुल (ख)	-	58	58	-
सकल जोड़ (क + ख)	2	2,243	2,243	2

सेबी शिकायत समाधान प्रणाली (स्कोर्स) – सूचीबद्ध कंपनियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज करने हेतु सेबी की ऑनलाइन पोर्टल

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ''स्कोर्स'' नामक एक वेब आधारित शिकायत समाधान प्रणाली प्रारंभ ही है, जिसके माध्यम से कोई शेयरधारक/बाण्डधारक किसी कंपनी के विरूद्ध अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और उसकी स्थिति देख सकता है। जैसे ही कोई शिकायत दर्ज होती है, उसे भविष्य के संदर्भ तथा ट्रैकिंग हेतु एक अनूठी पंजीकरण संख्या आवंटित की जाती है। संबंधित निकाय (मध्यस्थ या सूचीबद्ध कंपनी) इलेक्ट्रिानिक रूप से कृत कार्रवाई रिपोर्ट को अपलोड करता है। संबंधित निकाय और शिकायतकर्ता एक–दूसरे को ऑनलाइन से स्पष्टीकरण मांग सकते है और/अथवा स्पष्टीकरण मुहैया करवा सकते है। सेबी शिकायत के पर्याप्त समाधान हेतु संतुष्ट होने पर उसका निपटान कर देती है।

कोई निवेशक जो स्कोर्स से परिचित नहीं है अथवा जिसकी स्कोर्स पर पहुंच नहीं है, वह अपनी शिकायत भौतिक रूप में दर्ज करवा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान स्कोर्स के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की गई और रजिस्ट्रार और इन शिकायतों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) स्कोर्स के माध्यम से सेबी को प्रस्तुत की गई हैं।

3.3 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील वेतनपूल का निर्णय करने और विहित सीमाओं के भीतर कार्यपालकों तथा गैर–यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के मध्य इसके वितरण के लिए किया जाना होता है।

एनएचपीसी एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा पारिश्रमिक का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र निदेशकों) को बोर्ड तथा समिति की बैठक में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। सरकारी नामिति निदेशक कंपनी से किसी पारिश्रमिक/बैठक शुल्क को प्राप्त करने का पात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के कर्मचारियों का पारिश्रमिक समय–समय पर लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी विद्यमान दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

31 मार्च, 2020 के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

i)	श्री जुगल किशोर महापात्रा	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	श्री भागवत प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	श्री अनिरूद्ध कुमार	सरकारी नामिति निदेशक	सदस्य

निदेशक (वित्त) और निदेशक (कार्मिक) समिति की बैठकों में पदेन आमंत्रिती होते हैं।

समिति की संदर्भ की शर्तें:

समिति की वर्तमान संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं:

(i) किसी निदेशक के सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता के निर्धारण हेतु मानदंड निरूपित करना।

(ii) वार्षिक बोनस/कार्य निष्पादन सम्बन्धी वेतन (पीआरपी) के वितरण और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों सहित बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों में वितरण सम्बन्धी नीति की अनुशंसा करना।

(iii) स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के मूल्यांकन हेतु मानदंड का निरूपण।

(iv) बोर्ड की विविधता पर एक नीति बनाना।

(v) निर्धारित मानदंड के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किए जा सकने वाले व्यक्तियों की पहचान करना और बोर्ड से उनकी नियुक्ति तथा पदमुक्त करने की अनुशंसा करना।

(vi) अन्य भत्ते और परिलब्धियों पर विचार करना और उन्हें निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए भेजना।

(vii) बोर्ड को वरिष्ठ प्रबंधन को, किसी भी रूप में, देय सभी पारिश्रमिकों की सिफारिश करना।

(viii) कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीकरण समझौते/सेबी (एलओडीआर) और डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट शासन दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार यथापेक्षित अन्य कोई कार्य करना।

बैठकें और उपस्थिति :

रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें आयोजित की गई। बैठकों और इसमें सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा **तालिका 6** में दिया गया है।

तालिका 6 : नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकें

क्र.स.	बैठक की तिथि	श्री जुगल किशोर महापात्रा	प्रो. कनिका टी. भाल [1]	प्रो. अरूण कुमार[1]	श्री भागवत प्रसाद[2]	श्री अनिरूद्ध कुमार[2]
1	11 जून, 2019	🕭	🕭	🕭	लागू नहीं	लागू नहीं
2	7 फरवरी, 2020	🕭	लागू नहीं	लागू नहीं	🕭	👤
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		2	1	1	1	1
भाग ली गई बैठकें		2	1	1	1	0
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत		100	100	100	100	0

[1] 17.11.2019 को कंपनी के निदेशक के रूप में कार्यकाल पूरा होने पर समिति के सदस्य नहीं रहे।

[2] 30.12.2019 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त।

👤 अनुपस्थिति की अनुमति, 🕭 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

3.4 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति

31 मार्च, 2020 के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल है:

i)	श्री भागवत प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)	पदेन सदस्य
iii)	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)	पदेन सदस्य
iv)	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त)	पदेन सदस्य
v)	श्री जनार्दन चौधरी	निदेशक (तकनीकी)	पदेन सदस्य

बैठकें और उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष के दौरान समिति पांच बैठकें हुई। बैठकों और उसमें भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यौरे **तालिका 7** में दिए गए है।

तालिका 7 : कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति की बैठकें :

क्र.स.	बैठक की तिथि	प्रो. अरूण कुमार [1]	श्री रतीश कुमार	श्री निखिल कुमार जैन	श्री महेश कुमार मित्तल	श्री जनार्दन चौधरी	श्री भागवत प्रसाद [2]
1	4 जून, 2019	👤	👤	👤	👤	👤	लागू नहीं
2	6 सितम्बर, 2019	👤	🧍	👤	🧍	👤	लागू नहीं
3	14 नवम्बर, 2019	👤	🧍	👤	👤	👤	लागू नहीं
4	30 दिसम्बर, 2019	लागू नहीं	👤	👤	👤	👤	👤
5	06 मार्च, 2020	लागू नहीं	👤	👤	👤	🧍	👤
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		3	5	5	5	5	2
भाग ली गई बैठकें		3	3	5	4	4	2
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत		100	60	100	80	80	100

[1] 17.11.2019 को कंपनी के निदेशक के रूप में कार्यकाल पूरा होने पर समिति के सदस्य नहीं रहे।

[2] 27.11.2019 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त।

🧍 अनुपस्थिति की अनुमति, 👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

4.5 जोखिम प्रबंधन समिति

सेबी एलओडीआर की आवश्यकताओं के अनुसार तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के समापन पर बाजार पूंजीकरण के आधार पर निर्धारित किए गए अनुसार शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियां एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करेंगी। 31 मार्च, 2019 के अनुसार बाजार पूंजीकरण के आधार पर निर्धारित की गई शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों में एनएचपीसी शामिल थी। तथापि, एक बेहतर कारपोरेट प्रबंधन व्यवहार के रूप में जोखिम प्रबंधन समिति का बोर्ड द्वारा गठन किया गया है।

31 मार्च, 2020 के अनुसार जोखिम प्रबधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

i)	श्री जुगल किशोर महापात्रा	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	श्री भागवत प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)	पदेन सदस्य
iv)	श्री जनार्दन चौधरी	निदेशक (तकनीकी)	पदेन सदस्य

संदर्भ की शर्तें :

1. प्रचालनात्मक, रणनीतिक और बाहरी परिवेश जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन तथा प्रशमन से संबंधित उत्तरदायित्वों की निगरानी द्वारा कारपोरेट शासन में बोर्ड की सहायता करना।
2. कंपनी की जोखिम नीतियों/योजनाओं तथा संबंधित व्यहारों को बनाना, उनकी समीक्षा तथा निगरानी करना।
3. किसी लोक दस्तावेज अथवा प्रकटीकरण में जोखिम प्रकटीकरण विवरण का अनुमोदन तथा समीक्षा।
4. कम्पनी अधिनियम, 2013, सूचीकरण समझौते/ सेबी(एलओडीआर) और डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट शासन दिशा–निर्देशों द्वारा यथापेक्षित अन्य किसी कार्य को करना।

बैठकें तथा उपस्थिति :

समिति ने रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान एक बैठक की थी। बैठकों और इसमें भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यौरे **तालिका 8** में दिए गए हैं।

तालिका 8 – जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें

क्र.स.	बैठक की तिथि	श्री सत्य प्रकाश मंगल [1]	प्रो. अरूण कुमार [1]	श्री रतीश कुमार	श्री जनार्दन चौधरी	श्री जुगल किशोर महापात्रा[2]	श्री भागवत प्रसाद [2]
1	30 अगस्त, 2019	👤	🖳	👤	🖳	लागू नहीं	लागू नहीं
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		1	1	1	1	0	0
भाग ली गई बैठकें		1	1	1	1	0	0
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत *		100	100	100	100	लागू नहीं	लागू नहीं

[1] 17.11.2019 को कंपनी के निदेशक के रूप में कार्यकाल पूरा होने पर समिति के सदस्य नहीं रहे।

[2] 30.12.2019 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त।

👤 अनुपस्थिति की अनुमति, 🖳 वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

3.6 एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन–परवर्ती गतिविधियों संबंधी निदेशकों की समिति

31 मार्च, 2020 के अनुसार समिति में निम्नांकित सदस्य थे :

i)	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)	पदेन सदस्य और अध्यक्ष
ii)	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)	पदेन सदस्य
iii)	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त)	पदेन सदस्य

समिति के संदर्भ की शर्तें :

1. प्रतिभूतियों से संबंधित प्रमाण पत्र जारी करना;
2. प्रतिभूतियों का अंतरण और ट्रांसमिशन;
3. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्रों का री–मेटीरियलाइजेशन;
4. प्रतिभूतियों से संबंधित डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करना; और
5. एनएचपीसी प्रतिभूतियों का समेकन/पृथक्करण।

बैठकें और उपस्थिति : रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की 6 बैठकें हुई। बैठकों और उनमें सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे **तालिका 9** में दिया गया है।

तालिका 9 : एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन–परवर्ती गतिविधियों संबंधी निदेशकों की समिति की बैठकें :

क्र.स.	बैठक की तिथि	श्री रतीश कुमार	श्री महेश कुमार मित्तल	श्री निखिल कुमार जैन
1.	22 मई, 2019	👤	👤	👤
2.	12 जुलाई, 2019	👤	👤	●
3.	31 अक्तूबर, 2019	👤	👤	●
4.	3 जनवरी, 2020	👤	👤	👤
5.	10 फरवरी, 2020	👤	👤	●
6.	18 मार्च, 2020	👤	👤	👤
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		6	6	6
भाग ली गई बैठकें		6	6	3
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत *		100	100	50

● अनुपस्थिति की अनुमति, 👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

3.7 निदेशकों की समिति – अपीलीय प्राधिकरण :

31 मार्च, 2020 को समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल थे :

i)	श्री जुगल किशोर महापात्रा	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	श्री भागवत प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)	पदेन सदस्य

टिप्पणी : समिति का निदेशक मंडल द्वारा अपनी 30.12.2019 को हुई बैठक में पुनर्गठन किया गया था।

संदर्भ की शर्तें :

समिति आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली के अनुसार इसके समक्ष प्रस्तुत मामलों हेतु एक अपीलीय अधिकरण के रूप में कार्य करेगी।

बैठकें और उपस्थिति :

रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई थी।

3. बोर्ड/समिति बैठकों हेतु प्रक्रियाविधि :

(क) **निर्णय लेने की प्रक्रिया :**

कंपनी अपने कारपोरेट मामलों के व्यावसायीकरण के लिए निदेश मंडल/इसकी समितियों की बैठकों हेतु श्रेष्ठ उद्योग व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं को अपनाए जाने को सुनिश्चित करती है। इससे बोर्ड तथा इसकी समिति की बैठकों में एक सूचित तथा दक्ष निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

(ख) बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कार्यवृत्त मदों का निर्धारण और चयन :

- बोर्ड/समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन लेने के पश्चात् संगत नोटिस जारी करने के बाद बोर्ड/निदेशकों की समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं। विस्तृत कार्य सूची नोट, प्रबंधन रिपोर्ट, और अन्य व्याख्यात्मक विवरण बैठक से पूर्व सभी सदस्यों को परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक के दौरान सार्थक, विवेकसम्मत एवं संकेन्द्रित निर्णय किए जा सकें। जब किसी तात्कालिक मुद्दे का समाधान करना हो, तो संक्षिप्त नोटिस पर बैठक बुलाई जाती है अथवा एजेंडा नोटिस पटल पर रखे जाते है या सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए परिचालन द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं।
- किसी दस्तावेज को उसकी असाधारण परिस्थितियों अथवा गोपनीयता बनाए रखने के चलते कार्यसूची नोट के साथ संलग्न करना व्यावहारिक न हो, तो ऐसे कागजात बैठक में पटल पर प्रस्तुत किए जाते हैं।
- हरित पहल के एक भाग के रूप में, बैठकों के लिए कार्यसूची इलेक्ट्रिानिक माध्यम से एन्क्रिपशन तथा पासवर्ड प्रोटेक्शन सुनिश्चित करते हुए भेजी जाती है।
- कार्य सूची दस्तावेज अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद परिचालित किए जाते हैं।
- बैठकों का आयोजन सामान्यतः फरीदाबाद अथवा नई दिल्ली स्थित कंपनी के कार्यालयों में किया जाता है।
- जब और जैसी आवश्यकता हों, बोर्ड/समिति के समक्ष रखे गए मुद्दों की बेहतर समझ के लिए प्रस्तुतीकरण दिए जाते है।
- बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की समस्त सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। बोर्ड/समिति के सदस्यों को यह अधिकार है कि वह किसी ऐसे मुद्दे की अनुशंसा कर सकता है जो वह कार्यसूची में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण समझता हो।

  आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड/समिति द्वारा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को बैठक में बुलाया जा सकता है ताकि विचारित मुद्दों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सके।
- बोर्ड/समिति के सदस्यों को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से बैठकों में भाग लेने की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है।

(ग) बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकार्ड करना :

प्रत्येक बोर्ड/समिति बैठक की कार्यवाहियों के प्रारूप कार्यवृत्त को बैठक समाप्ति के 15 दिवस के भीतर उनकी टिप्पणियों हेतु सभी सदस्यों को परिचालित किया जाता है। निदेशक प्रारूप कार्यवृत्त के परिचालन की तिथि से 7 दिवस के भीतर अपनी टिप्पणियों को सप्रेषित करते हैं। निदेशकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों की एक तुलनात्मक शीट को विचार तथा अनुमोदन हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/संबंधित समिति के अध्यक्ष के समक्ष रखा जाता है। प्रत्येक बोर्ड/समिति बैठक की कार्यवाहियों को बैठक समाप्ति के 30 दिवस के पश्चात कार्यवृत्त पुस्तिका में उचित रूप से दर्ज किया जाता है और उन्हें सूचना के लिए सदस्यों को भी परिचालित किया जाता है।

(घ) **अनुवर्तन तंत्र :**

कंपनी की शासन प्रक्रिया में एक प्रभावी बैठक पश्च अनुवर्तन भी शामिल है। तदनुसार, बोर्ड/समिति में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसे सूचना हेतु संबंधित अगली बैठक में बोर्ड/समिति के समक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह अनुवर्तनों पर एक प्रभावी रिपोर्टिंग तथा निर्णयों की समीक्षा में सहायता करता है।

(ङ) **विधि का अनुपालन :**

कम्पनी के सभी परिचालनों का प्रमुख ध्यान केन्द्रण प्वांइट सदैव से ही कम्पनी अधिनियम, सेबी विनियमों, लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों एवं अन्य सांविधिक अपेक्षाओं के लागू प्रावधानों के अनुपालन के लिए केन्द्रित रहा है। कम्पनी ने अपने सभी स्थलों पर स्थल विशिष्ट विधियों सहित सभी लागू विधियों के अनुपालन/ अन्यथा अनुपालन के संबंध में आनलाइन रिपोर्टिंग की आंतरिक तंत्रव्यवस्था विकसित की है। लागू विधियों के अनुपालन की रिपोर्ट आवधिक रूप से सूचना के लिए निदेशक मंडल के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है।

कंपनी ने सभी लागू सेबी विनियमनों और उसके अंतर्गत जारी सभी लागू विनियमों तथा परिपत्रों/दिशा–निर्देशों के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु स्टॉक एक्सचेंजों को एक वार्षिक सचिवालयीन अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

5. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

लोक उद्यम विभाग के दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16(4)/2012–जीएम तथा सीबीएलओडीआर के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 4 की आवश्यकताओं के अनुपालन में गैर–स्वतंत्र निदेशकों तथा प्रबंधन के सदस्यों की मौजूदगी के बिना स्वतंत्र निदेशकों की एक पृथक बैठक का आयोजन श्री जुगल किशोर महापात्रा की अध्यक्षता में 11 जून, 2019 को किया गया था। बैठक में श्री सत्य प्रकाश मंगल के अलावा सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया था।

6. आचार संहिताः

बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु व्यापार चालन तथा नीति शास्त्र संहिता का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सभी संबंधितों द्वारा किया गया था।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन तथा कारपोरेट अभिशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग के अंतर्गत यथापेक्षित घोषणा

बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु आचार संहिता तथा नीति–शास्त्र के अनुपालन करने की पुष्टि की है।

हस्ता/–
(अभय कुमार सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 08646003

तारीख : 26 मई, 2020
स्थान : फरीदाबाद

7. धोखाधड़ी निवारण और पता लगाने संबंधी नीति

कंपनी में एक धोखाधड़ी निवारण और पता लगाने संबंधी नीति प्रभावी है। यह नीति धोखा–धड़ी के निवारण और उसे रोकने के लिए एक व्यवस्था मुहैया करवाने, इसकी सूचना देने (यदि पता लगे या संदिग्ध हो) और कर्मचारियों तथा साथ ही साथ विक्रेताओं, आपूर्तिकारों, संविदाकारों, परामर्शदाताओं, सेवा प्रदाताओं या एनएचपीसी के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहे किसी अन्य पक्ष के प्रतिनिधियों के शामिल होने वाले धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी से संबंधित मामलों पर उचित कार्रवाइ हेतु एक धोखाधड़ी निवारण और पता लगाने की प्रणाली मुहैया करवाती है। धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी की सभी सूचनाओं पर अत्यधिक प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई की जाती है।

परियोजना/विद्युत स्टेशन/यूनिट प्रमुख और कारपोरेट कार्यालय में विभाग प्रमुख (आंतरिक लेखा परीक्षा) को संबंधित स्थलों हेतु नीति के अंतर्गत नोडल अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है।

8. एनएचपीसी लिमिटेड की प्रतिभूतियों में भेदिया व्यापार को रोकने हेतु संहिता

समय–समय पर यथा संशोधित सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं के अनुपालन में कंपनी ने "भेदियाओं द्वारा व्यापार के नियंत्रण, निगरानी तथा सूचना हेतु आचार संहिता" और "भेदिया व्यापार के निवारण हेतु उचित प्रकटीकरण व्यवहारों की संहिता" निरूपित तथा कार्यान्वित की है।

यह संहिता नामित व्यक्तियों पर लागू होता है, जिन्हें निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

क) कंपनी के सभी निदेशक, केएमपी, मुख्य सतर्कता अधिकारी;

ख) कंपनी के महाप्रबंधक तथा उससे ऊपर के स्तर के सभी कार्यपालक और कारपोरेट कार्यालय में वित्त विभाग, कंपनी सचिवालय और निदेशकों के सचिवालय में कार्य कर रहे सभी कार्यपालक;

ग) कंपनी की भौतिक अनुषंगी कंपनियों के निदेशक, केएमपी तथा कर्मचारी (प्रमुख/प्रमुख अभियंता तथा उससे ऊपर के स्तर के कार्यपालक); और

घ) भौतिक अनुषंगी कम्पनियों सहित कम्पनी ऐसे अन्य कर्मचारियों, अस्थाई/तदर्थ कर्मचारियों को निदेशक मंडल द्वारा नामोदिष्ट किया जाता है जिनके प्रति समय समय पर ट्रेडिंग प्रतिबंध लागू किए जाते हैं।

एनएचपीसी की प्रतिभूतियों में व्यापार हेतु व्यापार खिड़की निर्धारित व्यक्तियों और उनके तत्काल निकट संबंधियों के लिए बोर्ड के समक्ष मूल्य संवेदन सूचना के रखे जाने के प्रस्तावित/प्रत्याशित होने के समय बंद रहती है। उपर्युक्त के अलावा, प्रत्येक तिमाही के अंत में निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय परिणामों पर विचार करने के 48 घंटे पश्चात तक ट्रेडिंग विन्डो बंद कर दी जाती है।

इस संहिता के अंतर्गत एक वरिष्ठ अधिकारी को अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इनसाइडर व्यापार संहिता की प्रति कपंनी की वेबसाइट http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Insider-Trading-Code-Full-30052019.pdf पर उपलब्ध है।

9. निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। सरकारी नामिति निदेशकों को कंपनी से कोई पारिश्रमिक या बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 और लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के साथ पढ़े जाने के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल प्रशासनिक मंत्रालय के साथ परामर्श से कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विहित सीमा के भीतर स्वंतत्र निदेशकों को देय बैठक शुल्क निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत है।

तदनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी विद्यमान दिशा–निर्देशों के अनुरूप निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार बोर्ड अथवा बोर्ड की समितियों की प्रत्येक बैठक हेतु 20,000/–रूपए के बैठक शुल्क का भुगतान स्वतंत्र निदेशकों को किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा **तालिका 10** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को अदा किए गए बैठक शुल्क का ब्यौरा **तालिका 11** में दिया गया है।

तालिका 10 : वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कार्यात्मक निदेशकों का पारिश्रमिक

(राशि रूपए में)

निदेशक का नाम	पदनाम	वेतन $	लाभ*	कार्य–निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी)**	जोड़
श्री अभय कुमार सिंह #	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	7,75,398	1,31,718	-	9,07,116
श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)	58,19,462	11,58,736	28,39,722	98,17,920
श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)	38,12,622	24,58,355	19,22,022	81,92,999
श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त)	49,18,024	9,94,438	21,34,550	80,47,012
श्री जनार्दन चौधरी	निदेशक (तकनीकी)	47,93,377	23,75,110	14,87,310	86,55,797
श्री बलराज जोशी	पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	39,31,331	72,71,216	19,35,652	1,31,38,199

24.02.2020 से निदेशक के रूप में नियुक्त।

$वेतन में उक्त अवधि के दौरान निदेशकों द्वारा धारित संबंधित पद के अनुसार अदा की जाने वाली राशि शामिल है।

* लाभों में अवकाश नकदीकरण, नव वर्ष उपहार, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, कर्मचारी भविष्य निधि, सामाजिक सुरक्षा योजना (समान अंशदान) आदि शामिल है, जिन्हें वेतन में शामिल नहीं किया गया हैं।

टिप्पणी :

1. वर्ष के दौरान श्री के.एम. सिंह, भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा श्री डी.पी. भार्गव, भूतपूर्व निदेशक (तकनीकी) को पूर्व वर्ष (वर्षों) से संबंधित उनकी देयताओं के लिए 19,42,253 रूपए एवं 1,48,430 रूपए की राशि चुकता की गई थी।

2. कंपनी ने वर्ष 2019–20 के दौरान किसी स्टॉक विकल्प को नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त, क्रियात्मक निदेशकों/निदेशकों की सेवा शर्तें भारत सरकार द्वारा जारी निबंधन एवं शर्तों से शासित होती है।

3. इसके अतिरिक्त, कार्यात्मक निदेशक भी कंपनी के लागू नियमों के अनुसार चिकित्सा लाभ हेतु पात्र हैं

तालिका 11 – वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के प्रति किए गए भुगतान के ब्यौरे

(राशि रूपए में)

स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक शुल्क*		कुल
	बोर्ड बैठक	समिति बैठक	
श्री सत्य प्रकाश मंगल	1,20,000	1,60,000	2,80,000
प्रो. कनिका टी. भाल	80,000	1,80,000	2,60,000
प्रो. अरूण कुमार	1,00,000	2,80,000	3,80,000
श्री जुगल किशोर महापात्रा	1,80,000	1,20,000	3,00,000
श्री भागवत प्रसाद	1,80,000	2,80,000	4,60,000

* बैठक शुल्क के अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों को बैठकों में भाग लेने के लिए भोजन व्यवस्था/निवास तथा यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति भी की जा रही है। बैठक शुल्क की राशि में कंपनी द्वारा पूर्ण वापसी प्रभार तंत्र के अंतर्गत बैठक शुल्क पर अदा किए गए कर की राशि शामिल नहीं है।

ऊपर उल्लेख किए गए के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान गैर–कार्यकारी निदेशकों तथा कंपनी के मध्य मौद्रिक संबंधी या व्यवहार नहीं है।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें कंपनी की वेबसाइट पर http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/TnC-Apptmt-%20Independent-Directors.pdf पर उपलब्ध हैं।

10. अनुषंगी कम्पनियां

(i) एनएचडीसी लिमिटेड : एनएचडीसी लिमिटेड, को एनएचपीसी लिमिटेड तथा मध्य प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उद्यम के रूप में प्रमोट किया गया था जिसमें इनकी इक्विटी शेयरधारिता क्रमशः 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत हैं।

एनएचडीसी लिमिटेड सेबी एलओडीआर के विनियम 24 और कारपोरेट शासन पर डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड की एक भौतिक गैर–सूचीबद्ध भारतीय अनुषंगी कंपनी है। श्री सत्य प्रकाश मंगल, एनएचपीसी के स्वतंत्र निदेशक एनएचडीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल में शामिल है। श्री मंगल के एनएचपीसी के स्वतंत्र निदेशक न रहने के पश्चात, श्री जुगल किशोर महापात्रा, स्वतंत्र निदेशक को एनएचडीसी को बोर्ड में नामित किया गया है।

(ii) लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड : लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) का अधिनिगमन 23 अक्टूबर, 2009 को हुआ था। यह कंपनी एनएचपीसी लि. और मणिपुर सरकार के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में प्रोन्नत की गई, जिसमें दोनों की शेयर भागीदारी क्रमशः 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत थी।

कंपनी सेबी एलओडीआर के विनियम 24 के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड की एक गैर–सूचीबद्ध भारतीय अनुषंगी कंपनी है।

(iii) बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड : बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड को एनएचपीसी लिमिटेड और यूपीएनईडीए (उत्तर प्रदेश नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी) के मध्य संयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में परासन गांव (तहसील–कालपी) में एक 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रमोट किया गया था। कंपनी को 2 फरवरी, 2015 को अधिनिगमित किया गया था। प्रमोटर समझौते के अनुसार कम्पनी की कुल शेयर पूंजी में एनएचपीसी की इक्विटी प्रतिभागिता 74 प्रतिशत से कम नहीं होगी और यूपीएनईडीए की 26 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

कंपनी सेबी एलओडीआर के विनियम 24 के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड की एक गैर–सूचीबद्ध भारतीय अनुषंगी कंपनी है।

(iv) लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) : वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान एनएचपीसी द्वारा ऋणग्रस्त एनटीएचपीएल का अधिग्रहण राष्ट्रीय कम्पनी विधि ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमोदित ऋणशोधन समाधान योजना के अंतर्गत किया है। एलटीएचपीएल अब एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी बन गई है तथा सिक्किम में तीस्ता नदी पर यह तीस्ता–VI हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (500 मेगावाट) का निष्पादन करेगी।

कंपनी सेबी एलओडीआर के विनियम 24 के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड की एक गैर–सूचीबद्ध भारतीय अनुषंगी कंपनी है।

वर्ष के दौरान एनएचडीसी लिमिटेड, एलडीएचसीएल, बीएसयूएल और एलटीएचपीएल के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त सूचना हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल के सम्मुख रखे गए थे। एनएचपीसी के बोर्ड को इन अनुषंगी कंपनियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कारोबार तथा व्यवस्थाओं के संबंध में भी अवगत कराया गया था। वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से इन अनुषंगी कंपनियों द्वारा किए गए निवेश की, लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी ने अनुषंगी कंपनी में इसी शेयर या परिसंपत्ति का निपटान नहीं किया है। अनुषंगी कंपनियों के संबंध में और अधिक जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट में उपलब्ध है।

11. आम सभा बैठक :

वार्षिक आम बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों की तारीखें, समय और स्थानों तथा पारित विशेष प्रस्तावों का ब्योरा **तालिका 12** में दिया गया है।

तालिका 12 : वार्षिक आम बैठकें:

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	पारित विशेष प्रस्ताव
2018–19	23 सितम्बर, 2019	प्रातः 11:00 बजे	जल तरंग सभागार, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर–33, फरीदाबाद, हरियाणा – 121003	क) प्रो. (श्रीमती) कनिका टी. भाल (डीआईएन 06944916) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करना। ख) श्री सत्य प्रकाश मंगल (डीआईएन 01052952) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करना। ग) प्रो. अरूण कुमार (डीआईएन 07346292) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करना।
2017–18	27 सितम्बर, 2018	प्रातः 11:00 बजे	जल तरंग सभागार, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर–33, फरीदाबाद, हरियाणा – 121003	क) निजी निवेश के माध्यम से 3,300 करोड़ रूपए तक की कुल राशि के प्रतिभूत/अप्रतिभूत, चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बॉण्ड जारी करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत करना। ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी के संगम अनुच्छेदों मे परिवर्तन करना।
2016–17	27 सितम्बर, 2017	प्रातः 11:00 बजे	जल तरंग सभागार, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर–33, फरीदाबाद, हरियाणा – 121003	क) निजी निवेश के माध्यम से 2000 करोड़ रूपए तक की कुल राशि के प्रतिभूत/अप्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बॉण्ड जारी करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत करना। ख) कंपनी के संगम अनुच्छेद में अनुच्छेद 22ए को शामिल करना।

वर्ष 2019–20 के दौरान डाक मत–पत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया था और वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान डाक मत–पत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

12. प्रकटीकरण:

(i) संबंधित पक्ष कारोबार :

कम्पनी द्वारा सेबी एचओडीआर के विनियम 23 के अनुपालन के अंतर्गत सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार नीति का निर्माण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कम्पनी द्वारा सम्बद्ध पक्षकारों के साथ किए गए सभी अनुबंध / व्यवस्थाएं / संव्यवहार व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में एवं स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर किए गए थे। सामग्रीगत रूप से महत्वपूर्ण ऐसा कोई सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार नहीं है जिससे मुख्यतः कंपनी के हितों के प्रति किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव होने की संभावना हो।

बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित संबंधित पक्ष संव्यवहार संबंधी नीति को कंपनी की वेबसाइट पर http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Related_Party-Transaction.pdf लिंक पर देखा जा सकता है।

(ii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 और कारपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएं:

कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46 के उप–विनियम (2) के खंड (ख) से (झ) तक विनियमों सहित सेबी द्वारा विहित विनियमों तथा दिशा–निर्देशों की सभी सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन (इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 2(i) के अलावा) किया है। कंपनी ने लोक उद्यम विभाग(डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) हेतु कारपोरेट शासन संबंधी दिशा–निर्देशों की सभी आवश्यकताओं का भी पालन (इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 2(i) के अलावा) किया है।

क) गत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज अथवा बोर्ड या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा लगाई गई शास्तियां, प्रतिबंध :

गत तीन वर्षों के दौरान किसी स्टॉक एक्सचेंज या सेबी अथवा अन्य किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले या प्रचालनों या सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के संबंध में कंपनी पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई और/अथवा कोई प्रतिबंध लागू नहीं किया गया था।

तथापि, वर्ष 2018–19 और रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजों यथा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया से नोटिस प्राप्त हुए हैं जिनका ब्यौरा **तालिका 13** में दिया गया है।

तालिका 13 : स्टॉक एक्सचेंजों से प्राप्त नोटिसों का ब्यौरा

क्रम सं.	जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम	जुर्माने की राशि	गैर–अनुपालन की प्रकृति	गैर–अनुपालन हेतु कारण/औचित्य
1.	बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज के लिए दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तक कुल संचित जुर्माना 19,47,000/– रूपए (जीएसटी सहित) है।	05 नवम्बर, 2018 से कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति न किए जाने के संबंध में सेबी एलओडीआर के विनियम 17(1) की आवश्यकताओं का गैर अनुपालन।	संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 34 के अनुसार कंपनी ने निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक सहित) को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में मामले पर प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग के साथ नियमित रूप से अनुवर्तन किया जा रहा है।
2.	बीएसई लिमिटेड * (वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान जारी)	10,000/– रूपए (जीएसटी अतिरिक्त) प्रत्येक	"भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड" और "बाहरी वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी)" को जारी किए जाने के माध्यम से निधियों को जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 15 मार्च, 2019 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक के संबंध में पूर्व सूचना प्रस्तुत करने में विलंब।	"भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड" के माध्यम से निधियों को जुटाने हेतु निदेश विद्युत मंत्रालय से 12 मार्च, 2019 को प्राप्त हुए थे। बॉण्ड मार्च, 2019 के अंत तक जुटाए जाने थे। तदनुसार, 13 मार्च, 2019 को प्रबंधन ने प्रस्ताव को पहले से निर्धारित बोर्ड बैठक अर्थात 15 मार्च, 2020 को होने वाली में रखने का निर्णय लिया था। उक्त के संबंध में जानकारी 13 मार्च, 2019 को साथ–साथ स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई थी। "बाहरी वाणिज्यिक ऋण (ईसीबसी)" को जारी करके निधियों को जुटाने हेतु प्रस्ताव 7 मार्च, 2019 को एमयूएफजी बैंक से प्राप्त हुआ था। औपचारिकताओं को अंतिम रूप देने के पश्चात प्रबंधन ने निधियों के तत्काल आवश्यकयताओं के मद्देनजर 12 मार्च, 2019 को (शाम को काफी देर से) को इस विषय के संबंध में कार्यसूची को 15 मार्च, 2019 को आयोजित किए जाने हेतु पहले से निर्धारित बोर्ड की बैठक में रखने का निर्णय लिया। उक्त को 13 मार्च, 2019 को स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया गया था।

* इसी प्रकार का जुर्माना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा लगाया गया था, जिसे कंपनी द्वारा दिए गए औचित्यों के मद्देनजर जनवरी 2020 में माफ कर दिया गया था।

कंपनी ने दिए गए औचित्यों के मद्देनजर उक्त जुर्मानों को माफ करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को अनुरोध किया है। स्टॉक एक्सचेंजों से उत्तर प्रतीक्षित हैं।

आवधिक परिणाम तथा अन्य सूचनाएं नियमित तौर पर एनएचपीसी लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर प्रकाशित की जाती हैं।

ख) घटना या जानकारी का प्रकटीकरण

श्री महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त) को बोर्ड द्वारा सेबी एलओडीआर विनियमो के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण करने के प्रयोजन हेतु किसी घटना या कार्यक्रम की भौतिकता के निर्धारण के प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किया गया है। स्टॉक एक्सचेंज को प्रकट किए जाने हेतु किसी घटना या सूचना की भौतिकता के निर्धारण के लिए मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और यह कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

ग) राष्ट्रपति के निदेश

पिछले तीन वर्षों के दौरान, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी को बोर्ड स्तर, बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और गैर–यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के 1 जनवरी, 2017 से वेतन संशोधन के संबंध में राष्ट्रपति के निदेश प्राप्त हुए हैं। उक्त को निदेशक मंडल के अनुमोदन से कार्यान्वित किया गया था।

घ) लेखांकन व्यवहार :

प्रबंधन के मतानुसार, वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सभी लागू लेखांकन मानकों का पालन किया जा रहा है। तथापि, जहां अनुपालन पूर्णतः संभव नहीं था, उसे लेखे की टिप्पणियों में दर्शाया गया है जो वित्तीय विवरणों का भाग है।

ङ) व्हिसल ब्लोअर नीति :

एनएचपीसी की अनैतिक/अनुचित आचरणों को सूचित करने तथा उक्त की जाँच करने तथा उन्हें ठीक करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने हेतु एक सुपरिभाषित तथा स्थापित व्हिसल ब्लोअर नीति है। नीति इस तंत्र का उपयोग करने वाले कर्मचारियों को पीड़ित होने से रोकने के प्रति पर्याप्त रक्षोपाय मुहैया करवाती है। वर्ष 2019–20 के दौरान किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति पर पहुंच से इंकार नहीं किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत एक शिकायत सूचित की गई थी। नीति के प्रावधानों के अनुसार मामले की जांच की गई और रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को सौंपी गई थी।

च) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरणः

कंपनी सदैव ही इसमें कार्य कर रहे प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित और उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल मुहैया करवाने में विश्वास करती रही है। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए, कंपनी ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न को भी "एनएचपीसी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम" के अंतर्गत महिलाओं के यौन उत्पीड़न को भी एक कदाचार के रूप में शामिल किया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

छ) लेखा बहियों में डेबिट की गई व्यय की कोई मदें नहीं थी, जो व्यापार के प्रयोजन हेतु नही थी।

ज) निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत प्रकृति के कोई व्यय नहीं किए गए थे।

झ) कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक तथा कार्यालय व्ययों की तुलना में वित्तीय व्यय के ब्यौरे और इसमें वृद्धि के कारणः

(आंकड़े प्रतिशत में)

विवरण	2018–19	2019–20	वृद्धि के कारण
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय	14.57	19.08	अंतर के लिए मुख्य कारण वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सुरक्षा व्यय में वृद्धि, विनिमय दर अंतर, सीएसआर व्यय, बीमा व्यय और प्रावधान थे।
वित्तीय व्ययों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय	100.35	156.05	

ञ) वस्तु मूल्य जोखिम और हेजिंग क्रियाकलाप :

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के वस्तु–मूल्य जोखिम और हेजिंग क्रियाकलापों के संबंध में प्रकटीकरण को नीचे दिया गया हैः

1. हेजिंग सहित वस्तुओं के संबंध में सूचीबद्ध निकाय की जोखिम प्रबंधन नीति :

कंपनी की विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति को विदेशी मुद्रा में कंपनी के कुल संपर्क तथा अंतर्ग्रस्त जोखिम पर विचार करते हुए 15.3.2019

को आयोजित निदेशक मंडल की 423वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था।

2. **समूचे वर्ष 2019–20 के दौरान सामना किए गए वस्तु और वस्तु जोखिमों से कंपनी का संपर्क**

क. वस्तुओं के प्रति भारतीय राष्ट्रीय रूपए में कंपनी का कुल संपर्क – 1820.97 करोड़ रूपए

ख. विभिन्न वस्तुओं के प्रति कंपनी का संपर्कः

वस्तु का नाम	विशिष्ट वस्तु के प्रति आईएनआर में संपर्क	वस्तु व्युत्पन्न के माध्यम से हेज किए गए ऐसे संपर्क का प्रतिशत				
		घरेलू बाजार		अंतर्राष्ट्रीय बाजार		कुल
		ओटीसी	एक्सचेंज	ओटीसी	एक्सचेंज	
जेआईसीए– आईडीपी - 107	102.67	-	-	-	-	-
जेआईसीए– आईडीपी -129	449.07	-	-	-	-	-
जेआईसीए– आईडीपी -153	580.49	-	-	-	-	-
एमयूएफसी बैंक	3688.75	100%*	-	-	-	-

3. **वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी द्वारा सामना किए गए वस्तु जोखिम**

कंपनी के लाभ पर विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव का कोई प्रभाव नहीं हुआ था क्योंकि इन्हें या तो संबंधित अचल परिसंपत्ति/प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है अथवा सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019–24 के दौरान टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है।

ट) **सूचीबद्ध निकाय और इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा समेकित आधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों और उस नेटवर्क फर्म/नेटवर्क निकाय के सभी निकायों को, जिसका सांविधिक लेखापरीक्षक एक हिस्सा है, को सभी सेवाओं हेतु अदा किया गया कुल शुल्कः**

सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदा किए गए शुल्क से संबंधित ब्यौरे एकल तथा समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 29 दिए गए हैं।

ठ) **भौतिक अनुषंगी कंपनियों के निर्धारण हेतु नीतिः**

कंपनी ने सेबी एलओडीआर के विनियम 16(1)(ग) के अनुसार भौतिक अनुषंगियों के निर्धारण के लिए एक नीति बनाई गई है। नीति निम्नलिखित लिंक पर वेबसाइट में उपलब्ध हैः

http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Material-Subsidiary.pdf

ड) **वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी ने सेबी एलओडीआर, 2015 के विनियम 32 (7ए) के अंतर्गत यथानिर्दिष्ट अधिमानी आवंटन अथवा अर्हक संस्थान नियोजन के माध्यम से कोई राशियां नहीं जुटाई है।**

ढ) **अन्य प्रकटीकरण**

i. श्री सुमन कुमार, वृत्तिक कंपनी सचिव से इस आशय का एक प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया है कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी/कारपोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने या बने रहने से प्रतिबंधित अथवा अनर्हक नहीं किया गया है।

ii. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी की किसी प्रतिभूति को व्यापार करने से निलंबित नहीं किया गया था।

iii. सेबी एलओडीआर के अंतर्गत यथाविहित गैर–बाध्यकारी आवश्यकताओं को अपनाए जाने के संबंध में सूचना **अनुबंध–क** में दी गई है।

13. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17(8) के अनुसार श्री अभय कुमार सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा श्री महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त) द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित एक अनुपालन प्रमाण–पत्र को 27 जून, 2020 को आयोजित बोर्ड की बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और यह **अनुबंध–ख** के रूप में निगमित अभिशासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

14. संचार के साधन

कम्पनी के आवधिक वित्तीय परिणामों को सेबी एलओडीआर के अनुसार निर्धारित समय–सीमा में घोषित किया जाता है। ये परिणाम कम्पनी

की वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर प्रदर्शित किए जाते हैं और राष्ट्रीय एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। कंपनी के शेयरधारकों को त्रैमासिक आधार पर ई–मेल के माध्यम से कंपनी के निष्पादन से अवगत भी कराया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त, महत्वपूर्ण कारपोरेट निर्णयों तथा क्रियाकलापों पर अधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति को कंपनी की वेबसाइट पर तथा सोशल मीडिया के माध्यम से हितधारकों को भी उपलब्ध करवाया जाता है। संस्थागत निवेशकों और/अथवा विश्लेषकों को नियमित रूप से प्रस्तुतिकरण भी दिए जाते हैं जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

शेयरधारक कारपोरेट अभिशासन, कम्पनी की नीतियों, संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद इत्यादि के विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर विशेष रूप से निर्मित 'निवेशक कार्नर' भाग में से प्राप्त कर सकते हैं।

कम्पनी द्वारा प्रकाशित लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का ब्योरा **तालिका 14** में दिया गया है।

तालिका 14 : लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम :

समाचार पत्र	निम्नांकित तारीखों को समाप्त हुई अवधि के परिणामों के प्रकाशन की तारीख			
	30 जून, 2019	30 सितम्बर, 2019	31 दिसम्बर, 2019	31 मार्च, 2020
बिजनेस स्टैन्डर्ड (अंग्रेजी) – सभी संस्करण	-	12 नवम्बर, 2019	08 फरवरी, 2020	-
हिंदुस्तान (हिंदी) – नई दिल्ली	-	12 नवम्बर, 2019	–	-
द फाइनेन्शियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) – सभी संस्करण	10 अगस्त, 2019	-	-	29 जून, 2020
जनसत्ता (हिंदी) – नई दिल्ली	10 अगस्त, 2019	-	-	29 जून, 2020
नवभारत टाइम्स (हिंदी) – दिल्ली	-	-	8 फरवरी, 2020	-

15. शेयरधारकों हेतु सूचना

(i) वार्षिक आम बैठक :

दिनांक : मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020

समय : अपराह्न : 03:00 बजे (भारतीय मानक समय)

देश में कोविड–19 के प्रसार को नियंत्रित करने तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5.5.2020 के माध्यम से विस्तारित रियायतों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक आम सभा का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग अथवा अन्य ऑडियो विजुअल के माध्यम से किया जाएगा।

वार्षिक आम सभा में प्रतिभागिता के लिए आवश्यक विवरण/अनुदेश वार्षिक आम सभा के नोटिस में दिए गए हैं।

(ii) वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वित्तीय कलैंडर :

विवरण	तारीख
लेखांकन अवधि	1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021
पहली तीन तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम।	बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही के अंत से 45 दिवस के भीतर आयोजित की जाएगी। बोर्ड की बैठक के निष्कर्षों की सूचना बैठक समाप्ति के 15 मिनट में स्टॉक एक्सचेंज को दी जाएगी।
चौथी तिमाही के परिणाम/31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम	बोर्ड की बैठक 30 मई, 2021 को या उससे पहले आयोजित की जाएगी। बोर्ड की बैठक के निष्कर्षों की सूचना बैठक समाप्ति के 15 मिनट में स्टॉक एक्सचेंज को दी जाएगी।
एजीएम (वार्षिक आम बैठक) – 2021	अगस्त/ सितम्बर, 2021 (परिवर्तनशील)

(iii) बही का बंद किया जाना

सदस्यों के रजिस्टर एवं कम्पनी की शेयर अंतरण बहियों को शनिवार, 19 सितम्बर, 2020 से मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 तक (दोनों दिवसों को शामिल करते हुए) बंद रखा जायेगा।

(iv) लाभांश का भुगतान :

कंपनी ने फरवरी, 2020 में 1.18 रूपए के प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त कंपनी के निदेशक

मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु 0.32 रूपए प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। तदनुसार, वर्ष हेतु कुल लाभांश 1.50 रूपए प्रति इक्विटी शेयर होता है, यदि अंतिम लाभांश को आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो।

वे सदस्य लाभांश प्राप्ति के पात्र होंगे जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर/लाभग्राही स्वामियों की सूची में शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2020 (रिकार्ड तिथि) की स्थिति के अनुसार दर्ज होंगे। वार्षिक आम सभा में घोषणा किए जाने की स्थिति में अंतिम लाभांश का भुगतान कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत कर दिया जाएगा।

(v) लाभांश इतिहास :

सूचीकरण से लेकर कंपनी द्वारा अदा किए गए लाभांश का ब्यौरा **तालिका 15** में दिया गया है।

तालिका 15 : लाभांश इतिहास

वित्तीय वर्ष	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (करोड़ रु. में)	वार्षिक आम बैठक/ बोर्ड बैठक की तिथि जिसमें लाभांश घोषित किया गया	लाभांश भुगतान की तिथि
2009–10	676.54	22 सितम्बर, 2010	01 अक्तूबर, 2010
2010–11	738.04	19 सितम्बर, 2011	28 सितम्बर, 2011
2011–12	861.05	17 सितम्बर, 2012	26 सितम्बर, 2012
2012–13	738.04	16 सितम्बर, 2013	25 सितम्बर, 2013
2013–14	332.13	26 सितम्बर, 2014	07 अक्तूबर, 2014
2014–15	664.27 (221.43 करोड़ रु. के अंतरिम लाभांश सहित)	16 जनवरी, 2015 और 23 सितम्बर, 2015	12 फरवरी, 2015 और 03 अक्तूबर, 2015
2015–16	1660.60 (1018.50 करोड़ रु. के अंतरिम लाभांश सहित)	10 फरवरी, 2016 और 22 सितम्बर, 2016	2 मार्च, 2016 और 3 अक्तूबर, 2016
2016–17	1984.62 (1882.02 करोड़ रूपए के अंतरिम लाभांश सहित)	12 जनवरी, 2017 और 27 सितम्बर, 2017	27 जनवरी, 2017 और 5 अक्तूबर, 2017
2017–18	1436.31 (1149.05 करोड़ रूपए के अंतरिम लाभांश सहित)	12 फरवरी, 2018 और 27 सितम्बर, 2018	8 मार्च, 2018 और 22 अक्तूबर, 2018
2018–19	1466.58 (713.20 करोड़ रूपए के अंतरिम लाभांश सहित)	8 फरवरी, 2019 और 23 सितम्बर, 2019	5 मार्च, 2019 और 18 अक्तूबर, 2019
2019–20	1,185.31 (अंतरिम लाभांश)	7 फरवरी, 2020	3 मार्च, 2020

(vi) स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण :

एनएचपीसी के इक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है :

बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड
पता : फिरोजी जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400001 **स्क्रिप कोड** : 533098 ISIN : INE848E01016 आईएसआईएनः आईएनई848ई01016	**पता** : एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं. सी/1, जी ब्लाक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई – 400051 **स्क्रिप कोड** : NHPCEQ, ISIN : INE848E01016 आईएसआईएनः आईएनई848ई01016

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक सूचीकरण का भुगतान शुल्क नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बीएसई लिमिटेड दोनों को विस्तारित देय तिथियों के भीतर किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक कस्टोडियन शुल्क को भी सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड और नेशनल सिक्योरीटीज डिपोजिट्री लिमिटेड को अदा किया जा चुका है।

(vii) बाजार मूल्य डाटा और सूचकांक की तुलना में निष्पादन :

एनएचपीसी शेयर मूल्य की बीएसई सूचकांक और एनएसई निफ्टी के साथ तुलना क्रमश **तालिका 16** और **तालिका 17** दी गई है।

तालिका 16 : बीएसई सेंसेक्स और एनएचपीसी शेयर मूल्य :

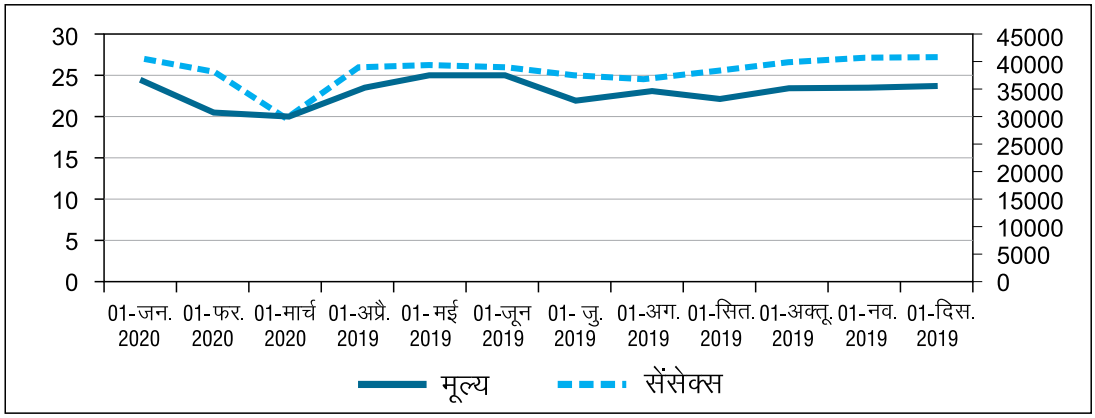
सेंसेक्स				बीएसई में एनएचपीसी शेयर मूल्य			
महीना	उच्च	निम्न	बंद	महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल–2019	39,487.45	38,460.25	39,031.55	अप्रैल–2019	25.60	23.05	23.30
मई–2019	40,124.96	36,956.10	39,714.20	मई–2019	25.85	21.75	25.15
जून–2019	40,312.07	38,870.96	39,394.64	जून–2019	25.50	23.90	24.80
जुलाई–2019	40,032.41	37,128.26	37,481.12	जुलाई–2019	25.00	22.00	22.10
अगस्त–2019	37,807.55	36,102.35	37,332.79	अगस्त–2019	23.90	20.85	23.25
सितम्बर–2019	39,441.12	35,987.80	38,667.33	सितम्बर–2019	24.55	22.20	22.30
अक्तूबर–2019	40,392.22	37,415.83	40,129.05	अक्तूबर–2019	24.20	21.80	23.50
नवम्बर–2019	41,163.79	40,014.23	40,793.81	नवम्बर–2019	24.25	23.20	23.80
दिसम्बर–2019	41,809.96	40,135.37	41,253.74	दिसम्बर–2019	24.35	23.55	23.95
जनवरी–2020	42,273.87	40,476.55	40,723.49	जनवरी–2020	29.00	23.70	24.50
फरवरी–2020	41,709.30	38,219.97	38,297.29	फरवरी–2020	25.40	20.45	20.60
मार्च–2020	39,083.17	25,638.90	29,468.49	मार्च–2020	23.35	15.15	19.95

तालिका 17 : एनएसई निफ्टी और एनएचपीसी शेयर मूल्य :

सेंसेक्स				एनएसई में एनएचपीसी शेयर मूल्य			
महीना	उच्च	निम्न	महीना	महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल–2019	11,856.15	11,549.10	11,748.15	अप्रैल–2019	25.65	23.00	23.35
मई–2019	12,041.15	11,108.30	11,922.80	मई–2019	25.95	21.65	25.05
जून–2019	12,103.05	11,625.10	11,788.85	जून–2019	25.50	23.90	24.80
जुलाई–2019	11,981.75	10,999.40	11,118.00	जुलाई–2019	25.00	22.00	22.15
अगस्त–2019	11,181.45	10,637.15	11,023.25	अगस्त–2019	23.95	20.85	23.25
सितम्बर–2019	11,694.85	10,670.25	11,474.45	सितम्बर–2019	24.55	22.20	22.30
अक्तूबर–2019	11,945.00	11,090.15	11,877.45	अक्तूबर–2019	24.20	21.80	23.50
नवम्बर–2019	12,158.80	11,802.65	12,056.05	नवम्बर–2019	24.25	23.20	23.80
दिसम्बर–2019	12,293.90	11,832.30	12,168.45	दिसम्बर–2019	24.40	23.50	23.95
जनवरी–2020	12,430.50	11,929.60	11,962.10	जनवरी–2020	29.10	23.65	24.50
फरवरी–2020	12,246.70	11,175.05	11,201.75	फरवरी–2020	25.40	20.40	20.60
मार्च–2020	11,433.00	7,511.10	8,597.75	मार्च–2020	23.40	15.10	19.95

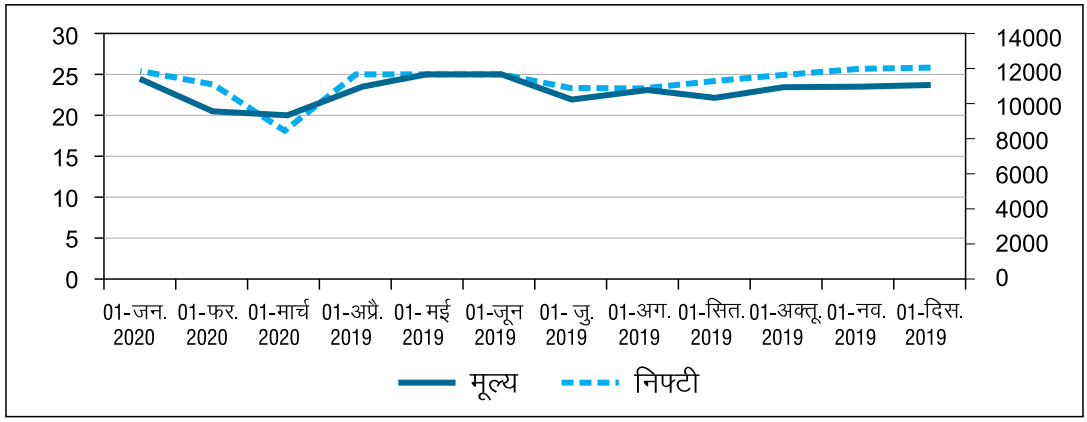
(viii) सूचकांकों की तुलना में निष्पादन :

बीएसई सूचकांक और एनएचपीसी शेयर मूल्य



* ग्राफ मासिक समाप्ति मूल्यों के आधार पर बनाया गया है

एनएसई निफ्टी और एनएचपीसी शेयर मूल्य



* ग्राफ मासिक समाप्ति मूल्यों के आधार पर बनाया गया है

(ix) रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट :

केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड)

सेलेनियम टावर बी, प्लाट 31–32,
गाचीबाउली, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट,
ननाकरमगुडा, हैदराबाद– 500 032
दूरभाष नं.: 040 67162222
टोल फ्री नं. : 1800 345 4001
फैक्स नं. : 040 23001153
ई–मेल : einward.ris@karvy.com

(xi) क्रेडिट रेटिंग :

कंपनी द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	रेटिंग एजेंसी	क्रेडिट रेटिंग	ऋण जिनके संबंध में रेटिंग्स प्राप्त की गई है
घरेलू			
1	इंडिया रेटिंग	ईड एएए/ स्टैबल	पी, क्यू, आर, कर मुक्त, एस, टी, यू, वी, एक्स वाई, वाई1, एए व एए1 श्रृंखला, भारत सरकार बाण्ड और दीर्घावधि बैंक सुविधाएं/ एफआईएस
		इंड ए1 +	अल्पावधि कार्यशील पूंजी सीमा
2	आईसीआरए	(आईसीआरए) एएए (स्टैबल)	क्यू, आर, डब्ल्यू वाई, वाई1 और कर मुक्त बाण्ड
3	केयर	केयर एएए : स्टैबल	क्यू, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, कर मुक्त, एक्स, एए व एए1 श्रृंखला और भारत सरकार बाण्ड
अंतर्राष्ट्रीय			
1	एस एण्ड पी	बीबीबी – परिदृश्य : स्टैबल	–

(xi) शेयर अंतरण प्रणाली

निदेशक मंडल ने आरटीए को भौतिक शेयर वाले शेयरधारकों से शेयरों के अंतरण/ट्रांसमिशन और/अथवा शेयरों को डीमैटीरियलाइज करने आदि के संबंध में प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया था। शेयरों के पुनः मैटीरियलाइजेशन, समेकन और डुप्लीकेट प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्राप्त अनुरोधों की निगरानी एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन तथा आवंटन–पश्च क्रियाकलापों हेतु निदेशकों की समिति द्वारा की जाती है। सेबी ने 01.04.2019 से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के भौतिक अंतरण को प्रतिबंधित किया है और केवल डीमैट रूप में ही अंतरण के लिए अधिदेषित किया है। तथापि, निवेशकों के लिए भौतिक रूप से शेयर धारित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

तदनुसार, रिपोर्ट में विचाराधीन वर्ष के दौरान आरटीए द्वारा 1.4.2019 से पहले प्राप्त अनुरोध के अलावा, जिनकी उस समय कुछ दस्तावेजों की अपेक्षा अथवा अन्य औचित्यपरक कारणों से प्रक्रिया नहीं की गई थी, भौतिक स्वरूप में धारित शेयरों के अंतरण के किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की गई थी।

सेबी एलओडीआर के विनियम 40 के अनुपालन में एक वृत्तिक कंपनी सचिव से छमाही आधार पर यह पुष्टि करते हुए कि सभी प्रमाण–पत्र अंतरण, उप विभाजन, समेकन, नवीकरण, अथवा आमंत्रण/आवंटन राशि के पृष्ठांकन हेतु निर्धारित अवधि के भीतर जारी किए गए हैं, के आशय का प्रमाण–पत्र स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया था।

(xii) शेयरों और अदा न किए गए/अदावाकृत राशियों का निवेशक शिक्षा और बचाव निधि (आईईपीएफ) में अंतरण

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान वित्तीय वर्ष 2011–12 से संबंधित दावा न की गई कुल 1,45,11,436/ – रूपए की राशि के 8,04,475 शेयरों की लाभांश पात्रताएं सात अथवा अधिक निरंतर वर्षों से दावा नहीं की गई है हैं तथा इन्हें कम्पनी ने निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं धनवापसी) नियमावली, 2016, समय समय पर यथासंशोधित, के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया है।

आईईपीएफ को शेयरों के अंतरण को प्रभावी रूप देने से पूर्व कंपनी ने ऐसे सभी सदस्यों को पत्र और समाचार–पत्र में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया है जिनके शेयर वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आईईपीएफ को अंतरित किए जाने हैं।

आईईपीएफ को अंतरित लाभांश और शेयरों, कंपनी के पास पड़े हुए अदा न किए गए तथा अदावाकृत राशियों का ब्यौरा और आईईपीएफ प्राधिकरण से लाभांश तथा शेयरों का दावा करने हेतु प्रकिया विधि कंपनी की वेबसाइट में http://www.nhpcindia.com/IEPF.htm लिंक पर और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण की वेबसाइट अर्थात www.iepf.gov.in पर भी उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 से संबंधित लाभांश वर्ष 2020–21 में आईईपीएफ को अंतरित किया जाएगा। शेयरधारक अपने वित्तीय 2012–13 सहित पूर्व वर्षों के अचुकता लाभांश एवं अनुरूपी शेयरों का दावा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण के लिए निर्धारित फार्म अर्थात आईईपीएफ–5 में आवेदन कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान घोषित और अदा न किए गए लाभांश का दावा करने की अंतिम तिथि 21 अक्तूबर, 2020 है। सदस्य अदावाकृत लाभांश हेतु अपने दावों को कंपनी के आरटीए को आईईपीएफ को अंतरित किए जाने से पूर्व दावा कर सकते हैं। इस प्रकार अंतरित लाभांश/शेयरों के संबंध में कंपनी के प्रति कोई दावा नहीं बनेगा।

(xiii) शेयरधारिता का वितरण

31 मार्च, 2020 को शेयरधारकों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा और धारण के आकार के अनुसार धारित शेयर **तालिका 18 तथा तालिका 19 में** दिए गए हैं :

(क) तालिका 18 : 31 मार्च, 2020 को आकार तथा धारिता के प्रतिशत के अनुसार शेयरधारिता का वितरण :

श्रेणी (राशि रूपए में)	शेयर धारकों की संख्या	शेयर धारकों का प्रतिशत *	कुल शेयर	शेयरों का प्रतिशत *
1-5,000	4,32,383	63.96	9,05,26,858	0.90
5,001-10,000	1,66,375	24.61	12,47,68,799	1.24
10,001-20,000	41,741	6.17	6,22,63,377	0.62
20,001-30,000	13,244	1.96	3,37,46,534	0.34
30,001-40,000	5,554	0.82	1,98,35,107	0.20
40,001-50,000	4,504	0.67	2,12,71,522	0.21
50,001-1,00,000	7,047	1.04	5,16,04,653	0.51
1,00,001 और उससे अधिक	5,196	0.77	9,64,10,17,955	95.98
कुल	**6,76,044**	**100**	**10,04,50,34,805**	**100.00**

* 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया।

ख) तालिका 19 : 31 मार्च, 2020 को स्वामित्व के आधार पर शेयर धारण पैटर्न :

श्रेणी	31 मार्च, 2020 को			31 मार्च, 2019 को			परिवर्तन (प्रतिशत*) वृद्धि / (कमी)
	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयर	शेयरधारिता का प्रतिशत	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयर	शेयरधारिता का प्रतिशत	
भारत सरकार	1	7,36,59,64,993	73.33	1	7,12,67,72,676	70.95	(2.38)
म्युचुअल फंड्स	13	32,14,71,603	3.2	53	58,67,17,209	5.84	2.64
विदेशी संस्थागत निवेशक	152	49,16,65,365	4.89	157	46,83,19,256	4.66	(0.23)
विदेशी संस्थान / बैंक	18	6,51,01,540	0.65	19	6,37,09,606	0.63	(0.02)
बीमा कंपनियां	6	77,76,95,996	7.74	14	77,17,48,175	7.68	(0.06)
निवासी व्यक्ति	6,77,231	53,88,64,448	5.36	6,68,972	53,74,77,879	5.35	(0.01)
अनिवासी भारतीय	4,589	1,28,97,153	0.13	4,723	1,47,20,526	0.15	0.02
समाशोधन सदस्य	147	34,71,589	0.03	275	77,36,531	0.08	0.05
आईईपीएफ	1	16,27,862	0.02	1	24,28,917	0.02	0.00
कारपोरेट निकाय	1,714	46,39,78,931	4.62	1,766	45,21,06,009	4.50	(0.12)
अन्य	44	18,40,819	0.02	43	26,97,489	0.03	0.01
अन्य (एनबीएफसी, विदेशी नागरिक, विदेशी कारपोरेट निकाय, वैकल्पिक निवेश निधि, अर्ह संस्थागत खरीददार, विदेशी संस्थागत निवेशक)	22	4,54,506	0.01	20	1,06,00,532	0.11	0.10
कुल	**6,83,938**	**10,04,50,34,805**	**100**	**6,76,044**	**10,04,50,34,805**	**100**	

* 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया

ग) **31 मार्च, 2020 को प्रमुख शेयरधारक** :

31 मार्च, 2020 को एनएचपीसी लिमिटेड के शीर्ष 10 शेयरधारकों का विवरण **तालिका 20** में दिया गया है :

तालिका 20 : 31 मार्च, 2020 के अनुसार शीर्ष 10 शेयरधारक

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत
1	भारत के राष्ट्रपति	7,12,67,72,676	70.95
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	73,66,31,947	7.33
3	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	23,44,73,240	2.33
4	सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडिड स्कीम (सीपीएसई ईटीएफ)	19,29,44,743	1.92
5	आरईसी लिमिटेड	17,53,02,206	1.75
6	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड – एचडीएफसी बैलेन्सड एडवान्टेज फंड	13,78,60,514	1.37
7	एजबैस्टन एशियन इक्विटी ट्रस्ट	6,86,51,505	0.68
8	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड – एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड	6,04,22,557	0.60
9	वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड	4,13,26,454	0.41
10	वैनगार्ड इमरजिंग मार्केटस स्टॉक इंडेक्स फंड, ए सीरीज ऑफ वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड	3,64,70,857	0.36
कुल		**8,81,08,56,699**	**87.71**

* 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया

(xiv) शेयर एवं लिक्विडिटी का डीमैटीरियलाइजेशन :

कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डीमैटीरियलाइजेशन सेगमेंट में हैं और दोनों जमाकर्ताओं अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के पास ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं।

कंपनी की कुल जारी पूंजी भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या और एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के पास धारित डीमैटिरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप होने की पुष्टि करने वाली शेयर पूंजी लेखापरीक्षा के मिलान को त्रैमासिक आधार पर बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति को स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रस्तुत किया जाता है।

31 मार्च, 2020 के अनुसार डीमैटिरियलाइज्ड और भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्या

विवरण	शेयरों की कुल संख्या	इक्विटी का प्रतिशत
एनएसडीएल के साथ डीमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयर	9,64,74,48,266	96.04
सीडीएसएल के साथ डीमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयर	39,74,97,612	3.95
भौतिक रूप	7,906	नगण्य
कुल	**10,04,50,34,805**	**100**

* 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया

जमाकर्ताओं के नाम और पते निम्नानुसार हैं :

1. **नेशनल सिक्योरिटी डिपॉस्ट्री लिमिटेड**
   ट्रेड वर्ल्ड, ए–विंग, चौथा तल,
   कमला मिल्स कम्पाउन्ड,
   सेनापति बापट मार्ग,
   लोअर परेल, मुंबई–400013

2. **सेन्ट्रल डिपॉस्ट्री सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड**
   25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स,
   एन एम जोशी मार्ग, लोअर पारेल (ईस्ट)
   मुंबई – 400 013

(xv) डीमैट खाता उचन्त खाता/संदेही खाता

31 मार्च, 2020 को उचन्त खाते में शेयरों के ब्यौरे **तालिका 21** में दिए गए हैं।

तालिका 21 : उचन्त खाते में शेयर

विवरण	मामलों की संख्या	शेयरों की संख्या
वर्ष के प्रारंभ में उचन्त खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	7	1,951
शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान उचन्त खाते से शेयरों के अंतरण हेतु कंपनी से संपर्क किया	-	-
शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर वर्ष के दौरान उचन्त खाते से अंतरित किए गए	-	-
शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर वर्ष के दौरान आईईपीएफ खाते से अंतरित किए गए	2	903
वर्ष के अंत में उचन्त खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	4	1,048

टिप्पणी : इन शेयरों पर मत देने का अधिकार तब तक अवरूद्ध रहेगा जब तक कि ये शेयर उचित खाते में है। इसके अतिरिक्त, इन शेयरों को कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित समय के भीतर आईईपीएफ में अंतरित किया जाएगा।

(xvi) बकाया जीडीआर्स/एडीआर्स/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स, कंवर्जन तिथि तथा इक्विटी पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव :

एनएचपीसी ने ऐसे जीडीआर्स/एडीआर्स/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स जारी नहीं किए हैं, जिनके इक्विटी पर प्रभाव पड़ते हो।

(xvii) एनएचपीसी संयत्रों की अवस्थिति

बैरास्यूल	एनएचपीसी लि., सुरंगनी, जिला–चंबा, हिमाचल प्रदेश–176 317
लोकतक	एनएचपीसी लि., डाकघर–लोकतक, कोमकेरेप, मणिपुर–795 124
सलाल	एनएचपीसी लि., डाकघर ज्योतिपुरम, वाया रियासी, जम्मू एवं कश्मीर–182 312
टनकपुर	एनएचपीसी लि., डाकघर टीपीएस कैम्पस, बनबसा, जिला चम्पावत, उत्तराखंड– 262 310
चमेरा-I	एनएचपीसी लि., खैरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश–176 325
उड़ी-I	एनएचपीसी लि., जिंगल, डाकघर–मोहरा, जिला बारामूला, जम्मू एवं कश्मीर –193 122
रंगित	एनएचपीसी लि., डाकघर–रंगित, दक्षिण सिक्किम–737 111
चमेरा-II	एनएचपीसी लि., करियां, जिला–चम्बा, हिमाचल प्रदेश–176 310
धौलीगंगा	एनएचपीसी लि., पोस्ट बॉक्स सं. 1, तपोवन, धारचुला, जिला–पिथौरागढ़, उत्तराखंड–262 545
दुलहस्ती	एनएचपीसी लि., चेनाब नगर, सेक्टर–II, किश्तवाड़, जम्मू–कश्मीर–182 206
तीस्ता-V	एनएचपीसी लि., डाकघर–सिंगताम, पूर्वी सिक्किम– 737 134
सेवा-II	एनएचपीसी लि., माश्का, ज़िला कठुआ, (जम्मू–कश्मीर)
चमेरा- III	एनएचपीसी लि., ग्राम धारवाला, पीओ–9, खैरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश–176311
चुटक	एनएचपीसी लि., पीओ–मिंजी, जिला कारगिल (लद्दाख), जम्मू एवं कश्मीर–194103
तीस्ता लो डैम परियोजना – III	एनएचपीसी लि., रम्बी बाजार, पीओ–रियांग, जिला–दार्जलिंग (पश्चिम बंगाल)–734321
निम्मो बाजगो	एनएचपीसी लिमिटेड, अलची, जिला – लेह, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, पिन – 194101
उड़ी - II	एनएचपीसी कार्यालय सह आवासीय परिसर, नोपुरा, उड़ी, जिला – बारामुला, (जम्मू एवं कश्मीर), पिन 193122
पार्बती - III	एनएचपीसी लिमिटेड, गांव बहाली, पी.ओ. लारजी, जिला कुल्लु (हिमाचल प्रदेश), पिन 175122
तीस्ता लो डैम परियोजना – IV	एनएचपीसी लि., कलीझोरा, कलीझोरा बजार, जिला–दार्जलिंग (पश्चिम बंगाल)–734320
जैसलमेर पवन विद्युत परियोजना	एनएचपीसी लिमिटेड, गांव लखमाना, जिला जैसलमेर, राजस्थान
तमिलनाडु सौर विद्युत परियोजना	एनएचपीसी लिमिटेड, रेंगनाथापुरम गांव, ए.वाडीपाटी रोड, पेरियाकुलम तालुक, जिला थेनी, तमिलनाडु – 625 602
किशनगंगा	एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय और आवासीय परिसर, करालपोरा, जिला बांदीपुरा, जम्मू एवं कश्मीर–193 502

(xviii) कारपोरेट अभिशासन में हरित पहलें

वैष्विक महामारी कोविड–19 के कारण एमसीए और सेबी द्वारा विस्तारित छूटों के अनुरूप और "हरित पहल" को आगे बढ़ाते हुए कंपनी ने वार्षिक आम बैठक के नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट की उन सदस्यों को इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी प्रभावी की है जिनकी ई–मेल आईडी संबंधित डिपोजिट्री भागीदारों यथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिट्री लिमिटेड/सेंट्रल डिपोजिट्री सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड के पास पंजीकृत है। वार्षिक आम बैठक के नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट को कंपनी की वेबसाइट पर भी रखा गया है।

(xix) पत्राचार के लिए पता :

श्री विजय गुप्ता, अनुपालन अधिकारी,
पांचवां तल, नीर शक्ति सदन,
एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर–33,
फरीदाबाद (हरियाणा) – 121 003
ई–मेल : companysecretary@nhpc.nic.in

संप्रेषण हेतु टेलीफोन नम्बर तथा ई–मेल संदर्भ नीचे दिया गया है :

	टेलीफोन नम्बर	फैक्स नम्बर	ई–मेल आईडी
पंजीकृत कार्यालय	0129-2588110	0129-2278018	-
निवेशक संबंध प्रकोष्ठ	0129-2250437	-	investorcellnhpc@gmail.com
श्री अनुज कपूर, मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी	0129-2270603	-	anujkapoor@nhpc.nic.in

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के दिनांक 22 जनवरी, 2007 के परिपत्र के अनुसार निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए पूर्णतः समर्पित ई–मेल आईडीः companysecretary@nhpc.nic.in है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(अभय कुमार सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 08646003

तारीख : 27 अगस्त, 2020
स्थान : फरीदाबाद

अनुबंध–क

गैर अधिदेशात्मक अपेक्षाएं : पूर्व पृष्ठों पर दी गई अधिदेशित अपेक्षा के अलावा, सेबी एलओडीआर की गैर–अधिदेशित आवश्यकताओं के साथ अनुपालन की स्थिति निम्न प्रकार से है:–

1) **बोर्ड** : कंपनी की अध्यक्षता एक कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जा रही है।

2) **शेयरधारकों के अधिकार** : पिछले छह माह में हुई प्रमुख घटनाओं के सार सहित वित्तीय निष्पादन की अर्द्ध–वार्षिकी घोषणा प्रत्येक शेयर धारकों को व्यक्तिगत तौर पर नहीं भेजी गई। तथापि, आवधिक वित्तीय परिणाम कम्पनी की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते है। आवधिक वित्तीय परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों मे प्रकाशित किए जाते है जैसा कि इस रिपोर्ट में ''संचार के साधन'' के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। कंपनी के शेयरधारकों को ई–मेल के माध्यम से त्रैमासिक आधार पर कंपनी के निष्पादन से अवगत भी कराया जाता है।

3) **लेखा परीक्षा अर्हता** : कंपनी का प्रयास सदा ही गैर–अर्हक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का रहा है।

4) **अध्यक्ष और सीईओ के पृथक पद** : कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद को एक ही व्यक्ति को धारित किया जाता है जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से नियुक्त किया जाता है।

5) **आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग** : श्री विजय कुमार, कार्यपालक निदेशक (वित्त) कम्पनी के आंतरिक लेखापरीक्षक है। कंपनी के संगठन ढांचे के अनुसार श्री विजय कुमार कंपनी के निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट कर रहे हैं।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17(18) के अनुपालन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणन

सेवा में,
निदेशक मंडल,
एनएचपीसी लिमिटेड,
फरीदाबाद।

(क) हमने दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुई अवधि के लिए वित्तीय विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हम अपने पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार प्रमाणित करते हैं कि :

(1) इन विवरणों में भौतिक दृष्टि से कोई असत्य जानकारी नहीं है या किसी भौतिक तथ्य को छिपाया नहीं गया है अथवा कोई भ्रमित करने वाली सामग्री शामिल नहीं की गई है।

(2) इन विवरणों से कंपनी के कार्यों का सत्य एवं न्यायोचित, दोनों ही तरह के स्वरूप का पता चलता है और ये मौजूदा लेखा मानकों, प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।

ख) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के दौरान कंपनी ने कोई ऐसा कारोबार नहीं किया, जो कपटपूर्ण, गैरकानूनी हो अथवा कंपनी की आचार संहिता के विपरीत हो।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को कायम करने और बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं और यह भी कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की सक्षमता का मूल्यांकन किया है और हमने इन आंतरिक नियंत्रणों के संचालन में पायी गई खामियों, यदि कोई हो, जिसका हमें पता चला हो, तथा ऐसी खामियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए कदमों या प्रस्तावित उपायों की जानकारी लेखा–परीक्षकों और लेखा–परीक्षा समिति को दी है।

घ) हमने लेखा–परीक्षकों और लेखा–परीक्षा समिति को निम्नांकित जानकारी दी है :

i. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक नियंत्रण में महत्त्वपूर्ण बदलाव।

ii. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन, जिनकी जानकारी वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियों में भी दी गई है; और

iii. धोखाधड़ी के महत्त्वपूर्ण मामले जो हमारे सामने आये हों और उनमे प्रबंधन या कोई ऐसा कर्मचारी शामिल रहा हो जिसकी कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही हो।

हस्ता/–
(महेश कुमार मित्तल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 02889021

हस्ता/–
(अभय कुमार सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 08646003

स्थान : फरीदाबाद
तारीख : 27 जून, 2020

अनुबंध - II

कारपोरेट अभिशासन प्रमाणपत्र

सेवा में
सदस्यगण,
एनएचपीसी लिमिटेड,

हमने **एनएचपीसी लिमिटेड** (''कंपनी'') द्वारा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (जिन्हें एतद्पश्चात ''सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015'' कहा गया है) के विनियम 17 से 27, 46 (2)(ख) से (झ) और अनुसूची 5 के पैरा ग तथा घ और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों हेतु कारपोरेट अभिशासन संबधी दिशा–निर्देशों में विहित किए गए अनुसार की है।

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उक्त खंड तथा दिशानिर्देशों में यथा विहित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं उसके कार्यान्वयन के तरीकों तक ही सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की न तो लेखा–परीक्षा है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति।

हमारे मतानुसार तथा हमारी श्रेष्ठ जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17 से 27, 46 (2)(ख) से (झ) और अनुसूची 5 के पैरा ग तथा घ और लोक उद्यम विभाग संबधी दिशा–निर्देशों में विहित किए अनुसार किया है, सिवाय निम्नलिखित के :

1. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क) के अनुसार तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के दूसरे परंतुक के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना में 18.11.2019 से 31.3.2020 की अवधि के दौरान महिला स्वतंत्र निदेशक तथा महिला निदेशक शामिल नहीं थी।

2. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क) के अनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल में 18.11.2019 से 31.3.2020 की अवधि के दौरान गैर–कार्यकारी निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी तथा लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 के अनुसार 18.11.2019 से 31.3.2020 की अवधि के दौरान कार्यात्मक निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की वास्तविक जनशक्ति के 50: से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) तथा लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 में 18.11.2019 से 31.3.2020 की अवधि के दौरान कम्पनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या थी।

4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 25(4) के अनुसार स्वतंत्र निदेशक अपने बैठक में निम्नलिखित कार्य करेंगे।

   (क) गैर–स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के समग्र निष्पादन की समीक्षा;

   (ख) कार्यकारी निदेशकों तथा गैर–कार्यकारी निदेशकों के मतों पर विचार करते हुए सूचीबद्ध निकाय के अध्यक्ष के निष्पादन की समीक्षा।

5. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची–2 भाग घ (क) के साथ पढ़े जाने वाले विनियम 19(4) के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति किसी निदेशक की अर्हता, सकारात्मक गुणों तथा स्वतंत्रता के निर्धारण हेतु मानदण्ड निरूपित करना।

6. *सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 23(2) के अनुसार कम्पनी से एनएचपीसी लिमिटेड एवं लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) के मध्य एलटीएचपीएल को परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए किए गए करार के निष्पादन से पूर्व लेखापरीक्षा समिति से अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है।*

हम आगे सूचित करते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के गैर–अनुपालन हेतु मौद्रिक जुर्माने लगाए हैं जिनके विरूद्ध कंपनी ने छूट हेतु अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।

हम आगे यह भी बताते है कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की किसी भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही ऐसी सक्षमता या प्रभावकारिता का, जिसके साथ प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों का संचालन किया जाता है।

कृते अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएटस
कंपनी सचिव
आईसीएसआई अनूठा कोड : पी2003डीईओ49100
हस्ता./–
सी एस सचिन अग्रवाल
भागीदार
एफसीएस सं. : 5774
सीपी सं. : 5910

दिनांक : 16 जुलाई, 2020
स्थान : नई दिल्ली
यूडीआईएन : एफ00574बी000462307

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

1. उद्योग ढांचा और विकास

भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत विश्व की तीव्रतर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संवहनीय विकास के लिए पर्याप्त अवसंरचना का आस्तित्व एवं विकास एक अनिवार्य आवश्यकता है। आर्थिक विकास एवं राष्ट्र कल्याण के लिए विद्युत सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवसंरचना घटक है। भारत के विद्युत सेक्टर को विश्व के सर्वाधिक विविधता प्राप्त सेक्टरों में स्थान प्राप्त है। विद्युत सेक्टर में उत्पति, प्रेषण एवं वितरण उपयोज्यताओं की प्रकियाएं की जाती हैं। विद्युत उत्पति के स्रोतों की रेंज कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, ऑयल, हाइड्रो एवं परमाणु ऊर्जा जैसे पारम्परिक स्रोतों से लेकर हवा, सौर एवं कृषि तथा घरेलू अपशिष्ट जैसे व्यवहार्य गैर–पारम्परिक स्रोत है।

देश में विद्युत की मांग पिछले कुछ वर्षों से तेजी से बढ़ रही है और भविष्य में इसके और अधिक बढ़ने की संभावना है। भारत सरकार द्वारा "पावर फॉर ऑल" की ओर ध्यान केन्द्रित किए जाने से संस्थापित उत्पति क्षमता में संवर्धन के साथ देश में बिजली की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए क्षमता संवर्धन कार्यक्रम में तेजी आई है। भारतीय विद्युत सेक्टर में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं जिससे उद्योग की प्रत्याशाएं पुनःपरिभाषित हुई हैं। 31 मार्च, 2020 के अनुसार भारत में सभी पावर स्टेशनों की कुल स्थापित क्षमता 3,70,106 मेगावाट है जिसमें तापीय, जल, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा परमाणु विद्युत का योगदान क्रमशः 2,30,600 मेगावाट, 45,699 मेगावाट (4,785 मेगावाट पम्पड स्टोरेज स्कीम सहित), 87,027 मेगावाट और 6,780 मेगावाट है।[1] वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान देश में परंपरागत स्रोतो से कुल विद्युत उत्पादन 1,252.61 बिलियन यूनिट था जबकि इसकी तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यह 1,249.33 बिलियन यूनिट था जो 0.26 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।[2]

2. भारत में जलविद्युत संभाव्यताः

जल प्रकृति का एक अमूल्य नवीकरणीय उपहार है जिसका उपयोग कम लागत की विद्युत उत्पति के लिए किया जा सकता है। हमारा देश एक व्यापक जलविद्युत संभाव्यता से भरा पड़ा है और व्यवहार्य जलविद्युत क्षमता हेतु विश्व के शीर्ष देशों में शामिल है, जिसमें से अधिकांश का उपयोग अभी नहीं हुआ है। देश की जलविद्युत संभाव्यता के पुनःआंकलन अध्ययन को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 1987 में पूरा किया गया था। अध्ययन के अनुसार स्थापित क्षमता के रूप में जलविद्युत संभाव्यता 1,48,701 मेगावाट होने का अनुमान है जिसमें से 1,45,320 मेगावाट संभाव्यता में 25 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता वाले योजनाएं शामिल हैं। अतः भारत के जलविद्युत उत्पादन का परिदृश्य औद्योगिक उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि और सभी को 24x7 विद्युत मुहैया करवाने की भारत सरकार के लक्ष्य को देखते हुए काफी अच्छा दिखता है। एनएचपीसी को देश की जलविद्युत की संभाव्यता के दोहन में एक प्रमुख भूमिका निभानी है।

3. जलविद्युत क्षेत्र को बढावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायः

भारत सरकार ने प्रत्येक को स्वच्छ और वहनीय विद्युत प्रदान करने के लिए विद्युत सेक्टर में समावेशी विकास के अनेक उपक्रम किए हैं। इस दिशा में नवीन हाइड्रो नीति भी एक ऐसी ही पहल है जिसमें भारत सरकार ने ढेरों ऐसे उपायों के लिए मंजूरी प्रदान की है जिनमें इसके साथ साथ बड़ी हाइड्रोपावर परियोजनाओं अर्थात 25 मेगावाट से अधिक की क्षमता वाली परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में शामिल किए जाने की घोषणा का भी समावेश है। हाइड्रो क्रय दायित्व (एचपीओ) के प्रावधानों को गैर–सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) में एक अलग इकाई के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिससे फोस्सिल ईंधन इत्यादि पर आश्रिता कम करके वितरक कम्पनियों (डिस्कॉम्स) से नियत राशि की हाइड्रो विद्युत का क्रय करने की अपेक्षा की गई है। मूल्यसूची को संगत बनाने के उपाय भी अधिसूचित किए गए हैं जिनके अंतर्गत विकासकों को 40 वर्ष का परियोजना उपयोज्यता काल बढ़ाने के पश्चात मूल्यसूची की बैक लोडिंग करके मूल्यसूची का निर्धारण करने की अनुमति प्राप्त हुई है। उपरोक्त के अलावा, हाइड्रो परियोजना के बाढ़ संयमन घटक और अवसंरचना अर्थात सड़क/ पुलों को सक्षम बनाने की लागत के लिए बजटीय समर्थन भी बढ़ाया जाएगा।

इसके अलावा, हाइड्रोपावर परियोजनाओं के समय और लागत की अधिकता को कम करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने अनुपालन के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सनसेट तिथि, समय–निर्धारण, विवाद समाधान, डेलीगेशन बढ़ाए जाने, अंतर्राष्ट्रीय उत्तम व्यवहारों का उपयोग करने, समय पर निपटान और परियोजना के मापदंड समय पर प्राप्त करने के लिए श्रमिक प्रोत्साहन शामिल हैं।

4. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डिस्कामों को विद्युत की आपूर्ति करने वाले अंतर्राज्यीय उत्पादकों के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्रव्यवस्था के सुनिश्चय के उद्देश्य से किए गए उपाय

भुगतान सुरक्षा तंत्रव्यवस्था के अंतर्गत डिस्कामों से उत्पादन कम्पनियों को साख पत्र (एलसी) देने की अपेक्षा के प्रावधान की व्यवस्था विद्युत क्रय करार (पीपीए) में की गई है। तथापि, विशाल बकाया देयताओं वाले डिस्काम एलसी उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। विद्युत मंत्रालय ने अपने आदेश के माध्यम से भुगतान तंत्रव्यवस्था के लिए पर्याप्त एलसी की आवश्यकता पर पुनः बल दिया है। राष्ट्रीय लोड प्रेषण केन्द्र (एनएलडीसी)/ क्षेत्रीय लोड प्रेषण केन्द्र (आरएलडीसी) को ये निदेश दिए गए थे कि डिस्कामों को विद्युत की आपूर्ति केवल उत्पादक

[1] स्रोत : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

[2] स्रोत : विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट

कम्पनियों (जेनको) से इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर ही करें कि विद्युत की अपेक्षित मात्रा के अनुरूप एलसी की आवश्यकता की पूर्ति डिस्काम द्वारा कर दी गई है। अल्पकाल अर्थात एक सप्ताह / पखवाड़ा की एलसी के लिए भी अनुमति प्रदान की गई है। किसी प्रकार की स्थिति के लिए इलैक्ट्रानिक माध्यम से एक दिन के लिए बिजली क्रय का अग्रिम भुगतान करने की अनुमति भी दी गई है।

उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप 1 अगस्त, 2019 के पश्चात से उत्पादक कम्पनियों को डिस्काम्स से बिजली का समय पर भुगतान प्राप्त होने का सुनिश्चय किया जा सका है।

5. सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2019

सीईआरसी ने मार्च, 2019 में सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 जारी किए हैं जो 2019–24 की अवधि हेतु लागू होंगे। उक्त विनियमों के अनुसार जलविद्युत परियोजनाओं के कुछ लाभ निम्नानुसार हैं:

- निर्धारण तिथि अब वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) के कैलेंडर माह के अंत से 36 माह की मानी जाएगी।
- परियोजना हेतु सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब (सिवाय जहां विलंब परियोजना डेवलपर के कारण है) को "बाध्यकारी घटना" की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
- दण्डात्मक ब्याज को लगाए जाने हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण में वृद्धि 5 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो गई है (अर्थात लाभग्राहियों को अतिरिक्त एएफसी की प्रतिपूर्ति हेतु बैंक दर का 1.2 गुणा और लाभग्राहियों से एफसी की वसूली हेतु बैंक दर का एक गुणा)।
- भूमि अधिग्रहण (सिवाय जहां विलंब उत्पादक कंपनी के कारण है के)को लागत तथा समय आधिक्य के विश्लेषण हेतु एक "अनियंत्रणीय कारक" माना जाएगा।
- पुराने संयंत्रों हेतु ओ एण्ड एम व्यय – पुराने पावर स्टेशनों हेतु अनुमेय नामितिक ओएण्डएम व्ययों में मजदूरी संशोधन, न्यूनतम मजदूरी और जीएसटी का प्रभाव शामिल नहीं है जिसकी अनुमति अलग से दी जाएगी।

6. क्षमता, कमजोरी, अवसर, खतरा (एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण

(i) क्षमताएं :

- **जलविद्युत परियोनाओं के क्रियान्वयन में विशेषज्ञता में स्थापित ट्रैक रिकार्ड :**

  एनएचपीसी के पास जलविद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में एक प्रचुर अनुभव तथा विशेषज्ञता है। एनएचपीसी का सक्षम एवं प्रतिबद्ध कर्मियों का एक दल है जिनके पास जलविद्युत परियोजनाओं की अवधारणा से लेकर प्रचालन तक इस उद्योग में व्यापक अनुभव है। उनके कौशल, उद्योग संबंधी ज्ञान और प्रचालन–अनुभव से कम्पनी को प्रतिस्पर्धा में काफी आगे रहने में मदद मिलती है।

- **आंतरिक डिजाइन और अभियांत्रिकी तथा भू–तकनीकी अध्ययन सहित अवधारणा से चालू किए जाने की क्षमताएं**

  एनएचपीसी के पास अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक के लिए जलविद्युत क्षेत्र में 44 वर्षों का अनुभव है। हाइड्रोपावर सेक्टर में व्यापक अनुभव से युक्त एनएचपीसी का डिजाइन प्रभाग अपनी विभिन्न परियोजनाओं / पावर स्टेशनों की डिजाइन और इंजीनियरिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्पित है। एनएचपीसी की विविध क्षेत्रों यथा सर्वेक्षण, ड्रिलिंग, हाइड्रोलॉजी, भूविज्ञान, भूभौतिकी, निर्माण सामग्री सर्वेक्षण, सिविल, इलेक्ट्रिकल और एचएम डिजाइन, पर्यावरण, निर्माण प्रबंधन, परिचालन एवं अनुरक्षण, मौजूदा पावर स्टेशनों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण में व्याप्त आंतरिक तकनीकी क्षमताओं से अन्य भारतीय जलविद्युत कम्पनियों की तुलना में महत्व प्राप्त हुआ है। आंतरिक गहन अनुभव एवं तकनीकी विशेषज्ञता से एनएचपीसी माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि ट्रिब्यूनल के माध्यम से मानक ब्राउनफील्ड हाइड्रो–परियोजनाओं का अधिग्रहण करने में सफल हुई है। एनएचपीसी अत्याधुनिक जियोफिजिकल उपकरणों से लैस है जिससे यह सब–सरफेस जियोलॉजिकल स्थितियों में सतह से फेस टनलिंग मीडिया के आगे पूर्वानुमान लगा सकता है। एनएचपीसी ने अपने तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत जियो तकनीकी प्रयोगशाला, रिमोट सेंसिंग प्रयोगशाला, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशला, रियल टाइम भूंकपीय डाटा केन्द्र इत्यादि जैसी उत्कृष्ट प्रयोगशालाओं की स्थापना की है।

- **निर्माण तथा प्रचालन में व्यापक अनुभव**

  एनएचपीसी के पास कई भू–तकनीकी चुनौतियों से निपटते हुए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जटिल भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में जलविद्युत परियोजनाओं के विकास में व्यापक अनुभव तथा विशेषज्ञता है। इसने अगम्यता, खराब लॉजिस्टिक्स, प्रतिकूल जलवायु एवं प्रौद्योगिकीय बाधाओं जैसी विभिन्न चुनौतियों वाले सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में अवस्थित कुछ जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। एनएचपीसी के पास पावर स्टेशनों के प्रभावी प्रचालन में प्रमाणित अनुभव है विशेष रूप से गाद प्रवण हिमालयी क्षेत्र में । वर्तमान में एनएचपीसी 44 मेगावाट से 690 मेगावाट की विभिन्न स्थापित क्षमताओं के 20 जल पावर स्टेशनों का सफलतापूर्वक प्रचालन कर रहा है।

- **दृढ़ वित्तीय स्थिति**

  जलविद्युत उत्पादन विद्युत उत्पादन का अत्यधिक पूंजी प्रधान माध्यम है जिसके लिए दृढ़ वित्तीय स्थिति की आवश्यकता होती है। एनएचपीसी की प्रदत्त शेयर पूंजी 10,045.03 करोड़ रूपए तथा निवेश आधार 64,613.52 करोड़ रूपए से अधिक का है तथा इसके सूचीबद्ध बॉण्ड हेतु उच्चतम क्रेडिट रेटिंग, इसकी मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाती है। इस प्रकार एनएचपीसी बड़ी पूंजी प्रधान जलविद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए पर्याप्त रूप से दक्ष है।

- **दृढ़ प्रचालन निष्पादन**

एनएचपीसी कुल स्थापित क्षमता 7071 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं को विकसित तथा कार्यान्वित करने में सफल रहा है। इन परियोजनाओं में 22 जलविद्युत परियोजनाओं (इसकी अनुषंगी कंपनी अर्थात एनएचडीसी के माध्यम से दो सहित), एक सौर विद्युत परियोजना और एक पवन विद्युत शामिल है। इस प्रकार अपने पावर स्टेशनों के बेड़े के साथ एनएचपीसी भारत में जलविद्युत क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी है।

(ii) अवसर :

- **दोहन न की गई जलविद्युत संभाव्यता**

भारत में अत्यधिक जलविद्युत संभाव्यता मौजूद है। खराब होते जलीय–तापीय मिश्रण, अधिकतम मांग में वृद्धि और आवृत्ति में अंतरों ने नीति निर्माताओं का ध्यान जलविद्युत के विकास के प्रति आकर्षित करने के लिए बाध्य किया है। भारत की दोहन न की गई व्यापक जलविद्युत संभाव्यता, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जलविद्युत विकास हेतु अवसर मुहैया करवाती है। आपकी कंपनी के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसकी मौजूदगी तथा इसकी क्षमताओं के मद्देनजर आने वाले वर्षों में अपनी क्षमता में दोहन न की गई जलविद्युत संभाव्यता को जोड़ने का एक अवसर है।

- **जलविद्युत परियोजनाओं को पूरा करने की एनएचपीसी की सतत क्षमता**

पिछले कुछ वर्षों में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा दर्शायी गई शक्ति, जहां अधिकांश अन्य कंपनियां आमतौर पर विफल हो रही हैं, जलविद्युत क्षेत्र में आशा की एक किरण जगाती है। जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में एनएचपीसी की विशिष्टता से इसके लिए विकास के नए द्वार निर्मित हो रहे है। एनएचपीसी को देश के आर्थिक विकास में योगदान के लिए सीआईआरपी प्रक्रिया के माध्यम से ऋणग्रस्त जलविद्युत कम्पनियों का अधिग्रहण करके बंद पड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को फिर से चालू करने का अवसर मिला है। एनएचपीसी ने पहले ही सीआईआरपी प्रक्रिया के माध्यम से एलटीएचपीएल (सिक्किम में तीस्ता–VI जलविद्युत परियोजना का विकास में कार्यरत) का अधिग्रहण जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (सिक्किम में रंगित–IV जलविद्युत परियोजना के लिए कार्यरत) के सफल समाधान आवेदक के रूप में प्राप्त कर लिया है जो माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि ट्रिब्यूनल द्वारा दिए जाने वाले अनुमोदन के अध्याधीन है।

- **नवीकरणीय ऊर्जा**

भारत सरकार ने 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा में 175 गीगावॉट क्षमता प्राप्त करने के लिए अपना रोडमैप जारी किया है, जिसमें 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा, 60 गीगावॉट पवन ऊर्जा और शेष अन्य 3 से सम्बद्ध है। एनएचपीसी के व्यावसायिक अवसरों को भारत सरकार द्वारा जलविद्युत विकास के उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित किए जाने तथा हाइड्रो क्रय दायित्व (एचपीओ) की शुरूआत किए जाने से शक्ति प्राप्त हुई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने हाल ही में केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के सहयोग से बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा पार्क (यूएमआरईपीपी) योजना की रूपरेखा तैयार की है। एनएचपीसी विभिन्न संभावित समृद्ध राज्यों जैसे ओडिशा, तेलंगाना, राजस्थान आदि में योजना के लाभ उठाने के लिए सौर पार्कों/फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं (>50 मेगावाट) को विकसित करने के संभावित अवसरों का अंवेषण कर रहा है।

- **ग्रिड संतुलन अपेक्षा**

जलविद्युत परियोजनाएं, जो अक्सर सुदूर क्षेत्रों में स्थित होती हैं, ग्रिड की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत में 175 गीगावॉट की नवीकरणीय क्षमता जोड़ने की योजना है। थर्मल पावर प्लांट की तुलना में जलविद्युत परियोजनाएं पीक लोड को पूरा करने के लिए उत्तम हैं। थर्मल पावर प्लांट की तुलना में इन्हें तेजी से चालू और बंद किया जा सकता है। यह ग्रिड को सौर और पवन से अनिरंतर आपूर्ति के कारण होने वाले उतार–चढ़ाव को वहन में मदद करता है। एनएचपीसी स्वच्छ, हरित और संवहनीय हाइड्रोपावर की उत्पति कर रहा है जिससे विद्युत की अत्यधिक मांग को कम करने में मदद मिलती है। जलपावर स्टेशनों की इस क्षमता की प्रस्तुति 5 अप्रैल, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री की '9 बजे 9 मिनट' की पहल के दौरान राष्ट्रीय ग्रिड की स्थिरता के लिए कोविड 19 महामारी के प्रति विजय प्राप्ति के ''सामूहिक संकल्प' के दौरान की गई थी।

(iii) खतरे/चुनौतियां/चिंताएं

- **समय तथा लागत आधिक्य**

समय तथा लागत आधिक्य जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए एक प्रमुख चिंता है। अधिकांश जलविद्युत परियोजनाएं आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित हैं जो भू–स्खलन, पहाड़ के ढलान के टूट जाने, मार्ग अवरूद्ध होने, बाढ़, बादल फटने आदि जैसी विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं के कहर का शिकार बनते हैं। ये आपदाएं निर्माण कार्यक्रम में गंभीर अवरोध उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त, व्यापक सर्वेक्षण तथा जांच के बावजूद भू–वैज्ञानिक अनिश्चितताओं से निपटा जाना होगा विशेष रूप से हेड रेस टनल जैसी लंबी सुरंगों में। एनएचपीसी ने अपने समृद्ध अनुभव तथा विशेषज्ञता और साथ में उन्नत प्रौद्योगिकी से विगत में कई बार ऐसे आश्चर्यों से पार पाया है। तथापि, ये आम न होने वाली और अनुमान न लगाई जा सकने वाली भू–वैज्ञानिक अनिश्चिताएं समय तथा लागत आधिक्य में परिणत हो सकती हैं।

- **समय लगने वाली स्वीकृति प्रक्रिया**

किसी जलविद्युत परियोजना में कार्यान्वयन से पूर्व कई एजेंसियों से विभिन्न सांविधिक तथा साथ ही साथ गैर–सांविधिक स्वीकृतियां अपेक्षित होती है। आमतौर पर कई संगठन और

राज्य स्वीकृति प्रक्रिया में शामिल होते है। अतः अपेक्षित स्वीकृतियों को प्राप्त करना जटिल, कठिन और समय लगने वाली प्रक्रिया बन चुका है जो कई बार परियोजना कार्यान्वयन में असामान्य विलंब में परिणत होता है। कई परियोजनाएं एक से अधिक संगठनों, राज्यों आदि के शामिल होने के चलते लंबी स्वीकृति प्रक्रियाओं के कारण अवरूद्ध हो जाती है।

- **विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) को करने में कठिनाइयां**

  नई जलविद्युत परियोजनाओं हेतु टैरिफ उच्च प्रारंभिक निवेश के कारण अपेक्षाकृत रूप से अधिक होता हैं। लाभार्थी अपनी अतिरिक्त विद्युत आवश्यकता को अल्पावधि आधार पर विद्युत एक्सचेंज या ई–खरीद के माध्यम से खरीदने को प्राथमिकता देते हैं बजाए दीर्घावधि/मध्यम अवधि के पीपीए का विकल्प चुनने के। वर्तमान के विद्युत व्यापार परिदृश्य में उच्चतर टैरिफ होने वाली परियोजनाओं से ऊर्जा की बिक्री कठिन होती जा रही है। एनएचपीसी को भी नई परियोजनाओं से दीर्घावधि पीपीए के माध्यम से विद्युत के प्रेषण में कठिनाइयां आ रही हैं।

- **उच्च प्रारंभिक लागत/टैरिफ**

  जलविद्युत परियोजनाओं के विकास में लम्बी प्रतीक्षा अवधि शामिल होती है तथा इनके लिए व्यापक प्रारंभिक निवेश आवश्यक होता है जो उच्च प्रारंभिक टैरिफ में परिणत होता है। जलविद्युत परियोजनाओं के नकदी प्रवाह और प्रचालनों के परिणाम समय–समय पर सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियमों के अनुसार अंतर के अधीन भी होते हैं।

- **कानून एवं व्यवस्था**

  संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों और सुदूर स्थलों में अवस्थित एनएचपीसी की कुछ परियोजनाएं/पावर स्टेशन कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं का सामना भी करते है। इससे इन स्थानों पर तैनात अधिकारियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है।

- **जलविद्युत परियोजनाओं का विरोध**

  भारत में जलविद्युत परियोजनाओं को कुछ दबाव डालने वाले समूहों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है जिसने जलविद्युत विकासकर्ताओं के मध्य यह आशंका उत्पन्न कर दी है कि इसके चलते उनकी परियोजनाओं में विलंब होगा और यह समय तथा लागत आधिक्य में परिणत होगा।

- **पीएसयू के प्रवेश को बाधित करने वाली राज्य की जलविद्युत नीतियां**

  जल भारत के संविधान के अंतर्गत एक राज्य का विषय है। कई राज्यों की जलविद्युत नीतियां डेवलपरों को जलविद्युत परियोजना के आवंटन हेतु एकमुश्त प्रीमियम के भुगतान, अपेक्षित निःशुल्क विद्युत के अलावा निःशुल्क विद्युत आदि का प्रावधान करती है। सीपीएसयू को जलविद्युत परियोजनाएं प्राप्त करने में कठिनाई होती है क्योंकि वे भारत सरकार के मानदण्डों का पालन करते हैं।

- **कुछ संविदाकारों पर निर्भरता**

  जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में जनशक्ति, मशीनरी तथा धन के प्रचुर मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है। भारत में ऐसे कुछ ही संविदाकार हैं जो इसे पूरा कर सकते हैं, विशेष रूप से सुदूर तथा कठिन स्थलों पर जहां पहुंच एक प्रमुख मुद्दा है। इस क्षेत्र में निष्पादन में समर्थ होने वाले संविदाकारों की एक सीमित श्रृंखला से हमारी निर्भरता केवल कुछ ही संविदाकारों पर बढ़ जाती है।

7. जोखिम और चिंताएं

आपकी कंपनी की एक सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीति है जो कंपनी के जोखिम प्रबंधन हेतु समग्र ढांचा मुहैया करवाती है। कंपनी के व्यापार पर बाधक प्रभाव हो सकने वाले कुल 54 प्रमुख जोखिमों की पहचान उनके प्रशमन उपायों के साथ की गई है और उन्हें जोखिम रजिस्टर में दर्ज किया गया है। प्रत्येक जोखिम हेतु जोखिम समन्वयक की पहचान की गई है, जो इन जोखिमों के प्रबंधन हेतु समय पर कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी है। एक बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है जिसमें स्वतंत्र और कार्यात्मक निदेशक शामिल है और जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका बोर्ड की प्रमुख जोखिमों के प्रबंधन में सहायता करना और साथ ही साथ वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए संगठन के प्रचालनों के साथ सामरिक उद्देश्यों का संरेखण करने की भी है। जोखिम प्रबंधन समिति आगे यह सुनिश्चित करती है कि चिन्हित जोखिमों के प्रबंधन के लिए उचित प्रणालियां मौजूद हों ताकि संगठन की परिसंपत्तियों का उचित रूप से बचाव किया जा सके।

जोखिम प्रबंधन समिति की सहायता जोखिम आकलन समिति द्वारा की जाती है जिसमें मुख्य जोखिम अधिकारी और प्रमुख विभागों/क्षेत्रों के अन्य प्रमुख शामिल होते हैं। जोखिम आकलन समिति मुख्य जोखिमों की पहचान करने, प्रशमन उपायों को सुझाने, जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी/पर्यवेक्षण करने के कार्य को करती है। विभाग/क्षेत्र/परियोजना/पावर स्टेशन के प्रमुख चिन्हित जोखिमों तथा उसके प्रशमन उपायों पर जोखिम आकलन समिति द्वारा जारी किए गए निदेशों का कार्यान्वयन तथा समीक्षा करते हैं।

8. परिदृश्य

आपकी कंपनी भारत की प्रमुख जलविद्युत उत्पन्न करने वाली कंपनियों में से एक है और इसकी क्षमता देश की कुल हाइड्रो क्षमता के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है। आपकी कंपनी की प्राथमिकता वहनीय और भरोसेमंद विद्युत प्रदान करके देश की तीव्र विकासशील अर्थव्यवस्था अपना योगदान देना है। वर्तमान में, कंपनी कुल स्थापित क्षमता 4,924 मेगावाट की पांच जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्य कर रही है, जिसमें 2 जलविद्युत परियोजनाएँ यथा सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना (2,000 मेगावाट) और पार्बती–II जलविद्युत परियोजना (800 मेगावाट) एकल आधार पर निष्पादित की

जा रही हैं और 3 जलविद्युत परियोजनाएं अर्थात तीस्ता–VI जलविद्युत परियोजना (500 मेगावाट), पकल दुल जलविद्युत परियोजना (1,000 मेगावाट) और किरू जलविद्युत परियोजना (624 मेगावाट) को सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। इसके अलावा, 8,211 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली परियोजनाएं स्वीकृति/अनुमोदन चरण में हैं और 449 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली एक परियोजना सर्वेक्षण और जांच चरण में है। एनएचपीसी विद्युत व्यापार व्यवसाय में निवेश करने के अलावा विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ अपने पोर्टफोलियो में विविधता ला रहा है। एनएचपीसी ने पवन और सौर ऊर्जा की एक–एक परियोजना को पहले ही चालू कर दिया है। स्वीकृति/अनुमोदन चरण की परियोजनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तृत विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है।

आपकी कंपनी ने अपनी धरणीय वृद्धि के लिए अभियांत्रिकी के क्षेत्र में नए प्रौद्योगिकियों को अपनाकर प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक सुव्यवस्थित किया है। एनएचपीसी ने निर्माण समय विलंब तथा साथ ही साथ लागत आधिक्य को कम करने के लिए समकालीन व्यवहारों को भी लागू किया है। वर्तमान में कपंनी के सभी पावर स्टेशनों के प्रचालन या तो अर्ध अथवा पूर्ण रूप से स्वचालित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से निरीक्षण निर्माण पर्यवेक्षण, चालू किए जाने के पश्चात निगरानी और बाधामुक्त प्रचालन को सुनिश्चित किया तथा इसमें वृद्धि की जाती है। कई पावर स्टेशन स्काडा प्रणालियों के साथ उन्नत वितरित नियंत्रण प्रणालियों से लैस हैं। एनएचपीसी अपने कुछ पावर स्टेशनों के सुदूर प्रचालन को भी करने जा रहा है। वर्ष 2019–20 के दौरान, अपने दो पावर स्टेशनों अर्थात तीस्ता लो डैम–III पावर स्टेशन और तीस्ता लो डैम–IV पावर स्टेशन का सुदूर नियंत्रित परिचालन क्षेत्रीय कार्यालय, सिलीगुड़ी से किया गया था।

9. खंड–वार अथवा उत्पाद–वार कार्य–निष्पादन

विद्युत उत्पादन कम्पनी का प्रमुख व्यापार है। अन्य प्रचालन अर्थात संविदाएं, परियोजना प्रबंधन और परामर्श "प्रचालनशील रिपार्टिंग" संबंधी इंड एएस–108 के अनुसार एक सूचना योग्य खंड नहीं बनते हैं। कम्पनी का एकमात्र भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर अवस्थित हैं।

10. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

आपकी कम्पनी द्वारा क्रियाकलापों के निर्बाध एवं कार्यकुशल व्यवसाय संचलन के लिए सुदृढ़ आंतरिक व्यवस्था स्थापित की गई है तथा सम्बद्ध विधियों एवं विनियमों का अनुपालन किया जा रहा है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में ऊपर से नीचे के स्तर के लिए स्थपित किया गया है जो निर्णय निर्धारण में सहायक होता तथा इसकी आवधिक समीक्षा करके इसका संरेखण बदलते हुए व्यावसायिक परिवेश के साथ और निर्णय निर्धारण में तीव्रता लाने के उद्देश्य से किया जाता है।

कंपनी का एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जिसके प्रमुख कोई वरिष्ठ अधिकारी होता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के अनुपालन में, बोर्ड ने श्री विजय कुमार, कार्यपालक निदेशक (वित्त) को कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया हैं। विभाग में आवधिक रूप से तथा प्रबंधन द्वारा आवश्यकता अनुसार विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए दक्ष तथा अनुभवी कार्यबल मौजूद है।

लेखापरीक्षा अभिमतों का एक सार और की गई कार्रवाई रिपोर्टों को लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जा रहा है और इसकी सिफारिशों का उचित रूप से अनुपालन किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुपालन में मैसर्स अरूण के. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट को वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के कार्यान्वयन के संबंध में स्वतंत्र आश्वासन मुहैया करवाने के लिए नियुक्त किया गया था। फर्म ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी में मौजूद आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता को स्वीकार किया है।

11. वित्तीय चर्चा और विश्लेषण

(i) प्रचालनों के परिणाम

वित्त वर्ष 2019 की तुलना में वित्त वर्ष 2020 के लिए कम्पनी के लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का एक विस्तृत विश्लेषण निम्नानुसार हैं :

आय

तालिका 1

(करोड़ रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2019
उत्पादन की गई विद्युत यूनिटें (मिलियन यूनिट में)	26126	24430
आय		
(1) ऊर्जा की बिक्री	7,430.81	7,138.24
(2): वित्त पट्टे से आय	203.65	208.28
(3) प्रचालन पट्टे से आय	666.57	748.61
(4) संविदा, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व	27.88	23.85
(5) विद्युत से राजस्व – व्यापार	239.47	12.96
(6) अन्य प्रचालनशील आय	167.03	29.24
प्रचालनों से राजस्व ((1) से (6) का जोड़)	8,735.41	8,161.18
जोड़े : अन्य आय	1036.18	924.78
कुल	9,771.59	9,085.96

वित्तीय वर्ष 2020 में कुल आय वित्त वर्ष 2019 के 9085.96 करोड़ रूपए से 7.55 प्रतिशत बढ़ कर 9771.59 करोड़ रूपए हो गई है, जो मुख्यतः वित्तीय वर्ष 2020 में उत्पादन में वृद्धि, अनुषंगी कंपनियों से लाभांश आय में वृद्धि, विद्युत व्यापार से राजस्व में वृद्धि, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व में वृद्धि के चलते था जिसे विलंब भुगतान अधिभार में कमी, निवेश/ सावधि जमा पर ब्याज में कमी, पिछले वर्षों से संबंधित बिक्री में कमी और प्रचालन पट्टा आय में कमी से समायोजित किया गया था।

ऊर्जा की बिक्री

विद्युत को बल्क उपभोक्ताओं को बेचा जाता है जिसमें मुख्यतः राज्य सरकारों/निजी वितरण कम्पनियों के स्वामित्व वाली विद्युत उपयोगिताएं शामिल होती हैं और ऐसा दीर्घावधि विद्युत क्रय समझौतों के अनुपालन में किया जाता है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा बिजली की दर का निर्धारण पावर स्टेशन वार किया जाता है। सीईआरसी द्वारा अपनी अधिसूचना सं. एल–1/236/2018/सीईआरसी दिनांक 07 मार्च, 2019 के माध्यम से टैरिफ अवधि 2019–24 के लिए मूल्यसूची विनियम तथा समय–समय पर अनुवर्ती संशोधन जारी किए हैं। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा 2019–24 की अवधि हेतु टैरिफ का अनुमोदन लम्बित होने के चलते उक्त अवधि हेतु सिवाय तीस्ता लो डैम–IV पावर स्टेशन के, पावर स्टेशनों के संबंध में सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार बिक्री को अनंतिम रूप से मान्यता दी गई है और ऐसा सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019–24 के अनुरूप पावर स्टेशनों की पूंजी लागत को दुरूस्त करने के प्रति प्रावधान को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

तीस्ता लो डैम–III पावर स्टेशन के मामले में, टैरिफ से संबंधित निर्धारण प्रक्रिया एनएचपीसी और एकल लाभार्थी डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के बीच पारस्परिक रूप से सहमत दर के आधार पर की जा रही है, जो सीईआरसी द्वारा 2019–24 के लिए निर्धारित टैरिफ अधिसूचना से कम है। परस्पर सहमत दर पर ऊर्जा क्रय करार का बकाया अंतिमकरण एवं सीईआरसी द्वारा अनुमोदन, बिक्री की स्वीकृति अस्थाई आधार पर की गई है।

उक्त विनियमों में अन्य बातों के साथ–साथ टैरिफ याचिका दायर करने के उद्देश्य से इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), जो टैरिफ का एक घटक है, को संबधित वित्त वर्ष की प्रभावी कर दर का उपयोग करते हुए सकल रूप दिया जाना होता है। बिक्री को मान्यता प्राप्त करने के प्रयोजन से वित्त वर्ष 2019–20 हेतु प्रभावी कर दर का उपयोग करते हुए आरओई को सकल रूप प्रदान किया गया है।

टैरिफ विनियमों में प्रोत्साहन भी उपलब्ध होते हैं, जिसमें सामान्य वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएएफ) से अधिक संयंत्र उपलब्धता कारक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन, संयंत्र की डिजाइन ऊर्जा (सेकेंडरी ऊर्जा) से अधिक ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन के साथ–साथ ऐसे व्यतिक्रम प्रभारों के रूप में भी प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं जहां कम्पनी का पावर स्टेशन ग्रिड की स्थिरता के अनुरक्षण में अपना योगदान देता है।

बिक्री में विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर (एफईआरवी) के कारण प्रतिपूर्ति और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित पावर स्टेशनों के संबंध में जल उपकर के कारण प्रतिपूर्ति भी शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2020 में, एनएचपीसी ने अपनी संस्थापित क्षमता यानी 5551 मेगावाट से 26126 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया (वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान पार्बती–II जलविद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित 42 एमयू अपुष्ट विद्युत के अतिरिक्त) जबकि वित्त वर्ष 2019 में कम्पनी ने 5551 मेगावाट की संस्थापित क्षमा से 24430 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया था (वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान पार्बती–II जलविद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित 42 एमयू अपुष्ट विद्युत के अतिरिक्त)। तदनुसार, उत्पादित यूनिटों की संख्या में 6.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वित्तीय वर्ष 2020 में औसत बिक्री मूल्य (पिछले साल की बिक्री के घटकों और गृह राज्य को निशुल्क विद्युत को समायोजित करने के पश्चात) बिक्री की गई 22,936 मिलियन यूनिटों हेतु 3.52 रुपए प्रति यूनिट रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2019 में यह बिक्री की गई 21,481 मिलियन यूनिटों हेतु 3.58 रुपए प्रति यूनिट था। वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान, कंपनी ने प्रोत्साहन के प्रति 810.00 करोड़ रूपए अर्जित किए जबकि इसकी तुलना में वित्तीय वर्ष 2019 में यह 747.65 करोड़ रूपए था।

ऊर्जा की बिक्री वित्तीय वर्ष 2019 में 7138.24 करोड़ रूपए से 4.10 प्रतिशत बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2020 में 7430.81 करोड़ हो गई जो मुख्यतः पावर स्टेशनों से अधिक उत्पादन के कारण हुआ। कंपनी का संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) वित्तीय वर्ष 2019 में 84.97 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020 में 84.04 प्रतिशत था।

ऊर्जा की समायोजित बिक्री

ऊर्जा की बिक्री से होने वाली आमदनी में पिछले वर्षों से संबंधित वह बिक्री भी शामिल रहती है जिसे चालू वर्ष में हिसाब में लिया गया है और उन पांच पावर स्टेशनों के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री शामिल नहीं है जिनकी बिक्री को अब इंड–एएस प्रावधानों के अनुरूप प्रचालन/वित्तीय पट्टा माना गया है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार विदेशी ऋणों और उनके लिए ब्याज के भुगतान और ऋण पुनर्भुगतान पर विदेशी मुद्रा की दर में उतार–चढ़ाव से होने वाले परिवर्तनों को भी विद्युत घर/विद्युत इकाइयों के हिसाब में लिया जाता है और लाभार्थियों से उसकी वसूली की जाती है या उन्हें वसूली गयी राशि की वापसी की जाती है। आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार तुलनपत्र जारी करने की तारीख में विदेशी मुद्रा ऋणों पर हुए विनिमय दर में बदलाव की वजह से होने वाले परिवर्तन को लाभ–हानि विवरणी लेखे में समायोजित करने की बजाय लेखे में आस्थगित देयता/परिसंपत्ति के रूप में दिखाया जाता है और बाद में उपभोक्ताओं से उसकी वसूली/ या उसका पुनर्भुगतान करके हिसाब में ले लिया जाता है.।

वर्ष दर वर्ष तुलना की दृष्टि से विगत वर्षों की बिक्री के प्रभाव को ऊर्जा की बिक्री में शामिल नहीं किया गया है ताकि समायोजित ऊर्जा बिक्री के स्तर पर पहुंचा जा सके।

इस प्रकार के समायोजन के पश्चात ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व निम्नानुसार है :

तालिका 2 :

(करोड़ रुपए में)

	वित्त वर्ष 2020	वित्त वर्ष 2019
निवल बिक्री (पट्टा आय सहित)	**8,301.03**	**8,095.13**
घटाएं : पिछले वर्ष की बिक्री	220.05	411.47
ऊर्जा की समायोजित बिक्री	**8,080.53**	**7,683.66**

संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्श कार्यों से राजस्व

इस शीर्ष के अंतर्गत राजस्व में निर्माण संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी संविदाओं से संबंधित कार्य से राजस्व शामिल होता है। इन कार्यों में मुख्यतः चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस, भूटान शाही सरकार की मांगदेच्छू परियोजना, लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड और लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड के संबंध में परामर्शी कार्य शामिल हैं। संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य से आय में 4.03 प्रतिशत बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2019 में 23.85 करोड़ रूपए से वित्तीय वर्ष 2020 में 27.88 करोड़ रूपए हो गई है जो वित्तीय वर्ष 2020 में अधिक क्रियाकलापों के कारण है।

विद्युत व्यापार से राजस्व

इस शीर्ष के अंतर्गत राजस्व में विद्युत व्यापार क्रियाकलाप से राजस्व शामिल होता है जिसे वित्त वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया है। विद्युत व्यापार से राजस्व वित्तीय वर्ष 2019 में 12.96 करोड़ रूपए से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2020 में 239.47 करोड़ रूपए हो गया जो वित्तीय वर्ष 2020 में वृद्धित क्रियाकलापों के कारण है।

अन्य प्रचालन आय

वित्तीय वर्ष 2020 में अन्य प्रचालन आय 167.03 करोड़ रूपए थी अर्थात वित्तीय वर्ष 2019 में 29.24 करोड़ रूपए की तुलना में 471.24 प्रतिशत की वृद्धि। अन्य प्रचालन आय के घटक नीचे दिए गए अनुसार है :

तालिका 3 :

(करोड़ रुपए में)

अन्य प्रचालन आय	वित्त वर्ष 2020	वित्त वर्ष 2019
स्वतः उत्पन्न वीईआर/आरईसी की बिक्री से आय	1.76	14.23
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) के कारण आय	2.53	3.21
लाभार्थी राज्यों से ब्याज	162.74	11.80
कुल	**167.03**	**29.24**

अन्य आय

वित्त वर्ष 2020 में एनएचपीसी की अन्य आय 1036.18 करोड़ थी अर्थात वित्तीय वर्ष 2019 में 924.78 करोड़ रूपए की तुलना में 12.05 प्रतिशत की वृद्धि। अन्य आय के मुख्य घटक तथा उन पर चर्चा नीचे दर्शाई गई है :

तालिका 4 :

(करोड़ रुपए में)

अन्य आय	वित्त वर्ष 2020	वित्त वर्ष 2019
अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण पर ब्याज	55.80	51.19
सावधि जमा राशियों/निवेश पर ब्याज	59.66	99.43
लाभांश (मुख्यतः एक अनुषंगी कंपनी एनएचडीसी से)	489.97	282.47
विलंब भुगतान अधिभार	259.34	303.15
व्यापार बाधा के कारण हानि की बीमा कंपनी से वसूली	-	48.77
पश्च लेखन की आवश्यकता न होनी वाली देयताएं/ प्रावधान	5.22	30.77
बीमा दावे से आय	29.33	5.02
व्युत्पन्न पर मार्क से बाजार लाभ	33.71	-
अन्य विविध आय	103.15	103.98
कुल	1036.18	924.78

सावधि जमा/निवेश पर ब्याज वित्त वर्ष 2019 में 99.43 करोड़ रूपए की तुलना में कम होकर वित्त वर्ष 2020 में 59.96 करोड़ रूपए रह गया है जो वर्ष के दौरान निवेश की गई अधिशेष नकदी में कमी के कारण हुआ।

वित्तीय वर्ष 2020 में मुख्यतः सहायक कंपनी (एनएचडीसी लिमिटेड) में निवेश से 489.97 करोड़ रुपए का लाभांश प्राप्त किया गया जबकि 2019 में इस संबंध में 282.47 करोड़ रुपए मिले थे।

व्यय

तालिका 5

(करोड़ रुपए में)

व्यय	वित्त वर्ष 2020	वित्त वर्ष 2019
विद्युत की खरीद – व्यापार	234.13	12.68
उत्पादन व्यय	901.67	796.85
कर्मचारी लाभ व्यय	1,515.52	1,704.65
वित्त लागत	795.42	894.88
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	1,545.34	1,589.99
अन्य व्यय	1,514.95	1,165.53
कुल व्यय	6,507.03	6,164.58

वित्तीय वर्ष 2020 में कुल व्यय वित्तीय वर्ष 2019 में 6164.58 करोड़

रूपए से 5.56 प्रतिशत बढ़ कर 6507.03 करोड़ रूपए हो गया जो मुख्यतः विद्युत की खरीद – व्यापार में 221.45 करोड़ रूपए की वृद्वि, उत्पादन व्ययों में 104.82 करोड़ रूपए की वृद्धि, अन्य व्ययों में 349.42 करोड़ रूपए की वृद्धि के कारण हुआ था तथा जिसे आंशिक रूप से वित्त लागत में 99.46 करोड़ रूपए की कमी, कर्मचारी लाभ व्यय में 189.13 करोड़ रूपए की कमी तथा मूल्यह्रास और परिशोधन में व्यय में 44.65 करोड़ रूपए की कमी से समायोजित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019 में 67.85 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020 में कुल आय के प्रतिशत के तौर पर हमारा कुल व्यय 66.59 प्रतिशत था।

विद्युत व्यापार हेतु खरीद

विद्युत व्यापार हेतु खरीद में व्यापार के लिए विद्युत की खरीद से संबंधित व्यय शामिल होते हैं। ये व्यय वित्तीय वर्ष 2020 में कुल व्यय का लगभग 3.60 प्रतिशत होते हैं।

उत्पादन व्यय

उत्पादन व्यय में जल उपकर तथा भंडार एवं कलपुर्जों के उपभोग पर व्यय शामिल होते हैं। ये व्यय वित्तीय वर्ष 2020 में कुल व्यय का लगभग 13.86 प्रतिशत थे जबकि व्यय वित्तीय वर्ष 2019 में यह कुल व्यय का लगभग 12.93 प्रतिशत था। वास्तविक रूप में ये व्यय वित्त वर्ष 2019 में 796.85 करोड़ रूपए के प्रति वित्त वर्ष 2020 में 901.67 करोड़ रूपए हो गए थे। उत्पादन व्यय में 104.82 करोड़ रूपए की वृद्धि मुख्यतः जम्मू एवं कश्मीर स्थित कुछ पावर स्टेशनों में अधिक विद्युत उत्पादन के कारण अधिक जल उपकर के कारण हुई।

कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी लाभ व्यय में वेतन तथा मजदूरी, भत्ते, प्रोत्साहन, भविष्य निधि में योगदान, कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षता योजना में अंशदान, वेतन संशोधन का प्रभाव और अन्य कर्मचारी कल्याण निधियों से संबंधित व्यय शामिल हैं। ये व्यय वित्तीय वर्ष 2019 में 27.65 प्रतिशत के प्रति वित्तीय वर्ष 2020 में हमारे कुल व्यय का 23.29 प्रतिशत होते हैं। वास्तविक रूप से कर्मचारी लागत वित्तीय वर्ष 2020 में 189.13 करोड़ रूपए से कम होकर वित्तीय वर्ष 2019 में 1704.65 करोड़ रूपए से वित्तीय वर्ष 2020 में 1515.52 करोड़ रूपए हो गई। यह कमी मुख्यतः वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के वेतनमान के नियमितीकरण के लिए बकाया के भुगतान के कारण है।

31 मार्च, 2020 को एनएचपीसी की वेतन पंजी में 6,131 कर्मचारी थे जबकि 31 मार्च, 2019 को इनकी संख्या 6,753 थी। इनमें से वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2019 में क्रमशः 3501 और 3970 कर्मचारी प्रचालन एवं रखरखाव क्षेत्रों में कार्यरत थे।

वित्त लागत

''वित्त लागत'' में मुख्य रूप से बांडों तथा आवधिक ऋणों पर ब्याज खर्चे शामिल हैं। लेखा बहियों में कंपनी के ऋणों को रुपए में दर्शाया जाता है, इसमें विदेशी मुद्रा (जापानी येन) के उधार भी शामिल हैं। इसके अलावा, वित्त लागत में विदेशी बाजार से लिए जाने वाले ऋणों के लिए गारंटी शुल्क के तौर पर खर्च की गई कुछ राशि शामिल होती है।

वित्त लागत वित्तीय वर्ष 2020 में कुल व्यय का 12.22 प्रतिशत थी जबकि इसकी तुलना में वित्तीय वर्ष 2019 में यह कुल व्यय का 14.52 प्रतिशत था। वित्त लागत वित्तीय वर्ष 2019 में 894.88 करोड़ रूपए से 11.11 प्रतिशत कम होकर वित्तीय वर्ष 2020 में 795.42 करोड़ रूपए हो गई थी। वित्त लागत में कमी मुख्यतः वित्तीय वर्ष 2020 की अंतिम दो तिमाहियों के लिए सुबनसिरी लोअर परियोजना की वित्त लागत के पूंजीकरण के कारण थी जिसे आंशिक रूप से पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में ब्याज के आवंटन के कारण वृद्धि से समायोजित किया गया है।

मूल्यह्रास और परिशोधन

कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार, मूल्यह्रास को स्ट्रेट लाइन पद्धति से हिसाब में लिया जाता है जो परिसंपत्तियों की लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक होता है, इसके लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की 07.03.2019 की अधिसूचना के तहत निर्धारित दरों और विधि का अनुसरण किया जाता है, परंतु इसमें अपवाद वाली कुछ ऐसी मदें भी शामिल नहीं हैं जिन पर मूल्यह्रास परिसंपत्तियों की लागत के 95 प्रतिशत तक और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार विहित दरों या प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित दरों से लिया जाता है।

मूल्यह्रास की लागत में वित्तीय वर्ष 2019 में 1,589.99 करोड़ रूपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020 में 1,545 करोड़ रूपए होने से इसमें 2.81 प्रतिशत लागत कमी आई है। मूल्यह्रास व्ययों की यह कमी मुख्यतः जलविद्युत जनरेटिंग स्टेशनों का उपयोज्यता काल मूल्यसूची विनियम 2019–24 के अनुसार 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष किए जाने के परिणामस्वरूप ऊर्जा स्टेशनों के अतिरिक्त पूंजीकरण से किए गए आंशिक समायोजन एवं वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान किशनगंगा पावर स्टेशन की पूरे वर्ष चालू रहने के कारण है।

कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मूल्यह्रास और परिषोधन व्यय वित्तीय वर्ष 2019 में 25.79 प्रतिशत से कम होकर वित्तीय वर्ष में 23.75 प्रतिशत हो गया है।

अन्य व्यय

अन्य व्ययों में मुख्यतः भवनों तथा संयंत्र तथा मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव, सुरक्षा व्यय, बीमा व्यय, विद्युत प्रभार, सीएसआर, अन्य प्रशासनिक ऊपरी खर्चे, प्रावधान आदि शामिल है। ये व्यय वित्तीय वर्ष 2019 में कुल व्यय के 18.91 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020 में लगभग 23.28 प्रतिशत को दर्शाते हैं। पूर्ण रूप में ये व्यय वित्तीय वर्ष 2019 में 1165.53 करोड़ रूपए से लगभग 29.98 प्रतिशत बढ़ वित्तीय वर्ष 2020 में 1514.95 करोड़ रूपए हो गए हैं। अन्य व्ययों में 349.42 करोड़ रूपए की वृद्धि मुख्य रूप से सुरक्षा व्यय में की गई वृद्धि, लाभार्थी राज्यों के लिए ब्याज, सीएसआर व्यय, बीमा व्यय, विनिमय दर भिन्नता, गोरीगंगा–III परियोजना और तवांग–I परियोजना का सर्वेक्षण किए जाने और जांच व्यय के प्रति किए गए प्रावधान के कारण है जिनके संबंध में पुनर्स्थापना व्ययों में आई कमी और बीमा दावों में हुई हानि, विद्युत व्यय इत्यादि में हुई कमी का आंशिक समायोजन आंशिक रूप से, जो वित्तीय वर्ष 2020 में कम है, किया गया है।

विनियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन (विनियामक आय)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी "दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन "संबंधी मार्गदर्शी नोट और साथ ही साथ इंड एएस 114–विनियामक विलंबित लेखे के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए "विनियामक परिसंपत्तियां" को सृजित किया गया है और तदनुरूपी "विनियामक आय" के रूप में 343.61 करोड़ रूपए को मान्यता दी गई है। इसमें इसके प्रति वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली दो तिमाहियों के दौरान सुबनसिरी लोअर परियोजना पर ऋण लागत तथा प्रशासनिक एवं अन्य व्यय 203.5 करोड़ रूपए की मान्यता दी गई नियामक परिसंपत्तियां, किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में टैरिफ को मंद किए जाने के कारण 195.62 करोड़ रूपए का मूल्यह्रास, मौद्रिक मदों हेतु विनिमय अंतरों के प्रति 0.99 करोड़ रूपए, वर्ष 2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूली योग्य विलंबित कर के प्रति समायोजन के प्रति (–)125.71 करोड़ रूपए और टैरिफ अवधि 2014–19 के लिए विलंबित कर देयताओं के प्रति विलंबित कर समायोजन हेतु 69.46 करोड़ रूपए है जिन्हें संगत लेखांकन मानक के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया गया है। दर नियंत्रित आय को वित्तीय वर्ष 2020 में नीचे उल्लिखित चार कारकों के चलते लेखा बहियों में मान्यता प्रदान की गई है:

(i) सुबनसिरी लोअर परियोजना पर किए गए व्यय के प्रति नियामक विलंबित लेखा शेष का सृजन

सुबनसिरी लोअर में 16 दिसम्बर, 2011 से 15 अक्तूबर, 2019 तक कार्य बाधित था। तदनुसार, इस परियोजना के संबंध में ऋण लागत तथा प्रशासनिक और किए गए अन्य व्यय/अर्जित आय को अक्तूबर, 2019 से पूंजीकृत किया जा रहा है।

30 सितम्बर, 2019 को समाप्त छमाही के लिए, नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार नियामक परिसंपत्तियों और नियामक आय को मान्यता दी गई है :

तालिका 6

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19
i)	अन्य आय	9.82	21.24
ए	**कुल आय**	9.82	21.24
i)	कर्मचारी लाभ व्यय	35.60	20.68
ii)	वित्त लागत	157.61	76.78
iii)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	3.59	1.77
iv)	अन्य व्यय	16.27	16.54
बी	**कुल व्यय**	213.07	115.77
सी	**निवल (ए–बी)**	(203.25)	(94.53)

(ii) किशनगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ को मन्द किए जाने के कारण नियामक विलंबित लेखा शेष

कंपनी ने किशनगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ के एक घटक के रूप में मूल्यह्रास को मन्द किया है ताकि टैरिफ को बिक्री योग्य बनाया जा सके जिसकी सीईआरसी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। यह कंपनी को पावर स्टेशन के शेष उपयोगी जीवनकाल में प्रचालन के पहले 10 वर्षों के दौरान टैरिफ में शामिल किए गए निम्नतर मूल्यह्रास की वसूली के लिए पात्र बनाता है। तदनुसार, सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार बहियों में प्रभारित मूल्यह्रास के मध्य अंतर की वसूली का अधिकार है और वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान 195.62 करोड़ रूपए (वित्तीय वर्ष 2019 में 171.98 करोड़ रूपए) की टैरिफ राशि के माध्यम से वसूलीयोग्य राशि को नियामक आय के रूप में मान्यता दी गई है।

(iii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में विनियामक विलंबित लेखा शेष

लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किए गए की सीमा तक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन/निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर और जो आगे सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार आगे की अवधि में लभार्थियों से वसूली योग्य है अथवा उन्हें देय है, उन्हें 1 अप्रैल, 2016 से "विनियामक विलंबित लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी जा रही है। इन शेषों को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिससे ये परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) के पश्चात लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय हों।

तदनुसार, कंपनी ने भविष्य की अवधियों में लाभार्थियों से वसूलीयोग्य वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान 0.99 करोड़ रूपए (वित्तीय वर्ष 2019 में (–) 0.57 करोड़ रूपए) की विनियामक परिसंपत्तियों का सृजन किया है और तदनुरूपी नियामक आय को मान्यता प्रदान की है।

(iv) विलंबित कर देयताओं के प्रति प्राप्ति योग्य विलंबित कर/विलंबित कर समायोजन के पुनर्वगीकरण के कारण देय नियामक विलंबित लेखा शेष

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार टैरिफ अवधि 2004–09 के लिए उत्पादक आय से उत्पन्न होने वाले विलंबित कर को वर्ष में लाभग्राहियों से वसूला जाना होता है और यह वर्तमान कर के रूप में मूर्तरूप में आता है। टैरिफ अवधि 2014–19 और 2019–24 हेतु विलंबित कर अदा किए गए वास्तविक कर पर आधारित प्रभावी कर दर द्वारा इक्विटी पर प्रतिफल को सकल रूप देकर वसूली योग्य है। 31 मार्च, 2018 तक भविष्य के वर्षों में लाभग्राहियों से वसूली योग्य विलंबित कर को विलंबित कर देयता का एक समायोजन माना गया था।

इस व्यवहार की समीक्षा वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शी समिति (आईसीएआई की एईसी) के मत के आधार पर की गई है। ऐसा विलंबित लेखा शेष जो आईसीएआई की एईसी के अनुसार कटौती योग्य अस्थायी अंतर नहीं है जो इंड एएस 12 – आयकर के अंतर्गत विलंबित कर परिसंपत्ति में परिणत होता हो बल्कि इंड एएस 114 – नियामक

विलंबित लेखे के अनुसार नियामक विलंबित लेखा शेष की परिभाषा को पूरा करता हो।

वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान बहियों में मान्यता प्राप्त विनियमित परिसंपत्तियों (+)/देयता (–) निम्नानुसार है :

टैरिफ अवधि 2009 तक के लिए प्राप्य 125.71 करोड़ रूपए के आस्थगित कर का उपयोग वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान किया गया है (वित्तीय वर्ष 2019 – 137.30 करोड़ रूपए) तथा आस्थगित कर देयताओं (टैरिफ अवधि 2014–19 से संबंधित) 69.46 करोड़ रूपए की स्वीकृति विनियामक आय के रूप में वित्तीय वर्ष 2020 (वित्तीय वर्ष 2019 – 490.91 करोड़ रूपए) के तौर पर की गई है।

कर–पूर्व लाभ (दर विनियमित आय सहित)

ऊपर दिए गए कारणों के चलते हमारा कर पूर्व लाभ वित्तीय वर्ष 2019 में 3744.78 करोड़ रूपए से 3.65 प्रतिशत कम होकर वित्तीय वर्ष 2020 में 3608.17 करोड़ रूपए हो गया है।

कर व्यय

वित्तीय वर्ष 2020 में हमने कर व्ययों हेतु 601.00 करोड़ रूपए मुहैया करवाए थे जबकि वित्तीय वर्ष 2019 में यह राशि 1114.23 करोड़ रूपए थी। वित्तीय वर्ष 2020 में कर व्ययों में कमी विलंबित कर व्यय में 465.85 करोड़ रूपए की कमी तथा वर्तमान वर्ष के करों में 114.88 करोड़ रूपए की कमी के चलते है जो 67.50 करोड़ रूपए के पहले के वर्ष के कर समायोजनों में वृद्धि के चलते आंशिक रूप से समायोजित हुई है।

अन्य व्यापक आय (ओसीआई)

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) जिसमें निर्धारित लाभ योजना का पुनः मापन और इक्विटी तथा ऋण लिखत में उचित मूल्य लाभ/हानि शामिल है, वित्तीय वर्ष 2020 में (–) 0.62 करोड़ थी अर्थात वित्तीय वर्ष 2019 के (–) 12.41 करोड़ रूपए की तुलना में 95 प्रतिशत की कमी।

कुल व्यापक आय (टीसीआई)

कुल व्यापक आय (टीसीआई) अर्थात ओसीआई सहित कुल लाभ वित्तीय वर्ष 2020 में 3006.55 करोड़ रूपए था जो वित्तीय वर्ष 2019 में 2618.14 करोड़ रूपए के प्रति 14.84 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

(ii) नकदी तथा पूंजी संसाधन

नकदी

नकदी के आंतरिक तथा बाहरी दोनों स्रोतों का उपयोग कार्यशील पूंजी आवश्यकता और पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। सामान्यतः दीर्घावधि ऋण बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण अथवा भारतीय रूपए या विदेशी मुद्रा में बॉण्ड जारी करके जुटाए जाते हैं। 31 मार्च, 2020 तथा 2019 को नकदी तथा बैंक शेष क्रमशः 8.87 करोड़ रूपए और 12.04 करोड़ रूपए थे।

नकदी प्रवाह

तालिका 7 :

(करोड़ रुपए में)

	वित्तीय वर्ष 2020	वित्ती वर्ष 2019
प्रचालन गतिविधियों से निवल नक़दी अन्तर–प्रवाह/(बाह्य–प्रवाह)	2,473.45	3,439.76
निवेश गतिविधियों से निवल नक़दी प्रवाह/(बाह्य–प्रवाह)	(3,156.32)	(1,164.95)
वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नक़दी प्रवाह/(बाह्य–प्रवाह)	679.70	(2,269.51)

प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी

वित्तीय वर्ष 2020 में प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी 2473.45 करोड़ रूपए और कर पूर्व तथा विनियामक आय से पूर्व तथा अपवादजनक मदों के पश्चात लाभ 3264.56 करोड़ रूपए था। प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी को मुख्यतः 1545.34 करोड़ रूपए के मूल्यह्रास, 795.42 करोड़ रूपए के ब्याज व्यय, प्रावधानों के प्रति 155.17 करोड़ रूपए, एफईआरवी के चलते बिक्री समायोजनों के प्रति 42.94 करोड़ रूपए, परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि/पश्चलेखन किए गए दावों के प्रति 2.51 करोड़ रूपए, मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण विलंबित राजस्व हेतु 44.72 करोड़ रूपए, पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधानों/देयताओं के कारण 5.22 करोड़ रूपए, लाभांश आय के कारण 489.97 करोड़ रूपए, जमा/निवेश तथा अन्य गैर–प्रचालनशील मदों पर अर्जित ब्याज के प्रति 162.16 करोड़ रूपए जैसी गैर–नकदी मदों के समायोजन के पश्चात निकाला गया है। प्रचालन परिसंपत्तियों तथा देयाताओं में परिवर्तन का नकदी अंतरवाह पर 2016.96 करोड़ रूपए का प्रभाव हुआ है जो माल–सूची, व्यापार प्राप्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, ऋण तथा अग्रिम, अन्य देयों, वित्तीय देयताएं और प्रावधानों में परिवर्तन के निवल प्रभाव के कारण था।

वित्तीय वर्ष 2019 में प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी 3439.76 करोड़ रूपए थी। वित्तीय वर्ष 2019 में हमारा कर पूर्व तथा विनियामक आय से पूर्व तथा अपवादजनक मदों के पश्चात लाभ 2921.38 करोड़ रूपए था। प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी को मुख्यतः 1589.99 करोड़ रूपए के मूल्यह्रास, 894.88 करोड़ रूपए के ब्याज व्यय, प्रावधानों के प्रति 107.10 करोड़ रूपए, टैरिफ समायोजन के चलते 45.47 करोड़ रूपए, एफईआरवी के चलते बिक्री समायोजनों के प्रति 92.34 करोड़ रूपए, मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण विलंबित राजस्व हेतु 60.72 करोड़ रूपए, पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधानों/देयताओं के कारण 30.77 करोड़ रूपए, लाभांश आय के कारण 282.47 करोड़ रूपए, जमा/निवेश तथा अन्य गैर–प्रचालनशील मदों पर अर्जित ब्याज के प्रति 165.61 करोड़ रूपए जैसी गैर–नकदी मदों के समायोजन के पश्चात निकाला गया है। प्रचालन परिसंपत्तियों तथा देयाताओं में परिवर्तन का नकदी अंतरवाह पर 967.19 करोड़ रूपए का प्रभाव हुआ है जो माल–सूची, व्यापार प्राप्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, ऋण तथा अग्रिम, अन्य देयों, वित्तीय देयताएं और प्रावधानों में परिवर्तन के निवल प्रभाव के कारण था।

निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी

वित्तीय वर्ष 2020 में निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त हमारी निवल नकदी 3156.32 करोड़ रूपए थी। यह मुख्यतः अचल परिसंपत्तियों यथा संपत्ति, संयत्र और उपकरण, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों तथा निर्माण परियोजनाओं पर 2708.71 करोड़ रूपए के व्यय, संयुक्त उद्यम में निवेश के प्रति 140.45 करोड़ रूपए और अनुषंगी कंपनियों में निवेश के प्रति 924.70 करोड़ रूपए के व्यय को दर्शाता है जिसे आंशिक रूप से जमा/निवेश पर 127.05 करोड़ रूपए की ब्याज आय और लाभांश आय के प्रति 489.97 करोड़ रूपए की राशि से समायोजित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2019 में निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त हमारी निवल नकदी 1164.95 करोड़ रूपए थी। यह मुख्यतः अचल परिसंपत्तियों यथा संपत्ति, संयत्र और उपकरण, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों तथा निर्माण परियोजनाओं पर 1492.48 करोड़ रूपए के व्यय और संयुक्त उद्यम में निवेश के प्रति 100.00 करोड़ रूपए के व्यय को दर्शाता है जिसे आंशिक रूप से जमा/निवेश पर 144.14 करोड़ रूपए की ब्याज आय और लाभांश आय के प्रति 282.47 करोड़ रूपए की राशि से समायोजित किया गया था।

वित्त पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी

वित्तीय वर्ष 2020 में वित्त–पोषण क्रियाकलापों पर हमारा निवल नकदी अंतरप्रवाह 679.70 करोड़ रूपए था। हमने नए घरेलू सावधि ऋणों तथा बाण्डों से 5967.71 करोड़ रूपए जुटाए। 1715.05 करोड़ रूपए के ऋणों की चुकौती की गई थी। पट्टा देयता की चुकौती के कारण हमारा नकदी बाहिर प्रवाह 3.27 करोड़ रूपए था। ब्याज सर्विसिंग से संबंधित राशि 1332.22 करोड़ रूपए थी। वित्तीय वर्ष 2020 में अदा किया गया कुल लाभांश (लाभांश कर सहित) 2237.47 करोड़ रूपए था।

वित्तीय वर्ष 2019 में वित्त–पोषण क्रियाकलापों पर हमारा निवल नकदी बाहिर प्रवाह 2269.51 करोड़ रूपए था। हमने नए घरेलू सावधि ऋणों तथा बाण्डों से 2578.00 करोड़ रूपए जुटाए। 1877.16 करोड़ रूपए के ऋणों की चुकौती की गई थी। इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद पर हमारा नकदी बाहिर प्रवाह 606.20 करोड़ रूपए का था। ब्याज सर्विसिंग से संबंधित राशि 1215.12 करोड़ रूपए थी। वित्तीय वर्ष 2020 में अदा किया गया कुल लाभांश (लाभांश कर सहित) 1149.03 करोड़ रूपए था।

(3) तुलन–पत्रक मदे

तुलन–पत्रक की झलकियां

आस्तियां

तालिका 8 :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च को	
	2020	2019
गैर–वर्तमान आस्तियां		
निवल स्थिर आस्तियां	39,393.17	38,749.95
गैर–वर्तमान निवेश	3,400.74	2,361.66
प्राप्य व्यापार	0.00	61.51
दीर्घावधि ऋण	798.65	746.41
अन्य वित्तीय आस्तियां	3,435.91	3,467.16
गैर–वर्तमान कर आस्तियां (निवल)	138.90	131.95
अन्य गैर–वर्तमान आस्तियां	3,023.61	2,021.35
कुल गैर–वर्तमान आस्तियां	50,190.98	47,539.99
चालू आस्तियां		
मालसूची	118.24	117.14
प्राप्य व्यापार	3,818.34	2,623.09
नकदी और बैंक शेष	389.12	390.63
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	46.03	45.18
अन्य वित्तीय आस्तियां	2,699.74	1,984.26
चालू कर आस्तियां (निवल)	86.95	61.22
अन्य चालू आस्तियां	427.90	355.25
कुल चालू आस्तियां	7,586.32	5,576.77
नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	6,836.22	6,492.61
कुल आस्तियां और नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	64,613.52	59,609.37

इक्विटी और देयताएं

तालिका 9 :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च को	
	2020	2019
इक्विटी (निवल मूल्य)		
इक्विटी शेयर पूंजी	10,045,03	10,045,03
अन्य इक्विटी	19,938,78	19,169,70
गैर–वर्तमान देयताएं		
दीर्घावधि ऋण	20,889,74	17,044,63
अन्य वित्तीय देयताएं	2,059,23	2,058,64
दीर्घावधि प्रावधान	27,66	26,82
विलंबित कर देयताएं (निवल)	3,641,19	3,610,63
अन्य गैर–वर्तमान देयताएं	2,082,65	1,824,98
वर्तमान देयताएं		
अल्पावधि ऋण	714,31	406,00
देय व्यापार	304,26	180,18
अन्य वित्तीय देयताएं	2,879,70	2,846,92
अन्य वर्तमान देयताएं	802,81	1,066,47
अल्पावधि प्रावधान	1,228,16	1,329,37
कुल इक्विटी और देयताएं	64,613,52	59,609,37

वित्तीय स्थिति

निवल अचल परिसंपत्तियां

हमारी स्थिर आस्तियों में भूमि, बांध, सुरंगें और भवन जिसमें विद्युत घर भवन, निर्माण उपकरण, संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपकरण, कम्प्यूटर तथा स्थूल परिसंपत्तियां आदि शामिल हैं। मूल्यह्रास के बाद एनएचपीसी की स्थिर आस्तियां जिन्हें निवल स्थिर आस्तियां कहा जाता है, 31 मार्च, 2020 को 39,393.17 करोड़ रुपए और 31 मार्च, 2019 को 38,749.95 करोड़ रुपए थी।

निवेश

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और इन्हें लागत आधार पर वहन किया जाता है जिसमें अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों, सरकारी प्रतिभूतियों और बॉण्ड में इक्विटी निवेश शामिल होता है। 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2019 को एनएचपीसी का निवेश क्रमशः 3,400.74 करोड़ रुपए और 2,361.66 करोड़ रुपए था।

निवेश में वृद्धि लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी) में निवेश में वृद्धि और हमारी संयुक्त उद्यम कंपनियों में से एक में निवेश में वृद्धि का निवल प्रभाव है जो इक्विटी में निवेश के उचित मूल्य में कमी द्वारा आंशिक रूप से समायोजित हुई है।

ऋण (वर्तमान तथा गैर–वर्तमान)

ऋण में हमारे कर्मचारियों को और अरूणाचल प्रदेश सरकार को प्रदान किए गए ऋण ब्याज सहित शामिल हैं। 31 मार्च, 2020 तथा 31 मार्च, 2019 के अनुसार ऋण क्रमशः 844.68 करोड़ रूपए और 791.59 करोड़ रूपए थे अर्थात पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इसमें 6.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो मुख्यतः अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण सहित ऋण में वृद्धि के कारण है जिसे आंशिक रूप से कर्मचारी ऋणों में कमी से समायोजित किया गया है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (वर्तमान तथा गैर–वर्तमान)

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां 31 मार्च, 2020 को 6135.65 करोड़ रूपए थी जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 5451.42 करोड़ रूपए थी अर्थात पिछले वित्त वर्ष के आकड़ों से 12.55 प्रतिशत की वृद्धि। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बाण्ड के कारण प्राप्य राशि, प्राप्य पट्टा किराया, बैंक जमा पर प्रोदभूत ब्याज आय, विभिन्न एजेंसियों से प्राप्य दावा, संयुक्त उद्यम कंपनी को दी गई शेयर आवेदन राशि, अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्य और बिल न किए गए राजस्व से प्राप्य शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2019 के आकड़ों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020 में 12.55 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य में वृद्धि के चलते थी जिसे अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्य में कमी से आंशिक रूप से समायोजित किया गया है।

कर परिसंपत्तियां (वर्तमान तथा गैर–वर्तमान)

31 मार्च, 2020 तथा 2019 के अनुसार कर परिसंपत्तियां क्रमशः 225.85 करोड़ रूपए तथा 193.17 करोड़ रूपए थी अर्थात पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों से 16.92 प्रतिशत की वृद्धि। कर परिसपंत्तियों में अग्रिम आयकर और स्रोत पर कटौती किया गया कर शामिल है।

अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां

अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों में मुख्यतः विलंबित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियां, पूंजीगत अग्रिम और माध्यस्थम निर्णयों के प्रति संविदाकार को अग्रिम शामिल हैं। 31 मार्च, 2020 तथा 2019 के अनुसार हमारी अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां क्रमशः 3023.61 करोड़ रूपए तथा 2021.35 करोड़ रूपए थी। वित्तीय वर्ष 2019 के आंकड़ों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020 में 49.58 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः माध्यस्थम निर्णयों के प्रति संविदाकार को अग्रिम में वृद्धि के कारण है जिसे पूंजीगत अग्रिमों में कमी से आंशिक रूप से समायोजित किया गया है।

माल–सूची

माल–सूचियों का मूल्यांकन लागत पर अथवा उनके वसूली योग्य कुल मूल्य, में से जो भी कम हो, उस के आधार पर किया जाता है। 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2019 को किये गये मूल्यांकन में माल–सूचियों का मूल्य क्रमशः 118.24 करोड़ रुपए और 117.14 करोड़ रुपए आंका गया था।

प्राप्य व्यापार (वर्तमान तथा गैर–वर्तमान)

इसके अंतर्गत मुख्यतः विद्युत की बिक्री और अधिभार के देनदारों से संबंधित प्राप्त होने वाली राशियां शाामिल हैं। इसमें बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य शामिल नहीं है। 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2019 को प्राप्य व्यापार (संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान का निवल) क्रमशः 3818.34 करोड़ रुपए और 2684.60 करोड़ रुपए थे। वित्तीय वर्ष 2019 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020 में व्यापार प्राप्य में 42.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो बकाया देयों की कम वसूली के चलते है।

नकद और बैंक शेष

तुलन–पत्र की तिथि को नकदी और बैंक शेष के अंतर्गत कंपनी के चालू खाते में तुलन पत्र जारी करने की तारीख को रोकड़ अधिशेष और अल्पावधि जमा राशियां; तथा ग्रामीण सड़कों के विकास की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना की स्थापना से संबंधित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की निर्माण लागत के रूप में सरकारी संस्थाओं से प्राप्त अग्रिमों में से खर्च नहीं हो सकी अतिशेष राशि शामिल है।

31 मार्च, 2020 तथा 31 मार्च, 2019 को कंपनी के पास नकद और बैंक शेष के रूप में क्रमशः 8.87 करोड़ रुपए और 12.04 करोड़ रुपए थे। वित्त वर्ष 2020 में इसमें 3.17 करोड़ रुपए की कमी निवेश क्रियाकलापों में 3156.32 करोड़ रूपए के नकदी बाहिरवाह के कारण हुई है जिसे प्रचालन तथा वित्त–पोषण क्रियाकलापों के कारण क्रमशः 2473.45 करोड़ रूपए और 679.70 करोड़ रूपए के नकदी अंतरवाह से समायोजित किया गया है।

नकदी तथा नकदी तुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष 31 मार्च, 2020 तथा 31 मार्च, 2019 को क्रमशः 380.85 करोड़ रूपए और 378.59 करोड़ रुपए थे।

हमारे नकदी तथा बैंक शेष में 268.78 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 253.82 करोड़ रुपये) शामिल है, जो ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण

विद्युतीकरण कार्यों के लिए रखी गई थी जिन्हें कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किया जा रहा है और इसमें 111.43 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 124.77 करोड़ रुपये) का अदा न किया गया लाभांश तथा ब्याज शामिल है जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं था।

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत अग्रिम के अतिरिक्त जमा तथा अग्रिम, पूर्व प्रदत्त व्यय और विलंबित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियां शामिल है। 31 मार्च, 2020 तथा 31 मार्च, 2019 को एनएचपीसी की अन्य वर्तमान आस्तियां क्रमशः 427.90 करोड़ रुपए और 355.25 करोड़ रुपए की थी, यानी वित्त वर्ष 2019 की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में इन परिसंपत्तियों में 20.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो मुख्यतः प्रोदभूत ब्याज में संविदाकारों को देय अग्रिम में वृद्धि के कारण है।

विनियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी "दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन" संबंधी मार्गदर्शी नोट और साथ ही साथ इंड एएस 114–विनियामक विलंबित लेखे के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए "विनियामक परिसंपत्तियां" को सृजित किया गया है और तदनुरूपी "विनियामक आय" को मान्यता दी गई है।

31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2019 की यथास्थिति अनुसार विनियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष निम्नवत थे :

तालिका 10

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष	3,470.59	3,267.34
तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन	631.90	631.90
किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में टैरिफ को मंद किए जाने के कारण विभेदीय मूल्यह्रास	367.60	171.98
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर	0.02	(0.97)
2009 तक की अवधि के लिए वसूलीयोग्य विलंबित कर के प्रति समायोजन	1,529.02	1,654.73
टैरिफ अवधि 2014–19 के लिए विलंबित कर देयताओं के प्रति समायोजन	837.09	767.63
कुल	**6,836.22**	**6,492.61**

निवल मूल्य

वित्तीय वर्ष 2020 के अंत में कंपनी का निवल मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष के 29214.73 करोड़ रूपए से 3.04 प्रतिशत बढ़कर 29983.81 करोड़ रूपए हो गया है जो मुख्यतः कर पश्चात लाभ में कमी और प्रतिधारित आय में वृद्धि के कारण है।

दीर्घावधि उधार

दीर्घावधि उधार के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 को क्रमशः 14532.79 करोड़ रुपये, 974.00 करोड़ रुपए और 5371.87 करोड़ रुपए के बांड, सुरक्षित सावधि ऋण और विदेशी मुद्रा ऋण सहित असुरक्षित ऋण शामिल हैं जबकि वित्त वर्ष 2019 में ये क्रमशः 11635.59 करोड़ रुपये, 1040.34 करोड़ रुपए और 4368.70 करोड़ रुपए के रहे थे। सुरक्षित ऋणों में घरेलू बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उधार के साथ–साथ पूंजी बाजार में कार्पोरेट बॉन्ड से प्राप्त राशियां भी शामिल हैं जो कंपनी की आस्तियों के प्रति सुरक्षित हैं।

पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 22.56 प्रतिशत की सीमा तक दीर्घावधि ऋण में वृद्धि मुख्यतः 'वाई', 'वाई–1', 'एए' और 'एए–1' सिरीज के बॉण्ड को जारी किए जाने के चलते हैं जिसे आंशिक रूप से बॉण्डों के मोचन तथा ऋण की चुकौती से समायोजित किया गया है।

अन्य वित्तीय देयताएं (वर्तमान और गैर–वर्तमान)

31 मार्च, 2020 को अन्य वित्तीय देयताएं 4938.93 करोड़ रूपए थी जबकि इसकी तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष में यह 4905.56 करोड़ रूपए थी अर्थात पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों पर 0.68 प्रतिशत की वृद्धि।

प्रावधान (वर्तमान तथा गैर–वर्तमान)

प्रावधानों में निष्पादन संबंधी वेतन, अधिवर्षिता/पेंशन निधि, कर्मचारी लाभ के प्रति प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन), वेतन संशोधन हेतु प्रावधान – तीसरी वेतन संशोधन समिति, प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान तथा अन्य प्रावधान आदि के लिए किए गए प्रावधान शामिल है। कुल प्रावधान 31 मार्च, 2020 को 1255.82 करोड़ रूपए के थे जबकि इसकी तुलना में पिछले वित्त वर्ष हेतु यह 1356.19 करोड़ रूपए के थे अर्थात पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 7.40 प्रतिशत की कमी आई थी, जो वेतन संशोधन हेतु प्रावधान में कमी – तीसरी वेतन संशोधन समिति और कर्मचारी लाभ के प्रति प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन) के कारण है।

विलंबित कर देयताएं

विलंबित कर देयताएं 31 मार्च, 2020 को 3610.63 करोड़ रूपए थी जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 3145.39 करोड़ रूपए की थी।

अन्य गैर–वर्तमान देयताएं

अन्य गैर–वर्तमान देयताएं 31 मार्च, 2020 को 2082.65 करोड़ रूपए थी जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 1824.98 करोड़ रूपए की थी। अन्य गैर–वर्तमान देयताओं में अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम) और सरकार से सहायता अनुदान शामिल हैं।

अल्पावधि ऋण

31 मार्च, 2020 के अनुसार अल्पावधि ऋण 714.31 करोड़ रूपए हैं जबकि इसकी तुलना में यह पिछले वित्तीय वर्ष में 406.00 करोड़ रूपए था। अल्पावधि ऋणों में बैंक से ऋण के प्रति एफडीआर के रूप में अल्पावधि निवेश शामिल है।

देय व्यापार

31 मार्च, 2020 को देय व्यापार 304.26 करोड़ रूपए है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष हेतु यह 180.18 करोड़ रूपए थे अर्थात पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 68.86 प्रतिशत की वृद्धि।

अन्य वर्तमान देयताएं

अन्य वर्तमान देयताएं 31 मार्च, 2020 को 802.81 करोड़ रूपए थी जबकि इसकी तुलना में पिछले वित्त वर्ष में यह 1066.47 करोड़ रूपए थी अर्थात पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 24.72 प्रतिशत की कमी।

(4) तुलन–पत्र से इतर मद

आकस्मिक देनदारियां

निम्नलिखित तालिका में वित्त वर्ष 2020 और 2019 के लिए एनएचपीसी की आकस्मिक देनदारियां दिखायी गयी हैं :

आकस्मिक देनदारियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2019
कंपनी के विरुद्ध दावे जो ऋण नहीं माने गये हैं		
पूंजीगत कार्य	10,144.10	10,494.10
भूमि मुआवजे के मामले	137.04	186.49
विवादित आयकर और अन्य मदें	1,233.97	1,224.42
कुल	11,515.11	11,905.01

आकस्मिक देयताओं में 31 मार्च, 2019 को 11905.01 करोड़ रूपए से 3.28 प्रतिशत की कमी होकर यह 31 मार्च, 2020 को 11515.11 करोड़ रूपए हो गई थी।

(5) सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों की व्यावसायिक और वित्तीय समीक्षा

एनएचपीसी की सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

एनएचडीसी लिमिटेड

एनएचडीसी लिमिटेड को 01.08.2000 को एनएचपीसी लिमिटेड (51.08 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश सरकार (48.92 प्रतिशत) के एक संयुक्त उद्यम के रूप में अधिनिगमित किया गया था और इसकी प्राधिकृत पूंजी 3,000 करोड़ रुपए की है। एनएचडीसी ने इंदिरा सागर विद्युत परियोजना (1,000 मेगावाट) और ओमकारेश्वर विद्युत परियोजना (520 मेगावाट) को चालू किया है। 31 मार्च, 2020 तथा 31 मार्च, 2019 को कंपनी की कुल आय क्रमशः 1494.57 करोड़ रुपए और 1037.30 करोड़ रुपए थी। 31 मार्च, 2020 तथा 31 मार्च, 2019 को कंपनी का कर पश्चात लाभ क्रमशः 919.96 करोड़ रुपए और 490.71 करोड़ रुपए था। वर्तमान में कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 1962.58 करोड़ रूपए है जिसमें एनएचपीसी का योगदान 1002.42 करोड़ रूपए है।

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 23.10.2009 को एनएचपीसी लिमिटेड (74 प्रतिशत हिस्सापूंजी) और मणिपुर सरकार (26 प्रतिशत हिस्सा पूंजी) के संयुक्त उद्यम के रूप में 230 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी से की गयी थी। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 123.39 करोड़ रूपए है जिसमें एनएचपीसी का योगदान 90.29 करोड़ रूपए है। कंपनी ने अभी प्रचालन प्रारंभ नहीं किए हैं।

बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड

बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड को 2.2.2015 को एनएचपीसी लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उद्यम के रूप में अधिनिगमित किया गया था जिसमें एनएचपीसी का अंश 74 प्रतिशत से कम नहीं था। कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 60.00 करोड़ रूपए है। वर्तमान में कम्पनी की शेयर पूंजी 5.00 करोड़ रूपए है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 5.00 करोड़ रूपए (99.99 प्रतिशत) है। कंपनी ने अभी प्रचालन प्रारंभ नहीं किए हैं।

लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) :

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, एनएचपीसी ने ऋणशोधन समाधान प्रक्रिया के तहत लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड का अधिग्रहण अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में किया है। अधिग्रहण एनएचपीसी द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना के अनुसार किया गया था और राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा अनुमोदित किया गया था। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 1500.00 करोड़ रूपए है। कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 920.50 करोड़ रूपए है, जिसमें एनएचपीसी द्वारा 100 प्रतिशत अंशदान किया गया है। कंपनी तीस्ता–IV जलविद्युत परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया में रत है और अभी परिचालन प्रारंभ नहीं किए गए हैं।

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी के रूप में गठन 13.06.2011 को 3,500 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी से एनएचपीसी लिमिटेड (49 प्रतिशत शेयर पूंजी), जेकेएसपीडीसी (49 प्रतिशत शेयर पूंजी) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड (2 प्रतिशत शेयर पूंजी) ने मिलकर किया था। इसका उद्देश्य चिनाब नदी बेसिन में 2164 मेगावाट क्षमता की पकल दुल, किरु और क्वार जलविद्युत परियोजनाओं को पूरा करना था। कंपनी की प्रदत्त शेयरपूंजी 1780 करोड़ रूपए है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 888 करोड़ रूपए है। कंपनी ने अभी प्रचालन प्रारंभ नहीं किए हैं।

नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)

एनएचपीटीएलपीएल की स्थापना 22.05.2009 को एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पावर ग्रिड) और दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के संयुक्त उद्यम के रूप में की गयी थी। वित्त वर्ष 2013 के दौरान केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान प्रतिष्ठान भी इस संयुक्त उद्यम में शामिल हो गया है जिससे इक्विटी भागीदारी प्रत्येक संयुक्त उद्यम भागीदार हेतु 20 प्रतिशत हो गई है। कंपनी की स्थापना का उद्देश्य देश में शॉर्ट–सर्किट परीक्षण सुविधा वाली एक ऑन–लाइन हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी की स्थापना करना है तथा इसकी प्राधिकृत पूंजी 153 करोड़ रूपए है। 31 मार्च, 2020 के अनुसार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 152.00 करोड़ रूपए है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 30.40 करोड़ रूपए है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ किए है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी ने 21.38 करोड़ रूपए की हानि वहन की जबकि वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2019 के लिए हानि 7.38 करोड़ रूपए थी।

एनएचपीसी लिमिटेड, इसकी सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण :

समेकित वित्तीय विवरण इंड–एस 110 – 'समेकित वित्तीय विवरण' और इंड–एएस 28 – 'एसोसिएट तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश' के अनुसार तैयार किये गये हैं और इस वार्षिक रिपोर्ट में शामिल है।

परिणामों का संक्षिप्त सार समेकित आधार पर नीचे दिया गया है :

तालिका 12 :

(करोड़ रुपए में)

ब्यौरा	वित्त वर्ष 2020	वित्त वर्ष 2019
कुल आमदनी	10,776.64	9,846.81
कर पूर्व लाभ	3,615.22	4,159.41
कर पश्चात लाभ (अल्पसंख्यक हित को समायोजित करने के पश्चात)	2,874.61	2,595.61

प्रमुख वित्तीय अनुपात (एकल आधार)

तालिका 13 :

क्रम सं.	अनुपात	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2019	अंतर प्रतिशत
1.	देनदार टर्नओवर अनुपात	2.69	4.12	(-) 34.72%
2.	मालसूची टर्नओवर अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	-
3.	ब्याज कवरेज अनुपात	7.53	7.68	(-) 1.86%
4.	वर्तमान अनुपात	1.28	0.96	33.73%
5.	ऋण इक्विटी अनुपात	0.82	0.71	15.63%
6.	प्रचालन लाभ अंतर	37.49%	40.51%	(-) 7.46%
7.	निवल लाभ अंतर	30.77%	28.95%	6.30%
8.	ईबीआईटीडीए अंतर	59.23%	67.70%	(-) 12.51%
9.	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	3.41	3.35	1.79%

देनदार टर्नओवर अनुपात

वित्तीय वर्ष 2020 के अंत में कंपनी का देनदार टर्नओवर अनुपात पिछले वित्त वर्ष 2019 के 4.12 से घटकर वित्तीय वर्ष 2020 में 2.69 हो गया है, जिससे वित्तीय 2020 में व्यापार प्राप्यों में बढ़ोतरी के कारण 34.72 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

वर्तमान अनुपात

वित्तीय वर्ष 2020 के अंत में कंपनी का चालू अनुपात पिछले वित्त वर्ष 2019 में 0.96 से बढ़कर 1.28 हो गया, जो मुख्य रूप से पार्टियों और व्यापार प्राप्यों से वसूली योग्य राशि में वृद्धि के कारण 33.73 प्रतिशत की वृद्धि के परिणामस्वरूप है, जो कि वित्तीय वर्ष 2020 में बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य है।

निवल मूल्य पर प्रतिफल

कंपनी के निवल मूल्य पर प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष 2019 में 9.00 प्रतिशत से कम होकर वित्तीय वर्ष 2020 में 10.03 प्रतिशत हो गया था और इस प्रकार इसने 11.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो मुख्यतः कर पश्चात लाभ में कमी और प्रतिधारित आय में वृद्धि के कारण था।

12. मानव संसाधन और औद्योगिक संबंध मोर्चे पर उल्लेखनीय घटनाक्रम

आपकी कंपनी अपने व्यवसाय की सफलता के लिए मानव पूंजी के महत्व को स्वीकार करती है। देश के अग्रणी शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों से कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा हासिल करने की प्रक्रियाएं की हैं। कम्पनी ज्ञान और कौशल में सुधार करने के अवसर प्रदान करके प्रतिभा को पोषण और बनाए रखने की दिशा में कर रही है। कार्य निर्धारण में परिवर्तन तथा स्थलों के मध्यम स्थानांतरण से संगठन आजीविका के योजनागत विकास एवं कर्मचारियों लिए संभावनाओं के विस्तार की क्रियाएं कर रहा है। ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के विभिन्न दावों और लाभों के निपटान के समय में कमी आई है। वर्ष के दौरान कंपनी ने औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण, शांतिपूर्ण और मित्रतापूर्ण बने रहे। कर्मचारियों की प्रतिभागिता को कर्मचारियों के साथ जानकारी साझा करके, उनका समर्थन, सुझाव और सहयोग मांगकर सुनिश्चित किया जा रहा है। कंपनी अपनी मानव संसाधन रणनीतियों को संगठनात्मक रणनीतियों के अनुरूप बनाने को जारी रखे हुए है।

(1) कर्मचारियों का प्रशिक्षण

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों हेतु विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करती है ताकि उनके व्यवहार एवं प्रबंधकीय कौशलों और कोर दक्षताओं में सुधार हो सके। कंपनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम या तो आंतरिक रूप से आयोजित किए जाते है या प्रमुख प्रबंधन या अभियांत्रिकी संस्थानों के माध्यम से। ये कार्यक्रम कर्मचारियों को अपने प्रचालन के क्षेत्रों में नवीनतम घटनाओं से अवगत रखने में सहायता करते है। उक्त के अतिरिक्त, एनएचपीसी नियमित रूप से अपने कार्यपालकों को उच्चतर योग्यताएं तथा विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए भी प्रायोजित कर रही है जिससे उनकी उत्पादकता तथा दक्षता में सुधार हो।

(2) कर्मचारी संख्या

31 मार्च, 2020 के अनुसार कंपनी की कर्मचारी संख्या 6131 (3380 कार्यपालक, 168 पर्यवेक्षक और 2853 कामगार) थी।

(3) महिला कर्मचारियों हेतु कल्याण उपाय

31 मार्च, 2020 को एनएचपीसी में महिला कर्मचारियों की संख्या और उनका प्रतिशत **तालिका 14** में दिया गया है :

तालिका 14 : महिला कर्मचारियों का ब्यौरा

31.03.2020 को कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	समग्र स्टाफ संख्या का प्रतिशत
6131	649	10.59

महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाये गए कदम :

- महिला कर्मचारियों को महिला सशक्तिकरण और महिलाओं से संबंधित अन्य मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनार में भाग लेने के लिए नियमित रूप से नामित किया जाता है।
- कारपोरेट कार्यालय में शिशु गृह सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- महिला कर्मचारियों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायतों/परिवादों की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।
- 18 वर्ष तक के 2 बच्चों (न्यूनतम 40 प्रतिशत निशक्तता वाले बच्चे के मामले में कोई आयु सीमा नहीं) की देखभाल अथवा परीक्षा, बीमारी आदि जैसी उनकी किसी आवश्यकता को देखने के लिए महिला कर्मचारियों को 730 दिवस का वेतन सहित ''चाइल्ड केयर लीव'' यानी बच्चों की देखरेख के लिए अवकाश प्रदान किया जाता है।
- नियमानुसार मातृत्व अवकाश की व्यवस्था है।
- चिकित्सा नियमों के तहत माता–पिता/सास–ससुर को अपने आश्रितों में शामिल करने की घोषणा करने का विकल्प दिया गया है।
- कारपोरेट कार्यालय में महिला कर्मचारियों को उपस्थित के समय में छूट दी गई है।
- चयन बोर्ड/समिति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है।
- कारपोरेट कार्यालय में सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं फोरम (डब्ल्यूआईपीएस) प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

(4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याण उपाय और आरक्षण

एनएचपीसी सुदूर क्षेत्रों में अवस्थित अपनी विभिन्न परियोजनाओं/पावर स्टेशनों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के प्रति सजग है। कंपनी उन सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए बजट आवंटित करती है, जहां इसकी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के आसपास अजा/अजजा/अपिव समुदायों की आबादी अधिक है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सीधे भर्ती में अजा/अजजा और अपिव के लिए आरक्षण और रियायतें प्रदान की जाती हैं। अजा/अजजा कर्मचारियों की पदोन्नतियों पर विचार करते समय भी मानदंडों में रियायतें दी जाती हैं। एनएचपीसी अजा/अजजा कर्मचारियों के साथ समय–समय पर बैठकों का भी आयोजन करती है। अजा/अजजा और अपिव श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के कल्याण के लिए अलग–अलग संपर्क अधिकारियों के सीधे नियंत्रण में अजा/अजजा और अपिव प्रकोष्ठ बनाए गए हैं।

अजा/अजजा/अपिव कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व को **तालिका 15** में दिया गया है :

तालिका 15 : अजा/अजजा/अपिव कर्मचारियों का ब्यौरा :

31.03.2020 को कर्मचारियों की कुल संख्या	प्रतिनिधित्व					
	अजा	%	अजजा	%	अपिव	%
6131	892	14.55	384	6.26	883	14.40

(5) भिन्न रूप से समर्थ कर्मचारियों का कल्याण :

भिन्न रूप से समर्थ कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व **तालिका 16** में दिया गया है।

तालिका 16 : भिन्न रूप से समर्थ कर्मचारियों का ब्यौरा

31.03.2020 को कर्मचारियों की कुल संख्या	भिन्न रूप से समर्थ कर्मचारी			भिन्न रूप से समर्थ कर्मचारी का प्रतिशत	
	दृ.बा.	श्र.बा.	अ.वि.	कुल	%
6131	11	3	103	117	1.91

दृ.बा. : दृष्टि बाधित, श्र.बा. : श्रवण बाधित, अ.वि. : अस्थि विकलांग।

भिन्न रूप से समर्थ कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)/ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार भिन्न रूप से समर्थ कर्मचारियों को सीधे भर्ती और पदोन्नतियों में आरक्षण और रियायतें प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, निःशक्त कर्मचारियों के लिए निम्नांकित कल्याण कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं :

- भिन्न रूप से समर्थ कर्मचारियों तथा साथ ही ऐसे कर्मचारी जो किसी आश्रित बच्चे की देखभाल कर रहे हैं उन्हें चक्रीय स्थानांतरण से छूट प्राप्त है और स्थानांतरण/पदोन्नति के समय उन्हें तैनाती के स्थान की प्राथमिकता दी जाती है।
- शारीरिक विकलांग हुए व्यक्तियों (जो सेवा काल में हुए हो) को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
- श्रवण बाधित कर्मचारियों/ उनके आश्रितों को कान की मशीन खरीदने पर उसकी कीमत का भुगतान कर दिया जाता है।
- कर्मचारियों/उनके आश्रितों को कृत्रिम अंगों की लागत की प्रतिपूर्ति तथा उक्त के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है
- शारीरिक/मानसिक रूप से मंद बच्चों के संबंध में आश्रित मानते समय आयु की सीमा मान्य नहीं होती है।
- सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों के संबंध वाली एक या अधिक निशक्तताओं के 40 प्रतिशत या उससे अधिक होने वाले मानसिक या शारीरिक रूप से आश्रित बच्चों को एनएचपीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जीवन पर्यन्त चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है।

13. पर्यावरण बचाव एवं सरंक्षण, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा बचत

(1) पर्यावरण बचाव एवं संरक्षण

आपकी कंपनी की एक "कारपोरेट पर्यावरण नीति (सीईपी)" है जिसका उद्देश्य ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर–परंपरागत स्रोतों के सतत विकास हेतु पर्यावरणीय तथा सामाजिक चिंताओं पर ध्यान देना है। सीईपी की मुख्य विशेषताएं पर्यावरणीय विचारों को परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन तथा प्रचालन में एकीकृत करना, निर्माण–पश्च प्रभाव आंकलन अध्ययनों को करना और सांविधिक बाध्यताओं से परे अनूठी स्वैच्छिक पहलू को लेना है।

आपकी कंपनी एक ऐसे परिवेश को बनाने के लिए सभी प्रयास करती है जहां आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण को लम्बे समय में भी बनाए रखा जा सके। एनएचपीसी परियोजना हेतु पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) को अन्वेषण चरण के दौरान पर्यावरण पर सम्भाव्य प्रभावों की पहचान करने के लिए किया जाता है। ईआईए अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं (ईएमपी)को परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों के प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रस्तावित तथा क्रियान्वित प्रतिपूरक वनीकरण, कैचमेंट क्षेत्र उपचार, जैव विविधता संरक्षण, हरित पट्टी विकास, मतस्यिकी प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास सहित डंपिंग और खदान स्थलों के पुनरूद्धार आदि जैसे उपायों को अपना कर किया जाता है।

पर्यावरण और विविधता प्रबंधन प्रभाग की स्थापना कारपोरेट कार्यालय में सभी परियोजनाओं के पर्यावरणीय रक्षोपायों के कार्यान्वयन पहलों की निगरानी तथा उन्हें सुकर बनाने के लिए की गई है।

कारपोरेट पर्यावरण नीति के अंतर्गत अनुपालन :

आपकी कंपनी की सभी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों में पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं तथा स्वैच्छिक पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु की गई है। कई एनएचपीसी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों पर स्वैच्छिक प्रयासों के अंतर्गत अवशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण हेतु कई उपाय किए गए हैं। मार्च, 2019 तथा सितम्बर, 2019 को समाप्त अवधि हेतु विभिन्न परियोजनाओं/ पावर स्टेशनों के लिए 6 मासिक प्रगति रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा इसके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत की गई थी। इन रिपोर्टों का कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था।

कंपनी परियोजना के निर्माण के दौरान क्रियान्वित प्रबंधन योजनाओं की प्रभावोत्पादकता के मूल्यांकन के लिए निर्माण पश्च पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययनों का भी आयोजन करती है।

(2) नवीकरणीय ऊर्जा घटनाक्रम :

आपकी कंपनी सौर तथा पवन विद्युत परियोजनाओं जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को तलाशने के लिए अपने क्रियाकलापों का विविधीकरण कर रही है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है।

(3) विदेशी मुद्रा बचत :

आपकी कंपनी भारत सरकार की "मेक इन इंडिया" नीति को बढ़ावा देने के लिए बोली प्रक्रिया में स्थानीय फर्मों की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास कर रही है। स्थानीय फर्मों की प्रतिभागिता मोटे तौर पर भारतीय उद्योग की वृद्धि के साथ विदेशी मुद्रा बचत में सहायता करेगा।

(4) टेकनोलॉजी आत्मसात किया जाना :

टेकनोलॉजी आत्मसात किए जाने के संबंध में जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध में दी गई है।

14. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट में दी गई है।

15. सचेतक वक्तव्य

इस रिपोर्ट में निहित विचार और आशाजनक वक्तव्य युक्तिसंगत मान्यताओं पर आधारित हैं और कुछ जोखिमों तथा अनिश्चितताओं की वजह से वास्तविक परिणाम ऊपर बतायी गयी बातों से भिन्न हो सकते हैं।

पाठकों को इस रिपोर्ट तथा कंपनी की आवधिक रिपोर्टों में दी जाने वाली अन्य सूचनाओं की भी सावधानी से समीक्षा करने का अनुरोध किया जाता है। कंपनी भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के परिणामस्वरूप या किसी और वजह से प्राप्त हुई नई सूचनाओं के आधार पर सार्वजनिक रूप से इन आशाजनक वक्तव्यों को अद्यतन करने या इन में संशोधन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती।

वित्तीय आंकड़े कंपनी के लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित हैं।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

(अभय कुमार सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 08646003

तारीख : 27 अगस्त, 2020
स्थान : फरीदाबाद

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अंतर्गत कम्पनी (लेखे) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पढ़ा जाने वाला अपेक्षित प्रकटीकरण

क. ऊर्जा का संरक्षण

(1) ऊर्जा संरक्षण अथवा उस पर प्रभाव हेतु किए गए उपाय

- जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि जैसे विद्युत उपकरणों की दक्षता का आकलन करने और ऊर्जा बचत उपायों की सिफारिश करने के लिए विगत में 18 पावर स्टेशनों की ऊर्जा जांच की गई है। 13 पावर स्टेशनों में लेखापरीक्षा की सिफारिशों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया था।

- आपकी कम्पनी ऊर्जा संरक्षण उपायों के तौर विभिन्न प्रकार की पारम्परिक एचपीएसवी स्ट्रीट लाइट फिटिंग्स/सीएफएल, एफटीएल एवं पारम्परिक इंडोर लाइट फिटिंग्स के स्थान पर एलईडी फिटिंग्स से स्थापित कर रही है।

(2) कम्पनी द्वारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग हेतु उठाए गए कदम

कम्पनी के विभिन्न स्थलों पर 2,494.7 किलोवाट पावर के रूफ–टॉप सौर पैनल स्थापित किए गए हैं। इनमें से 1,000 किलोवाट पावर क्षमता के सौर पैनल वर्ष 2019–20 के दौरान स्थापित किए गए थे। 1,589 किलोवाट पावर रूफ–टॉप सौर ऊर्जा परियोजना के कार्य कम्पनी के विभिन्न स्थलों पर किए जा रहे हैं तथा स्थापना कार्य प्रगति पर है।

(3) ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजीगत निवेश

644.50 लाख रूपए।

ख. प्रौद्योगिकी समावेशन

(1) प्रौद्योगिकी समावेशन की दिशा में किए गए उपाय

क) वित्तीय वर्ष 2019–20 में पूरी की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

- पार्बती–II पावर स्टेशन की हैड रेस टनल क्षेत्र का 1 वर्ग किलोमीटर का हवाई सर्वेक्षण कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल (सीआईडीसी), नई दिल्ली के सहयोग से नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी उपकरणों के उपयोग से किया गया है। सर्वेक्षण में सतह की भौगोलिक स्थिति और दुर्गम क्षेत्रों के भूविज्ञान के दृश्य प्राप्त करके स्त्राव की समस्या का आकलन करने में मदद मिली है।

- "डिजाइन एवं सलाल पावर स्टेशन के लिए लॉग बूम के पथांतरण के विकास" का आंतरिक अध्ययन किया गया था। अध्ययन से लॉग बूम की डिजाइनिंग और लॉन्चिंग के लिए विस्तृत प्रक्रियात्मक दस्तावेज तैयार करने में मदद मिली थी, जिससे लॉग और कचरा की समस्या के कारण उत्पति हानि को कम किया जा सका है।

- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों/कोडों के आधार पर विभिन्न भूकंपीय भार के साथ संरचनात्मक रूप से सुरक्षित बड़े बांधों के डिजाइन की परख के लिए "उच्च कंक्रीट ग्रेविटी बांध का डायानामिक विश्लेषण" किया गया था। इसने भूकंपीय खतरों के निर्दिष्ट स्तरों के लिए पूर्वानुमान के साथ एक हाइड्रोलिक संरचना डिजाइन/मूल्यांकन करने की विधि की प्रस्तुति के लिए प्रक्रियाओं का संज्ञान किया जा सका है।

- एनएचपीसी ने ओ एंड एम उपकरण/ पुर्जों (ईएंडएम और एचएम) और निर्माण सामग्री की खरीद के विवरण के बारे में डेटा बैंक के निर्माण के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इस एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के उपयोग से लागत अनुमान तैयार करने का समय कम हो जाएगा। इसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/निविदा जांच अनुमान/क्रय अपेक्षाओं के निर्माण के लिए संदर्भ के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा।

- दरार क्षरण एवं भूगर्भीय भागों में छिद्रों से सुरक्षा के लिए हाई वेलोसिटी ऑक्सी फ्यूल (एचवीओएफ) कोटिंग पर हाई वेलोसिटी एयर फ्यूल कोटिंग (एचवीएएफ) की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अध्ययन से यह पाया गया है कि एचवीओएफ कोटिंग की तुलना में एचवीएएफ कोटिंग अधिक बेहतर है।

ख) जारी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

- राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एनआरएससी), हैदराबाद के माध्यम से तीस्ता–IV जलविद्युत परियोजना के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सुदूर संवेदन आधारित अवसादीय अध्ययन किए गए हैं। यह अध्ययन तीस्ता–IV जलविद्युत कैचमेंट क्षेत्र में अवसाद भार के आकलन के लिए मल्टी–टेम्पोरल उपग्रह डाटा का उपयोग करते हुए भू–वैज्ञानिक पैरामीटरों, भूमि उपयोग, मृदा तथा स्थलाकृति पर स्पेटियल लेयर उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है। अध्ययन जनवरी, 2021 में पूरा होने का कार्यक्रम है।

- क्षय हो चुके हाइड्रोलिक ढांचा घटकों जैसे कि स्पिलवे, सीएफआरडी का फेस स्लैब और टनल लाइनिंग आदि, की मरम्मत के लिए मरम्मत मोरटार की ईएन1504–3 श्रेणी आर4 के अनुसार एब्रेशन प्रतिरोधिता के मूल्यांकन हेतु अध्ययन राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण सामग्री परिषद

(एनसीसीबीएम), बल्लभगढ़ द्वारा संचालित किया जा रहा है।

- स्पिलवे प्रोफाइल को न्यूनतम क्षति के लिए प्रवाह विशेषताओं और कैवीटेशन प्रोफाइल को समझने हेतु अध्ययन किए जा रहे हैं। केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन (सीडब्ल्यूपीआरएस), पुणे के साथ सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना के लिए गणनात्मक द्रव्य डाइनामिक्स (सीएफडी) सॉफ्टवेयर फ्लो3डी द्वारा हाइ हेड स्पिलवे में कैविटेशन से संबंधित हाइड्रोलिक अध्ययन किए जा रहे हैं।

- चमेरा–II पावर स्टेशन के जीएसयू ट्रांसफार्मर में हल्के तेल रिसाव की मरम्मत के लिए बिना किसी उत्पादन हानि के तीव्र और प्रभावी "इन–फील्ड" रिसाव मरम्मत मुहैया करवाने के लिए विद्युत पैच रिसाव मरम्मत प्रणाली अपनाई गई है।

- तीस्ता–V पावर स्टेशन हेतु ऑन लाइन कैवीटेशन निगरानी की आपूर्ति, स्थापन, परीक्षण तथा चालू किए जाने का कार्य मैसर्स जीई को दिया गया है। यह मापन उत्पादक यूनिटों में बिना किसी डाउन टाइम के कैवीटेशन तथा अन्य प्रवाह अस्थिरताओं की निगरानी में सहायता कर सकता है जो मशीनी तथा प्रचालनों के लिए संभाव्य रूप से बाधक हैं।

- हाइड्रो एब्रेसिव कटाव, छोड़े गए अवसाद और दक्षता कमी निगरानी हेतु अध्ययन जलविद्युत संयंत्र के ईष्टतम प्रचालन हेतु एएचईसी, आईआईटी रूड़की के माध्यम से बैरास्यूल पावर स्टेशन में किए जा रहे हैं। सभी यूनिटों की 3डी स्कैनिंग पूरी हो चुकी है।

- ''जलाशय परिचालन तकनीकों के माध्यम से तलछट प्रबंधन द्वारा हाइड्रो–इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में डी–सिल्टिंग बेसिन के उन्मूलन के लिए संख्यात्मक और भौतिक मॉडल अध्ययन'' केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र (सीडब्ल्यूपीआरएस), पुणे के सहयोग से किया जा रहा है।

- हिमालय क्षेत्र के लिए स्थल विशिष्ट पीक ग्राउंड गतिवर्धन को न्यून करने के विकास के लिए एनएचपीसी पावर स्टेशन में रिकार्ड किए गए सुदृढ़ मोशन एक्सेलोग्राफ डेटा के विश्लेषण के लिए अध्ययन किए जा रहे है। भूकंप इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी–रुड़की का एक प्रस्ताव संयुक्त उद्यम आधार पर उक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजना के लिए प्राप्त हुआ है।

- एनसीसीबीएम, बल्लभगढ़ की सहायता से फ्लाई ऐश के लिए उपयुक्त विकल्प के संज्ञान के लिए अध्ययन किया जा रहा है, जो रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट के लिए उपयोगी हो सकता है।

- एनसीसीबीएम, बल्लभगढ़ के साथ सहकार्यता से रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट डैम में उपयोग के लिए भारत में उपलब्ध फ्लाई ऐश स्रोतों की उपयुक्तता की जांच के लिए अध्ययन किया जा रहा है।

- एनएचपीसी ने आईआईटी रूड़की (आईआईटीआर) में नवोपाय के उत्प्रेरण, आईआईटी रूड़की एवं भारतीय शैक्षणिक क्षेत्र में जलविद्युत सेक्टर में अनुसंधान एवं विकास तथा स्वच्छ ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए जलवायु परिवर्तन प्रोटोको के अध्ययन एवं उपयोज्यता सहित जल संसाधनों एवं जलविद्युत विकास परियोजनाओं से पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभावों के अध्ययन की सुविधा की व्यवस्था करने अथवा प्रदान करने के लिए एक प्राध्यापकीय चेयर की स्थापना की गई है। चेयर प्रोफेसर की नियुक्ति कर ली गई तथा चेयर अब कार्यात्मक है। फरवरी, 2020 में निम्नलिखित दो अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावनाएं इसे सौंपी गई हैं।

क) दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (2880 मेगावाट), अरूणाचल प्रदेश में स्पिल्लवेस का सीएफडी विश्लेषण।

ख) निम्मो–बाजगो (3X15 मेगावाट) पावर स्टेशन में क्षणिक तथा आंशिक लोड परिचालनों के दौरान अस्थिरता के प्रवाह की जांच।

(2) प्राप्त किए गए लाभ जैसे कि उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन

चूंकि प्रौद्योगिकी आत्मसात किए जाने के प्रति अन्य सभी प्रयास प्रारभिक चरणों में है, लाभ अध्ययनों के पूर्ण होने और वास्तविक कार्यान्वयन के पश्चात प्राप्त होने के संभावना है।

(3) वर्तमान वर्ष और गत तीन वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी के ब्यौरे

कोई नहीं।

(4) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय :–

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय 10.65 करोड़ रूपए है जिसमें स्थापना व्यय के प्रति 6.76 करोड़ रूपए शामिल है।

ग. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2019 को समाप्त वर्ष हेतु
क.*	**विदेशी मुद्रा में व्यय**		
	i) ब्याज	25.39	21.37
	ii) अन्य विविध मामले	81.28	83.49
ख.*	**प्रचालन इकाइयों में काम में लाए गए हिस्से–पुर्जों और घटकों का मूल्य**		
	i) आयातित	-	-
	ii) स्वदेशी	18.74	21.54
ग.*	**विदेशी मुद्रा में आय**		
	i) अन्य	-	-

* प्रोदभवन आधार

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

(अभय कुमार सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 08646003

तारीख : 27 अगस्त, 2020
स्थान : फरीदाबाद

अनुबंध-V

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

खण्ड क: कम्पनी के बारे में सामान्य जानकारी

1. **कम्पनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)**
   एल40101एचआर1975जीओआई032564

2. **कम्पनी का नाम**
   एनएचपीसी लिमिटेड

3. **पंजीकृत पता**
   एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद, हरियाणा–121003 (भारत)

4. **वेबसाइट**
   www.nhpcindia.com

5. **ईमेल आईडी**
   brr@nhpc.nic.in

6. **रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष**
   2019–20

7. **क्षेत्र, जिनमें कंपनी कार्यरत है (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड–वार)**

*समूह	वर्ग	उपवर्ग	विवरण
351	3510	35101	जलविद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन
*राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अन्तर्गत वर्गीकरण के अनुसार।			

8. **तीन महत्वपूर्ण उत्पाद/सेवाएं, जिनका कम्पनी निर्माण करती है/प्रदान करती है (तुलन पत्र के अनुसार)**
   (i) ऊर्जा (जलविद्युत और पवन विद्युत)
   (ii) परामर्शी सेवाएं
   (iii) विद्युत ट्रेडिंग व्यवसाय

9. **उन स्थानों की कुल संख्या, जहां कम्पनी व्यवसायिक कार्यकलाप करती है**

9.1 **अन्तरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या (5 प्रमुख स्थानों का ब्यौरा दें)**

- एनएचपीसी की भूटान में व्यापार मौजूदगी है जहां यह नामांकन आधार पर मांगदेच्छू जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण (एमएचपीए) को मांगदेच्छू जलविद्युत परियोजना (720 मेगावाट) की अभियांत्रिकी तथा डिजाइन हेतु परामर्शी सेवाएं मुहैया करवा रही है।
- भूटान में चमखारच्छू–I जलविद्युत परियोजना (770 मेगावाट) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को शाही भूटान सरकार और भारत सरकार के मध्य 22.4.2014 को क्रियान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात 29.12.2014 को सीईए द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। परियोजना को एनएचपीसी और ड्रुक ग्रीनपावर कारपोरेशन लिमिटेड (डीजीपीसी) (भूटान सरकार का पीएसयू) के मध्य एक संयुक्त उद्यम के रूप में समान शेयरधारिता के साथ निष्पादित किया जाना है। संयुक्त उद्यम के गठन हेतु विचार–विमर्श जारी हैं।
- एनएचपीसी ने एचआईडीसीएल (हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड – नेपाल सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी) के साथ "पावर समिट 2019" के दौरान नवंबर 2019 में काठमांडू, नेपाल में जलविद्युत के विकास पर संयुक्त सहयोग से आयोजित "लेटर ऑफ इंटेंट" का आदान–प्रदान किया।
- एनएचपीसी लिमिटेड और एनईए इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, नेपाल ने 13.12.2019 को डिजाइन और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए "लेटर ऑफ इंटेंट" का आदान–प्रदान किया। यह आदान–प्रदान नेपाल में जलविद्युत के विकास के लिए भारत और नेपाल के बीच सहयोग की एक नई शुरूआत होगी।

9.2 **राष्ट्रीय स्थलों की संख्या**

समूचे देश में 9 राज्यों में हमारी 22 पावर स्टेशन और 3 निर्माण परियोजनाएं हैं।

राज्य	स्थल	
	प्रचालनाधीन	निर्माणाधीन
जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बारामूला(2), कठुआ, रियासी, किश्तवार, बांदीपुरा	–
लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	कारगिल, लेह	–
हिमाचल प्रदेश	चम्बा (4) और कुल्लू	कुल्लू
उत्तराखण्ड	चम्पावत और पिथौरागढ़	–
पश्चिम बंगाल	दार्जीलिंग (2)	–
अरूणाचल प्रदेश	–	लोअर सुबनसिरी/धेमाजी (असम)
सिक्किम	पूर्वी सिक्किम, दक्षिणी सिक्किम	पूर्वी सिक्किम *
मणिपुर	बिशनुपुर	–
राजस्थान	जैसलमेर	–
तमिलनाडु	डिंडीगुल	–

* लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) की तीस्ता–VI परियोजना को कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत अधिगृहीत किया गया था। एनएचपीसी के साथ एलटीएचपीएल का विलयन प्रगतिधीन है।

10. कम्पनी द्वारा सेवित बाजार– स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय

एनएचपीसी भारत में जलविद्युत का प्रमुख उत्पादक है। एनएचपीसी के विभिन्न विद्युत संयंत्रों के माध्यम से उत्पन्न विद्युत विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लाभग्राही डिस्काम को बेची जाती है। एनएचपीसी ने वित्त वर्ष 2018–19 में विद्युत व्यापार व्यवसाय की भी शुरूआत की है तथा अन्य उत्पादकों से खरीदी गई विद्युत विभिन्न डिस्काम को बेची है। वित्त वर्ष 2019–20 में निम्नलिखित राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को एनएचपीसी द्वारा सेवाएं प्रदान की गई हैं :

जम्मू एवं कश्मीर	राजस्थान	असम
लद्दाख	उत्तर प्रदेश	सिक्किम
हिमाचल प्रदेश	मध्य प्रदेश	मणिपुर
पंजाब	छत्तीसगढ़	अरूणाचल प्रदेश
चण्डीगढ़	ओडिशा	मिजोरम
उत्तराखण्ड	पश्चिम बंगाल	त्रिपुरा
हरियाणा	बिहार	नागालैण्ड
दिल्ली	झारखण्ड	तमिलनाडु
आंध्र प्रदेश		

उक्त के अतिरिक्त, विदेश मंत्रालय की महाकाली संधि के अंतर्गत टनकपुर पावर स्टेशन से नेपाल को 14 मेगावाट विद्युत दी जाती है।

खण्ड ख : कम्पनी का वित्तीय ब्यौरा

1. प्रदत्त पूंजी (भारतीय रुपए में)

10045.03 करोड़ भारतीय रुपए (31.03.2020 की स्थिति के अनुसार)

2. कुल कारोबार (भारतीय रुपए में)

8753.41 करोड़ भारतीय रुपए (वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान)

3. कर पश्चात कुल लाभ (भारतीय रुपए में)

3007.17 करोड़ भारतीय रुपए (वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान)

4. कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में (प्रतिशत) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कुल व्यय

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों पर एनएचपीसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान किया गया कुल व्यय 126.43 करोड़ रूपए है जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 4.23 प्रतिशत है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार)।

5. उन कार्यकलापों की सूची, जिनमें उपरोक्त 4 में व्यय किया गया है।

- शिक्षा और कौशल विकास
- स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता (स्वच्छ भारत अभियान सहित)
- ग्रामीण विकास
- पर्यावरण
- महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिक
- क्षमता निर्माण, खेलकूद, कला और संस्कृति तथा अन्य पहलें

खण्ड ग : अन्य ब्यौरा

1. क्या कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी/कम्पनियां है?

जी, हां। 31 मार्च, 2020 को एनएचपीसी लिमिटेड की तीन सहायक कम्पनियां हैं, नामतः

(i) एनएचडीसी लिमिटेड

(ii) लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

(iii) बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड

(iv) लैंको तीस्ता हाइड्रोपावर लिमिटेड

2. क्या सहायक कम्पनी/कम्पनियां मूल कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कम्पनी(यों) की संख्या बतायें?

जी, नहीं। सहायक कम्पनियां मूल कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग नहीं लेती हैं।

3. क्या कोई अन्य निकाय/निकायों (उदाहरणार्थ, आपूर्तिकर्त्ताओं, वितरकों आदि) के साथ कम्पनी व्यवसाय करती है, कम्पनी के व्यावसयिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेते हैं? यदि हां, तो ऐसे निकाय/निकायों की संख्या बताएं? [30% से कम 30–60%, 60% से अधिक]

कोई भी निकाय, जो कम्पनी के साथ व्यवसाय करते हैं, कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग नहीं लेते हैं।

खण्ड घ : व्यावसायिक उत्तरदायित्व सूचना

1. व्यावसायिक उत्तरदायित्व के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा

1.1 व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा

- डीआईएन नम्बर : 02889021
- नाम : श्री महेश कुमार मित्तल
- पदनाम : निदेशक (वित्त)

1.2 व्यावसायिक उत्तरदायित्व प्रमुख का ब्यौरा

- डीआईएन नम्बर : लागू नहीं
- नाम : श्री हरीश कुमार
- पदनाम : कार्यपालक निदेशक (आयोजना)
- दूरभाष : 0129–2271425
- ईमेल आइडीः harishkumar@nhpc.nic.in

2. **सिद्धान्तवार (एनवीजी के अनुसार) व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति/नीतियां**

क्र.सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	क्या आपके पास ..... के लिए नीति/नीतियां हैं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2	क्या संबंधित हित धारकों के साथ परामर्श करके नीतियां बनाई जाती हैं?	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां
3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होती हैं? यदि हां, तो स्पष्ट करें? (नीतियां आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और ओएचएसएएस 18001 जैसे अन्तरराष्ट्रीय मानकों की भावना के अनुरूप के अलावा, एमवीजी दिशानिर्देशों पर आधारित होती है)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4	क्या बोर्ड द्वारा यह नीति अनुमोदित की गई है? यदि हां,	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5	क्या कम्पनी के पास नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड/निदेशकों/अधिकारियों की एक निर्दिष्ट समिति होती है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6	ऑन–लाइन देखने के लिए नीति हेतु लिंक दर्शाएं?*	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
7	क्या नीति को सम्बद्ध आन्तरिक और बाह्य हितधारकों को संप्रेषित किया जाता है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8	क्या कम्पनी के पास नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए आन्तरिक ढांचा है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9	क्या कम्पनी के पास नीति/नीतियों से सम्बद्ध हितधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए नीति/नीतियों से सम्बद्ध कोई शिकायत निवारण तन्त्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10	क्या कम्पनी ने आन्तरिक/बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्याकरण का स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन करवाया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

* सीएसआर और धारणीय विकास नीतिः http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/CSR_Policy_E_CMA_201811_1.pdf. पर उपलब्ध है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति : www.nhpcindia.com/r-and-r-initiative.htm. पर उपलब्ध है। धोखाधड़ी रोकने संबंधी नीतिः www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/NHPCFraudPrevention-Detectionpolicy-may16.pdf. पर उपलब्ध है। व्हिसल ब्लोवर नीतिः www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/wbp.pdf. पर उपलब्ध है। व्यापार व्यवहार प्रतिबंधित करने संबंधी नीतिः www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/Guidelines-BanningofBusinessDealings-Revised.pdf. पर उपलब्ध है। कारपोरेट अभिशासन अनुपालनः www.nhpcindia.com/corporate-governance.htm; पर उपलब्ध है। सत्यनिष्ठा समझौता : http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/ip_ip_program.pdf. पर उपलब्ध है। एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्रः www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/9001-2015.pdf; www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/14001-2015.pdf; www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/18001-2007.pdf. पर उपलब्ध है। व्यवसाय आचरण संहिता तथा आचार और एनएचपीसी आचार, अनुशासन तथा अपील नियमावली कम्पनी के इंटरानेट पर उपलब्ध है।

2क यदि किसी सिद्धान्त पर क्रम संख्या 1 का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया स्पष्ट करें कि ऐसा क्यों है

क्र.सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	कम्पनी ने सिद्धान्तों को नहीं समझा है	लागू नहीं								
2	ऐसा कोई भी चरण नहीं है, जहां कम्पनी स्वयं को विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों पर नीतियां बनाने तथा उनके कार्यान्वयन की स्थिति में पाती हो ।									
3	कम्पनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या जनशक्ति के संसाधन नहीं है।									
4	अगले 6 महीने के भीतर ऐसा करने की योजना है									
5	अगले 1 महीने में भीतर ऐसा करने की योजना है									
6	कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)									

3. **व्यावसायिक उत्तरदायित्व से सम्बद्ध शासन**

- **निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा कितने अन्तराल के बाद कम्पनी के व्यावसायिक कार्य निष्पादन का आकलन करना होता है।**

  कम्पनी के व्यावसायिक कार्य–निष्पादन का आकलन वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रतिवर्ष किया जाता है।

- **क्या कम्पनी व्यावसायिक उत्तरदायित्व या प्रतिधारणीय रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है। यह कितने समय बाद प्रकाशित की जाती है?**

- यह व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 का एक भाग है। इस रिपोर्ट को http://www.nhpcindia.com/NHPC-annual-reports.htm पर देखा जा सकता है।

खण्ड ड : सिद्धान्त–वार कार्य निष्पादन

सिद्धान्त 1

1. **क्या आचार, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कम्पनी को ही कवर करती हैं? हां/नहीं, क्या इसे समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू किया जाता है?**

कम्पनी कार्पोरेट शासन को अच्छे प्रबंधन का अटूट हिस्सा मानती है। कम्पनी की व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता है जो दिनांक 20.11.2014 के एनएचपीसी के परिपत्र माध्यम से जारी संहिता के लिए इसके बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए लागू की गई है। इसके अलावा, कम्पनी के पास धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी को रोकने के लिए धोखाधड़ी संबंधी नीति है। यह नीति किसी भी ऐसी धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी के संबंध में लागू होती है जिसमें एनएचपीसी लिमिटेड के कर्मचारी (सभी पूर्णकालिक, अंशकालिक या तदर्थ/अस्थायी/अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारी) के साथ–साथ विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों अथवा एनएचपीसी लिमिटेड के साथ किसी प्रकार व्यवसाय व्यवहार करने वाली किसी भी बाहरी एजेंसी (एजेंसियों) का कोई व्यक्ति शामिल हों।

एनएचपीसी लिमिटेड ने व्हिसल ब्लोअर नीति को भी अपनाया है, जो कंपनी के सभी कर्मचारियों, निदेशकों और ठेकेदारों के साथ–साथ विक्रेताओं द्वारा एनएचपीसी लिमिटेड के साथ की जाने वाली सहक्रियाओं के संबंध में भी लागू है।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने 1 करोड़ या इससे अधिक के मूल्य के सभी प्रापण कार्यों, 7 लाख रूपए या उससे अधिक के मूल्य की वस्तुओं के प्रापण और 15 लाख या इससे अधिक मूल्य की सेवाओं के प्रापण के लिए सत्यनिष्ठा नीति कार्यान्वित की है। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी के पास अनैतिक व्यवहार की स्थिति में बोलीदाताओं (अर्थात् समूह, संयुक्त उद्यम, आपूर्तिकर्त्ता/ठेकेदार) के साथ व्यावसायिक लेन–देन बन्द करने के लिए नीति तथा प्रक्रिया भी है। यह केवल एनएचपीसी लिमिटेड पर ही लागू होती है।

2. **विगत वित्तीय वर्ष में हित धारकों से कितनी शिकायतें मिली तथा प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया?**

वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राप्त शिकायतों की स्थिति नीचे दी गई है :

क) कारपोरेट अभिशासन मानक और व्यापार आचरण और आचार संहिता

शेयरधारकों द्वारा की गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैं :

विवरण	1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2019–20 के दौरान समाधान की गई	31 मार्च, 2020 को लंबित
रिफंड आर्डर प्राप्त न होना	0	0	0	0
लाभांश वारंट प्राप्त न होना	0	2172	2172	0
सेबी शिकायतें	0	13	13	0
स्टॉक एक्सचेंज शिकायतें	0	0	0	0
उपभोक्ता फोरम/ अदालती मामले	2	0	0	2
अधिवक्ता के नोटिस	0	0	0	0
कुल	**2**	**2185**	**2185**	**2**

ख. बाण्डधारकों द्वारा की गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैं :

विवरण	1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2019–20 के दौरान समाधान की गई	31 मार्च, 2020 को लंबित
रिफंड आर्डर प्राप्त न होना	0	0	0	0
टीडीएस प्रमाण–पत्र प्राप्त न होना	0	0	0	0
इलेक्ट्रोनिक क्रेडिट प्राप्त न होना	0	0	0	0
ब्याज वारंट प्राप्त न होना	0	46	46	0
बॉण्ड/ प्रतिभूति प्राप्त न होना	0	12	12	0
कुल	**0**	**58**	**58**	**0**

ग. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत एक प्रकटीकरण की प्राप्ति हुई थी, जिसके संबंध में नीति के तहत प्रक्रिया के अनुसार जांच की गई है। प्रकटीकरण से संबंधित अनुशंसा और रिपोर्ट, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत कर दी गई है।

इसके अलावा, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान संविदाकार/(आपूर्तिकर्ता के संबंध में बोली लगाने वालों के साथ व्यापार से संबंधित प्रतिबंध लगाने के लिए दिशानिर्देशों के तहत वर्गीकृत किए गए धोखाधड़ी व्यवहारों/मिथ्या कथन/खराब निष्पादन आदि के 11 (ग्यारह) मामलों का प्रेक्षण किया है जिसका विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है।

i) मैसर्स वलेचा इंजीनियरिंग लिमिटेड पर सम्पूर्ण एनएचपीसी में 19.08.2019 से 05 (पांच) वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।

ii) मैसर्स आरिफ बुधन को उड़ी–II पावर स्टेशन के लिए 25.04.2019 से 06 (छह) माह के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

iii) मैसर्स एम.एस. सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ के लिए 08.07.2019 से 02 (दो) वर्षों के लिए सीमित प्रतिबंध लगाया गया है।

iv) मैसर्स पंवार कंस्ट्रक्शन कंपनी को क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ के लिए 02.08.2019 से प्रारंभ 01 (एक) वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

v) मैसर्स अरिहंत एनालिटिकल लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड को कारपोरेट कार्यालय के लिए 23.08.2019 से 03 (तीन) वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

vi) मैसर्स एडीएस एन्टरप्राईज को 4.11.2019 से 2 (दो) वर्ष के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ के संबंध में प्रतिबंधित किया गया है।

vii) मैसर्स गोदावरी फार्म्स एंड सर्विसेज को कॉर्पोरेट कार्यालय के संबंध में 29.11.2019 से प्रभावी 2(दो) वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

viii) मैसर्स अपार इंफ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड 16.12.2019 से प्रभावी 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए सम्पूर्ण एनएचपीसी में प्रतिबंधित है।

ix) मैसर्स हैल्पलाइन फेसिल्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए 15.1.2020 से 3 (तीन) वर्ष के लिए प्रतिबंधित है।

ix) मैसर्स महिन्द्रा सस्टेन प्राइवेट लिमिटेड पर सम्पूर्ण एनएचपीसी में 9.3.2020 से 6 (छः) माह की अवधि के प्रतिबंध लागू हैं।

xi) मैसर्स यैल्लो 2जेन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड पर सम्पूर्ण एनएचपीसी में 9.3.2020 से 6 (छः) माह की अवधि के प्रतिबंध लागू हैं।

सिद्धान्त 2

1. **अपने तीन उत्पादों या सेवाओं को बताएं जिनके डिजाइन से सामाजिक या पर्यावरणीय चिन्ताएं, खतरे और/अवसर पैदा हुए हैं।**

जलविद्युत उत्पादन।

2. **ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद के प्रति यूनिट (ऊर्जा, जल, कच्ची सामग्री इत्यादि) संसाधन उपयोग के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा दें।**

जल के गैर उपभोग उपयोग द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन होता है इसलिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है। जलविद्युत अक्षय ऊर्जा का स्रोत है।

3. **क्या कम्पनी के पास सतत स्रोत (वहन सहित) की प्रक्रिया है? यदि हां, तो आपके आदानों का कितना प्रतिशत सतत रूप से स्रोत किया गया? लगभग 50 या इसके आस–पास के शब्दों में ब्यौरा भी प्रस्तुत करें।**

कम्पनी अपने विक्रेताओं के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने पर बल देती है और उन्हें अपनी वृद्धि की गाथा में शामिल करती है। कम्पनी जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण निष्पादन में शामिल करती है । कम्पनी जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण निष्पादन के लिए एजेंसियों का चयन करने हेतु अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) का अनुपालन करती है। तकनीकी–वाणिज्यिक बोलियों की आईसीबी प्रक्रियाओं, सीवीसी दिशानिर्देशों तथा सुरक्षित कार्य दशाओं, श्रम कानूनों के कार्यान्वयन पर्यावरणीय नीतियों इत्यादि जैसे विभिन्न अन्य विक्रेता व्यवहारों की तरह जांच की जाती है। कम्पनी के अधिकारी पारदर्शी तरीके से सभी एजेंसियों/एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ नियमित आधार पर परामर्श करते हैं।

तथापि, कम्पनी द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे विभिन्न प्रकार की सामग्री के लिए इन आपूर्तिकर्ताओं से लिए गए कुल आदानों के प्रतिशत का पता लगाना कठिन है ।

4. **क्या कम्पनी ने अपने कार्यस्थल के आस–पास समुदायों सहित स्थानीय तथा लघु उत्पादकों से माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए कोई कदम उठाए हैं? यदि हां, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?**

जलविद्युत उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में ऐसे जल का उपयोग होता है जो पीने योग्य न हो। किन्तु वाहन किराये पर लेने, सामग्री की हैंडलिंग, हाउसकीपिंग, अपशिष्ट हैंडलिंग तथा बागवानी के लिए परियोजना के आस–पास स्थानीय लोगों के साथ अनुबंध किए गए हैं। इन अनुबंधों से परियोजना स्थल के आस–पास उद्यम विकास हुआ है और स्थानीय जनता के लिए अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं । कार्यों और सेवाओं की खरीद में बोली लगाने तथा कार्य को दिए जाने में पीएएफ और स्थानीय लोगों के लिए कार्यों तथा सेवाओं में आरक्षण मुहैया करवाया गया है और साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अधिमानी प्रावधान भी मौजूद हैं जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।

5. क्या कम्पनी के पास उत्पादों और अपशिष्ट के पुर्नचक्रण का तन्त्र उपलब्ध है? यदि हां, तो उत्पादों तथा अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का प्रतिशत कितना है (अलग–अलग <5%, 5–10% >10%)

जलविद्युत उत्पादन से कोई अपशिष्ट नहीं निकलता है और उपभोग वाले पानी द्वारा उत्पादित जलविद्युत संयंत्रों का उत्पाद बिजली है । इसके अलावा, परियोजनाओं हेतु सुरक्षित तथा टिकाऊ ढांचों के लिए सुदृढ़ और ईष्टतम डिजाइन से संबंधित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जा रहा है।

सिद्धान्त 3

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।

31 मार्च, 2020 को कर्मचारियों की कुल संख्या 6131 है।

2. कृपया अस्थाई/संविदात्मक/नैमित्तिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।

एनएचपीसी प्रत्यक्ष रूप से संविदा पर कर्मचारियों को नियोजित नहीं करता है।

3. कृपया स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या बतायें।

31 मार्च, 2020 को स्थाई महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 649 है।

4. कृपया स्थाई निःशक्त कर्मचारियों की संख्या बतायें।

31 मार्च, 2020 को स्थायी दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या 117 है।

5. क्या आपके पास प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कर्मचारी संघ है?

कारपोरेट से किसी एसोसिएशन या संघ को औपचारिक रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

6. स्थाई कर्मचारी का कितना प्रतिशत आपके इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं?

लागू नहीं।

7. कृपया यह बतायें कि वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित कितनी शिकायतें कीं और वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितनी शिकायतें लंबित थीं?

वर्ष 2019–20 में बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम से संबंधित शिकायतों तथा 2019–20 के अन्त तक लम्बित शिकायतों की संख्या		इस श्रेणी में कोई भी शिकायत न तो प्राप्त हुई और न लम्बित है।
2019–20 में यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या तथा 2019–20 के अन्त लम्बित शिकायतों की संख्या		इस श्रेणी में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और कोई शिकायत लम्बित नहीं है।
2019–20 में विभेदकारी रोजगार से संबंधित शिकायतों की संख्या तथा 2019–20 के अन्त तक लम्बित शिकायतों की संख्या		इस श्रेणी में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और कोई शिकायत लम्बित नहीं है।

8. निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत कर्मचारियों को विगत वर्ष में सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया?

वर्ष 2019–20 के दौरान सुरक्षा प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत नीचे दिया गया हैं:

(क) स्थायी कर्मचारी	–	51.70 प्रतिशत
(ख) अस्थायी महिला कर्मचारी	–	4.22 प्रतिशत
(ग) आकस्मिक/ अस्थायी/ संविदात्मक कर्मचारी	–	कोई नहीं
(घ) दिव्यांग कर्मचारी	–	0.55 प्रतिशत

सिद्धान्त 4

1. क्या कम्पनी ने अपने आन्तरिक और बाह्य हितधारकों का चित्रण किया है? हां/नहीं।

हां, हमने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हितधारकों सहित बाह्य हितधारकों का चित्रण तथा पहचान की है। हमारे हितधारकों में कर्मचारी, ग्राहक, स्थानीय, समुदाय, आपूर्तिकर्त्ता एवं संविदाकार, निवेशक और शेयर होल्डर, सरकार तथा विनियामक और समकक्ष व्यक्ति तथा उद्योग पारिस्थितिकी प्रणाली शामिल हैं।

2. उपरोक्त में से क्या कम्पनी ने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हित धारकों की पहचान की है?

हमारे वंचित तथा सुभेद्य हितधारकों में दिव्यांग कर्मचारी, लड़कियां/महिलाएं अजा/अजजा समुदाय और ग्रामीण/ परियोजनाओं के आस–पास परियोजना विस्थापित समुदाय शामिल हैं।

3. क्या कम्पनी ने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हित धारकों से सम्पर्क करने के लिए कोई विशेष पहल की है? यदि हां, तो लगभग 50 या इसके आस–पास के शब्दों में इसका ब्यौरा दें?

- दिव्यांग कर्मचारीः कम्पनी का प्रयास एनएचपीसी को ऐसा कार्यस्थल बनाने का प्रयास है जो दिव्यांग कर्मचारियों और विशेष आवश्यकता वाले कर्मचारियें के अनुकूल हो। इसका उद्देश्य ऐसे कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से बनाई गई प्रतियोगिताओं, मंचों तथा प्रशिक्षा के अध्ययन से उनमें आत्मविश्वास जगाना है।

- बालिका/महिला और अजा/अजजा समुदाय : कम्पनी परियोजनाओं के स्थल के आस–पास के क्षेत्रों में शिक्षा के लिए अजा/अजजा और छात्राओं को छात्रवृत्ति देती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कार्यक्रम चलाती है।

सिद्धान्त 5

1. **क्या मानवाधिकारों पर कम्पनी की नीति केवल कम्पनी पर ही लागू होती है या यह नीति समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्त्ताओं/संविदाकारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है?**

कम्पनी एसए 8000 मानकों की सभी अपेक्षाओं के अनुरूप सामाजिक और नैतिक रूप से जिम्मेवार तरीके से व्यवसाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्तमान में "एनएचपीसी आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली" केवल कर्मचारियों पर लागू होते हैं, हालांकि हम अपने हित धारकों से आशा करते हैं कि वे उसमें शामिल मानकों का पालन करेंगे तथा उन्हें बनाए रखेंगे। "एनएचपीसी आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली" किसी कर्मचारी के अधिकार या विशेषाधिकार के तत्समय प्रवृत्त किसी कानून द्वारा या उसके अधीन बनाए गए नियमावली से, या सेवा की शर्तों और निबंधनों द्वारा या ऐसे व्यक्ति या कम्पनी के बीच हुए किसी समझौते से संरक्षण के लिए है।

2. **गत वित्तीय वर्ष में हित धारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से निवारण किया गया?**

कर्मचारी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतों की संख्या इस प्रकार हैं :

1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2019–20 के दौरान समाधान	31 मार्च, 2020 को अंतिम शेष
शून्य	19	14	5

विद्युत मंत्रालय के साथ संयोजित "केन्द्रीयकृत लोक शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली" के अनुसार लोक शिकायत की संख्या इस प्रकार है :

1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2019–20 के दौरान समाधान	31 मार्च, 2020 को अंतिम शेष
06	82	83	05

सिद्धान्त 6

1. **क्या सिद्धान्त 6 से संबंधित नीति कम्पनी पर ही लागू होती है या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्त्ताओं/संविदाकारों/गैर–सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है?**

एनएचपीसी के पास समन्वित प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र है जो अपने कार्पोरेट कार्यालय तथा परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के लिए गुणवत्ता, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य और प्रबंधन प्रणाली को कवर करता है।

2. **क्या कम्पनी के पास जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान वृद्धि आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए कार्यनीतियां/पहलें हैं? हां/नहीं, यदि हां, तो कृपया वैब पेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।**

जी हां, कम्पनी जलविद्युत उत्पादन का कार्य करती है, जोकि स्वच्छ बिजली है तथा विद्युत उत्पादन के अन्य पारम्परिक पद्धतियों की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों को कम करती है। यह जहां कहीं ऊर्जा की कमी हो तथा अधिकतम मांग को पूरा करना उसके लिए देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी बढ़ाती है।

इसके अलावा, एनएचपीसी समन्वित प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) प्रमाणीकृत कम्पनी है, जो अन्तरराष्ट्रीय मानकों आईएसको 9001:2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) आईएसओ 14001:2015 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) तथा ओएचएसएएस 18001:2007 (व्यवसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा आकलन श्रंखला) की आवश्यकताओं को पूरा करती है। आईएमएस प्रमाणीकरण पर्यावरण अनुकूल तरीके के विकास हेतु किये जाने वाले प्रयासों के लिए सचमुच में अन्तरराष्ट्रीय स्वीकार्यता को परिलक्षित करता है। एनएचपीसी ने अपनी स्वयं की कारपोरेट पर्यावरण नीति (सीईपी) भी बनाई है जिसका उद्देश्य ऊर्जा के परम्परागत तथा गैर–परम्परागत स्रोतों के सतत विकास हेतु पर्यावरणीय तथा सामाजिक चिन्ताओं पर ध्यान देना है। अनुमोदित पर्यावरण योजनाओं के कार्यान्वयन के अतिरिक्त स्वैच्छिक पहलों के अंतर्गत विभिन्न पर्यावरणीय संरक्षण तथा बचाव उपाय भी किए जाते हैं जिसमें स्वैच्छिक वनीकरण, अवशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण शामिल हैं। सीईपी के अंतर्गत परियोजनाओं/पावर स्टेशनों पर पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं तथा स्वैच्छिक पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं।

पर्यावरण प्रबंध के क्षेत्र में एनएचपीसी के लिए ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल है:

i. जल ग्रहण क्षेत्र सुधार (सीएटी)
ii. प्रतिपूरक वन रोपण/स्वैच्छिक वन रोपण
iii. हरित पट्टी विकास व लैंडस्केपिंग
iv. जलाशय रिम शोधन
v. मक डम्पिंग और खान स्थलों को पुनरुद्धार करना
vi. जैव विविधता संरक्षण
vii. मत्स्य संरक्षण और प्रबंधन
viii. निर्माण उपरान्त प्रभाव मूल्यांकन

इन प्रमुख क्षेत्रों का ब्यौरा www.nhpcindia.com/key-areas.htm पर उपलब्ध है।

3. **क्या कम्पनी संभावित पर्यावरणीय खतरों की पहचान और उनका आकलन करती है? हां/नहीं।**

जी हां, एनएचपीसी जलविद्युत के सतत् उत्पादन के प्रति प्रतिबद्ध है। पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन पर्यावरण पर संभावित प्रभाव (सकारात्मक और नकारात्मक) की पहचान के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय किया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के निष्कर्षों पर आधारित, पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का प्रस्ताव किया जाता है और प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए परियोजना निर्माण के दौरान उन्हें कार्यान्वित किया जाता है।

4. **क्या कम्पनी के पास स्वच्छ विकास तन्त्र से सम्बद्ध कोई परियोजना है? यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालना रिपोर्ट दाखिल की गई है?**

जी, हां। मार्च, 2009 के दौरान जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क (यूएनएफसीसीसी) की स्वच्छ विकास तन्त्र कार्यकारी बोर्ड द्वारा एसीएम0002 पद्धति : नवीकरणीय स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली उत्पादन हेतु समेकित प्रक्रियाविधि के अंतर्गत जम्मू–कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित निम्मो बाजगो और चुटक नामक दो जलविद्युत परियोजनाएं पंजीकृत की गई हैं। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप परियोजनाओं को अब एसीएम0002 की प्रयोजनीयता शर्तों के अनुरूप नहीं होना होगा और वे यूएनएफसीसीसी के विद्यमान पंजीकरण के अंतर्गत कोई सीईआर उत्पन्न नहीं करेंगी। तथापि, परामर्शदाता ने यह निष्कर्ष निकाला है कि परियोजना की पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को विद्यमान पंजीकरण के अंतर्गत प्रारंभ किया जा सकता है। तदनुसार कार्य के स्कोप में संशोधन और भुगतान खंड हेतु परिवर्तन आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है।

5. **क्या कम्पनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के संबंध में कोई अन्य पहलें की हैं। हां/नहीं, यदि हां, तो कृपया वैब पेज आदि लिए हाइपरलिंक दें।**

जलविद्युत उत्पादन स्वयं में एक नवीकरणीय ऊर्जा पहल है। तथापि, कंपनी ने पवन और सौर विद्युत में अतिरिक्त पहलें की हैं। राजस्थान और तमिलनाडु में क्रमशः एक 50 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना और एक 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना चालू की गई है। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी के विभिन्न स्थलों पर कुल क्षमता 2.49 मेगावाट वाली रूफ टॉप सौर परियोजनाएं प्रारंभ की गई है। विभिन्न एनएचपीसी स्थानों पर कुल क्षमता 1.59 मेगावाट के अतिरिक्त रूफ टॉप सौर संयंत्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। एक विकासक के चयन के लिए चयन अनुरोध (आरएफएस) का निमंत्रण भारत में किसी भी स्थल के आधार पर कुल 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए जारी किया गया था। सम्पूर्ण 2000 मेगावाट के लिए अवार्ड पत्र (एलओए) जारी किए गए हैं और बिजली क्रय करार (डेवलपरों के साथ बिजली क्रय करार) और विद्युत विक्रय करार (डेवलपरों/उपभोक्ताओं के साथ विद्युत बिक्री करार) पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया की जा रही है।

एनएचपीसी विभिन्न संभावनाओं से समृद्ध राज्यों में सौर/पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है जो कि केरल (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की यूएमआरईपीपी योजना के अंतर्गत 50 मेगावाट फ्लोटिंग सौर, 72 मेगावाट पवन), ओडिशा (राज्य नोडल एजेंसी जीईडीसीओएल के साथ संयुक्त उद्यम स्वरूप में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की यूएमआरईपीपी योजना के अंतर्गत 500 मेगावाट फ्लोटिंग सौर, ईपीसी स्वरूप में 140 मेगावाट उपयोज्यता सौर परियोजना), तेलंगाना (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की यूएमआरईपीपी योजना के अंतर्गत राज्य नोडल एजेंसी टीएसआरईडीसीओ के साथ संयुक्त उद्यम स्वरूप में 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर, ईपीसी स्वरूप में 293 मेगावाट उपयोज्यता सौर परियोजना) इत्यादि की प्रक्रिया कर रही है। राज्य प्राधिकरणों के साथ पीपीए, कनेक्टिविटी और भूमि मुद्दों के संबंध में विचार विमर्श किया जा रहा है।

6. **सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमेय सीमा के भीतर कम्पनी द्वारा उत्सर्जन/निकले अपशिष्ट को वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्ट किया जा रहा है?**

जलविद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन के दौरान ठोस अपशिष्ट, तरल बहिस्राव या गैसों का उत्सर्जन नहीं हुआ, इसके अलावा, जलविद्युत उत्पादन के समय पानी में कोई प्रदूषण नहीं हुआ । तथापि, विद्युत उत्पादन के बाद, नदी जल की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के आकलन के लिए नदी जल की गुणवत्ता का निरन्तर विश्लेषण सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमेय सीमा के भीतर होने के लिए किया जा रहा है।

7. **सीपीसीबी/एसपीसीबी से वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितने कारण बताओ/कानूनी नोटिस प्राप्त हुए, जो लम्बित हैं (अर्थात् जिनका संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं किया गया)**

वित्तीय वर्ष 2019–20 की समाप्ति तक ऐसी कोई नोटिस लम्बित नहीं थी।

सिद्धान्त 7

1. **क्या आपकी कम्पनी किसी व्यापार, मंडल या एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां, तो केवल उनके नाम बताएं जो आपके साथ व्यवसाय करते हैं।**

एनएचपीसी लोक उद्यम के स्थाई सम्मेलन (स्कोप) का सदस्य है। स्कोप का मूल उद्देश्य "सरकारी क्षेत्र के व्यक्तिगत और सामूहित योगदान के बारे में जनता की बेहतर समझदारी" को बढ़ाना है।

2. **क्या आपने उन्नति या जनता की बेहतरी की वकालत की है/उपरोक्त एसोसिएशनों के माध्यम से लॉबिंग की है? हां/नहीं, यदि हां, तो विस्तृत क्षेत्रों को स्पष्ट करें (ड्रॉप बाक्सः शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी**

विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल खाद्य सुरक्षा, सतत व्यावसायिक सिद्धान्त, अन्य)

हम जनता की बेहतरी के लिए शासन व प्रशासन का दृढ़ता से समर्थन करते हैं।

सिद्धान्त 8

1. **क्या कम्पनी के पास सिद्धान्त 8 से सम्बद्ध नीति को आगे बढ़ाने में कोई कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं? यदि हां, तो इसका ब्यौरा दें।**

जी, हाँ। एनएचपीसी स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, पर्यावरणीय धारणीयता, महिला सशक्तिकरण आदि के क्षेत्रों में अपने ढांचाबद्ध सीएसआर प्रयासों तथा परियोजनाओं के माध्यम से सतत रूप से अपने निकटवर्ती समुदायों तथा व्यापक तौर पर समाज के धारणीय विकास हेतु प्रयासरत है और इसके द्वारा ऐसा विशेष रूप से संघ शासित राज्य जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरूणाचल प्रदेश, असम तथा मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा आदि जैसे राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सुदूर क्षेत्रों में किया जा रहा है।

ये कार्यक्रम स्वास्थ्य देख–रेख, शिक्षा, पर्यावरणीय प्रबंधन और सीमांत तथा वंचित तबकों/समुदायों के सशक्तिकरण में उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हैं।

2. **क्या कार्यक्रम/परियोजनाएं आन्तरिक दल/अपने प्रतिस्थान/बाह्य गैर सरकारी संगठन/सरकारी संस्थाओं/या अन्य संगठनों के माध्यम से चलाये जाते हैं?**

कम्पनी की अधिकांश सीएसआर परियोजनाएं आंतरिक टीमों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है और कुछ कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों/सरकारी संस्थाओं की भागीदारी से कार्यान्वित किए जाते है।

3. **क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव आकलन किया है?**

एनएचपीसी द्वारा 2 करोड़ रूपए अथवा इससे अधिक, या जिनकी कार्यान्वियन अवधि 3 वर्ष अथवा इससे अधिक है या उच्चतर प्रभाव वाली परियोजनाओं के संबंध में सीएसआर क्रियाकलापों के प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए जाने की नीति को अंगीकार किया गया है।

प्रभाव मूल्यांकन की प्रक्रिया ओमियो कुमार दास इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट (ओकेडीआईएससीडी), गुवाहाटी, इंस्टियूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, दिल्ली, संकुल के माध्यम से सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना, एनएसडीसी के माध्यम से किए गए कौशल विकास प्रयासों, सैनिटरी नैपकिन निर्माण यूनिट की स्थापना जैसे प्रमुख क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के संबंध में की गई है।

4. **सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपके कम्पनी का प्रत्यक्ष अंशदान कितना है – धनराशि भारतीय रुपए में और शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा?**

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर कुल अंशदान 126.43 करोड़ रूपए था। ब्यौरा निम्नवत है :

क्र.सं.	परियोजना	वर्ष 2019–20 के लिए धनराशि (भारतीय रूपए में)
i	शिक्षा और कौशल विकास	57.96 करोड़ रूपए
ii	स्वास्थ्य देखरेख	48.08 करोड़ रूपए
iii	ग्रामीण विकास	9.00 करोड़ रूपए
iv	पर्यावरण और धारणीयता	3.31 करोड़ रूपए
v	महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक	0.36 करोड़ रूपए
vi	सीएसआर क्षमता निर्माण, खेलकूद, कला एवं संस्कृति और अन्य पहलें	7.72 करोड़ रूपए
कुल व्यय		**126.43 करोड़ रूपए**

वर्ष के दौरान ली गई विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :

1. **शिक्षा और कौशल विकास**

क) एनएसक्यूएफ (राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा) के अनुरूप कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

ख) देश के विभिन्न भागों में आईटीआई/स्कूलों का सुधार/उन्नयन।

ग) स्कूल भवनों तथा प्रयोगशालाओं का निर्माण और उन्नयन तथा स्कूलों में आधारभूत ढांचा मुहैया करवाना।

घ) उच्चतर शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।

ङ) सरकार द्वारा चिन्हित महत्वाकांक्षी जिलों में नेशनल हैण्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवेलपमेंट कारपोरेशन (एनएचएफडीसी) के माध्यम से दिव्यांग जनों (पीडब्ल्यूडी) के आजीविका उन्नयन हेतु रोजगार अभिमुख प्रशिक्षण।

2. **स्वास्थ्य देख–रेख**

क) परियोजनाओं/पावर स्टेशन के आस–पास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में चिकित्सा शिविरों, मोतियाबिंद सर्जरी शिविरों और टीकाकरण कार्यक्रमों का आयोजन तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों/व्यक्तियों को निःशुल्क दवाओं का वितरण।

ख) भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों को इमदाद तथा सहायक उपकरण मुहैया करवाना। सेरेबल पाल्सी से ग्रसित छात्रों के लिए विशेष व्हील चेयर मुहैया करवाना।

ग) सरकारी अस्पतालों, प्रसूति केन्द्रों के उन्नयन के माध्यम से समुदायों की समग्र स्वास्थ्य स्थितियों के सुधार हेतु सहायता प्रदान करना।

घ) सरकारी अस्पतालों को एम्बूलेंस, चिकित्सा उपकरण और अन्य आधारभूत ढांचा सुविधाएं मुहैया करवाना।

ङ) बोरवेल से स्वच्छ पेयजल सुविधाएं, सार्वजनिक क्षेत्रों में फिल्ट्रेशन, सामुदायिक केन्द्र आदि।

च) आरओ संयंत्र से सामुदायिक पेयजल सुविधा।

छ) बाजार/सार्वजनिक स्थानों में आधारभूत सुविधाएं/स्वच्छता सुविधाएं।

ज) विद्यालयों/सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों का निर्माण/स्थापन।

झ) जलापूर्ति लाइनों का निर्माण/स्थापन तथा गांवों में साफ–सफाई।

ञ) विद्यालयों हेतु जलापूर्ति प्रणाली।

ट) कचरे के डिब्बों को लगाना, सार्वजनिक स्थानों को अपनाना तथा उनका सौंदर्यकरण, क्षेत्र का ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, मलबे को साफ करने हेतु उपयोगिता वैन मुहैया करवाना आदि।

ठ) कोविड–19 के अंतर्गत खाद्य, स्वास्थ्य वस्तुओं (मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर) के वितरण, आइसोलेशन/क्वारेंटीन केंद्रों का निर्माण, आपातकालीन चिकित्सा मदों का वितरण, चिकित्सा उपकरणों की एयरलिफ्टिंग (पीपीई) इत्यादि।

3. **ग्रामीण विकास**

क) सामुदायिक केन्द्र, जलापूर्ति लाइनों, नालों, सड़कों/पथों, सिंचाई नहरों आदि जैसी आधारभूत ढांचागत सुविधाओं के विस्तार हेतु ग्रामीण विकास

ख) दाह संस्कार शेड, वर्षा आश्रय, यात्री शेड आदि के निर्माण क्रियाकलाप।

ग) कृषि/बागवानी/मछली पालन तथा कृषि के अन्य उन्नत तरीकों के विकास हेतु किसानों को प्रशिक्षण।

घ) स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अन्य आधारभूत ढांचा और सामुदायिक विकास।

4. **पर्यावरण और धारणीयता**

क) वृक्षारोपण और हर्बल पार्कों का विकास।

ख) सौर स्ट्रीट लाइटों को लगाना।

ग) गंगा नदी की सफाई और पुनरूद्धार के लिए स्वच्छ गंगा निधि में योगदान।

5. **महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक**

क) महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।

ख) महिलाओं को सिलाई मशीनों का वितरण।

ग) महिला बाजार और आंगनवाड़ी केंद्र का पुनरूद्धार।

घ) सैनिटरी पैड की निर्माण इकाइयों की स्थापना।

ङ) महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम।

च) स्थानीय स्व–सहायता समूहों को सिलाई, बुनाई, फास्ट फूड बनाने की कला के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था।

6. **खेल–कूद, कला और संस्कृति/अन्य पहलें**

क) प्रभाव आकलन/मूल्यांकन अध्ययन/ बेस लाइन सर्वेक्षण

ख) ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण

ग) स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा।

घ) विभिन्न खेलों में स्थानीय खिलाड़ियों के लिए कोचिंग।

ङ) भूतपूर्व सैनिकों के लिए अंशदान।

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है? कृपया 50 शब्दों या इसके आसपास उत्तर दें।**

जी, हां। एनएचपीसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि हमारी सामुदायिक पहलों को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया जाये। इसको सुनिश्चय करने के उद्देश्य से एनएचपीसी समुदाय के किसी भी सीएसआर क्रियाकलाप को प्रारंभ करने के लिए बाटम अप एप्रोच का उपयोग करती है। यह इस तथ्य की विशेषता है कि स्टेकधारक आवश्यकता पहचान/मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। किसी सामुदायिक विकास पहल को आगे बढ़ाने से पहले हमारी आंतरिक टीम द्वारा आधारभूत डाटा एकत्र करके विश्लेषण किया जाता है। किसी भी सीएसआर क्रियाकलाप के प्रारंभ से पूर्व पूर्ण ब्यौरे के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करके उसका विश्लेषण किया जाता है। निगरानी के लिए संस्थागत तंत्रव्यवस्था संगठन में मौजूद है और इसकी प्रक्रिया कार्यान्वयन के दौरान उचित अंतराल पर उचित स्तर पर प्रारंभ हो जाती है। इसके

अतिरिक्त, हमारी पहलों के संबंध में भावी योजना प्रयोजनों हेतु लाभग्राहियों की फीडबैक भी एकत्रित की जाती हैं।

सिद्धान्त 9

1. **वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लम्बित है?**

   वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान किसी ग्राहक की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वित्तीय वर्ष 2018–19 दौरान कोई भी मामला लम्बित नहीं है।

2. **क्या कम्पनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अधिदेशित के अलावा, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है? हां/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणियां (अतिरिक्त जानकारी)**

   लागू नहीं।

3. **क्या गत पांच वर्षों के दौरान किसी हित धारक ने अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के संबंध में कम्पनी के विरूद्ध कोई मामला दायर किया है और वित्तीय वर्ष के अन्त तक लम्बित है?**

   किसी हितधारक ने ऐसा कोई मामला दायर नहीं किया है।

4. **क्या आपकी कम्पनी कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता सन्तुष्टि प्रवृत्तियों का अध्ययन कराया था?**

   एनएचपीसी हमारे लाभग्राहियों से नियमित फीडबैक ले रहा है जो हमारी अपने ग्राहकों की एक बेहतर तथा अधिक प्रभावी ढंग से सेवा करने में सहायता करता है। एनएचपीसी अपने लाभग्राहियों से नियमित रूप से फीडबैक प्राप्त कर रहा है और अधिकांश फीडबैक संतोषजनक होते है। एनएचपीसी क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) जो विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, के माध्यम से लाभग्राही राज्यों के साथ भी जुड़ा हुआ हैं, यह हितधारकों डिस्कामों की परस्पर चर्चा और बाकी देयों के समाधान हेतु एक आम मंच है। एनएचपीसी ने लंबित मुद्दों, यदि कोई हो, के समाधान के लिए अपने लाभग्राहियों के लिए आवधिक उपभोक्ता बैठकें भी आयोजित की है। एनएचपीसी ने 7 जून और 8 जून को गंगटोक में 45वीं एनआरपीसी का आयोजन भी किया।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

(अभय कुमार सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 08646003

तारीख : 27 अगस्त, 2020
स्थान : फरीदाबाद

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) क्रियाकलापों के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट

1. **कम्पनी की सीएसआर नीति के संक्षिप्त रूप रेखा जिसमें ली जाने वाली परियोजनाओं या कार्यक्रमों का सिंहावलोकन और सीएसआर नीति तथा परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के वेब लिंक का संदर्भ शामिल हो।**

प्रस्तावनाः

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची 7 तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सीएसआर संबंधी सामान्य परिपत्रों के साथ पढ़े जाने वाली कम्पनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के अनुरूप एक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता नीति बनाई है।

नीति की मुख्य विशेषताएं

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप–धारा (5) के अंतर्गत निर्दिष्ट एक राशि, जो वर्तमान में पिछले तत्काल तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित किए गए औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत है, वर्ष के दौरान सीएसआर एवं धारणीय विकास कार्यों हेतु वार्षिक बजट के रूप में रखी गई है और इसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- एनएचपीसी की परियोजनाओं के आस–पास स्थानीय क्षेत्रों को बजट राशि के कम से कम 80 प्रतिशत को आवंटित करके प्राथमिकता दी जाएगी। तथापि, आवश्यकताओं के आधार पर और राष्ट्रीय योजनाओं तथा अभियान के संबंध में भारत सरकार के निदेशों के अनुसार अन्य स्थानों का चुनाव किया जा सकता है, जिसमें समाज/पर्यावरण के वृहतर लाभ हेतु सीएसआर बजट के 20 प्रतिशत से अधिक की राशि का व्यय किया जा सकता है।
- सीएसआर प्रयासों में कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–7 के अनुसार शिक्षा तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, खेल, कला और संस्कृति आदि हेतु कार्यक्रम शामिल हैं। अनुसूची–7 के अनुरूप न होने वाले किसी भी क्रियाकलाप पर व्यय को सीएसआर तथा धारणीयता योजनाएं/क्रियाकलापों के रूप में लेखांकित नहीं किया जाता है।
- सीएसआर और धारणीयता योजनाओं का चयन यह सुनिश्चित करता है कि अधिकतम लाभ समाज के गरीब/पिछड़े तथा जरूरतमंद तबकों तक पहुंचे और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार हेतु भी योगदान दे।
- आपकी कम्पनी संसाधनों के ईष्टतम उपयोग, सामाजिक–आर्थिक या पर्यावरणीय प्रभाव को अधिकतम करने के लिए विशेषज्ञता तथा क्षमताओं के परस्पर संतुलन हेतु मेगा परियोजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन तथा निगरानी में अन्य सीपीएसई के साथ मिलकर कार्य करने के लिए तैयार है।

सीएसआर के अंतर्गत कवर किए गए कार्यक्रम :

चूंकि एनएचपीसी के पावर स्टेशन/परियोजनाएं समूचे भारत में भिन्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति में अवस्थित हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की पहचान और निरूपण किसी स्थल विशेष की अपेक्षा की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है। इस आशय से, क्रियाकलापों के व्यापक क्षेत्र की पहचान की गई है जिसे पावर स्टेशनों/परियोजनाओं में तथा उसके आस–पास प्रारम्भ किया गया है। इन क्रियाकलापों को नीचे दिया गया है:

I शिक्षा और कौशल विकास :

शिक्षा और कौशल विकास प्रदान करने, विशेषकर समाज के गरीब तथा वंचित तबकों को, के मामलो में आपकी कंपनी अग्रणी है।

आपकी कंपनी स्कूलों में आधारभूत ढांचे में सुधार, डिजिटल स्मार्ट कक्षाओं/पुस्तकालयों की स्थापना आदि हेतु सहयोग मुहैया करवा रही है। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं/पावर स्टेशनों/टाउनशिप के आस–पास सरकारी स्कूलों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। आपकी कंपनी ने अपनाई गई कुछ आईटीआई के उन्नयन में भी योगदान दे रही है।

विभिन्न परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के आस–पास के क्षेत्रों में रह रहे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु एनसीक्यूएफ (राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा) के अनुरूप होने वाले विभिन्न कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं और लगभग 3000 व्यक्तियों को रोजगार अभिमुख कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है जिसमें से लगभग 70 प्रतिशत को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है और ऐसा सरकार द्वारा चिन्हित महत्वकांक्षी जिलों नामतः बारामूला (जम्मू एवं कश्मीर), और चम्बा (हिमाचल प्रदेश) तथा साथ ही साथ कुछ अन्य स्थलों नामतः बादीपुरा, किश्तवाड़ और कठुआ (जम्मू एवं कश्मीर), मण्डी और कुल्लू (हिमाचल प्रदेश), जलपाईगुड़ी और दार्जीलिंग (पश्चिम बंगाल), पिथौरागढ़, टनकपुर (उत्तराखंड) और दक्षिण/पूर्व सिक्किम (सिक्किम), लखीमपुर, सोनितपुर (असम), डिंडीगुल (तमिलनाडु) और जीरो, ईटानगर (अरूणाचल प्रदेश) में किया गया है।

आपकी कंपनी सरकार द्वारा चिन्हित महत्वकांक्षी जिलों नामतः बारामूला (जम्मू एवं कश्मीर), और चम्बा (हिमाचल प्रदेश) तथा साथ ही साथ कुछ अन्य स्थलों नामतः जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर), मण्डी (हिमाचल प्रदेश), सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) में राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) के माध्यम से 1000 दिव्यांगों के आजीविका उन्नयन हेतु रोजगार अभिमुख प्रशिक्षणो को लागू कर रही है। इस सीएसआर पहल में उम्मीदवारों की पहचान की सिरे से सिरे तक व्यवस्था शामिल है जिसमें उन्हें सिलाई मशीन ऑपरेटर, हाथ से कढ़ाई, स्व–नियोजित दर्जी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अगरबत्ती बनाना और बांस की टोकरी बनाना आदि जैसे ट्रेडों में उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार अभिमुख कौशल सैटों में उन्हें प्रशिक्षण मुहैया कराया जाता है और उन्हें नियोजन या भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय के सहयोगियों के माध्यम से स्व–रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए आसान ऋण दिया जाता है।

II स्वास्थ्य :

स्वास्थ्य एक प्रमुख मुद्दा है जिसे आपकी कंपनी अत्यधिक गम्भीरतापूर्वक लेती है। आपकी कंपनी ने परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के समीपवर्ती क्षेत्रों में कई चिकित्सा शिविर लगाए हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों/व्यक्तियों को निःशुल्क दवा वितरित की है। आपकी कंपनी दिव्यांग लोगों को इमदाद तथा सहायक उपकरणों का वितरण भी कर रही है। आपकी कंपनी सरकारी अस्पतालों को एम्बूलेन्स, चिकित्सा उपकरण, बहु उपयोगिता वाले वाहन और अन्य आधारभूत ढांचा सपोर्ट मुहैया करवा रही है और वर्ष भर स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान एनएचपीसी ने लाभग्राहियों की पहचान करने और उन्हें कृत्रिम अंगों, बैसाखियों, श्रवण उपकरण, व्हील चेयर आदि के वितरण का कार्य एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलीमको) के माध्यम से पश्चिम सिक्किम (सिक्किम) में आयोजित किया गया।

III स्वच्छ भारत अभियान :

आपकी कंपनी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बड़ी संख्या में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता क्रियाकलाप प्रारंभ किए गए है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में सुरक्षित पेय जल सुविधाएं, आरओ प्लांट के साथ सामुदायिक पेय जल सुविधा, बाजार/सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं/स्वच्छता सुविधाएं, गांवों में जलापूर्ति लाइनों का निर्माण स्कूल/सार्वजनिक स्थानों में शौचालयों का निर्माण, स्कूलों हेतु जलापूर्ति प्रणाली कचरे के डिब्बों को लगाना, सार्वजनिक स्थानों को अपनाना तथा उनका सौंदर्यकरण, क्षेत्र का ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, मलबे को साफ करने हेतु उपयोगिता वैन मुहैया करवाना आदि शामिल है।

IV ग्रामीण विकास :

एनएचपीसी द्वारा बड़े साधनविहीन वंचित ग्रामीण समुदायों की आवश्यकता तथा अपेक्षताओं के अनुसार सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण, जलापूर्ति लाइनें, नाले, सड़कें/पथ आदि जैसी मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए थे। आपकी कंपनी ने वर्षा आश्रय, यात्री शेड, दाह संस्कार शेड आदि के निर्माण क्रियाकलापों को लिया है। आपकी कंपनी कृषि/बागवानी, मछली पालन तथा खेती के अन्य उन्नत तरीकों के विकास हेतु किसानों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में भी कार्य कर रही है।

V पर्यावरण और धारणीयता :–

आपकी कंपनी पर्यावरणीय धारणीयता, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पति तथा जीव जन्तु के बचाव, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, वायु, जल तथा मिटटी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरणीय धारणीयता को सुनिश्चित करने हेतु कई क्रियाकलाप किए गए हैं जिसमें ''प्रदूषण कम करने वाले पौधों के अभियान'' के अंतर्गत वृक्षारोपण, सौर स्ट्रीट लाइटों का स्थापन, हर्बल पार्कों का विकास, पार्कों का पुनरूद्धार आदि शामिल हैं।

VI महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिक :–

आपकी कंपनी ने महिलाओं के सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों हेतु सुविधाओं के सृजन के लिए बनाए गए विभिन्न सीएसआर क्रियाकलापों के प्रति योगदान दिया है। आपकी कंपनी ने महिलाओं में स्व–रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता की है। मेवात के महत्वकांक्षी जिले में महिला सशक्तिकरण और आजीविका उन्नयन हेतु एक सैनेट्री नैपकिन यूनिट स्थापित की गई है और आय सृजन एवं स्व–निर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीनों का भी वितरण किया गया।

VII सीएसआर क्षमता निर्माण और अन्य क्रियाकलाप :–

आपकी कंपनी ने ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी योगदान दिया है। सीएसआर कार्यक्रमों की प्रभावोत्पादकता का पता लगाने के लिए आपकी कंपनी द्वारा प्रभाव आकलन/ मूल्यांकन अध्ययन भी किए जा रहे हैं।

VIII आपदा प्रबंधन :

कोविड–19 महामारी के इस संकट काल के दौरान आपकी कम्पनी ने ''प्रधान मंत्री केयर फंड'' में 25 करोड़ रूपए की राशि का अंशदान दिया है। एनएचपीसी ने इस महामारी से मुकाबला के लिए स्थानीय प्रशासन को अनिवार्य खाद्य मदों, दवाओं, स्वच्छता

किटों के वितरण, सेनिटेशन ड्राइव इत्यादि के माध्यम अपना योगदान दिया है। एनएचपीसी के अनेक स्थलों पर स्थित औषधालयों में क्वारेंटीन सेंटर की स्थापना की तैयारी की गई।

आपकी कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है : http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/CSR_Policy_E_CMA_201811_1.pdf

2. सीएसआर समिति की संरचना:

सीएसआर तथा धारणीयता क्रियाकलापों हेतु प्रबंधन ढांचा निम्नानुसार है:

विभिन्न सीएसआर तथा धारणीयता पहलों के बजट आवंटन, प्रगति की समीक्षा और मार्गदर्शन हेतु एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली बोर्ड स्तरीय समिति गठित की गई है। 31 मार्च, 2020 के अनुसार "सीएसआर तथा धारणीयता संबंधी निदेशकों की समिति" की संरचना निम्नानुसार है:

1.	श्री भागवत प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)	सदस्य
3.	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)	सदस्य
4.	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त)	सदस्य
5.	श्री जनार्दन चौधरी	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

3. गत तीन वित्तीय वर्षों हेतु कंपनी का औसत निवल लाभ :–

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार सीएसआर बजट की गणना के प्रयोजन हेतु पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए निवल लाभ के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	वित्त वर्ष	निवल लाभ (करोड़ में)	औसत निवल लाभ (करोड़ में)
1	2016–17	3,178.20	2987.00
2	2017–18	2,785.22	
3	2018–19	2997.58	

4. विहित सीएसआर व्यय :

59.74 करोड़ रूपए (पिछले तीन वर्षों हेतु औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत)। इसके अतिरिक्त, पिछले वित्तीय वर्ष से 63.42 करोड़ रूपए की एक व्यय न की गई राशि को भी अग्रेनीत किया गया था। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु किया गया कुल बजट आवंटन 126.44 करोड़ रूपए था।

5. वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय के ब्यौरे :–

क. वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान व्यय की जाने वाली कुल राशि :

126.44 करोड़ रूपए (63.42 करोड़ रूपए की अग्रेनीत राशि सहित)।

ख. व्यय न की गई राशि, यदि कोई हो:

शून्य रूपए।

ग. तरीका जिसके द्वारा वित्त वर्ष के दौरान राशि व्यय की जानी है को विस्तारपूर्वक नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना अथवा क्रियाकलाप	क्षेत्र	स्थल	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार (लाख रूपए में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि (लाख रूपए में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (लाख रूपए में)	राशि का व्यय किया जाना – सीधे अथवा क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1.	स्कूल भवनों, पुस्तकालय भवनों तथा प्रयोगशालाओं का निर्माण और उन्नयन। स्कूलों को आधारभूत ढांचा मुहैया करवाना।	शिक्षा और कौशल विकास	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/यूनिट स्थलों के आस–पास किया जा रहा है – जम्मू एवं कश्मीर में जिला – रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, कठुआ और बांदीपुरा,	5796	5796	5796	सीधे

क्रम सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना अथवा क्रियाकलाप	क्षेत्र	स्थल	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार (लाख रूपए में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि (लाख रूपए में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (लाख रूपए में)	राशि का व्यय किया जाना – सीधे अथवा क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1.	स्मार्ट कक्षाएं। छात्रों को छात्रवृत्ति। बेरोजगार युवाओं हेतु रोजगार अभिमुख व्यावसायिक प्रशिक्षण/ कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। आईटीआई में विकासात्मक/ उन्नयन क्रियाकलाप।	शिक्षा और कौशल विकास	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में लेह (लद्दाख), कारगिल, हिमाचल प्रदेश में जिला – कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, सिक्किम में जिला – पूर्वी सिक्किम और दक्षिणी सिक्किम (सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), उत्तराखंड में जिला – पिथौड़ागढ, देहरादून और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जीलिंग और जलपाईगुड़ी, असम में जिला लखीमपुर, सोनितपुर, अरूणाचल प्रदेश में जिला – लोअर सुबनसिरी, ईटानगर तथा दिबांग वैली, तमिलनाडु में जिला डिंडीगुल और हरियाणा में जिला फरीदाबाद।				
2.	चिकित्सा शिविरों, नेत्र जांच शिविरों का आयोजन। ''एलीमको'' की भागीदारी में दिव्यांगों को इमदाद और सहायक उपकरणों का वितरण। सरकारी अस्पतालों का उन्नयन, सरकारी अस्पतालों को एम्बूलेन्स, चिकित्सा उपकरण तथा अन्य आधारभूत ढांचागत सुविधाएं मुहैया करवाना। बोरवेल से स्वच्छ पेयजल सुविधाएं, सार्वजनिक क्षेत्रों में फिल्ट्रेशन, सामुदायिक केन्द्र आदि। विद्यालयों/ सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों का निर्माण। गाँवों/ स्कूलों में जलापूर्ति लाइनों का निर्माण/ स्थापन, कोविड–19 महामारी को कम करने के हेतु सहायता, मणिपुर सरकार की चिकित्सा उपकरणों/ पीपीई आदि को एअरलिफ्ट कराने के लिए सहयोग।	स्वास्थ्य और स्वच्छता (स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ विद्यालय अभियान सहित)	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस–पास किया जा रहा है – जम्मू एवं कश्मीर में जिला – रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, कठुआ और बांदीपुरा, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में लेह (लद्दाख), कारगिल, हिमाचल प्रदेश में जिला – कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, सिक्किम में जिला दक्षिण सिक्किम और पूर्वी सिक्किम (सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), उत्तराखंड में जिला – पिथौड़ागढ और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जीलिंग और जलपाईगुड़ी, जिला धेमाजी (असम), अरूणाचल प्रदेश में जिला – ईटानगर और दिबांग वैली, हरियाणा में जिला फरीदाबाद और मेवात, उत्तर प्रदेश में जिला मेरठ तथा मुजफ्फरनगर। एनएचपीसी के सभी स्थलों पर समान रूप से कोविड–19 को कम करने के लिए सहयोग।	4808	4808	4808	सीधे

क्रम सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना अथवा क्रियाकलाप	क्षेत्र	स्थल	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार (लाख रूपए में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि (लाख रूपए में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (लाख रूपए में)	राशि का व्यय किया जाना – सीधे अथवा क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
3.	पथमार्ग, फुट ब्रिज, कंक्रीट मार्गों का निर्माण। सामुदायिक भवनों का निर्माण और नवीकरण। दाह संस्कार शेडों का निर्माण। नालों, वर्षा आश्रयों तथा प्रतीक्षा शेडों का निर्माण। गांवों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अन्य आधारभूत ढांचागत तथा सामुदायिक विकास क्रियाकलाप। बेरोजगार युवाओं, सीमांत किसानों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षा।	ग्रामीण विकास	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस–पास किया जा रहा है – जम्मू एवं कश्मीर में जिला – रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, कठुआ और बांदीपुरा, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में लेह (लद्दाख), कारगिल, हिमाचल प्रदेश में जिला – कुल्लू, चम्बा, शिमला तथा मंडी, सिक्किम में जिला दक्षिण सिक्किम, पूर्वी सिक्किम, जिला चूरचांदपुर, निगंथोकांग (मणिपुर), उत्तराखंड में जिला – पिथौड़ागढ, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जीलिंग और जलपाईगुड़ी, अरूणाचल प्रदेश में जिला – ईटानगर और दिबांग वैली, उत्तर प्रदेश में जिला बस्ती, अकबरपुर, कानपुर, महाराष्ट्र में जिला अहमदनगर और बिहार में जिला भोजपुर।	900	900	900	सीधे
4.	वृक्षारोपण और हर्बल पार्कों का विकास। सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइटों का स्थापन। एलईडी लाइटों को मुहैया करवाना। गंगा नदी की सफाई और पुनरूद्धार के लिए स्वच्छ गंगा निधि	पर्यावरणीय धारणीयता	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस–पास किया जा रहा है – जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र) में जिला – बांदीपुरा, कठुआ और किश्तवाड, हिमाचल प्रदेश में जिला – कांगड़ा और शिमला, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जीलिंग, सिक्किम में नार्थ सिक्किम में मंगन जिला, बिहार में आरा, हरियाणा में जिला फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश में जिला कानपुर, बिजनौर और मिर्जापुर तथा राजस्थान में जिला बीकानेर।	331	331	331	सीधे
5.	महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास कार्यक्रम। महिलाओं को सिलाई मशीनों का वितरण। केवल महिला बाजार और आंगनवाड़ी केंद्र का पुनरूद्धार। सैनिटरी पैड की विनिर्माण इकाइयों की स्थापना।	महिला सशक्तिकरण	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस–पास किया जा रहा है – जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र) में जिला – बारामुला और किश्तवाड, जिला पूर्वी सिक्किम (सिक्किम), और हरियाणा में जिला मेवात तथा हाथिन।	36	36	36	सीधे

क्रम सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना अथवा क्रियाकलाप	क्षेत्र	स्थल	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार (लाख रूपए में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि (लाख रूपए में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (लाख रूपए में)	राशि का व्यय किया जाना – सीधे अथवा क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
6.	प्रभाव आकलन/ मूल्यांकन अध्ययन। ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण। कला और संस्कृति का संरक्षण। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अंशदान और प्रशासनिक व्यय।	क्षमता निर्माण, खेलकूद, कला और संस्कृति और अन्य क्रियाकलाप	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस–पास किया जा रहा है – जम्मू एवं कश्मीर में जिला – रियासी, किश्तवाड और बांदीपुरा, हिमाचल प्रदेश में जिला – चम्बा तथा मंडी, उत्तराखंड में जिला – पिथौड़ागढ, जिला धेमाजी (असम), अरूणाचल प्रदेश में जिला – दिबांग वैली।	773	773	773	सीधे
	कुल			**12644**	**12644**	**12644**	

6. कम्पनी द्वारा गत तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी तत्संबंधी भाग हेतु औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत का व्यय कर पाने में विफल होने पर कम्पनी को उस राशि को व्यय न किए जाने के कारण अपने बोर्ड रिपोर्ट में बताना चाहिए:

आपकी कंपनी ने 126.44 करोड़ रूपए की समूची आवंटित सीएसआर निधि का व्यय किया है और अग्रेनीत किए जाने के लिए कोई व्यय न की गई राशि शेष नहीं है।

7. सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व कथन :–

सीएसआर नीति का कार्यान्वयन तथा निगरानी, कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों तथा नीति के अनुरूप है।

हस्ता./–
(ए.के.सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
एनएचपीसी लिमिटेड
डीआईएन : 08646003

हस्ता./–
(भागवत प्रसाद)
स्वतंत्र निदेशक और अध्यक्ष,
सीएसआर और धारणीयता संबंधी निदेशकों की समिति
डीआईएन : 07941795

तारीख : 21 जुलाई, 2020

फार्म संख्या एमजीटी–9
वार्षिक रिटर्न का सार

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कम्पनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुपालन में)

1. पंजीकरण तथा अन्य ब्यौरे

सीआईएन	L40101HR1975GOI332564
पंजीकरण तिथि	07 नवम्बर, 1975
कम्पनी का नाम	एनएचपीसी लिमिटेड
कम्पनी की श्रेणी/उप श्रेणी	पब्लिक कम्पनी/सरकारी कम्पनी/शेयरों द्वारा लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क ब्यौरे	एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर–33, फरीदाबाद, हरियाणा – 121003 टेलीफोन नं. 0129–2588110/2588500 फैक्स नं. 0129–2278018
क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	जी, हाँ
रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता तथा संपर्क ब्यौरे	1. इक्विटी शेयर और कर–मुक्त बॉण्ड के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31–32, गाचीबाउली, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, ननाकरमगुडा, हैदराबाद– 500 032 टेलीफोन नं.: 040–67162222 फैक्स नं. : 040 2300 1153 टोल फ्री नं. : 1800 345 4001 ई–मेल : einward.ris@kfintech.com वेबसाइट : www.kfintech.com 2. अन्य बाण्ड के लिए आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड बी–25/1, प्रथम तल, ओखला फेज – II नई दिल्ली – 110 020 टेलीफोन नं. : 011–26387320 ई–मेल : info@rcmcdelhi.com

2. कम्पनी के प्रमुख व्यापार क्रियाकलाप

कम्पनी के कुल टर्न–ओवर के 10 प्रतिशत अथवा अधिक का योगदान देने वाले सभी व्यापार क्रियाकलापों को नीचे दिया गया है –

क्रम सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम तथा वितरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड *	कम्पनी के कुल टर्न–ओवर का प्रतिशत #
1.	ऊर्जा (जलविद्युत) जलविद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन	35101	95.03 प्रतिशत

* राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अंतर्गत वर्गीकरण के अनुसार

सकल टर्न–ओवर के आधार पर

3. अनुषंगी तथा एसोसिएट कम्पनियों के ब्यौरे

क्रम सं.	कम्पनी का नाम और पता	सीआईएन	अनुषंगी / एसोसिएट	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1.	एनएचडीसी लिमिटेड, एनएचडीसी परिसर, निकट होटल लेक व्यू अशोक, श्यामला हिल्स, भोपाल – 462013, मध्य प्रदेश	U31200MP2000GOI014337	अनुषंगी कंपनी	51.08	2(87)
2.	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड, लोकतक पावर स्टेशन, एनएचपीसी लिमिटेड, पो.ऑ. लोकतक, कोम कैरप – 795 114, मणिपुर	U40101MN2009GOI008249	अनुषंगी कंपनी	73.17	2(87)
3.	बुन्देलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड, टीसी–43/V, विभूतिखंड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010, उत्तर प्रदेश	U40300UP2015GOI068632	अनुषंगी कंपनी	99.99	2(87)
4.	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड 1–7–37/1, एनएमडीसी क्वार्टर्स, क्वार्टर्स नं. IV–I, रमन्थापुर चर्च के सामने, गली नं. 8, रमन्थापुर, हैदराबाद – 500013, तेलंगाना	U40109TG2000PLC034758	अनुषंगी कंपनी	100	2(87)
5.	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू – 180 012 (जम्मू एवं कश्मीर)	U40105JK2011PTC003321	एसोसिएट (संयुक्त उद्यम)	49.89	2(6)
6.	नैशनल हाई पावर टैस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड, एनएचपीटीएल, पावरग्रिड काम्प्लेक्स, 765/400 के.वी. सबस्टेशन, खिमलासा रोड, बीना, सागर – 470 113, मध्य प्रदेश	U73100MP2009PTC047744	एसोसिएट (संयुक्त उद्यम)	20.00	2(6)

4. शेयरधारण पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्यौरा)

1) श्रेणी–वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2019 के अनुसार)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2020 के अनुसार)				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रमोटर्स									
(1) भारतीय									
क) व्यक्ति / एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) केन्द्र सरकार	7365964993	0	7365964993	73.33	7126772676	0	7126772676	70.95	(2.38)
ग) राज्य सरकारें	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) कारपोरेट निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2019 के अनुसार)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2020 के अनुसार)				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
ङ) बैंक / एफआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप जोड़ (क) (1)	7365964993	**0**	7365964993	73.33	7126772676	**0**	7126772676	70.95	(2.38)
(2) विदेशी									
क) एनआरआई –व्यक्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) अन्य – व्यक्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) कारपोरेट निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) बैंक / एफआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ङ) अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप जोड़ (क)(2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क) =(क)(1)+(क)(2)	7365964993	**0**	7365964993	73.33	7126772676	**0**	7126772676	70.95	(2.38)
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्यूचुअल फंड / यूटीआई	321471603	0	321471603	3.20	586717209	0	586717209	5.84	2.64
ख) बैंक / एफआई	65101540	0	65101540	0.65	63709606	0	63709606	0.63	(0.02)
ग) केन्द्र सरकार / राज्य सरकारें	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) वेंचर पूंजी निधियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ) बीमा कंपनियां	777695996	0	777695996	7.74	771748175	0	771748175	7.69	(0.05)
च) एफआईआई	491665365	0	491665365	4.89	470342884	0	470342884	4.68	(0.21)
छ) विदेशी वेंचर पूंजी निधियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ज) अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (ख)(1)	1655934504	**0**	1655934504	16.48	1892517874	**0**	1892517874	18.84	2.36
2. गैर–संस्थान									
क) कारपोरेट निकाय	463978931	0	463978931	4.62	452106009	0	452106009	4.50	(0.12)
ख) व्यक्ति									
(i) 1 लाख रूपए तक की नामितिक शेयर पूंजी धारित किए हुए शेयरधारक व्यक्ति	407257061	95067	407352128	4.06	394777481	81352	394858833	3.93	(0.13)
(ii) 1 लाख रूपए से अधिक की नामितिक शेयर पूंजी धारित किए हुए शेयरधारक व्यक्ति	131512320	0	131512320	1.31	142619046	0	142619046	1.42	0.11
ग) अन्य									
(i) क्लीयरिंग सदस्य	3471589	0	3471589	0.03	7736531	0	7736531	0.08	0.05
(ii) अप्रवासी भारतीय	8807589	7575	8815164	0.09	9064332	7575	9071907	0.09	0.00
(iii) अप्रवासी भारतीय – स्वदेश न लौटने वाले	4081989	0	4081989	0.04	5648619	0	5648619	0.06	0.02

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2019 के अनुसार)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2020 के अनुसार)				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
(iv) विदेशी नागरिक	500	0	500	0.00	500	0	500	0.00	0.00
(v) विदेशी कारपोरेट निकाय	175	0	175	0.00	175	0	175	0.00	0.00
(vi) ट्रस्ट	1840819	0	1840819	0.02	2697489	0	2697489	0.03	0.01
(vii) गैर बैंककारी वित्तीय संस्थान	453831	0	453831	0.00	302020	0	302020	0.00	0.00
(viii) आईईपीएफ	1627862	0	1627862	0.02	2428917	0	2428917	0.02	0.00
(ix) क्वालिफाइड इंस्टिट्युशनल क्रेता	0	0	0	0.00	8274209	0	8274209	0.08	0.08
उप जोड़ (ख)(2)	1023032666	102642	1023135308	10.19	1025655328	88927	1025744255	10.21	0.02
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)= (ख)(1)+ (ख)(2)	2678967170	102642	2679069812	26.67	2918173202	88927	2918262129	29.05	2.38
ग. जीडीआर तथा एडीआर हेतु अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
सकल जोड़ (क+ख+ग)	10044932163	102642	10045034805	100	10044945878	88927	10045034805	100	**0.00**

(2) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2019 के अनुसार)			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2020 के अनुसार)			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में प्रतिशत परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों का रेहन रखे गए/ भाराक्रांत किए गए शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों का रेहन रखे गए/ भाराक्रांत किए गए शेयरों का प्रतिशत	
1.	भारत के राष्ट्रपति	7365964993	73.33	0.00	7126772676	70.95	0.00	(2.38)
	कुल	7365964993	73.33	**0.00**	7126772676	70.95	**0.00**	(2.38)

(3) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्रम सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01.04.2019 के अनुसार)		वर्ष के दौरान कारोबार			वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता (01.04.2019 से 31.03.2020)	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	तिथि	वृद्धि/कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	वर्ष के प्रारंभ में	7,36,59,64,993	73.33				7,36,59,64,993	73.33
2	वर्ष के दौरान वृद्धि/ कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए प्रमोटरों की शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि/ कमी			10.10.2019	(22034198)	भारत 22 ईटीएफ को अंतरण	7343930795	73.11
				03.02.2020	(217158119)	सीपीएसई ईटीएफ को अंतरण	7126772676	70.95
3	वर्ष के अंत में	7126772676	70.95				7126772676	70.95

(4) 10 शीर्ष शेयरधारकों का शेयरधारण पैटर्न (निदेशक, प्रमोटर और जीडीआर तथा एडीआर के धारकों के अतिरिक्त)

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता (01.04.2019 से 31.03.2020)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	**भारतीय जीवन बीमा निगम ***				
	वर्ष के प्रारंभ में	734379599	7.31	734379599	7.31
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	2252348	0.02	736631947	7.33
	वर्ष के दौरान बेचे गए	0	0.00	736631947	7.33
	वर्ष के अंत में	736631947	7.33	736631947	7.33
2.	**पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	244473240	2.43	244473240	2.43
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	0	0.00	244473240	2.43
	वर्ष के दौरान बेचे गए	10000000	0.10	234473240	2.33
	वर्ष के अंत में	234473240	2.33	234473240	2.33
3.	**सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडिड स्कीम (सीपीएसई ईटीएफ)**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00	0	0.00
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	341357419	3.40	341357419	3.40
	वर्ष के दौरान बेचे गए	148412676	1.48	192944743	1.92
	वर्ष के अंत में	192944743	1.92	192944743	1.92
4.	**आरईसी लिमिटेड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	175302206	1.75	175302206	1.75
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	0	0.00	175302206	1.75
	वर्ष के दौरान बेचे गए	0	0.00	175302206	1.75
	वर्ष के अंत में	175302206	1.75	175302206	1.75
5.	**एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड – एचडीएफसी बैलेन्सड एडवान्टेज फंड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	82953520	0.83	82953520	0.83
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	54906994	0.54	137860514	1.37
	वर्ष के दौरान बेचे गए	0	0.00	137860514	1.37
	वर्ष के अंत में	137860514	1.37	137860514	1.37
6.	**एडजेबेस्टन एशियन इक्विटी ट्रस्ट**				
	वर्ष के प्रारंभ में	56455779	0.56	56455779	0.56
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	22554934	0.22	79010713	0.78
	वर्ष के दौरान बेचे गए	10359208	0.10	68651505	0.68
	वर्ष के अंत में	68651505	0.68	68651505	0.68
7.	**एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड – एचडीएफसी टेक्स सेवर फंड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	60641557	0.60	60641557	0.60
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	0	0.00	60641557	0.60
	वर्ष के दौरान बेचे गए	219000	0.00	60422557	0.60
	वर्ष के अंत में	60422557	0.60	60422557	0.60

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता (01.04.2019 से 31.03.2020)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
8.	**वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	35556270	0.35	35556270	0.35
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	6701950	0.07	42258220	0.42
	वर्ष के दौरान बेचे गए	931766	0.01	41326454	0.41
	वर्ष के अंत में	41326454	0.41	41326454	0.41
9.	**वैनगार्ड इमरजिंग मार्केटस स्टॉक इंडेक्स फंड, वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड की ए सीरीज**				
	वर्ष के प्रारंभ में	36609129	0.36	36609129	0.36
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	143655	0.00	36752784	0.36
	वर्ष के दौरान बेचे गए	281927	0.00	36470857	0.36
	वर्ष के अंत में	36470857	0.36	36470857	0.36
10	**यूको बैंक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	30350000	0.30	30350000	0.30
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	0	0.00	30350000	0.30
	वर्ष के दौरान बेचे गए	0	0.00	30350000	0.30
	वर्ष के अंत में	30350000	0.30	30350000	0.30

टिप्पणी :

(1) 31.3.2020 को शीर्ष 10 शेयरधारकों को दर्शाया गया है।

(2) कंपनी के शेयरों का कारोबार दैनिक आधार पर किया जाता है, अतः शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि/कमी को नहीं दर्शाया गया है।

(5) निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की शेयरधारिता

क्रम सं.	नाम	शेयरधारिता		तिथि	शेयरधारिता में वृद्धि/(कमी)	कारण	वर्ष (01.04.2019 से 31.03.2020) के दौरान संचित शेयरधारिता *	
		वर्ष के प्रारंभ (01.04.2019)/वर्ष के अंत (31.03.2020) को शेयरों की संख्या *	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
क.	**निदेशक**							
1.	श्री अभय कुमार सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (24.02.2020 को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बने)	16,425	नगण्य	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			16,425	नगण्य
2.	श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं)	15,986	नगण्य	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			15,986	नगण्य
3.	श्री निखिल कुमार जैन, निदेशक (कार्मिक)	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			शून्य	लागू नहीं
4.	श्री महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त) और सीएफओ	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			शून्य	लागू नहीं

क्रम सं.	नाम	शेयरधारिता		तिथि	शेयरधारिता में वृद्धि / (कमी)	कारण	वर्ष (01.04.2019 से 31.03.2020) के दौरान संचित शेयरधारिता *	
		वर्ष के प्रारंभ (01.04.2019) / वर्ष के अंत (31.03.2020) को शेयरों की संख्या *	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
5.	श्री जनार्दन चौधरी, निदेशक (तकनीकी) (31.03.2020 से निदेशक नहीं रहें)	21,055	नगण्य	25.10.2019 को एक शेयर खरीदा			21,056	नगण्य
6.	श्री अनिरूद्ध कुमार, सरकारी नामिति निदेशक	1500	नगण्य	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			1500	नगण्य
7.	श्री जुगल किशोर महापात्रा, स्वतंत्र निदेशक	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			शून्य	लागू नहीं
8.	श्री भागवत प्रसाद, स्वतंत्र निदेशक	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			शून्य	लागू नहीं
9.	श्री सत्य प्रकाश मंगल, स्वतंत्र निदेशक (17.11.2019 से निदेशक नहीं रहे)	15,000	नगण्य	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			15,000	नगण्य
10.	प्रो. अरूण कुमार, स्वतंत्र निदेशक (17.11.2019 से निदेशक नहीं रहे)	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			शून्य	लागू नहीं
11.	प्रो कनिका टी. भाल, स्वतंत्र निदेशक (17.11.2019 से निदेशक नहीं रहे)	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			शून्य	लागू नहीं
12.	श्री बलराज जोशी, पूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (31.12.2019 से अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नहीं रहे)	11,891	नगण्य	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			11,891	नगण्य
ख	**प्रमुख प्रबंधन कार्मिक**							
1.	श्री विजय गुप्ता, कंपनी सचिव	11,231	नगण्य	17.03.2020 को 5000 शेयर खरीदें।			16,231	नगण्य

* वर्ष के दौरान नियुक्त / कार्यमुक्त निदेशकों की शेयरधारिता को उनकी नियुक्ति / कार्यमुक्ति की तिथि, जैसा भी मामला हो, को दर्शाया गया है।

(5) ऋणग्रस्तता

बकाया / प्रोदभूत किन्तु भुगतान हेतु देय नहीं ब्याज के साथ कम्पनी की ऋणग्रस्तता

(करोड़ रूपए में)

विवरण	जमा के अतिरिक्त प्रतिभूत ऋण *	अप्रतिभूत ऋण **	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता (01.04.2019)				
1) मूलधन राशि	14261.04	4794.72	0.00	19055.76
2) देय किन्तु अदा न किया गया ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
3) प्रोदभूत किन्तु देय नहीं ब्याज	519.84	65.14	0.00	584.98
कुल (1+2+3)	14780.88	4859.86	**0.00**	19640.74

विवरण	जमा के अतिरिक्त प्रतिभूत ऋण *	अप्रतिभूत ऋण **	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
वर्धन	8239.07	2772.36	0.00	11011.43
कमी	(5514.21)	(1411.12)	0.00	(6925.33)
निवल परिवर्तन	2724.86	1361.24	**0.00**	4086.10
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता (31.03.2020)				
1) मूलधन राशि	16985.90	6155.96	0.00	23141.86
2) देय किन्तु अदा न किया गया ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
3) प्रोदभूत किन्तु देय नहीं ब्याज***	561.22	81.88	0.00	643.10
कुल (1+2+3)	17547.12	6237.84	**0.00**	23784.96

* प्रतिभूत ऋण में घरेलू सावधि ऋण, बॉण्ड और अल्पावधि ऋण शामिल है।
** अप्रतिभूत ऋण में, विदेशी ऋण, घरेलू अल्पावधि ऋण तथा अधीनस्थ ऋण शामिल हैं। अधीनस्थ ऋण का मूल्य इंड एएस के अनुसार लिया गया है।
*** प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज (अप्रतिभूत) में एमयूएफजी से विदेशी मुद्रा सावधि ऋण पर प्रोदभूत हेजिंग प्रीमियम शामिल है।

(6) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक (एमडी) और पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) को पारिश्रमिक

(राशि रूपए में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के ब्यौरे	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक का नाम						कुल राशि
		श्री ए.के.सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (24.02.2020 को सीएमडी बने)	श्री बलराज जोशी, पूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (31.12.2019 से सीएमडी नहीं रहे)	श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं)	श्री निखिल कुमार जैन, निदेशक (कार्मिक)	श्री महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	श्री जनार्दन चौधरी (31.03.2020 से निदेशक नहीं रहें)	
1.	सकल वेतन							
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन*	775398	5866983	8659184	5734644	7052574	6280687	34369470
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य	शून्य	2410850	264090	752142	346823	1094438	4868343
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवज में लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वीट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य **	131718	4860366	894646	1706213	647615	1280672	9521230
	कुल (क)	907116	13138199	9817920	8192999	8047012	8655797	48759043
अधिनियम के अनुसार सीमा	सरकारी कंपनी होने के चलते लागू नहीं (कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना)							

* आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अंतर्गत वेतन में संबंधित अवधि के दौरान निदेशकों द्वारा धारित पद के अनुसार वेतन बकाया और निष्पादन

संबंधी वेतन (पीआरपी) शामिल है।

** अन्यों में अवकाश नकदीकरण, पट्टा किराया, नव वर्ष उपहार, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ईपीएफ, सामाजिक सुरक्षा योजना और पेंशन निधि (समान योगदान) आदि शामिल है जिसे मद संख्या (1) में शामिल नहीं किया गया था।

टिप्पणी : वर्ष के दौरान श्री के.एम. सिंह, पूर्व सीएमडी और श्री डी.पी. भार्गव, पूर्व निदेशक (तकनीकी) को पहले के वर्षों से संबंधित उनके देयों हेतु क्रमशः 19,42,253 रूपए और 1,48,430 रूपए की राशि का भुगतान किया गया था।

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

(राशि रूपए में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के ब्यौरे	निदेशक का नाम					कुल राशि
1.	स्वतंत्र निदेशक	श्री सत्य प्रकाश मंगल (17.11.2019 से निदेशक नहीं रहें)	प्रो0 अरूण कुमार (17.11.2019 से निदेशक नहीं रहें)	प्रो0 कनिका टी.भाल (17.11.2019 से निदेशक नहीं रहें)	श्री जुगल किशोर महापात्रा	श्री भागवत प्रसाद	
	बोर्ड / समिति बैठकें में भाग लेने हेतु शुल्क	280000	380000	260000	300000	460000	1680000
	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल(1)	**280000**	**380000**	**260000**	**300000**	**460000**	**1680000**
2.	नामिति निदेशक	श्री अनिरूद्ध कुमार					कुल राशि
	बोर्ड / समिति बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क	शून्य					शून्य
	कमीशन	शून्य					शून्य
	अन्य	शून्य					शून्य
	कुल(2)	शून्य					शून्य
	कुल (ख)=(1+2)						**1680000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक*						**50439043**
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा	एक सरकारी कंपनी होने के चलते लागू नहीं (कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना)					

* प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा अन्य निदेशकों का कुल पारिश्रमिक (क तथा ख का जोड़)

(ग) प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों के अतिरिक्त प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक

(राशि रूपए में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के ब्यौरे	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक			
		सीईओ *	कंपनी सचिव	सीएफओ *	कुल
1.	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन **	-	5480364	-	5480364
	(ख) आयकर अधिनियम की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य	-	223912	-	223912
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवज में लाभ	-	शून्य	-	-

क्रम सं.	पारिश्रमिक के ब्यौरे	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक			
		सीईओ *	कंपनी सचिव	सीएफओ *	कुल
2.	स्टॉक विकल्प	-	शून्य	-	-
3.	स्वीट इक्विटी	-	शून्य	-	-
4.	कमीशन	-	शून्य	-	-
5.	अन्य ***	-	1106172	.	1106172
	कुल		6810448		6810448

* सीईओ तथा सीएफओ के पद क्रमशः कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) द्वारा धारित हैं।

** राशि में वेतन बकाया और निष्पादन संबंधित वेतन (पीआरपी) शामिल है।

** अन्यों में नव वर्ष उपहार, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ईपीएफ, सामाजिक सुरक्षा योजना और पेंशन निधि (समान अंशदान) आदि शामिल है जिन्हें बिन्दु संख्या (1) में शामिल नहीं किया गया था।

(7) शास्ति/दण्ड/अपराधों को क्षमा करना

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	शास्ति/दण्ड/लगाए गए क्षम्य शुल्क के ब्यौरे	प्राधिकारी (आरडी/एनसीएलटी /अदालत	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दीजिए)
क. कंपनी					
शास्ति	कोई नहीं				
दंड					
क्षमा करना					
क. निदेशक					
शास्ति	कोई नहीं				
दंड					
क्षमा करना					
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
शास्ति	कोई नहीं				
दंड					
क्षमा करना					

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

हस्ता./–

(अभय कुमार सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 08646003

तारीख : 27 अगस्त, 2020
स्थान : फरीदाबाद

लाभांश वितरण नीति

1.0 पृष्ठभूमि :

सेबी ने अपनी दिनांक 8.7.2016 की अधिसूचना के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 में विनियम 43क शामिल किया है जिसमें निम्नलिखित अपेक्षित है :

1. बाजार पूंजीकरण के आधार पर सूचीबद्ध शीर्ष 500 निकाय (प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को गणना किए अनुसार) एक लाभांश वितरण नीति बनाएंगे जिसे उनकी वार्षिक रिपोर्ट तथा उनकी वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया जाएगा।

2. लाभांश वितरण नीति में निम्नलिखित मानदण्ड होंगे –

   क. ऐसी परिस्थितियां जिनके अंतर्गत सूचीबद्ध निकायों के शेयरधारक लाभांश की प्रत्याशा कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते;

   ख. लाभांश की घोषणा करते समय विचार किए जाने वाले वित्तीय मानदण्ड;

   ग. आंतरिक तथा बाहरी कारक जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा;

   घ. प्रतिधारित आय के उपयोग के संबंध में नीति; और

   ङ शेयरों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में अपनाए जाने वाले मानदण्ड;

   उक्त मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए कंपनी की लाभांश वितरण नीति बनाई गई है।

2.0 इस नीति को एनएचपीसी लाभांश वितरण नीति ("नीति") कहा जाएगा।

3.0 यह नीति बोर्ड द्वारा इसे अंगीकृत किए जाने की तिथि अर्थात 30.5.2017 से प्रभावी होगी।

4.0 नीति की रूपरेखा :

नीति ढांचे का आधार मुख्यतः कंपनी अधिनियम के प्रावधानों, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी "केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पूंजीगत पुनर्संरचना" संबंधी दिशा–निर्देशों, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 और लाभांश के भुगतान के संबंध में लागू सीमा तक अन्य दिशा–निर्देशों के अनुरूप है। नीति कंपनी के स्वामियों की अपने लाभों के एक हिस्से को बांटने हेतु कंपनी की मंशा को दर्शाती है।

5.0 महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियां :

- **लाभांश** : कंपनी के लाभ का वह हिस्सा जिसे व्यापार में बनाए नहीं रखा जाता और शेयरधारकों के मध्य उनके द्वारा धारित शेयरों की प्रदत्त राशि के अनुपात में वितरित किया जाता है। साधारण शब्दों में यह निवेश पर प्रतिफल है जो शेयरधारक कंपनी के निवल लाभों से प्राप्त करते हैं।
- **निवल मूल्य** : प्रदत्त शेयरपूंजी और लाभ से सृजित सभी आरक्षितों तथा प्रतिभूति प्रीमियम राशि का संचित मूल्य।
- **कर पश्चात लाभ (पीएटी)** : सभी कराधान संबंधित व्ययों की कटौती के पश्चात व्यापार द्वारा अर्जित निवल राशि।
- **प्रतिधारित लाभ** : व्यापार द्वारा सृजित वह लाभ जिसे लाभांश के रूप में शेयरधारकों को वितरित नहीं किया जाता है परन्तु या तो व्यापार में उसका पुनः निवेश किया जाता है अथवा उसे विशिष्ट उद्देश्यों हेतु आरक्षित के रूप में रखा जाता है (जैसे कि किसी ऋण के भुगतान अथवा पूंजीगत परिसंपत्ति की खरीद हेतु)।
- **लाभांश भुगतान अनुपात** : शेयरधारकों को लाभांश के रूप में में अदा की गई व्यापार आय का प्रतिशत। यह इसे दर्शाता है कि फर्म की आय लाभांश भुगतान में कितनी सहायता करती है। यह प्रतिशत जितना कम होगा लाभांश भुगतान उतना ही सुरक्षित होगा। लाभांश पर डीआईपीएएम के दिशा–निर्देशों पर विचार करते हुए एनएचपीसी को कंपनी के निवल मूल्य के 5 प्रतिशत के लाभांश का भुगतान करना होता है और तदनुसार लाभांश भुगतान अनुपात निवल लाभ (पीएटी) के लगभग 60 से 80 प्रतिशत के मध्य रहेगा।
- **लाभांश प्राप्ति** : एक वित्तीय अनुपात जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने शेयर मूल्य के संबंध में प्रत्येक वर्ष लाभांश के रूप में कितना भुगतान करती है।
- **मूल्य अर्जन (पीई) अनुपात** : यह दर्शाता है कि बाजार इसकी वर्तमान आय के आधार पर किसी स्टॉक हेतु कितना भुगतान करने का इच्छुक है।
- **मूल्य से बही (पीबी) अनुपात** : इस अनुपात का उपयोग किसी स्टॉक के बाजार मूल्य की उसके बही मूल्य से तुलना करने के लिए किया जाता है।
- **बाजार पूंजीकरण** : इसका अर्थ बाजार मूल्य तथा कुल बकाया शेयरों के आधार पर कंपनी का कुल मूल्यांकन है।

6.0 नीति निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :

- अधिमानी शेयरों पर लाभांश, यदि कंपनी द्वारा जारी किए गए हों तो;

- नकदी रूप में न होने वाले लाभांश का वितरण अर्थात लागू नियमों के अधीन पूर्णतः या आंशिक रूप से अदा किए गए बोनस शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों को जारी करके;
- इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद के माध्यम से लाभांश के भुगतान के विकल्प के रूप में नकदी का वितरण।

7.0 नीति का उद्देश्य :

लाभांश नीति को निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है :

- **कंपनी का आधारभूत मूल्य** : लाभांश वितरण नीति का कंपनी के मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। नीति का उद्देश्य प्रतिधारित अर्जन की आवश्यकता पर उचित विचार करते हुए धारणीय लाभांश भुगतान अनुपात को सुनिश्चित करते हुए कंपनी के आधारभूत मूल्य में वृद्धि करना है।
- **वृद्धि योजना** : लाभांश वितरण नीति एक वित्त–पोषण निर्णय है और यह नकदी बाहिर प्रवाहों में वृद्धि तथा लाभप्रद परियोजनाओं के वित्त–पोषण हेतु नकदी की उपलब्धता में कमी में भी परिणत होती है। यदि पर्याप्त निधियां उपलब्ध न हों तो फर्म को बाहरी वित्त–पोषण पर निर्भर करना पड़ता है। अतः लाभांश नीति को इस तरीके से विकसित किए जाने की आवश्यकता है कि संभावित परियोजनाओं को ऋण तथा प्रतिधारित आय के उचित मिश्रण के माध्यम से वित्त–पोषित किया जा सके।
- **प्रतिफल की स्थिर दर** : प्रतिफल की दर में उतार–चढ़ाव शेयरों के बाजार मूल्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। अतः लाभांश नीति का उद्देश्य भविष्य में सतत लाभांश भुगतान प्रवृत्ति को सुनिश्चित करना होता है जब तक कि कंपनी किसी आंतरिक या बाहरी कारकों के चलते लाभांश घोषित करने में असमर्थ न हो।

8.0 परिस्थितियां जिनके अतर्गत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की प्रत्याशा कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते:

कंपनी की लाभांश वितरण नीति को निदेशक मंडल द्वारा अपनाया जाता है और यह कंपनी के निवल लाभ तथा लाभांश के रूप में वितरित किए जाने वाले कंपनी के लाभ के मध्य संतुलन को नियंत्रित करती है। लाभांश कंपनी के निवल लाभ का एक हिस्सा है जिसे विद्यमान लागू विधियों तथा दिशा–निर्देशों के अनुसार शेयरधारकों के मध्य वितरित किया जाता है। लाभांश को बोर्ड की सिफारिश के आधार पर शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है। बोर्ड सदस्यों को अदा किए जाने वाले लाभांश की सिफारिश संगत विधि तथा अन्य कारकों को ध्यान मे रखते हुए करता है। बोर्ड अंतरिम लाभांश की भी घोषणा कर सकता है।

बोर्ड द्वारा लाभांश हेतु सिफारिश किए जाने से पूर्व विचार किए जाने वाले कारक भविष्य की पूंजीगत व्यय योजनाएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, वैकल्पिक स्रोतों से निधियों को जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह स्थिति और लाभांश पर कर सहित लागू कर हैं, परन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, और यह इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अधीन है। लाभांश भुगतान का निर्णय लेते समय इन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।

9.0 लाभांश की घोषणा करते समय विचार किए जाने वाले वित्तीय मानदण्ड :

27.5.2016 को डीआईपीएएम, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) की पूंजीगत पुनर्संरचना संबंधी डीआईपीएएम दिशा–निर्देश के अनुसार प्रत्येक सीपीएसई अपने कर पश्चात लाभ के न्यूनतम 30 प्रतिशत या निवल मूल्य के 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के लाभांश का भुगतान करेगा जो विद्यमान विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अनुमेय अधिकतम लाभांश के अधीन होगा। फिर भी सीपीएसई से उसके गठन संबंधी अधिनियम के अंतर्गत अनुमेय अधिकतम लाभांश का भुगतान किए जाने की प्रत्याशा की जाती है जब तक कि अदा किए जाने हेतु प्रस्तावित निम्नतर निवेश औचित्यपूर्ण न हो तथा ऐसा प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के स्तर पर मामला–दर–मामला आधार पर निम्नलिखित पहलुओं के विश्लेषण के पश्चात किया जाना चाहिए।

(1) सीपीएसई का निवल मूल्य और ऋण लेने की इसकी क्षमता;

(2) दीर्घावधि ऋण;

(3) पूंजीगत व्यय/व्यापार विस्तार आवश्यकताएं;

(4) कैपेक्स व्यय आवश्यकताओं के अनुरूप आगे लाभ हेतु लाभ का प्रतिधारण; और

(5) नकदी और नकदी शेष।

9.1 लाभांश नीति :

वित्तीय वर्ष हेतु लाभांश का निर्णय निदेशक मंडल द्वारा विभिन्न सांविधिक आवश्यकताओं, कंपनी के वित्तीय निष्पादन और नीति में बताए गए अन्य आंतरिक तथा बाहरी कारकों पर विचार करते हुए किया जाएगा। तथापि, मोटे तौर पर एनएचपीसी द्वारा लाभांश भुगतान उक्त डीआईपीएएम दिशा–निर्देशों के अनुरूप होगा अर्थात कर पश्चात लाभ का 30 प्रतिशत या निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

9.2 लाभांश भुगतान हेतु तरीका और समय–सीमाएं :

(क) अंतरिम लाभांश :

1. अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, की घोषणा निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। सामान्यतः अंतरिम लाभांश की घोषणा संगत वित्तीय वर्ष की तीसरी/चौथी तिमाही में की जाती है।
2. यदि अंतरिम लाभांश की घोषणा की गई है तो उसका भुगतान लागू नियमों के अनुसार रिकार्ड तिथि को लाभांश प्राप्त करने के लिए पात्र होने

वाले शेयरधारकों को घोषणा की तिथि से तीस दिवस के भीतर किया जाना चाहिए।

(ख) अंतिम लाभांश :

1. अंतिम लाभांश हेतु सिफारिश, यदि कोई हो, निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी और यह कंपनी की वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगी।

2 लाभांश का भुगतान लागू नियमों के अनुसार रिकार्ड तिथि/बही समापन अवधि को लाभांश प्राप्त करने के लिए पात्र होने वाले शेयरधारकों को घोषणा की तिथि से तीस दिवस के भीतर किया जाएगा।

3. अंतिम लाभांश घोषित न किए जाने के मामले में वर्ष के दौरान अदा किए गए अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, को वार्षिक आम बैठक में अंतिम लाभांश माना जाएगा।

10.0 लाभांश की घोषणा हेतु विचार किए जाने वाले आंतरिक तथा बाहरी कारक :

आंतरिक कारकों में पूंजीगत व्यय योजना और कंपनी को उपलब्ध मुक्त नकदी शामिल है। बाहरी कारकों में अर्थव्यवस्था की स्थिति, कंपनी पर लागू नियामक मानदण्ड तथा भारत सरकार या अन्य सांविधिक निकायों द्वारा समय–समय पर लागू संविधिक प्रावधान एवं दिशा–निर्देश शामिल हैं। इन कारकों पर लाभांश की मात्रा का निर्णय करते समय विचार किया जाएगा।

11.0 प्रतिधारित आय के उपयोग का तरीका :

प्रतिधारित आय का उपयोग शेयरधारक की निधि को अधिकतम करने के लिए कंपनी की वृद्धि संभाव्यता हेतु मुख्यतः किया जाता है। कंपनी को प्रतिधारित आय के उपयोग हेतु निम्नलिखित कारकों पर विचार करना चाहिए :

i. कंपनी की अल्पावधि तथा दीर्घावधि योजनाएं

ii. विविधीकरण अवसर

iii. बोनस, पुनः खरीद आदि के संबंध में सरकारी दिशा–निर्देश

iv. अन्य कोई मानदण्ड जिसे निदेशक मंडल उचित समझे।

12.0 शेयरों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में अपनाए जाने वाले मानदण्ड :

लाभांश के भुगतान (घोषणा) का निर्णय कंपनी की वार्षिक आम बैठक में निदेशक मंडल/शेयरधारकों द्वारा लिया जाता है। इस निर्णय के अंतर्गत प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) के प्रति शेयर पर लाभांश की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। चूंकि कंपनी के पास समान मताधिकार के साथ इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है, कंपनी के सभी सदस्य प्रतिशेयर लाभांश की समान राशि हेतु पात्र हैं।

13.0 अन्य प्रावधान :

नीति को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है और निदेशक मंडल के पास नीति में परिवर्तन करने का अधिकार है। नीति की समीक्षा प्रत्येक तीन वर्ष में अथवा समय–समय पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित अवधि में की जाएगी।

यदि देश के कानूनों में परिवर्तन के कारण इस नीति का कोई पृथक खंड ऐसे परिवर्तन का विरोधाभासी होता है, तो नीति को उस भाग पर लागू किया जाएगा जो लागू कानून से विरोधाभासी न हो।

इस प्रकार घोषित लाभांश की मात्रा किसी शेयरधारक को 0.50 रूपए से कम होने के मामले में शेयरधारक को 1/– रूपए का न्यूनतम लाभांश मिलेगा। इसके अतिरिक्त, लाभांश का भुगतान कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम तथा प्रारूप संशोधन नियमावली, 2014 के अनुसार लाभांश की राशि को पूर्णांक में परिवर्तित किए जाने के अधीन है।

14.0 शेयरधारकों को लाभांश वितरण नीति के संबंध में सूचित करना :

लाभांश वितरण नीति को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराया जाए और कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाए।

अनुबंध-IX

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

(कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 24क के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुपालन में)

सेवा में,

सदस्यगण,

एनएचपीसी लिमिटेड,

हमने **एनएचपीसी लिमिटेड,** (जिसे एतदपश्चात "कंपनी" कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छे कारपोरेट व्यवहारों के पालन की सचिवालयीन लेखापरीक्षा की है। सचिवालयीन लेखापरीक्षा को इस प्रकार से किया गया था कि उसने मुझे कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उस पर अपना मत व्यक्त करने के लिए एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया था।

सचिवालयीन लेखापरीक्षा के दौरान बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों के मेरे सत्यापन और कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर हम एतदद्वारा यह सूचित करते है कि हमारे मतानुसार कम्पनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन तंत्र विद्यमान है जिसका तरीका और एतदपश्चात सूचित करने के तरीके को नीचे दिया गया है :

हमने एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों का परीक्षण निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार किया है :

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उप नियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश से प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशा–निर्देश।

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रतिशेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी का इश्यू तथा प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2018;

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का इश्यू और सूचीकरण) विनियम, 2008;

(ङ) कम्पनी अधिनियम तथा ग्राहकों के साथ कारोबार से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (किसी इश्यू के रजिस्टर और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993;

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीबद्ध करना) विनियम, 2009;

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 2018;

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जमाकर्ता और प्रतिभागी) विनियम, 2018; और

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014।

(6) कंपनी पर लागू होने वाले अन्य विशिष्ट लागू विधियों के अंतर्गत अनुपालन/प्रक्रिया/ प्रणाली को कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत आंतरिक अनुपालन प्रणाली के अंतर्गत आवधिक प्रणापत्र के आधार पर सत्यापित किया जा रहा है।

हमनें निम्नलिखित के लागू खंडों के साथ अनुपालन की भी जांच की है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी समय–समय पर यथासंशोधित सचिवालयीन मानक – आमतौर पर अनुपालन किया गया है।

(ii) सूचीकरण समझौता और भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015)।

(iii) सीपीएसई हेतु कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशा–निर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने सामान्यतः ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमनों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है जो निम्नलिखित अभिमत के अधीन है :

क्रम सं.	अहर्ता / अभिमत	प्रबंधन का उत्तर
1.	सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क) के अनुसार तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के दूसरे परंतुक के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना में 18.11.2019 से 31.3.2020 की अवधि के दौरान महिला स्वतंत्र निदेशक तथा महिला निदेशक शामिल नहीं थी।	कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 34 के अनुसार कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महिला निदेशक की नियुक्ति सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित मामले का प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय से नियमित रूप से अनुवर्तन किया जा रहा है।
2.	सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क) के अनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल में 18.11.2019 से 31.3.2020 की अवधि के दौरान गैर–कार्यपालक निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी तथा लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 के अनुसार 18.11.2019 से 31.3.2020 की अवधि के दौरान कार्यात्मक निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की वास्तविक जनशक्ति के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।	
3.	सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) तथा वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 एवं 18.11.2019 से 31.3.2020 की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी।	
4.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 25(4) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों ने निम्नलिखित की समीक्षा नहीं की है : (क) गैर–स्वतंत्र निदेशकों और समग्र रूप से निदेशक मंडल का निष्पादन; (ख) कार्यपालक निदेशकों और गैर–कार्यपालक निदेशकों के मतों को ध्यान में लेते हुए सूचीबद्ध निकाय के अध्यक्ष का निष्पादन	स्वतंत्र निदेशकों ने जून, 2019 में आयोजित अपनी पृथक बैठक में सेबी (एलओडीआर) के विनियम, 25(4) की आवश्यकताओं को नोट किया। स्वतंत्र निदेशकों का चर्चा के पश्चात यह मत था कि अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक सहित गैर–स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तदनुसार, उक्त को स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
5.	सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 19(4), जो अनुसूची–2 भाग–घ(क) के साथ पढ़ा जाता है, के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने किसी निदेशक की अहर्ताओं, सकारात्मक गुणों तथा स्वतंत्रता के निर्धारण हेतु कोई मानदण्ड बनाया है।	ऊपर बताए गए अनुसार कपंनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

हम आगे सूचित करते हैं कि कंपनी का निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कार्यपालक निदेशक, गैर–कार्यपालक निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ गठित नहीं था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया था।

सामान्यतः सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों के कार्यक्रम, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम 7 दिवस पहले पर्याप्त

रूप से भेजे जाते है और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर अतिरिक्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता हेतु एक तंत्र विद्यमान है।

बोर्ड/समिति बैठकों में किए गए सभी निर्णय बैठक के दौरान उपस्थित सभी निदेशकों/सदस्यों की एकमत सहमति से लिए गए थे।

हम आगे सूचित करते हैं कि कंपनी में लागू विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशा–निर्देशों के अनुपालन की निगरानी तथा सुनिश्चय करने के लिए कंपनी के आकार तथा प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम आगे सूचित करते हैं कि सेबी (एलओडीआर) 2015 का विनियम 23(2) यह उपबंध करता है कि सभी संबंधित पक्ष संव्यवहारों के लिए लेखापरीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा। लेखापरीक्षा समिति ने एनएचपीसी द्वारा एलटीएचपीएल को परामर्शी सेवाएं मुहैया करवाने के लिए एनएचपीसी लिमिटेड और लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) के मध्य 14.01.2020 को निष्पादित समझौते को 07.02.2020 को अपना कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

हम आगे सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उक्त संदर्भित विधियों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि के अनुपालन में कंपनी के कार्यों पर व्यापक प्रभाव होने वाला कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं हुई है।

हम आगे सूचित करते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के गैर–अनुपालन हेतु मौद्रिक जुर्माने लगाए हैं जिसके प्रति कंपनी ने छूट अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।

कृते अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएटस
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड : पी2003डीईओ49100

हस्ता./–
सी एस सचिन अग्रवाल
भागीदार
एफसीएस सं. : 5774
सीपी सं. : 5910

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 जून, 2020
यूडीआईएन : एफ005774बी000374736

टिप्पणी : इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो ''**अनुबंध–क**'' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

सेवा में,
सदस्यगण
एनएचपीसी लिमिटेड,

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवालयीन रिकार्ड का रख–रखाव कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे समक्ष लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत अभिलेखों के निरीक्षण पर आधारित इन सचिवालयीन रिकार्डों पर अपना मत व्यक्त करना है।

2. हमनें सचिवालयीन रिकार्डों की विषय–वस्तु की सत्यता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखापरीक्षा व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवालयीन रिकार्डों में सही तथ्यों को प्रदर्शित किया जा सके। हम मानते है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों ने हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया है।

3. हमनें कंपनी के वित्तीय रिकार्डों तथा लेखा बहियों की सटीकता तथा उपयुक्तता की जांच नहीं की है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा पहले कवर किए गए अभिमतों/टिप्पणियों/कमजोरियों को कवर नहीं किया गया है।

4. जहां–कहीं अपेक्षित हो हमनें विधियों, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के संबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

5. कारपोरेट तथा अन्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाविधियों के सत्यापन और कंपनी द्वारा उचित बोर्ड प्रक्रियाओं तथा अनुपालन तंत्र के मौजूद होने या न होने पर अपना मत व्यक्त करने तक सीमित थी।

6. सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भविष्य की अर्थक्षमता का आश्वासन है और न ही उस प्रभाव अथवा प्रभावोत्पादकता की जिसके साथ प्रबंधन ने कम्पनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएटस
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड : पी2003डीईओ49100

हस्ता./–
सी एस सचिन अग्रवाल
भागीदार
एफसीएस सं. : 5774
सीपी सं. : 5910

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 जून, 2020

अनुबंध-X

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुपालन में)

सेवा में,
सदस्यगण,
एनएचडीसी लिमिटेड,
सीआईएन : यू31200एमपी2000जीओआई014337
एनएचडीसी परिसर, निकट होटल लेक व्यू अशोका,
श्यामला हिल्स, भोपाल – 462013 (मध्य प्रदेश)।

महोदय,

मैंने **एनएचडीसी लिमिटेड,** (जिसे एतदपश्चात "कंपनी" कहा गया है), भारत सरकार का एक उद्यम, द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छे कारपोरेट व्यवहारों के पालन की सचिवालयीन लेखापरीक्षा की है। सचिवालयीन लेखापरीक्षा को इस प्रकार से किया गया था कि उसने मुझे कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उस पर अपना मत व्यक्त करने के लिए एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया था।

सचिवालयीन लेखापरीक्षा के दौरान बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों के मेरे सत्यापन और कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर मैं एतदद्वारा यह सूचित करता हूं कि हमारे मतानुसार, और वर्ष 2019–20 हेतु वित्तीय विवरणों तथा उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अधीन, कम्पनी ने 31 मार्च, 2020 (लेखापरीक्षा अवधि) को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन तंत्र विद्यमान है जिसका तरीका और एतदपश्चात सूचित करने के तरीके को नीचे दिया गया है :

मैंने कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों का परीक्षण निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार किया है :

i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उप नियम (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश से प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियम;

v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के अंतर्गत विहित विनियम और दिशा–निर्देश (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।

हमनें निम्नलिखित के लागू खंडों के साथ अनुपालन की भी जांच की है :

i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठक (एसएस–1) और सामान्य बैठकें (एसएस–2) से संबंधित सचिवालयीन मानक।

ii) स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण समझौता **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमनों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया हैं।

हम आगे सूचित करते हैं कि निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड पर ली गई विभाग प्रमुखों तथा कंपनी सचिव की त्रैमासिक रिपोर्टों और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने इस पर लागू होने वाले सभी केन्द्रीय तथा राज्य स्तरीय विधियों/ नियमों/विनियमों का अनुपालन किया है।

मैं आगे सूचित करता हूं कि :–

- एनएचडीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) और मध्य प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है और सभी निदेशक संयुक्त उद्यम भागीदारों और/या भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा नामित किए जाते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन महिला निदेशक सहित कार्यपालक निदेशकों, गैर–कार्यपालक निदेशकों के साथ किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।
- सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों के कार्यक्रम, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम 7 दिवस पहले पर्याप्त रूप से भेजे जाते है और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर अतिरिक्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता हेतु एक तंत्र विद्यमान है।
- बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय

बहुमत से लिए जाते हैं और उन्हें निदेशक मंडल और बोर्ड की समिति की बैठकों के कार्यवृतों, जैसा भी मामला हो, में दर्ज किया जाता है, और विमत वाले सदस्य के मत कार्यवृत के भाग के रूप में दर्ज किए जाते है, हालांकि समीक्षाधीन अवधि में ऐसा कोई अवसर नहीं था।

हम आगे सूचित करते हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य नियमों और विनियमों/दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी ने विभिन्न नीतियां बनाई हैं और इन्हें अपनाया है जो निम्नानुसार हैं :

- संबंधित पक्ष नीति;
- कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति;
- सतर्कता तंत्र नीति;
- जोखिम प्रबंधन नीति; तथा
- निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के लिए व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता और जहाँ भी आवश्यकता हो, उन्हें कंपनी की वेबसाइट पर रखा गया है।

हम आगे सूचित करते हैं कि लागू विधियों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चिय करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त तंत्र और प्रक्रियाएं मौजूद हैं। इस संबंध में परियोजनाओं पर सभी परियोजना प्रमुखों और कारपोरेट स्तर पर विभागों के प्रमुखों से त्रैमासिक/वार्षिक अनुपालन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आंतरिक प्रणाली विकसित की गई है। हमें जानकारी दी गई है कि एनएचडीसी के वित्त विभाग ने सांविधिक लेखापरीक्षकों के त्याग–पत्र के बारे में दिनांक 18.12.2019 के सेबी के परिपत्र के संबंध में एनएचडीसी के लेखापरीक्षकों को सूचित किया है।

कृते **एम.एम. चावला एण्ड एसोसिएटस**
कंपनी सचिव

हस्ता./–
एम.एम.चावला
प्रोप्राइटर
एफसीएस सं. : 67
सीपी सं. : 716
पीआर : 552/2017
यूडीआईएन : एफ000067बी000408464

स्थान : भोपाल
दिनांक : 02 जुलाई, 2020

अनुबंध-XI

स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण, एनएचपीसी लिमिटेड
एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने एनएचपीसी लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां शामिल है और यह उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार और अन्य विवरणात्मतक जानकारी सहित है (जिसे एतद्पश्चात ''वित्तीय विवरण'' कहा गया है)।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा अपेक्षानुसार सूचना को दर्शाते है और 31 मार्च, 2020 के अनुसार कंपनी के मामलों की स्थिति, और उसके लाभ, इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह का भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं।

मत हेतु आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में आगे वर्णित किया गया है। हम भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और साथ ही अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरण की हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक होने वाली नैतिक आवश्यकताओं सहित हमनें इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार हमारे अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों् को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले, वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को एकल वित्तीय विवरण की हमारी समग्र लेखापरीक्षा और उन पर हमारा मत बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग मत प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों हेतु नीचे उल्लिखित मामलों का निर्धारण किया है।

	प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर ध्यान देना
1.	**नियामक विलंबित लेखा शेष और टैरिफ अधिसूचना लंबित होने पर राजस्व का प्रोदभवन** क) नियामक विलंबित लेखा शेष में सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में टिप्पणी 34(22क) में निर्दिष्ट किए अनुसार कार्य रोके जाने की तिथि अर्थात 16.12.2011 से 30.09.2019 तक की अवधि तक के लिए इससे संबंधित ब्याज लागत और अन्य आरोप्य व्ययों के कारण कुल 3470.59 करोड़ रूपए के प्रोदभवन शामिल है। कंपनी के प्रचालन क्रियाकलाप सेवा विनियमों की लागत के अधीन है जिसके द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु प्रभारित टैरिफ अनुमेय पूंजी तथा अन्य लागत एवं व्ययों और उसके प्रति निर्धारित प्रतिफल पर आधारित होता है।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम नियामक विलंबित लेखा शेष के मूल्य के वहन करने की तर्कसंगतता के संबंध में निष्कर्ष पर आए हैं, में निम्नलिखित शामिल है:** • आय के प्रोदभवन और उनके प्रति वसूली योग्य राशियों के निर्धारण हेतु प्रबंधन द्वारा यथा स्थापित नियंत्रणों के डिजाइन तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता को समझना तथा उनका परीक्षण करना। • सीईआरसी विनियमनों के अनुरूप वसूली योग्य राशि को प्राप्त करना तथा समझना और ऐसे आकलनों हेतु प्रबंधन द्वारा लागू किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के मद्देनजर तत्संबंधी आकलन, परीक्षण और तर्कसंगतता का मूल्यांकन। • उक्त में सीईआरसी दिशा–निर्देशों का मूल्यांकन और विगत में कंपनी द्वारा किए गए दावे की स्वीकृति तथा विभिन्न कारणों से वि–अनुमेय किए जाने की प्रवृत्ति और प्रबंधन द्वारा तत्संबंधी पालन और अनुपालन तथा दी गई स्थिति और व्यापार परिवेश में ली गई मान्यताओं हेतु तर्क शामिल है।

	प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर ध्यान देना
	नियामक विलंबित लेखे अंतिम अनुमोदन तथा अधिसूचना पर वर्तमान सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार तत्संबंधी वसूली योग्यता अनुमानों पर आधारित होते हैं। उपरोक्तानुसार किए गए प्रोदभवन उस व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें कंपनी प्रचालन कर रही है। विशिष्ट अधिसूचना और दर–निर्धारण के अभाव में ये प्रबंधन की मान्यताओं तथा अनुमानों पर आधारित हैं जो सीईआरसी द्वारा टैरिफ को अंतिम रूप दिए जाने और परियोजना के प्रचालनों के प्रारंभ होने के अधीन है।	• सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना के मामले में नकदी उत्पन्न करने वाली यूनिट नोट 34(18) के मूल्य पर पहुंचने के लिए प्रबंधन द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न मान्यताओं और परियोजनाओं के वहन मूल्य के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा के अंतर्गत कथित परियोजना से संबंधित प्रगति एवं इसके शेष का मूल्यांकन करना।
2.	**संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) की वहन राशि का क्षति आकलन** कंपनी की कुछ नकदी उत्पादन यूनिटों (सीजीयू) का आकलन 31 मार्च, 2020 को क्षति हेतु किया गया था। इसमें टिप्पणी 34(18) में दी गई परियोजनाओं के संबंध में संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य कवर होता है। यह आकलन किया गया है कि वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकीय, आर्थिक और विधिक परिवेश, जिसमें कंपनी प्रचालन करती हैं, में कंपनी पर प्रतिकूल प्रभाव होने वाला कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है, अथवा निकट भविष्य में उसके होने की कोई प्रत्याशा नहीं है। आकलन के आधार पर कपंनी में यह निष्कर्ष निकाला है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान क्षति हेतु परीक्षण में कंपनी के सीजीयू के संबंध में कोई बड़ी क्षति का संकेतक या क्षति विद्यमान नहीं है। उक्त आकलन के आधार पर क्षति हेतु कोई प्रावधान कंपनी द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया है। किया गया क्षति व्यवहार जो उपरोक्त पैरा 1 के अंतर्गत लिए गए सुबनसिरी लोअर परियोजना से संबंधित प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य और उक्त संबंधी नियामक विलंबित लेखा शेष सहित चुनिंदा परिसंपत्तियों की वहन राशि को न्यायोचित ठहराता हो, महत्वपूर्ण तथा कंपनी के प्रचालनों हेतु आवश्यक है। क्षति के मूल्यांकन में नकदी उत्पादन यूनिटों (सीजीयू) के उपयोग में मूल्य का आकलन शामिल होता है और इसमें भविष्य के नकदी प्रवाह अनुमानों, उत्पादन पूर्वानुमान, मात्रा पूर्वानुमान, मूल्य और छूट दर के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय तथा मान्यताएं आवश्यक होती हैं।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम क्षति परीक्षण के आधार पर किसी सीजीयू का प्रावधान न किए जाने की तर्कसंगतता के संबंध में निष्कर्ष पर आए हैं, में निम्नलिखित शामिल है :** • इंड एएस 38 के अनुरूप निकाय को प्रभावित करने वाले आंतरिक तथा बहारी कारकों का महत्वपूर्ण मूल्यांकन और क्षति के संकेतक (अथवा तत्संबंधी प्रत्यावर्तन); • इस संबंध में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त प्रमुख मान्यताओं के विश्लेषण द्वारा वसूली योग्य राशि के निर्धारण हेतु सीजीयू के संबंध में प्रयुक्त क्षति मूल्यांकन मॉडलों की समीक्षा में निम्नलिखित शामिल है : – मूल्यांकन को निकालने हेतु पूर्वानुमान के संबंध में सततता और किसी अंतर के संभाव्य प्रभाव का आकलन करना; – मॉडलों में प्रयुक्त मूल्य मान्यताएं और टैरिफ; – नकदी प्रवाह प्रक्षेपण अथवा छूट दर में सीजीयू में निहित जोखिम का पता लगाना। – पूंजी की धारित औसत लागत की मान्यता/अनुमानन और प्रयोग में होने वाली मूल्य को निकालने हेतु छूट की दर। • परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु सरकार की नीति तथा अनुमोदन, बोर्ड के निर्णय और इस संबंध में किए गए प्रयासों तथा उठाए गए कदमों की समीक्षा। • निर्माण की समयावधि, उत्पादन की मात्रा और उनके प्रति प्रत्याशित टैरिफ पर आधारित परिणामी राजस्व के लिए प्रबंधन प्रक्षेपण पर निर्भर किया गया हैं।
3.	**आकस्मिक देयताएं – संविदाकारों से दावे के प्रति (टिप्पणी 34.1(क)(1))** पूंजीगत कार्यों के प्रति संविदाकारों द्वारा दर्ज किए गए 10144.10 करोड़ रूपए की राशि के विभिन्न दावे आकस्मिक देयता के अंतर्गत प्रकट किए गए हैं। इसमें माध्यस्थम	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम आकस्मिक देयताओं की तर्कसंगतता के संबंध में निष्कर्ष पर आए हैं, में निम्नलिखित शामिल हैः** • विधि विभाग से मामले की स्थिति प्राप्त की गई और मामले पर उनका मत जाना; • संविदात्मक निबंधन एवं शर्तों और अभी तक किए गए प्रावधान की पर्याप्तता हेतु प्रबंधन के तर्क तथा कंपनी के प्रति की गई

	प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर ध्यान देना
	कार्यवाही और/अथवा न्यायालय के समक्ष मामले शामिल हैं जिनमें निर्णय कंपनी के विरूद्ध आया है, जिसमें से 2020.81 करोड़ रूपए की राशियों को नीति आयोग के निदेशों या अदालती निर्णयों के अनुसार अदा/जमा किया गया है। कंपनी के विरूद्ध किए गए दावे महत्वपूर्ण हैं। ये माध्यस्थम अथवा अन्य न्यायिक मंचों के समक्ष निर्णय हेतु लंबित है और इसके परिणामी तथा संभावित प्रभाव और प्रावधान/प्रकटीकरण को दायित्व के होने की संभाव्यता के प्रबंधन के आकलन के आधार पर बताया गया है।	मांगों के एवज में मुहैया न करवाई गई शेष राशि का मूल्यांकन किया गया; • प्रबंधन के साथ बैठक और पत्राचार, ज्ञापन तथा संबंधित मामलों पर टिप्पणियों को पढ़ना/उनकी समीक्षा करना। • समान मामलों पर विधिक मतों तथा निर्णयों और अंतिम निर्णय/फैसला लंबित होने तक उससे उत्पन्न होने वाली देयताओं की संभाव्यता पर निर्भर किया गया है; • इंड एएस 37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां" की अपेक्षाओं के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रकटीकरण की उचितता तथा पर्याप्तता की समीक्षा।
4.	**31.3.2020 तक सर्वेक्षण और अन्वेषण परियोजनाओं एवं निर्माण पूर्व चरण की परियाजनाओं पर किया गया व्यय** टिप्पणी 2.2.2 में दिए गए अनुसार 1141.05 करोड़ रुपए के व्यय को परियोजनाओं का सर्वेक्षण तथा अन्वेषण करने पर खर्च किया गया है। इसमें से परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति, अनुमोदन के संबंध में अनिश्चितता के कारण 820.78 करोड़ रुपए (वर्ष के दौरान 154.73 करोड़ रुपए सहित) मुहैया कराए गए हैं, जिससे 320.27 करोड़ रुपए शेष बचते हैं जिन्हें प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेणित किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य में ऐसी परियोजनाएं भी शामिल है जहां निर्माण क्रियाकलापों को अभी लिया जाना है। संबंधित परियोजनाओं को न लिए जाने की स्थिति में सर्वेक्षण तथा जांच पर किए गए व्यय और तत्संबंधी निर्माण से पूर्व किए गए/ आवंटित व्यय, प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य में अग्रेणित किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम सर्वेक्षण तथा अन्वेषण परियोजनाओं पर किए गए व्यय की राशि को वहन करने के संबंध में निष्कर्ष पर आए हैं, में निम्नलिखित शामिल है :** • प्रबंधन द्वारा मुहैया कराए गए अनुसार सर्वेक्षण तथा जांच के अधीन होने वाली परियोजनाओं की स्थिति प्राप्त की तथा उन्हें स्थगित रखे जाने के कारण भी जाने। • सर्वेक्षण तथा अन्वेषण परियोजनाओं हेतु किए गए व्यय के लेखांकन हेतु प्रबंधन द्वारा यथा स्थापित नियंत्रणों के डिजाइन तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता को सर्वेक्षण तथा अन्वेषण परियोजनाओं हेतु किए गए व्यय के लेखांकन और कंपनी के व्यापार की प्रकृति और निर्माण पूर्व चरण के अधीन होने वाली परियोजना तथा ऋणों के आवंटन एवं उसके प्रति व्यय की गई तथा आवंटित अन्य लागत को देखते हुए ऐसे व्ययों हेतु प्रावधान करने/उन्हें पश्च लेखित करने हेतु अपनाई गई नीति को समझना। • भविष्य में ऐसी परियोजनाओं के संभावित परित्याग और/अथवा उक्त के प्रत्याशित आर्थिक उपयोग का मूल्यांकन करना। • किसी परियोजना का निर्माण से पूर्व अथवा निर्माणाधीन चरण की समयावधि तथा प्रत्येक मामले में संबंधित परियोजना के स्थल, आकार एवं प्रकृति को देखते हुए के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित सामान्य अवधि के प्रबंधन के तर्क का मूल्यांकन करना तथा इस परियोजना का स्वरूप तकनीकी होने के चलते मामले पर प्रबंधन के तर्क तथा अभ्यावेदन पर निर्भर करना।
5.	**आस्थगित कर की स्वीकृति एवं उसके तत्संबंधी उपयोग का मूल्यांकन।** 2196.82 करोड़ रूपए की न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) क्रेडिट पात्रता से संबंधित आस्थगित कर 31.3.2020 की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त है जिसको मान्यता नहीं दी गई है।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम अप्रयुक्त मैट क्रेडिट को मान्यता नहीं दिए जाने के औचित्य के संबंध में निष्कर्ष पर आए हैं, में निम्नलिखित शामिल है :** • कंपनी में कराधान और आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देनदारियों की वहन राशि का मूल्यांकन करने के नियंत्रण से संबंधित प्रचालनात्मंक प्रभाव्यता को समझना और उसकी जांच करना। • आस्थगित कर परिसम्पितयों के लिए अप्रयुक्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) क्रेडिट पात्रता से संबंधित कम्पनी की लेखांकन नीति और ऐसी नीति में अपेक्षित बदलाव के लिए चालू वर्ष के

	प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर ध्यान देना
	यह दी गई संभाव्य अवधि में कर योग्य लाभ के प्रबंधन के अनुमान और मूल्यांकन के आधार पर है जो ऐसे क्रेडिट के उपयोग किए जाने के प्रति विश्वासपरक साक्ष्यों पर आधारित है। इसमें क्षमता विस्तार के लिए भविष्य के पूंजीगत व्यय सहित भविष्य के प्रक्षेपणों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय अंतर्ग्रस्त है जो मूर्त रूप दिए जाने पर काफी भिन्न हो सकते है।	घटनाक्रम, यदि कोई हो, तथा इनके प्रति प्रबंधन विचार की समीक्षा करना। • कंपनी द्वारा तैयार आंतरिक पूर्वानुमान और भावी कर योग्य आय पूर्वानुमानों के आधार पर कंपनी को विधिक रूप में उपलब्ध कर क्रेडिट पात्रता का मूल्यांकन करना। • आस्थगित कर परिसंपत्तियों के उपयोग की संभाव्यता की औचित्य परक डिग्री के निर्धारण के उद्देश्य से लगाए गए अनुमानों की संगतता एवं व्याप्त अनिश्चितता तथा विवेक के उपयोग की विशिष्ट समीक्षा करना। • विनियामक व्यवस्था, जिसके अध्याधीन कंपनी संचालित करती है, से संबंधित निहितार्थ, और वर्तमान विनियामक प्रावधानों और प्रयोज्यता की अवधि के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) क्रेडिट पात्रता के संभावित उपयोग एवं उसका प्रभाव वित्तीय विवरण पर होने की समीक्षा करना। • वित्तीय विवरण में किए गए प्रकटीकरण की पर्याप्तता और उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक की रिपोर्ट के अनुबंध, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट और कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट सहित बोर्ड की रिपोर्ट शामिल है, परंतु इसमें एकल वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणियां शामिल नहीं है। ऊपर बताए गए अनुसार, अन्य सूचना हमें इस लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध करवाए जाने की प्रत्याशा है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचना को कवर नहीं करता है और हम इस बारे में किसी भी रूप में आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व है कि उपलब्ध होने पर ऊपर चिन्हित की गई अन्य सूचनाओं को पढ़ें और ऐसा करते समय, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तींय विवरण के साथ या लेखापरीक्षा में प्राप्त किए गए हमारे ज्ञान से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम ऊपर बताए गए अनुसार 'अन्य रिपोर्ट' पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई भौतिक गलतबयानी है, तो हमसे शासन का प्रभार होने वालों को संप्रेषित करना और लागू विधियों तथा विनियमों के अनुसार अपेक्षित आवश्यक कार्रवाइयों का भी वर्णन करना अपेक्षित होता है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारियों का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विहित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) सहित भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप मामलों की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पाादन), कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने हेतु इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है, जो कि लेखांकन रिकार्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी हो या त्रुटि के कारण।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, प्रबंधन गोइंग कन्सर्न के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता का आकलन करने, गोइंग कन्सर्न से संबंधित मामलों का यथा लागू प्रकटीकरण करने और लेखांकन के गोइंग कन्सर्न आधार का उपयोग करने, जब तक कि प्रबंधन कंपनी के परिसमापन या प्रचालनों को बंद करने का इरादा नहीं रखता है या उसके उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण और एक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा मत भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगी। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और तब भौतिक मानी जाती है, जब वे, यदि, पृथक रूप से या कुल मिलाकर, इन एकल वित्तीय विवरण के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को तर्कसंगत रूप से प्रभावित कर सकते हो।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं :

- एकल वित्तीय विवरणों की भौतिक गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रतिउत्तर वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली भौतिक गलतबयानी विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी शामिल हो सकती है।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत, हम कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद होने तथा उन नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

- लेखांकन के गोइंग कन्सर्न आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या किसी घटना या स्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो गोइंग कन्सर्न के रूप में बने रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है, के संबंध में निष्कर्ष निकालना। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित होता है या, यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमारे मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी का गोइंग कन्सर्न बने रहना प्रभावित हो सकता है; और

- प्रकटीकरण सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री, और क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं जो निष्पक्ष प्रकटीकरण देते हो, का मूल्यांकन करना।

भौतिकता एकल वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है, जो पृथक रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि एकल वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (1) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन; और (2) एकल वित्तीय विवरणों में पहचान की गई किसी भी गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं ।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे और समय और हमारे द्वारा अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान किए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों सहित आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शासन के प्रभारियों को सूचित करते हैं।

हम शासन के प्रभारियों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध मंत संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन्हें ऐसे सभी संबंध तथा अन्य मामलों की सूचना देते है जो तर्कसंगत रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित रक्षोपायों पर प्रभाव डाल सकते हो।

शासन के प्रभारी होने वालों को संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो मौजूदा अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकते हो या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में,

हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी ऐसे मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम, ऐसे संप्रेषण से जनहित लाभों से बचने हेतु यथोचित उम्मीद की जाएगी।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

i. भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) इस अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संबंध में जारी द्वारा यथाअपेक्षित के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार **''अनुबंध–क''** में उक्त आदेश के पैरा 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण देते हैं।

ii. कंपनी की लेखाबहियों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर एक रिपोर्ट निम्नानुसार देते हैं:

क्रम सं.	निदेश	उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संशाधित करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ–साथ लेखे की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जाएं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, सभी लेखांकन लेनदेन कंपनी द्वारा कार्यान्वित ईआरपी प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं। अवधि के अंत में वित्तीय विवरण ईआरपी प्रणाली से उत्पन्न शेष राशि और लेनदेन के आधार पर ऑफ़लाइन संकलित किए जाते हैं। हमें न तो सूचित किया गया है और न ही हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान ऐसे किसी भी लेखांकन लेनदेन को पाया हैं, जिसके वित्तीय प्रभाव के साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव होते हो, जो आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित किए गए हैं।
2.	क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण के किसी पुनर्गठन या ऋण/कर्ज/ब्याज इत्यादि की छूट/पश्चलेखन का कोई मामला है? यदि हाँ, तो इसका वित्तीय प्रभाव बताया जाएं।	हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी के किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण की किसी पुनर्संरचना या ऋण/कर्ज/ब्याज इत्यादि की छूट/पश्चलेखन का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि/प्राप्य को उनके निबंधन और शर्तों के अनुसार ठीक से लेखांकित/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची दें।	हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी द्वारा केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/ प्राप्य धनराशि का संबंधित निबंधन और शर्तों के अनुसार ठीक से लेखांकन/ उपयोग किया गया था।

iii. उपर्युक्त पैराग्राफ में संदर्भित हमारी टिप्पणियों तथा अनुबंध के आगे, अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम सूचित करते हैं कि:

(क) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथापेक्षित उचित बहियां रखी गई है, जैसा कि हमें उन बहियों की जांच से पता चलता है।

(ग) इस रिपोर्ट में, वर्णित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण और कंपनी की इक्विटी में किसी परिवर्तन का विवरण, लेखा बहियों से मेल खाते है।

(घ) हमारी राय में, उक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

(ङ.) एक सरकारी कंपनी होने के कारण कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के फलस्वरूप, निदेशकों की अनर्हता के संबंध में अधिनियम, की धारा 164 की उप धारा(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते है।

(च) कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक कारगरता के संबंध में ''अनुबंध ख'' में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता पर एक अनर्हक मत व्यक्त करती है।

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हम अपनी राय तथा अपनी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रस्तुत करते हैं कि :

i. कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभावों का प्रकटन किया है। एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34 पैरा 1 देखें;

ii. कंपनी ने व्युत्पन्न संविदाओं सहित, दीर्घकालीन संविदाओं, यदि कोई हो, के लिए भावी ठोस अनुमानयोग्य हानियों के लिए प्रावधान किया है, जो लागू कानूनों या भारतीय लेखांकन मानकों में अपेक्षा किए गए अनुसार है।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली राशि के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है।

iv. कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती है क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं. : 009487एन

ए.के.अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. 013833
स्थान : लुधियाना

दिनांक : 27 जून, 2020
यूडीआईएन : 20013833एएएएबीके2824

कृते डीएसपी एण्ड एसोसिएटस
सनदी लेखाकार
फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं. : 006791एन

संजय जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 084906
स्थान : नई दिल्ली

यूडीआईएन : 20084906एएएएपीके1840

कृते लोधा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं.: 301051ई

आर.पी.सिंह
भागीदार
सदस्यता सं. 052438
स्थान : कोलकाता

यूडीआईएन : 20052438एएएएबीएम2834

समसंख्यक तिथि की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ''क''

i) (क) कम्पनी ने अचल परिसंपत्तियों के उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें मात्रात्मक ब्यौरे तथा अचल परिसंपत्तियों की अवस्थिति सहित पूर्ण ब्योरे दर्शाए गए हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कुछ यूनिटों में भूमि को छोड़कर मूर्त स्थिर परिसंपत्तियों को प्रबंधन/बाहरी एजेंसियों द्वारा चरणबद्ध तरीके से भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत है। कुछ मामलों में बही रिकॉर्ड के साथ भौतिक रूप से सत्यापित परिसंपत्तियों का मिलान प्रगति पर है। भौतिक सत्यापन और परिणामी समायोजन में पाई गई विसंगतियों को मिलान के पूरा होने पर सही किया जाता है। प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, वे भौतिक नहीं हैं।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा देखे गए रिकॉर्ड और हमें मुहैया करवाए गए स्वामित्व/पट्टा विलेखों के आधार पर, हम सूचित करते हैं किए स्वामित्व/पट्टा विलेख, जिसमें भूमि और भवन की सभी फ्रीहोल्ड/लीज़होल्ड अचल संपत्तियां शामिल हैं, तुलन पत्र की तिथि के अनुसार कंपनी के नाम पर धारित है, सिवाय निम्नलिखित के जहां कंपनी के पास स्वामित्व/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं:

प्रकृति	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	31.3.2020 के अनुसार सकल ब्लाक (करोड़ रूपए में)	31.3.2020 के अनुसार निवल ब्लाक (करोड़ रूपए में)
फ्रीहोल्ड भूमि	143.48	20.47	20.47
उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों सहित पट्टाधारी भूमि	530.88	251.20	231.31
पट्टे के अधीन होने वाले भवन	0.0465	17.01	16.08

ii) सूचित किए गए अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन/बाहरी एजेंसियों द्वारा माल–सूची, परिवहन में होने वाली माल–सूची के अतिरिक्त, का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे मतानुसार ऐसे प्रमाणीकरण की आवृत्ति तर्कसंगत है। बही रिकार्डों की तुलना में ऐसी माल–सूची के भौतिक सत्यापन पर पाई गई कमियां भौतिक नहीं थी और उक्त के साथ लेखाबही में उचित व्यवहार किया गया है।

iii) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कपंनी ने अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर की गई कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारियों या अन्य पक्षों को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं दिया है, सिवाय एक कंपनी को वर्ष के दौरान दिए गए अप्रतिभूत ऋण के जिसके संबंध में :

1) हमारे मतानुसार ऐसे ऋण को दिए जाने के निबंधन और शर्तें प्रथम दृष्टया कंपनी के हित के विपरीत नहीं हैं।

2) कंपनी द्वारा पूर्व के वर्ष में इस प्रकार दिए गए ऋण के संबंध में, मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। कंपनी ने वर्ष के दौरान 6 करोड़ रूपए का अप्रतिभूत ऋण जो कि यद्यपि वर्ष के दौरान चुकौती के लिए देय था, के चुकौती कार्यक्रम का विस्तार किया है और अभी तक मूल धन तथा ऋण की चुकौती नियमित है।

3) ऐसे ऋण के संबंध में, ऊपर पैरा (ख) में उल्लेख किए गए अनुसार, नब्बे दिवस से अधिक के लिए कोई अतिदेय राशि नहीं है।

iv) हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी, और प्रतिभूति के संबंध में अधिनियम की धारा 185 तथा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v) कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 और अन्य किसी संगत प्रावधान के अर्थ के भीतर कोई जमा स्वीकार नहीं किया है सिवाय अतिदेय धरोहर जमा राशि तथा सुरक्षा जमा के। तथापि, प्रबंधन का यह मत है कि बहियों में दर्शाए गए आपूर्तिकारों/संविदाकारों की अतिदेय धरोहर जमा राशि तथा सुरक्षा जमा वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति हेतु संविदाओं के निष्पादन हेतु प्रतिधारण राशि की प्रकृतिवाले हैं ओर उन्हें कंपनी (जमा की स्वीकार करना) संशोधन नियम, 2016 के नियम 2, उप नियम(1), खंड(ग) में संशोधन के चलते मानद जमा नहीं माना जाना चाहिए।

vi) हमने ये नियम लागू होने वाले कंपनी के उत्पादों के संबंध में अधिनियम की धारा 148 की उप धारा(1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के रख–रखाव के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखाबहियों की मोटे तौर पर समीक्षा की है और हमारा मत है कि प्रथम दृष्टया विहित रिकार्ड को बनाए रखा गया है। तथापि, हमने उक्त रिकार्डों का सटीकता या पूर्णता के निर्धारण की दृष्टि से विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।

vii) क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने अविवादित सांविधिक देयों, जिसमें भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, वस्तु एवं सेवा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय शामिल है, को सामान्यतः नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करवाया जा रहा है।

31 मार्च, 2020 को भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयों के संबंध में कोई अविवादित राशि देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं है।

ख) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2020 को किसी विवाद के कारण जमा न करवाए गए आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और मूल्यवर्धित कर के देयों की राशि निम्नानुसार है:–

सांविधि का नाम	कर की प्रकृति	राशि (करोड़ रुपए में)	जिस वित्तीय वर्ष से संबंधित है	विरोध के अधीन किया गया जमा (करोड़ रूपए में)	फोरम जहां मामला लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	0.001	2007-08	0	ट्रेसिस
		0.01	2010-11	0	आईटीओ, श्रीनगर
बिक्री कर अधिनियम/ वैट अधिनियम	बिक्री कर/ वैट	9.92	2012-13	0	अपीलीय अधिकरण
		22.31	2013-14 से 2014-15	0	अपीलीय प्राधिकारी
		34.15	2015-16	0	अपील दायर की जानी है।
		0.18	2009-10	0	डीईटीसी, कुल्लू
		16.69	2005-06 से 2011-12	15.29	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त, सिलीगुड़ी मंडल
		2.73	2012-13	0	संयुक्त आयुक्त, सिलीगुड़ी प्रभारी
		298.53	1994-95	0	जम्मू और कश्मीर बिक्री कर अपीलीय अधिकरण
वित्त अधिनियम, 1996	सेवा कर	28.44	2009-10 से 2016-17	27.25	सेवा कर अधिकरण, कोलकाता
		18.10	2004-05 से 2009-10	1.70	सीईएसटीएटी, चण्डीगढ़
सीमाशुल्क अधिनियम, 1962	सीमाशुल्क	25.15	2019-20	0	सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग

viii) हमारे मतानुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या ऋण–पत्र धारकों को देयों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।

ix) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे की सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से कोई राशि नहीं जुटाई है। कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण लिखतों को जारी करके और सावधि ऋणों के माध्यम से राशि जुटाई है। हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋणों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया है जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

x) हमारी लेखा प्रक्रियाविधियों के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा अथवा कंपनी

के साथ, इसके अधिकारियों/कर्मचारियों सहित किसी व्यक्ति द्वारा किसी धोखाधड़ी को वर्ष के दौरान पाया अथवा सूचित नहीं किया गया है।

xi) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार कंपनी के एक सरकारी कंपनी होने के चलते प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और अतः आदेश के खंड 3(12) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

xiii) हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों के परीक्षण के आधार पर संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार अधिनियम की धारा 177 तथा 188 के प्रावधानों के अनुपालन में है, जहां लागू हों, और ऐसे संव्यवहारों के विवरण को एकल वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, जो लागू लेखांकन मानक द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार है।

xiv) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों अथवा पूर्णतः या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमानी आवंटन या निजी स्थापन नहीं किया है। अतः आदेश के खंड 3(14) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xv) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों और प्रबंधन द्वारा हमें बताए गए अनुसार तथा कंपनी के रिकार्डों के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने इससे संबंधित निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी संव्यवहार नहीं किया है। अतः आदेश के खंड 3(15) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi) कपंनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–1ए के अंतर्गत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं.: 009487एन

ए.के.अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. 013833
स्थान : लुधियाना
दिनांक : 27 जून, 2020
यूडीआईएन : 20013833एएएएबीके2824

कृते डीएसपी एण्ड एसोसिएटस
सनदी लेखाकार
फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं.: 006791एन

संजय जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 084906
स्थान : नई दिल्ली

यूडीआईएन : 20084906एएएएपीके1840

कृते लोधा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं.: 301051ई

आर.पी.सिंह
भागीदार
सदस्यता सं. 052438
स्थान : कोलकाता

यूडीआईएन : 20052438एएएएबीएम2834

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ''ख''

(हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के शीर्ष "अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत पैराग्राफ (च) में संदर्भित)

अधिनियम की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्ट

हमने **एनएचपीसी लिमिटेड** ("कंपनी") की 31 मार्च, 2020 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रख–रखाव शामिल है जो इसके व्यापार के व्यवस्थित तथा दक्ष चालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीति के साथ अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी तथा चूक को रोकना तथा पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता तथा पूर्णता और अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से प्रस्तुत करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों पर एक मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट ("परामर्शी नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार की है और इसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित माना गया है, जो दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों तथा परामर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिकतापूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन को प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया तथा बनाए रखा गया था और क्या ऐसा नियंत्रण सभी भौतिक संबंध में प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहा था।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाविधियां निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की एक समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि कोई भौतिक कमजोरी विद्यमान है, और आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना शामिल है। चयन की गई प्रक्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी से हुई हो अथवा त्रुटि से, के जोखिम का आकलन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत हेतु आधार मुहैया करवाने के लिए पर्याप्त तथा उचित है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में एक तर्कसंगत आश्वासन मुहैया करवाने के लिए बनाया गया है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां तथा प्रक्रियाविधियां शामिल होती हैं जो कि (1) ऐसे रिकार्ड के अनुरक्षण से संबंधित होती हैं जिनमें तर्कसंगत रूप से ब्यौरे के साथ, सटीकता तथा उचित रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहार तथा स्थिति को दर्शाया गया हो; (2) इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन देती हो कि दर्ज किए गए संव्यवहार सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक हैं और कंपनी की प्राप्तियां तथा व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप ही किए गए हैं; और (3) एकल वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव होने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत खरीद, उपयोग अथवा निपटान का समय से पता लगाने तथा रोकने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन मुहैया कराती हो।

वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की निहित सीमाओं में, नियंत्रणों से ऊपर सांठ–गांठ या अनुचित प्रबधन की संभाव्यता, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयानी हो सकना तथा जिसका पता नही भी चल सकता, शामिल है। साथ ही भविष्य की अवधियों हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थितियों में बदलाव, के चलते अपर्याप्त हो सकती है, अथवा नीतियों या प्रक्रियाविधियों के साथ अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

मत

हमारे मतानुसार कंपनी के पास सभी भौतिक पहलुओं के संबंध में एक पर्याप्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और यह वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च, 2020 को प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदण्ड पर आधारित है।

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं.:
009487एन

ए.के.अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. 013833
स्थान : लुधियाना
दिनांक : 27 जून, 2020
यूडीआईएन : 20013833एएएएबीके2824

कृते डीएसपी एण्ड एसोसिएटस
सनदी लेखाकार
फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं.:
006791एन

संजय जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 084906
स्थान : नई दिल्ली

यूडीआईएन : 20084906एएएएपीके1840

कृते लोधा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं.:
301051ई

आर.पी.सिंह
भागीदार
सदस्यता सं. 052438
स्थान : कोलकाता

यूडीआईएन : 20052438एएएएबीएम2834

31 मार्च, 2020 के अनुसार एकल तुलन–पत्र

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
	परिसंपत्तियां			
(1)	**गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां**			
	क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	2.1	21,463.33	22,940.69
	ख) प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	2.2	16,097.65	14,898.11
	ग) उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां	2.3	1,826.98	-
	घ) निवेश संपत्ति	2.4	4.49	4.49
	ङ) अमूर्त परिसंपत्तियां	2.5	0.72	906.66
	च) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	1) निवेश	3.1	3,400.74	2,361.66
	2) व्यापार प्राप्य	3.2	-	61.51
	3) ऋण	3.3	798.65	746.41
	4) अन्य	3.4	3,435.91	3,467.16
	छ) गैर वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	4	138.90	131.95
	ज) अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	5	3,023.61	2,021.35
	कुल गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां		**50,190.98**	**47,539.99**
(2)	**वर्तमान परिसंपत्तियां**			
	क) माल–सूची	6	118.24	117.14
	ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	i) प्राप्य व्यापार	7	3,818.34	2,623.09
	ii) नकदी और नकदी तुल्य	8	8.87	12.04
	iii) नकदी तथा नकदी तुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	9	380.25	378.59
	iv) ऋण	10	46.03	45.18
	v) अन्य	11	2,699.74	1,984.26
	ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	86.95	61.22
	घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	13	427.90	355.25
	कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		**7,586.32**	**5,576.77**
(3)	नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	14	6,836.22	6,492.61
	कुल परिसंपत्तियां और नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष		**64,613.52**	**59,609.37**
	इक्विटी तथा देयताएं			
(1)	**इक्विटी**			
	क) इक्विटी शेयर पूंजी	15.1	10,045.03	10,045.03
	ख) अन्य इक्विटी	15.2	19,938.78	19,169.70
	कुल इक्विटी		**29,983.81**	**29,214.73**
(2)	**देयताएं**			
	गैर–वर्तमान देयताएं			
	क) वित्तीय देयताएं			
	1) ऋण	16.1	20,889.74	17,044.63
	2) अन्य वित्तीय देयताएं	16.2	2,059.23	2,058.64
	ख) प्रावधान	17	27.66	26.82
	ग) विलंबित कर देयताएं (निवल)	18	3,641.19	3,610.63
	घ) अन्य गैर–वर्तमान देयताएं	19	2,082.65	1,824.98
	कुल गैर–वर्तमान देयताएं		**28,700.47**	**24,565.70**

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(3)	**वर्तमान देयताएं**			
	क) वित्तीय देयताएं			
	1) ऋण	20.1	714.31	406.00
	2) देय व्यापार	20.2		
	सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय		18.85	15.74
	सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय		285.41	164.44
	3) अन्य वित्तीय देयताएं	20.3	2,879.70	2,846.92
	ख) अन्य वर्तमान देयताएं	21	802.81	1,066.47
	ग) प्रावधान	22	1,228.16	1,329.37
	घ) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	23	-	-
	कुल वर्तमान देयताएं		**5,929.24**	**5,828.94**
	कुल इक्विटी तथा देयताएं		**64,613.52**	**59,609.37**
	एकल वित्तीय विवरण की संलग्न टिप्पणियां	1-34		

निदेशक बोर्ड के लिए एवं की ओर से

विजय गुप्ता	**महेश कुमार मित्तल**	**अभय कुमार सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 02889021	डीआईएन : 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी	**कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स**	**कृते लोधा एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 09487एन	एफआरएनः 006791एन	एफआरएनः 301051ई
(ए. के. अग्रवाल)	**(संजय जैन)**	**(आर. पी. सिंह)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 013833	सदस्यता सं. 084906	सदस्यता सं. 052438

स्थान : फरीदाबाद
तिथि : 27 जून, 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु एकल लाभ एवं हानि लेखा विवरण

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को को समाप्त वर्ष हेतु
आय				
i)	प्रचालनों से राजस्व	24.1	8,735.41	8,161.18
ii)	अन्य आय	24.2	1,036.18	924.78
	कुल आय		**9,771.59**	**9,085.96**
व्यय				
i)	विद्युत की खरीद – व्यापार	25.1	234.13	12.68
ii)	उत्पादन व्यय	25.2	901.67	796.85
iii)	कर्मचारी लाभ व्यय	26	1,515.52	1,704.65
iv)	वित्त लागत	27	795.42	894.88
v)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	1,545.34	1,589.99
vi)	अन्य व्यय	29	1,514.95	1,165.53
	कुल व्यय		**6,507.03**	**6,164.58**
	असाधारण मदों, दर नियंत्रित क्रियाकलापों और कर से पूर्व लाभ		**3,264.56**	**2,921.38**
	असाधारण मदें		-	-
	दर नियंत्रित क्रियाकलापों और कर से पूर्व लाभ		3,264.56	2,921.38
	कर व्यय	30.1		
i)	वर्तमान कर		602.40	649.78
ii)	विलंबित कर		(1.40)	464.45
	कुल कर व्यय		**601.00**	**1,114.23**
	वर्ष हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष में निवल संचलन से पूर्व लाभ		**2,663.56**	**1,807.15**
	नियामक विलंब लेखा शेष में संचलन (कर का निवल)	31	343.61	823.40
वर्ष हेतु लाभ (क)			**3,007.17**	**2,630.55**
	अन्य व्यापक आय (ख)	30.2		
(1)	**मदें जिन्हें लाभ या हानि को पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (कर का निवल)**			
	(क) रोजगार पश्च निर्धारित लाभ बाध्यताओं का पुनः मापन		37.51	1.15
	घटाएं – निर्धारित लाभ बाध्यताओं पर कर के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन		8.14	(0.55)
	उप जोड़ (क)		**29.37**	**1.70**
	(ख) इक्विटी लिखत में निवेश		(42.09)	(16.48)
	उप जोड़ (ख)		**(42.09)**	**(16.48)**
	कुल (1) = (क)+(ख)		**(12.72)**	**(14.78)**

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को को समाप्त वर्ष हेतु
(2)	मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि को पुनः वर्गीकृत किया जाएगा (कर का निवल)			
	– ऋण लिखत पर निवेश		12.10	2.37
	कुल (2)		**12.10**	**2.37**
अन्य व्यापक आय (ख) = (1+2)			**(0.62)**	**(12.41)**
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय (क+ख)			**3,006.55**	**2,618.14**
प्रति शेयर अर्जन (मूल तथा तनुकृत) (इक्विटी शेयर, 10 रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)		34 (12)		
	नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन से पूर्व		2.65	1.77
	नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन के पश्चात		2.99	2.57
एकल वित्तीय विवरण की संलग्न टिप्पणियां		**1-34**		

निदेशक बोर्ड के लिए एवं की ओर से

विजय गुप्ता	**महेश कुमार मित्तल**	**अभय कुमार सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 02889021	डीआईएन : 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी	**कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स**	**कृते लोधा एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 09487एन	एफआरएनः 006791एन	एफआरएनः 301051ई
(ए. के. अग्रवाल)	**(संजय जैन)**	**(आर. पी. सिंह)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 013833	सदस्यता सं. 084906	सदस्यता सं. 052438

स्थान : फरीदाबाद
तिथि : 27 जून, 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु एकल नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन सहित वर्ष हेतु कर पूर्व लाभ		3608.17		3744.78
घटाएं : नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन		343.61		823.40
कर पूर्व लाभ		**3264.56**		2921.38
जोड़े :				
मूल्यह्रास और परिशोधन	1545.34		1589.99	
वित्त लागत	795.42		894.88	
प्रावधान (निवल हानि)	155.17		107.10	
कर समायोजन (हानि)	-		45.47	
विनिमय दर अंतर के कारण बिक्री समायोजन	42.94		92.34	
परिसंपत्तियों की बिक्री/ बट्टे खाते में डाले गए पर हानि/ (लाभ)	2.51		(1.20)	
		2541.38		2728.58
		5805.94		**5649.96**
घटाएं :				
पश्च लेखित मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	44.72		60.72	
प्रावधान (निवल लाभ)	5.22		30.77	
लाभांश आय	489.97		282.47	
ब्याज आय	162.16		165.61	
विनिमय दर अंतर	(50.15)		3.18	
उचित मूल्य समायोजन	(1.42)		(2.84)	
सरकारी अनुदानों का परिशोधन	29.95		24.20	
		680.45		564.11
प्रचालनशील परिसंपत्तियों तथा देयताओं के समायोजन से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों का नकदी प्रवाह और		**5125.49**		**5085.85**
प्रचालनशील परिसपंत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तनः				
माल–सूची	(1.33)		(21.44)	
प्राप्य व्यापार	(1778.85)		(2107.81)	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	(75.91)		(876.83)	
अन्य वित्तीय देयताएं एवं प्रावधान	(160.87)		2038.89	
		(2016.96)		(967.19)
कर पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		**3108.53**		**4118.66**
घटाएं : अदा किया गया कर		635.08		678.90
प्रचालन क्रियाकलापों से प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह (क)		**2473.45**		**3439.76**
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (वर्ष हेतु प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का भाग होने वाले निर्माण पर आरोप्य व्यय सहित) – **अनुदान का निवल**		(2708.71)		(1492.48)
परिसंपत्तियों की बिक्री		0.52		0.92
संयुक्त उद्यम में निवेश		(140.45)		(100.00)
अनुषंगी कंपनी में निवेश		(924.70)		-
लाभांश आय		489.97		282.47
ब्याज आय		127.05		144.14
निवेश क्रियाकलापों से प्रयुक्त निवल नकदी (ख)		**(3156.32)**		**(1164.95)**
ग. वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद (प्रीमियम भुगतान सहित)		-		(606.20)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
लाभांश और अदा किए गए लाभांश पर कर	(2237.47)	(1149.03)
ऋण से प्राप्तियां	5967.71	2578.00
ऋण की चुकौती	(1715.05)	(1877.16)
ब्याज तथा वित्त प्रभार	(1332.22)	(1215.12)
पट्टा देयता की चुकौती	(3.27)	-
वित्त–पोषण क्रियाकलापों प्रयुक्त निवल नकदी (ग)	**679.70**	**(2269.51)**
घ. नकदी तथा नकदी तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	**(3.17)**	**5.30**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी तुल्य	12.04	6.74
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य	8.87	12.04

उक्त नकदी प्रवाह विवरण को इंड एएस 7 – ''नकदी प्रवाह का विवरण'' में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुरूप तैयार किया गया है।

नकदी प्रवाह के विवरण की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. नकदी तथा नकदी तुल्य में हस्तगत नकदी, हस्तगत चेक/ड्राफ्ट तथा बैंक शेष शामिल है जिसमें तीन माह से कम के मूल परिपक्वता वाले अल्पावधि जमा को भी शामिल किया गया है। नकदी तथा नकदी तुल्य का ब्यौरा निम्नवत है:

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
नकदी तथा नकदी–तुल्य	8.87	12.04

नकदी तथा नकदी तुल्य में निम्नलिखित शामिल हैं :–

2. 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य के अंतर्गत बैंकों में जमा 18.68 करोड़ रूपए के निर्धारित शेष का पुनवर्गीकरण नकदी और नकदी तुल्य के अलावा बैंक शेष के अंतर्गत किया गया है। तदनुसार, 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार नकदी और नकदी समतुल्य 30.72 करोड़ रूपए के स्थान पर 12.04 करोड़ रूपए हो गया है।
3. वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह में ब्याज तथा वित्त प्रभार में अवधि के दौरान निर्माण के लिए आरोप्य व्यय (ईएसी) के कारण वर्ष के दौरान पूंजीकृत 462.90 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 365.28 करोड़ रुपए) की ऋण लागत के राशि शामिल है।
4. 31.3.2020 को लिए न गए ऋण की राशि – 925.00 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 819.00 करोड़ रुपए) है।
5. कंपनी ने 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के कारण नकदी में 122.57 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 16.72 करोड़ रूपए) की राशि का व्यय किया है।

6. निवल ऋण मिलान

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
नकदी और नकदी तुल्य	8.87	12.04
वर्तमान ऋण	(714.31)	(406.00)
गैर–वर्तमान ऋण	(23138.70)	(19234.76)
पट्टा देयता	(13.91)	-
निवल ऋण	**(23858.05)**	**(19628.72)**

(करोड़ रुपए में)

विवरण	अन्य परिसंपत्तियां	वित्त–पोषण क्रियाकलापों से देयताएं			कुल
	नकदी और नकदी तुल्य	गैर–वर्तमान ऋण	पट्टा देयता	वर्तमान ऋण	
31 मार्च, 2018 को निवल ऋण	6.74	(18894.59)	-	(280.00)	(19167.85)
नकदी प्रवाह	5.30	(574.83)	-	(126.01)	(695.54)
पट्टा देयता	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	(22.69)	-	-	(22.69)
ब्याज व्यय	-	(1201.37)	-	(5.83)	(1207.20)
अदा किया गया ब्याज	-	1188.87	-	5.84	1194.71
उचित मूल्य समायोजन	-	269.85	-	-	269.85
31 मार्च, 2019 को निवल ऋण	12.04	(19234.76)	-	(406.00)	(19628.72)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	अन्य परिसंपत्तियां	वित्त–पोषण क्रियाकलापों से देयताएं			कुल
	नकदी और नकदी तुल्य	गैर–वर्तमान ऋण	पट्टा देयता	वर्तमान ऋण	
31 मार्च, 2019 को निवल ऋण	**12.04**	**(19234.76)**	-	**(406.00)**	**(19628.72)**
01.04.2019 को इंड एएस 116 के अंतर्गत मान्यताप्रदत्त पट्टा	-	-	(14.90)	-	(14.90)
नकदी प्रवाह	(3.17)	(3944.34)	3.27	(308.31)	(4252.55)
पट्टा देयता	-	-	(2.28)	-	(2.28)
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	(120.23)	-	-	(120.23)
ब्याज व्यय	-	(1320.31)	(1.17)	(15.93)	(1337.41)
अदा किया गया ब्याज	-	1262.20	1.17	15.93	1279.30
उचित मूल्य समायोजन	-	218.74	-	-	218.74
31 मार्च, 2020 को निवल ऋण	**8.87**	**(23138.70)**	**(13.91)**	**(714.31)**	**(23858.05)**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 02889021

अभय कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 009487एन

(ए.के.अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता सं. 013833

कृते डी एस पी एण्ड एसोसिएटस
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 006791एन

(संजय जैन)
साझेदार
सदस्यता सं. 084906

कृते लोधा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 301051ई

(आर.पी.सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 052438

स्थान : फरीदाबाद

तिथि : 27 जून, 2020

31 मार्च, 2020 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (करोड़ रूपए में)
1 अप्रैल, 2019 के अनुसार	15.1	10,045.03
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		–
31 मार्च, 2020 के अनुसार	15.1	10,045.03

ख. अन्य इक्विटी

(करोड़ रूपए में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष					अन्य व्यापक आय		
	पूंजी मोचन आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	बॉण्ड मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	अधिशेष / प्रतिधारित अर्जन	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी लिखत	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखत	कुल
1 अप्रैल, 2019 को शेष	2,255.71	-	**2,193.35**	**9,724.72**	**4,889.54**	**76.30**	**30.08**	**19,169.70**
वर्ष हेतु लाभ	-	-	-	-	3,007.17	-	–	3,007.17
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	29.37	(42.09)	12.10	(0.62)
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	-	-	-	-	3,036.54	**(42.09)**	**12.10**	**3,006.55**
बॉण्ड मोचन आरक्षित से अंतरित राशि	-	-	(244.97)	-	244.97	-	–	-
प्रतिधारित अर्जन से अंतरण								
लाभांश	-	-	-	-	(1,938.69)	-	–	(1,938.69)
लाभांश पर कर	-	-	-	-	(298.78)	-	–	(298.78)
31 मार्च, 2020 को शेष	**2,255.71**	-	**1,948.38**	**9,724.72**	**5,933.58**	**34.21**	**42.18**	**19,938.78**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 02889021

अभय कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 009487एन

(ए.के.अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता सं. 013833

कृते डी एस पी एण्ड एसोसिएटस
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 006791एन

(संजय जैन)
साझेदार
सदस्यता सं. 084906

कृते लोधा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 301051ई

(आर.पी.सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 052438

स्थान : फरीदाबाद
तिथि : 27 जून, 2020

31 मार्च, 2019 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (करोड़ रूपए में)
1 अप्रैल, 2018 के अनुसार	15.1	10,259.32
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		(214.29)
31 मार्च, 2019 के अनुसार	15.1	10,045.03

ख. अन्य इक्विटी

(करोड़ रूपए में)

इक्विटी धारकों को आरोप्य	आरक्षित और अधिशेष				अन्य व्यापक आय			
	पूंजी मोचन आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	बॉण्ड मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	अधिशेष / प्रतिधारित अर्जन	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी लिखत	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखत	कुल
1 अप्रैल, 2018 को शेष	**2,041.42**	**242.81**	**2,129.55**	**10,088.11**	**3,470.12**	**92.78**	**27.71**	**18,092.50**
वर्ष हेतु लाभ	-	-	-	-	2,630.55	-	-	2,630.55
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	1.70	(16.48)	2.37	(12.41)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	**2,632.25**	**(16.48)**	**2.37**	**2,618.14**
इक्विटी शेयरों की खरीद के लिए प्रयुक्त	-	(242.81)	-	(142.90)	-	-	-	(385.71)
इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद पर व्यय के लिए उपयोग	-	-	-	(6.20)	-	-	-	(6.20)
प्रतिधारित आय को अंतरित								
बॉण्ड मोचन आरक्षित से अंतरित राशि	-	-	(244.98)	-	244.98	-	-	-
सामान्य आरक्षित से अंतरित राशि	214.29	-	-	(214.29)	-	-	-	-
प्रतिधारित अर्जन से अंतरण								
लाभांश	-	-	-	-	(1000.46)	-	-	(1000.46)
लाभांश पर कर	-	-	-	-	(148.57)	-	-	(148.57)
बॉण्ड मोचन आरक्षित को अंतरण	-	-	308.78	-	(308.78)	-	-	-
31 मार्च, 2019 को शेष	**2,255.71**	-	**2,193.35**	**9,724.72**	**4,889.54**	**76.30**	**30.08**	**19,169.70**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 02889021

अभय कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 009487एन

(ए.के.अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता सं. 013833

कृते डी एस पी एण्ड एसोसिएटस
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 006791एन

(संजय जैन)
साझेदार
सदस्यता सं. 084906

कृते लोधा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 301051ई

(आर.पी.सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 052438

स्थान : फरीदाबाद
तिथि : 27 जून, 2020

टिप्पणी संख्या – 1 : कंपनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(1) रिपोर्टिंग निकाय

एनएचपीसी लिमिटेड ("कंपनी") भारत में अधिवासित तथा शेयरों द्वारा सीमित एक कंपनी है। कंपनी के शेयर नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया तथा बीएसई लिमिटेड में सार्वजनिक रूप से खरीदे–बेचे जाते हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर–33, फरीदाबाद, हरियाणा – 121003 है। कंपनी मुख्यतः विद्युत उत्पादन और विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं को बल्क विद्युत की बिक्री में रत है। अन्य व्यापार में परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाएं/परामर्शी कार्य सेवाएं और विद्युत का व्यापार शामिल है।

(2) तैयार करने के आधार

(क) अनुपालन का कथन

इन एकल वित्तीय विवरणों को लेखांकन के प्रोदभवन आधार पर तैयार किया गया है सिवाय नकदी प्रवाह के विवरण के और ये कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) तथा तत्संबंधी परवर्ती संशोधनों, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित तथा लागू सीमा तक), कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।

इन वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 27 जून, 2020 को जारी किए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

(ख) मापन का आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है सिवाय निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं हेतु जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है :

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं को उचित मूल्य पर मापा गया है।
- निर्धारत कर्मचारी लाभ योजनाओं की योजनागत परिसंपत्तियां।
- उचित मूल्यों के मापन हेतु प्रयुक्त पद्धतियों पर टिप्पणी 33 में चर्चा की गई है।

ऐतिहासिक लागत नकदी अथवा नकदी समतुल्य के रूप में अथवा उचित मूल्य पर किसी परिसम्पति की प्राप्ति के समय चुकता की जाती है अथवा किसी दायित्व के विनियम के प्रति प्रतिफल की राशि के रूप में प्राप्त होती है अथवा व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के दौरान किसी दायित्व की पूर्ति के लिए नकदी अथवा समतुल्य के रूप में चुकता की जानी होती है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति की बिक्री से प्राप्त होता है अथवा मापन की तिथि को बाजार प्रतिभागियों के मध्य किसी दायित्व के अंतरण के विधिवत संव्यवहार के प्रति चुकता किया जाता है।

(ग) नए और संशोधित मानकों को लागू किया जाना

(1) **इंड एएस 116** – पट्टे : इंड एएस 17 – पट्टे के स्थान पर इंड एएस 116 का उपयोग पट्टे तथा उनकी स्वीकृति, मापन, प्रस्तुति के लिए निर्धारित सिद्धांतों तथा किसी अनुबंध के अंतर्गत अर्थात पट्टेदार एवं पट्टादाता, के मध्य पट्टे के प्रकटीकरण के लिए किया गया है। इंड एएस 116 में एकल पट्टेदार लेखांकन स्वरूप की शुरूआत की गई है तथा इसके लिए, अंतर्निहित परिसम्पतियों न्यून मूल्य पर हैं, पट्टेदार से 12 माह से अधिक कालावधि के सभी पट्टों के लिए परिसंपत्तियों एवं दायित्वों की स्वीकृति किए जाने की अपेक्षा की गई है। 1 अप्रैल, 2019 से कम्पनी ने इंड एएस 116 "पट्टे" को संशोधित पूर्वप्रभावी अभिमुखता के उपयोग के साथ अंगीकार किया है। मानक को अंगीकार करने के प्रभाव का प्रकटीकरण टिप्पणी 34 में किया गया है।

(2) अन्य मानकों में संशोधन/संशोधन या तो लागू नहीं होते हैं या वित्तीय विवरणों पर उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं होता है।

(घ) कार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय राष्ट्रीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किया गया है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। समूची वित्तीय सूचना को भारतीय राष्ट्रीय रुपए में प्रस्तुत किया है और निकटतम करोड़ रुपए (2 दशमलव तक) तक इसे पूर्णांकित किया गया है।

(ङ) अनुमानों तथा प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन द्वारा ऐसे निर्णय, अनुमान तथा मान्यताओं को लेना अपेक्षित होता है जो लेखांकन नीति के अनुप्रयोग और तुलन–पत्र तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं, आय, व्यय तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं सहित संबंधित प्रकटीकरणों के सूचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हों। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और परिस्थितियों में तर्कसंगत तथा विवेकसम्मत माने गए अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान तथा आधारभूत मान्यताओं की समीक्षा एक चालू आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिनमें अनुमानों को संशोधित किया जाए।

वित्तीय विवरणों की समझ में वृद्धि करने के लिए, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमानों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता तथा महत्वपूर्ण निर्णयों के संबंध में जानकारी जिसका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की गई राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, उसे निम्नलिखित टिप्पणियों में शामिल किया गया है :

महत्वपूर्ण निर्णय तथा अनुमान

क) पट्टा

यदि कोई व्यवस्था, इंड एए 116 – पट्टे की अपेक्षाओं के अंतर्गत पट्टा मानी जाती है तो कम्पनी द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाता है। कोई अनुबंध पट्टा, अथवा पट्टा युक्त तब होता है जब कोई अनुबंध, संज्ञान में ली गई किसी परिसम्पति का, किसी अवधि के दौरान, नियंत्रण एवं उपयोग करने का अधिकार किसी प्रतिफल के विनिमय, के आशय से किया गया हो। पट्टे का संज्ञान करने के लिए महत्वपूर्ण विवेक का उपयोग अपेक्षित है।

किसी अनुबंध का मूल्यांकन इस आशय से करने के लिए कि क्या उसमें संज्ञान में ली गई किसी परिसम्पति के उपयोग के संबंध में, किसी समयावधि के लिए, नियंत्रण का अधिकार सम्प्रेषित होता है अथवा नहीं होता है, कम्पनी द्वारा यह मूल्यांकन किया जाता है कि क्या उपयोग की पूर्ण अवधि के लिए ग्राहक पास निम्नलिखित, दोनों हैं अथवा नहीं हैं:–

1. संज्ञान में ली गई परिसम्पति के उपयोग से सभी सारभूत आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार; तथा
2. संज्ञान में ली गई परिसम्पति के उपयोग को निदेशित करने का अधिकार।

संज्ञान में ली गई परिसम्पति के नियंत्रण के लिए ग्राहक के पास उपयोग की पूर्ण अवधि के दौरान सारभूत रूप से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार होना अपेक्षित है। यदि ग्राहक के पास उपयोग की पूर्ण अवधि के दौरान परिसम्पति के उपयोग की विधि एवं परिसम्पति के उपयोग का उद्देश्य निदेशित करने का अधिकार है तो ग्राहक को संज्ञान में ली गई परिसम्पति का उपयोग, पूर्ण अवधि के दौरान, निदेशित करने का अधिकार प्राप्त होता है।

कम्पनी द्वारा पट्टा काल (प्रत्याशित नवीकरण सहित) तथा लागू छूट दर के मूल्यांकन के लिए अर्थपूर्ण विवेक का उपयोग किया जाता है।

कम्पनी पट्टे की अवधि का निर्धारण पट्टे की रद्द न की जा सकने वाली अवधियों, जो विकल्प के तौर पर पट्टे के विस्तार के लिए शामिल की गई हैं, के संबंध में निर्धारण, यदि कम्पनी औचित्यकपरक रूप से इस विकल्प का उपयोग करना चाहती है, या किया जाता है, तथा पट्टे को समाप्त करने के विकल्प के रूप में शामिल की गई अवधियों के साथ, यदि कम्पनी इस विकल्प का उपयोग औचित्यपरक कारणों से करना चाहती है, किया जाता है। कम्पनी द्वारा ऐसा निर्धारण करने के लिए, क्या किसी पट्टे के विस्तार अथवा पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का उपयोग करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, उन सभी संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों को विचार में लिया जाता है जो पट्टे को विस्तारित करने के विकल्पं का उपयोग करने अथवा पट्टे को समाप्त करने के विकल्प् का उपयोग न करने की स्थितियों के लिए आर्थिक प्रोत्साहनों के सृजन से जुड़ी हुई हैं। यदि पट्टे की किन्ही रद्द न की गई अवधियों में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो कम्पनी द्वारा पट्टा काल में संशोधन किया जाता है।

छूट दर वार्षिक ऋण दर है जो मूल्यांकन किए जा रहे पट्टे अथवा समान प्रकार की विशिष्टताओं से युक्त पट्टे के पोर्टफोलियो से सम्बद्ध होती हैं।

कंपनी लाभग्राहियों के साथ विद्युत क्रय समझौते करती है। विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) किसी एकल लाभग्राही के साथ सन्निहित पट्टे की प्रकृति के होते हैं जहां न्यूनतम पट्टा अवधि संयंत्र के आर्थिक जीवनकाल के एक प्रमुख हिस्से हेतु होती है तथा न्यूनतम पट्टा भुगतान राशि संयंत्र के समूचे उचित मूल्य को व्यापक रूप से कवर करने के लिए वित्त पट्टे के रूप में मानी जाती है। अन्य सन्निहित पट्टों को प्रचालन पट्टे माना जाता है। वित्त पट्टे की प्रकृति वाले सन्निहित पट्टे में संयंत्र में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता दी जाती है। न्यूनतम पट्टा भुगतान की पहचान शेष संविदा राशियों में से निहित पट्टा भुगतान को पृथक करके की जाती है। प्रत्येक पट्टा रसीद को प्राप्य तथा वित्त पट्टा आय के मध्य आवंटित किया जाता है ताकि प्राप्य बकाया पट्टे पर प्रतिफल की एक स्थिर दर प्राप्त की जा सके।

प्रचालन पट्टों अथवा निहित प्रचालन पट्टों के मामले में प्रचालन पट्टे से पट्टा आय को पट्टा अवधि पर एक सीधी रेखा आधार पर राजस्व में मान्यता दी जाती है। संबंधित पट्टा परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन–पत्र में शामिल किया जाता है।

ख) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण का उपयोगी जीवनकाल और अमूर्त परिसंपत्तियां

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल कई कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अप्रचलन के प्रभाव, मांग, प्रतिस्पर्धा तथा अन्य आर्थिक कारक (जैसे कि उद्योग की स्थिरता तथा ज्ञात प्रौद्योगिकीय खोजें) और परिसंपत्ति से प्रत्याशित भविष्य के नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित रख–रखाव व्यय के स्तर शामिल होते हैं।

विद्युत के उत्पादन हेतु प्रयुक्त परंसपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के भाग–ख में यथा उल्लिखित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) टैरिफ विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है सिवाय

निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी और कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरणों हेतु जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–II के अनुरूप हैं और मोबाइल फोन को जो प्रबंधन के आकलन के अनुसार हैं।

ग) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य एवं अमूर्त परिसंपत्तियों की प्राप्ति योग्य राशि

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य एवं अमूर्त परिसंपत्तियों की प्राप्ति योग्य राशि अनुमानों तथा मान्यताओं पर आधारित होती है, विशेष रूप से विद्युत संयंत्रों से संबद्ध प्रत्याशित बाजार परिदृश्य तथा भविष्य के नकदी प्रवाहों के मामले में। इन मान्यताओं में किसी परिवर्तन का प्राप्ति योग्य राशि के मापन में भौतिक प्रभाव होगा जो क्षति में परिणत होगा।

घ) सेवानिवृत्ति पश्च लाभ योजनाएं

कर्मचारी लाभ बाध्यताओं को बीमांकित मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु तथा छोड़ देने की दर और साथ ही साथ छूट दरों में भविष्य के घटनाक्रम, वेतन वृद्धि की दर, मुद्रा स्फीति दर और योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित दर संबंधी मान्यताएं शामिल हैं। कंपनी यह मानती है कि इसकी बाध्यताओं के मापन हेतु प्रयुक्त मान्यताएं उचित तथा प्रलेखित हैं। तथापि, इन मान्यताओं में किसी परिवर्तन का परिणामी गणनाओं पर प्रभाव हो सकता है।

ङ) राजस्व

कंपनी विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व को इंड एएस 115 के सिद्धांतों के अनुसार सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर दर्ज करती है। तथापि, ऐसे मामलों में जहां टैरिफ दरों को अभी अनुमोदित किया जाना है, लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों पर विचार करते हुए अनंतिम दरों को अपनाया जाता है। इसके अलावा, जहां लागत अनुमानों में संशोधन के कारण टैरिफ लंबित हैं, सीईआरसी टैरिफ विनियमों के तहत निर्धारित मापदंडों और विधियों के आधार पर टैरिफ की गणना की जाती है और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात सीईआरसी को आवेदन किए जाने पर राजस्व की अनुमानित राशि को मान्यता दी जाती है जो इस सीमा तक होती है कि इसकी अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्रदान किए गए राजस्व में कोई नीचे की ओर समायोजन नहीं होगा।

च) प्रावधान तथा आकस्मिकताएं

प्रावधानों तथा आकस्मिकताओं की मान्यता में किए गए आकलनों को इंड एएस 37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों" के अनुसार किया गया है। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन आर्थिक संसाधनों के संभाव्य प्रवाह के संबंध में प्रबंधन द्वारा लिए गए श्रेष्ठ निर्णय के आधार पर किया गया है। ऐसे अनुमान अप्रत्याशित घटनाओं के कारण बदल सकते हैं।

छ) दर विनियमित परिसंपत्तियों की प्राप्ति योग्य राशि

कंपनी के प्रचालन क्रियाकलाप सेवा की लागत विनियमों के अधीन है जिसके द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु प्रभारित टैरिफ ब्याज लागत, मूल्यह्रास, एक निर्धारित प्रतिफल सहित प्रचालन तथा अनुरक्षण जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होते हैं। आईसीएआई द्वारा जारी दर नियंत्रित क्रियाकलापों संबंधी परामर्शी नोट (पिछला जीएएपी) और इंड एएस 114 "नियामक विलंबित लेखे" किसी निकाय को दर आधार में, स्व–निर्मित (मूर्त) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में, ऐसी राशियां शामिल करने की अनुमति देते हैं जिन्हें अन्यता इंड एएस के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती। कंपनी अनुमान लगाती है कि वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की गई नियामक विलंबित लेखे की मदें वर्तमान सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2019–24 के अनुसार हैं। तथापि, वर्तमान टैरिफ अवधि से परे सीईआरसी टैरिफ विनियमों में परिवर्तन ऐसे शेष की वसूल किए जाने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।

ज) प्राप्य व्यापार की क्षति

प्राप्य व्यापार हेतु ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को देखते हुए कंपनी लाभग्राहियों से प्राप्य मूल्य में क्षति अथवा प्राप्य व्यापारों की वसूली में विलंब के चलते राशि के समय मूल्य में हानि की परिकल्पना नहीं करती है, सिवाय पहले से प्रावधान किए गए की सीमा तक।

झ) अनुषंगी कंपनी और संयुक्त उद्यमों में निवेश

निवेश लागत पर किया गया है और कंपनी के आकलन के अनुसार ऐसे निवेशों में क्षति का कोई संकेत नहीं है। मान्यता में किसी परिवर्तन का वसूली योग्य राशि के मापन पर भौतिक प्रभाव हो सकता है।

ञ) प्राप्य बीमा दावा

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण को क्षति के संबंध में बीमा दावे की प्राप्य राशि बीमा पॉलिसी के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अनुमानों तथा मान्यताओं पर आधारित है।

(3) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार नीचे दिए गए अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में सतत तरीके से लागू किया गया है। इन लेखांकन नीतियों को एक ऐसे तरीके से तैयार किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में लेन–देन, अन्य घटनाओं और लागू होने वाली शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी होती है। इन नीतियों को वहां लागू करने की आवश्यकता नहीं है, जहां उन्हें लागू करने का प्रभाव भौतिक न हो।

31 मार्च, 2015 तक संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य, अमूर्त परिसंपत्तियों और निवेश संपत्ति को तुलन–पत्र में भारतीय जीएएपी के अनुसार लिया गया है। कंपनी ने इंड एएस में परिवर्तन की तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015 को) को मानद लागत के रूप में इन राशियों के संबंध में इंड एएस 101 "इंड एएस को पहली बार अपनाया जाना" द्वारा प्रदान की गई छूट को लेने का विकल्प चुना है।

1.0 संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (पीपीई)

क) पीपीई की किसी मद को तब एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है यदि यह संभावना हो कि मद के साथ संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकेगा।

ख) पीपीई को प्रारंभ में जहां–कहीं अपेक्षित हो समाप्त किए जाने की लागत अथवा बाहरी लागत सहित अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर लिया जाता है। लागत में वह राशि शामिल होती है जो सीधे परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण पर आरोप्य हो। ऐसे मामलों में जहां संविदाकार के साथ बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, परन्तु परिसंपत्ति पूर्ण है तथा उपयोग हेतु उपलब्ध है, पूंजीकरण अनुमानित आधार पर आवश्यक समायोजनों के अधीन किया जाता है, जिसमें माध्यस्थम/अदालती मामलों के निपटान से उत्पन्न होने वाले भी शामिल हैं।

ग) पावर स्टेशन के मूल रूप से अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की पूर्णता पर पीपीई के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण पर किए गए व्यय को मान्यता मानदण्ड पूरा करने पर संबंधित परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा जाता है। विद्यमान परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के रूप में अधिगृहीत पीपीई को पूंजीकृत किया जाता है और सक्रिय उपयोग से हटाई गई इसकी तदनुरूपी प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों को विमान्य किया जाता है।

घ) प्रारंभिक मान्यता के पश्चात संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण को संचित मूल्यह्रास/परिशोधन तथा संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, घटा लागत पर वहन किया जाता है।

ङ) कब्जे में होने वाली भूमि से संबंधित मुआवजे (निर्णय की तिथि तक अदालत द्वारा दिए गए वृद्धित मुआवजे पर ब्याज सहित), पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं संबंधी व्यय सहित अन्य व्ययों के प्रति अनंतिम रूप से किए गए जमा, भुगतान/सृजित देयताओं को भूमि की लागत माना जाता है।

च) कंपनी का नियंत्रण होने वाली परिसंपत्तियां, भले ही कंपनी का स्वामित्व न होने वाली भूमि पर सृजित की गई हों, संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के अंतर्गत शामिल की जाती हैं।

छ) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के मान्यता मानदंड को पूरा करने वाले अतिरिक्त उपकरण तथा सेवा उपकरण को पूंजीकृत किया जाता है।

ज) मान्यता मानदण्ड को पूरा करने वाले कलपुर्जे (संयंत्र तथा मशीनरी के साथ अथवा बाद में खरीदे गए) को पूंजीकृत किया जाता है। उन कलपुर्जों की वहन राशि जिन्हें प्रतिस्थापित किया गया है, को विमान्य किया जाता है जब उनके उपयोग अथवा निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हों। माल–सूची का भाग होने वाले अन्य कलपुर्जों को "भंडार तथा कलपुर्जे" माना जाता है।

झ) यदि प्रतिस्थापित पुर्जे की लागत या पहले का निरीक्षण उपलब्ध नहीं है तो समान नए पुर्जे की अनुमानित लागत/निरीक्षण को विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण घटक की लागत के एक संकेत के रूप में लिया जाता है, जब मद को अधिगृहीत किया गया हो या उसका निरीक्षण किया गया हो।

ञ) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद को निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान से भविष्य का कोई आर्थिक लाभ प्रत्याशित न होने पर विमान्य किया जाता है। परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने से उत्पन्न होने वाली किसी लाभ या हानि (जिसकी गणना परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्तियों तथा वहन राशि के मध्य अंतर के रूप में की जाती है) को परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

2.0 प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

क) निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (परियोजना सहित) पर किए गए व्यय को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत लागत पर किया जाता है। ऐसी लागत में आयात शुल्क तथा अप्रतिदेय करों सहित परिसंपत्तियों का खरीद मूल्य (व्यापार छूट तथा अन्य छूट की कटौती के पश्चात), परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच क्रियाकलापों के संबंध में व्यय, स्थल तैयार किए जाने की लागत, प्रारंभिक डिलीवरी तथा हैण्डलिंग प्रभार, स्थापन तथा असेम्बली लागतें आदि शामिल होती हैं।

ख) लागतों में कर्मचारी लाभ, पेशेवर शुल्क, आम जन सुविधाओं के रख–रखाव तथा उन्नयन पर किया गया व्यय, परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, निर्माण के दौरान ब्याज तथा परिसंपत्ति को स्थल पर लाने तथा प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके से प्रचालन करने हेतु समर्थ बनाने के लिए सीधे आरोप्य अन्य लागतों को "निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी)" के अंतर्गत संचित किया जाता है तथा बाद में परियोजनाओं के चालू होने पर भूमि तथा आधारभूत ढांचा सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है। चालू किए जाने से पूर्व की निवल आय/व्यय को सीधे संबंधित परिसंपत्ति की लागत में समायोजित किया जाता है।

ग) सुविधाओं के सृजन पर किया गया पूंजीगत व्यय, जिन पर कंपनी का नियंत्रण नहीं है, परन्तु जिनका सृजन परियोजना के निर्माण हेतु सिद्धांततः आवश्यक है, उन्हें "निर्माण को आरोप्य व्यय" के अंतर्गत संचित किया जाता है तथा "प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य" के अंतर्गत वहन किया जाता है और बाद में इंड एएस 16–"संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण" में "आरोप्यता" और "मापन की इकाई" को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं के चालू होने पर भूमि तथा आधारभूत ढांचा सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है। परियोजना की पूर्णता के पश्चात किया गया ऐसी प्रकृति का व्यय लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया जाता है।

3.0 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में संव्यवहार लागत सहित लागत तक मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, निवेश संपत्तियों को लागत पर घटा संचित मूल्यह्रास तथा संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, पर वहन किया जाता है।

निवेश संपत्तियों को निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान अथवा उपयोग से स्थायी रूप से हटा लिए जाने तथा उनके निपटान पर भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्रत्याशित न होने पर विमान्य किया जाता है। परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्तियों तथा वहन राशि के मध्य अंतर को विमान्य किए जाने की अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

निवेश संपत्ति से अथवा उसे अंतरण केवल तब ही किया जाता है जब साक्ष्य द्वारा समर्थित उपयोग में कोई परिवर्तन हो।

4.0 अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

क) अनुसंधान पर व्यय राजस्व को खर्च किए जाने पर राजस्व पर प्रभारित किया जाता है। विकास पर व्यय केवल तभी पूंजीकृत होता है जब व्यय को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो, भविष्य के आर्थिक लाभ संभाव्य हो और कंपनी की मंशा विकास को पूरा करने और संपत्ति का उपयोग करने या बेचने की हो तथा उसके पास इसके लिए पर्याप्त संसाधन हों।

ख) कंपनी द्वारा अधिगृहीत की गई अमूर्त परिसंपत्तियां जिनका निश्चित उपयोगी जीवन–काल होता है, उन्हें प्रारंभिक मान्यता पर लागत पर मापा जाता है। लागत में परिसंपत्तियों को उनके वांछित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक होने वाले सीधे आरोप्य व्यय शामिल है। प्रांरभिक मान्यता के पश्चात अमूर्त परंसपत्तियों को किसी संचित परिशोधन तथा संचित हानियों से घटाई गई लागत पर वहन किया जाता है।

ग) अनुवर्ती व्यय की परिसम्पति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में स्वीकृति तब की जाती है जब यह संभाव्य हो कि वहन की गई लागत से उत्पन्न होने वाले भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम को मिलेंगे और मद की लागत को विश्वसनीय तरीके से मापा जा सकें।

घ) निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान से भविष्य में आर्थिक लाभ की प्रत्याशा न होने वाली अमूर्त परिसंपत्ति की किसी मद को विमान्य किया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानियों को निवल निपटान प्राप्तियों तथा परिसंपत्ति की वहन राशि के मध्य अंतर के रूप में मापा जाता है और उसे परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

5.0 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

क) विदेशी मुद्रा में संव्यवहार प्रारंभ में मान्यता हेतु पहले अर्हक होने वाली संव्यवहार की तिथि पर वित्तीय मुद्रा स्पॉट दर पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक मदों को उस तिथि को विद्यमान क्रियात्मक मुद्रा विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

ख) 1 अप्रैल, 2004 से पूर्व किए गए संव्यवहार से उत्पन्न होने वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के संबंध में विनिमय अंतरों को संबंधित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य की वहन लागत पर समायोजित किया जाता है।

ग) 31 मार्च, 2016 से पूर्व विदेशी मुद्रा ऋण के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर जो सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार आगे की अवधियों में लाभार्थियों से प्राप्य अथवा उन्हें देय हैं, उन्हें "विलंबित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव प्राप्य/देय लेखा" के रूप में मान्यता दी जाती है और उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिससे इन्हें वसूल/अदा किया जाना है।

घ) 1.4.2016 को अथवा उसके पश्चात की गई विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक मदों के निपटान/परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली विनिमय अंतरों को लाभार्थियों से प्राप्य अथवा उन्हें देय होने की सीमा तक निर्माण अवधि के दौरान "नियामक विलंबित लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी जाती है और उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष में इन्हें लाभार्थियों से वसूल अथवा उन्हें अदा किया जाना है।

ङ) किसी विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के रूप में मापी गई गैर–मौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है। जहां कंपनी ने किसी विदेशी मुद्रा में अग्रिम प्रतिफल का भुगतान किया है या उसे प्राप्त किया है, संबंधित परिसंपत्ति, व्यय या आय (या इसके एक हिस्से को) की प्रारंभिक मान्यता पर उपयोग करने के लिए विनिमय दर का निर्धारण करने के उद्देश्य से लेनदेन की तारीख, वह तारीख होती है जब कंपनी गैर–मौद्रिक परिसंपत्ति या गैर–मौद्रिक देयता को अग्रिम प्रतिफल के भुगतान या प्राप्ति पर प्रारंभिक मान्यता प्रदान करती है।

6.0 विनियामक विलंबित लेखे

क) जहां परियोजना के निर्माण की अवधि के दौरान व्यय किए गए खर्चे की किसी मद को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अर्थात इंड एएस के अनुसार संगत पीपीई के लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं होती, परन्तु फिर भी इसे सीईआरसी द्वारा भविष्य में टैरिफ के माध्यम से लाभार्थियों से वसूल किए जाने की अनुमति होती है, उक्त की वसूली के अधिकार को "नियामक विलंबित लेखा शेष " के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख) सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार आगे की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय होने की सीमा तक लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान किए गए व्यय/आय को सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार "विनियामक विलंबित लेखा शीर्ष" के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग) इन विनियामक विलंबित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिसमें ये लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय हैं।

घ) नियामक विलंबित लेखा शेषों का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि को यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि निहित क्रियाकलाप मान्यता मानदण्ड को पूरा करते हों और यह संभावना हो कि ऐसे शेषों से संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ निकाय को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदण्ड पूरे नही होते हैं तो विनियामक विलंबित लेखा शेषों को विमान्य किया जाता है।

ङ) नियामक विलंबित लेखा शेषों की प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर क्षति हेतु जांच की जाती है।

7.0 उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी मापन तिथि को बाजार प्रतिभागियों के मध्य एक व्यवस्थित लेन–देन में किसी परिसंपत्ति की बिक्री करने पर मिलेगा या किसी देयता के अंतरण पर अदा किया जाएगा। सामान्यतः प्रारंभिक मान्यता पर लेन–देन मूल्य उचित मूल्य का श्रेष्ठ उदाहरण होता है।

तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि लेन–देन मूल्य उचित मूल्य को प्रदर्शित नहीं करता, यह अन्य बातों के साथ–साथ ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है जो परिस्थितियों में समुचित हों तथा जिसके लिए उचित मूल्य के मापन हेतु पर्याप्त डाटा उपलब्ध हो, जो संगत मापन योग्य आदानों के उपयोग को अधिकतम कर सके तथा मापन योग्य न होने वाले आदानों के उपयोग को न्यूनतम कर सके।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं जिसके लिए उचित मूल्य का मापन अथवा प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में किया गया है, उन्हें उचित मूल्य तंत्र के भीतर श्रेणीबद्ध किया गया है। यह श्रेणीकरण आदान के उस निम्नतम स्तर पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है–

- स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देयताओं हेतु सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तर आदान वह है जो उचित मूल्य मापन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखे जाने पर महत्वपूर्ण है।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तर आदान जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है, मापा नही जा सकता।

वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं जिन्हें आवृत्ति आधार पर उचित मूल्य पर मान्यता प्रदान की जाती है, उनके लिए कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या अंतरण प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण के पुनः आकलन द्वारा क्रम में स्तरों के मध्य उत्पन्न हुए हैं अथवा नहीं।

8.0 अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों में निवेश को लागत घटा क्षति, यदि कोई हो, पर वहन किया जाता है।

9.0 संयुक्त उद्यमों में निवेश के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियां

किसी वित्तीय परिसंपत्ति में अन्य बातों के साथ–साथ नकदी, किसी अन्य निकाय की इक्विटी लिखत अथवा नकदी या अन्य कोई वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने की संविदात्मक बाध्यता अथवा वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता का आदान–प्रदान ऐसी स्थितियों के अंतर्गत् किया जाना शामिल होता है जो संभाव्य रूप से कंपनी के पक्ष में होती है। वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तब ही मान्यता दी जाती है जब कंपनी लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है।

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकदी तथा नकदी तुल्य, बैंक शेष, कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों में निवेश के अतिरिक्त अन्य कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, प्राप्य व्यापार, कर्मचारियों/संविदाकारों को अग्रिम, सुरक्षा जमा, प्राप्य दावे आदि शामिल होते हैं।

क) वर्गीकरण

कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करती है –

- परिशोधित लागत पर,
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर, और

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है :

क) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु निकाय का व्यापार मॉडल और

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताएं।

उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों हेतु लाभ तथा हानियां या तो लाभ एवं हानि के विवरण अथवा अन्य व्यापक आय में दर्ज की जाएंगी। ऋण लिखत में निवेश हेतु यह उस व्यापार मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश धारित है। इक्विटी लिखत में निवेश हेतु यह इस पर निर्भर करेगा कि क्या कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश हेतु लेखे को प्रारंभिक मान्यता के समय कोई वापिस न लिया जा सकने वाला चयन किया है।

ख) प्रारंभिक मान्यता और मापन

प्राप्य व्यापार के सिवाय सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता प्रदान की जाती है, साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज न किए जाने के मामले में वित्तीय परिसंपत्ति की खरीद पर आरोप्य होने वाली लेन–देन लागत पर मान्यता दी जाती है।

कंपनी अपने लेन–देन मूल्य पर प्राप्य व्यापारों को मापती है, यदि प्राप्य व्यापारों ने कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं हो तो।

ग) बाद का मापन

परिशोधित लागत पर ऋण लिखत

किसी "ऋण लिखत" को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों स्थितियां पूरी होती हों :

i) परिसंपत्ति एक ऐसे व्यापार मॉडल के मध्य भारित है जिसका उददेश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों के एकत्रीकरण हेतु परिसंपत्तियों को धारित करना है, और

ii) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं जो केवल बकाया मूलधन पर मूलधन तथा ब्याज का भुगतान (एसपीपीआई) हो।

प्रारंभिक मापन के पश्चात, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता हो। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और ईआईआर का अभिन्न भाग होने वाले शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआरईआर परिशोधन को लाभ तथा हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षति से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर ऋण लिखत

किसी "ऋण लिखत" को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित में से दोनों मानदण्ड पूरे होते हों :

1) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों के एकत्रीकरण तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री दोनों से प्राप्त होता हो, और

2) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह मूलधन और ब्याज के एकमात्र भुगतान (एसपीपीआई) को प्रदर्शित करता हो।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत का मापन उनकी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्रदान की जाती है। तथापि, कंपनी ब्याज आय, क्षति हानियों, वापिसी और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता देती है। परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर ओसीआई में पहले मान्यता प्रदान किए गए संचित लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ तथा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके अन्य आय में शामिल किया जाता है।

इक्विटी निवेश

अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के अतिरिक्त निकायों में सभी इक्विटी निवेश को उचित मूल्य पर मापा जाता है। व्यापार हेतु धारित इक्विटी लिखत, यदि कोई हो, को लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य भी इक्विटी लिखत हेतु, कंपनी उक्त को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत करती है। कंपनी लिखत–दर–लिखत आधार पर ऐसा चयन करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और इसे वापिस नहीं लिया जा सकता है।

इक्विटी लिखत में एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। लाभ एवं हानि विवरण में उचित मूल्य लाभ तथा हानियों में आगे कोई पुनःवर्गीकरण नहीं होता है। तथापि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचित लाभ या हानि को अंतरित कर सकता है। ऐसे निवेश से लाभांश को लाभ एवं हानि विवरण में अन्य आय के रूप में तब मान्यता प्रदान की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी लिखत, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान किए गए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा गया हो।

प्राप्य व्यापारः

प्राप्य व्यापार कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल होता है जिसे बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

घ) विमान्य किया जाना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तब विमान्य किया जाता है जब :

1) कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के अपने अधिकार को अंतरित कर दिया है, अथवा
2) वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकारों को बनाए रखता है, परन्तु एक अथवा अधिक प्राप्तिकर्ताओं को नकदी प्रवाह के भुगतान की संविदात्मक बाध्यता ले लेता है।

जहां निकाय ने किसी परिसंपत्ति को अंतरित किया है, कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा पारितोषिक को व्यापक रूप से अतरित कर दिया है या नहीं। ऐसे मामलों में वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है। जहां कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा पारितोषिक को व्यापक रूप से अंतरित नहीं किया है, वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य नहीं किया जाता है।

जहां कंपनी ने किसी वित्तीय परिसंपत्ति को न तो अंतरित किया है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा पारितोषिक को व्यापक रूप से अतरित किया है, कंपनी द्वारा वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण न रखे जाने पर उस वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है। जहां कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण रखा है, परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में सतत भागीदारी की सीमा तक मान्यता प्रदान किया जाना जारी रहता है।

विमान्य किए जाने पर, वहन राशि और प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल की राशि के मध्य के अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

ङ) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

इंड एएस 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हानि के मापन तथा मान्यता हेतु प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करती है –

1) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण लिखत हैं, और जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है।
2) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण लिखत हैं, और जिन्हें एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।
3) इंड एएस 115, ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व, के अंतर्गत संविदा परिसंपत्तियां और प्राप्य व्यापार।
4) इंड एएस 116, पट्टे के अंतर्गत प्राप्य पट्टे।

कंपनी इंड एस 116 और इंड एस 115 के स्कोप के भीतर होने वाले संव्यवहारों से परिणत होने वाली संविदा परिसंपत्तियों,

प्राप्य पट्टों तथा प्राप्य व्यापारों के संबंध में क्षति हानि अनुमेय की मान्यता हेतु इंड एएस 109 "वित्तीय लिखत" के अंतर्गत अनुमेय "सरलीकृत पद्धति" का पालन करती है, जिसमें प्रत्याशित जीवनकाल हानियों को प्राप्य की प्रारंभिक मान्यता से माना जाना अपेक्षित है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबध में क्षति हानि की मान्यता हेतु कंपनी यह आकलन करती है कि क्या प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। यदि ऋण जोखिम में अधिक वृद्धि नहीं हुई है, तो 12 माह के ईसीएल का उपयोग क्षति हानि मुहैया करवाने के लिए किया जाता है। तथापि, यदि ऋण जोखिम में अत्यधिक वृद्धि हुई है तो जीवन पर्यन्त ईसीएल का उपयोग किया जाता है। ऋण जोखिम तथा क्षति हानि में वृद्धि के आकलन हेतु कंपनी लिखत–दर–लिखत आधार पर ऋण जोखिम विशेषताओं का आकलन करती है। बाद की अवधि में यदि लिखत की ऋण गुणवत्ता में ऐसा सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता दिए जाने से ऋण जोखिम में कोई अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई है, तो निकाय 12 माह के ईसीएल के आधार पर क्षति हानि अनुमेय किए जाने को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु निकाय वापिस कार्रवाई करता है। अवधि हेतु प्रत्याशित ऋण हानि (या वापिसी) की राशि को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय/आय के रूप मे मान्यता प्रदान की जाती है।

10.0 माल–सूची

माल–सूची में मुख्यतः संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के रख–रखाव हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले भण्डार तथा कलपुर्जे शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत पर अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी), जो भी कम हो, किया जाता है। लागत का निर्धारण धारित लागत सूत्र का उपयोग करके किया जाता है और एनआरवी व्यापार के सामान्य चालन के दौरान अनुमानित बिक्री मूल्य, घटा बिक्री हेतु आवश्यक अनुमानित लागते हैं।

स्क्रैप का मूल्यांकन निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर किया जाता है।

निवल वसूली योग्य मूल्य पर मालसूची को कम लिखे जाने और माल–सूची की सभी हानियों की राशि को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें ऐसा कम लिखा जाना या हानि उत्पन्न हुई हो।

11.0 लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को अदा किए गए लाभांश तथा अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जब उन्हें क्रमशः कंपनी शेयरधारकों तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाए।

12.0 वित्तीय देयताएं

कंपनी की वित्तीय देयताएं किसी अन्य निकाय को नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति देने अथवा कंपनी के लिए संभाव्य रूप से प्रतिकूल होने वाली शर्तों के अंतर्गत किसी अन्य निकाय के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के आदान–प्रदान की संविदात्मक बाध्यता है।

कंपनी की वित्तीय देयताओं में ऋण तथा उधार, व्यापार तथा अन्य देय शामिल हैं।

क) वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता तथा मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटा तथा लेन–देन लागतों पर उचित मूल्य घटा ऐसी संव्यवहार लागतों पर मान्यता दी जाती है जो सीधे आरोप्य हों तथा जिन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता हो। वित्तीय देयताओं को वर्गीकृत किया जाता है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। प्राप्तियों (संव्यवहार लागतों का निवल) और प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के मध्य किसी अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में अथवा किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में मान्यता प्रदान की जाती है यदि ऐसा अन्य कोई मानक इस प्रकार से ब्याज की प्रभावी दर का उपयोग करते हुए ऋणों की अवधि पर समावेशन की अनुमति देता हो।

ऋणों को वर्तमान देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह हेतु दायित्व के निपटान को निलंबित करने का कोई बिना शर्त अधिकार न हो।

ख) बाद का मापन

प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, वित्तीय देयताओं को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ तथा हानियों को किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में लाभ तथा हानि क विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है, यदि कोई अन्य मानक ऐसे समावेशन की अनुमति देता हो, जब देयताओं को विमान्य किया जाता है और साथ ही साथ ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया चलाई जाती है।

परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और ईआईआर का अभिन्न भाग होने वाले शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआरईआर परिशोधन को लाभ तथा हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

ग) विमान्य करना

किसी वित्तीय देयता को तब विमान्य किया जाता है जब देयता के अंतर्गत बाध्यता का निर्वाहन अथवा निरस्तीरण या समाप्ति होती है। जब किसी विद्यमान वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से व्यापक भिन्न शर्तों पर किसी अन्य से प्रतिस्थापित किया जाता है, अथवा विद्यमान देयता की शर्तें व्यापक रूप से संशोधित की जाती हैं, ऐसे किसी विनिमय या संशोधन को मूल देयता का विमान्यकरण तथा नई देयता को मान्यता प्रदान किया जाना माना जाता है। संबंधित वहन राशियों में अंतर को लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

घ) वित्तीय लिखत का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का समायोजन किया जाता है और निवल राशि को तुलन–पत्र में सूचित किया जाता है यदि मान्यता प्रदान की गई राशियों के निपटान हेतु वर्तमान में लागू किया जा सकने वाला कोई विधिक अधिकार हो तथा निवल आधार पर निपटान की कोई मंशा परिसपंत्तियों को वसूल करने तथा साथ ही साथ देयताओं के निपटान की हो।

ङ) व्युत्पन्न वित्तीय लिखत

व्युत्पन्न वित्तीय लिखत वे लिखत होते हैं जिनका धारण कम्पनी विदेशी मुद्रा तथा ब्याज दर जोखिमों से बचाव के लिए करती है तथा जो लाभ एवं हानि के माध्यम से लेखांकन के लिए हेज (बचाव) के रूप में निर्दिष्ट नहीं किए जाते हैं। उचित मूल्य में परिवर्तन होने को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

13.0 सरकारी अनुदान

क) ब्याज की बाजार दर से कम पर प्राप्त होने वाले सरकारी ऋण के लाभों को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है। ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है तथा मापा जाता है तथा सरकारी अनुदान को ऋण की प्रारंभिक मान्यता प्राप्त राशि तथा प्राप्त की गई प्राप्तियों के मध्य अंतर के रूप में मापा जाता है। बाद में ऋण को वित्तीय देयताओं पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है और सरकारी अनुदान को प्रारंभ में विलंबित आय तथा बाद में परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर एक व्यवस्थित आधार पर लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सरकार से प्राप्त मौद्रिक अनुदानों को प्रारंभ में विलंबित आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब इसका तर्कसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और कंपनी अनुदान से संबद्ध स्थितियों का अनुपालन करेगी। इस प्रकार मान्यता प्रदान की गई विलंबित आय को बाद में संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाता है।

ग) आय से संबंधित सरकारी अनुदान को लाभ एवं हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर उन अवधियों में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें कोई निकाय उन संबंधित लागतों के व्यय के रूप में मान्यता प्रदान करता है जिसमें लिए अनुदानों की प्रतिपूर्ति किए जाने की मंशा है।

14.0 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी की किसी विगत गतिविधि के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान विधिक या रचनात्मक बाध्यता हो और यह संभाव्य हो कि आर्थिक लाभ निहित होने वाले संसाधनों का बाहिर प्रवाह बाध्यताओं के निपटान हेतु अपेक्षित होगा और बाध्यता की राशि से एक विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है। ऐसे प्रावधानों का निर्धारण तुलन–पत्र तिथि को बाध्यता के निपटान हेतु अपेक्षित राशि के प्रबंधन के अनुमान के आधार पर किया जाता है। जब किसी तृतीय पक्ष से प्रावधान के निपटान हेतु अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभ वसूल किया जाना प्रत्याशित हो, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है यदि यह पूर्णतः निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति को प्राप्त किया जाएगा और प्राप्ति की राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके। किसी प्रतिपूर्ति के निवल होने वाले प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में अथवा किसी अन्य मानक द्वारा ऐसे समावेशन की अनुमति होने पर परिसंपत्ति के वहन मूल्य में प्रस्तुत किया जाएगा।

ख) यदि राशि का समय मूल्य प्रभाव पूर्ण है, तो प्रावधानों का निर्धारण एक वर्तमान कर–पूर्व दर का उपयोग करते हुए प्रत्याशित भविष्य के नकदी प्रवाहों पर छूट देकर किया जाता है जो देयता के प्रति विशिष्ट होने वाले जोखिमों को प्रदर्शित करता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है तो समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

ग) आकस्मिक देयताएं ऐसी संभावित बाध्यताएं हैं जो पूर्व के किसी क्रियाकलाप के कारण उत्पन्न होती हो और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि भविष्य में होने या न होने वाली किसी एक या अधिक घटनाओं द्वारा की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नही है। जहां यह संभावना न हो कि आर्थिक लाभ का बाहिर प्रवाह अपेक्षित होगा, अथवा राशि का विश्वसनीयतापूर्ण ढंग से अनुमान न लगाया जा सके, बाध्यता को एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बाहिर प्रवाह की संभावना सुदूर हो। आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

घ) आकस्मिक परिसंपत्तियां ऐसी संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पूर्व के किसी क्रियाकलाप के कारण उत्पन्न होती हो और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि भविष्य में होने या न होने वाली किसी एक या अधिक घटनाओं द्वारा की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में तब प्रकट किया जाता है जब आवधिक लाभों का अंतरवाह प्रबंधन के निर्णय के अनुसार संभाव्य है। उनका सतत रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए आकलन किया जाता है कि इन घटना क्रमों को वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रदर्शित किया जाए।

15.0 राजस्व मान्यता और अन्य आय

कंपनी का राजस्व ऊर्जा की बिक्री और व्यापार, परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्य सेवाओं और अन्य आय से उत्पन्न होता है। अन्य आय से राजस्व में बैंकों, कर्मचारियों, संविदाकारों आदि से ब्याज, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में निवेश से लाभांश, इक्विटी में निवेश से लाभांश, बॉण्डों में निवेश से ब्याज, विलंबित भुगतान के लिए लाभार्थियों से प्राप्त अधिभार, स्क्रैप की बिक्री, अन्य विविध आय, आदि शामिल हैं।

क) विद्युत की बिक्री से राजस्व

i) राजस्व को उस प्रतिफल के आधार पर मापा जाता है जो किसी ग्राहक के साथ संविदा में निर्दिष्ट है या उत्पादों या सेवाओं के एवज में प्राप्त होने की प्रत्याशा है और इसमें तृतीय पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है। कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब वह किसी ग्राहक को उत्पादों या सेवाओं पर नियंत्रण अंतरित करती है।

ii) विद्युत की बिक्री से राजस्व (वित्त/प्रचालन पट्टे माने गए पावर स्टेशनों को छोड़कर) को लागू सीमा तक विद्युत के लिए अपीलीय अधिकरण के आदेशों द्वारा यथा संशोधित सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार लेखांकित किया जाता है। ऐसे पावर स्टेशनों के मामले में, जहां अनंतिम/अंतिम टैरिफ को अभी अधिसूचित किया जाना है या जहां प्रोत्साहन/विप्रोत्साहन सीईआरसी (नियम और शर्तें) के अनुसार प्रभार्य/देय हैं, राजस्व को उस सीमा तक मान्यता प्रदान की जाती है जहां इसकी अत्यधिक प्रत्याशा है कि मान्यता प्रदान किए गए संचयी राजस्व की राशि में कोई बड़ा प्रत्यावर्तन नहीं होगा। प्रारंभिक भुगतान प्रोत्साहन के रूप में लाभार्थियों को दी गई छूट की राजस्व की राशि में से कटौती की जाती है।

iii) ग्राहकों को आवधिक और नियमित आधार पर बिल दिया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को, विद्युत की बिक्री से राजस्व में ग्राहकों को डिलीवर की गई लेकिन अभी बिल न दी गई बिक्री हेतु प्रोदभवन शामिल होता है (बिल न किया गया राजस्व)।

iv) विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा अंतर के प्रति वसूली/धनवापसी और आयकर के प्रति वसूली को नियामक मानदंडों के आधार पर वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर मान्यता दी जाती है। 31 मार्च, 2009 तक मान्यता प्रदत्त विलंबित कर की मदों के लिए वसूली को उक्त को मूर्त रूप देने पर लेखांकित किया जाता है।

v) क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न होने वाले समायोजन, यद्यपि भौतिक न हो, उन्हें संबंधित अंतिम रूप दिए जाने के वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

vi) 31 मार्च, 2009 तक विलंबित आय के रूप में माने गए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी) को बिक्री में सीधी रेखा आधार पर पावर स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 12 वर्ष की अवधि के पश्चात शेष उपयोगी जीवनकाल पर शामिल किया गया है।

ख) परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदा/परामर्शी कार्य से राजस्व

i) परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदा/परामर्शी कार्य से राजस्व को उस प्रतिफल के आधार पर मापा जाता है जो ग्राहक के साथ संविदा में निर्दिष्ट है या जिसे सेवाओं के बदले में प्राप्त किया जाना अपेक्षित है और तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। कंपनी इनपुट पद्धति के आधार पर राजस्व को मान्यता देती है। इनपुट पद्धति उस निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए कुल प्रत्याशित लागत से संबंधित निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के प्रति वहन की गई लागत के आधार पर राजस्व को मान्यता प्रदान करती है।

ii) संविदा में संशोधन, यदि कोई हो, को तब लेखांकित किया जाता है जब किसी संविदा के दायरे या मूल्य (या दोनों) में कोई बदलाव होता है, जिसे संविदा के पक्षों द्वारा स्वीकृत किया जाता है और जब संविदा के पक्ष ऐसे किसी संशोधन को मंजूरी देते है जो या तो संविदा के पक्षों के लिए नए प्रवर्तनीय अधिकारों और दायित्वों को बनाता हो या मौजूदा में संशोधन करता हो। संविदाओं के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा संविदा में जोड़ी गई सेवाएं अलग–अलग हैं और क्या मूल्य निर्धारण एकल विक्रय मूल्य पर है या नहीं। संविदा संशोधनों को तब एकल आधार पर दर्ज किया जाता है जब वादा की गई वस्तुओं या सेवाओं के अतिरिक्त होने के कारण संविदा का दायरा बढ़ जाता है या संविदा का मूल्य प्रतिफल एक ऐसी राशि से बढ़ जाता है जो वादा की गई अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं के बिक्री मूल्य को दर्शाता है और उस मूल्य में कोई उचित समायोजन संविदा विशेष की परिस्थितियों में किसी उचित समायोजना को प्रतिबिंबित करता है। जोड़ी गई सेवाएं जो भिन्न नहीं

हैं, उन्हें संचयी कैच–अप आधार पर लेखांकित किया जाता है, जबकि जो भिन्न हैं, उन्हें सदंर्शी रूप से, अतिरिक्त सेवाओं का मूल्य निर्धारण एकल बिक्री मूल्य पर किए जाने पर एक अलग संविदा के रूप में लेखांकित किया जाता है, या उनका मूल्य निर्धारण एकल बिक्री मूल्य पर नहीं किए जाने पर विद्यमान संविदा की समाप्ति तथा नई संविदा के सृजन के रूप में किया जाता है।

ग) विद्युत के व्यापार से राजस्व

i) विद्युत के व्यापार से राजस्व के लेखांकन में यह निर्धारित करने के लिए संविदा की शर्तों का मूल्यांकन शामिल होता है कि क्या कंपनी को एक प्रधान की क्षमता में या एक एजेंट के रूप में कार्य करना अपेक्षित है। कंपनी ग्राहक को अंतरित करने से पहले विद्युत का नियंत्रण प्राप्त करने की स्थिति में एक प्रधान की प्रकृति में कार्य करती है। नियंत्रण के संकेतकों में इसका मूल्यांकन शामिल है कि क्या कंपनी विद्युत मुहैया करवाने के वायदे को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, इसके पास मूल्य स्थापित करने का विवेक है या यह मालसूची जोखिम को वहन करती है। जहां कंपनी ग्राहक को स्थानांतरित करने से पहले विद्युत का नियंत्रण प्राप्त नहीं करती है और इसका निष्पादन दायित्व किसी अन्य पक्ष द्वारा विद्युत की आपूर्ति की व्यवस्था करना है, यह एक एजेंट की प्रकृति में कार्य करती है।

ii) जहां कंपनी विद्युत के व्यापार के लिए किसी संविदा में प्रधान के रूप में कार्य करती है, संतुष्ट किए जाने वाले निष्पादन दायित्व को आवंटित लेन–देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

iii) जहां कंपनी विद्युत के व्यापार के लिए संविदा में एक एजेंट के रूप में कार्य करती है, ग्राहक को प्रदान की गई विद्युत के लिए आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने के बाद बचाए गए निवल प्रतिफल को प्रचालन से राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है। इन लेन–देन से उत्पन्न होने वाली वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ को समायोजित नहीं किया जाता हैं।

घ) अन्य आय

i) लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब उक्त को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो।

ii) परिशोधित लागत अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए सभी ऋण लिखत हेतु ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो अनुमानित भविष्य के नकदी भुगतान या प्राप्तियों को वित्तीय परिसंपत्ति के प्रत्याशित जीवनकाल के प्रति वित्तीय परिसंपत्ति के सकल वहन मूल्य को सटीक रूप से छूट देता है। प्रभावी ब्याज दर की गणना किए जाने के समय, कंपनी वित्तीय लिखत की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए पूर्व भुगतान, विस्तार, आमंत्रण तथा ऐसे अन्य विकल्प) पर विचार करते हुए प्रत्याशित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाती है पर प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को नहीं लेती।

iii) विद्युत के व्यापार की संविदाओं से उत्पन्न होने वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले ब्याज/अधिभार और संविदाकारों को अग्रिम पर परिसमाप्त क्षतियों/ब्याज को तब मान्यता दी जाती है, जब इसकी अत्यधिक संभावना हो कि मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि में भविष्य में कोई बड़ा प्रत्यावर्तन नहीं होगा।

16.0 कर्मचारी लाभ

1) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ बाध्यताओं का मापन एक छूट रहित आधार पर किया जाता है और इनका व्यय या किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में तब शामिल किया जाता है यदि कोई अन्य मानक ऐसे समावेशन को अनुमेय करे क्योंकि संबंधित सेवा मुहैया करवाई जाती है।

अल्पावधि निष्पादन से संबंधित नकदी बोनस के अंतर्गत अदा किए जाने हेतु प्रत्याशित राशि के दायित्व को तब माना जाता है यदि कंपनी के कर्मचारी द्वारा पूर्व में प्रदान की गई सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने की वर्तमान में कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता हो और बाध्यता का अनुमान विश्वसनीय ढंग से लगाया जा सके।

2) निर्धारित अंशदान योजनाएं

कोई निर्धारित अंशदान योजना एक ऐसी रोजगार पश्च लाभ योजना है जिसके अंतर्गत कोई निकाय पृथक न्यासों में निर्धारित अंशदान का भुगतान करता है और उसकी आगे राशियों के भुगतान हेतु कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता नहीं होती। निर्धारित अशंदान योजनाओं को अंशदानों हेतु देयताओं को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति के वहन मूल्य में शामिल किया जाता है यदि कोई अन्य मानक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के दौरान ऐसे समावेशन को अनुमेय करता हो तो। किसी निर्धारित अशंदान योजना को अंशदान जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के अंत के पश्चात 12 माह से अधिक के लिए देय हैं, उन्हें छूट देकर उनके वर्तमान मूल्य पर लाया जाता है।

पेंशन लाभ तथा सामाजिक सुरक्षा योजना को अंशदान मुहैया करवाने के लिए कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना (ईडीसीएसएस) को निर्धारित अंशदान योजना के रूप में लेखांकित किया जाता है।

3) निर्धारित लाभ योजनाएं

निर्धारित लाभ योजना किसी निर्धारित अंशदान योजना के अतिरिक्त कोई रोजगार पश्च लाभ योजना है। कंपनी की उपदान योजना, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस), भविष्य निधि योजना, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और कर्मचारियों की अधिवर्षिता पर स्मृति चिन्ह निर्धारित लाभ योजनाओं की प्रकृति के हैं। ये सभी योजनाएं, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर मिलने वाले भत्ते और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर स्मृति–चिन्ह के अलावा, विभिन्न न्यासों के माध्यम से प्रशासित की जाती हैं।

उपदान, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना और भविष्य निधि योजना के संबंध में तुलन–पत्र में मान्यता प्रदान की गई देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य घटा योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य है।

भविष्य निधि योजना के मामले में तुलन पत्र में देयता को मान्यता तब दी जाती है जब रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य योजनागत परिसम्पतियों के उचित मूल्य से अधिक होता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के प्रति योजनागत परिसम्पतियों के उचित मूल्य के अतिरेक परिसम्पति के रूप में स्वीकृत नहीं किए जाते हैं क्योंकि कम्पनी के पास ऐसे लाभों के प्रति न तो योजना से धनवापसी के रूप में योजना से लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है और न ही योजना में अंशदान को कम करके इसे प्राप्त किया जा सकता है।

निर्धारित लाभ बाध्यता की गणना वार्षिक रूप से बीमांकक द्वारा प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है।

निर्धारित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संबंधित बाध्यता के संबंध में निकट आ रही अवधियों के लिए लगभग समान अवधि वाले सरकारी बॉण्ड के बाजार मूल्यों के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी बाहिर प्रवाहों को छूट देकर किया जाता है।

निवल ब्याज लागत की गणना निर्धारित लाभ बाध्यता के निवल शेष और योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर लगाकर की जाती है। इस लागत को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल किया जाता है अथवा किसी अन्य मानक के ऐसे समावेशन को अनुमेय करने पर किसी परिसंपत्ति के वहन मूल्य में शामिल किया जाता है।

अनुभव समायोजन तथा बीमांकित मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनः मापन लाभ (सिवाय भविष्य निधि योजना के मामले के) तथा हानियों को उनके घटित होने वाली अवधि में सीधे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में तथा तुलन–पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है।

4) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

कंपनी अवकाश नकदीकरण योजना के अंतर्गत लाभ में अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ शामिल होते हैं।

दीर्घावधिक कर्मचारी लाभों के संबंध में कंपनी की निवल बाध्यता भविष्य के लाभों की वह राशि है जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान तथा पूर्व की अवधि में अपनी सेवा के एवज में अर्जित किया है। लाभ को इसका वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और किसी संबंधित परिसंपत्ति के उचित मूल्य की कटौती की जाती है। छूट दर रिपोर्टिंग तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों के विद्यमान बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है जिनकी परिपक्वता तिथि कंपनी की बाध्यता की अवधि के निकट होती हैं। गणना प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है। योजना और बीमांकित लाभों या हानियों में अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है यदि कोई अन्य मानक उनके उत्पन्न होने की अवधि में ऐसे समावेश को अनुमेय करते हों।

5) सेवांत लाभ

अनुग्रह राशि भुगतान और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं में नोटिस वेतन के रूप में सीमांत लाभों पर किए गए व्यय को ऐसे व्यय को किए जाने के वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया जाता है।

17.0 ऋण लागतें

ऋण लागतों में (क) इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' में वर्णित ब्याज विधि के प्रभावी उपयोग से आकलित ब्याज व्यय (ख) इंड एएस 116 – 'पट्टे' के अंतर्गत स्वीकृत वित्त पट्टों के संबंध में वित्तीय प्रभार तथा (ग) विदेशी मुद्रा ऋणों से उस सीमा तक उत्पन्न विनिमय भिन्नताएं जो ब्याज लागतों के साथ समायोजित की गई हैं।

ऋण लागतें, वे लागतें है जिनकी सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अर्हक परिसम्पति के अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है तथा जिनका पूंजीयन उस समयावधि के दौरान किया जाता है जिसमें परिसम्पति को उसके आशित उद्देश्य अथवा बिक्री के लिए पूर्ण अथवा निर्मित किया जाना अपेक्षित होता है। अर्हक परिसम्पतियां वे होती हैं जिन्हें किसी निश्चित समय अवधि के दौरान उनके आशित उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार किया जाना आवश्यक होता है। अन्य ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय किए जाने की अवधि में की गई है।

जब कम्पनी किसी अर्हक परिसम्पति के विशिष्ट उद्देश्य से ऋण निधियां प्राप्त करती है तो व्यय की गई ऋण लागतों का पूंजीयन कर लिया जाता है। जब कम्पनी सामान्य ऋण निधियां प्राप्त करती है और उनका उपयोग अर्हक परिसम्पाति की प्राप्ति के उद्देश्य से करती है तो ऋण लागतों के पूंजीयन का आकलन उन सभी ऋणों की भारित औसत लागत पर किया जाता है जो अवधि के दौरान बकाया हैं तथा जिनका उपयोग अर्हक परिसम्पाति के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण अथवा उत्थापन के लिए किया जा रहा है। तथापि, अर्हक परिसम्पति की प्राप्ति के विशिष्ट उद्देश्य से प्राप्त किए गए ऋण से सम्बद्ध ऋण लागतों को आकलन में तब शामिल किया जाता है जब उस परिसम्पति का उपयोग आशित उद्देश्य से करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप पूरे हो जाते हैं अथवा बिक्री पूर्ण हो जाती है।

व्यय के लिए लंबित ऋणों के अस्थाई निवेश से उत्पन्न आय को पूंजीयन के लिए अर्हक ऋण लागतों में से घटा दिया जाता है।

ऋण लागतों का पूंजीयन तब रोक दिया जाता है जब परिसम्पति का उपयोग आशित उद्देश्य से करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप पूरे हो जाते हैं।

अन्य ऋण लागतों की व्यय के रूप में स्वीकृति उनके व्यय होने के वर्ष में की जाती है।

18.0 मूल्यह्रास तथा परिशोधन

क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (पीपीई) से वर्ष के दौरान वर्धन/कटौतियों पर मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर उस तिथि से/तक के लिए प्रभारित किया जाता है जिसको परिसंपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध थी।

ख) (1) कंपनी की प्रचालन यूनिटों की संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण पर पावर स्टेशन के उपयोगी जीवनकाल के अंत से पांच वर्ष पूर्व तक पूंजीकृत किया गया मूल्यह्रास सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु अधिसूचित दरों तथा पद्धति का पालन करते हुए सीधी रेखा पद्धति पर लाभ तथा हानि के विवरण को प्रभारित किया जाता है सिवाय नीचे नीति संख्या 18.0(घ) में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के।

(2) पावर स्टेशन के उपयोगी जीवनकाल के पिछले पाँच वर्षों के दौरान पूंजीकृत संपत्ति, प्लांट और उपकरणों पर मूल्यह्रास को सीईआरसी टैरिफ विनियमों/आदेशों के अनुसार विस्तारित जीवन–काल की अवधि के लिए संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होने वाली तिथि से सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है।

(3) जहां नवीकरण और आधुनिकीकरण के कारण पावर स्टेशन का जीवनकाल और/या दक्षता बढ़ जाती है, उसकी अपरिशोधित मूल्यह्रास राशि के साथ–साथ उसके व्यय को संशोधित/शेष उपयोगी जीवनकाल पर सीधी–रेखा पद्धति पर संदर्शी रूप से प्रभारित किया जाता है।

ग) (1) कंपनी की प्रचालन यूनिटों के अतिरिक्त संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (सिवाय पुराने तथा प्रयुक्त के) पर मूल्यह्रास लागत के 90 प्रतिशत की सीमा से सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु अधिसूचित दरों को अपनाते हुए प्रभारित किया जाता है सिवाय नीचे नीति संख्या 18.0(घ) में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के।

(2) प्रचालन यूनिटों के अतिरिक्त, पीपीई के पुरानी तथा प्रयुक्त वस्तुओं पर मूल्यह्रास परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक सीधी रेखा पद्धति पर परिसंपत्ति के तकनीकी आकलन के आधार पर निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर किया जाता है।

घ) (1) पीपीई की निम्नलिखित मदों के संबंध में मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–2 में दिए गए जीवन तथा अवशिष्ट मूल्य (5 प्रतिशत) के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है :

– निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी

– कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरण

(2) प्रबंधन के आकलन के आधार पर, मोबाइल फोन पर मूल्यह्रास को 1 रूपए के अवशिष्ट मूल्य के साथ तीन वर्षों की अवधि पर सीधी रेखा आधार पर मुहैया करवाया जाता है।

(3) प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर रूफ टॉप सौर ऊर्जा प्रणाली/उपकरण का मूल्यह्रास पच्चीस वर्ष की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार 10 प्रतिशत शेष मूल्य के साथ किया गया है।

ङ) अस्थायी संस्थापन को एक रूपया डब्ल्यूडीवी के रूप में रखते हुए खरीद/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है।

च) 5,000/– रुपए या उससे कम परन्तु 750/– रुपए से अधिक की होने वाली मूर्त परिसंपत्तियों को 1/– रुपए डब्ल्यूडीवी के साथ उपयोग हेतु उपलब्ध कराए गए वर्ष के दौरान पूर्णतःमूल्यह्रासित किया जाता है।

छ) निम्न मूल्य वाली मदें जो परिसंपत्ति की प्रकृति की होती हैं (अचल परिसंपत्तियों के अतिरिक्त) और जिनका मूल्य 750/–रुपए तक होता है, उन्हें पूंजीकृत नहीं किया जाता और उपयोग के वर्ष में राजस्व को प्रभारित किया जाता है।

ज) प्रचालन यूनिटों के मामले में पट्टाधारी भूमि को पट्टे की अवधि अथवा 40 वर्ष, जो भी कम हो, में सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के माध्यम से अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों को अपनाते हुए परिशोधित किया जाता है।

झ) प्रचालन यूनिटों के अतिरिक्त अन्य यूनिटों के मामले में पट्टाधारी भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 40 वर्ष, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

ञ) पट्टाधारी भूमि पर सृजित मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास उपयोग हेतु ऐसी परिसंपत्ति के उपलब्ध रहने की तिथि से संबंधित भूमि की शेष उपलब्ध पट्टा अवधि की मूल लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक अथवा ऐसा ऐसी परिसंपत्तियों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमनों द्वारा अधिसूचित लागू मूल्यह्रास दरों तथा पद्धति, जो भी अधिक हो, पर किया जाता है।

ट) भूमि के संबंध में उपयोग के अधिकार का परिशोधन टैरिफ निर्धारण हेतु अधिसूचित सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 30 वर्ष की अवधि पर किया जाता है।

ठ) "अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में मान्यता प्रदान की गई सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति पर उपयोग के विधिक अधिकार की अवधि या 3 वित्तीय वर्ष, जो भी पहले हो, पर इसके अधिग्रहण के वर्ष से प्रारंभ करके किया जाता है।

ड) जहां विनिमय बदलाव, मूल्य समायोजन, माध्यस्थम/अदालती मामलों के निपटान, शुल्कों में परिवर्तन या समान कारकों से वर्ष के दौरान दीर्घावधि देयताओं में वृद्धि/कमी के कारण मूल्यह्रास वाली परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई परिवर्तन हुआ है, वहां ऐसी परिसपंतियों के अपरिशोधित शेष का मूल्यह्रास संदर्शी तौर पर ऐसी परिसंपत्तियों के शेष जीवनकाल में सीईआरसी टैरिफ विनियमनों द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दर तथा पद्धतियों पर किया जाएगा।

ढ) संयंत्र तथा मशीनरी के साथ या बाद में खरीद किए गए कलपुर्जे जिन्हें पूंजीकृत किया जाता है तथा ऐसी मद की वहन राशि में जोड़ा जाता है, उनका मूल्यह्रास संबंधित संयंत्र तथा मशीनरी के शेष उपयोगी जीवनकाल में सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों पर किया जाता है।

ण) उपयोगी जीवन, मूल्यह्रास की विधि और परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य, जहां मूल्यह्रास को प्रबंधन आकलन के अनुसार प्रभारित किया जाता है, उसकी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, उसे परिसंपत्ति के शेष जीवनकाल पर संदर्शी रूप से समायोजित किया जाता है।

19.0 माल–सूची के अतिरिक्त गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

क. कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इसका आकलन करती है कि क्या इसका कोई संकेत है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद होता है, अथवा जब किसी परिसंपत्ति हेतु वार्षिक क्षति परीक्षण अपेक्षित होता है, कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पादन यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य घटा निपटान की लागतें तथा उपयोग में इसके मूल्य से अधिक होगी। वसूली योग्य राशि का निर्धारण एक पृथक परिसंपत्ति हेतु किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्तियों से ऐसे नकदी प्रवाह न उत्पन्न हों जो मुख्यतः कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों से व्यापक रूप से स्वतंत्र है। जब किसी परिसंत्तियों या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और उससे उसकी वसूली योग्य राशि तक पश्चलेखित किया जाता है। परिणामी क्षति हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख. उपयोग में मूल्य के आकलन हेतु अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाहों को छूट देकर एक कर पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य तक लाया जाता है जो राशि के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलनों और परिसंपत्ति के विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करता है। निपटान की लागत घटा उचित मूल्य के निर्धारण में हाल के बाजार संव्यवहारों पर ध्यान दिया जाता है। यदि ऐसे किसी संव्यवहार की पहचान न की जा सके, तो एक उचित मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से व्यापार किए जाने वाली कंपनियों के उद्धृत शेयर मूल्य अथवा अन्य उपलब्ध उचित मूल्य सूचकांकों से पुष्ट किया जाता है।

ग. परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच पर व्यय के मामले में यदि ऐसी किसी परियोजना को सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के अंतर्गत परित्याग करने का निर्णय लिया जाता है ता उस पर किए गए व्यय को निर्णय लिए जाने के वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया जाता है।

घ. सर्वेक्षण तथा जांच के अंतर्गत होने वाली कोई परियोजना समुचित प्राधिकारी के आदेश/अदालती आदेश की निषेधाज्ञा के चलते स्थगित रहे पर ऐसी परियोजनाओं पर आदेश/अदालत की निषेधाज्ञा की तिथि से किए गए किसी भी व्यय को ऐसे आदेश की तिथि से ऐसे आदेश/निषेधाज्ञा द्वारा परियोजना को स्थगित रखे जाने की अवधि तक लेखाबहियों में मुहैया

करवाया जाएगा। तथापि, इस प्रकार किए गए प्रावधान को उक्त आदेश/निषेधाज्ञा के वापिस लिए जाने तक प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

ङ. पूर्व की अवधियों में मान्यता दी गई क्षति हानियों का आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ऐसे किसी संकेत हेतु किया जाएगा कि हानि कम हो गई है अथवा अब मौजूद नहीं है। यदि वसूली योग्य राशि के निर्धारण में प्रयुक्त अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ हो क्षति हानि को वापिस किया जाता है। किसी क्षति हानि को केवल उस सीमा तक वापिस किया जाता है कि परिसंपत्तियों की वहन राशि ऐसी वहन राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसे मूल्यह्रास या परिशोधन के निवल पर किसी क्षति हानि को मान्यता न दिए जाने को दर्ज किया जाता।

20.0 आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान तथा विलंबित कर शामिल होते हैं। कर को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है सिवाय उस सीमा के जहां तक यह सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्रदान की गई मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में कर को भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

क) वर्तमान कर

1) वर्तमान कर रिपोर्टिंग तिथि को लागू होने वाले कर नियमों के आधार पर वर्ष हेतु कर योग्य आय पर देय प्रत्याशित कर तथा पिछले वर्षों में देय कर को करों के प्रति अन्य कोई समायोजन है। कर योग्य लाभ एवं हानि के विवरण में यथासूचित लाभ से भिन्न होते हैं क्योंकि इसमें आय या व्यय की वे मदें शामिल नहीं होती अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य है और आगे इसमें वे मदें भी शामिल नहीं होती जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं है (अस्थायी अंतर)।

2) लाभांश के वितरण से उत्पन्न अतिरिक्त आयकर को उसी समय मान्यता दी जाती है जब संबंधित लाभांश के भुगतान के दायित्व को माना जाता है।

ख) विलंबित कर

i) विलंबित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों तथा देयताओं की वहन राशि के मध्य अस्थायी अंतर के रूप में मान्यता दी जाती है और कर योग्य लाभ की गणना में तदनुरूपी कर आधार का प्रयोग किया जाता है और तुलन–पत्र पद्धति का उपयोग करके लेखांकित किया जाता है। विलंबित कर देयताओं को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों, के रूप में मान्यता दी जाती है और विलंबित कर परिसंपत्तियों को सामान्यतः सभी कटौती–योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिट हेतु इस सीमा तक मान्यता प्रदान की जाती है कि यह संभव है कि भविष्य के कर योग्य लाभ उन कटौती योग्य और अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों के प्रति उपलब्ध होंगे और अप्रयुक्त कर ऋणों का उपयोग किया जाएगा। ऐसी परिसंपत्तियों तथा देयताओं को तब मान्यता नहीं दी जाती है यदि किसी संव्यवहार में किसी परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता (किसी व्यापार संयोजन के अतिरिक्त) से अस्थायी अंतर उत्पन्न होते हों जो संव्यवहार के समय न तो कर योग्य लाभ एवं हानि और न ही लेखांकन लाभ या हानि को प्रभावित करते हो।

ii) विलंबित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है और उसे इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नही है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके प्रति अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।

iii) विलंबित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को ऐसी कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू किए जाने की प्रत्याशा हो जिसमें देयता का निपटान या परिसंपत्ति की वसूली की जाएगी, यह तुलन–पत्र तिथि द्वारा अधिनिगमित या व्यापक रूप से बनाई गई कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित होगा। विलंबित कर देयताओं तथा परिसंपत्तियों का मापन ऐसे कर परिणामों को दर्शाता है जो कंपनी की प्रत्याशा वाले तरीके से रिपोर्टिंग तिथि को इसकी परिसंपत्तियों तथा देयताओं की वहन राशि की वसूली या निपटान करेंगे।

iv) विलंबित कर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है सिवाय उस सीमा के जहां यह अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में इसे अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

v) विलंबित आयकर परिसंपत्तियों तथा देयताओं का निपटान वहां किया जाता है जहां वर्तमान कर परिसंपत्तियों का वर्तमान कर देयताओं से निपटान का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जब विलंबित आयकर परिसपंत्तियां तथा देयताएं समान कराधान प्राधिकरण द्वारा या तो किसी एक करयोग्य निकाय अथवा विभिन्न करयोग्य निकायों पर लगाए गए आयकर से संबंधित हो तथा जहां निवल आधार पर शेषों के निपटान की मंशा हो।

vi) समायोजन लेखे से विलंबित कर वसूली को वर्तमान अवधि हेतु विलंबित कर की सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाएगा जो आगे की अवधियों में वर्तमान कर का हिस्सा होता हो तथा टैरिफ के एक घटक इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) की गणना को प्रभावित करता हो।

vii) जब आय कर उपचारों के संबंध में किसी प्रकार की अनिश्चितता होती है तो कम्पनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर उपचार को स्वीकार किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता है। यदि कम्पनी कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर उपचार को स्वीकार न किए जाने का निर्धारण करती है तो अनिश्चित अथवा करयोग्य आय के प्रभाव, कर आधारों, तथा अप्रयुक्त कर हानियों एवं अप्रयुक्त कर क्रेडिट को स्वीकृति दे दी जाती है। ऐसी अनिश्चितता के प्रभाव की स्वीकृति प्रत्येक मामले में उस विधि के उपयोग से की जाती है जिनसे प्रतिफल, अत्यधिक प्रत्याशित प्रतिफल अथवा मूल्य, की अनिश्चितता की बेहतर प्रस्तुति होती हो। प्रत्येक मामले में, अनिश्चितता के समाधान के उत्तम उपसर्ग के आधार पर कम्पनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या अनिश्चित कर उपचार अलग–अलग अथवा एक साथ मिलाकर अथवा अन्य अनिश्चित कर उपचारों के साथ किया जा सकता है।

21.0 तृतीय पक्षों से मुआवजा

मदों की क्षति या हानि, बीमा कंपनियों सहित तृतीय पक्षों से मुआवजे के भुगतान हेतु संबंधित दावे और परिसंपत्तियों/माल–सूची की बाद की कोई खरीद या निर्माण पृथक आर्थिक घटनाएं हैं और इन्हें पृथक रूप से लेखांकित किया जाता है।

बीमा कंपनियों सहित तृतीय पक्षों से संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की मदों और क्षतिग्रस्त, गुम या छोड़ी गई अन्य मदों हेतु मुआवजे को मुआवजा प्राप्य होने पर लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है। लाभ की हानि हेतु बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

22.0 खंड रिपोर्टिंग

क) इंड एएस 108–प्रचालन खंड के अनुसार खंड सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए गए प्रचालन खंडों की पहचान कंपनी के प्रबंधन द्वारा आंतरिक रिपोर्टों के उपयोग के आधार पर खंडों को संसाधन के आवंटन तथा उनके निष्पादन हेतु चिन्हित करने के लिए की जाती है। निदेशक मंडल सामूहिक रूप से इंड एएस 108 के अर्थ के भीतर कंपनी का "मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता " अथवा "सीओडीएम" है।

ख) विद्युत उत्पादन कंपनी का प्रधान व्यापार क्रियाकलाप है। अन्य प्रचालन यथा संविदाएं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य इंड एएस–108 "प्रचालन खंडों" के अनुसार सूचना योग्य खंड नहीं होते हैं।

ग) कंपनी का एक एकल भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर अवस्थित हैं।

23.0 पट्टे

1 अप्रैल, 2019 से कम्पनी ने संशोधित पूर्वप्रभावी अभिमुखता के उपयोग के साथ साथ इंड एएस 116 लागू किए गए हैं तथा तदनुसार तुलनात्मक सूचना की पुनः प्रस्तुति नहीं की गई है तथा इंड एएस 17 के अंतर्गत रिपोर्टिंग जारी रखी गई है। इंड एएस 17 के अंतर्गत लेखांकन नीति के विवरण का प्रकटीकरण, अलग से किया गया है यदि ये इंड एएस 116 के अनुसार इनसे भिन्न हैं तथा इनके परिवर्तन प्रभाव का प्रकटीकरण नोट 34 में किया गया है।

1 अप्रैल, 2019 को अथवा उसके पश्चात किए गए अथवा परिवर्तित किए गए अनुबंधों के संबंध में कंपनी अनुबंध के पट्टा होने अथवा उसमें पट्टा अंतर्विष्ट होने का मूल्यांकन करती है। कोई अनुबंध पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, माना जाता है यदि अनुबंध से संज्ञान में ली गई परिसम्पति, किसी कालावधि के लिए, के नियंत्रण के उपयोग का अधिकार किसी प्रतिफल के विनिमय के रूप में प्राप्त हुआ हो। यह ज्ञात करने के लिए कि क्या किसी अनुबंध से संज्ञान में ली गई परिसम्पंति के नियंत्रण के उपयोग का अधिकार सम्प्रेषित होता है अथवा नहीं होता है, कंपनी मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात करती है कि क्याः

– अनुबंध में संज्ञान में ली गई परिसम्पति का उपयोग निहित है – इसकी निर्दिष्टि सुस्पष्ट अथवा अव्यक्त हो सकती है तथा यह भौतिक रूप से सुस्पष्ट अथवा परिसंपत्तियों की प्रत्येक क्षमता की भौतिक स्पष्टता की सारभूत प्रस्तुति से युक्त होनी चाहिए। यदि आपूर्तिकर्ता के पास सारभूत प्रतिस्थापन अधिकार होता है तो परिसंपत्ति को संज्ञान में नहीं लिया जाता है;

– कंपनी के पास उपयोग की पूर्ण अवधि के दौरान परिसम्पति के उपयोग से आर्थिक लाभ प्राप्त होने का सारभूत अधिकार है; तथा

– कंपनी को परिसंपत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग का अधिकार प्राप्त है। कंपनी के पास यह अधिकार तब होता है जब इसके पास निर्णय निर्धारण के अधिकार होते हैं, जो परिसंपत्ति के उपयोग के उद्देश्य में कैसे और किस लिए जैसी प्रक्रियाओं में बदलाव के लिए काफी सहायक होते हैं। बहुत ही कम मामलों में कैसे और किस लिए जैसे परिसम्पति के उद्देश्य पूर्व निर्धारित होते हैं तो कम्पनी द्वारा परिसंपत्ति से संबंधित उपयोग अधिकार की निर्दिष्टि या तो तब की जा सकती है जब :

  - कंपनी के पास परिसम्पत्ति के परिचालन का अधिकार प्राप्त हो; अथवा
  - कंपनी परिसंपत्ति की निर्दिष्टि करें कि उससे पूर्व निर्धारित कैसे और किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सके।

किसी अनुबंध, जिसमें पट्टा घटक है, के पुनःमूल्यांकन के प्रांरभ में कंपनी अपने संबद्ध एकल मूल्यों के आधार पर पट्टे के अनुबंध

के प्रत्येक घटक के लिए निमित के निर्धारण करती है। तथापि, भूमि एवं भवन के पट्टों, जिनमें पट्टा है, के लिए कंपनी ने कोई अलग गैर–पट्टा घटक का चयन न करने का निर्णय लिया है तथा पट्टा एवं गैर–पट्टा घटकों को एकल पट्टा घटक माना जाता है।

1 अप्रैल, 2019 से पूर्व किए गए अनुबंधों के लिए कंपनी द्वारा यह निर्धारण किए जाते हैं कि क्या उनमें पट्टे की व्यवस्था थी अथवा अंतर्विष्ट था तथा मूल्यांकन के आधार पर ज्ञात किया जाता है कि क्या :

– व्यवस्था की पूर्ति विशिष्ट परिसंपत्ति अथवा परिसंपत्तियों के उपयोग पर आश्रित थी; तथा

– व्यवस्था से परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार सम्प्रेषित होता है।

इसके अलावा, किसी व्यवस्था से परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार तब सम्प्रेषित होता है जब तथ्यों और परिस्थितियों से ऐसे संकेत प्राप्त होते हों कि क्रेता के अलावा कोई एक या अधिक पक्षकार व्यवस्था के कालक्रम के दौरान परिसंपत्ति से उत्पन्न अथवा निर्मित की जाने वाली आउटपुट अथवा अन्य उपयोज्यताओं से किसी महत्वहीन राशि से अधिक प्राप्ति की संभावनाएं दूरस्थ थी तथा क्रेता द्वारा आउटपुट के लिए चुकता किया जाने वाला मूल्य न तो अनुबंध की व्यवस्था के अनुसार प्रति यूनिट नियत है तथा न ही यह प्रति यूनिट आउटपुट के चालू बाजार मूल्यों के लिए आपूर्ति के समय के अनुसार समान है।

(I) पट्टेदार के रूप में कंपनी

पट्टा प्रारंभ होने की तिथि को कंपनी द्वारा परिसम्पति एवं पट्टा दायित्व के उपयोग के अधिकार को स्वीकृति दी जाती है। परिसंपत्ति के उपयोग अधिकार का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है जिसमें पट्टा दायित्व का प्रारंभिक मापन, कम्पनी द्वारा वहन की गई कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, पट्टा समाप्त होने के समय परिसम्पति का विखंडन करने तथा हटाए जाने की लागतों के कोई अनुमान, तथा पट्टा प्रारंभ तिथि को पट्टा भुगतानों के समायोजित अग्रिम शामिल हैं।

राज्य सरकार से उपयोग के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना) तथा राहत और पुनर्वास के साथ–साथ भूमि से विस्थापितों को हटाए जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर किए गए खर्च अथवा जलाप्लावन के अंतर्गत आने वाली मौजूदा सुविधाओं के स्थान पर तथा जहां परियोजना के उद्देश्य से ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण भूमि के अधिग्रहण की एक पूर्व विशिष्ट शर्त है, का लेखांकन उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्ति के रूप में किया जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्ति का अनुवर्ती मूल्यह्रास पट्टा प्रारम्भ तिथि से परिसंपत्ति के अधिकार के उपयोग के अंत से पूर्व उपयोज्यता काल अथवा पट्टा अवधि समाप्त होने पर सीधी रेखा आधार पर उपयोग के अधिकार से युक्त परिसंपत्ति के लिए किया जाता है। उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोज्यता काल का निर्धारण संपत्ति एवं उपकरण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले समान आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्तियों में से अक्षमता हानियों, यदि कोई हो, को कम करके आवधिक रूप से न्यून किया जाता है तथा इसका समायोजन पट्टा देयता के चयनित पुनःमापन के लिए किया जाता है।

पट्टा देयता का प्रारंभिक मापन प्रारंभ तिथि को चुकता न किए गए पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य में से पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दर अथवा यदि इस दर का निर्धारण त्वरित रूप में नहीं किया जा सकता है, तो कंपनी की वृद्धिशील ऋण दर को घटाकर किया जाता है। सामान्यतः कम्पनी डिस्काउंट दर के लिए अपनी वृद्धिशील ऋण दर का उपयोग करती है।

पट्टा भुगतानों में निम्नलिखित से युक्त पट्टा देयता का मापन शामिल है :–

- नियत भुगतान, मूलभूत नियत भुगतान सहित;
- परिवर्तनीय पट्टा भुगतान, जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, का प्रारंभिक मापन उनके प्रारंभ की तिथि के सूचकांक अथवा दर के उपयोग से किया जाता है;
- अवशेष मूल्य गारंटी के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां; तथा
- किसी क्रय विकल्प के अंतर्गत उपयोग में लाया जाने वाला मूल्य जिसके उपयोग प्रति कंपनी औचित्य परक रूप में आश्वस्त है, वैकल्पिक नवीकरण अवधि के पट्टा भुगतान, यदि कम्पनी विस्तार के विकल्प के उपयोग के प्रति औचित्यपरक कारणों से आश्वस्त हैं तथा कालावधि से पूर्व पट्टा समापन के जुर्माने जिनके प्रति कंपनी पट्टे का पूर्व समापन न किए जाने के प्रति आश्वस्त है।

पट्टा देयता का मापन परिशोधन लागत प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से किया जाता है। इसका पुनः मापन तब किया जाता है जब सूचकांक अथवा दर में उत्पन्न परिवर्तनों के कारण भावी पट्टा भुगतानों में परिवर्तन हुए हों, जिनके प्रति यदि किसी अवशेष मूल्य गारंटी के अंतर्गत भुगतान के लिए संभावित राशि के संबंध में कंपनी के अनुमानों में परिवर्तन हुआ हो अथवा यदि कम्पंनी अपने अनुमानों में क्रय, विस्तार अथवा समापन के विकल्प का उपयोग करने अथवा न करने के अपने विकल्पो से संबंधित मूल्यांकनों में परिवर्तन करती है।

जब पट्टा देयता का मापन इस विधि से किया जाता है तो उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्ति की वहन राशि के संबंध में अनुवर्ती समायोजन किया जाता है अथवा यदि उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्ति की वहन राशि कम होकर शून्य हो गई है तो इसे लाभ एवं हानि विवरण में रिकार्ड किया जाता है।

कंपनी निवेश संपत्ति की परिभाषा के अंतर्गत न आने वाली अपनी उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्तियों की प्रस्तुति एक अलग रेखा मद के उपयोग से तुलन पत्र में करती है।

कंपनी ने उन अल्प–कालिक अवधियों की उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्तियों की स्वीकृति न करने का निर्धारण किया है जिनका पट्टा काल 12 माह अथवा कम है तथा पट्टों का परिसंपत्ति मूल्य न्यून है। कंपनी ऐसे पट्टों से संबद्ध पट्टा भुगतानों को सीधी रेखा आधार पर पट्टा अवधि के लिए व्यय के रूप में स्वीकृति देती है।

इंड एएस 17 के अंतर्गत

तुलनात्मक अवधियों में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के पट्टे, जिनमें कंपनी को पट्टाधारक के रूप में सभी सारभूत जोखिम एवं स्वामित्व के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, का वर्गीकरण वित्त पट्टे के रूप में किया गया है। ऐसे वित्त पट्टों का सामान्यतः पट्टे के प्रारंभ में पट्टा संपत्ति के उचित मूल्य पर पूंजीयन किया जाता है जो संव्यवहार मूल्य अर्थात एकमुश्त अपफ्रंट भुगतानों के समान होती है।

ऐसे पट्टे, जिनके किसी महत्वपूर्ण भाग के जोखिम एवं प्रतिफलों के स्वामित्व का अंतरण कंपनी को पट्टाधारक के रूप में नहीं किया गया था, का वर्गीकरण परिचालन पट्टे के रूप में किया गया है। परिचालन पट्टे के अंतर्गत चुकता किए गए भुगतानों को पट्टे की अवधि के लिए लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

(II) पट्टाकार के रूप में कंपनी

जब कंपनी पट्टाकार की भूमिका में होती है तो कंपनी पट्टे के प्रारंभ में यह निर्धारण करती है कि क्या प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा अथवा कोई परिचालन पट्टा है अथवा नहीं किसी पट्टे का वित्त के रूप में वर्गीकरण तब किया जाता है जब उसके संबंध में कंपनी द्वारा ऐसी परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी सारभूत जोखिम एवं प्रतिफल पट्टाधारक को अंतरित किए जाते हैं। पट्टे का वर्गीकरण परिचालन पट्टे के रूप में तब होता है जब ऐसी परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी सारभूत जोखिम एवं प्रतिफल पट्टाधारक को अंतरित नहीं किए जाते हैं।

वित्त पट्टे की प्रकृति वाले निहित पट्टों हेतु संयंत्र में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। न्यूनतम पट्टा भुगतान की पहचान शेष संविदा राशियों से निहित पट्टा भुगतानों को अलग करके की जाती है जिसमें 31 मई, 2009 तक सीईआरसी टैरिफ विनियमों 2004-09 के अनुसार मान्यता प्रदान किए गए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी) सहित शेष संविदा राशियां शामिल है और इन्हें विलंबित आय माना गया है। प्रत्येक पट्टा प्राप्ति को प्राप्य तथा वित्तीय पट्टे के मध्य आवंटित किया जाता है ताकि बकाया प्राप्य पट्टे पर एक स्थिर दर को प्राप्त किया जा सके।

यदि किसी व्यवस्था में पट्टे अथवा गैर–पट्टे के घटक होते हैं तो कंपनी अनुबंध के प्रतिफल के निर्धारण के लिए इंड एएस 115 का उपयोग करती है।

प्रचालन पट्टों या निहित प्रचालन पट्टों के मामले में प्रचालन पट्टे से पट्टा आय को राजस्व में पट्टा अवधि पर पट्टे वाली परिसंपत्ति से प्राप्त उपयोग लाभ के पैटर्न को दर्शाने के लिए मान्यता प्रदान की गई है। संबंधित पट्टे वाली परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन–पत्र में शामिल किया जाता है तथा उनके आर्थिक जीवनकाल पर इनका मूल्यह्रास किया जाता है।

पट्टाकार के रूप में कंपनी के संबंध में किसी तुलनात्मक अवधि में लागू लेखांकन नीतियां इंड एएस 116 से भिन्न नहीं थी।

24.0 व्यवसाय संयोजन

व्यवसाय संयोजनों का लेखांकन अधिग्रहण की तिथि को अधिग्रहण लेखांकन विधि के उपयोग से किया गया है जो अंतरण का नियंत्रण कंपनी को सौंपे जाने की तिथि है। अधिग्रहण के अंतर्गत अंतरित किए गए प्रतिफल तथा संज्ञान में ली गई अधिग्रहित परिसंपत्तियों एवं स्वीकृत देयताओं की स्वीकृति अधिग्रहण की तिथि को उनके उचित मूल्य पर की जाती है। साख का प्रारंभिक मापन, अधिग्रहित संज्ञानयोग्य परिसंपत्तियों एवं स्वीकृत देयताओं के निवल से अधिक प्रतिफल का अंतरण किए जाने के कारण, लागत पर किया जाता है। जब निवल संज्ञानयोग्य अधिगृहीत परिसंपत्तियों एवं स्वीकृत देयताओं का उचित मूल्य, निवल परिसंपत्तियों एवं आकस्मिक देयताओं का उचित मूल्य पर पुनःमूल्यांकन करने के पश्चात, अंतरित प्रतिफल से अधिक होता है तो अतिरेक की स्वीकृति पूंजी आरक्षित के रूप में की जाती है। अधिग्रहण से संबंधित लागतों को व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

25.0 पूर्व अवधि की भौतिक त्रुटियां

पूर्व अवधि की भौतिक त्रुटियों को पश्चगामी प्रभाव से त्रुटि होने वाले पूर्व अवधि के प्रस्तुत किए गए विवरणों में तुलनात्मक राशि को पुनः बताकर ठीक किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत नवीनतम अवधि से पहले हुई हो तो नवीनतम अवधि हेतु परिसंपत्तियों, देयताओं तथा इक्विटी के प्रारंभिक शेषों को तब पुनः बताया जाता है जब तक कि यह अव्यवहार्य न हो और ऐसे मामले में तुलनात्मक सूचना को व्यवहार्य नवीनतम तिथि से संदर्शी रूप से नई लेखांकन नीति को लागू करते हुए समायोजित किया जाता है।

26.0 प्रति शेयर अर्जन

(क) प्रति इक्विटी शेयर आधारभूत अर्जन की गणना वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य निवल लाभ या हानि को भाग देकर की जाती है।

(ख) प्रति इक्विटी शेयर कम आंके गए अर्जन की गणना प्रति इक्विटी शेयर आधारभूत अर्जन निकालने के लिए लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और साथ ही सभी कम किए गए संभाव्य इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य निवल लाभ या हानि को भाग देकर की जाती है।

(ग) प्रति इक्विटी शेयर आधारभूत और कम किए गए अर्जन को नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन के अतिरिक्त अर्जित राशि का उपयोग करके भी प्रस्तुत किया जाता है।

27.0 नकदी प्रवाह का विवरण

क) नकदी और नकदी–तुल्य

नकदी प्रवाहों के विवरण में प्रस्तुतीकरण के प्रयोजन हेतु नकदी तथा नकदी–तुल्यों में हस्तगत नकदी, वित्तीय संस्थानों के साथ आमंत्रण पर धारित जमा, अन्य अल्पावधि अत्यधिक नकदी निवेश जिनकी मूल परिपक्वता 3 माह या उससे कम की हैं जो नकदी की ज्ञात राशियों में तत्काल परिवर्तनशील हैं तथा जो मूल्य में परिवर्तन के कम महत्वपूर्ण जोखिम के अधीन हैं तथा बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल है। तथापि, तुलन–पत्र प्रस्तुतीकरण हेतु बैंक ओवरड्राफ्ट को वर्तमान देयताओं के अंतर्गत ऋण में दर्शाया गया है।

ख) नकदी प्रवाह के विवरण को इंड एएस 7 "नकदी प्रवाहों के विवरण" में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है।

28.0 वर्तमान बनाम गैर–वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी तुलन–पत्र में परिसंपत्तियों तथा देयताओं को वर्तमान/गैर–वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है।

क) कोई परिसंपत्ति तब वर्तमान है जब यह –

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्त किए जाने या बिक्री अथवा उपभोग किए जाने की मंशा प्रत्याशित है
- मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन हेतु धारित है
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर प्राप्त किए जाने की प्रत्याशा है, अथवा
- नकदी या नकदी तुल्य जब तक कि विनिमय किए जाने से प्रतिबंधित न हो अथवा रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह पश्चात किसी दायित्व के निपटान के लिए इन्हें लिया गया हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ख) किसी देयता को तब वर्तमान माना जाता है जब वह

- सामान्य प्रचालन चक्र में निपटान हेतु प्रत्याशित है
- इसे मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन हेतु धारित किया गया है
- यह रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर निपटाए जाने हेतु देय है, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह हेतु देयता के निपटान को विलंबित करने का एक बिना शर्त अधिकार है।

अन्य सभी देयताओं को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ग) विलंबित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को गैर वर्तमान परिसंपत्तियों तथा देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

29.0 विविध

क) समान मदों की प्रत्येक भौतिक श्रेणी को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। असमान प्रकृति या कार्यवाही मदों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गैर–भौतिक न हो।

ख) मार्गस्थ वस्तुओं/निष्पादित पूंजीगत कार्यों किन्तु प्रमाणित नहीं के लिए देयताओं का प्रावधान कंपनी द्वारा निरीक्षण तथा स्वीकृति लम्बित होने पर नहीं किया जाता है।

(IV) हाल की लेखांकन घोषणाएं : जारी किए गए मानक लेकिन अभी प्रभावी नहीं

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) नए मानकों या विद्यमान मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। ऐसी कोई अधिसूचना नहीं हैं जो 1 अप्रैल, 2020 से लागू होती हो।

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक						मूल्यह्रास					निवल ब्लाक	
	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनवर्गीकरण	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2020 को	01.04. 2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनवर्गीकरण	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि–फ्रीहोल्ड (देखें टिप्पणी 2.1.1 तथा 2.1.2)	331.99	-	61.18	0.41	(0.39)	392.37	-	-	-	-	-	392.37	331.99
भूमि–उपयोग का अधिकार (देखें टिप्पणी 2.1.8)	302.58	(302.58)	-	-	-	-	22.07	(22.08)	-	0.01	-	-	280.51
सड़कें और पुल	222.21	-	89.80	-	0.01	312.02	41.03	-	24.60	0.02	65.65	246.37	181.18
भवन	2,351.70	-	52.93	0.14	(0.23)	2,404.26	354.26	-	86.15	0.04	440.45	1,963.81	1,997.44
भवन – उपयोग का अधिकार **(देखें टिप्पणी 2.1.8)**	17.01	(17.01)	-	-	-	-	0.36	(0.36)	-	-	-	-	16.65
रेलवे साइडिंग्स	16.57	-	-	-	-	16.57	13.10	-	3.47	-	16.57	-	3.47
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	16,714.21	-	25.19	1.40	(0.01)	16,737.99	3,400.52	-	931.37	(1.14)	4,330.75	12,407.24	13,313.69
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	8,220.79	-	120.29	25.71	(1.72)	8,313.65	1,746.91	-	468.30	(11.42)	2,203.79	6,109.86	6,473.88
संयंत्र तथा मशीनरी – सब–स्टेशन	51.30	-	4.74	0.04	0.01	56.01	11.44	-	2.30	(0.02)	13.72	42.29	39.86
संयंत्र तथा मशीनरी –ट्रांसमिशन लाइनें	70.71	-	0.57	-	(0.20)	71.08	17.45	-	4.84	.	22.29	48.79	53.26
संयंत्र तथा मशीनरी –अन्य	36.01	-	0.36	0.01	(0.17)	36.19	10.11	-	1.85	(0.03)	11.93	24.26	25.90
निर्माण उपकरण	52.53	-	1.80	0.18	0.27	54.42	19.90	-	4.00	(0.04)	23.86	30.56	32.63
जलापूर्ति प्रणाली / नालियां और सीवर प्रणाली	52.44	-	2.93	0.01	-	55.36	8.44	-	2.07	(0.01)	10.50	44.86	44.00
विद्युतीय संस्थापनाएं	4.78	-	7.88	0.38	3.89	16.17	0.91	-	0.56	0.14	1.61	14.56	3.87
वाहन	22.39	-	1.04	0.68	-	22.75	6.88	-	1.49	(0.06)	8.31	14.44	15.51
विमान / नौकाएं	1.92	-	-	0.01	-	1.91	0.32	-	0.15	-	0.47	1.44	1.60
फर्नीचर और फिक्सचर	35.93	-	2.00	0.12	-	37.81	9.53	-	2.28	(0.03)	11.78	26.03	26.40
कम्प्यूटर	39.07	-	7.16	0.82	0.01	45.42	24.15	-	6.40	(0.51)	30.04	15.38	14.92
संचार उपकरण	11.78	-	0.59	0.14	-	12.23	3.10	-	0.68	(0.08)	3.70	8.53	8.68
कार्यालय उपकरण	105.00	-	7.71	0.93	(3.29)	108.49	29.75	-	6.66	(0.46)	35.95	72.54	75.25
कुल	28,660.92	(319.59)	386.17	30.98	(1.82)	28,694.70	5,720.23	(22.44)	1,547.17	(13.59)	7,231.37	21,463.33	**22,940.69**
गत वर्ष	23,242.27	-	5,450.87	15.87	(16.35)	28,660.92	4,152.16	-	1,591.73	(23.66)	5,720.23	22,940.69	

विवरणात्मक टिप्पणी :–

2.1.1) क) 1458.55 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1458.55 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 6.51 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 6.51 करोड़ रुपए) मूल्य की फ्री–होल्ड भूमि को राजस्व रिकार्डों में जम्मू एवं कश्मीर सरकार के माध्यम से भारत सरकार के पक्ष में दर्ज किया गया है जो सलाल पावर स्टेशन (एनएचपीसी लिमिटेड का एक पावर स्टेशन) के कब्जे में है। तथापि, 0.10 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 0.10 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 0.0004 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.0004 करोड़ रुपए) मूल्य की फ्री–होल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलेख अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं ।

ख) अन्य यूनिटों के संबंध में, 143.38 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 109.75 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 20.47 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 6.73 करोड़ रुपए) मूल्य की फ्री–होल्ड भूमि संबंधी स्वामित्व विलेख/स्वामित्व के संबंध में संपत्ति विलेख अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं ।

2.1.2 फ्रीहोल्ड भूमि में लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) (एनएचपीसी और मणिपुर सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) द्वारा 100 रूपए प्रतिवर्ष के किराए पर उपयोग की जा रही 8 हैक्टेयर (पिछले वर्ष 8 हैक्टेयर) भूमि शामिल है जिसके लिए एनएचपीसी तथा एलडीएचसीएल के मध्य एक पट्टा समझौता किया गया है।

2.1.3 सकल ब्लाक में समायोजन में परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभारित तथा पूंजीकृत मूल्यह्रास शामिल है।

2.1.4 सेवा–II, किशनगंगा, चमेरा–III, तीस्ता लो डैम–III, उड़ी और तीस्ता लो डैम–IV पावर स्टेशनों के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन पावर स्टेशनों पर वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।

2.1.5 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34(9) देखें।

2.1.6 अस्थाई आधार पर पूंजीयन की गई परिसम्पत्तियों के लिए एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(4) देखें।

2.1.7 परिसम्पतियों की अक्षमता से संबंधित सूचना एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(18) देखें।

2.1.8 319.59 करोड़ रूपए से अधिक मूल्य की पट्टाधारित भूमि, पट्टाधारित भवन का पुनःवर्गीकरण किया गया है तथा इंड एएस–116 के कारण इनकी प्रस्तुति तुलन पत्र में उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में की गई है। इंड एएस–116 – पट्टे से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण टिप्पणी 34(16) में किए गए हैं।

2.1.9 परिसम्पतियों के सकल ब्लॉक तथा पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास के अनुसार सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) के अतिरिक्त प्रकटीकरण इस टिप्पणी के अनुबंध–1 में दिए गए हैं।

टिप्पणी सं. 2.1 का अनुबंध– I संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अतिरिक्त प्रकटीकरण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक						मूल्यह्रास					निवल ब्लाक	
	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनवर्गीकरण	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनवर्गीकरण	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि–फ्रीहोल्ड	331.99	-	61.18	0.41	(0.39)	392.37	-	-	-	-	-	392.37	331.99
भूमि–उपयोग का अधिकार	316.00	(316.00)	-	-	-	-	35.49	(35.49)	-	-	-	-	280.51
सड़कें और पुल	315.83	-	89.80	-	-	405.63	134.65	-	24.60	0.01	159.26	246.37	181.18
भवन	3,078.27	-	52.93	0.59	(0.28)	3,130.33	1,080.83	-	86.15	(0.46)	1,166.52	1,963.81	1,997.44
भवन – पट्टे पर	17.01	(17.01)	-	-	-	-	0.36	(0.36)	-	-	-	-	16.65
रेलवे साइडिंग्स	36.10	-	-	-	-	36.10	32.63	-	3.47	-	36.10	-	3.47
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	22,520.13	-	25.19	1.41	-	22,543.91	9,206.44	-	931.37	(1.14)	10,136.67	12,407.24	13,313.69
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	11,202.45	-	120.29	27.23	(1.79)	11,293.72	4,728.57	-	468.30	(13.01)	5,183.86	6,109.86	6,473.88
संयंत्र तथा मशीनरी – सब–स्टेशन	102.93	-	4.74	0.17	0.02	107.52	63.07	-	2.30	(0.14)	65.23	42.29	39.86
संयंत्र तथा मशीनरी –ट्रांसमिशन लाइनें	97.91	-	0.57	-	(0.21)	98.27	44.65	-	4.84	(0.01)	49.48	48.79	53.26
संयंत्र तथा मशीनरी –अन्य	52.31	-	0.36	0.01	(0.16)	52.50	26.41	-	1.85	(0.02)	28.24	24.26	25.90
निर्माण उपकरण	111.95	-	1.80	1.49	0.33	112.59	79.32	-	4.00	(1.29)	82.03	30.56	32.63
जलापूर्ति प्रणाली / नालियां और सीवर प्रणाली	62.24	-	2.93	0.01	-	65.16	18.24	-	2.07	(0.01)	20.30	44.86	44.00
विद्युतीय संस्थापनाएं	5.99	-	7.88	0.39	3.89	17.37	2.12	-	0.56	0.13	2.81	14.56	3.87
वाहन	33.08	-	1.04	1.41	-	32.71	17.57	-	1.49	(0.79)	18.27	14.44	15.51
विमान / नौकाएं	2.18	-	-	0.03	-	2.15	0.58	-	0.15	(0.02)	0.71	1.44	1.60
फर्नीचर और फिक्सचर	60.46	-	2.00	0.38	-	62.08	34.06	-	2.28	(0.29)	36.05	26.03	26.40
कम्प्यूटर	69.45	-	7.16	3.32	-	73.29	54.53	-	6.40	(3.02)	57.91	15.38	14.92
संचार उपकरण	17.57	-	0.59	0.22	-	17.94	8.89	-	0.68	(0.16)	9.41	8.53	8.68
कार्यालय उपकरण	161.68	-	7.71	2.06	(3.28)	164.05	86.43	-	6.66	(1.58)	91.51	72.54	75.25
कुल	38,595.53	(333.01)	386.17	39.13	(1.87)	38,607.69	15,654.84	(35.85)	1,547.17	(21.80)	17,144.36	21,463.33	22,940.69
गत वर्ष	33,240.98	-	5,450.88	30.23	(66.10)	38,595.53	14,150.87	-	1,591.73	(87.76)	15,654.84	22,940.69	19,090.11

टिप्पणी :–

उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत ''भूमि – उपयोग का अधिकार'' पर सृजित 10491.91 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 10508.57 करोड़ रूपए) की राशि के भूमिगत कार्यों को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संगत शीर्षों में शामिल किया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 का अनुबंध–I संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अतिरिक्त प्रकटीकरण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2018 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2019 को	01.04.2018 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2019 को	31.03.2019 को	31.03.2018 को
भूमि–फ्रीहोल्ड	313.69	12.16	0.01	6.15	331.99	-	-	-	-	331.99	313.69
भूमि–लीजहोल्ड	327.41	0.02	-	(24.85)	302.58	35.28	11.65	(24.86)	22.07	280.51	292.13
सड़कें और पुल	215.47	6.67	0.15	0.22	222.21	27.79	10.18	3.06	41.03	181.18	187.68
भवन	2,019.62	331.94	0.74	0.88	2,351.70	259.33	94.26	0.67	354.26	1,997.44	1,760.29
भवन – पट्टे पर	-	17.01	-	-	17.01	-	0.36	-	0.36	16.65	-
रेलवे साइडिंग्स	16.57	-	-	-	16.57	7.42	5.68	-	13.10	3.47	9.15
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	12,690.92	4,025.18	3.44	1.55	16,714.21	2,448.42	952.73	(0.63)	3,400.52	13,313.69	10,242.50
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	7,213.75	1,017.32	9.24	(1.04)	8,220.79	1,267.40	481.48	(1.97)	1,746.91	6,473.88	5,946.35
संयंत्र तथा मशीनरी – सब–स्टेशन	49.49	2.04	0.01	(0.22)	51.30	9.22	2.43	(0.21)	11.44	39.86	40.27
संयंत्र तथा मशीनरी –ट्रांसमिशन लाइनें	68.93	1.61	-	0.17	70.71	12.69	4.59	0.17	17.45	53.26	56.24
संयंत्र तथा मशीनरी –अन्य	32.83	3.39	0.10	(0.11)	36.01	8.16	2.05	(0.10)	10.11	25.90	24.67
निर्माण उपकरण	50.76	2.15	0.19	(0.19)	52.53	16.16	3.94	(0.20)	19.90	32.63	34.60
जलापूर्ति प्रणाली / नालियां और सीवर प्रणाली	47.09	5.29	0.06	0.12	52.44	6.15	2.18	0.11	8.44	44.00	40.94
विद्युतीय संस्थापनाएं	4.33	0.42	0.04	0.07	4.78	0.54	0.31	0.06	0.91	3.87	3.79
वाहन	22.21	0.48	0.26	(0.04)	22.39	5.16	1.82	(0.10)	6.88	15.51	17.05
विमान / नौकाएं	0.89	1.04	0.01	-	1.92	0.18	0.14	-	0.32	1.60	0.71
फर्नीचर और फिक्सचर	33.10	2.77	0.16	0.22	35.93	6.92	2.42	0.19	9.53	26.40	26.18
कम्प्यूटर	33.81	5.83	0.45	(0.12)	39.07	18.08	6.43	(0.36)	24.15	14.92	15.73
संचार उपकरण	10.75	1.14	0.31	0.20	11.78	2.21	0.81	0.08	3.10	8.68	8.54
कार्यालय उपकरण	34.34	4.05	0.43	0.28	38.24	7.73	3.04	0.15	10.92	27.32	26.61
अनुसंधान और विकास	0.72	-	-	-	0.72	0.24	0.08	-	0.32	0.40	0.48
अन्य परिसंपत्ति	52.39	9.19	0.23	0.10	61.45	9.89	4.01	0.04	13.94	47.51	42.50
गौण मूल्य की अचल परिसंपत्ति >750 और <5000 रुपए।	3.20	1.17	0.04	0.26	4.59	3.19	1.14	0.24	4.57	0.02	0.01
कुल	23,242.27	5,450.87	15.87	(16.35)	28,660.92	4,152.16	1,591.73	(23.66)	5,720.23	22,940.69	19,090.11
गत वर्ष	22,796.98	456.74	12.38	0.93	23,242.27	2,745.11	1,404.39	2.66	4,152.16	19,090.11	

टिप्पणी : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के अतिरिक्त प्रकटीकरण परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास इस टिप्पणी के अनुबंध–I में मुहैया करवाए गए अनुसार है। अन्य विवरणात्मक टिप्पणियों हेतु इन्हें टिप्पणी 2.1 के अनुबंध–I में बताया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 का अनुबंध– I संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अतिरिक्त प्रकटीकरण

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2018 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2019 को	01.04.2018 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2019 को	31.03.2019 को	31.03.2018 को
भूमि–फ्रीहोल्ड (देखें टिप्पणी 2.1.1 तथा 2.1.2)	313.69	12.16	0.01	6.15	331.99	-	-	-	-	331.99	313.69
भूमि–लीजहोल्ड (देखें टिप्पणी 2.1.1 तथा 2.1.3)	370.76	0.02	-	(54.78)	316.00	78.63	11.65	(54.79)	35.49	280.51	292.13
सड़कें और पुल	312.60	6.67	0.26	(3.18)	315.83	124.92	10.18	(0.45)	134.65	181.18	187.68
भवन	2,760.23	331.94	2.49	(11.41)	3,078.27	999.94	94.26	(13.37)	1,080.83	1,997.44	1,760.29
भवन पट्टे पर (देखें टिप्पणी 34 (16ख))	-	17.01	-	-	17.01	-	0.36	-	0.36	16.65	-
रेलवे साइडिंग्स	36.12	-	0.02	-	36.10	26.97	5.68	(0.02)	32.63	3.47	9.15
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	18,501.11	4,025.18	8.00	1.84	22,520.13	8,258.61	952.73	(4.90)	9,206.44	13,313.69	10,242.50
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	10,194.08	1,017.32	9.47	0.52	11,202.45	4,247.73	481.48	(0.64)	4,728.57	6,473.88	5,946.35
संयंत्र तथा मशीनरी – सब–स्टेशन	101.19	2.04	0.10	(0.20)	102.93	60.92	2.43	(0.28)	63.07	39.86	40.27
संयंत्र तथा मशीनरी –ट्रांसमिशन लाइनें	96.33	1.61	-	(0.03)	97.91	40.09	4.59	(0.03)	44.65	53.26	56.24
संयंत्र तथा मशीनरी –अन्य	49.79	3.39	0.43	(0.44)	52.31	25.12	2.05	(0.76)	26.41	25.90	24.67
निर्माण उपकरण	112.62	2.15	1.67	(1.15)	111.95	78.02	3.94	(2.64)	79.32	32.63	34.60
जलापूर्ति प्रणाली / नालियां और सीवर प्रणाली	57.05	5.29	0.08	(0.02)	62.24	16.11	2.18	(0.05)	18.24	44.00	40.94
विद्युतीय संस्थापनाएं	5.64	0.42	0.07	-	5.99	1.85	0.31	(0.04)	2.12	3.87	3.79
वाहन	34.35	0.48	1.06	(0.69)	33.08	17.30	1.82	(1.55)	17.57	15.51	17.05
विमान / नौकाएं	1.15	1.05	0.02	-	2.18	0.44	0.14	-	0.58	1.60	0.71
फर्नीचर और फिक्सचर	58.50	2.77	0.31	(0.50)	60.46	32.32	2.42	(0.68)	34.06	26.40	26.18
कम्प्यूटर	67.65	5.81	3.11	(0.90)	69.45	51.92	6.43	(3.82)	54.53	14.92	15.73
संचार उपकरण	17.08	1.16	0.65	(0.02)	17.57	8.54	0.81	(0.46)	8.89	8.68	8.54
कार्यालय उपकरण	54.59	4.05	1.08	(0.20)	57.36	27.98	3.04	(0.98)	30.04	27.32	26.61
अनुसंधान और विकास	1.35	-	-	-	1.35	0.87	0.08	-	0.95	0.40	0.48
अन्य परिसंपत्ति	76.54	9.19	0.86	(0.64)	84.23	34.04	4.01	(1.33)	36.72	47.51	42.50
गौण मूल्य की अचल परिसंपत्ति >750 और <5000 रुपए।	18.56	1.17	0.54	(0.45)	18.74	18.55	1.14	(0.97)	18.72	0.02	0.01
कुल	**33,240.98**	**5,450.88**	**30.23**	**(66.10)**	**38,595.53**	**14,150.87**	**1,591.73**	**(87.76)**	**15,654.84**	**22,940.69**	**19,090.11**
गत वर्ष	32,811.42	456.74	28.11	0.93	33,240.98	12,759.55	1,404.39	(13.07)	14,150.87	19,090.11	

विवरणात्मक टिप्पणी :–

1) क) 1458.55 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1485.19 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 6.51 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 6.51 करोड़ रुपए) मूल्य की फ्री–होल्ड भूमि को राजस्व रिकार्डों में जम्मू एवं कश्मीर सरकार के माध्यम से भारत सरकार के पक्ष में दर्ज किया गया है जो सलाल पावर स्टेशन (एनएचपीसी लिमिटेड का एक पावर स्टेशन) के कब्जे में है। तथापि, 0.10 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 4.76 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 0.0004 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.01 करोड़ रुपए) मूल्य की फ्री–होल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलेख अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं ।

ख) अन्य यूनिटों के संबंध में, 109.75 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 125.03 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 6.73 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.52 करोड़ रुपए) मूल्य की फ्री–होल्ड भूमि संबंधी स्वामित्व विलेख/स्वामित्व और 519.68 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 870.87 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 251.28 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 306.08 करोड़ रुपए) मूल्य की लीजहोल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलेख अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं ।

(ग) "पट्टे के अधीन भवन" 17.01 करोड़ रूपए की राशि वाले किदवई नगर, नई दिल्ली में वर्ष के दौरान पट्टे पर लिए गए 5001 वर्ग फुट के भवन स्थान को दर्शाता है। उक्त के संबंध में पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है।

2.1.2 फ्रीहोल्ड भूमि में लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) (एनएचपीसी और मणिपुर सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) द्वारा 100 रूपए प्रतिवर्ष के किराए पर उपयोग की जा रही 8 हैक्टेयर (पिछले वर्ष 8 हैक्टेयर) भूमि शामिल है जिसके लिए एनएचपीसी तथा एलडीएचसीएल के मध्य एक पट्टा समझौता किया गया है।

2.1.3 भूमि – लीजहोल्ड भूमि के अंतर्गत सुबनसिरी अपर परियोजना के लिए 1 रुपए प्रति वर्ष के नाममात्र किराये पर 99 वर्ष के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से पट्टे पर ली गई 2.72 हैक्टेयर (पिछले वर्ष 2.72 हैक्टेयर) भूमि शामिल है। इस क्षेत्र में से, 1.06 हैक्टेयर (पिछले वर्ष 1.06 हैक्टेयर) भारत–तिब्बत बार्डर पुलिस (आईटीबीपी) को सौंपी गई है।

2.1.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित 10508.57 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 6302.08 करोड़ रुपए) मूल्य के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

2.1.5 सकल ब्लाक में समायोजन में विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन, परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभारित तथा पूंजीकृत मूल्यह्रास शामिल है।

2.1.6 सेवा–II, चमेरा–III, तीस्ता लो डैम–III, उड़ी और तीस्ता लो डैम–IV पावर स्टेशनों के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन पावर स्टेशनों पर वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।

2.1.7 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34(9) देखें।

2.1.8 एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(4), 34(18) और 34(32) देखें।

टिप्पणी सं. 2.2 : प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	01.04.2019 के अनुसार	संवर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2020 के अनुसार
सड़कें और पुल	92.99	2.94	-	88.80	7.13
भवन	906.11	76.37	2.11	55.05	929.54
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	4,520.38	521.42	6.13	16.67	5,031.26
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,584.49	134.14	0.49	68.55	2,650.57
संयंत्र तथा मशीनरी – सब–स्टेशन	2.98	1.31	-	4.29	-
संयंत्र तथा मशीनरी –ट्रांसमिशन लाइनें	1.28	1.15	(0.01)	0.90	1.52
संयंत्र तथा मशीनरी –अन्य	-	0.49	-	-	0.49
निर्माण उपकरण	-	0.02	-	0.02	-
जलापूर्ति प्रणाली / नालियां और सीवर प्रणाली	1.93	2.80	-	1.78	2.95
संस्थापना की प्रतीक्षा कर रही अन्य परिसंपत्तियां	12.37	41.62	(0.46)	38.51	15.02
सीडब्ल्यूआईपी – भारत सरकार की 5 किलोमीटर योजना के अंतर्गत परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	157.65	4.36	0.01	-	162.02
निर्माण के दौरान खर्च **(देखें टिप्पणी 32)**	7,178.58	871.92	(8.75)	13.12	8,028.63
उप जोड़	**15,458.76**	**1,658.54**	**(0.48)**	**287.69**	**16,829.13**
घटाएं : प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के लिए किया गया प्रावधान **(देखें टिप्पणी 2.2.2)**	666.05	154.73	-	-	820.78
उप जोड़ (क)	**14,792.71**	**1,503.81**	**(0.48)**	**287.69**	**16,008.35**
निर्माण भंडार	107.81		(17.16)		90.65
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	2.41		(1.06)		1.35
उप जोड़ (ख)	**105.40**	-	**(16.10)**	-	**89.30**
कुल (क + ख)	**14,898.11**	**1,503.81**	**(16.58)**	**287.69**	**16,097.65**
गत वर्ष	**18,813.96**	**1,518.48**	**(84.37)**	**5,349.96**	**14,898.11**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :–

2.2.1 निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) के अंतर्गत पूंजी की ऋण लागत के रूप में 661.57 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 365.73 करोड़ रुपए) शामिल हैं। **(टिप्पणी–32 भी देखें)**

2.2.2 प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 1141.05 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1419.98 करोड़ रुपए) का संचित व्यय शामिल है जो 119.54 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 148.93 करोड़ रुपए) के सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्शी और पर्यवेक्षण प्रभार सहित है। इसमें से 43.52 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 43.52 करोड़ रुपए) की राशि सुबनसिरी अपर परियोजना से संबंधित है, जिसे अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी डेवलपर को सौंपने का निर्णय लिया गया है, तथापि, परियोजना को सौंपने और इस पर किए एक व्यय की वसूली लम्बित होने तक पर्याप्त सावधानी के तौर पर बहियों में यह राशि पहले ही मुहैया करवाई गई है। कंपनी के पास होने वाली परियोजनाओं से संबंधित 1097.53 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1376.46 करोड़ रुपए) के शेष में से 777.26 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 622.53 करोड़ रुपए) की राशि को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में पर्याप्त सावधानी के रूप में मुहैया करवाया गया है जहाँ अनिश्चितताएं शामिल हैं और 320.27 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 753.93 करोड़ रुपए) अन्य परियोजनाओं से संबंधित है जहाँ स्वीकृति प्राप्त करने की तर्कसंगत निश्चितता है तथा उन्हें अग्रेनित किया गया है। **(टिप्पणी 34(24), 34(25), 34(26) और 34(27) भी देखें)**

2.2.3 सियांग बेसिन, सुबनसिरी बेसिन और दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को हिसाब में लिया गया है। सियांग लोवर और सियोम जलविद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबनसिरी मिडल (सुबनसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासक को सौंपी जा चुकीं हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के खातों के समाधान से उत्पन्न होने वाली देयता संबंद्ध निजी विकासक से वसूल की जाएगी।

2.2.4 भूमि/इस्तेमाल का अधिकार वाली भूमि पर किए गए 2234.15 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2172.97 करोड़ रुपए) के व्यय वाले भूमिगत कार्यों को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंद्ध शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2.2.5 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34(9) देखें।

2.2.6 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय के साथ संशोधन होते है क्योंकि जलविद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती है और कुछ में परिकल्पित से अधिक समय लगता है। जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते अवधि के दौरान वहन किए गए व्यय को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में अग्रेनीत किया जाता है।

2.2.7 अंनतिम आधार पर पूंजीयन की गई परिसम्पतियों के लिए एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(4) देखें।

2.2.8 परिसम्पतियों की अक्षमता से संबंधित सूचना एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(18) देखें।

2.2.9 पूंजी कार्य प्रगति पर में 7263.48 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 6317.39 करोड़ रुपए) की सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना से संबंधित राशि शामिल है जिसके सक्रिय निर्माण क्रियाकलाप दिसम्बर 2011 से सितम्बर 2019 तक बाधित रहने के पश्चात अक्तूबर, 2019 में प्रारंभ हो गए हैं।

टिप्पणी सं. 2.2 : प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	01.04.2018 के अनुसार	संवर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2019 के अनुसार
सड़कें और पुल	98.56	4.23	-	9.80	92.99
भवन	1,153.58	48.61	(32.05)	264.03	906.11
भवन – पट्टे के अधीन	-	17.01	-	17.01	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	7,096.80	487.45	-	3,063.87	4,520.38
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,184.09	139.26	(0.02)	738.84	2,584.49
संयंत्र तथा मशीनरी – सब–स्टेशन	14.79	0.10	(10.07)	1.84	2.98
संयंत्र तथा मशीनरी –ट्रांसमिशन लाइनें	1.76	0.60	-	1.08	1.28
संयंत्र तथा मशीनरी –अन्य	0.49	-	(0.49)	-	-
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	3.61	3.43	(0.11)	5.00	1.93
संस्थापना की प्रतीक्षा कर रही अन्य परिसंपत्तियां	9.33	29.76	(0.02)	26.70	12.37
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	287.26	6.77	-	136.38	157.65
निर्माण के दौरान खर्च **(देखें टिप्पणी 32)**	7,422.21	841.78	-	1,085.41	7,178.58
उप जोड़	**19,272.48**	**1,579.00**	**(42.76)**	**5,349.96**	**15,458.76**
घटाएं : प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के लिए किया गया प्रावधान **(देखें टिप्पणी 2.2.2)**	605.53	60.52	-	-	666.05
उप जोड़ (क)	**18,666.95**	**1,518.48**	**(42.76)**	**5,349.96**	**14,792.71**
निर्माण भंडार	148.25		(40.44)		107.81
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	1.24		1.17		2.41
उप जोड़ (ख)	**147.01**	-	**(41.61)**	-	**105.40**
कुल (क + ख)	**18,813.96**	**1,518.48**	**(84.37)**	**5,349.96**	**14,898.11**
गत वर्ष	17,350.13	1,841.98	33.35	411.50	18,813.96

व्याख्यात्मक टिप्पणी :–

2.2.1 निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) के अंतर्गत पूंजी की ऋण लागत के रूप में 367.95 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 388.68 करोड़ रुपए) शामिल हैं। **(टिप्पणी–32 भी देखें)।**

2.2.2 प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 1419.98 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1287.92 करोड़ रुपए) का संचित व्यय शामिल है। इसमें से 43.52 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 43.52 करोड़ रुपए) की राशि सुबनसिरी अपर परियोजना से संबंधित है, जिसे अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी डेवलपर को सौंपने का निर्णय लिया गया है, तथापि, परियोजना को सौंपने और इस पर किए एक व्यय की वसूली लम्बित होने तक पर्याप्त सावधानी के तौर पर बहियों में यह राशि पहले ही मुहैया करवाई गई है। कंपनी के पास होने वाली परियोजनाओं से संबंधित 1376.46 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1244.40 करोड़ रुपए) के शेष में से 622.53 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 562.01 करोड़ रुपए) की राशि को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में पर्याप्त सावधानी के रूप में मुहैया करवाया गया है जहाँ अनिश्चितताएं शामिल हैं और 753.93 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 682.39 करोड़ रुपए) अन्य परियोजनाओं से संबंधित है जहाँ स्वीकृति प्राप्त करने की तर्कसंगत निश्चितता है तथा उन्हें अग्रेनित किया गया है। **(टिप्पणी 34(24), 34(25), 34(26) और 34(27) भी देखें)।**

2.2.3 सियांग बेसिन, सुबनसिरी बेसिन और दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को हिसाब में लिया गया है। सियांग लोवर और सियोम जलविद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबनसिरी मिडल (सुबनसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासक को सौंपी जा चुकीं हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के खातों के समाधान से उत्पन्न होने वाली देयता संबद्ध निजी विकासक से वसूल की जाएगी।

2.2.4 भूमि/इस्तेमाल का अधिकार वाली भूमि पर किए गए 2172.97 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 5177.50 करोड़ रुपए) के व्यय वाले भूमिगत कार्यों को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2.2.5 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34(9) देखें।

2.2.6 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय के साथ संशोधन होते है क्योंकि जलविद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती है और कुछ में परिकल्पित से अधिक समय लगता है। जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते अवधि के दौरान वहन किए गए व्यय को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में अग्रेनीत किया जाता है।

2.2.7 प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य में सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 6638.37 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 6317.39 करोड़ रूपए) का संचयी व्यय शामिल है, जहाँ निर्माण क्रियाकलाप 16.12.2011 से बाधित हैं और यह मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पास लंबित है। **(टिप्पणी 34(22क) देखें)।**

2.2.8 एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(4) और 34(18) देखें।

टिप्पणी सं. 2.3 उपयोग परिसंपत्तियों का अधिकार

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक						मूल्यह्रास/परिशोधन					निवल ब्लाक	
	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकरण	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकरण	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि – पट्टाधारी **(देखें टिप्पणी 2.3.1)**	9.10	302.58	3.76	-	-	315.44	-	22.08	11.57	-	33.65	281.79	
पट्टे के अधीन भवन **(देखें टिप्पणी 2.3.2)**	3.61	17.01	0.97	0.32	-	21.27	-	0.36	2.09	(0.07)	2.38	18.89	
वाहन	2.19	-	1.30	0.05	-	3.44	-	-	1.96	(0.03)	1.93	1.51	
भूमि – उपयोग का अधिकार	-	933.19	630.84	-	-	1,564.03	-	27.54	11.70	-	39.24	1,524.79	-
कुल	14.90	1,252.78	636.87	0.37	-	1,904.18	-	49.98	27.32	(0.10)	77.20	1,826.98	-
गत वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी :–

2.3.1 क) पट्टाधारित भूमि में 2.72 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2.72 हेक्टेयर) की सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से सुबनसिरी अपर परियोजना के लिए 1/– रूपए के सांकेतिक मूल्य पर 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर प्राप्त की गई भूमि शामिल है। इस भूमि में से 1.06 हेक्टयर (पिछले वर्ष 1.06 हेक्टेयर) भूमि भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को सौंप दी गई है।

ख) अन्य यूनिटों के संबंध में 530.88 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 519.68 हेक्टेयर) क्षेत्र के 251.20 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 247.90 करोड़ रूपए) मूल्य की राशि की पट्टाधारित भूमि से संबधित पट्टा करार अभी निष्पादित/पारित नहीं किए गए हैं।

ग) पट्टाधारित भूमि में वर्ष के दौरान इंड एएस–116 के अनुसरण में उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के रूप में स्वीकृत 9.41 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए) की राशि शामिल है जिसे पहले प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। इंड एएस 116 के अंतर्गत इसके प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 34(16) देखें।

2.3.2 "पट्टे के अंतर्गत भवन"में किदवई नगर, नई दिल्ली में स्थित 17.01 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 17.01 करोड़ रूपए) की राशि का 5001 वर्ग फुट भवन स्थल शामिल है जिसका अधिग्रहण वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान किया गया था। इससे संबंधित पट्टा करार का संपादन अभी लंबित है।

2.3.3 बैंकों में सम्बद्ध ऋणों की प्रतिभूति के प्रति समान रूप में बंधक/रेहन की गई गैर–चालू परिसम्पतियों से संबंधित जानकारी के लिए एकल वित्तीय विवरण के लिए कृपया टिप्पणी संख्या 34(9) देखें।

2.3.4 एकल वित्तीय विवरणों में परिसंपतियों की अक्षमता से संबंधित सूचना टिप्पणी संख्या 34(18) में दी गई है।

2.3.5 पट्टाधारित भूमि, पट्टाधारित भवन एवं उपयोग अधिकार वाली भूमि से संबंधित 1252.78 करोड़ रूपए की राशि का पुनःवर्गीकरण वर्ष के दौरान सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पतियों के रूप में इंड एएस–116 पट्टे के कारण किया गया है।

2.3.6 परिसम्पतियों के सकल ब्लॉक तथा पूर्ववर्ती स्वीकृत लेखांकन प्रक्रियाओं के अनुसार संचित मूल्यह्रास के अनुसार उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के अतिरिक्त प्रकटीकरण इस टिप्पणी के अनुबंध–I में दिए गए हैं।

टिप्पणी सं. 2.3 का अनुबंध–1 उपयोग परिसंपत्तियों का अधिकार

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक						मूल्यह्रास/परिशोधन					निवल ब्लाक	
	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकरण	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकरण	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि – पट्टाधारी	9.10	316.00	3.76	-	(0.01)	328.85	-	35.49	11.57	-	47.06	281.79	
पट्टे के अधीन भवन	3.61	17.01	0.97	0.32	.	21.27	-	0.36	2.09	(0.07)	2.38	18.89	
वाहन	2.19	-	1.30	0.05	-	3.44	-	-	1.96	(0.03)	1.93	1.51	
भूमि – उपयोग का अधिकार	-	962.14	630.84	-	-	1,592.98	-	56.49	11.70	-	68.19	1,524.79	-
कुल	14.90	1,295.15	636.87	0.37	(0.01)	1,946.54	.	92.34	27.32	(0.10)	119.56	1,826.98	.
गत वर्ष	-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी सं. 2.4 निवेश संपत्ति

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2019 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि – फ्रीहोल्ड	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-	-	4.49	4.49
कुल	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-	-	4.49	4.49
गत वर्ष	**4.49**	-	-	-	**4.49**	-	-	-	-	**4.49**	

2.4.1 निवेश संपत्ति हेतु लाभ या हानि में मान्यता प्रदान की गई राशि

(करोड़ रूपए में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया आय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य

(करोड़ रूपए में)

	1.1.2020 को	31.03.2019 को
2.4.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य	53.58	53.58

2.4.3 निवेश संपत्ति में फ्री–होल्ड भूमि शामिल होती है जिसे कंपनी द्वारा सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण कंपनी संपत्ति के भविष्य के उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इंड एएस 40, निवेश संपत्ति उदाहरण के द्वारा यह प्रावधान करता है कि वर्तमान में गैर–निर्धारित भविष्य उपयोग के लिए रखी गई किसी भूमि को पूंजी वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और अतः इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

2.4.4 मूल्यांकन प्रक्रिया

उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। तथापि, निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बाजार मूल्य के आधार पर निकाला गया है तथा इसे उचित मूल्यांकन स्तर के स्तर–3 का माना जाता है।

टिप्पणी सं. 2.4 निवेश संपत्ति

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2018 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2019 को	01.04.2018 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2019 को	31.03.2019 को	31.03.2018 को
भूमि – फ्रीहोल्ड	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-	-	4.49	4.49
कुल	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-	-	4.49	4.49
गत वर्ष	**4.49**	-	-	-	**4.49**	-	-	-	-	**4.49**	

2.4.1 निवेश संपत्ति हेतु लाभ या हानि में मान्यता प्रदान की गई राशि

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया आय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.3.2019 को	31.03.2018 को
2.4.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य	53.58	53.58

2.4.3 निवेश संपत्ति में फ्री–होल्ड भूमि शामिल होती है जिसे कंपनी द्वारा सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण कंपनी संपत्ति के भविष्य के उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इंड एएस 40, निवेश संपत्ति उदाहरण के द्वारा यह प्रावधान करता है कि वर्तमान में गैर–निर्धारित भविष्य उपयोग के लिए रखी गई किसी भूमि को पूंजी वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और अतः इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

2.4.4 **मूल्यांकन प्रक्रिया**

उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। तथापि, निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बाजार मूल्य के आधार पर निकाला गया है तथा इसे उचित मूल्यांकन स्तर के स्तर–2 का माना जाता है।

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक						परिशोधन						निवल ब्लाक	
	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनवर्गीकरण	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनवर्गीकरण	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि – उपयोग का अधिकार (देखें टिप्पणी 2.5.1)	933.19	(933.19)	-	-	-	-	27.54	(27.54)	-	-	-	-	905.65
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	10.33	-	0.66	0.03	-	10.96	9.32	-	0.95	(0.03)	10.24	0.72	1.01
कुल	**943.52**	**(933.19)**	**0.66**	**0.03**	**-**	**10.96**	**36.86**	**(27.54)**	**0.95**	**(0.03)**	**10.24**	**0.72**	**906.66**
गत वर्ष	**948.11**	**-**	**0.85**	**-**	**(5.44)**	**943.52**	**24.73**	**-**	**11.24**	**0.89**	**36.86**	**906.66**	**923.38**

टिप्पणी :–

2.5.1 भूमि – 933.19 करोड़ रूपए की राशि के उपयोग के अधिकार को इंड एएस–116 के कारण पुनः वर्गीकृत किया गया है और उन्हें तुलन–पत्र में परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इंड एएस 116 के अंतर्गत आगे प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 34(16) देखें।

2.5.2 अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के अतिरिक्त प्रकटीकरण परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास इस टिप्पणी के अनुबंध–। में मुहैया करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणी सं. 2.5 का अनुबंध–। अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक						परिशोधन						निवल ब्लाक	
	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनवर्गीकरण	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनवर्गीकरण	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि – उपयोग का अधिकार	962.14	(962.14)	-	-	-	-	56.49	(56.49)	-	-	-	-	905.65
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	48.10	-	0.66	0.17	-	48.59	47.09	-	0.95	(0.17)	47.87	0.72	1.01
कुल	1,010.24	(962.14)	0.66	0.17	-	48.59	103.58	(56.49)	0.95	(0.17)	47.87	0.72	906.66
गत वर्ष	1,016.12	-	0.85	0.33	(6.40)	1,010.24	92.74	-	11.24	(0.40)	103.58	906.66	

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2018 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2019 को	01.04.2018 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2019 को	31.03.2019 को	31.03.2018 को
भूमि – उपयोग का अधिकार	938.64	-	-	(5.45)	933.19	16.67	9.99	0.88	27.54	905.65	921.97
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	9.47	0.85	-	0.01	10.33	8.06	1.25	0.01	9.32	1.01	1.41
कुल	**948.11**	**0.85**	-	**(5.44)**	**943.52**	**24.73**	**11.24**	**0.89**	**36.86**	**906.66**	**923.38**
गत वर्ष	950.20	1.41	-	(3.50)	948.11	16.06	8.66	0.01	24.73	923.38	

टिप्पणी : अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के अतिरिक्त प्रकटीकरण परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास इस टिप्पणी के अनुबंध–। में मुहैया करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2018 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2019 को	01.04.2018 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2019 को	31.03.2019 को	31.03.2018 को
भूमि – उपयोग का अधिकार	968.47	-	-	(6.33)	962.14	46.50	9.99	-	56.49	905.65	921.97
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	47.65	0.85	0.33	(0.07)	48.10	46.24	1.25	(0.40)	47.09	1.01	1.41
कुल	**1,016.12**	**0.85**	**0.33**	**(6.40)**	**1,010.24**	**92.74**	**11.24**	**(0.40)**	**103.58**	**906.66**	**923.38**
गत वर्ष	1,018.23	1.41	0.02	(3.50)	1,016.12	84.09	8.66	(0.01)	92.74	923.38	

टिप्पणी सं. 3.1 : गैर वर्तमान निवेश

	विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
		शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिट में)	राशि (करोड़ रुपए में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिट में)	राशि (करोड़ रुपए में)
क.	**उद्धृत इक्विटी निवेश – अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर कारपोरेट निकाय**				
	इंडियन ओवरसीज बैंक (पूर्णतः प्रदत्त) (10 रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	360800	0.25	360800	0.52
	पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्णतः प्रदत्त) (10 रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	12000000	46.32	12000000	88.14
	कुल (क)		**46.57**		**88.66**
ख.	**अनुद्धृत इक्विटी लिखत – लागत पर**				
	(1) अनुषंगी कम्पनियां में (पूर्ण प्रदत्त)				
	– एनएचडीसी लिमिटेड (1000/– रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	10024200	1,002.42	10024200	1,002.42
	– लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड **(देखें टिप्पणी 34(8)** (10 रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	90292309	90.29	87092309	87.09
	– बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड **(देखें टिप्पणी 34(8)**	4999999	5.00	3999999	4.00
	(10 रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	920500000	920.50	-	-
	– लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड **(देखें टिप्पणी 34(8)** (10 रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)				
	(2) **संयुक्त उद्यम (पूर्ण प्रदत्त)**				
	– चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड **(देखें टिप्पणी 34.8)** (10 रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	888000000	888.00	747550000	747.55
	– नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड (10 रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	30400000	30.40	30400000	30.40
	कुल (ख)		**2936.61**		**1,871.46**
ग.	**उद्धृत ऋण निवेश – अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर**				
(क)	**सरकारी प्रतिभूतियां (देखें टिप्पणी 3.1.2 और 3.1.4)**				
	8.35 प्रतिशत एसबीआई राइट्स इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 27 मार्च, 2024 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	150000	162.76	150000	157.11
	8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बॉण्ड 15 सितम्बर, 2024 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	12380	13.36	12380	12.90
	8.28 प्रतिशत भारत सरकार 21 सितम्बर, 2027 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	57000	62.52	57000	59.77

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिट में)	राशि (करोड़ रुपए में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिट में)	राशि (करोड़ रुपए में)
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 15 फरवरी, 2032 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	35000	39.38	35000	36.89
8.32 प्रतिशत भारत सरकार 02 अगस्त, 2032 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	34000	38.24	34000	35.99
उप जोड़ (क)		**335.93**		**321.42**
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कारपोरेट्स बांड्स में निवेश				
7.41 प्रतिशत आईआईएफसीएल कर मुक्त बाण्ड 15.11.2032 (10,00,000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	120	13.79	120	13.89
8.12 प्रतिशत आरईसी कर मुक्त बाण्ड 27.03.2027 (1000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	100000	11.94	100000	11.83
8.48 एनएचएआई कर मुक्त 22.11.2028 (10,00,000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	473	55.90	473	54.40
उप–जोड़ (ख)		**81.63**		**80.12**
कुल (ग) (क + ख)		**417.56**		**401.54**
कुल (क+ख+ग)		**3,400.74**		**2,361.66**
3.1.1 (i) उद्धृत निवेश की समग्र राशि और बाजार मूल्य		464.13		490.20
(ii) अनुद्धृत निवेश की समग्र राशि		2936.61		1,871.46

3.1.2 165.50 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 165.50 करोड़ रूपए) लागत पर सरकारी प्रतिभूति में निवेश को वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान परिपक्व हो रहे ऋण–पत्र के कुल चुकौती मूल्य का 15 प्रतिशत होने के चलते 165.42 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 165.42 करोड़ रूपए) के प्रति प्रतिभूति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

3.1.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अनुसार यथा अपेक्षित निवेश के ब्यौरे को उपर्युक्त टिप्पणी सं. 3.1 के अंतर्गत प्रकट किया गया है।

3.1.4 ऋण लिखतों के संबंध में उद्धृत निवेश जिसके लिए दर–सूची उपलब्ध नहीं है, उसके बाजार मूल्य को फिक्स्ड इन्कम मनी मार्किट एण्ड डिराइवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रकाशित मूल्यों के आधार पर लिया गया है।

टिप्पणी सं. 3.2 : गैर वर्तमान – वित्तीय परिसंपत्तियां – प्राप्य व्यापार

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
– अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-	61.51
जोड़	**-**	**61.51**

टिप्पणी सं. 3.3 : गैर वर्तमान – वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
परिशोधित लागत पर		
क. जमा		
– अच्छे माने गए – अप्रतिभूत	22.45	21.49
उप जोड़	**22.45**	**21.49**
ख. कर्मचारियों को ऋण (देखें टिप्पणी 3.3.1)		
– अच्छे माने गए – प्रतिभूत	97.16	102.53
– अच्छे माने गए – अप्रतिभूत	3.24	2.39
उप जोड़	**100.40**	**104.92**
ग. अरूणाचल प्रदेश सरकार को ब्याज सहित ऋण (देखें टिप्पणी 3.3.2 और 3.3.4)		
– अच्छे माने गए – अप्रतिभूत	675.80	620.00
उप जोड़	**675.80**	**620.00**
कुल	**798.65**	**746.41**
3.3.1 कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय	शून्य	शून्य
3.3.2 अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण में निम्नलिखित शामिल हैं :		
– मूलधन	225.00	225.00
– ब्याज	450.80	395.00

3.3.3 ऋण गैर–व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां है जो कंपनी हेतु एक स्थिर तथा परिवर्तनशील ब्याज आय उत्पन्न करती है। वहन राशि दूसरे पक्ष के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण प्रभावित हो सकती है।

3.3.4 व्यापार प्रयोजन हेतु दिए गए ऋणों को दर्शाता है।

3.3.5 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 3.4 : गैर वर्तमान – वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क.	12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा	0.35	0.35
ख.	प्राप्य पट्टा किराया **(देखें टिप्पणी 34(16)(ख))**	1,384.63	1,449.61
ग.	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण प्राप्य राशि **(देखें टिप्पणी 3.4.1 और 11(ज) भी देखें)**	2,017.20	2,017.20
घ.	निम्नलिखित पर प्रोदभूत ब्याज		
	– 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा	0.02	-
ङ.	व्युत्पन्न मार्क से बाजार परिसंपत्ति	33.71	-
	कुल	**3,435.91**	**3,467.16**

3.4.1 भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्डों के प्रति देय राशि के संबंध में टिप्पणी 16.2.1 देखें।

3.4.2 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 4 : अन्य गैर–वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अग्रिम आय कर और स्रोत पर कटौती किया गया कर	1,472.68	1,463.81
घटाएं : वर्तमान कर हेतु प्रावधान	1,333.78	1,331.86
कुल	**138.90**	**131.95**

टिप्पणी सं. 5 : अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

	विवरण		31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क.	**पूंजीगत अग्रिम**			
	– अच्छे समझे गए - प्रतिभूत		45.06	1.22
	– अच्छे समझे गए - अप्रतिभूत			
	– बैंक गारंटी के बदले		164.73	255.49
	– अन्य **(देखें टिप्पणी 5.1)**		198.23	243.97
	घटाएं : उपयोग प्रमाण–पत्र लंबित होने पर बुक किए गए व्यय		30.28	42.68
	– संदिग्ध समझे गए - अप्रतिभूत		10.20	4.49
	घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान **(देखें टिप्पणी 5.2)**		10.20	4.49
		उप जोड़	377.74	458.00
ख.	**पूंजीगत जमा के अतिरिक्त अन्य अग्रिम**			
1)	**जमा राशियां**			
	– अच्छे समझे गए - अप्रतिभूत		0.53	0.53
	– संदिग्ध समझे गए - अप्रतिभूत		0.04	0.04
	घटाएं : संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान **(देखें टिप्पणी 5.3)**		0.04	0.04
		उप जोड़	0.53	0.53
2)	**अन्य अग्रिम**			
	– अच्छे समझे गए - अप्रतिभूत		0.49	0.73
		उप जोड़	0.49	0.73
ग.	**प्रोदभूत ब्याज**			
	अन्य			
	– अच्छे समझे गए - अप्रतिभूत		47.97	-
		उप जोड़	47.97	-
घ.	**अन्य**			
1)	**पूंजीगत कार्यों के प्रति माध्यस्थम के प्रति अग्रिम (अप्रतिभूत)**			
	संविदाकारों को जारी - बैंक गारंटी के प्रति		697.09	617.39
	संविदाकारों को जारी - अन्य		34.61	34.61
	न्यायालय के पास जमा		1,222.90	334.24
		उप जोड़	1,954.60	986.24
2)	**विलंबित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियां / व्यय**			
	विलंबित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियां		468.37	398.56
	विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव पर विलंबित व्यय		131.53	130.91
		उप जोड़	599.90	529.47
3)	**कर्मचारी ऋणों पर विलंबित लागत**		42.38	46.38
		कुल	**3,023.61**	**2,021.35**

5.1 पूंजीगत अग्रिम – अन्य में चमेरा–III पावर स्टेशन से पानी के रिसाव / लीक होने के कारण क्षतिग्रस्त मकानों / दुकानों हेतु ग्रामवासियों को प्रतिपूर्ति के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के पास जमा शून्य रूपए (पिछले वर्ष 41.34 करोड़ रूपए) की राशि शामिल है।

5.2	**संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	4.49	4.49
	समायोजन	5.82	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.11	-
	अंतिम शेष	**10.20**	**4.49**
5.3	**संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	0.04	0.04
	अंतिम शेष	**0.04**	**0.04**

5.4 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 6 : मालसूची

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
	(लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य के निम्नतर पर मूल्यांकित)		
	भंडार तथा कलपुर्जे	121.38	120.44
	परिवहन/निरीक्षण लंबित होने वाले भंडार	0.81	2.00
	खुले औजार	2.51	2.43
	रद्दी मालसूची	1.29	0.35
	संविदाकारों/फैब्रीकेटरों को जारी सामग्री	-	0.02
	घटाएं : अप्रचलित तथा मूल्य में कमी के लिए प्रावधान **(देखें टिप्पणी 6.1)**	7.75	8.10
	कुल	118.24	**117.14**
6.1	**अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	8.10	8.95
	वर्ष के दौरान वर्धन **(देखें टिप्पणी 6.1.1)**	0.23	0.82
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.19	0.35
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.39	1.32
	अंतिम शेष	7.75	**8.10**
6.1.1	वर्ष के दौरान निवल वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) को पश्च लेखित माल–सूची और लाभ या हानि में व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की गई।	0.23	0.82
6.1.2	पहले के वर्ष के दौरान बुक किया गया और वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित मालसूची के मूल्य में अप्रचलन तथा कमी हेतु भत्ता	0.39	1.32

टिप्पणी सं. 7 : वित्तीय परिसंपत्ति – वर्तमान – प्राप्य व्यापार

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
	– प्राप्य व्यापार – अच्छे माने गए – अप्रतिभूत **(देखे टिप्पणी 7.2, 7.3 और 7.5)**	3,818.34	2,623.09
	– प्राप्य व्यापार – क्षतिग्रस्त ऋण **(देखे टिप्पणी 7.2 और 7.3)**	37.71	37.71
	घटाए – प्राप्य व्यापार हेतु क्षति भत्ता **(देखे टिप्पणी 7.1)**	37.71	37.71
	कुल	**3,818.34**	**2,623.09**
7.1	**व्यापार प्राप्यों हेतु अनुमेय क्षति**		
	प्रारंभिक शेष	37.71	37.71
	अंतिम शेष	**37.71**	**37.71**
7.2	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा अथवा उनमें से किसी एक द्वारा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय ऋण अथवा फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण जिसमें क्रमशः कंपनी का कोई निदेशक भागीदार अथवा निदेशक या कोई सदस्य है।	शून्य	शून्य
7.3	अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों तथा कंपनी के अन्य संबंधित पक्षों द्वारा उपर्युक्त बिन्दु 7.2 पर देय कोई ऋण	शून्य	शून्य

7.4 वर्तमान प्राप्तियों की अल्पावधि प्रकृति के कारण उनकी वहन राशि को उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।

7.5 विभिन्न बैंकों से बिलों की छूट के माध्यम से परिसमाप्त 714.31 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रूपए) की राशि के व्यापार प्राप्य को बिल छूट समझौते के मद्देनजर विमान्य किया गया है, इस समझौते के अनुसार कंपनी संबंधित लाभग्राहियों द्वारा चूक के मामले में ऋण हानियों के लिए बैंकों को प्रतिपूर्ति करने के लिए कंपनी गारंटी देती है। छूट दिए गए बिलों संबंधी मान्यताप्रदत्त देयता के संबंध में टिप्पणी 20.1.2 देखें।

7.6 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 8 : वित्तीय परिसंपत्ति – वर्तमान – नकदी और नकदी तुल्य

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क.	**बैंकों के साथ शेष**		
	अनुसूचित बैंकों के साथ		
	चालू खाते में	8.86	12.02
ख.	**हस्तगत चेक, ड्राफ्ट**	-	0.01
ग.	**हस्तगत नकदी (देखे टिप्पणी 8.1)**	0.01	0.01
	कुल	**8.87**	**12.04**
8.1	इसमें हस्तगत स्टाम्प शामिल हैं)	0.01	0.01

टिप्पणी सं. 9 : वित्तीय परिसंपत्ति – वर्तमान – नकदी और नकदी तुल्य के अतिरिक्त अन्य बैंक शेष

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क.	3 माह से अधिक और 12 माह तक की मूल परिपक्वता वाले बैंक जमा **(देखें टिप्पणी 9.1)**	268.82	253.82
ख.	जमा – अदा न किया गया लाभांश	22.64	19.17
ग.	जमा – अदा न किया गया ब्याज	86.90	86.92
घ.	बैंकों के साथ अन्य निश्चित की गई शेष	1.89	18.68
	कुल	**380.25**	**378.59**
9.1	जिन्हें कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे कार्यों हेतु धारित और कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध न होने वाले शेष शामिल है।	268.78	253.82
9.2	ऐसे शेष शामिल है जो कंपनी के व्यापार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है:		
	(1) अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए धारित	1.36	18.18
	(2) माननीय सिक्किम उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सृजित एनएचपीसी आपातकालीन राहत निधि	0.53	0.50

9.3 31.3.2019 को 18.68 करोड़ रूपए की राशि के बैंकों के साथ निर्दिष्ट जमा को ''नकदी और नकदी तुल्य'' से ''नकदी और नकदी तुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष'' में पुनः वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी सं. 10 : वित्तीय परिसंपत्ति – वर्तमान – ऋण

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क.	**जमा**		
	अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	0.48	0.62
	उप जोड़	**0.48**	**0.62**
ख.	संबंधित पक्ष को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित) – अप्रतिभूत (अच्छे माने गए) – नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (प्रा.) लिमिटेड **(देखें टिप्पणी 34(8))**	6.27	6.00
	उप जोड़	**6.27**	**6.00**
ग.	**कर्मचारी (प्रोदभूत ब्याज सहित) (देखें टिप्पणी 10.2)**		
	– प्राप्य ऋण – अच्छे माने गए – प्रतिभूत	13.07	15.79
	– प्राप्य ऋण – अच्छे माने गए – अप्रतिभूत	26.21	22.77
	– प्राप्य ऋण जिनमें ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि है	0.01	0.01
	घटाएं – ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले ऋणों हेतु क्षति भत्ता (देखें टिप्पणी 10.1)	**0.01**	**0.01**
	उप जोड़	**39.28**	**38.56**
	कुल	**46.03**	**45.18**

	विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
10.1	**ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले ऋणों हेतु क्षति भत्ता**		
	प्रारंभिक शेष	0.01	0.03
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	0.02
	अंतिम शेष	**0.01**	**0.01**
10.2	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय	0.05	0.05
10.3	फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या कोई सदस्य है	शून्य	शून्य

10.4 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अनुसार यथापेक्षित ऋणों के ब्यौरे को उपर्युक्त टिप्पणी 10 के अंतर्गत प्रकट किया गया है।

10.5 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 11 : वित्तीय परिसंपत्ति – वर्तमान – अन्य

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
	क) अन्य वसूली योग्य राशि	727.07	519.45
	घटाएं – संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान **(देखें टिप्पणी 11.1)**	285.72	203.37
	उप जोड़	441.35	316.08
	ख) बैंक जमा पर प्रोदभूत ब्याज आय	0.19	2.62
	ग) बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य **(देखें टिप्पणी 11.2)**	2,146.83	1,501.73
	घ) अनुषंगी कंपनियां/संयुक्त उद्यमियों से प्राप्य **(देखें टिप्पणी 11.3)**	49.25	98.28
	ङ) लाभार्थियों से वसूली योग्य ब्याज	3.52	1.87
	च) प्राप्य पट्टा किराया (वित्त पट्टा) **(देखें टिप्पणी 34(16)(ख))**	51.60	56.67
	छ) निवेश (बॉण्ड) पर प्रोदभूत ब्याज	2.52	2.52
	ज) भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्डों पर प्राप्य राशि **(देखें टिप्पणी 3.4(ग))** – प्रोदभूत ब्याज	4.48	4.49
	कुल	**2,699.74**	**1,984.26**
11.1	संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान		
	प्रारंभिक शेष	203.37	210.18
	वर्ष के दौरान वर्धन	85.69	4.84
	समायोजन	-	(1.75)
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	0.05
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	3.34	9.85
	अंतिम शेष	**285.72**	**203.37**
11.2	**निम्नलिखित के कारण प्राप्य को दर्शाते हैः**		
	इक्विटी पर प्रतिफल को सकल रूप देना	(40.78)	53.15
	जल उपकर	647.12	264.34
	मार्च माह हेतु बिल न की गई बिक्री	451.16	455.15
	संशोधन/अनुमोदन लंबित होने वाले वार्षिक स्थिर प्रभार – पार्बती–III पावर स्टेशन	-	16.11
	संशोधन/अनुमोदन लंबित होने वाले वार्षिक स्थिर प्रभार – चमेरा–III पावर स्टेशन	-	2.83
	संशोधन/अनुमोदन लंबित होने वाले वार्षिक स्थिर प्रभार – सेवा–II पावर स्टेशन	-	214.04
	संशोधन/अनुमोदन लंबित होने वाले वार्षिक स्थिर प्रभार – टीएलडीपी–IV पावर स्टेशन	128.65	93.43
	पुनः वित्त–पोषण और बॉण्ड इश्यु व्यय के कारण बचत	(2.66)	(58.77)
	मूर्त रूप दिए गए विलंबित कर सहित कर समायोजन	133.05	105.69
	ऊर्जा में कमी	149.52	151.75
	वस्तु और सेवा कर का अतिरिक्त प्रभाव	112.59	55.83
	प्रचालन और अनुरक्षण व्यय – बैरास्यूल	-	40.14

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
विदेशी विनिमय दर अंतर	43.68	93.67
ओ एण्ड एम और सुरक्षा व्यय – नए टैरिफ विनियमन 2019–24 के अनुसार वृद्धि	243.17	-
परियोजना काल में परिवर्तन के कारण मूल्यह्रास	(47.91)	-
मजदूरी संशोधन	204.85	-
बिल न किए गए देनदार – विद्युत व्यापार व्यवसाय	58.03	-
वार्षिक स्थिर प्रभार का संशोधन – सेवा–II, उड़ी–II, चमेरा–III और टीएलडीपी–III पावर स्टेशन	92.33	-
2014–19 की ट्रुइंग अप और 2019–24 के लिए दायर याचिका का प्रभाव	83.89	-
दर संशोधन – टीएलडीपी–III पावर स्टेशन	(123.18)	-
अन्य	13.32	14.37
कुल	**2,146.83**	**1,501.73**

11.3 अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम से प्राप्य में किरू और क्वार जलविद्युत परियोजनाओं पर किए गए व्यय के लिए कंपनी का दावा शामिल है जिन्हें मैसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीसी, जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन और पीटीसी इंडिया लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) को अंतरित किया गया है।

11.4 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 12 : वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्तमान कर परिसंपत्तियां		
वर्तमान कर **(देखें टिप्पणी सं.–23)**	86.95	61.22
कुल	**86.95**	**61.22**

टिप्पणी सं. 13 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क.	**पूंजीगत अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम**		
क)	**जमा**		
	– अच्छे समझे गए – अप्रतिभूत	30.68	88.70
	घटाए : सरकारी विभागों द्वारा प्रस्तुत मांग के प्रति बुक किया गया व्यय	0.10	0.10
	– संदिग्ध समझे गए – अप्रतिभूत	0.01	0.01
	घटाए : संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान **(देखें टिप्पणी 13.1)**	0.01	0.01
	उप जोड़	**30.58**	**88.60**
ख)	**संविदाकार और आपूर्तिकार को अग्रिम (देखें टिप्पणी 13.7)**		
	– प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0.76	0.14
	– अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-
	बैंक गारंटी के प्रति	13.40	13.30
	अन्य	52.53	24.05
	घटाए : उपयोग प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा वाले व्यय हेतु प्रावधान	12.26	0.14
	– अप्रतिभूत (संदिग्ध माने गए)	45.52	45.52
	घटाए : संदिग्ध अग्रिम हेतु प्रावधान **(देखें टिप्पणी 13.2)**	45.52	45.52
	उप जोड़	**54.43**	**37.35**
ग)	**अन्य अग्रिम – कर्मचारी**		
	– अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए) **(देखें टिप्पणी 13.6)**	2.88	0.79
	उप जोड़	**2.88**	**0.79**

	विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
घ)	**निम्न पर प्रोदभूत ब्याजः**		
	अन्य		
	– अच्छे समझे गए	67.45	11.05
	– संदिग्ध माने गए	-	108.90
	घटाए : संदिग्ध ब्याज हेतु प्रावधान **(देखें टिप्पणी 13.3)**	-	108.90
	उप जोड़	**67.45**	**11.05**
ख.	**अन्य**		
क)	समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय	37.06	37.06
	घटाए : पश्चलेखन की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाले परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान **(देखें टिप्पणी 13.4)**	37.06	37.06
	उप जोड़	-	-
ख)	पश्च लेखन स्वीकृति/जांच लंबित हेतु प्रतीक्षित हानियां	11.45	39.20
	घटाए : लंबित जांच/पश्चलेखन की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियों हेतु प्रावधान **(देखें टिप्पणी 13.5)**	11.45	39.20
	उप जोड़	-	-
ग)	**पूर्वप्रदत्त व्यय**	131.06	92.74
घ)	**विलंबित कर्मचारी लागत**	4.75	5.00
ङ)	**विलंबित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव**		
	विलंबित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियां	38.32	30.83
	विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव पर विलंबित व्यय	1.71	7.93
च)	**अधिशेष/अप्रचलित परिसंपत्तियां (देखें टिप्पणी 13.8)**	5.47	3.58
छ)	**प्राप्य वस्तु और सेवा कर इनपुट**	15.47	13.82
ज)	**आय कर प्रतिदाय**	40.19	40.19
झ)	**अन्य (मुख्यतः संविदाकारों को जारी सामग्री के कारण)**	35.59	23.37
	कुल	**427.90**	**355.25**
13.1	**संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	0.01	-
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	0.01
	अंतिम शेष	**0.01**	**0.01**
13.2	**संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान (संविदाकार और आपूर्तिकार)**		
	प्रारंभिक शेष	45.52	45.52
	अंतिम शेष	**45.52**	**45.52**
13.3	**संदिग्ध प्रोदभूत ब्याज हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	108.90	104.11
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	19.44
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	108.90	14.65
	अंतिम शेष	-	**108.90**
13.4	**पश्चलेखन स्वीकृति हेतु प्रतीक्षित परियोजना व्यय हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	37.06	37.06
	अंतिम शेष	**37.06**	**37.06**
13.5	**जांच लंबित/पश्चलेखन/स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियों हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	39.20	38.91
	वर्ष के दौरान वर्धन	0.26	0.16
	समायोजन	1.24	1.75
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	29.08	0.38
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.17	1.24
	अंतिम शेष	**11.45**	**39.20**
13.6	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा वर्ष के अंत में देय ऋण तथा अग्रिम	शून्य	शून्य
13.7	फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या कोई सदस्य है, से देय अग्रिम	शून्य	शून्य

13.8 निपटान हेतु धारित अधिशेष परिसंपत्तियों/अप्रचलित परिसंपत्तियों को बही मूल्य तथा निवल वसूलीयोग्य मूल्य से कम पर दर्शाया गया है

13.9 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 14 : नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क.	**सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष**		
	प्रारंभिक शेष	3,267.34	3,172.81
	वर्ष के दौरान वर्धन **(देखें टिप्पणी 31)**	203.25	94.53
	अंतिम शेष	**3,470.59**	**3,267.34**
ख.	**तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन**		
	प्रारंभिक शेष	631.90	428.05
	वर्ष के दौरान वर्धन (लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से) **(देखें टिप्पणी 31)**	-	203.85
	अंतिम शेष	**631.90**	**631.90**
ग.	**किशनगंगा पावर स्टेशन : टैरिफ को मंद किए जाने के कारण विभेदीय मूल्यह्रास**		
	प्रारंभिक शेष	171.98	-
	वर्ष के दौरान वर्धन **(देखें टिप्पणी 31)**	195.62	171.98
	अंतिम शेष	**367.60**	**171.98**
घ.	**मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर**		
	प्रारंभिक शेष	(0.97)	(0.40)
	वर्ष के दौरान वर्धन **(देखें टिप्पणी 31)**	0.99	(0.57)
	अंतिम शेष	**0.02**	**(0.97)**
ङ.	**2009 तक की टैरिफ अवधि हेतु प्राप्य विलंबित कर के प्रति समायोजन**		
	प्रारंभिक शेष	1,654.73	1,792.03
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त **(देखें टिप्पणी 31)**	125.71	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	137.30
	अंतिम शेष	**1,529.02**	**1,654.73**
च.	**2014–2019 तक की टैरिफ अवधि हेतु विलंबित कर देयताओं के प्रति समायोजन**		
	प्रारंभिक शेष	767.63	276.72
	वर्ष के दौरान वर्धन **(देखें टिप्पणी 31)**	69.46	490.91
	अंतिम शेष	**837.09**	**767.63**
	अंतिम शेष = (क+ख+ग+घ+ङ+च)	**6,836.22**	**6,492.61**
	घटाएं : नियामक विलंबित लेखा शेष पर विलंबित कर	(330.86)	(350.52)
	जोड़े : लाभग्राहियों से प्राप्य विलंबित कर	(330.86)	(350.52)
	विलंबित कर का नियामक विलंबित लेखा शेष निवल	**6,836.22**	**6,492.61**

14.1 एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी – 34(18) और 34 (22) देखें।

टिप्पणी संख्या 15.1 : इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)
प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/–रुपए)	15000000000	15,000.00	15000000000	15,000.00
जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/–रुपए)	10045034805	10,045.03	10045034805	10,045.03

15.1.1 : रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान :

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)
प्रारंभिक शेष	10045034805	10,045.03	10259320519	10,259.32
घटाएं : वर्ष के दौरान शेयरों की पुनः खरीद	-	-	214285714	214.29
अंतिम शेष	10045034805	10,045.03	10045034805	10,045.03

15.1.2 कंपनी ने केवल एक तरह के शेयर जारी किए हैं, जो शेयरधारकों की शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग राइट्स के साथ जारी किए गए हैं। इन वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक समय–समय पर घोषित लाभांश लेने के भी हकदार हैं।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमानी राशियों के वितरण के बाद, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

15.1.3 कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक की धारिता वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या निर्दिष्ट करते हुए शेयरः

	31 मार्च, 2020 के अनुसार		31 मार्च, 2019 के अनुसार	
	संख्या	प्रतिशत में	संख्या	प्रतिशत में
भारत के राष्ट्रपति	7126772676	70.95%	7365964993	73.33%
भारतीय जीवन बीमा निगम	736631947	7.33%	734379599	7.31%

15.1.4 10 रूपए प्रत्येक के 1,02,56,33,691 इक्विटी शेयर तुलन–पत्र की तिथि से तत्काल पहले के पांच वर्षों की अवधि के दौरान वापस खरीदे गए थे।

टिप्पणी सं. 15.2 : अन्य इक्विटी

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(1) **पूंजी मोचन आरक्षित**		
पिछले तुलन–पत्रक के अनुसार	2,255.71	2,041.42
जोड़े : सामान्य आरक्षित से अंतरित	-	214.29
तुलन–पत्रक की तारीख पर	**2,255.71**	**2,255.71**
(2) **प्रतिभूति प्रीमियम खाता**		
पिछले तुलन–पत्रक के अनुसार	-	242.81
घटाएं : शेयरों की पुनः खरीद हेतु उपयोग	-	242.81
तुलन–पत्रक की तारीख पर	-	-
(3) **बांड मोचन आरक्षित**		
पिछले तुलन–पत्रक के अनुसार	2,193.35	2,129.55
जोड़े : अधिशेष/प्रतिधारित आय से अंतरित	.	308.78
घटाएं : अधिशेष/प्रतिधारित आय को अंतरित	244.97	244.98
तुलन–पत्रक की तारीख पर	**1,948.38**	**2,193.35**

	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(4)	**सामान्य आरक्षित**		
	पिछले तुलन–पत्रक के अनुसार	9,724.72	10,088.11
	घटाएं : शेयरों की पुनः खरीद हेतु उपयोग और संबंधित व्यय	-	149.10
	घटाएं : पूंजी मोचन आरक्षित को अंतरित	-	214.29
	तुलन–पत्रक की तारीख पर	**9,724.72**	**9,724.72**
(5)	**अधिशेष /प्रतिधारित आय**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	4,889.54	3,470.12
	जोड़ें – वर्ष के दौरान लाभ	3,007.17	2,630.55
	जोड़ें – वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	29.37	1.70
	जोड़ें – बॉण्ड मोचन आरक्षित से अंतरित	244.97	244.98
	घटाएं : लाभांश (अंतिम + अंतरिम) **(देखें टिप्पणी 33(3)(ग))**	1,938.69	1,000.46
	घटाएं – लाभांश पर कर **(देखें टिप्पणी 33(3)(ग))**	298.78	148.57
	घटाएं – बॉण्ड मोचन आरक्षित को अंतरण	-	308.78
	तुलन–पत्र तिथि के अनुसार	**5,933.58**	**4,889.54**
(6)	**अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) – इक्विटी लिखत**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	76.30	92.78
	जोड़ें – एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)	(42.09)	(16.48)
	तुलन–पत्र तिथि के अनुसार	**34.21**	**76.30**
(7)	**अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) – ऋण लिखत**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	30.08	27.71
	जोड़ें – एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)	12.10	2.37
	तुलन–पत्र तिथि के अनुसार	**42.18**	**30.08**
	कुल	**19,938.78**	**19,169.70**

15.2.1 आरक्षित की प्रकृति तथा प्रयोजन

(i) **पूंजी मोचन आरक्षित** – कंपनी को वितरण योग्य लाभ से एक पूंजी मोचन आरक्षित बनाना अपेक्षित होता है, यदि शेयरों की पुन– खरीद को मुक्त आरक्षित से किया जाए, तो इस प्रकार खरीद किए गए शेयरों के नामितिक मूल्य को पूंजी मोचन आरक्षित को अंतरित किया जाना अपेक्षित होता है।

(ii) **बॉण्ड मोचन आरक्षित** – कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर्स) नियमावली, 2014 के अनुसार कम्पनी से बॉंडों के शोधन के उद्देश्य से उपलब्ध लाभ में से बॉण्ड शोधन आरक्षित का सृजन करने की अपेक्षा की गई है। कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) संशोधन नियमावली, 2019 के अनुसार कंपनी को बॉन्ड शोधन आरक्षित के सृजन के प्रति छूट प्राप्त है। संशोधन नियमावली, 2019 में आगे डिबेंचर शोधन आरक्षित में क्रेडिट की जाने वाली राशि का उपयोग डिबेंचरों के शोधन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से नहीं किए जाने का निर्धारण किया गया है। तदनुसार, 31.3.2019 तक सृजित बॉण्ड शोधन आरक्षित को अग्रेनित करके चालू वर्ष के दौरान इसका उपयोग बॉड शोधन के लिए किया गया है तथा इस आरक्षित में आगे कोई उपचय नहीं किया गया है।

(iii) **सामान्य आरक्षित** : समय–समय पर सामान्य आरक्षित का उपयोग विनियोजन प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित आय से लाभ हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि उक्त को इक्विटी के एक घटक से दूसरे घटक में अंतरण द्वारा सृजित किया जाता है।

(iv) **अधिशेष/प्रतिधारित आय** : अधिशेष/प्रतिधारित आय आम तौर पर कंपनी की संचित आय के अवितरित लाभ/राशि को दर्शाती है और इसमें निर्धारित लाभ दायित्वों पर पुनर्मापन लाभ/हानि शामिल हैं।

(v) **एफवीटीओसीआई–इक्विटी लिखत** – कंपनी ने इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता देने का विकल्प चुना है। यह आरक्षित अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी लिखतों के पुनर्मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाले संचयी लाभों और हानियों को दर्शाता है। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को तब प्रतिधारित आय में अंतरित करती है जब इक्विटी प्रतिभूतियों को संगत विमान्य किया जाता है।

(vi) **एफवीटीओसीआई–ऋण लिखत** – कंपनी ने ऋण प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता देने का विकल्प चुना है। यह आरक्षित अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ऋण लिखतों के पुनर्मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाले संचयी लाभों और हानियों को दर्शाता है। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को लाभ एवं हानि के माध्यम से तब प्रतिधारित आय में अंतरित करती है जब संगत ऋण प्रतिभूतियों को विमान्य किया जाता है।

टिप्पणी सं. 16.1 : वित्तीय देयताएं – गैर वर्तमान – ऋण

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
	परिशोधित लागत पर		
क.	**– प्रतिभूत ऋण**		
	– बॉण्ड	14,532.79	11,635.59
	– सावधि ऋण		
	– बैंकों से	500.00	200.00
	– अन्य से (वित्तीय संस्थान)	474.00	840.34
ख.	**– अप्रतिभूत ऋण**		
	– सावधि ऋण		
	– भारत सरकार से (अधीनस्थ ऋण)	3,597.58	3,352.83
	– अन्यों से (विदेशी मुद्रा में)	1,774.29	1,015.87
	उप जोड़ (क + ख)	**20,878.66**	**17,044.63**
ग.	**पट्टा देयताओं की दीर्घावधि परिपक्वता (देखें टिप्पणी 34(16))**	11.08	-
	कुल (क + ख + ग)	**20,889.74**	**17,044.63**

16.1.1 ऋण अनुबंध – पूंजी प्रबंधन के संबंध में टिप्पणी 33(3) देखें।

16.1.2 चुकौती, पुनर्भुगतान तथा प्रतिभूति का विवरण।

16.1.2

(करोड़ रूपए में)

	16.1.2.क चुकौती, पुनर्भुगतान तथा प्रतिभूति का विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क.	**बॉण्ड (गैर–परिवर्तनीय और गैर–संचयी) – प्रतिभूत**		
i)	**कर मुक्त बॉण्ड – 3ए सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (3 और 6))** (1000/– रुपए प्रत्येक के 8.67 प्रतिशत प्रतिवर्ष के 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2033)	336.07	336.07
ii)	**कर मुक्त बॉण्ड – 3बी सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (3 और 6))** (1000/– रुपए प्रत्येक के 8.92 प्रतिशत प्रतिवर्ष 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2033)	253.62	253.62
iii)	**बॉण्ड – यू सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (2 और 7))** (1000000/– रुपए प्रत्येक के 8.24 प्रतिशत प्रति वर्ष 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 27.06.2031)	540.00	540.00
iv)	**बॉण्ड – यू1 सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (2 और 7))** (1000000/– रुपए प्रत्येक के 8.17 प्रतिशत प्रति वर्ष 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 27.06.2031)	360.00	360.00
v)	**कर मुक्त बॉण्ड – 2ए सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (3 और 6))** (1000/– रुपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2028)	213.12	213.12
vi)	**कर मुक्त बॉण्ड – 2बी सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (3 और 6))** (1000/– रुपए प्रत्येक के 8.79 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2028)	85.61	85.61
vii)	**बाण्ड–एए–1 सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (13))** (6.89 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (11.03.2026 से प्रारंभ होने वाली 500 करोड़ रूपए प्रत्येक की 5 समान वार्षिक किश्त में चुकौतियां)	500.00	-

16.1.2.क चुकौती, पुनर्भुगतान तथा प्रतिभूति का विवरण		31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
viii)	**बाण्ड–एए सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (13))** (7.13 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (11.02.2026 से प्रारंभ होने वाली 1500 करोड़ रूपए प्रत्येक की 5 समान वार्षिक किश्त में चुकौतियां)	1500.00	-
ix)	**बाण्ड–वाई–1 सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (12))** (7.38 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (03.01.2026 से प्रारंभ होने वाली 500 करोड़ रूपए प्रत्येक की 5 समान वार्षिक किश्त में चुकौतियां)	500.00	-
x)	**बाण्ड–वाई– सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (12))** (7.50 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (07.10.2025 से प्रारंभ होने वाली 1500 करोड़ रूपए प्रत्येक की 5 समान वार्षिक किश्त में चुकौतियां)	1500.00	-
xi)	**कर मुक्त बॉण्ड – 1ए सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (3 और 6))** (1000/– रुपए प्रत्येक के 8.18 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2023)	50.81	50.81
xii)	**कर मुक्त बॉण्ड – 1बी सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (3 और 6))** (1000/– रुपए प्रत्येक के 8.43 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2023)	60.77	60.77
xiii)	**बाण्ड–डब्ल्यू2 सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (10))** (7.35 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (15.09.2023 से 15.09.2027 तक 150.00 करोड़ रूपए प्रत्येक की 5 वार्षिक चुकौतियां)	750.00	750.00
xiv)	**बाण्ड–वी2 सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (3))** (7.52 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (06.06.2023 से 06.06.2027 तक 295.00 करोड़ रूपए प्रत्येक की 5 वार्षिक चुकौतियां)	1,475.00	1,475.00
xv)	**बॉण्ड – एक्स – सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (2))** (12,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.50 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य गैर–परिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जो 7 समान वार्षिक किश्तों में मोचनयोग्य है)। (1500 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी राशि 08.02.2023 से प्रारंभ होने वाली 7 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय है। मोचन की तिथि 08.02.2029)।	1,500.00	1,500.00
xvi)	**बॉण्ड – टी– सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (1, 2 और 7))** (12,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.50 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (14.07.2019 से 14.07.2030 के बीच 122.91 करोड़ रुपए के 11 वार्षिक विमोचन)	1,352.01	1,474.92
xvii)	**बॉण्ड – आर–3 सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (3))** (10,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.78 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (892.00 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी राशि 11.02.2019 से प्रारंभ होने वाली 10 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय है। 31.03.2020 के अनुसार, 89.20 करोड़ रूपए प्रत्येक की 8 वार्षिक किश्ते बकाया है)।	713.60	802.80

16.1.2.क चुकौती, पुनर्भुगतान तथा प्रतिभूति का विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
xviii) बॉण्ड – एस–2 सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (7))		
(12,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है)	550.00	605.00
(660.00 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी राशि 26.11.2018 से प्रारंभ होने वाली 12 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय है। 31.03.2020 के अनुसार, 55.00 करोड़ रूपए प्रत्येक की 10 वार्षिक किश्ते बकाया है)।		
xix) बॉण्ड–डब्ल्यू1 सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (10))	900.00	1,200.00
(6.91 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित)		
(1500.00 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी राशि 15.09.2018 से प्रारंभ होने वाली 5 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय है। 31.03.2020 के अनुसार, 300 करोड़ रूपए प्रत्येक की 3 वार्षिक किश्ते बकाया है)।		
xx) बॉण्ड – वी सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (3))	310.00	465.00
(5,00,000/– रुपए प्रत्येक के 6.84 प्रतिशत प्रति वर्ष 5 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें 5 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/5 है) (24.01.2018 से 24.01.2022 के बीच 155.00 करोड़ रुपए के 5 वार्षिक विमोचन) (31.03.2020 को 155 करोड़ रूपए की 2 वार्षिक किश्ते बकाया है)		
xxi) बॉण्ड – क्यू सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (4 और 8))	738.50	844.00
(12,00,000/– रुपए प्रत्येक के 9.25 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है)		
1266.00 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 12.3.2016 से प्रारंभ हुई है। 31.03.2020 के अनुसार 105.50 करोड़ रूपए की 7 वार्षिक किश्त बकाया है।		
xxii) बॉण्ड – आर–2 सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (3))	222.28	254.72
(12,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.85 प्रतिशत प्रति वर्ष 14 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है)		
382.08 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.02.2016 से प्रारंभ हुई है। 31.03.2020 के अनुसार 31.84 करोड़ रूपए की 7 वार्षिक किश्तें बकाया है।		
xxiii) बॉण्ड – पी सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (3, 5 और 6))	1,000.00	1,200.00
(10,00,000/– रुपए प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 10 वार्षिक किश्तों में चुकाया जाना चाहिए।)		
2000 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 01.2.2016 से प्रारंभ हुई है। 31.03.2020 के अनुसार 200 करोड़ रूपए की 5 वार्षिक किश्त बकाया है।		
xxiv) बॉण्ड –एस1 सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (7))	182.50	219.00
(8.49 प्रतिशत 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 1000000/– रुपए है और जो 10 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/10वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है)।		
365 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 26.11.2015 से प्रारंभ हुई है। 31.03.2020 के अनुसार 36.50 करोड़ रूपए की 5 वार्षिक किश्त बकाया है।		
xxv) बॉण्ड –आर1 सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (3))	41.10	47.95
(8.70 प्रतिशत 13 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 12,00,000/– रुपए है और जो 12 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/12वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है)।		
82.20 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.2.2015 से प्रारंभ हुई है। 31.03.2020 के अनुसार 6.85 करोड़ रूपए की 6 वार्षिक किश्त बकाया है।		
कुल बॉण्ड	**15,635.59**	**12,738.39**
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	**1,102.80**	**1,102.80**
बॉण्ड – वर्तमान परिपक्वता के निवल (क)	**14,532.79**	**11,635.59**

16.1.2.क चुकौती, पुनर्भुगतान तथा प्रतिभूति का विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
ख.	**सावधि ऋण – प्रतिभूत (बैंक)**	
i)	**ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (2))** (7.207 प्रतिशत प्रति वर्ष की ऊपरी सीमा के साथ, 3 वर्ष के रीसेट खंड सहित स्थिर ब्याज दर पर 10 करोड़ रुपए प्रत्येक की 3 समान वार्षिक किश्तों में 27.12.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य। 31.03.2020 के अनुसार वर्तमान में यह 7.207 प्रतिशत प्रति वर्ष है। 10 करोड़ रुपए प्रत्येक की 1 समान वार्षिक किश्तें बकाया है)।	10.00	20.00
ii)	**स्टेट बैंक आफ इंडिया (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (11))** 31.03.2020 के अनुसार 8.00 प्रतिशत प्रति वर्ष की फ्लोटिंग ब्याज दर (वार्षिक रीसेट के साथ एमसीएलआर) पर 31.08.2028 तक 28 समान त्रैमासिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य (27 किश्तें 17,858 करोड़ रूपए की और अंतिम 28वीं किश्त 17834 करोड़ रूपए की)।	500.00	190.00
	कुल सावधि ऋण – बैंक	**510.00**	**210.00**
	घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	**10.00**	**10.00**
	सावधि ऋण – बैंक – वर्तमान परिपक्वता के निवल (ख)	**500.00**	**200.00**
ग.	**सावधि ऋण – अन्य पार्टियों से (प्रतिभूत)**		
i)	**भारतीय जीवन बीमा निगम (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (3 और 5))** (31.03.2020 के अनुसार 8.33 करोड़ रुपए पर 9.25 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर और 200 करोड़ रुपए पर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की स्थिर ब्याज दर पर 104.1667 करोड़ रुपए प्रत्येक की 2 छमाही किश्तों में 15.10.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य)।	208.33	416.67
ii)	**भारतीय जीवन बीमा निगम (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (4 और 8))** (31.03.2020 को 9.118 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर के साथ 79 करोड़ रुपए प्रत्येक की 8 समान छमाही किश्तों में 31.10.2023 पुनर्भुगतान योग्य।)	632.00	790.00
	कुल सावधि ऋण–अन्य पार्टियां (प्रतिभूत)	**840.33**	**1,206.67**
	घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	**366.33**	**366.33**
	सावधि ऋण – अन्य – वर्तमान परिपक्वता का निवल (ग)	**474.00**	**840.34**
घ.	**सावधि ऋण – भारत सरकार से – सरकार (अप्रतिभूत)**		
	भारत सरकार से ऋण (उचित मूल्य पर)		
i)	**निम्मो बाज़गो जलविद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण** (4 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 12वें वर्ष अर्थात 10.10.2025 से 28.85 करोड़ की 18 समान वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)	424.54	420.78
ii)	**चुटक जलविद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण** (2.5 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 6ठें वर्ष अर्थात 01.02.2019 से 23.11 करोड़ रूपए की 24 समान वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)	442.14	460.18
iii)	**किशनगंगा जलविद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण** (1 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से 364.458 करोड़ रूपए की 10 समान वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य। और यह परियोजना के चालू होने अर्थात 24.05.2029 से 11 वर्षों के पश्चात वार्षिक आधार पर देय होगा)	2,754.01	2,494.98
	कुल सावधि ऋण – सरकार (अप्रतिभूत)	**3,620.69**	**3,375.94**
	घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	**23.11**	**23.11**
	सावधि ऋण – अन्य पक्षों से – वर्तमान परिपक्वता का निवल (घ)	**3,597.58**	**3,352.83**
ङ	**सावधि ऋण – अन्यों से – विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूत)**		
i)	**जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ट्रांशे–1 (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (9))** (31.03.2020 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.01.2026 तक 7.66 करोड़ रूपए प्रत्येक की 12 समान छमाही किश्तों में चुकौती योग्य)	102.67	107.47
ii)	**जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ट्रांशे–2 (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (9))** (31.03.2020 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.12.2027 तक 25.18 करोड़ रूपए प्रत्येक की 16 समान छमाही किश्तों में चुकौती योग्य)	449.07	453.29
iii)	**जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ट्रांशे–3 (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (9))** (31.03.2020 को 1.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.03.2034 तक 20.73 करोड़ रूपए प्रत्येक की 28 समान छमाही किश्तों में चुकौती योग्य)	580.49	558.03
iv)	**एमयूएफजी बैंक लिमिटेड, सिंगापुर** (6 माह लीबोर + 0.75 प्रतिशत की फ्लोटिंग दर पर 25.07.2024 को एक किश्त बुलेट में चुकौती योग्य। यह ऋण 0.931 प्रतिशत (भारतीय राष्ट्रीय रूपए) प्रति वर्ष की केवल कूपन स्वैप स्थिर दर पर हेज किया गया है और यह 0.90 रूपए के जापानी येन स्ट्राइक मूल्य के साथ 6.25 प्रतिशत (भारतीय राष्ट्रीय रूपए) की कॉल फैलाव कूपन स्थिर दर पर है।	756.77	-

16.1.2.क चुकौती, पुनर्भुगतान तथा प्रतिभूति का विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कुल सावधि ऋण – अन्य पार्टियां (अप्रतिभूत)	1,889.00	1,118.79
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	114.71	102.92
सावधि ऋण – अन्य पार्टियां वर्तमान परिपक्वताओं का निवल (च)	1,774.29	1,015.87
सकल जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ)	20,878.66	17,044.63

16.1.2.ख प्रतिभूति का विवरण

1. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा-I पावर स्टेशन, कंपनी की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
2. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित उड़ी-I पावर स्टेशन, कंपनी की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
3. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्बती-II जलविद्युत परियोजना, कंपनी की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
4. पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित तीस्ता लो डैम-III पावर स्टेशन, कम्पनी की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
5. उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी की धौलीगंगा पावर स्टेशन, कंपनी की सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
6. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा-III पावर स्टेशन, कंपनी की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
7. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्बती-III पावर स्टेशन, कंपनी की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (सिवाय बही ऋणों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक तथा रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूतित।
8. सिक्किम राज्य में अवस्थित तीस्ता-V पावर स्टेशन, कंपनी की अचल/चल परिसंपत्तियों (सिवाय बही ऋणों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूतित।
9. उपरोक्त क्रमांक ङ(I), ङ(II) और ङ(III) पर वर्णित ऋण भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत हैं।
10. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्बती-II पावर स्टेशन, कंपनी की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर समरूप रेहन एवं प्रभार और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी की दुलहस्ती पावर स्टेशन की सभी चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
11. हिमाचल राज्य में अवस्थित पार्बती-II पावर स्टेशन, कम्पनी की चल और अचल परिसंपत्तियों (सिवाय बही ऋणों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक तथा रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूतित।
12. पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित टीएलडीपी–III पावर स्टेशन कंपनी की चल और अचल परिसंपत्तियों (सिवाय बही ऋणों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक तथा रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार और जम्मू और कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी की किशनगंगा पावर स्टेशन की चल परिसंपत्तियों (सिवाय बही ऋणों तथा भण्डारों के) के प्रति समान रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत।
13. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी की पार्बती-II परियोजना, पार्बती-III पावर स्टेशन, चमेरा-II पावर स्टेशन और उत्तराखंड राज्य में स्थित धौलीगंगा पावर स्टेशन की चल और अचल परिसंपत्तियों (सिवाय बही ऋणों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूतित।

टिप्पणी सं. 16.2 वित्तीय देयताएं – गैर वर्तमान – अन्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बाण्ड के प्रति देय **(देखें टिप्पणी 16.2.1)**		
– मूल धन	2,017.20	2,017.20
प्रतिधारण राशि	42.03	41.44
कुल	**2,059.23**	**2,058.64**

16.2.1 वर्ष के दौरान विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) की योजना के लिए भारत सरकार की वित्त–पोषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कंपनी ने अप्रतिभूत गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय मोचनयोग्य, कर योग्य 'भारत सरकार के पूर्णतः सेवित बॉण्ड – सीरीज–1, डिबेंचर (बॉन्ड) की प्रकृति में 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले, के निजी स्थापन के माध्यम से 2017.20 करोड़ रूपए की कुल राशि कर योग्य साथ जुटाई है। वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के दिनांक 21.01.2019 और 11.03.2019 के पत्र के साथ पढ़े जाने वाले विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के दिनांक 12.03.2019 के पत्र के अनुसार, उपरोक्त बांड के मूलधन और ब्याज की अदायगी भारत सरकार

द्वारा अनुमानित देयताओं के अनुसार विद्युत मंत्रालय की मांग में उपयुक्त बजट प्रावधान करके की जाएगी। तदनुसार, बॉण्डधारकों को देय ब्याज के साथ ऐसे बॉन्ड की राशि ऊपर वित्तीय देयता के रूप में दर्शाई गई है और साथ ही भारत सरकार से कंपनी द्वारा वसूल की जाने वाली राशि को टिप्पणी सं. 3.4 के अंतर्गत गैर –वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां–अन्य के तहत "भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉन्ड के कारण वसूली योग्य राशि" के रूप में दर्शाया गया है।

वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांड का विवरण निम्नानुसार है : –

भारत सरकार पूर्णतः सेवित बॉन्ड–1 श्रृंखला : 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 8.12 प्रतिशत अर्ध–वार्षिक, 10 वर्षीय अप्रतिभूत, गैर–संचयी, मोचन योग्य, गैर–परिवर्तनीय कर योग्य बांड (मोचन की तिथि – 22.03.2029)	2,017.20	2,017.20

टिप्पणी सं. 17 प्रावधान – गैर वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क)	**कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान**		
1)	**दीर्घावधि लाभ हेतु प्रावधान**		
	(बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	7.26	6.31
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	0.95
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.09	-
	अंतिम शेष	**7.17**	**7.26**
ख.	**अन्य**		
1)	**प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	1.37	1.25
	वर्ष के दौरान वर्धन	0.08	-
	छूट की समाप्ति	0.14	0.12
	अंतिम शेष	**1.43**	**1.37**
2)	**आजीविका सहायता हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	17.66	17.40
	वर्ष के दौरान वर्धन	1.35	0.66
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.73	0.61
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.14	0.14
	छूट की समाप्ति	0.43	0.35
	अंतिम शेष	**18.57**	**17.66**
3)	**प्रावधान – अन्य**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	0.53	0.51
	वर्ष के दौरान वर्धन	0.05	0.05
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.06	0.03
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.03	-
	अंतिम शेष	**0.49**	**0.53**
	कुल	**27.66**	**26.82**

17.1 प्रावधानों के संबंध में जानकारी एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(21) में दी गई है।

टिप्पणी सं. 18 विलंबित कर देयताएं (निवल) – गैर वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
	विलंबित कर देयता		
क)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	3,980.45	3,911.72
ख)	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	24.21	(7.75)
ग)	अन्य मदें	42.22	70.95
	विलंबित कर देयता	**4,046.88**	**3,974.92**
	घटाएं – समायोजन प्रावधानों के अनुपालन में समायोजित विलंबित कर परिसंपत्तियां		
क)	कर्मचारी लाभ योजनाओं, संदिग्ध ऋण, माल–सूची तथा अन्य हेतु प्रावधान	360.00	319.82
ख)	अन्य मदें	45.69	44.47
	विलंबित कर परिसंपत्तियां	**405.69**	**364.29**
	विलंबित कर देयता (निवल)	**3,641.19**	**3,610.63**

18.1 विलंबित कर देयता/ (परिसंपत्तियों) में संचलन।

18.2 कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के अंतर्गत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के प्रावधानों के संबंध में की गई घोषणा तथा 11 दिसम्बर, 2019 को प्रवर्तित एवं 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रसार के अनुसरण में घरेलू कंपनियों को उक्त धारा में निर्दिष्ट कुछ रियायतों/कटौतियों (नई कर व्यवस्था के अनुसार) को समाप्त करते हुए रियायती दरों पर आय कर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान किया गया है। कंपनी के पास 31 मार्च, 2020 तक अप्रयुक्त 2196.82 करोड़ रूपए का न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) क्रेडिट है तथा यह कुछ पावर स्टेशनों से उत्पन्न विद्युत से प्राप्त लाभ के लिए कर कटौतियों का उपयोग कर रही है। इसे विचार में रखते हुए चालू एवं आस्थगित कर स्वीकृतियों के लिए विद्यमान कर संरचना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। धारा 115बीएए के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प के उपयोग के संबंध में आवश्ययक निर्णय कर कटौतियां उपलब्ध न होने तथा न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) क्रेडिट का उपयोग कर लेने के पश्चात लिया जाएगा।

18.3 न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) क्रेडिट पात्रताओं की स्वीकृति आस्थगित कर परिसंपतियों के लिए किए जाने की अपेक्षा की गई है जो कि ऐसे क्रेडिट का उपयोग भविष्य में प्रत्याशित भावी कर योग्य लाभ के प्रति किए जाने के तथ्यपरक प्रमाणों की स्पष्टता पर आधारित हैं। इसे विचार में लेते हुए तथा न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) क्रेडिट का उपयोग किसी चालू विकास की अनुपस्थिति में न किए जाने के कारण अप्रयुक्त 2196.82 करोड़ रूपए की न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) क्रेडिट पात्रता के संबंध में क्रियात्मक विवेक का उपयोग करके पूर्व वर्षों में अनुसरण किए गए सिद्धांत को जारी रखते हुए इसे वित्तीय विवरणों में स्वीकृत न करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, आस्थगित कर उपचय अथवा व्युतक्रमण से सम्बद्ध नियंत्रक आस्थगित लेखों के शेष पर परिणामी प्रभाव हुए हैं जिनसे अन्यथा स्वरूप में कम्पनी के लाभ पर किसी प्रकार का सामग्रीगत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पणी सं. 18 का अनुबंध

विलंबित कर देयता में संचलन **2019–20**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति तथा अर्मूत परिसंपत्तियां	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य मदें	कुल
01 अप्रैल, 2019 को	**3,911.72**	**(7.75)**	**70.95**	**3,974.92**
(प्रभारित)/क्रेडिट किया गया				
– लाभ एवं हानि का विवरण	68.73	-	(28.73)	40.00
– अन्य व्यापक आय का	-	31.96	-	31.96
31 मार्च 2020 को	**3,980.45**	**24.21**	**42.22**	**4,046.88**

विलंबित कर परिसंपत्तियों में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	कर्मचारी लाभ योजनाओं, संदिग्ध ऋण, माल–सूची तथा अन्य हेतु प्रावधान	अन्य मदें	कुल
01 अप्रैल, 2019 को	**319.82**	**44.47**	**364.29**
(प्रभारित)/ क्रेडिट किया गया			
– लाभ एवं हानि का विवरण	40.18	1.22	41.40
– अन्य व्यापक आय का	-	-	-
31 मार्च 2020 को	**360.00**	**45.69**	**405.69**

2018–19

विलंबित कर देयता में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति तथा अर्मूत परिसंपत्तियां	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य मदें	कुल
01 अप्रैल, 2018 को	**3,148.21**	**9.07**	**227.06**	**3,384.34**
(प्रभारित)/ क्रेडिट किया गया				
– लाभ एवं हानि का विवरण	763.51	(17.61)	(156.11)	589.79
– अन्य व्यापक आय का	-	0.79	-	0.79
31 मार्च 2019 को	**3,911.72**	**(7.75)**	**70.95**	**3,974.92**

विलंबित कर परिसंपत्तियों में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	कर्मचारी लाभ योजनाओं, संदिग्ध ऋण, माल–सूची तथा अन्य हेतु प्रावधान	अन्य मदें	कुल
01 अप्रैल, 2018 को	**15.23**	**223.72**	**238.95**
(प्रभारित)/ क्रेडिट किया गया			
लाभ एवं हानि का विवरण	304.59	(179.25)	125.34
अन्य व्यापक आय का	-	-	-
31 मार्च 2019 को	**319.82**	**44.47**	**364.29**

टिप्पणी सं. 19 अन्य गैर वर्तमान देयताएं

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अग्रिम में प्राप्त आय – मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	884.48	916.77
विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव लेखे से विलंबित आय	42.81	48.52
सरकार से सहायता अनुदान – विलंबित आय **(टिप्पणी 19.1 देखें)**	1,155.36	859.69
कुल	**2,082.65**	**1,824.98**
19.1 **सरकार से सहायता अनुदान – विलंबित आय**		
प्रारंभिक शेष (वर्तमान और गैर–वर्तमान)	886.63	611.11
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त	330.93	299.72
घटाएं : लाभ एवं हानि विवरण को अंतरित **(टिप्पणी 24.2 देखें)**	29.95	24.20
अंतिम शेष (वर्तमान और गैर–वर्तमान) (टिप्पणी 19.1.1 देखें)	**1,187.61**	**886.63**
सरकार से सहायता अनुदान – विलंबित आय (वर्तमान) **(टिप्पणी 21 देखें)**	32.25	26.94
सरकार से सहायता अनुदान – विलंबित आय (गैर–वर्तमान)	1,155.36	859.69
19.1.1 अनुदान में निम्नलिखित शामिल है:–		
1) सहायता अनुदान के रूप में लेखांकित चुटक पावर स्टेशन, निम्मो बाजगो पावर स्टेशन और किशनगंगा पावर स्टेशन से प्राप्त अधीनस्थ ऋणों का उचित मूल्यांकन	1,163.15	862.65
2) रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए तमिलनाडु में 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना के स्थापन हेतु सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) के माध्यम से भारत सरकार से प्राप्त निधियां (सहायता अनुदान)।	24.26	23.98

टिप्पणी सं. 20.1 ऋण – वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क. **मांग पर चुकौती योग्य ऋण**		
बैंकों से – प्रतिभूत **(देखें टिप्पणी 20.1.1)**	-	106.00
ख. **अन्य ऋण**		
बैंकों से – प्रतिभूत **(देखें टिप्पणी 20.1.2)**	714.31	300.00
कुल	**714.31**	**406.00**

20.1.1 ऋण का ब्यौरा (प्रतिभूत)

क्र.सं.	बैंक का नाम प्रतिभूति के ब्यौरे के साथ	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
1.	केनरा बैंक बही ऋण और स्टॉक से प्रतिभूत है	-	106.00
	कुल	-	**106.00**

20.1.2 बैंकों से प्राप्त 714.31 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रूपए) का प्रतिभूत ऋण बैंकों को लाभग्राहियों द्वारा व्यवसाय प्राप्यों के लिए बिल डिस्काउंटिग पर देय राशि से संबंधित है। बिल डिस्काउंटिंग के माध्यम से व्यवसाय प्राप्यों की ऋणशोधन स्वीकृति की सतत मान्यता के लिए टिप्पणी 7.5 देखें।

टिप्पणी सं. 20.2 देय व्यापार – वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय **(देखें टिप्पणी 20.2.1)**	18.85	15.74
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय	285.41	164.44
कुल	**304.26**	**180.18**

20.2.1 व्यापार प्राप्य के अंतर्गत विविध लेनदारों का प्रकटीकरण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम) के अंतर्गत यथा परिभाषित आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति के बारे में कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण की आवश्यकता टिप्पणी संख्या 34(15) के अंतर्गत दी गई है।

20.2.2 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 20.3 अन्य वित्तीय देयताएं – वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता (देखें टिप्पणी 20.3.1)		
बॉण्ड	1,102.80	1,102.80
सावधि ऋण – बैंक – प्रतिभूत	10.00	10.00
सावधि ऋण – वित्तीय संस्थान – अप्रतिभूत	366.33	366.33
अप्रतिभूत – सरकार से (अधीनस्थ ऋण)	23.11	23.11
अन्य – अप्रतिभूत (विदेषी मुद्रा में)	114.71	102.92
पट्टा बाध्यताओं की वर्तमान परिपक्वताएं	2.83	-
पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता – सूक्ष्म और लघु उद्यम के अतिरिक्त	375.41	313.96
पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता – सूक्ष्म और लघु उद्यम **(देखें टिप्पणी 20.3.2)**	8.88	4.85
ऋणों पर प्रोदभूत किन्तु देय न होने वाला ब्याज	643.10	584.98
भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण देय – ब्याज	4.48	4.49
बयाना राशि/ प्रतिधारण राशि	97.34	119.67
अनुषंगी कंपनियों को देय **(देखें टिप्पणी 34(8))**	5.44	1.55
अदा न किया गया लाभांश **(देखें टिप्पणी 20.3.3)**	22.64	19.17
अदा न किया गया ब्याज **(देखें टिप्पणी 20.3.3)**	0.25	0.26
कर्मचारियों को देय	25.58	119.70
अन्य को देय	76.80	73.13
कुल	**2,879.70**	**2,846.92**

20.3.1 मोचन, ब्याज की दर, चुकौती की अवधि तथा प्रतिभूति के ब्यौरे टिप्पणी संख्या 16.1.2 के अनुबंध में प्रकट किए गए हैं।

20.3.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को देश राशि का प्रकटीकरण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम) के अंतर्गत यथा परिभाषित आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति के बारे में कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण की आवश्यकता टिप्पणी संख्या 34(15) के अंतर्गत दी गई है।

20.3.3 "अदा न किया गया लाभांश" और "अदा न किया गया ब्याज" में वे राशियां शामिल हैं जिनका इक्विटी शेयर/बॉण्ड के निवेशकों/धारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है। उपर्युक्त में से निवेशक शिक्षा और बचाव निधि को अंतरित किए जाने हेतु अपेक्षित राशि को अंतरित कर दिया गया है। निवेशक शिक्षा और बचाव निधि को भुगतान के लिए कोई राशि बकाया नहीं है।

20.3.4 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 21 अन्य वर्तमान देयताएं

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम)	48.25	60.68
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव लेखे से विलंबित आय	5.92	6.17
देय जल उपयोग प्रभार	324.45	262.83
भुगतान योग्य सांविधिक देय	102.38	480.88
संविदा देयताएं – जमा कार्य	9.37	19.96
संविदा देयताएं – परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य	268.49	196.82
ग्राहकों और अन्य से अग्रिम	11.70	12.19
सरकार से सहायता अनुदान – विलंबित आय **(देखें टिप्पणी 19(1))**	32.25	26.94
कुल	**802.81**	**1,066.47**

21.1 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 22 प्रावधान – वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क)	**कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान**		
1)	**दीर्घावधि लाभ हेतु प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	1.20	142.34
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	0.37
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.07	141.51
	अंतिम शेष	**1.13**	**1.20**
2)	**मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	-	12.57
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	12.57
	अंतिम शेष	-	-
3)	**निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	234.52	264.36
	वर्ष के दौरान वर्धन	250.57	168.85
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	122.58	198.69
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.41	-
	अंतिम शेष	**361.10**	**234.52**
4)	**अधिवर्षिता/पेंशन निधि के लिए प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	-	3.58
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	3.58
	अंतिम शेष	-	-

	विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
5)	**वेतन संशोधन हेतु प्रावधान – तीसरी वेतन संशोधन समिति**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	11.35	343.83
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	7.45	332.48
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	3.90	-
	अंतिम शेष	**-**	**11.35**
ख.	**अन्य**		
1)	**टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	209.60	164.13
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	45.47
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	100.44	-
	अंतिम शेष	**109.16**	**209.60**
2)	**प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	127.55	159.43
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	0.80
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	3.21	33.18
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.03	-
	छूट की समाप्ति	-	0.50
	अंतिम शेष	**124.31**	**127.55**
3)	**बीमित परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार व्यय हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	24.53	21.76
	वर्ष के दौरान वर्धन	46.21	16.65
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	15.65	4.33
	छूट की समाप्ति	0.98	9.55
	अंतिम शेष	**54.11**	**24.53**
4)	**आजीविका सहायता हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	16.00	15.60
	वर्ष के दौरान वर्धन	0.90	0.58
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.92	0.23
	छूट की समाप्ति	0.05	0.05
	अंतिम शेष	**16.03**	**16.00**
5)	**माध्यस्थम निर्णय/ अदालती मामलों के संबंध में व्यय हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	354.52	374.01
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	16.70
	समायोजन	(0.27)	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	1.05	26.66
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	9.53
	अंतिम शेष	**353.20**	**354.52**
6)	**प्रावधान – अन्य**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	350.10	264.00
	वर्ष के दौरान वर्धन	30.17	106.42
	समायोजन	0.27	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	169.36	18.54
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	2.06	1.78
	अंतिम शेष	**209.12**	**350.10**
	कुल	**1,228.16**	**1,329.37**

22.1 प्रावधान के बारे में जानकारी टिप्पणी 34 (21) में दी गई है।

टिप्पणी सं. 23 वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार वर्तमान कर देयता	705.07	634.68
वर्ष के दौरान वर्धन	1,286.34	705.07
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	(705.07)	(634.68)
वर्तमान कर देयता का अंतिम शेष (क)	**1,286.34**	**705.07**
घटाएं : स्रोत पर कटौती किए गए कर सहित वर्तमान अग्रिम कर (ख)	1,373.29	766.29
निवल वर्तमान कर देयताएं (निवल) (क–ख)	**(86.95)**	**61.22)**
(उपर्युक्त टिप्पणी सं. 12. के अंतर्गत प्रकट की गई)	**86.95**	**61.22**
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 24.1 : सतत प्रचालनों से राजस्व

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
1.	**प्रचालन राजस्व**		
क.	**बिक्री (देखे टिप्पणी 24.1.1, 24.1.3 और 34(20))**		
	विद्युत की बिक्री	6,657.22	6,503.06
	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम – वर्ष के दौरान पश्च लेखित	44.72	60.72
	निष्पादन आधारित प्रोत्साहन / (वि–प्रोत्साहन)	810.00	747.65
	उप जोड़ (1)	**7,511.94**	**7,311.43**
	घटाएं:		
	विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन के कारण बिक्री समायोजन	42.94	92.34
	टैरिफ समायोजन **(देखे टिप्पणी 24.1.2)**	-	45.47
	विद्युत के उत्पादन से आय – चालू किए जाने से पूर्व (निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित)	25.56	9.17
	उपभोक्ताओं को छूट	12.63	26.21
	उप जोड़ (2)	**81.13**	**173.19**
	उप जोड़ (क) + (1–2)	**7,430.81**	**7,138.24**
ख	**वित्त– पट्टे से आय (देखे टिप्पणी 34(16)(ख))**	203.65	208.28
ग	**प्रचालन पट्टे से आय (देखे टिप्पणी 34(16)(ग))**	666.57	748.61
घ	**परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व**	27.88	23.85
ङ	**विद्युत व्यापार से राजस्व**		
	विद्युत की बिक्री (छूट का निवल)	238.56	12.96
	व्यापार अंतर	0.91	-
	उप जोड़ (ङ)	**239.47**	**12.96**
	उप जोड़ – 1 (क+ख+ग+घ+ङ)	**8,568.38**	**8,131.94**
च	**अन्य प्रचालन राजस्व**		
	स्वतः उत्पन्न वीईआर / आरईसी की बिक्री से आय	1.76	14.23
	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) के कारण आय	2.53	3.21
	लाभग्राही राज्यों से ब्याज – टैरिफ का संशोधन	162.74	11.80
	उप जोड़–2	**167.03**	**29.24**
	कुल (1+2)	**8,735.41**	**8,161.18**

	विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
24.1.1	**विद्युत की बिक्री में निम्नलिखित शामिल हैं:–**		
1)	2009 तक की अवधि से संबंधित आस्थगित कर देयता के प्रति लाभार्थी से सीधे वसूली गई/वसूली जाने वाली और वर्ष के दौरान मूर्त रूप दी गई राशि।	193.24	211.05
2)	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमेय मानद उत्पादन।	72.56	105.48
3)	टैरिफ को अंतिम रूप दिया जाना लंबित होने के चलते पहले के वर्ष की राशि।	220.50	411.47
24.1.2	टैरिफ समायोजन:– केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा दिनांक 21.02.2014 की अधिसूचना के माध्यम से टैरिफ विनियम अधिसूचित किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ जिसमें यह प्रावधान किया गया था चालू टैरिफ अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए विचार की गई पूँजी लागत टैरिफ अवधि की समाप्ति पर ट्रुइंग अप के अधीन होगा जिससे टैरिफ में वृद्धि या कमी हो सकती है। तदनुरूप, उक्त राशि को वर्ष के दौरान लेखा बहियों में दिया गया है।	शून्य	45.47
24.1.4	हानि में शामिल अभी बिल नहीं किए गए राजस्व की राशि	1,971.74	1,599.38

टिप्पणी सं. 24.2 अन्य आय

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)	**ब्याज आय**		
	– एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश – गैर–करयोग्य	5.68	5.68
	– एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश – करयोग्य	25.76	25.81
	– अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	55.80	51.19
	– जमा खाता	32.11	71.34
	– कर्मचारी ऋण और अग्रिम (छूट का निवल)	12.24	15.49
	– संविदाकारों को अग्रिम	29.83	24.48
	– अन्य	20.65	10.74
ख)	**लाभांश आय**		
	– अनुषंगी कंपनियों से लाभांश (देखें टिप्पणी 34(8))	485.17	277.67
	– लाभांश – अन्य	4.80	4.80
ग)	**अन्य गैर–प्रचालन आय**		
	विलंब भुगतान अधिभार	259.34	303.15
	व्यापार बाधा के कारण हानि की वसूली	-	48.77
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)	-	1.20
	बीमा दावे से आय	29.33	5.02
	पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/क्षति प्रावधान/ प्रावधान **(देखें टिप्पणी 24.2.1)**	115.67	31.12
	संविदाकार को जारी सामग्री		
	(1) संविदाकारों को जारी सामग्री के कारण बिक्री	32.17	27.47
	(2) वसूलीयोग्य आधार पर संविदाकारों को जारी सामग्री की लागत	(37.63)	(42.44)
	(3) संविदाकार को जारी सामग्री के कारण समायोजन	5.46	14.97
	सहायता अनुदान का परिशोधन **(देखें टिप्पणी सं. 19)**	29.95	24.20
	विनिमय दर अंतर (निवल)	-	3.18
	मार्क से बाजार लाभ पर व्युत्पन्न	33.71	-

विवरण		31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अन्य		28.81	40.29
	उप जोड़	**1,168.85**	**944.13**
घटाएं – निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित आय		128.68	12.37
घटाएं – अग्रिम को अंतरित आय/ ग्राहक/संविदादाता से जमा तथा जमा कार्यों के प्रति		3.99	6.98
	कुल	**1,036.18**	**924.78**

24.2.1 पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताओं/ह्रास भत्ते/ प्रावधानों का ब्यौरा

क)	खराब और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	0.11	-
ख)	मालसूची के अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	0.35	1.20
ग)	व्यापार प्राप्यों हेतु क्षति प्रावधान	-	0.02
घ)	ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि करने वाले ऋण हेतु क्षति प्रावधान	3.34	8.00
ङ)	संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान	108.90	-
च)	जांच लंबित/पश्चलेखन स्वीकृति प्रतीक्षित हानियों हेतु प्रावधान	0.16	1.18
छ)	आजीविका सहायता हेतु प्रावधान	-	0.14
ज)	बीमित परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार व्ययों हेतु प्रावधान	0.98	9.55
झ)	अन्य	1.83	11.03
	कुल	**115.67**	**31.12**

24.2.2 कुल में टिप्पणी संख्या 34(22) में वर्णन किए अनुसार सुबनसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 43.54 करोड़ रुपए (गत वर्ष 24.71 करोड़ रुपए) शामिल हैं। तथापि, सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 9.82 करोड़ रुपए (गत वर्ष 21.24 करोड़ रुपए) की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को इंड एएस 114–"नियामक विलंबित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 25.1 विद्युत की खरीद – व्यापार

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
विद्युत की खरीद		238.32	**12.94**
घटाएं : आपूर्तिकार से छूट		4.19	0.26
	कुल	**234.13**	**12.68**

टिप्पणी सं. 25.2 : उत्पादन व्यय

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(1)	जल उपयोग प्रभार	882.93	775.31
(2)	भंडार एवं कलपुर्जों की खपत	18.74	21.54
	कुल	**901.67**	**796.85**

टिप्पणी सं. 26 : कर्मचारी लाभ व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	1,496.38	1645.74
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों के लिए अंशदान	192.87	265.14
कर्मचारी कल्याण व्यय	83.07	87.27
उप जोड़	**1,772.32**	**1998.15**
घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित	256.80	293.05
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	-	0.45
कुल	**1,515.52**	**1704.65**

26.1 प्रचालन पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण तुलन–पत्र की टिप्पणी 34 (16)(क) में दिए गए है।

26.2 2) उपदान, भविष्य निधि और पेंशन योजना में अंशदान में निम्नलिखित अंशदान शामिल हैः

	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
i) कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति	88.18	105.67
ii) कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना	88.40	129.54

26.3 वेतन और मजदूरी में इंड एएस–116 ''पट्टे'' के अनुसार अल्पावधि पट्टों में व्यय शामिल है। 1.50 -

26.4 कुल में टिप्पणी संख्या 34(22) में वर्णन किए अनुसार सुबनसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 35.61 करोड़ रुपए (गत वर्ष 103.90 करोड़ रुपए) शामिल हैं। तथापि, सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 35.60 करोड़ रुपए (गत वर्ष 20.68 करोड़ रुपए) की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को इंड एएस 114 –"नियामक विलंबित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 27 : वित्त लागत

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क.	**परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज**		
	बॉण्ड	1,101.23	996.02
	सावधि ऋण	140.01	128.29
	विदेशी ऋण	25.29	21.37
	भारत सरकार ऋण	69.71	61.52
	पट्टा देयताएं	1.17	-
	छूट का समापन – भारत सरकार ऋण	42.83	29.87
	उप जोड़	**1,380.24**	**1,237.07**
ख.	**अन्य ऋण लागत**		
	कॉल स्प्रेड/कूपन अदला–बदली	30.23	1.02
	बॉण्ड निर्गम/सेवा व्यय	1.28	-
	विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	13.43	18.61
	अन्य वित्त प्रभार	0.95	0.79
	छूट का समापन – प्रावधान और वित्तीय देयताएं	5.36	5.50
	उप जोड़	**51.25**	**25.92**
ग.	**विदेशी मुद्रा लेनदेन और परिवर्तन पर लागू निवल लाभ/हानि**		
	विनिमय अंतर जिन्हें ब्याज लागत पर समायोजन माना गया है	143.79	22.69
	घटाएं : विदेशी मुद्रा विनिमय दर में अंतर के कारण ब्याज समायोजन	(120.23)	(22.69)
	उप जोड़	**23.56**	-

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
घ. आयकर पर ब्याज	2.16	-
कुल (क+ख+ग+घ)	**1,457.21**	**1,262.99**
घटाएं : निर्माण पर आरोप्य व्यय को अंतरित वित्त लागत	661.79	368.11
कुल	**795.42**	**894.88**

27.1 कुल में टिप्पणी संख्या 34(22) में वर्णन किए अनुसार सुबनसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 157.61 करोड़ रुपए (गत वर्ष 302.72 करोड़ रुपए) शामिल हैं। तथापि, सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 157.61 करोड़ रुपए (गत वर्ष 76.78 करोड़ रुपए) की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को इंड एएस 114–"नियामक विलंबित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. : 28 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
मूल्यह्रास – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	1,547.17	1,591.73
मूल्यह्रास – उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां	27.32	-
परिशोधन – अमूर्त परिसंपत्तियां	0.95	11.24
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यह्रास समायोजन **(देखें टिप्पणी 19 और 5(घ)(2))**	(0.35)	(4.09)
उप जोड़	**1,575.09**	**1,598.88**
घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को को अंतरित	29.75	8.89
कुल	**1,545.34**	**1,589.99**

28.1 कुल में टिप्पणी संख्या 34(22) में वर्णन किए अनुसार सुबनसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 3.59 करोड़ रुपए (गत वर्ष 8.54 करोड़ रुपए) शामिल हैं। तथापि, सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 3.59 करोड़ रुपए (गत वर्ष 1.77 करोड़ रुपए) की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को इंड एएस 114–"नियामक विलंबित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 29 : अन्य व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. मरम्मत तथा अनुरक्षण		
- भवन	67.59	64.73
- मशीनरी	80.74	63.63
- अन्य	139.67	146.54
ख. प्रशासनिक व्यय		
किराया	20.84	44.76
हायर प्रभार	27.47	7.07
दरें और कर	15.25	14.04
बीमा	168.00	123.28
सुरक्षा व्यय	390.50	324.53
विद्युत प्रभार	43.46	47.55
यात्रा एवं वाहन	27.79	26.77
वाहनों पर खर्च	6.69	8.60
टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	17.44	16.21
विज्ञापन एवं प्रचार	7.97	16.36
मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	0.42	0.50

	विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	4.66	4.63
	परामर्शी प्रभार	13.81	14.74
	लेखापरीक्षा खर्च **(टिप्पणी–29.3 देखें)**	2.83	1.96
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण सुधार पर खर्च	10.69	116.36
	कंपनी के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर किया गया व्यय	3.05	9.59
	परिसंपत्तियों पर हानियां (निवल)	2.51	-
	बीमा दावे से हानियां	46.21	72.89
	चंदा	-	1.00
	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व **(टिप्पणी–34(14) देखें)**	126.43	17.58
	निदेशकों का बैठक शुल्क	0.17	0.26
	माध्यस्थम/अदालती मामलों पर ब्याज	3.66	0.01
	लाभग्राही को ब्याज	77.00	-
	स्वतः उत्पन्न वीईआर/आरईसी संबंधी व्यय	0.10	0.27
	विनियम दर अंतर (निवल)	49.75	-
	प्रशिक्षण व्यय	8.52	6.77
	याचिका शुल्क/ पंजीकरण शुल्क/ अन्य शुल्क – सीईआरसी/ आरएलडीसी/ आरपीसी/ आईईएक्स/ पीएक्सआईएल को	10.50	8.47
	केन्द्रीय विद्यालय के प्रचालनात्मक/ चालन व्यय	5.44	29.57
	अन्य विद्यालयों के प्रचालनात्मक/ चालन व्यय	0.56	3.03
	अतिथि गृह/ट्रांजिट छात्रावास के प्रचालनात्मक/ चालन व्यय	21.47	19.47
	डीजी सेट के प्रचालन व्यय – आवासीय के अतिरिक्त	7.70	6.89
	अन्य सामान्य व्यय	28.65	37.63
	उप जोड	**1,437.54**	**1,255.69**
	घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित राशि	77.76	191.03
	घटाएं : जमा कार्यों हेतु वसूली योग्य	-	0.04
	घटाएं : पुनः खरीद के व्यय हेतु सामान्य आरक्षित को अंतरण	-	6.20
	उप जोड़ (1)	**1,359.78**	**1,058.42**
ग.	**प्रावधान/ क्षति प्रावधान**		
	खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान	-	0.01
	खराब तथा संदिग्ध प्राप्य हेतु प्रावधान	-	2.99
	संदिग्ध ब्याज हेतु प्रावधान	-	4.79
	भण्डार तथा कलपुर्जो/ निर्माण भंडार हेतु प्रावधान	0.16	2.94
	भंडार/कलपुर्जे में कमी हेतु मुहैया करवाया गया प्रावधान	0.06	-
	प्रावधान किए गए परियोजना व्यय	154.73	60.52
	अचल परिसंपत्तियों/भंडार हेतु मुहैया करवाया गया प्रावधान	0.28	0.10
	लाभग्राहियों को ब्याज हेतु प्रावधान **(देखें टिप्पणी 29.2)**	-	38.00
	उप जोड़	**155.23**	**109.35**
	घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित राशि	0.06	2.24
	उप जोड़ (2)	**155.17**	**107.11**
	कुल (1+2)	**1,514.95**	**1,165.53**

29.1 प्रचालन पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण तुलन–पत्र की टिप्पणी 34 16(क) में दिए गए है।

	विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
29.2	कंपनी द्वारा सीईआरसी की दिनांक 21.02.2014 की अधिसूचना के अंतर्गत संतुलन के लिए दायर आवेदन के संबंध में सीईआरसी द्वारा संशोधन आदेश के लंबित होने के चलते, संबंधित राशि का बहियों में लाभग्राही राज्यों के प्रति ब्याज के लिए प्रावधान उस वर्ष के लिए किया गया है जिसे उक्त संशोधन आदेश के परिणामस्वरूप टैरिफ में कमी के मामले में अदा किया जाना पड़ सकता है।	-	38.00

29.3 लेखा परीक्षा व्यय का ब्योरा नीचे दिया गया है:–

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i) सांविधिक लेखा–परीक्षक		
लेखा–परीक्षक के रूप में	0.79	0.61
लेखा–परीक्षा शुल्क	0.22	0.16
कर लेखा–परीक्षा शुल्क		
अन्य क्षमता में		
कराधान मामले	-	0.02
अन्य मामले / सेवाएं	1.00	0.44
खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.55	0.51
ii) लागत लेखा परीक्षक		
लेखा–परीक्षा शुल्क	0.24	0.20
खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.03	0.02
कुल लेखापरीक्षा व्यय (माल और सेवा कर सहित)	**2.83**	**1.96**

29.4 किराए में इंड एएस 116 – ''पट्टे'' के अनुसार निम्नलिखित व्यय शामिल हैं:–

(करोड़ रूपए में)

	(i) एक माह या कम की पट्टा अवधि के अतिरिक्त अल्पावधि पट्टे पर व्यय	15.08	शून्य
	(ii) निम्न मूल्य परिसंपत्तियों के दीर्घावधि पट्टे पर व्यय	0.14	शून्य
	(iii) पट्टा देयताओं के मापन में शामिल न होने वाले परिवर्तनशील पट्टा भुगतान	5.61	शून्य
29.5	लाभ और हानि विवरण पर इंड एएस 116 ''पट्टे'' का प्रभाव **(देखें टिप्पणी 34(28))**	0.22	-

29.6 कुल में टिप्पणी संख्या 34(22) में वर्णन किए अनुसार सुबनसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 70.44 करोड़ रुपए (गत वर्ष 58.83 करोड़ रुपए) शामिल हैं। तथापि, सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 16.27 करोड़ रुपए (गत वर्ष 16.54 करोड़ रुपए) की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को इंड एएस 114–"नियामक विलंबित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. : 30.1 कर व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वर्तमान कर		
वर्तमान कर के लिए प्रावधान	581.27	696.15
पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन	21.13	(46.37)
कुल वर्तमान कर व्यय	**602.40**	**649.78**
विलंबित कर		
विलंबित कर परिसंपत्तियों में कमी (वृद्धि)		
– अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	(42.01)	133.43
विलंबित कर देयताओं में कमी/(वृद्धि)		
– अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	40.61	331.02
कुल विलंबित कर व्यय (लाभ)	**(1.40)**	**464.45**
निवल विलंबित कर	**(1.40)**	**464.45**
कुल	**601.00**	**1,114.23**

30.1.1 कर व्यय और भारत की घरेलू दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ का मिलान	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन सहित आय कर से पूर्व लेखांकन लाभ/हानि	3,608.17	3,744.78
लागू कर दर (प्रतिशत)	34.9440	34.9440
गणना किए गए कर व्यय	**1,260.84**	**1,308.58**
कर योग्य आय की गणना करते समय कटौती योग्य न होने वाले (कर योग्य) राशियों का निवल प्रभाव		
गैर कटौती योग्य कर व्यय	45.17	6.59
कर छूट प्राप्त आय	(173.20)	(100.70)
कर प्रोत्साहन (80–आईए कटौतियां)	(773.13)	(620.02)
पूर्व की अवधि के वर्तमान कर हेतु समायोजन	-	(46.37)
न्यूनतम वैकल्पिक कर समायोजन	220.19	566.15
पूर्वावधि से संबंधित समायोजन	21.13	-
लाभ एवं हानि विवरण में सूचित आय कर व्यय	**601.00**	**1,114.23**
30.1.2 इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त राशियां		
रिपोर्टिंग अवधि में उत्पन्न होने वाले समेकित वर्तमान तथा विलंबित कर जिन्हें निवल लाभ या हानि या अन्य व्यापक आय में मान्यता नहीं दी गई है परंतु सीधे इक्विटी को डेबिट/(क्रेडिट) किया गया है :		
वर्तमान कर	-	-
विलंबित कर	-	-
कुल	**शून्य**	**शून्य**
30.1.3 कर हानियां तथा क्रेडिट		
1) अप्रयुक्त कर हानियां जिनके लिए किसी विलंबित कर परिसंपत्ति को मान्यता प्रदान नहीं की गई है	शून्य	शून्य
संभावित कर लाभ 30 प्रतिशत की दर से	शून्य	शून्य
2) कंपनी को भविष्य में उपलब्ध मैट क्रेडिट का ब्यौरा जिसे बहियों में मान्यता प्रदान नहीं की गई है **(देखें टिप्पणी 30.5)**	2,196.82	2,040.81

30.1.4	**मान्यता न प्रदान किए गए अस्थायी अंतर**		
	अनुषंगी कंपनियों में निवेश से संबंधित अस्थायी अंतर जिनके लिए विलंबित कर देयताओं को मान्यता नहीं प्रदान की गई है		
	अवितरित आय	शून्य	शून्य
	उक्त अस्थायी अंतरों से संबंधित मान्यता न दी गई विलंबित कर देयताएं	शून्य	शून्य

30.1.5 कंपनी को भविष्य में उपलब्ध न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) क्रेडिट का ब्यौरा जिसे बहियों में मान्यता प्रदान नहीं की गई है, नीचे दिया गया है

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2020 के अनुसार		31 मार्च, 2019 के अनुसार	
	राशि	समाप्ति का वर्ष	राशि	समाप्ति का वर्ष
2019-20	156.01	2034-35	-	-
2018-19	696.15	2033-34	696.15	2033-34
2017-18	210.11	2032-33	210.11	2032-33
2016-17	11.59	2031-32	11.59	2031-32
2015-16	177.01	2030-31	177.01	2030-31
2014-15	46.81	2029-30	46.81	2029-30
2013-14	481.84	2028-29	481.84	2028-29
2012-13	291.71	2027-28	291.71	2027-28
2008-09	125.59	2023-24	125.59	2023-24
कुल	**2196.82**		**2040.81**	

कंपनी को भविष्य में उपलब्ध उक्त वर्णित मैट क्रेडिट के संबंध में विलंबित कर परिसंपत्तियों को निकट भविष्य में प्रत्यावर्तन की अनिश्चितता पर विचार करते हुए मान्यता नहीं प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. : 30.2 अन्य व्यापक आय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(1) मदें जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
(क) रोजगारपश्च निर्धारित लाभ बाध्यताओं का पुनः मापन	57.66	1.77
घटाएं : रोजगारपश्च निर्धारित लाभ बाध्यताओं के पुनः मापन पर विलंबित कर	20.15	0.62
रोजगारपश्च निर्धारित लाभ बाध्यताओं का पुनः मापन (कर का निवल)	**37.51**	**1.15**
घटाएं : निर्धारित लाभ बाध्यताओं पर कर के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन	8.14	(0.55)
रोजगारपश्च निर्धारित लाभ बाध्यताओं निवल कर और नियामक विलंबित लेखा शेष का पुनः मापन (क)	29.37	1.70
(ख) इक्विटी लिखत में निवेश	(42.09)	(16.48)
घटाएं : इक्विटी लिखत पर आय कर	-	-
उप जोड़ (ख)	**(42.09)**	**(16.48)**
कुल (1) = (क) + (ख)	**(12.72)**	**(14.78)**
(2) लाभ या हानि को पुनः वर्गीकृत की जाने वाली मदें		
ऋण लिखत में निवेश	15.77	3.09
घटाएं : ऋण लिखत में निवेश पर आय कर	3.67	0.72
जोड़ (2)	**12.10**	**2.37**
कुल + (1) + (2)	**(0.62)**	**(12.41)**

टिप्पणी सं. : 31 विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
निम्नलिखित के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचालन:-		
(i) सुबनसिरी लोअर परियोजना:-		
क) कर्मचारी हितलाभ व्यय	35.60	20.68
ख) अन्य व्यय	16.27	16.54
ग) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	3.59	1.77
घ) वित्त लागत	157.61	76.78
ङ) अन्य आय	(9.82)	(21.24)
उप जोड़ (i)	**203.25**	**94.53**
(ii) तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन	-	203.85
(iii) किशनगंगा पावर स्टेशन – टैरिफ के अनतिक्रम के कारण मूल्यह्रास	195.62	171.98
(iv) मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर	0.99	(0.57)
(v) वर्ष 2009 तक की टैरिफ अवधि हेतु आस्थगित कर वसूली योग्य के प्रति समायोजन	(125.71)	(137.30)
(vi) टैरिफ अवधि 2014–19 हेतु आस्थगित कर देयताओं के प्रति समायोजन	69.46	490.91
कुल (क) (i)+(ii)+(iii)+(iv+(v)+(vi)	**343.61**	**823.40**
विनियामक आस्थगित लेखे पर कर का प्रभाव		
घटाएं : विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर आस्थगित कर	19.66	(254.90)
जोड़े : लाभार्थियों से आस्थगित कर वसूली योग्य	19.66	(254.90)
कुल	**343.61**	**823.40**

एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 14 देखें।

टिप्पणी सं. : 32 वर्ष हेतु चल रहे पूंजीगत कार्य का भाग होने वाले निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क. **कर्मचारी लाभ व्यय**		
वेतन और मजदूरी	120.70	127.94
भविष्य निधि और उपदान में अंशदान	16.12	20.81
स्टाफ कल्याण व्यय	5.04	4.53
उप–जोड़	**141.86**	**153.28**
ख. **वित्त लागत**		
निम्नलिखित पर ब्याज : **(देखें टिप्पणी 2.2.1)**		
बॉण्ड	564.44	349.92
विदेशी ऋण	3.56	-
सावधि ऋण	55.59	15.41
	623.59	**365.33**
ब्याज लागत पर समायोजन के संदर्भ में विनिमय अंतर	14.15	-
अस्पष्ट लेन–देनों पर हानि	22.01	-
ईएसी में व्ययों का अंतरण – केन्द्र सरकार से ऋण पर ब्याज – प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	-	1.44
ईएसी में व्ययों का अंतरण – प्रतिभूति जमा/ प्रतिधारण राशि पर ब्याज – प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	1.73	1.18
ईएसी में व्ययों का अंतरण – एफसी ऋणों पर ब्याज – प्रभावी ब्याज समायोजन	0.09	-
उप जोड़	**661.57**	**367.95**

	विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ग.	**मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय**	27.53	7.18
	उप जोड़	27.53	7.18
घ.	**अन्य व्यय**		
	मरम्मत तथा अनुरक्षणः		
	– भवन	5.96	3.85
	– मशीनरी	0.91	0.03
	– अन्य	7.42	3.48
	किराया एवं हायर दरें	9.36	7.74
	दरें और कर	2.33	1.40
	बीमा	2.58	0.25
	सुरक्षा व्यय	19.26	22.97
	विद्युत प्रभार	3.95	3.19
	यात्रा एवं वाहन	2.55	2.51
	वाहनों पर व्यय	0.69	0.72
	टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	1.61	2.13
	विज्ञापन एवं प्रचार	0.01	0.27
	मुद्रण एवं स्टेशनरी	0.29	0.35
	डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार	2.90	2.11
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र व्यवहार/पर्यावरणीय व्ययों खर्च	0.20	115.72
	कंपनी से गैर–संबंधित भूमि पर व्यय	0.25	6.94
	भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास व्यय	-	0.15
	अन्य सामान्य व्यय	6.32	8.04
	विनिमय दर परिवर्तन (डेबिट)	0.26	-
	उप जोड़	**66.85**	**181.85**
ङ.	**प्रावधान**	0.06	2.24
	उप जोड़	**0.06**	**2.24**
च.	**कारपोरेट कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय**		
	अन्य आय	(1.06)	(0.97)
	अन्य व्यय	10.91	9.18
	कर्मचारी लाभ व्यय	114.94	139.77
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	2.22	1.71
	वित्त लागत	0.22	0.16
	उप जोड़	**127.23**	**149.85**
छ.	**घटाएं : प्राप्तियां और वसूलियां**		
	विद्युत के उत्पादन से आय – चालू किए जाने से पूर्व	25.56	9.17
	ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	15.92	6.46
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.05	-
	विनिमय दर परिवर्तन (क्रेडिट)	0.66	-
	पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान/देयताएं	110.45	0.35
	विविध प्राप्तियां	0.54	4.59
	उप जोड़	**153.18**	**20.57**
	कुल (क+ख+ग+घ+ड+च+छ) (टिप्पणी 2.2 देखें)	**871.92**	**841.78**

टिप्पणी सं. 33 : वित्तीय दस्तावेज और जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटीकरण

1. उचित मूल्य मापन

क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय दस्तावेज

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय परिसंपत्तियां	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को			31 मार्च, 2019 को		
		लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) **गैर–वर्तमान निवेश**							
क) **इक्विटी दस्तावेज में (उद्धृत)**	3.1		46.57	–		88.66	–
ख) ऋण दस्तावेज में (सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) – उद्धृत	**3.1**		**417.56**	–		**401.54**	–
उप जोड़			464.13	–		490.20	–
(ii) व्यापार प्राप्य	3.2			–			61.51
(iii) ऋण							
क) जमा	3.3			22.45			21.49
ख) कर्मचारी	3.3			100.40			104.92
ग) अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.3			675.80			620.00
(iv) अन्य							
– ब्याज सहित पट्टा प्राप्य	3.4			1,384.63			1,449.61
– भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण वसूलीयोग्य	3.4			2,017.20			2,017.20
– व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्ति	3.4	33.71			–		
– 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा सहित अन्य (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.4			0.37			0.35
कुल गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां		**33.71**	**464.13**	**4,200.85**	–	**490.20**	**4,275.08**
वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) व्यापार प्राप्य	7			3,818.34			2,623.09
(ii) नकदी और नकदी समतुल्य	8			8.87			12.04
(iii) नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	9			380.25			378.59
(iv) ऋण	10						
– कर्मचारी ऋण				39.28			38.56

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय परिसंपत्तियां	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को			31 मार्च, 2019 को		
		लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
– संयुक्त उद्यम (नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (प्रा.) लिमिटेड) को ऋण				6.27			6.00
– जमा				0.48			0.62
(v) अन्य (पट्टा प्राप्य को छोड़ कर)	11			2,648.14			1,927.59
(vi) अन्य (ब्याज सहित पट्टा प्राप्य)	11			51.60			56.67
कुल वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां							
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		–	6,953.23		–	5,043.16	
	33.71	**464.13**	**11,154.08**		**490.20**	**9,318.24**	

वित्तीय देयताएं	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को			31 मार्च, 2019 को		
		लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
(i) दीर्घावधि ऋण	16.1			20,878.66			17,044.63
(ii) पट्टा दायित्वों की दीर्घावधिक परिपक्वताएं	16.1			11.08			–
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के प्रति देय सहित)	16.2			2,059.23			2,058.64
(iv) ऋण – अल्पावधि	20.1			714.31			406.00
(v) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहित व्यापार देय	20.2			304.26			180.18
(vi) अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं							
क) दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं	20.3			1,616.95			1,605.16
ख) पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वताएं	20.3			2.83			–
ग) ऋण पर प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	20.3			643.10			584.98
घ) अन्य वर्तमान देयताएं	20.3			616.82			656.78
कुल वित्तीय देयताएं				**26,847.24**			**22,536.37**

ख) उचित मूल्य मापन

1) उचित मूल्य वर्गीकरण

यह खंड (क) उचित मूल्य पर मान्यता दिए जाने तथा मापे जाने वाले और (ख) परिशोधित लागत पर मापे गए और जिसके उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्यों के निर्धारण में अपनाए गए निर्णयों तथा अनुमानों को स्पष्ट करता है। उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले आदानों की विश्वसनीयता के संबंध में एक संकेत मुहैया करवाने हेतु, कंपनी ने अपनी वित्तीय दस्तावेजों को इंड एएस–113 "उचित मूल्य मापन" के अंतर्गत विहित निम्नलिखित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है:

स्तर–1: स्तर–1 वर्गीकरण में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे जाने वाले वित्तीय दस्तावेज शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी दस्तावेज और व्यापार किए जाने वाले वे बॉण्ड शामिल हैं जिनका उद्धृत मूल्य है। बॉण्ड सहित सभी इक्विटी दस्तावेज जिनका मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज तथा धन बाजारों में व्यापार किया जाता है, उनका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि को अंतिम मूल्यों का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर–2: सक्रिय बाजार में व्यापार न किए जाने वाले वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो प्रत्यक्ष बाजार आंकड़ों के उपयोग को अधिकतम करता है और निकाय विशिष्ट अनुमानों पर यथा संभव कम निर्भर करता है। यदि किसी दस्तावेज के उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण आदान प्रत्यक्ष हैं तो दस्तावेज स्तर–2 में शामिल किया जाता है।

स्तर–3: यदि एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण आदान प्रत्यक्ष बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं तो दस्तावेज को स्तर–3 में शामिल किया जाता है। स्तर–3 में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य सामान्य रूप से स्वीकृत कीमत प्रवाह मॉडल के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो प्रत्यक्ष वर्तमान बाजार लेन–देनों और समान दस्तावेजों के डीलर उद्धरण से कीमतों का उपयोग करके लेखांकित नकदी प्रवाह विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। इसमें व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्तियां/देयताएं, प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि और ब्याज की बाजार दरों से कम वाले ऋण शामिल हैं।

(क) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं – आवर्ती उचित मूल्य मापन:

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को			31 मार्च, 2019 को		
			स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
(i)	**एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां**							
	निवेश –							
	– इक्विटी दस्तावेजों में (उद्धृत)	3.1	46.57			88.66		
	– ऋण दस्तावेजों में (सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) – उद्धृत*	3.1	417.56			401.54		
	एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियां:							
(i)	व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्ति (मांग फैलाव विकल्प और केवल कूपन विनिमय)			33.71				-
	कुल		**464.13**	**33.71**	**-**	**490.20**	**-**	**-**

टिप्पणी:

* इन दस्तावेजों की नवीनतम उद्धृत बाजार दरों के अभाव में, दरों को फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एण्ड डिराइवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) के अनुसार व्युत्पन्न किया गया है।

सभी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को तुलन–पत्र की परिशोधित लागत पर मापा गया है और उन्हें गैर–आवर्ती उचित मूल्य मापन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय परिसपंत्तियां/देयताएं जिनके उचित मूल्य को प्रकट किया गया है:

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को			31 मार्च, 2019 को		
			स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
	वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i)	**व्यापार प्राप्य**	3.2		-			61.51	
(ii)	**ऋण**							
	क) कर्मचारी	3.3		117.29			113.12	

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को			31 मार्च, 2019 को		
			स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
	ख) अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.3		675.80			620.00	
	ग) जमा	3.3			22.45			21.49
(ii)	**अन्य**							
	– 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.4		0.37			0.35	
	– भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलनीय	3.4	2,017.20			2,017.20		
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**2,017.20**	**793.46**	**22.45**	**2,017.20**	**794.98**	**21.49**
	वित्तीय देयताएं							
(i)	वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोद्भूत ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण	16.1 & 20.3	16,161.49	3,444.70	2,654.45	13,863.26	2,596.46	2,054.78
(ii)	पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि और अल्पावधि परिपक्वताएं	16.1 & 20.3	-	-	13.91	-	-	-
(iii)	अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देय सहित)	16.2	2,017.20		46.99	2,017.20		42.24
	कुल वित्तीय देयताएं		**18,178.69**	**3,444.70**	**2,715.35**	**15,880.46**	**2,596.46**	**2,097.02**

(ग) परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का उचित मूल्य

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
			वहनीय राशि	उचित मूल्य	वहनीय राशि	उचित मूल्य
	वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i)	व्यापार प्राप्य	3.2	-	-	61.51	61.51
(ii)	ऋण					
	क) कर्मचारी	3.3	100.40	117.29	104.92	113.12
	ख) अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.3	675.80	675.80	620.00	620.00
	ग) जमा	3.3	22.45	22.45	21.49	21.49
(ii)	**अन्य**					
	– 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.4	0.37	0.37	0.35	0.35
	– भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलनीय	3.4	2,017.20	2,017.20	2,017.20	2,017.20
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**2,816.22**	**2,833.11**	**2,825.47**	**2,833.67**

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
			वहनीय राशि	उचित मूल्य	वहनीय राशि	उचित मूल्य
	वित्तीय देयताएं					
(i)	वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोदभूत ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण	16.1 व 20.3	23,138.71	22,260.65	19,234.77	18,514.50
(ii)	पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि और अल्पावधि परिपक्वताएं	16.1 व 20.3	13.91	13.91	–	–
(iii)	अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देय सहित)	16.2	2,059.23	2,064.19	2,058.64	2,059.44
	कुल वित्तीय देयताएं		**25,211.85**	**24,338.75**	**21,293.41**	**20,573.94**

टिप्पणी :–

1. वर्तमान निवेशों, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, नकदी तथा नकदी समतुल्य, अल्पावधि ऋणों तथा अग्रिमों, अल्पावधि उधारों, व्यापार देयों और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं की वहनीय राशि को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।
2. उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं हेतु वहनीय राशि उचित मूल्य के समान है।

(घ) उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए मूल्यांकन तकनीक और प्रयुक्त प्रक्रिया

(1) कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन उपलब्ध सर्वोत्तम तथा सर्वाधिक संगत डाटा का उपयोग करते हुए करती है। वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल हैं–

– उद्धृत बाजार कीमत अथवा समान दस्तावेज हेतु डीलर उद्धरण का उपयोग।

– शेष वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्य का निर्धारण छूट दिए गए नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करके किया जाता है।

(2) स्तर–3 में वर्गीकृत वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्य के लिए प्रयुक्त छूट दर अधीनस्थ ऋण तथा विदेशी मुद्रा ऋण को छोड़कर कंपनी के बकाया ऋणों की धारित औसत दर पर आधारित है।

(3) बाद में परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय देयताओं को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके उचित मूल्य घटा लेन–देन लागत पर प्रारंभिक रूप से माना जाता है जहां दीर्घावधि ऋण पर व्यय की गई ऐसी लेन–देन लागत वास्तविक होती है।

(2) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(क) वित्तीय जोखिम कारक

जोखिम	निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाला प्रभावन	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी तथा नकदी समतुल्य, अन्य बैंक शेष, व्यापार प्राप्य और परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय परिसंपत्तियां, पट्टा प्राप्य	आयु विश्लेषण, क्रेडिट रेटिंग	बैंक जमा का विविधीकरण, चुनिंदा ग्राहकों हेतु लेटर ऑफ क्रेडिट
लिक्विडिटी जोखिम	उधार तथा अन्य सुविधाएं	चल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान और बजट	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों तथा ऋण सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम – ब्याज दर	परिवर्तनशील दरों पर दीर्घावधि ऋण	संवेदनशीलता विश्लेषण	1. नियत दर तथा परिवर्तनशील दरों का विविधीकरण 2. पुनः वित्तपोषण 3. वास्तविक ब्याज को सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है।
बाजार जोखिम – प्रतिभूति कीमतें	इक्विटी तथा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधीकरण
बाजार जोखिम – विदेशी विनिमय	भारतीय राष्ट्रीय रुपए में दर्शायी न गई मान्य वित्तीय देयताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	विदेशी विनिमय दर परिवर्तन को सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है। मांग फैलाव विकल्प और केवल कूपन विनिमय

ऋण जोखिम ढांचा

कंपनी के क्रियाकलाप इसे विभिन्न जोखिमों के लिए अतिसंवेदनशील बनाते हैं। कंपनी ने पर्याप्त प्रणालियों और पद्धतियों का विकास करके ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। कंपनी में जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र अवसंरचना प्रदान करने हेतु कंपनी की सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी के लिए पूरी तरह निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

कंपनी अपने वित्तीय दस्तावेजों के उपयोग से निम्नलिखित जोखिमों का सामना करती है:

i) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है कि कोई प्रतिपक्ष किसी वित्तीय दस्तावेज या उपभोक्ता संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगा, जो वित्तीय हानि में परिणत होगा। कंपनी को अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य/पटटेवाली परिसंपत्तियों) और वित्तपोषण क्रियाकलापों, जिसमें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के पास जमा शामिल हैं, से ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

ii) लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम वह जोखिम है कि कंपनी अपने वर्तमान तथा भावी नकदी एवं सहायक दायित्वों को अस्वीकार्य हानियों को वहन किए बिना पूरा करने में असमर्थ हो सकती है।

iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भावी नकदी प्रवाहों में बाजार कीमतों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव आएगा। बाजार मूल्यों में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैं – मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य कीमत जोखिम जैसे कि इक्विटी मूल्य जोखिम तथा वस्तु जोखिम। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय दस्तावेजों में ऋण तथा उधार, जमा तथा निवेश शामिल हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भावी नकदी प्रवाहों में विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भावी नकदी प्रवाहों में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा।

कंपनी एक विनियमित परिवेश में प्रचालन करती है। कंपनी के टैरिफ को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक नियत प्रभारों (एएफसी) के माध्यम से नियत किया जाता है जिसमें निम्नलिखित पांच घटक शामिल होते हैं – 1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), 2. मूल्यह्रास, 3. ऋणों पर ब्याज, 4. प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय और 5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज। उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय परिवर्तनों और करों की वसूली भी टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों से की जानी होती है। अतः ब्याज दर में परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन और अन्य कीमत जोखिम परिवर्तनों को टैरिफ से वसूला जाना होता है और ये कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित नहीं करते।

(ख) ऋण जोखिम

कंपनी अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य) और अपने वित्तपोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों के पास जमा तथा अन्य वित्तीय दस्तावेज शामिल है, से ऋण जोखिम का सामना करती है।

व्यापार प्राप्य, बिल न किया गया राजस्व तथा पट्टा प्राप्यः–

कंपनी व्यापार के सामान्य चालन में ग्राहकों को ऋण का विस्तार करती है। कंपनी ग्राहकों के भुगतान ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती

है। बकाया प्राप्यों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। कंपनी व्यापार प्राप्यों के संबंध में जोखिम संकेन्द्रण का मूल्यांकन अत्यधिक निम्न के रूप में करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्यतः राज्य सरकार के प्राधिकरण हैं और यह अधिकांशतः स्वतंत्र बाजार में प्रचालन करती है। बकाया राजस्व मुख्यतः रिपोर्टिंग तारीख पर बिल नहीं किए गए परन्तु पूरा किए गए कार्यों हेतु मुआवजे पर कंपनी के अधिकार तथा वास्तव में समान प्रकार की संविदा के लिए व्यापार प्राप्यों के रूप में समान जोखिम विशेषताओं से संबंधित है।

कंपनी का पट्टा प्राप्य विद्युत क्रय करारों के संबंध में है जिसे टिप्पणी संख्या 34 में संदर्भित किए अनुसार इंड एएस 17 "पट्टे" के परिशिष्ट ग के अनुसार माने गए पटटे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विद्युत क्रय करार किसी एकल लाभार्थी को विद्युत की बिक्री के लिए है और ब्याज आय तथा पट्टे वाली परिसंपत्तियों पर मूलधन की वसूली अर्थात पावर स्टेशनों की पीपीई का आकलन उसी आधार पर किया जाता है जिन्हें व्यापार प्राप्यों हेतु लागू किया जाता है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां:–

कर्मचारी ऋण: कपंनी ने कर्मचारियों को कंपनी की नीति के अनुसार रियायती दरों पर ऋण दिए हैं जिनका मापन तुलन–पत्र की तारीख को परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण की वसूली नियत किश्त आधार पर कर्मचारियों के मासिक वेतन में से की जाती है। ये ऋण उन परिसंपत्तियों के रेहन/गिरवी रखे जाने के माध्यम से सुरक्षित हैं जिनके लिए ऐसे ऋण दिए गए हैं। प्रबंधन ने पूर्व के डाटा का आकलन किया है और इन ऋणों के संबंध में चूक की किसी संभावना की परिकल्पना नहीं की है।

अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण: कंपनी ने अरूणाचल प्रदेश सरकार को 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर राज्य में जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु कंपनी तथा अरूणाचल प्रदेश सरकार के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार ऋण दिया है। ऋण का मापन परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण राज्य में चालू की जाने वाली पहली जलविद्युत परियोजना से राज्य सरकार के निःशुल्क विद्युत के अंश से वसूला जाना है। प्रबंधन को ऋण संबधी चूक की कोई संभावना नहीं दिखती।

वित्तीय दस्तावेज और नकदी जमा:–

कंपनी बैंकों के पास शेष तथा जमा का रख–रखाव करने के लिए बैंक का चयन करने हेतु ट्रैक रिकार्ड, बैंक के आकार, बाजार ख्याति और सेवा मानकों जैसे कारकों पर विचार करती है। सामान्यतः शेष का रख–रखाव उन बैंकों के पास किया जाता है जिनसे कंपनी ने भी ऋण लिया है। कंपनी अधिशेष नकदी का निवेश अनुसूचित बैंकों के पास अल्पावधि जमा में करती है। कंपनी के शेष तथा जमा ऐसी बैंकों के पास हैं जो भलीभांति निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विविधाकृत हैं और किसी एक बैंक के साथ इसका सीमित संपर्क है।

(1) ऋण जोखिम का प्रदर्शन

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहनीय राशि अधिकतम ऋण प्रदर्शन को दर्शाती है। रिपोर्टिंग तिथि को ऋण जोखिम का अधिकतम प्रदर्शन निम्नानुसार था:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर–वर्तमान निवेश (अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अतिरिक्त)	464.13	490.20
ऋण–गैर–वर्तमान (ब्याज सहित)	798.65	746.41
अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां	2,017.57	2,017.55
नकदी और नकदी समतुल्य	8.87	12.04
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	380.25	378.59
ऋण – वर्तमान	46.03	45.18
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (प्राप्य पट्टे को छोड़कर)	2,648.14	1,927.59
कुल (क)	**6,363.64**	**5,617.56**
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्य	3,818.34	2,684.60
पट्टा प्राप्य (ब्याज सहित)	1,436.23	1,506.28
कुल (ख)	**5,254.57**	**4,190.88**
कुल (क+ख)	**11,618.21**	**9,808.44**

(ii) प्रत्याशित ऋण हानियों हेतु प्रावधान

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर बकाया प्राप्यों का आकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली में चूक तब होती है जब प्रबंधन के विचार में वसूली के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद प्राप्यों की वसूली की महत्वपूर्ण संभावना नहीं होती है। चूंकि कंपनी के पावर स्टेशन और लाभार्थी भारत के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, फिर भी भौगोलिक रूप से ऋण जोखिम का कोई संकेंद्रण नहीं है।

यह कंपनी मुख्य रूप से थोक उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करता है जिसमें मुख्य रूप से राज्य सरकार के स्वामित्व वाली राज्य यूटिलिटियां शामिल हैं। कंपनी के पास भारत सरकार, आरबीआई तथा व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच त्रिपक्षीय करारों (टीपीए) द्वारा समर्थित ऋण पत्र (एलसी) के रूप में एक मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र है, जो 2001–02 के दौरान भारत सरकार द्वारा सेबी के बकाया राशि का एकमुश्त निपटान जारी करने के बाद, अक्तूबर, 2016 तक वैध था। भारत सरकार ने अगले 10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए इस टीपीए के विस्तार को अनुमोदित किया। अधिकांश राज्यों ने इन टीपीए पर हस्ताक्षर किए हैं तथा शेष राज्यों द्वारा हस्ताक्षर करने का कार्य जारी है। टीपीए के प्रावधानों के अनुसार, ग्राहकों के लिए पिछले 12 महीनों हेतु कंपनी की औसत मासिक बिलिंग का 105 प्रतिशत कवर करने के लिए साख–पत्र की स्थापना करना अपेक्षित है। टीपीए में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी राज्य यूटिलिटी द्वारा वर्तमान बकाया के भुगतान में कोई चूक हुई है तो बकाया राशि की कटौती राज्य की केंद्रीय योजना सहायता से की जा सकती है तथा संबंधित सीपीएसयू को भुगतान की जा सकती है। इसमें बकाया राशि का भुगतान न करने तथा साख पत्रों की गैर–स्थापना के संदर्भ में कंपनी द्वारा विद्युत के विनियमन का भी प्रावधान है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019–24 कंपनी को विलंब भुगतान अधिभार हेतु लाभग्राहियों से बिल जुटाने की अनुमति देते है जो कंपनी की भुगतान में विलब के कारण उत्पन्न होने वाले राशि के समय मूल्य हेतु पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि लाभग्राही मुख्यतः राज्य सरकारें/राज्य की वितरण कंपनियां हैं और व्यापार प्राप्य हेतु ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को देखते हुए, कंपनी लाभग्राहियों से प्राप्य के मूल्य में किसी क्षति या व्यापार प्राप्यों की वसूली में विलंब के कारण धन के समय मूल्य के कारण क्षति हेतु कोई परिकल्पना नहीं करती है। तथापि, कंपनी प्रचालन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तनों पर विचार करते हुए सतत् आधार पर बकाया व्यापार प्राप्यों का आंकलन करती है और मामला–दर–मामला आधार पर प्रत्यशित ऋण हानियों के लिए प्रावधान करती है। रिपोर्टिंग की तारीख को कंपनी व्यापार प्राप्य की गैर–वसूली के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

(iii) क्षति हानि प्रावधानों का मिलान

वर्ष के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हेतु भत्तों में संचलन निम्नानुसार थाः

(करोड़ रूपए में)

विवरण	व्यापार प्राप्य	वसूली योग्य राशि	ऋण	कुल
01.04.2018 को शेष	**37.71**	**210.18**	**0.03**	**247.92**
हानि भत्ते में परिवर्तन	–	(6.81)	(0.02)	(6.83)
01.04.2019 को शेष	**37.71**	**203.37**	**0.01**	**241.09**
हानि भत्ते में परिवर्तन	–	82.35	–	82.35
31.03.2020 को शेष	**37.71**	**285.72**	**0.01**	**323.44**

ऐतिहासिक चूक दरों के आधार पर, कंपनी विश्वास करती है कि किन्हीं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में कोई हानि भत्ता आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसे भत्तों की राशि महत्वपूर्ण नहीं है।

(ग) लिक्विडिटी जोखिम

विवेकसम्मत लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन का अर्थ पर्याप्त नकदी तथा बाजारयोग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और दायित्वों के देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से वित्तपोषण की उपलब्धता है।

i) कंपनी का उद्देश्य नकदी तथा सहायक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर समय लिक्विडिटी के इष्टतम स्तरों को बनाए रखना है। कंपनी निधियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण तथा आधिक्य प्रचालनात्मक नकदी प्रवाहों के एक मिश्रण पर निर्भर करती है। ऋण तथा आंतरिक प्रोद्भवनों की वर्तमान प्रतिबद्ध लाइनें इसकी अल्प से मध्यम अवधि विस्तार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। कंपनी अपनी लिक्विडिटी आवश्यकताओं के चल अनुमानों की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि उसके पास पूंजीगत व्यय तथा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी है जबकि उसके पास हर समय आहरित न की गई प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं हेतु पर्याप्त गुंजाइश है ताकि इसकी किसी ऋण सुविधा पर ऋण सीमाओं या प्रसंविदाओं (जहां लागू हो) का उल्लंघन न हो।

कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित न की गई ऋण सुविधाओं पर पहुंच थीः

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
परिवर्तनशील दरों पर	925.00	819.00
कुल	**925.00**	**819.00**

ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वताएं

नीचे तालिका में दर्शाई गई राशियां संविदात्मक छूट न दिए गए नकदी प्रवाह हैं। एक वर्ष के भीतर देय शेष उनके वहन शेषों के समान है क्योंकि छूट का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

31 मार्च, 2020 को

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2020 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1, 20.1 और 20.3	24,262.41	2,331.26	2,963.68	3,782.02	15,185.45
पट्टा दायित्व	16.1 और 20.3	25.38	2.83	4.88	2.99	14.68
अन्य वित्तीय देयताएं	16.2 और 20.3	3,331.43	1,256.11	10.87	6.96	2,057.50
व्यापार देय	20.2	304.26	304.26	–	–	–
कुल वित्तीय देयताएं		**27,923.48**	**3,894.46**	**2,979.43**	**3,791.97**	**17,257.63**

31 मार्च, 2019 को

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2019 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1, 20.1 और 20.3	19,889.53	2,011.17	3,006.08	3,205.12	11,667.16
पट्टा दायित्व	16.1 और 20.3	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	16.2 और 20.3	3,311.97	1,238.01	10.04	6.88	2,057.04
व्यापार देय	20.2	180.18	180.18	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		**23,381.68**	**3,429.36**	**3,016.12**	**3,212.00**	**13,724.20**

(घ) बाजार जोखिम

संवेदनशीलता विश्लेषण में रोजगार–पश्चात हितलाभ दायित्व प्रावधानों के वहनीय मूल्य और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं पर बाजार परिवर्तनशील कारकों के संचलन का प्रभाव शामिल नहीं होता है। लाभ एवं हानि के विवरण की संगत मद की संवेदनशीलता संबंधित बाजार जोखिमों में माने गए परिवर्तन का प्रभाव है। कंपनी के क्रियाकलाप इसका कई प्रकार के वित्तीय जोखिमों से सामना करा देते हैं जिसमें ब्याज दरों में परिवर्तन का प्रभाव शामिल है।

(i) ब्याज बाजार जोखिम और संवेदनशीलता

बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम से कंपनी का सामना मुख्यतः परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ कंपनी के दीर्घावधि ऋण दायित्वों से संबंधित है। कंपनी की नीति अपने अधिकांश ऋणों को नियत दर पर बनाए रखने की है। कंपनी के नियत दर ऋण को परिशोधित लागत पर लिया जाता है और यह ब्याज दर जोखिम से संबद्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अनुकूल शर्तें उपलब्ध होने पर इन ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करती हैं। कंपनी को परिवर्तनशील दर में परिवर्तनों हेतु प्रतिपूर्ति सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजनों की वसूली के माध्यम से भी की जाती है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण कंपनी का ऋण प्रदर्शन निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	भारित औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	(करोड़ रुपए में)	भारित औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	(करोड़ रूपए में)
परिवर्तनशील दर ऋण (भारतीय रुपए)	8.00	500.00	8.50	190.00
नियत दर ऋण (भारतीय रुपए)	8.07	20,106.61	8.30	17,340.99
नियत दर ऋण (विदेशी मुद्रा)	1.47	1,889.00	1.97	1,118.79
कुल		**22,495.61**		**18,649.78**

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

लाभ अथवा हानि ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप ऋण से उच्चतर/निम्न ब्याज व्यय के प्रति संवेदनशील है। कंपनी के अधिकतर ऋण नियत ब्याज दर पर हैं। परिवर्तनशील दर पर ऋणों के मामले में ब्याज दरों में वृद्धि/कमी के कारण कंपनी के लाभ और हानि विवरण पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि वह प्रशुल्क के माध्यम से लाभार्थियों से वसूल किए जाने योग्य है।

(ii) कीमत जोखिमः

(क) प्रदर्शन

कीमत जोखिम में कंपनी का प्रदर्शन वित्तीय विवरणों में ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी शेयरों तथा ऋण दस्तावेजों में निवेश से उत्पन्न होता है। इक्विटी शेयरों में कंपनी का निवेश मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होता है और स्टाक एक्सचेंजों में सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। ऋण दस्तावेजों में कंपनी के निवेश में उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां

और सार्वजनिक क्षेत्र के बॉण्ड शामिल होते हैं और उनका बाजार में सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। निवेश को तुलन–पत्र में गैर–वर्तमान निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(ख) कीमत जोखिम संवेदनशीलता

इक्विटी दस्तावेजों में निवेश हेतु (आईओबी तथा पीटीसी के इक्विटी शेयरों में निवेश)

नीचे दी गई तालिका में वर्ष हेतु कंपनी की इक्विटी पर इक्विटी दस्तावेजों में निवेश की बाजार कीमत में वृद्धि/कमी के प्रभाव को सारांशीकृत किया गया है:

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
निम्नलिखित के इक्विटी शेयरों में निवेश:	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रुपए में)	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रुपए में)
पीटीसी इंडिया लिमिटेड	24.11	11.21	22.06	19.46
इंडियन ओवरसीज बैंक	22.83	0.06	15.75	0.08

संवेदनशीलता को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में उद्धृत शेयर कीमतों में छमाही उतार–चढ़ाव के पिछले तीन वर्षों के औसत के आधार पर निकाला गया है।

ऋण दस्तावेजों में निवेश हेतु (सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बॉण्डों में निवेश)

नीचे दी गई तालिका में वर्ष हेतु कंपनी की इक्विटी पर ऋण दस्तावेजों के बाजार मूल्य की वृद्धि/कमी के प्रभाव को सारांशीकृत किया गया है:

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रुपए में)	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रुपए में)
सरकारी प्रतिभूति	1.34	4.56	0.57	1.84
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कर मुक्त बाण्ड	1.56	1.29	1.48	1.20

(iii) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी को सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजन के द्वारा वसूली के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तनशीलता हेतु प्रतिपूर्ति की जाती है।

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रदर्शन

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम में कंपनी के प्रदर्शन को भारतीय राष्ट्रीय रुपए में निम्नानुसार व्यक्त किया गया है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
वित्तीय देयताएं:		
विदेशी मुद्रा ऋण		
जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन लि. (जेपीवाई)	1,132.22	1,118.79
एमयूएफजी बैंक (जेपीवाई)	756.77	–
अन्य वित्तीय देयताएं	56.78	61.78
विदेशी मुद्रा जोखिम से निवल प्रदर्शन (देयताएं)	**1,945.77**	**1,180.57**

परोक्त में से, एमयूएफजी बैंक से ऋण का बचाव व्युत्पन्न दस्तावेज द्वारा किया जाता है। विनिमय परिवर्तन के कारण शेष प्रदर्शन लाभ/(हानि), टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार लाभार्थियों से वसूलीयोग्य है। इसलिए, ऐसे प्रदर्शन के संबंध में मुद्रा जोखिम अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा।

(ख) संवेदनशीलता विश्लेषण

विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव का कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि इन्हें या तो संबंधित अचल परिसंपत्ति/चल रहे पूंजीगत कार्य की वहनीय लागत में समायोजित किया जाता है अथवा सीईआरसी टैरिफ विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है, इसलिए ऋण जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण को प्रकट नहीं किया गया है।

(3) पूंजी प्रबंधन

(क) पूंजी जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है। सीईआरसी टैरिफ विनियम में विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ को नियत करने के प्रयोजन हेतु 70:30 का ऋणःइक्विटी अनुपात विहित है। तदनुसार, कंपनी अपने पूंजी ढांचे का प्रबंधन सीईआरसी द्वारा विहित मानदण्ड संबंधी पूंजी ढांचे को बनाए रखने के लिए करती है।

कंपनी ऋणः इक्विटी अनुपात का उपयोग करते हुए पूंजी की निगरानी करती है, जो कुल पूंजी द्वारा विभाजित निवल ऋण है। ऋणःइक्विटी अनुपात निम्नानुसार हैः

गियरिंग अनुपात का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(क) कुल ऋण (करोड़ रुपए में)	24,526.72	20,666.99
(ख) कुल पूंजी (करोड़ रुपए में)	29,983.81	29,214.73
गियरिंग अनुपात (क/ख)	0.82	0.71

टिप्पणीः कंपनी के पूंजीगत प्रबंधन हेतु, पूंजी में निर्गत पूंजी और आरक्षित निधि शामिल है। निवल ऋण में ब्याजधारी ऋण तथा उधार शामिल हैं।

(ख) ऋण प्रसंविदाएं:

प्रमुख ऋण सुविधाओं की शर्तों के अंतर्गत, कंपनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय प्रसंविदाओं का अनुपालन अपेक्षित है :–

1. कंपनी क्रेडिट रेटिंग एएए को बनाए रखेगी और यदि रेटिंग नीचे आती है तो ब्याज की दर एएए रेटिंग से नीचे वाले प्रत्येक स्तर हेतु 25 आधार बिंदु तक बढ़ जाएगी।
2. निवल मूल्य की तुलना में ऋण 2:1 से अधिक नहीं होगा।
3. ब्याज कवरेज अनुपात 2 गुना से अधिक होगा और इसकी गणना ((निवल लाभ + निवल नकदी व्यय + देय ब्याज – गैर नकदी आय)/देय ब्याज) के रूप में की जाएगी।
4. कंपनी का सकल ऋण सेवा कवरेज अनुपात ऋण की मुद्रा के दौरान 1.25 गुना से कम नहीं होगा।
5. कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
6. समरूप आधार पर 1:1.33 कवरेज के साथ परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार।

वर्ष के दौरान कंपनी ने उक्त ऋण प्रसंविदाओं का अनुपालन किया है।

(ग) लाभांशः

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(i) इक्विटी अंश		
0.75 भारतीय रुपए के पूर्णतः प्रदत्त शेयर पर वर्ष 2018–19 हेतु अंतिम लाभांश को सितम्बर, 2019 में अनुमोदित और अक्तूबर, 2019 में अदा किया गया (31 मार्च, 2018 – वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु 0.28 भारतीय रुपए पूर्णतः प्रदत्त शेयर)	753.38	287.26
अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	101.29*	1.97*
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु 1.18 भारतीय रुपए प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयर का अंतरिम लाभांश (31 मार्च, 2019 – 0.71 भारतीय रुपए)	1,185.31	713.20
अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	197.49*	146.60
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मान्यता न दिया गया लाभांश		
उक्त लाभांशों के अतिरिक्त, वर्ष के अंत से निदेशकों ने 0.32 भारतीय रुपए (31 मार्च, 2019 – 0.75 रुपए) प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयर के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। प्रस्तावित लाभांश आगामी एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।	321.44	753.38
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	शून्य	154.86

* एनएचडीसी लिमिटेड से प्राप्त लाभांश पर लाभांश वितरण कर सहित समायोजित।

टिप्पणी संख्या – 34 : लेखाओं पर अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताओं से संबंधित प्रकटनः–

जहां तक प्रावधान नहीं किया गया है, वहां तक आकस्मिक देयताएं–

(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें निम्नलिखित के संबंध में ऋण के रूप में स्वीकर नहीं किया गया है:

(i) पूंजीगत कार्य

संविदाकारों ने दर तथा मात्रा विचलन, समय विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के बन्द होने/स्थल सौंपे जाने में विलंब आदि के कारण निष्क्रियता प्रभारों के संबंध में कंपनी के प्रति कुल **10790.34 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **11040.11 करोड़ रूपए**) के दावे दर्ज किए हैं। इन दावों का कंपनी द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य नहीं हैं अथवा मध्यस्थता अधिकरण/अन्य मंचों/कंपनी में जांच के अधीन पड़े हैं। इसमें अद्यतित तत्संबंधी ब्याज सहित कंपनी के विरूद्ध मध्यस्थता फैसलों के प्रति **5004.96 करोड रूपए** (पिछले वर्ष **4377.02 करोड रूपए**) शामिल हैं, जिन्हें न्यायालयों में चुनौती दी गई है/चुनौती देने का निर्णय लिया गया है।

प्रबंधन ने उक्त दावों का आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना के आधार पर **395.89 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **418.98 करोड़** रुपए) के प्रावधान को मान्यता दी है और **10144.10 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **10494.10 करोड़** रूपए) की राशि का अनुमान आकस्मिक देयता के रुप में लगाया है अर्थात वह राशि जिसके लिए कंपनी को आकस्मिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसे अनुमानित आकस्मिक दावों के संबंध में या तो आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना नहीं है अथवा दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में, निपटान में किसी बर्हिप्रवाह की संभावना को काफी कम माना गया है।

(ii) भूमि मुआवजा मामले

परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के संबंध में, कुछ भूतपूर्व भू–स्वामियों ने विभिन्न प्राधिकर्णों/न्यायालयों के समक्ष **140.29 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **190.81 करोड रूपए**) की राशि के उच्चतर मुआवजे हेतु दावे दायर किए हैं। निपटान लम्बित होने तक, कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना के आधार पर **3.26 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **4.32 करोड़ रूपए**) की राशि प्रदान की है और आकस्मिक देयता की राशि के रुप में **137.04 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **186.49 करोड़ रूपए**) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बर्हिप्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है।

(iii) विवादित कर मांग

विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष **760.39 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **639.67 करोड़ रूपए**) की राशि के विवादित आय कर/बिक्री कर/सेवा कर/जल उपकर/हरित ऊर्जा उपकर/अन्य कर/शुल्क मामले लम्बित हैं। निपटान लम्बित होने तक, कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना के आधार पर **17.70 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **23.50 करोड़ रूपए**) की राशि प्रदान की है और **641.68 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **515.17 करोड़ रूपए**) को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जा रहा है क्योंकि संसाधनों के बर्हिप्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में, निपटान में किसी बर्हिप्रवाह की संभावना को काफी कम माना गया है।

(iv) अन्य

अन्य विविध मामलों के संबंध में दावे **611.98 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **728.93 करोड रुपए**) के हैं। ये दावे विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं। निपटान लम्बित होने तक, कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना के आधार पर **17.81 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **17.81 करोड़ रूपए**) की राशि प्रदान की है और आकस्मिक देयता की राशि के रुप में **592.29 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **709.25 करोड़ रूपए**) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बर्हिप्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में, निपटान में किसी बर्हिप्रवाह की संभावना को काफी कम माना गया है।

उक्त का सार निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2020 को दावे	दावों के प्रति आज की तारीख तक प्रावधान	31.03.2020 को आकस्मिक देयता	31.03.2019 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वृद्धि / (कटौती)	01.04.2019 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
1.	पूंजीगत कार्य	10,790.34	395.89	10,144.10	10494.10	(350.00)	1,417.06
2.	भूमि मुआवजा मामले	140.29	3.26	137.04	186.49	(49.45)	83.55
3.	विवादित कर मामले	760.39	17.70	641.68	515.17	126.51	0.04
4.	अन्य	611.98	17.81	592.29	709.25	(116.96)	157.13
	कुल	**12,303.00**	**434.66**	**11,515.11**	**11905.01**	**(389.90)**	**1,657.78**

(ख) सेवा मामलों और अन्यों के संबंध में लंबित मामलों, जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं उपरोक्त में शामिल नहीं हैं।

(ग) आकस्मिक देयताओं के संबंध में बर्हिप्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को सुनिश्चित करना/प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

(घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के लिए कंपनी को **365.26 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **396.38 करोड़ रुपए**) की प्रतिपूर्ति की संभावना है।

(ङ) (i) पूंजीगत कार्यों के संबंध में उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति **697.09 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **617.39 करोड़ रुपए**) की राशि का भुगतान, दिनांक 5 सितम्बर, 2016 के नीति आयोग के कार्यालय ज्ञापन सं. 14070/14/2016–पीपीपीएयू के माध्यम से जारी निदेशों के अनुपालन में, जो ऐसे मामलों हेतु है जहां मध्यस्थता अधिकरणों ने संविदाकारों के पक्ष में आदेश पारित किए हैं और ऐसे फैसलों/आदेशों को कंपनी द्वारा न्यायालय में फिर से चुनौती दी गई/चुनौती दी जा रही है। इस प्रकार अदा की गई राशि को अन्य गैर–वर्तमान परिसंपतियों (टिप्पणी संख्या 5 भी देखें) के तहत दर्शाया गया है।

(ii) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के लिए न्यायालय के आदेश के अनुसार **1323.72 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **454.98 करोड रुपए**) की राशि मामलों के प्रतिवाद के लिए दी गई/न्यायालय में जमा की गई/प्रदत्त है और इस प्रकार अदा की गई राशि को अन्य गैर–वर्तमान/वर्तमान परिसंपतियों/दावेदारों की अन्य देयताओं के विरुद्ध समायोजित के तहत दर्शाया गया है (टिप्पणी संख्या 5 और 13 भी देखें)।

(च) प्रबंधन यह आशा नहीं करता कि उक्त दावे/दायित्व (जो मुकदमेबाजी के अधीन है), अन्त में जब समाप्त होंगे तथा उन पर निर्णय लिया जाएगा, उनका कम्पनी के प्रचालनों के परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई वास्तविक तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा।

(छ) 31.03.2020 को आकस्मिक देयता के एजेंसी–वार ब्यौरों की श्रेणी निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2020 को दावे	दावों के प्रति आज की तारीख तक प्रावधान	31.03.2020 को आकस्मिक देयता	31.03. 2019 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वृद्धि / (कटौती)	01.04.2019 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
1.	केन्द्र सरकार के विभाग	173.00	0.83	71.17	53.09	18.08	0.04
2.	राज्य सरकार के विभाग या स्थानीय निकाय	607.08	33.95	573.13	463.21	109.92	-
3.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)	101.21	0.06	100.36	100.93	(0.57)	0.57
4.	अन्य	11,421.71	399.82	10,770.45	11287.78	(517.33)	1,657.17
	कुल	**12,303.00**	**434.66**	**11,515.11**	**11,905.01**	**(389.90)**	**1,657.78**

ज) सिक्किम सरकार ने दिनांक 2 अगस्त, 2019 के पत्र द्वारा तीस्ता–V पावर स्टेशन हेतु भूमि अधिग्रहण तथा उक्त भूमि पर संबद्ध मकानों एवं अन्य अवसंरचनाओं के लिए 35.80 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है जो वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान बांध के पानी से क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस दावे को प्रबंधन द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि पावर स्टेशन के लिए भूमि की आवश्यकता नहीं है तथा ये क्षति निर्माण क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है, क्योंकि वे वित्तीय वर्ष 2008 में ही पूरा हो चुके थे। यह नुकसान स्पष्ट रूप से क्षेत्र में पुराने फिसलन क्षेत्रों की मौजूदगी के कारण हुआ है। सिक्किम सरकार के राजपत्र में दिनांक 06.03.2018 को प्रकाशित आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचना एकपक्षीय है तथा पावर स्टेशन की सहमति के बिना है तथा ये कानूनी रूप से तर्कसंगत नहीं है। यह मामला वर्तमान में राज्य सरकार के साथ चर्चाधीन है तथा इस मामले पर आगे समीक्षा एवं चर्चा/करार और यह विचार करते हुए कि मांग उस भूमि से संबंधित है जिसकी कंपनी द्वारा पावर स्टेशन के लिए मांग नहीं की गई है तथा इस संबंध में कोई नकदी बहिर्प्रवाह अपेक्षित नहीं है।

2. आकस्मिक परिसंपत्तियां – कंपनी के संबंध में आकस्मिक परिसंपत्तियां निम्नलिखित के कारण हैं:

क) कंपनी द्वारा अन्य निकायों पर दर्ज किए गए प्रति दावे:

कंपनी ने अन्य निकायों के दावों के प्रति **915.84 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **875.05 करोड़ रूपए**) के कुल प्रति दावों को दर्ज किया है। इन दावों को संविदात्मक प्रावधानों के आधार पर दर्ज किया गया है और इनका मध्यस्थता अधिकरण/अन्य मंचों पर प्रतिवाद किया जा रहा है/ये प्रतिपक्ष के साथ जांच के अधीन हैं। इसमें मध्यस्थता निर्णयों के प्रति उस पर अद्यतन तदनुरूपी ब्याज सहित **28.16 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **28.16 करोड़ रूपए**) के प्रति दावे शामिल हैं।

प्रबंधन के आकलन के अनुसार, **803.37 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **780.09** करोड़ **रूपए**) की कुल राशि के दावों के संबंध में एक अनुकूल निर्णय आने की संभावना है और शेष दावों के संबंध में अंतर्वाह की कोई संभावना बहुत कम है। तथापि, इन दावों को मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) विलंब भुगतान अधिभार:

सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014–19/2019–24 लाभग्राहियों को बिल प्रस्तुत किए जाने की तिथि से निर्दिष्ट दिवसों से अधिक के भुगतान में विलंब के मामले में उत्पादक कंपनी द्वारा विलंब भुगतान अधिभार को लगाए जाने का प्रावधान करता है। लाभार्थियों से अंतिम संग्रहण में महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं के मद्देनजर, प्रबंधन द्वारा किए गए आकलन के अनुसार **239.48 करोड़ रुपए** (पूर्व वर्ष **109.35 करोड़ रुपए**) की राशि नहीं मानी गई है।

ग) पावर स्टेशनों के संबंध में मान्यता प्रदान न की गई सीमा तक राजस्व:

टैरिफ आदेश 2019–24 सभी पावर स्टेशनों के संबंध में लंबित हैं और टैरिफ आदेश 2014–19 टीएलडीपी–IV पावर स्टेशन के संबंध में लंबित हैं। प्रबंधन ने आकलन किया है कि टैरिफ संशोधन के कारण **545.31 करोड़ रुपए** (पूर्व वर्ष में **1246.79 करोड़ रुपए**) का अतिरिक्त राजस्व लगने की संभावना है जिसे उसके अनुमोदन के लिए महत्वपूर्ण अनिश्चितता के कारण नहीं माना गया है।

घ) व्यापार बाधा हानि:

पावर स्टेशनों के संबंध में व्यापार बाधा हानि के कारण बीमा दावे तब देय होते हैं जब अंतिम एकत्रीकरण की कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद न हो। प्रबंधन ने इस संबंध में **210.05 करोड़ रुपए** (पूर्व वर्ष में **202.26 करोड़ रुपए**) के दावे का मूल्यांकन किया है जिसे नहीं माना गया है। दावों के पावर स्टेशन–वार ब्यौरे एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(23) में दिए गए हैं।

ङ) अन्य मामले

प्रबंधन द्वारा अनुमानित अन्य विविध मामलों के कारण होने वाले **374.59 करोड़ रुपए** (पूर्व वर्ष में **157.18 करोड़ रुपए**) के दावों को नहीं माना गया है।

3. प्रतिबद्धताएं (जिनका उस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है):

क) पूंजी लेखे पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (चल रहे पूंजीगत कार्य सहित)	2365.46	2689.01
2.	अमूर्त परिसंपत्तियां	–	0.64
	कुल	**2365.46**	**2689.65**

ख) कंपनी की 31 मार्च, 2020 के अनुसार सहायक कंपनियों में अतिरिक्त निवेश के निमित्त **1113.25 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **99.33 करोड़ रूपए**) की प्रतिबद्धताएं हैं।

ग) कंपनी की 31 मार्च, 2020 के अनुसार संयुक्त उद्यम निकायों में अतिरिक्त निवेश के निमित्त **1345.64 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **1284.97 करोड़ रूपए**) की प्रतिबद्धताएं हैं।

4. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित होने तक, कुछ मदों के कार्यों की निष्पादित मात्रा और/अथवा कुछ अतिरिक्त मदों हेतु, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान/प्रावधान किए गए हैं, जिनकी कुल राशि **0.41 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **4.06 करोड़ रुपए**) है, जो चालू पूंजीगत कार्य/संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में शामिल हैं।

5. भारतीय लेखांकन मानक 115 – "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" के अनुसार प्रकटन

(क) वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति

राजस्व का अधिकांश हिस्सा: कंपनी के राजस्व में विद्युत बिक्री, व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री, परामर्श तथा अन्य सेवाएं शामिल हैं। प्रमुख क्रियाकलापों का विवरण निम्नानुसार है:–

(क) विद्युत की बिक्री से राजस्व

कंपनी का अधिकांश राजस्व विद्युत की बिक्री से आता है। कंपनी थोक उपभोक्ताओं मुख्यतः राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटियों तथा राज्यों में प्रचानात्मक निजी डिस्कॉमों को बिजली की बिक्री करती है। विद्युत की बिक्री आमतौर पर लाभार्थियों के साथ किए गए दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुरूप होती है।

विद्युत की बिक्री हेतु संविदाओं के अंतर्गत प्रकृति का ब्यौरा, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें निम्नलिखित है:–

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
विद्युत की बिक्री	कंपनी लाभार्थियों के साथ किए गए दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार के आधार पर विद्युत की बिक्री के लिए संविदा से राजस्व की पहचान करती है, जो पावर स्टेशनों के संपूर्ण जीवनकाल, अर्थात् 40 वर्ष के लिए है। विद्युत अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों द्वारा लागू सीमा तक यथासंशोधित 5 वर्षों की टैरिफ अवधि के लिए सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ दरों के आधार पर विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व को लेखांकित किया जाता है। पावर स्टेशनों के संबंध में, जहां टैरिफ दरें सीईआरसी द्वारा अपने आदेशों में अभी अनुमोदित की जानी हैं/अनंतिम रूप से अनुमोदित हैं, लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों पर विचार करते हुए अनंतिम दरों को अपनाया है। एक बार लाभार्थी को बिजली पहुंचाने के बाद विद्युत की बिक्री से राजस्व को मान्यता दी जाती है। लाभार्थियों को समय–समय पर और नियमित आधार पर बिल दिया जाता है।

(ख) परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाएं/परामर्शी कार्य (परियोजनाएं और परामर्शक)

कंपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए परामर्श और परियोजना निष्पादन एवं अनुरक्षण संविदा करती है। सेवाएं विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् डिजाइन तथा इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति, परियोजना प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण, विनिर्माण प्रबंधन, विद्युत संयंत्रों का प्रचालन एवं अनुरक्षण, ग्रामीण सड़क परियोजनाएं और ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं में प्रदान की जाती हैं।

परामर्शी एवं अन्य सेवाओं हेतु संविदाओं के अंतर्गत प्रकृति का ब्यौरा, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें निम्नलिखित है:–

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
परामर्शी सेवाएं	कंपनी समय में परामर्शी सेवाओं के लिए संविदा से राजस्व का पहचान करती है क्योंकि उपभोक्ता कंपनी द्वारा एक साथ प्रदान किए गए हितलाभों को प्राप्त करता है और उपभोग करता है। संविदा के अंतर्गत अंतरित परिसंपत्तियों (प्रदेय, रिपोर्ट आदि) का कंपनी के लिए कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है और कंपनी को अब तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान करने का अधिकार है। परामर्श सेवाओं से राजस्व संविदा की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राशियों का बिल संविदा की शर्तों के अनुसार बनाया जाता है और अनुबंधित सहमत ऋण अवधि के भीतर देय होता है।
ग्रामीण सड़क परियोजना/ ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना	कंपनी समय में योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों से राजस्व की पहचान करती है क्योंकि परिसंपत्तियों का कंपनी के लिए कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है और कंपनी को अब तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान करने का अधिकार है। योजना से राजस्व संविदा की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राशियों का बिल संविदा की शर्तों के अनुसार बनाया जाता है और अनुबंधित सहमत ऋण अवधि के भीतर देय होता है।

(ग) विद्युत का व्यापार

कंपनी उत्पादन कंपनियों से विद्युत खरीदती है और इसे डिस्कॉमों को बेचती है। करारों की प्रकृति, जोखिम तथा रिवार्ड प्रोफाइल के आधार पर, कंपनी एजेंट के रूप में या प्रमुख के रूप में विद्युत के व्यापार से राजस्व का हिसाब करती है।

व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री हेतु संविदाओं के अंतर्गत प्रकृति का ब्यौरा, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें निम्नलिखित हैः–

उत्पाद / सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री	कंपनी समय में व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री के लिए संविदा से राजस्व की पहचान करती है क्योकि उपभोक्ता कंपनी द्वारा एक साथ प्रदान किए गए हितलाभों को लाभों को प्राप्त करता है और उसका उपभोग करता है। व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री से राजस्व की गणना हेतु टैरिफ करार के शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राशियों का बिल संविदा में निहित शर्तों के अनुसार बनाया जाता है और अनुबंधित सहमत ऋण अवधि के भीतर देय होता है।

(ख) राजस्व का विभाजीकरण

निम्नलिखित तालिका में, राजस्व का विभाजन उत्पादन और सेवाओं की प्रकृति, भौगोलिक बाजार और राजस्व मान्यता का समय द्वारा किया गया है:

(करोड़ रु. में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए विद्युत का उत्पादन (वित्त एवं प्रचालनात्मक पट्टों के तहत वर्गीकृत राजस्व सहित)		परियोजना प्रबंधन / निर्माण संविदाएं / परामर्शी कार्य		विद्युत का व्यापार		अन्य		कुल	
भौगोलिक बाजार	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**
भारत	8,301.03	8,095.13	23.58	17.69	239.47	12.96	167.03	29.24	8,731.11	8,155.02
अन्य			4.30	6.16	-	-	-	-	4.30	6.16
कुल	8,301.03	8,095.13	27.88	23.85	239.47	12.96	167.03	29.24	8,735.41	8,161.18
राजस्व मान्यता का समयः										
समय के साथ स्थानांतरित उत्पाद और सेवाएं	8,301.03	8,095.13	27.88	23.85	239.47	12.96	167.03	29.24	8,735.41	8,161.18
बेची गई यूनिटें (एमयू)	22903	21457	-	-	-	-	-	-	22903	21457

(ग) संविदा शेष

व्यापार प्राप्य, बिल न किये गये राजस्व और जमा कार्यों एवं संविदा देयताओं के लिए उपभोक्ताओं/ग्राहकों से अग्रिम – परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2020 को	
	चालू	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू
व्यापार प्राप्य	3,818.34	-	2,623.09	61.51
बिल न किया गया राजस्व	2,146.83	-	1,501.73	-
संविदा देयताएं – जमा कार्य	9.37	-	19.96	-
संविदा देयताएं – परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य	268.49	-	196.82	-
उपभोक्ताओं और अन्यों से अग्रिम	11.70	-	12.19	-

कंपनी ने प्रारंभिक संविदा देयताओं से **3.63 करोड़ रुपए** (पूर्व वर्ष **5.41 करोड़ रुपए**) के राजस्व को मान्यता दी है।

(घ) शेष निष्पादन दायित्वों पर आबंटित लेन–देन कीमत कंपनी के प्रचालनों पर न तो लागू है और न ही वास्तविक है।

(ङ) इंड एएस 115 "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" के अनुसार लागू किए गए व्यावहारिक उपाय:

(i) कंपनी ने शेष निष्पादन दायित्वों के बारे में सूचना प्रकट नहीं की है, जिनकी मूल अपेक्षित अवधि एक वर्ष या उससे कम है और जहां राजस्व मान्यता प्राप्त है, जो अब तक पूर्ण किए गए निकाय के निष्पादन के उपभोक्ता के मूल्य के साथ मेल खाती है।

(ii) कंपनी के पास सामान्य व्यापार में कोई संविदा नहीं है जहां ग्राहक को वादा किए गए वस्तुओं या सेवाओं के हस्तांतरण और ग्राहक द्वारा भुगतान के बीच की अवधि एक वर्ष से अधिक है। तदनुसार, लेन–देन के मूल्य को केवल धन मुद्रा के समय मूल्य के लिए समायोजित किया गया है, जहां ऐसी मुद्रा का समय मूल्य महत्वपूर्ण है।

(च) कंपनी ने ग्राहक के साथ संविदा प्राप्त करने की कोई वृद्धिशील लागत नहीं व्यय की है और इसलिए ऐसी लागतों के लिए किसी संपत्ति को मान्यता नहीं दी है।

6. वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय दर परिवर्तन (एफईआरवी) का प्रभाव निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

कम सं	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	एफईआरवी के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	49.75	(3.18)
(ii)	ऋण लागत* के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	143.79	22.69
(iii)	विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में मानी गई राशि	0.99	(0.57)

* तथापि, कंपनी की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभग्राहियों से विद्यमान सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019–24 के अनुरूप वसूल किया जाना है। वर्ष के लिए ऋण लागत के तहत शामिल किए गए विनिमय दर परिवर्तन को कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियों (लाभार्थियों से वसूल योग्य) में अंतरित किया गया है।

7. प्रचालन खंड:

क) विद्युत उत्पादन (निहित वित्त/प्रचालनात्मक पट्टों से आय सहित) कंपनी का मुख्य व्यापार क्रियाकलाप है। अन्य प्रचालन अर्थात संविदाएं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य और विद्युत व्यापार कार्य "प्रचालन खंड" संबंधी इंड एएस–108 के अनुसार सूचना योग्य खंड नहीं बनते हैं।

ख) कंपनी का एकमात्र भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।

ग) प्रमुख उपभोक्ताओं के संबंध में सूचनाः निम्नलिखित उपभोक्ताओं से **4810.80 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **4632.03 करोड़ रूपए**) का राजस्व नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निकाला जाता हैः

क्र म सं.	उपभोक्ता का नाम	उपभोक्ता से राजस्व (करोड़ रुपए में)		कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में उपभोक्ता से राजस्व	
		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	1616.62	1476.40	18.51%	18.12%
2.	विद्युत विकास विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार/ जेके पावर कारपोरेशन लिमिटेड	1479.07	1,380.28	16.93%	16.94%
3.	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	865.67	908.55	9.91%	11.15%
4.	पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड	849.44	866.80	9.72%	10.64%
	कुल	**4810.80**	**4632.03**	**55.07%**	**56.85%**

घ) बाहरी उपभोक्ताओं से राजस्वः कंपनी भारत में अधिवासित है। बाहरी ग्राहकों से इसके राजस्व की राशि नीचे दिए अनुसार हैः

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	बाहरी उपभोक्ता से राजस्व	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	भूटान	4.30	6.16
	कुल	**4.30**	**6.16**

टिप्पणी : उक्त में विदेशी मुद्रा में शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य) की राशि शामिल है।

8. भारतीय लेखांकन मानक–24 ''संबंधित पक्ष प्रकटन'' के अंतर्गत प्रकटनः

(क) संबंधित पक्षकारों की सूची

(i) सहायक कपनियांः

कंपनियों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)	भारत
बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	भारत
09.10.2019 से लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल)	भारत

(ii) संयुक्त उद्यम

कंपनियों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्राइवेट) लिमिटेड (एनएचपीटीएल)	भारत
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीएल)	भारत

(iii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

क्रम संख्या	नाम	धारित पद
	श्री अभय कुमार सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (24.02.2020 को कार्यभार ग्रहण किया)
	श्री बलराज जोशी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.12.2019 को अधिवर्षिता की आयु को प्राप्त हो गए)
	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं), (01.01.2020 से 23.02.2020 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार)
	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)
	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

क्रम संख्या	नाम	धारित पद
	श्री जनार्दन चौधरी	निदेशक (तकनीकी)
	श्री अनिरुद्ध कुमार	सरकारी नामिति निदेशक
	श्री भागवत प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक
	श्री जुगल किशोर महापात्रा	स्वतंत्र निदेशक
	प्रो. (श्रीमती) कनिका टी. भाल	स्वतंत्र निदेशक (17.11.2019 को सेवानिवृत्त हो गईं)
	श्री सत्य प्रकाश मंगल	स्वतंत्र निदेशक (17.11.2019 को सेवानिवृत्त हो गए)
	प्रो. अरूण कुमार	स्वतंत्र निदेशक (17.11.2019 को सेवानिवृत्त हो गए)
	श्री विजय गुप्ता	कम्पनी सचिव

(iv) रोजगार–पश्चात हितलाभ योजनाएं:

संबंधित पक्षकार का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी अवकाश नकदीकरण ट्रस्ट	भारत

(v) संयुक्त नियंत्रण वाली अन्य कंपनियां अथवा कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव

कंपनी बहुसंख्यक शेयरों के धारण के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है। कंपनी ने सरकार से संबंधित कंपनियों के लिए उपलब्ध छूट हेतु आवेदन किया है और भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किया है। अतः ऐसे लेन–देनों के पक्षकार–वार ब्यौरे नहीं दिए गए हैं क्योंकि ये लेन–देन सामान्य वाणिज्यिक शर्तों पर साधारण व्यापार प्रक्रिया में नहीं लिए जाते हैं और महत्वपूर्ण नहीं माने जाते हैं।

क्रम सं.	सरकार का नाम	एनएचपीसी के साथ संबंध की प्रकृति
1.	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण वाले शेयरधारक
2.	विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और अन्य सरकारी नियंत्रण वाली कंपनियां (बीएचईएल, आईओसीएल, पोसोको, सेल, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, दामोदर वैली कारपोरेशन, पीजीसीआईएल, आरईसी, बीएसएनएल, ईईएसएल, केवी, बॉमर लॉरी एंड कंपनी लि., आदि)	उसी सरकार (केन्द्र सरकार) द्वारा नियंत्रित कंपनियां जिनका एनएचपीसी में नियंत्रण है

(ख) संबंधित पक्षकारों के साथ निम्नलिखित लेन–देन किए गए:

(i) सहायक कंपनियों के साथ लेन–देन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्रदान की गईं सेवाएं		
• एनएचडीसी	0.53	0.62
• बीएसयूएल	0.02	0.01
• एलडीएचसीएल	0.28	0.58
• एलटीएचपीएल	3.09	-

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश		
● एनएचडीसी	485.17	277.67
कंपनी द्वारा इक्विटी अंशदान		
● बीएसयूएल	1.00	-
● एलडीएचसीएल	3.20	-
● एलटीएचपीएल	920.50	-
प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों की लागत की प्रतिपूर्ति		
● एनएचडीसी	2.56	1.17
● बीएसयूएल	0.19	-
● एलडीएचसीएल	0.41	0.24
● एलटीएचपीएल	0.98	-
कंपनी द्वारा अन्य प्रतिपूर्ति		
● एलटीएचपीएल	5.45	-

(ii) संयुक्त उद्यमों के साथ लेन–देन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्रदान की गईं सेवाएं		
● सीवीपीपीपीएल	20.25	19.13
कंपनी द्वारा इक्विटी अंशदान		
● सीवीपीपीपीएल	140.45	100.00
कंपनी द्वारा कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति		
● सीवीपीपीपीएल	3.25	2.84
कंपनी द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज		
● एनएचपीटीएल	0.60	0.60

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रतिपूर्तिः

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ	4.76	3.70
रोजगार–पश्चात हितलाभ	0.72	0.77
अन्य दीर्घावधिक हितलाभ	0.28	0.18

(करोड़ रुपए में)

केएमपी के साथ अन्य लेन–देन	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
गैर–कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क एवं अन्य प्रतिपूर्तियां	0.24	0.44
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	0.01	0.02

(iv) अन्य संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देन – रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
ईपीएफ ट्रस्ट में अंशदान	460.70	337.29
उपदान ट्रस्ट में अंशदान/(ट्रस्ट से प्रतिदाय का निवल)	(83.60)	(59.20)
आरईएचएस ट्रस्ट में अंशदान/(ट्रस्ट से प्रतिदाय का निवल)	(88.83)	1.22
सामाजिक सुरक्षा स्कीम ट्रस्ट में अंशदान	6.62	7.20
ईडीसीएसएस ट्रस्ट में अंशदान	194.50	125.42
अवकाश नकदीकरण में अंशदान/(ट्रस्ट से प्रतिदाय का निवल)	34.14	27.12

(v) सरकार के वे लेन–देन जिनका कंपनी में नियंत्रण है – केंद्र सरकार (इसमें विभिन्न मंत्रालयों, सीआईएसएफ आदि के साथ लेन–देन शामिल हैं)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्राप्त सेवाएं	333.19	291.78
कंपनी द्वारा प्रदान की गईं सेवाएं	1.94	0.41
कंपनी द्वारा बनाई गई वस्तुओं/मालसूची की बिक्री	27.61	27.54
वस्तुओं/मालसूची की खरीद	-	1.79
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश	1393.41	738.15
कंपनी द्वारा प्राप्त अधीनस्थ ऋण	554.64	482.00
भारत सरकार को विदेशी ऋणों पर गारंटी शुल्क	13.43	18.61
भारत सरकार से समूह द्वारा शेयरों की बाय–बैक	-	142.27
एमएनआरई से प्राप्त अनुदान (एसईसीआई के माध्यम से)	-	12.50
विद्युत मंत्रालय के अधिदेश पर जारी और भारत सरकार को प्रदत्त 8.12 प्रतिशत एनएचपीसी भारत सरकार पूर्णतः सेवित बांड (भारत सरकार से प्राप्त किए गए ब्याज सहित)	164.01	2021.69

(vi) सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियों के साथ लेन–देन जिनका कंपनी में नियंत्रण है

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
संपत्ति/अन्य परिसंपत्तियों की खरीद	87.79	52.52
वस्तुओं/मालसूची की खरीद	36.48	32.66
कंपनी द्वारा प्राप्त सेवाएं	188.64	101.88
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	1.64	1.43
कंपनी द्वारा बनाई गई वस्तुओं/मालसूची की बिक्री	79.21	75.67
बीमा दावों के विरुद्ध कंपनी द्वारा दावे का निपटान/प्राप्त की गई राशि	56.39	52.92

(ग) संबंधित पक्षकारों के पास बकाया शेष और गारंटियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(i)	(ii)	(iii)
सहायक कंपनियों (एनएचडीसी, एलडीएचसीएल, बीएसयूएल और एलटीएचपीएल) के पास शेष		
• प्राप्य	9.11	1.26
• देय	5.44	-
संयुक्त उद्यमों (सीवीपीपीएल और एनएचपीटीएल) के पास शेष		
• प्राप्य	42.94	95.46
• बकाया ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	6.27	6.00
केएमपी के पास शेष		
• प्राप्य	0.05	0.05
एनएचपीसी की रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाओं के लिए बनाए गए ट्रस्टों के पास शेष		
प्राप्य		
• उपदान ट्रस्ट	40.30	77.98
• आरईएचएस ट्रस्ट	135.52	-
देय		
• ईपीएफ ट्रस्ट	28.00	142.91
• आरईएचएस ट्रस्ट	.	2.42
• सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	0.52	0.57
• ईडीसीएसएस ट्रस्ट	9.97	81.55
• अवकाश नकदीकरण ट्रस्ट	1.78	38.51
सरकार जिसका इस कंपनी पर नियंत्रण है, के पास शेष		
• देय	77.37	80.82
• प्राप्य	2072.52	2052.78
• सरकार से ऋण (अधीनस्थ ऋण)	4741.21	4209.69
सरकार से प्राप्त गारंटी (विदेशी मुद्रा ऋण के प्रति)	1132.22	1118.79
सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियों, जिनका इस कंपनी पर नियंत्रण है, के पास शेष		
• देय	60.65	46.26
• प्राप्य	90.23	116.95
• प्रतिबद्धताओं में से शेष	0.29	-

(घ) संबंधित पक्षकार लेन–देनों के संबंध में अन्य टिप्पणियां

(i) संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देनों की निबंधन एवं शर्तें

क. राज्य सरकारों के साथ तथा भारत सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ लेन–देन तात्कालिकता, उपयुक्तता अथवा अन्य कारणों से एकल निविदा आधार पर प्रोपाइटरी मदों के लिए मूल उपस्कर निर्माताओं (ओईएम) से कल–पुर्जों/सेवाओं की खरीद करने के कुछ मामलों को छोड़कर, खुली निविदाओं के विरुद्ध एक पारदर्शी कीमत वसूली प्रक्रिया के माध्यम से बिना किसी संबंध के आधार पर (केंद्र सरकार से रियायती दर पर प्राप्त अधीनस्थ ऋण को छोड़कर) बाजार की शर्तों पर किया जाता है। इस प्रकार की एकल निविदा खरीद उसी/समान मदों के उपलब्ध कीमत आंकड़ों के प्रति निर्धारित कीमतों से मोलभाव की प्रक्रिया के माध्यम से भी की जाती है।

ख. एनएचपीटीएल को दिये गये 6.00 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 6.00 करोड़ रुपए) के अप्रतिभूतित ऋण पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है और उसे वार्षिक आधार पर जोड़ा जाता है।

ग. इस कंपनी द्वारा सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों को दी गई परामर्श सेवा आम तौर पर नामांकन आधार पर उन शर्तों, निबंधनों और सिद्धांतों पर होती है जो अन्य पक्षकारों को दी जाने वाली परामर्श सेवाओं के लिए लागू होती हैं।

घ. सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम कंपनी के बकाया शेष 31.03.2020 को अप्रतिभूतित होते हैं और इसका निपटान बैंकिंग लेन–देन के माध्यम से होता है। ऋण को छोड़कर ये शेष ब्याज मुक्त होते हैं। संबंधित पक्षकारों के पास की राशियों से संबंधित प्राप्य राशियों की किसी हानि को मान्यता नहीं दी गई है। हानि का आकलन संबंधित पक्षकार की वित्तीय स्थिति एवं बाजार, जिसमें संबंधित पक्षकार प्रचालन करता है, की जांच करने के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया जाता है।

(ii) सहायक कंपनी तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों में अतिरिक्त निवेश के लिए प्रतिबद्धताओं को टिप्पणी 34(3) में प्रकट किया गया है।

(iii) रोजगार–पश्चात हितलाभ योजनाओं में अंशदान ट्रस्टों से प्रतिदाय का निवल होता है।

9. प्रतिभूति का विवरणः ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में रेहन/गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों की वहनीय राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
	प्रथम प्रभार		
1	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	11617.29	10190.38
2	चल रहे पूंजीगत कार्य	7898.75	7429.43
	कुल	**19516.04**	**17619.81**

10. भारतीय लेखांकन मानक–19 "कर्मचारी लाभों" के तहत प्रकटन

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं–

(i) सामाजिक सुरक्षा योजनाः अनुकंपा नियुक्ति की पूर्व की योजना के स्थान पर कंपनी की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। कंपनी प्रति माह प्रति कर्मचारी के लिए एक समान अंशदान भी करती है और यह अंशदान योजना के लागू होने की तिथि अर्थात 01.06.2007 से एक निधि को बनाने के लिए 8 वर्षों तक किया जाना था जिसे 5 और वर्ष अर्थात 31.05.2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। इसके कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में शोकसंतप्त परिवार की देखभाल एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस वर्ष के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रति **3.27 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **3.57 करोड़ रूपए**) के व्यय को मान्यता दी गई है।

(ii) कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना (ईडीसीएसएस): कंपनी में कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए एक कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना है। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 5 प्रतिशत की दर से अंशदान करता है। कंपनी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की दर से निकाली गई राशि से भविष्य निधि, उपदान ट्रस्ट तथा आरईएचएस में अंशदान के प्रति नियोक्ता के अंशदान को घटाने के पश्चात उपलब्ध होने वाले शेष का अंशदान करती है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। वर्ष के दौरान कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना (ईडीसीएसएस) के प्रति **80.87 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **121.21 करोड़ रूपए**) के व्यय को मान्यता दी गई है।

(ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं: कंपनी के निम्नलिखित परिभाषित रोजगार–पश्चात दायित्व हैं:

(क) योजनाओं का विवरण–

(i) भविष्य निधिः यह कंपनी पूर्व–निर्धारित दरों से एक पृथक ट्रस्ट में भविष्य निधि में नियत अंशदान जमा कराती है, जो निधियों का निवेश अनुमत्य प्रतिभूतियों में करता है। वर्ष के दौरान, निधि में अंशदान को व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते/निर्माण पर आरोप्य व्यय में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का यह दायित्व है वह इस निधि में नियत अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करे।

(ii) उपदानः कंपनी की एक निर्धारित हितलाभ उपदान योजना है। उपदान की उच्चतम सीमा का निर्धारण उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन+मंहगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.20 करोड़ रुपए है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और कंपनी का दायित्व बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर ट्रस्ट में अंशदान देना है।

(iii) सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस): कंपनी की एक सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और/अथवा उनके जीवन–साथी (पति/पत्नी) और दिवंगत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पात्र आश्रित बच्चों को कपंनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा नियत उच्चतम सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और कंपनी का दायित्व बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर ट्रस्ट में अंशदान देने का है।

(iv) सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्तेः कंपनी के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, शिफ्टिंग का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है। मृत्यु होने की स्थिति में, मृतक कर्मचारी का परिवार भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(v) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्हः कंपनी की नीति है कि वह अधिवर्षिता पर कर्मचारियों को 10,000/– रुपए मूल्य का स्मृतिचिन्ह भेंट करे। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ख) तुलन पत्र राशियों और योजनाओं के संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रकटन

(i) भविष्य निधिः वर्ष 2019–20 तथा 2018–19 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन नीचे दिए गए हैः

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2019–20	
01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	2552.12	2623.76	(71.64)
वर्तमान सेवा लागत	126.14	-	126.14
ब्याज व्यय/(आय)	229.37	229.37	0.00
कुल	**355.51**	**229.37**	**126.14**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	4.31	(4.31)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.21	-	0.21
अनुभव (लाभ)/हानि	61.71	-	61.71
कुल	**61.92**	**4.31**	**57.61**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	126.14	(126.14)
– योजना प्रतिभागी	332.79	332.79	0.00
हितलाभ भुगतान	(432.25)	(432.25)	0.00
31.03.2020 को अंतिम शेष	**2870.09**	**2884.12**	**(14.03)**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2018–19	
01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	2425.20	2444.86	(19.66)
वर्तमान सेवा लागत	91.15	-	91.15
ब्याज व्यय/(आय)	186.74	186.74	0.00
कुल	**277.89**	**186.74**	**91.15**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	22.80	(22.80)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.03	-	0.03
अनुभव (लाभ)/हानि	(29.21)	-	(29.21)
कुल	**(29.18)**	**22.80**	**(51.98)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	91.15	(91.15)
– योजना प्रतिभागी	261.29	261.29	-
हितलाभ भुगतान	(383.08)	(383.08)	-
31.03.2019 को अंतिम शेष	**2552.12**	**2623.76**	**(71.64)**

वित्तपोषित और गैर–वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2870.09	2552.12
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2884.12	2623.76
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	**(14.03)**	**(71.64)**
गैर–वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	**(14.03)**	**(71.64)**

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी का बीमांकित मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित **14.03 करोड़** रुपए के **निवल अधिशेष** के प्रति योजना से प्रतिदाय या योजना में भविष्य के निम्न अंशदान के रूप में लाभों पर कोई अधिकार नहीं होता है। तदनुसार, कंपनी ने अधिशेष को परिसंपत्ति के रूप में तथा अन्य व्यापक आय में बीमांकित लाभों को मान्यता प्रदान नहीं की है क्योंकि ये भविष्य निधि ट्रस्ट से संबंधित हैं न कि कंपनी से।

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है –

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन			परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव				
				अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	0.0059%	0.0046%	इससे वृद्धि	0.0061%	0.0047%

(ii) उपदानः 31.03.2020 तथा 31.03.2019 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2019–20 तथा 2018–19 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2019–20		
01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	**673.58**	**741.20**	**(67.62)**
वर्तमान सेवा लागत	17.78	-	17.78
ब्याज व्यय/(आय)	50.92	56.04	(5.12)
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**68.70**	**56.04**	**12.66**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	(2.09)	2.09
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.61	-	0.61
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	30.45	-	30.45
अनुभव (लाभ)/हानि	(12.87)	-	(12.87)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**18.19**	**(2.09)**	**20.28**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	-	-
– योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(116.35)	(121.29)	4.94
31.03.2020 को अंतिम शेष	**644.12**	**673.86**	**(29.74)**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2018–19		
01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	**705.04**	**587.20**	**117.84**
वर्तमान सेवा लागत	20.87	-	20.87
ब्याज व्यय/(आय)	54.29	45.21	9.08
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**75.16**	**45.21**	**29.95**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	3.96	(3.96)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.24)	-	(0.24)
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	5.55	-	5.55
अनुभव (लाभ)/हानि	(13.95)	-	(13.95)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(8.64)**	**3.96**	**(12.60)**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	200.66	(200.66)
– योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(97.98)	(95.83)	(2.15)
31.03.2019 को अंतिम शेष	**673.58**	**741.20**	**(67.62)**

वित्तपोषित और गैर–वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	644.12	673.58
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	673.86	741.20
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	**(29.74)**	**(67.62)**
गैर–वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	**(29.74)**	**(67.62)**

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित हितलाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है:

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन			परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव				
				अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	3.08%	2.87%	इससे वृद्धि	3.28%	3.06%
वेतन वृद्धि दर	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	0.44%	0.55%	इससे कमी	0.51%	0.66%

(iii) सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) : 31.03.2020 तथा 31.03.2019 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2019–20 तथा 2018–19 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2019–20	
01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	**857.76**	**855.69**	**2.07**
वर्तमान सेवा लागत	16.48	-	16.48
ब्याज व्यय/(आय)	64.85	64.69	0.16
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**81.33**	**64.69**	**16.64**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	9.25	(9.25)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंप. त्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.19)	-	(0.19)
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	72.34	-	72.34
अनुभव (लाभ)/हानि	(135.78)	-	(135.78)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(63.63)**	**9.25**	**(72.88)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	80.12	(80.12)
– योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(32.59)	(31.11)	(1.48)
31.03.2020 को अंतिम शेष	**842.87**	**978.64**	**(135.77)**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंप. त्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2018–19	
01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	**786.92**	**785.32**	**1.60**
वर्तमान सेवा लागत	15.59	-	15.59
ब्याज व्यय/(आय)	60.59	60.47	0.12
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**76.18**	**60.47**	**15.71**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	6.95	(6.95)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.92)	-	(0.92)
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	15.96	-	15.96
अनुभव (लाभ)/हानि	3.38	-	3.38
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**18.42**	**6.95**	**11.47**
अंशदान :–			-
– नियोक्ता	-	26.71	(26.71)
– योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(23.76)	(23.76)	-
31.03.2019 को अंतिम शेष	**857.76**	**855.69**	**2.07**

वित्तपोषित और गैर–वित्तपोषित के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	842.87	857.76
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	978.64	855.69
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	**(135.77)**	**2.07**
गैर–वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	**(135.77)**	**2.07**

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है:

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन			परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव				
				अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	6.75%	6.73%	इससे वृद्धि	6.81%	6.81%
चिकित्सा लागत दर	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	6.82%	6.88%	इससे कमी	6.75%	6.75%

(iv) सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ते: 31.03.2020 तथा 31.03.2019 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2019–20 तथा 2018–19 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2019–20		
01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	**4.89**	**-**	**4.89**
वर्तमान सेवा लागत	0.21	-	0.21
ब्याज व्यय/(आय)	0.37	-	0.37
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**0.58**	**-**	**0.58**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.002)	-	(0.002)
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.36	-	0.36
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(0.59)	-	(0.59)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(0.23)**	**-**	**(0.23)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	-	-
– योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(0.31)	-	(0.31)
31.03.2020 को अंतिम शेष	**4.93**	**-**	**4.93**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2018–19		
01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	**4.98**	**-**	**4.98**
वर्तमान सेवा लागत	0.20	-	0.20
ब्याज व्यय/(आय)	0.38	-	0.38

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2018–19	
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**0.58**	-	**0.58**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.01)	-	(0.01)
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.06	-	0.06
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(0.65)	-	(0.65)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(0.60)**	-	**(0.60)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	-	-
– योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(0.07)	-	(0.07)
31.03.2019 को अंतिम शेष	**4.89**	-	**4.89**

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर–वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है:

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव							
	अनुमानों में परिवर्तन			अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	4.49%	3.55%	इससे वृद्धि	5.66%	3.82%
लगत वृद्धि	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	5.91%	3.88%	इससे कमी	4.78%	3.59%

(v) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को स्मृति–चिन्ह: 31.03.2020 तथा 31.03.2019 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2019–20 तथा 2018–19 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2019–20	
01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	**3.57**	-	**3.57**
वर्तमान सेवा लागत	0.13	-	0.13
ब्याज व्यय/(आय)	0.27	-	0.27
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**0.40**	-	**0.40**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2019–20	
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.19		0.19
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.30)	-	(0.30)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(0.11)**	**-**	**(0.11)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	-	-
– योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(0.48)	-	(0.48)
31.03.2020 को अंतिम शेष	**3.38**	**-**	**3.38**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2018–19	
01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	2.17	-	2.17
वर्तमान सेवा लागत	1.68	-	1.68
ब्याज व्यय/(आय)	0.17	-	0.17
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**1.85**	**-**	**1.85**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.01)	-	(0.01)
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.03	-	0.03
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.18)	-	(0.18)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(0.16)**	**-**	**(0.16)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	-	-
– योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(0.29)	-	(0.29)
31.03.2019 को अंतिम शेष	**3.57**	**-**	**3.57**

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर–वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है:

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव							
	अनुमानों में परिवर्तन			अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	4.49%	4.87%	इससे वृद्धि	4.85%	5.17%

(ग) परिभाषित हितलाभ योजनाएं: महत्वपूर्ण अनुमान: बीमांकित अनुमान:

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
छूट दर	6.78%	7.56%
वेतन वृद्धि दर	6.50%	6.50%

(घ) योजनागत परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार है:

भविष्य निधि:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण दस्तावेज				
सरकारी बॉण्ड	1,687.94	-	**1,687.94**	58.53
कारपोरेट बॉण्ड	1,024.48	-	**1,024.48**	35.52
निवेश निधियां				
म्युचुअल फंड	70.04	-	**70.04**	2.43
एलआईसी	-	-	**-**	-
नकदी और नकदी समतुल्य	**-**	**29.74**	**29.74**	**1.03**
प्रोद्भूत ब्याज	**71.92**	**-**	**71.92**	**2.49**
कुल	**2854.38**	**29.74**	**2,884.12**	**100.00**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण दस्तावेज				
सरकारी बॉण्ड	1505.84	-	**1505.84**	57.39
कारपोरेट बॉण्ड	975.08	-	**975.08**	37.17
निवेश निधियां				
म्युचुअल फंड	58.84	-	**58.84**	2.24
एलआईसी	-	-	**-**	-
नकदी और नकदी समतुल्य	**-**	**10.78**	**10.78**	**0.41**
प्रोद्भूत ब्याज	**73.22**	**-**	**73.22**	**2.79**
कुल	**2612.98**	**10.78**	**2623.76**	**100.00**

उपदान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना	-	673.85	**673.85**	100.00
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.01	**0.01**	0.00
कुल	**-**	**673.86**	**673.86**	**100.00**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना	-	**741.20**	**741.20**	**100.00**
नकदी और नकदी समतुल्य	-	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुल	**-**	**741.20**	**741.20**	**100.00**

सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस):

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण दस्तावेज				
सरकारी बॉण्ड	-	-	**-**	-
कारपोरेट बॉण्ड	712.97	-	**712.97**	72.85
एलआईसी योजना	**-**	**247.18**	**247.18**	**25.26**
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.01	**0.01**	0.001
प्रोद्भूत ब्याज	18.48	.	**18.48**	1.89
कुल	**731.45**	**247.19**	**978.64**	**100.00**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण दस्तावेज				
सरकारी बॉण्ड	-	-	-	-
कारपोरेट बॉण्ड	739.05	-	**739.05**	86.37
एलआईसी योजना	-	**88.69**	**88.69**	**10.37**
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.46	**0.46**	0.05
प्रोद्भूत ब्याज	27.47	-	**27.47**	3.21
कुल	**766.52**	**89.15**	**855.67**	**100.00**

(ङ) **जोखिम प्रदर्शन**: अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से, यह कंपनी कई जोखिमों का सामना करती है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

जोखिम प्रदर्शनों का विवरण:

मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित है, जो परिवर्तनशील प्रकृति के हैं और समय के साथ भिन्न होते हैं। अतः कंपनी नीचे दिए गए विभिन्न जोखिमों का सामना करती है –

क) वेतन वृद्धि – वास्तविक वेतन वृद्धि योजना की देयता में वृद्धि करेगी। वेतन में वृद्धि दर अनुमान में वृद्धि भावी मूल्यांकनों में देयता में भी वृद्धि करेगी।

ख) निवेश जोखिम – यदि योजना को वित्तपोषित किया जाता है तो परिसंपत्ति देयताएं असंतुलन और अंतिम तिथि को मानी गई छूट दर से निम्न होने वाला परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश लाभ देयता को प्रभावित कर सकता है।

ग) छूट दर – बाद के मूल्यांकनों में छूट दर मे कमी योजना की देयता में वृद्धि कर सकती है।

घ) मृत्यु तथा निशक्तता – मूल्यांकन में अनुमानित से कम या अधिक होने पर वास्तविक मृत्यु तथा निशक्तता के मामले देयताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

ङ) निकासी – वास्तविक निकासी अनुमानित निकासी से अधिक या कम होने और बाद के मूल्यांकनों में निकासी दरों में परिवर्तन योजना के देयता को प्रभावित कर सकती है।

च) **परिभाषित लाभ देयता और नियोक्ता अंशदान** : वित्तपोषण स्तरों की निगरानी वार्षिक आधार पर की जाती है और वर्तमान अंशदान दर मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 30 प्रतिशत है। कंपनी यह मानती है कि पिछली मूल्यांकन तिथि को निर्धारित अंशदान दरें सहमत अवधि पर कमी को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं और नियमित अंशदान, जो सेवा लागतों पर आधारित हैं, उनमें महत्वपूर्ण ढंग से वृद्धि नहीं होगी।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु परिभाषित हितलाभ योजनाओं में अपेक्षित अंशदान **142.78 करोड़ रुपए** है।

परिभाषित लाभ दायित्वों की भारित औसत अवधि 10.15 वर्ष है (2018–2019 – 10.14 वर्ष)।

छूट न दी गई परिभाषित हितलाभ योजनाओं का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है:

भविष्य निधि (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि) का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	0-1 वर्ष के मध्य	1-5 वर्ष के मध्य	5-10 वर्ष के मध्य	10 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2020	492.66	970.83	439.60	967.00	2870.09
31.03.2019	427.00	904.35	432.71	788.06	2552.12

उपदान (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि), रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ (एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना ट्रस्ट), सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ते और स्मृतिचिन्ह का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष के मध्य	2-5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2020					
उपदान	96.91	84.54	167.14	295.53	644.12
रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	29.96	38.85	135.64	638.42	842.87
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ते	0.62	0.57	1.24	2.50	4.93
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह	0.52	0.45	0.88	1.53	3.38
कुल	**128.01**	**124.41**	**304.90**	**937.98**	**1495.30**
31.03.2019					
उपदान	105.95	72.76	97.02	397.85	673.58
रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	36.25	38.06	128.18	655.26	857.75
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ते	0.64	0.59	1.32	2.34	4.89
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह	0.56	0.50	0.99	1.52	3.57
कुल	**143.40**	**111.91**	**227.51**	**1056.97**	**1539.79**

(ग) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ (अवकाश लाभ): कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश और अर्ध–वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। अर्जित अवकाश (ईएल) सेवा के दौरान नकदीकरण योग्य भी होते हैं। अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस की है। तथापि, अधिवर्षिता पर अर्जित अवकाश के 300 दिवस की अधिकतम सीमा में कोई कमी उस सीमा तक अर्ध वेतन अवकाश से पूरी की जाएगी। तत्संबंधी देयता बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मानी जाती है। बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के दौरान व्यय **101.02 करोड़ रुपए** (31 मार्च, 2019: **63.08 करोड़ रुपए)** माना गया है।

11. विदेशी मुद्रा में आय और व्यय तथा कल–पुर्जों की खपत का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए में)

क. सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ब्याज	25.29	21.37
	ii) अन्य विविध मामले	81.28	83.49
ख)	प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कल–पुर्जों तथा घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	-	-
	ii) देशीय	18.74	21.54

12. प्रति शेयर अर्जन :–

क) प्रति शेयर अर्जन (मूल तथा कम किया गया) निम्नानुसार हैं :

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
विनियामक आय से पूर्व प्रति शेयर अर्जन (रूपए) – मूल और कम किया गया	2.65	1.77
विनियामक आय के पश्चात प्रति शेयर अर्जन (रूपए) – मूल और कम किया गया	2.99	2.57
प्रति शेयर समान मूल्य (रुपए)	10	10

ख) प्रति शेयर अर्जन के परिकलन में प्रयुक्त आय का मिलान:

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अंश के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय से पूर्व किंतु कर पश्चात निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	**2663.56**	**1807.15**
कर पश्चात निवल लाभ तथा अंश के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय (करोड़ रुपए में)	**3007.17**	**2630.55**

ग) विभाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या का मिलान:

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
विभाजक के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	10045034805	10218811713

13. शेषों की पुष्टि संबंधी प्रकटन निम्नवत है:

(क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम, विविध देनदार, संविदाकारों को अग्रिम, विविध लेनदार तथा नीचे (ख) में दिए गए को छोड़कर संविदाकारों से जमा/बयाना राशि के अंतर्गत दर्शाए गए शेष, मिलान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अध्यधीन हैं। वसूली योग्य दावों में भारत सरकार के आदेशों के अनुसार अन्य एजेंसियों को सौंपी गईं या सौंपने का निर्णय की गई परियोजनाओं के संबंध में दावे भी शामिल हैं।

(ख) व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, जमा, संविदाकारों/आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम जिसमें पूंजीगत व्यय शामिल है और संविदाकारों को जारी सामग्री के संबंध में 0.05 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक के बकाया शेषों हेतु पुष्टि प्रत्येक पक्ष के संबंध में 31 दिसम्बर, 2019 को मांगी गई है। 31 दिसम्बर, 2019 के अनुसार शेषों की पुष्टि और साथ ही साथ 31.3.2020 को बकाया राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.12.2019 को बकाया राशि	पुष्टि की गई राशि	31.12.2020 को बकाया राशि
व्यापार प्राप्य	3778.81	213.66	3818.34
पूंजीगत व्यय और संविदाकारों को जारी सामग्री सहित जमा, संविदाकारों/ आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम	841.63	315.57	828.82
व्यापार/अन्य देय	339.99	57.67	612.81
प्रतिभूति जमा/देय प्रतिधारण राशि	155.26	26.07	116.21

ग) प्रबंधन के मतानुसार, अपुष्ट शेषों का कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होगा।

14. कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटन (टिप्पणी सं 29 देखें)

(i) (क) किए गए व्ययों के विभिन्न शीर्षों के तहत सीएसआर व्यय का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	सीएसआर व्ययों वाले व्ययों के शीर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
1	स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता	16.29	6.68
2	शिक्षा एवं कौशल विकास	57.96	2.43
3	महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक	0.36	0.21
4	पर्यावरण	3.31	0.55
5	कला एवं संस्कृति	0.15	0.19
6	भूतपूर्व सशस्त्र बल	1.00	-
7	खेल–कूद	0.43	0.29
8	ग्रामीण विकास	9.00	5.01
9	क्षमता निर्माण	0.12	0.11
10	स्वच्छ विद्यालय अभियान	0.53	0.09
11	स्वच्छ भारत अभियान	6.26	2.02
12	पीएम केयर्स फंड में अंशदान	25.00	-
13	प्रशासनिक उपरिशीर्ष	6.02	-
	कुल राशि	**126.43**	**17.58**

(ख) उपरोक्त के अलावा, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कुल **15.00 करोड़ रुपए** की राशि का पीएम केयर्स फंड में अंशदान के निमित्त भुगतान किया है और उसे अग्रिम के रुप में दर्शाया गया है।

(ii) अन्य प्रकटन

(क) वर्ष के दौरान नकद में भुगतान किए गए और व्यय की प्रकृति सहित नकद में अभी भुगतान किए जाने हेतु किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपए में)

	उद्देश्य	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए			31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए		
		नकद में भुगतान (क)	नकदी में अभी भुगतान किए जाने हेतु (ख)	कुल (क+ख)	नकद में भुगतान (क)	नकदी में अभी भुगतान किए जाने हेतु (ख)	कुल (क+ख)
(i)	किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/ अधिग्रहण	12.96	1.52	14.48	5.02	0.32	5.34
(ii)	उपरोक्त (i) को छोड़कर किसी प्रयोजन हेतु	109.61	2.34	111.95	11.70	0.54	12.24
	कुल	**122.57**	**3.86**	**126.43**	**16.72**	**0.86**	**17.58**

(ख) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, **126.43 करोड़ रुपए** के कुल व्यय में से कुल **3.86 करोड़ रुपए** की राशि संबंधित पक्षकारों को अभी भुगतान की जानी है, जो देयताओं से संबंधित लेखाओं के संगत शीर्ष में शामिल है।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के साथ पठित धारा 135 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सीएसआर के निमित्त खर्च किए जाने हेतु अपेक्षित राशि **123.16 करोड़ रुपए** है (वित्तीय वर्ष 2018–19 की खर्च न की गई राशि सहित पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत के आधार पर)।

15. प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना की सीमा तक कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 11 अक्तूबर, 2018 की अधिसूचना के साथ पठित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत अपेक्षित प्रकटन निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(i)	मूलधन तथा उस पर देय ब्याज जो तुलन–पत्र की तारीख को किसी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त रहता है		
	क) व्यापार प्राप्यः		
	- मूलधन (टिप्पणी सं. 20.2 देखें)	18.85	15.74
	- ब्याज	-	-
	ख) अन्यः		
	- मूलधन (टिप्पणी सं. 20.3 देखें)	8.88	4.85
	- ब्याज	-	-
(ii)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार, क्रेता द्वारा दिए गए ब्याज की राशि वर्ष के दौरान नियत दिवस के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि सहित	-	-
(iii)	भुगतान करने में विलंब के वर्ष के लिए देय ब्याज तथा भुगतान योग्य राशि (जो दे दी गई है, परंतु वर्ष के दौरान नियत दिवस के बाद), परंतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित ब्याज जोड़े बिना	-	-
(iv)	तुलन–पत्र की तारीख को प्रोद्भूत ब्याज और अप्रदत्त शेष राशि	-	-
(v)	शेष देय ब्याज की राशि तथा परवर्ती वर्षों में भी देय राशि, उस तारीख तक जब उपर्युक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यमियों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत काटे जाने वाले व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए दी गई है	-	-

16. भारतीय लेखांकन मानक–116 "पटटे" के अनुसार पटटों के संबंध में प्रकटन

क) कंपनी पट्टेदार के रूप में

(i) इंड एएस 116 में परिवर्तन

1 अप्रैल, 2019 से, कंपनी ने इंड एएस–116 "पट्टों" को अपनाया है तथा संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का उपयोग करके दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को मौजूदा सभी पट्टा संविदाओं पर यह मानक लागू किया। तदनुसार, 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली वर्ष की तुलना में नहीं की जा सकती।

कंपनी ने पट्टा देयता को प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख में वृद्धिशील उधार दर पर छूट प्राप्त शेष पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर और प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख से तुरंत पहले तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त उसे पट्टे से संबंधित प्रोद्भूत पट्टा भुगतान अथवा किसी भी प्रीपेड राशि द्वारा समायोजित पट्टा देयता की समान राशि पर परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार पर दर्ज किया है। इंड एएस–116 में परिवर्तन पर, कंपनी ने परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार और **14.90 करोड़ रुपए** राशि की पट्टा देयताओं के बराबर की राशि को मान्यता दी है।

इसके अतिरिक्त, **1252.78 करोड़ रुपए** राशि की भूमि – उपयोग का अधिकार, भवन उपयोग का अधिकार के समतुल्य तथा अन्य परिसंपत्तियों को वर्गीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है तथा तुलन–पत्र में परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान वर्ष हेतु लाभ और हानि विवरण में, पट्टा व्ययों को अन्य व्ययों से तथा कर्मचारी लाभ व्ययों से पट्टा परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार के लिए मूल्यह्रास और परिशोधन व्ययों तथा पट्टा देयता पर प्रोद्भूत ब्याज हेतु वित्तीय लागत में वर्गीकृत किया गया है

कंपनी ने इंड एएस–116 के प्रारंभिक अनुप्रयोग पर निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय लागू किये हैं:–

क. समान अंतिम तिथि के साथ समान आर्थिक पर्यावरण में समान परिसंत्तियों के पट्टों के पोर्टफोलियो पर एकल छूट दर लागू की।

ख. उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों की पहचान न करके तथा प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख को 12 माह से कम पट्टा अवधि वाली पट्टों देयताओं पर छूट लागू की।

ग. प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, यदि कोई हो तो उसे छोड़कर, प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि को उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों का मापन।

घ. यदि अनुबंध में पट्टे को विस्तारित करने या समाप्त करने का विकल्प शामिल है तो पट्टे की अवधि निर्धारित करते समय दूरदर्शिता का प्रयोग किया।

ङ. कंपनी ने इस मानक को अनुबंध पर लागू न करने के लिए व्यवहारिक प्रणाली के उपयोग करने का चयन किया है जो इंड एएस 17 में लागू पट्टे के रूप में पूर्व में अभिज्ञात नहीं किए गए थे। तद्नुसार, इंड एएस 116 केवल उन अनुबंध पर ही लागू होगा जो इंड एएस 17 के अंतर्गत पट्टों के रूप में पहले से अभिज्ञात थे।

दिनांक 1 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार पट्टा देयताओं पर लागू की गई भारित औसत वृद्धिशील उधार दर 7.85% है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 34 की क्रम सं. 16 में प्रकट किए गए अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को इंड एएस–17 के अनुसार गैर–निरस्तीकरण प्रचालनात्मक पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा किराये की प्रतिबद्धता नहीं थी। तदनुसार, इंड एएस–116 में परिवर्तित होने के कारण 1 अप्रैल, 2019 को लेखांकित पट्टा देयताएं, इन पट्टा करारों की निरस्तीकरण शर्तों के लिए पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य को शामिल करने के कारण हैं।

(ii) पट्टे की प्रकृति: कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाएं निम्नलिखित परिसंत्तियों के संबंध में हैं:

(क) 3–4 माह से 3 साल तक की अवधि के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के आवासीय उपयोग हेतु निरस्तीकरण योग्य पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत परिसर।

(ख) कार्यालयों, अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों हेतु पट्टे पर परिसर जो निरस्त नहीं किए जा सकते तथा आम तौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।

(ग) परियोजनाओं और/अथवा प्रशासनिक कार्यालयों के निर्माण के लिए भूमि पट्टे पर प्राप्त की गई।

(घ) वाहनों को सामान्यतः 1 से 2 वर्षों की अवधि हेतु प्रचालन पटटों पर लिया है और ये पट्टे निरस्त नहीं किए जा सकते।

(iii) राशि को 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान अल्पावधि, निम्न मूल्य और परिवर्तनशील पट्टे के संबंध में लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता दी गई है:

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2020
1	अल्पावधि पट्टों पर व्यय	16.58
2	निम्न–मूल्य परिसंपत्तियों के पट्टों पर व्यय	0.14
3	परिवर्तनीय पट्टा भुगतानों को पट्टा देयताओं के पुनर्मापन में शामिल नहीं किया गया है	5.61

(iv) 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार, अल्पावधि पट्टों के लिए प्रतिबद्धता **4.30 करोड़ रुपए** है।

(v) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं में संचलन निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2020
प्रारंभिक शेष	14.90
पट्टा देयताओं में वृद्धि	2.28
वर्ष के दौरान प्रोद्भूत वित्त लागत	1.17
घटाएं: पट्टा देयताओं का भुगतान	4.45
अंतिम शेष	**13.91**

ख) वित्त पट्टा – कंपनी पट्टादाता के रूप में

कंपनी ने दो पावर स्टेशनों नामतः निम्मो बाजगो और चुटक पावर स्टेशन से उत्पादित समूची विद्युत की बिक्री हेतु एकल लाभार्थी विद्युत विकास विभाग, जम्मू एवं कश्मीर के साथ इन पावर स्टेशनों के नियत जीवनकाल की पर्याप्त अवधि के लिए एक समझौता किया है। समझौतों के अंतर्गत, उपभोक्ता केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित कीमतों पर समूचे उत्पादन को खरीदने के लिए बाध्य है। कंपनी ने इन पावर स्टेशनों को इंड एएस 17–पट्टे के परिशिष्ट–ग के अनुसार निहित वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया है। कंपनी ने इस मानक को अनुबंध पर लागू न करने के लिए व्यवहारिक प्रणाली के उपयोग करने का चयन किया है जो इंड एएस 17 में लागू पट्टे के रूप में पूर्व में अभिज्ञात नहीं किए गए थे। तद्नुसार, इंड एएस 116 केवल उन अनुबंध पर ही लागू होगा जो इंड एएस 17 के अंतर्गत पट्टों के रूप में पहले से अभिज्ञात थे। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (वर्तमान तथा गैर–वर्तमान) में प्राप्य पट्टे शामिल हैं जो कंपनी द्वारा किए गए निहित वित्त पट्टा समझौतों पर प्राप्य भावी पट्टा किराए के वर्तमान मूल्य को दर्शाते हैं।

कंपनी ने वर्ष के दौरान **203.65 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **208.28 करोड़ रुपए**) की "वित्त पट्टे से आय" अर्जित की।

निम्नलिखित तालिका 31.03.2020 को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त होने वाले छूट न दिए गए पट्टा भुगतान दर्शाते हुए, पट्टा प्राप्य का परिपक्वता विश्लेषण निर्धारित करती है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2020
छूट न दिया गया पट्टा भुगतान प्राप्यः	
एक वर्ष से कम	248.21
एक से दो वर्ष	246.32
दो से तीन वर्ष	244.74
तीन से चार वर्ष	240.60
चार से पांच वर्ष	238.37
पांच वर्ष से अधिक	4,399.83
कुल छूट न दिया गया पट्टा भुगतान प्राप्यः	**5,618.06**
घटाएं: अर्जित न की गई वित्त आय	4,183.74
जोड़ें: छूट दिया गया गैर–गारंटीबद्ध अवशिष्ट मूल्य	1.91
पट्टे में निवल निवेश	**1,436.23**

वित्त पट्टों में निवल निवेश की वहनीय राशि में महत्वपूर्ण परिवर्तन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2020
प्रारंभिक शेष	1,506.28
वर्ष के दौरान वृद्धि	5.99
वर्ष के लिए वित्त पट्टे से आय	203.65
घटाएं: वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	279.69
अंतिम शेष	**1,436.23**

31.03.2019 को वित्तीय वर्ष के अंत में पट्टे में सकल निवेश और प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार था:

(i) पट्टों में सकल निवेश:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2019
एक वर्ष के भीतर	257.95
एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	987.15
पांच वर्ष से अधिक	3935.52
कुल	**5180.63**

(ii) प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2019
एक वर्ष के भीतर	56.67
एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	266.49
पांच वर्ष से अधिक	1183.12
कुल	**1506.28**

(iii) पट्टे में सकल निवेश और प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य के बीच मिलान निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2019
पट्टे में सकल निवेश	5180.63
समायोजन :	
घटाएं : अर्जित न की गई वित्त आय	3483.75
घटाएं : गैर–गारंटीबद्ध अवशिष्ट मूल्य	190.60
न्यूनतम पट्टा भुगतान (एमएलपी) का वर्तमान मूल्य	**1506.28**

(ग) प्रचालन पट्टा – कंपनी पट्टादाता के रूप में

कंपनी ने टीएलडीपी–III तथा टीएलडीपी–IV पावर स्टेशनों से विद्युत की बिक्री हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड और पवन विद्युत परियोजना, जैसलमेर से विद्युत की बिक्री हेतु जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ 3 वर्ष की अवधि हेतु एक करार किया है। इन करारों के अंतर्गत, उपभोक्ता केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित कीमतों पर उत्पादन की खरीद के लिए बाध्य है। तदनुसार, कंपनी ने इन पावर स्टेशनों को भारतीय लेखांकन मानक 17–पटटे के परिशिष्ट–ग के अनुसार प्रचालनात्मक पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया है। कंपनी ने इस मानक को अनुबंध पर लागू न करने के लिए व्यवहारिक प्रणाली के उपयोग करने का चयन किया है जो इंड एएस 17 में लागू पट्टे के रूप में पूर्व में अभिज्ञात नहीं किए गए थे। तद्नुसार, इंड एएस 116 केवल उन अनुबंध पर ही लागू होगा जो इंड एएस 17 के अंतर्गत पट्टों के रूप में पहले से अभिज्ञात थे।

कंपनी ने वर्ष के दौरान **666.57 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **748.61 करोड़ रुपए**) की "प्रचालनात्मक पट्टे से आय" अर्जित की।

निम्नलिखित तालिका विद्युत क्रय करार की तारीख तक टीएलडीपी–IV पावर स्टेशन के संबंध में 31.03.2020 को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त होने वाले छूट न दिए गए पट्टा भुगतान दर्शाते हुए, पट्टा भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण निर्धारित करती है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2020
एक वर्ष से कम	198.05
एक से दो वर्ष	-
दो से तीन वर्ष	-
तीन से चार वर्ष	-
चार से पांच वर्ष	-
पांच वर्ष से अधिक	-
कुल	**198.05**

31.03.2019 को वित्तीय वर्ष के अंत में गैर–निरस्तीकरण योग्य प्रचालनात्मक पट्टों के अंतर्गत प्राप्य भावी न्यूनतम किराया निम्नानुसार था:–

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2019
एक वर्ष के भीतर	211.02
एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	198.34
कुल	**409.36**

17. इंड एएस 27 – "पृथक वित्तीय विवरणों" के तहत प्रकटन

(क) सहायक कंपनियों में ब्याज

कंपनियों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान	प्रमुख कार्यकलाप	स्वामित्व के ब्याज का अनुपात	
			31.03.2020	31.03.2019
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत	विद्युत उत्पादन	51.08%	51.08%
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	भारत	विद्युत उत्पादन	73.17%	74.00%
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	भारत	विद्युत उत्पादन	99.99%	99.99%
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड#	भारत	विद्युत उत्पादन	100.00%	

#राष्ट्रीय कंपनी न्याय अधिकरण (एनसीएलटी) ने दिनांक 26 जुलाई, 2019 के अपने आदेश के द्वारा 897.50 करोड़ रुपए की राशि के लिए लैंको तीस्ता जलविद्युत परियोजना (500 मेगावाट टीएलडीपी–VI जलविद्युत परियोजना) के अधिग्रहण हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना को मंजूरी दी थी। क्रय राशि 9 अक्तूबर, 2019 को भुगतान की गई तथा उक्त तिथि से लैंको तीस्ता जलविद्युत लिमिटेड पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

(ख) संयुक्त उद्यमों में ब्याज:

कंपनियों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान	मुख्य कार्यकलाप	स्वामित्व के ब्याज का अनुपात	
			31.03.2020	31.03.2019
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड	भारत	ऑनलाइन हाई पावर शॉर्ट सर्किट परीक्षण सुविधा	20.00%	20.00%
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड #	भारत	विद्युत उत्पादन	49.89%	51.94%

वर्ष के दौरान, कंपनी ने इसके अतिरिक्त, चिनाब घाटी विद्युत परियोजना लिमिटेड (सीवीपीपीएल) में 140.45 करोड़ रुपए और जेकेएसपीडीसी ने 200.45 करोड़ रुपए निवेश किए, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की शेयरधारिता 51.94 प्रतिशत से घटकर 49.89 प्रतिशत रह गई। सीवीपीपीएल, संयुक्त करार के अनुसरण में अन्य संयुक्त उद्यमों के साथ संयुक्त नियंत्रण होने के कारण संयुक्त उद्यम बना रहा।

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेशों का मापन "पृथक वित्तीय विवरणों" संबंधी इंड एएस 27 के प्रावधानों के अनुसार लागत पर किया जाता है।

18. भारतीय लेखांकन मानक 36 के अनुसार, परिसंपत्तियों की हानि में किसी निकाय के लिए प्रत्येक तुलन पत्र पर यह आकलन करना होता है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि किसी परिसंपत्ति को हानि हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत हो तब निकाय से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना अपेक्षित है। यदि संभावित हानि के संबंध में घाटे का कोई संकेत न हो, तब इस मानक में किसी उपक्रम के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वह वसूली योग्य राशि का औपचारिक अनुमान लगाए।

प्रबंधन ने यह निर्धारित किया है कि इस कंपनी की प्रत्येक परियोजना/पावर स्टेशन सबसे छोटा पहचान योग्य परिसंपत्ति समूह है जो सतत उपयोग से नकदी के अंर्तप्रवाहों का सृजन करता है जो अन्य परिसंपत्तियों अथवा परिसंपत्ति समूह से नकदी के अंर्तप्रवाहों से व्यापक तौर पर स्वतंत्र है और तद्नुसार नकदी सृजित करने वाली इकाई (सीजीयू) के रूप में नामित किए जाने के योग्य है। इन सीजीयू पर लागू हानि संबंधी संकेतकों का आकलन किया गया है और ऐसे आकलन के आधार पर, प्रबंधन का यह मत है कि इस कंपनी पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के प्रौद्योगिकीय, आर्थिक अथवा कानूनी परिवेश, जिसमें कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम प्रचालन करते हैं, में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन इस वर्ष के दौरान नहीं हुआ है अथवा न ही निकट भविष्य में होने की आशा है। इसमें टैरिफ अवधि 2019–24 के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विनियमों जहां कोई प्रमुख संशोधन नहीं हुए हैं जिनका इन सीजीयू से भावी नकदी प्रवाह पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, शामिल हैं। ऐसा कोई साक्ष्य आंतरिक रिपोर्टिंग से उपलब्ध नहीं है जो यह संकेत देता हो कि सीजीयू का आर्थिक कार्य निष्पादन आशा से बदतर है अथवा होगा।

इसके अलावा, इस कंपनी के छः सीजीयू और एक सहायक कंपनी के दो सीजीयू का आकलन 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार हानि के लिए किया गया था। इस कंपनी के सीजीयू का चयन प्रति मेगावाट पूंजीगत लागत, टैरिफ आदि जैसे मानदंड के आधार पर किया गया था और इसमें कंपनी की दो प्रमुख निर्माण परियोजनाओं और 100 मेगावाट से अधिक वाले हाल ही में शुरू किए गए चार पावर स्टेशन शामिल हैं। इन सीजीयू में से, एक में पहचान की गई पूंजी लागत के भाग के रूप में टैरिफ के माध्यम से भविष्य में वसूले जाने वाले विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर भी विचार हानि के आकलन के लिए सीजीयू की वहनीय राशि के साथ किया गया है। सहायक कंपनी के संबंध में, दोनों प्रचालनात्मक पावर स्टेशनों पर हानि के आकलन के लिए विचार किया गया है।

हानि का विश्लेषण प्रत्येक सीजीयू के लिए विशिष्ट जोखिमों के लिए समायोजित लागू सीईआरसी विनियमों तथा पूंजी परिसंपत्ति कीमत निर्धारण मॉडल, जो मुद्रा के समय मूल्य का बाजार आकलन दर्शाता है, के आधार पर नकदी के प्रवाह संबंधी अनुमानों के अनुसार सीजीयू की वसूली योग्य राशि की माप कर उपयोग में मूल्य परिचालन के आधार पर किया गया था।

इस आकलन के आधार पर, ऐसा कोई महत्वपूर्ण संकेतक नहीं है जो वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान विनियामक आस्थगित लेखा शेषों सहित इस कंपनी की सीजीयू और सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में उसके निवेश की वहनीय राशि की हानि को इंगित करे। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान हानि के लिए परीक्षित कंपनी की परियोजनाओं/पावर स्टेशनों तथा उसकी सहायक कंपनियों के संबंध में कोई हानि नहीं है।

19. जलविद्युत नीति, 2008 के अनुसार, किसी परियोजना के चालू होने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) को 100 यूनिट विद्युत मुहैया करवाई जानी है। पीएएफ के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना अभी जारी की जानी है। चूंकि पीएएफ को मुहैया कराई जाने वाली विद्युत राज्य सरकार को निःशुल्क विद्युत से कटौती करके निकाली जानी है, इसका कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

20. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के अनुमोदन और/अथवा संशोधित लागत अनुमान के अनुमोदन के लंबित रहने तक, बिक्री की पहचान टीएलडीपी–IV पावर स्टेशन के संबंध में टैरिफ विनियमों/ आदेशों पर आधारित प्रबंधन अनुमान के अनुसार की गई है। इसके अतिरिक्त, बिक्री को भी उक्त आधार पर तथा ऊर्जा की कमी के प्रति अवधारणा, कानून में परिवर्तन के कारण जीएसटी के अतिरिक्त प्रभाव की प्रतिपूर्ति, सुरक्षा खर्चों की प्रतिपूर्ति, जलविद्युत उत्पादन स्टेशनों के जीवनकाल में वृद्धि के कारण मूल्यह्रास दर में परिवर्तन का प्रभाव, एनएचपीसी तथा केवी स्कूल के कर्मचारी के वेतन संशोधन का प्रभाव, सीईआरसी विनियम 2019 के कार्यान्वयन के कारण ओएंडएम व्यय का प्रभाव के आधार पर मान्यता दी गई है। परिणामस्वरूप, प्रचालन से राजस्व में इनसे संबंधित 601.94 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 515.05 करोड़ रुपए) शामिल हैं तथा 601.94 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 515.05 करोड़ रुपए) के ऐसे लंबित अनुमोदन अब तक प्राप्त किए गए हैं तथा इसे बिल न किए गए राजस्व में प्राप्य के अंतर्गत शामिल किया गया है।

21. प्रावधानों की प्रकृति और ब्यौरा (टिप्पणी संख्या 17 तथा 22 देखें)

(i) सामान्य

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी का वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा रचनात्मक) किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप हो और यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ शामिल होने वाले संशोधनों के बर्हिप्रवाह की आवश्यकता दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित हो और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। जब कंपनी यह प्रत्याशा करती है कि कुछ अथवा सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जैसे कि किसी बीमा संविदा के अंतर्गत, तो प्रतिपूर्ति को एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है परन्तु केवल तब जब प्रतिपूर्ति स्पष्टतः निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि के विवरण में किसी प्रतिपूर्ति के निवल पर प्रस्तुत किया जाता है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव वास्तविक है, तो प्रावधानों में एक वर्तमान कर–पूर्व–दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता से विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करते हैं। जहां छूट का उपयोग किया जाता है, समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

(ii) कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान (परिभाषित अंशदान और परिभाषित हितलाभ योजनाओं हेतु प्रावधानों के अतिरिक्त जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार टिप्पणी संख्या 34 की कम सं 10 पर प्रकट किया गया है)।

क) कार्य–निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधानः

लेखे में कर्मचारियों के निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन के निमित्त अल्पावधि प्रावधान को प्रबंधन अनुमानों के आधार पर इस संबंध में कंपनी के नियमों के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है जो लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों पर आधारित है।

ख) तीसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) के अनुसार वेतन संशोधन हेतु प्रावधानः

कंपनी के कर्मचारियों के वेतन संशोधन हेतु अल्पावधि प्रावधान को लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार पूर्व में मान्यता दी गई थी।

(iii) अन्य प्रावधान

क) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधानः

टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान को अनुमानित आधार पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा 2014–19/2019–24 की अवधि हेतु टैरिफ के अनुमोदन/ट्रुइंग–अप के लंबित होने पर, बिल किए गए टैरिफ के पुनः आकलन पर लाभग्राहियों को संभावित प्रतिदाय के प्रति किया गया है।

ख) आजीविका सहायता हेतु प्रावधानः

पार्बती–II तथा पार्बती–III में परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) को आजीविका सहायता हेतु राज्य सरकार के परामर्श से और एनएचपीसी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार अंतिम रूप दिए गए विशेष वित्तीय पैकेज के प्रति लेखे में औसत मुद्रास्फीति हेतु छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है। पैकेज के अनुसार, भुगतान की औपचारिकताएं लम्बित होने तक, प्रत्येक पीएएफ के एक पात्र व्यक्ति को निम्नलिखित वर्षों हेतु मासिक किश्त आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्र सरकार, जो भी अधिक हो, के अनुसार अकुशल श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य आजीविका सहायता उपलब्ध करवाई जाएगीः

i) रोजगार हेतु पात्र पीएएफ की अधिवर्षिता की तिथि तक।

ii) ऐसे पीएएफ जिनके पास भूमि बिल्कुल नहीं बची है परन्तु जिन्हें रोजगार हेतु शामिल नहीं किया गया है, 2000 दिवस हेतु।

iii) शेष सभी पीएएफ को 1000 दिवस हेतु।

ग) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधानः

पर्यावरण, प्रतिपूरक वनीकरण, स्थानीय क्षेत्र विकास आदि के प्रति किए जाने वाले पूंजीगत व्यय हेतु गैर–चालू राशि के मामले में छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है जो परियोजना के निर्माण हेतु अनुमोदन प्राप्त करते समय एक पूर्व शर्त है और जिसके प्रति व्यय परियोजना के चालू किए जाने तक पूरा नहीं किया गया है। ऐसे प्रावधानों को संबंधित राज्य सरकार प्राधिकरणों द्वारा की गई मांग के अनुसार वास्तविक व्यय के किए जाने पर समायोजित किया जाता है।

घ) बीमाकृत परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार व्ययों हेतु प्रावधानः

मेगा तथा निर्माणाधीन संयंत्र और मशीनरी पॉलिसी के अंतर्गत बीमाकृत क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार हेतु प्रबंधन अनुमानों के आधार पर लेखे में प्रावधान को मान्यता दी गई है। प्रावधान का उपयोग परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार के प्रति वास्तविक व्यय को वहन किए जाने के निमित्त किया जाना है।

ङ) **मध्यस्थता निर्णय/अदालती मामलों के संबंध में व्यय हेतु प्रावधानः**

इसमें मध्यस्थता निर्णय/अदालती निर्णय प्राप्त हो चुके तथा न्यायालय में आगे चुनौती दिए गए संविदाकार के दावों के संबंध में संभावित बहिर्प्रवाह संबंधी प्रबंधन आकलन के आधार पर सृजित किए गए प्रावधान शामिल हैं। प्रावधान का उपयोग/बहिर्प्रवाह मामले के निर्णय के आधार पर होगा।

च) **प्रावधान–अन्य–इसमें निम्नलिखित के प्रति किए गए प्रावधान शामिल हैं:–**

(i) संभावित बहिर्प्रवाह प्रवाह के प्रति प्रबंधन के आकलन के आधार पर संविदाकार के दावे, भूमि मुआवजा मामले, विवादित कर मांगे और अन्य मामले। प्रावधान का उपयोग/बहिर्प्रवाह मामले के परिणाम पर निर्भर करेगा।

(ii) कंपनी द्वारा सेवाएं उपयोग किए जा रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन संशोधन।

(iii) वर्ष 2014–19 की अवधि हेतु टैरिफ विनियमों के अनुसार वसूले गए अधिक टैरिफ पर लाभग्राहियों को ब्याज हेतु प्रावधान जहां वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि पर प्रस्तावित पूंजीगत लागत के आधार पर सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु ली गई पूंजीगत लागत अथवा प्रस्तावित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, व्यय की गई वास्तविक पूंजीगत लागत से अधिक होता है।

(iv) अनुमेय छूट की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए गृह निर्माण अग्रिम के ब्याज के प्रति छूट हेतु एकमुश्त प्रावधान।

(v) अनुमेय छूट की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर विद्युत की बिक्री हेतु उपभोक्ताओं को छूट हेतु एकमुश्त प्रावधान।

22. **भारतीय लेखांकन मानक 114 के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा (आरडीए) शेष के सृजन संबंधी प्रकटीकरणः**

कंपनी प्रमुखतः जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालन में लगी हुई है। कंपनी द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु प्रभारित किए जाने वाले मूल्य (टैरिफ) का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा लागू सीईआरसी (टैरिफ के निंबंधन एवं शर्तें) विनियमों के अंतर्गत किया जाता है। उक्त मूल्य (टैरिफ) ब्याज लागत, मूल्यह्रास, प्रचालन और अनुरक्षण जिसमें निर्धारित रिटर्न शामिल है जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होता है। दर विनियमन के इस रूप को सेवा की लागत विनियमों के रूप में जाना जाता है। ऐसे विनियमों का मुख्य उद्देश्य निकाय को वस्तु या सेवा मुहैया करवाने की उसकी लागत तथा एक उचित प्रतिफल को वसूल करने का अवसर प्रदान करना है।

इस प्रयोजन हेतु कंपनी को लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित अथवा सीईआरसी द्वारा पहले ही स्वीकार किए गए किए जा चुके व्यय अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक किए जाने हेतु प्रस्तावित और लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित अतिरिक्त पूंजी व्यय या टैरिफ वर्ष के दौरान व्यय किए जाने हेतु प्रस्तावित व्यय के आधार पर सीईआरसी को एक आवेदन देना अपेक्षित होता है। सीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ को उन उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) से वसूला जाता है जिन पर वह बाध्यकारी हो।

उक्त दर विनियम लेखांकन ढांचे में यथा परिकल्पित किसी अधिकार (परिसंपत्ति) अथवा किसी दायित्व (देयता) के सृजन में परिणत होते हैं जो अन्य उद्योगों के मामले में नहीं होता। आईसीएआई ने दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी एक परामर्शी नोट जारी किया है जो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध करवाने वाले निकायों पर लागू होता है जिनके मूल्य सेवा की लागत विनियमों के अधीन होते हैं और विनियामक द्वारा निर्धारित टैरिफ उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) पर बाध्यकारी होता है। परामर्शी नोट के अनुसार किसी विनियामक परिसंपत्ति को तब मान्यता दी जाती है जब इसकी संभावना हो (एक तर्कसंगत आश्वासन) कि इससे संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ संबंधित निकाय को लागू विनियामक ढांचे के अंतर्गत विनियामक के वास्तविक या प्रत्याशित कृत्यों के परिणामस्वरूप प्राप्त हों और राशि का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सके।

परामर्शी नोट में कुछ मामलों में यह भी प्रावधान है कि कोई विनियामक किसी निकाय को दर आधार में उसके द्वारा स्व–निर्मित (मूर्त) स्थिर परिसंपत्तियों या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों को शामिल करने की अनुमति दे, ऐसी राशियां जिन्हें अन्यथा लेखांकन मानकों के अनुरूप लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता।

01.04.2016 से ऐसी दर नियंत्रित मदों का लेखांकन भारतीय लेखांकन मानक 114 (विनियामक आस्थगित लेखे" के अनुसार किया जाना है। भारतीय लेखांकन मानक–114 में किसी निकाय को विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मान्यता, मापन, क्षति तथा विमान्य किए जाने हेतु पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीतियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस प्रयोजन हेतु "दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन" के संबंध में आईसीएआई मार्गदर्शी टिप्पण पूर्ववर्ती जीएएपी को माना जाएगा।

(क) सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेषः

सुबनसिरी लोअर परियोजना के स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप 16.12.2011 से बाधित थे और मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण में लंबित था। तथापि, परियोजना पर तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य जारी था।

31 जुलाई, 2019 के अपने आदेश में, माननीय एनजीटी ने माना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञ समिति के गठन में पक्षपात करने वाले आवेदकों की याचिकाओं में कोई औचित्य नहीं है और तदनुसार, एनजीटी के समक्ष लंबित

सुबनसिरी लोअर परियोजना के विरुद्ध मामलों को खारिज कर दिया गया है। अक्टूबर, 2019 से परियोजना में सक्रिय निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्शी समिति (ईएसी) के मतानुरूप **2735.61 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **2578.00 करोड़ रुपए** तक) की ऋण लागत, **1427.67 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष तक **1318.03 करोड़ रूपए**) के कर्मचारी हितलाभ व्यय, मूल्यह्रास और अन्य व्यय, 30 सितंबर, 2019 तक व्यय की गई **322.60 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष तक **279.06 करोड़ रुपए**) की अन्य आय के निवल को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

परियोजना में सक्रिय निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान फिर से शुरू कर दिया गया है, 01.10.2019 से व्यय की गई ऋण लागत, कर्मचारी हितलाभ व्यय, मूल्यह्रास और अन्य व्यय (अन्य आय का निवल) को निर्माण पर आरोप्य व्यय के रूप में पूंजीकृत किया गया है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दर विनियमित क्रियाकलापों संबंधी परामर्शी नोट के अनुसार लेखांकन को अपनाया था जो "विनियामक परिसंपत्ति" और तदनुरूपी "विनियामक आय" की मान्यता को अनुमति देता है जिसमें ऐसे व्यय को वसूल करने का अधिकार है जिसे लेखांकन मानकों के अनुसार संगत स्थिर परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं है, परन्तु फिर भी विनियामक से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभग्राहियों से वसूल किए जाने की योजना है।

चूंकि भारतीय लेखांकन मानक–114 में किसी निकाय को विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मान्यता, मापन, क्षति तथा विमान्य किए जाने हेतु पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीतियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है और यह पूर्ववर्ती जीएएपी को "दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन" के संबंध में आईसीएआई मार्गदर्शी टिप्पणी के रूप में मान्यता देता है, कंपनी ने विनियामक आस्थगित लेखा शेष हेतु लेखांकन नीति को जारी रखा है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए और उस वर्ष तक, सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में कुल विनियामक आस्थगित लेखा ऋण शेष नीचे दिए गए अनुसार हैं:

(करोड़ रूपए में)

निम्नलिखित के संबंध में सृजित विनियामक परिसंपत्ति	31.03.2019 तक	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान	31.03.2020 तक
ऋण लागत	2352.06	157.61	2509.67
कर्मचारी हितलाभ व्यय	593.13	35.60	628.73
मूल्यह्रास	51.27	3.59	54.86
अन्य व्यय	546.56	16.27	562.83
अन्य आय	(275.68)	(9.82)	(285.50)
कुल	**3267.34**	**203.25**	**3470.59**

प्रबंधन ने यह आकलन किया है कि परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष में वृद्धिक योग इंड एएस 114 के अनुसार मान्यता हेतु अपेक्षित निश्चितता एवं विवेक के स्तर को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन के आकलन के अनुसार परियोजना की परिसंपत्तियों की वहनीय राशि में उसमें मान्यता प्राप्त विनियामक आस्थगित लेखा शेषों सहित इस परियोजना के चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल **7263.48 करोड़ रुपए** की राशि को कोई क्षति नहीं हुई है।

परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) के पश्चात, सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखाओं में पड़ी शेष राशि को मूल्यह्रास के अनुपात में परियोजना के जीवनकाल अर्थात 40 वर्षों पर सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों का पालन करते हुए परिशोधित/परिसमाप्त किया जाएगा।

वर्ष 2019–2024 के लिए टैरिफ विनियम सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। मौजूदा टैरिफ विनियमों (2014–19), उधार की पूंजी में परिणत का अधिकार देना एवं अनियंत्रण किए जाने योग्य कारकों, जिनमें अप्रत्याशित घटनाएं जैसे टैरिफ विनियम 2014–19 के अनुसार रुकावट/अस्थायी रूप से व्यापार रोकने संबंधी आदेश शामिल हैं, के अलावा, नए विनियमों में अप्रत्याशित घटनाओं में से एक के रूप में परियोजनाओं के लिए सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब भी शामिल है। तद्नुसार, प्रबंधन यह मानता है कि टैरिफ विनियमों में प्रतिकूल परिवर्तन सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में मान्यताप्राप्त आरडीए शेषों की भावी वसूली के जोखिम के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में संभवतः नहीं है।

कुछ जोखिम तथा अनिश्चितताएं सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में सृजित विनियामक आस्थगित ऋण शेष की भावी वसूली को प्रभावित कर सकते हैं। ये हैं :

क) **मांग जोखिम**: विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूली टैरिफ के माध्यम से मूल्यह्रास द्वारा की जाएगी। तदनुसार, यह सामान्य जोखिमों तथा अनिश्चितताओं से प्रभावित है जो भारत में विद्युत की बिक्री को प्रभावित करती हैं जैसे परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए लागत और आवश्यक रिटर्न को कवर करने वाली दर पर दीर्घावधि विद्युत खरीद करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए जाने में कठिनाई।

ख) **विनियामक जोखिम**: टैरिफ विनियमों में आगे यह प्रावधान है कि यदि विलंब उत्पादक कंपनी पर आरोप्य नहीं है बल्कि अनियंत्रणीय कारकों के कारण है, आईईडीसी को उचित विवेकसम्मत जांच के पश्चात अनुमेय किया जा सकता है। विवेकसम्मत जांच के पश्चात व्यय की अस्वीकार्यता से लाभार्थियों से वसूल की जाने वाली विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मात्रा प्रभावित हो सकती है।

(ख) केंद्रीय क्षेत्र की सार्वजनिक यूनिट (सीपीएसयू) के तीसरे वेतन संशोधन के कारण मान्यता दिए गए व्यय के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष :

सीपीएसयू के कर्मचारियों का वेतन 1 जनवरी, 2017 से संशोधित किया गया है। जैसा कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, 01.01.2017 से मूल वेतन, महंगाई भत्ता और भत्तों में वृद्धि करने के अलावा, उपदान को 01.01.2017 से मौजूदा **0.10 करोड़ रुपए** से बढ़ाकर **0.20 करोड़ रुपए** किया गया है। सभी कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन कार्यान्वित किया गया है।

कारणों के विवरण सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2014 के साथ पठित सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014–19 में यह प्रावधान है कि प्रचालनात्मक पावर स्टेशनों के वेतन संशोधन के कारण कर्मचारी लागत में वास्तविक वृद्धि का प्रभाव टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभार्थियों से वसूली योग्य है। इसके अतिरिक्त, टैरिफ अवधि 2004–09 के दौरान, सीईआरसी ने 31.12.2006 के अनुसार याचिकाकर्ता कंपनी के कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) के 50 प्रतिशत तक वेतन संशोधन (01.01.2007 से) के कारण कर्मचारी लागत में वास्तविक वृद्धि की लाभार्थियों से वसूली को बारह समान मासिक किश्तों में अनुमेय किया था। सीईआरसी द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2019 को अधिसूचित शुद्धिपत्र के साथ पठित वर्ष 2019–2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियम में यह भी प्रावधान है कि टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभार्थियों से वेतन संशोधन की वसूली की जाए।

भारतीय लेखांकन मानक–114–"विनियामक आस्थगित लेखा" के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, वेतन/उपदान सीमा के संशोधन के कारण कर्मचारी लाभों पर अतिरिक्त व्यय को, 31 मार्च, 2019 तक लाभ एवं हानि विवरण अथवा अन्य व्यापक आय में प्रभारित किए जाने की सीमा तक "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। एक बार इस संबंध में सीईआरसी के साथ समक्ष दायर याचिकाओं को मंजूरी मिलने के बाद लाभार्थियों को बिलिंग के माध्यम से यह शेष राशि वापस मिल जाएगी।

टैरिफ अवधि 2014–19 के विपरीत, जहां वेतन संशोधन के आरडीए शेषों को इस उम्मीद के साथ बनाया गया था कि सीईआरसी उसके अनुसरण में टैरिफ में उसी की अनुमति देगा, जिसकी वित्तीय वर्ष 2009 के दौरान वेतन संशोधन के लिए पहले अनुमति दी गई थी, टैरिफ विनियम 2019–24 वेतन संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय की विशिष्ट रूप से वसूली करने की अनुमति देता है।

तद्नुसार, दिनांक 01.04.2019 से 204.85 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ तीसरी पीआरसी के कारण अतिरिक्त व्यय को "बिल न किया गया राजस्व" के रूप में माना गया है, जबकि दिनांक 31.03.2019 तक अतिरिक्त व्यय के कारण 631.90 करोड़ रुपए को आरडीए डेबिट शेष के रूप में निरंतर प्रस्तुत किया जा रहा है।

वित्तीय विवरण में 31.03.2020 तक मान्यता प्रदान किए गए कुल आरडीए ऋण शेष नीचे दिए अनुसार हैं:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	**631.90**
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (+)	-
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित राशि (–)	-
घ	**लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की गई विनियामक आय (ख+ग)**	**-**
ङ	**31.03.2020 को अंतिम शेष (क+घ)**	**631.90**

हालांकि, कर्मचारियों के वेतन संशोधन के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता विनियामक जोखिम के अध्यधीन है क्योंकि ऐसे व्यय को आम तौर पर सीईआरसी द्वारा विवेकसम्मत जांच के बाद ही किए जाने की अनुमति दी जाती है। विवेकसम्मत जांच के बाद व्यय की अस्वीकार्यता से लाभार्थियों से वसूले जाने वाले विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मात्रा पर प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी की वर्तमान सीईआरसी विनियम 2019–24 की अवधि के दौरान तीसरे वेतन संशोधन के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेषों की वहनीय राशि को वसूल करने की आशा है।

(ग) किशनगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ के अनतिक्रम के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेषः

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014/19–2019–24 के अनुसार, किसी पावर स्टेशन की पूंजीगत लागत पर मूल्यह्रास टैरिफ के संघटकों में से एक है। मूल्यह्रास को 12 वर्षों की आरंभिक प्रचालन अवधि में टैरिफ विनियम 2014–19/2019–24 में दी गई दरों के अनुसार बहियों में प्रभारित किया जाता है और उसके बाद शेष मूल्यह्रास को शेष 23/28 वर्षों में समान रूप से रखा जाता है ताकि मूल्यह्रास के द्वारा पावर स्टेशन की पूंजी लागत का 90 प्रतिशत वसूला जा सके। टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार, जल पावर स्टेशन का प्रचालनात्मक जीवनकाल 40 वर्ष है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार, उत्पादक कंपनी द्वारा पावर की बिक्री के लिए टैरिफ का भी निर्धारण विनियम में उल्लिखित मानदंडों के विचलन में किया जा सकता है, बशर्ते विचलन में मानदंडों के आधार पर परियोजना के उपयोगी जीवनकाल पर समान स्तर पर किये हुए टैरिफ विनियमों में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर परिकलित समान किये हुए शुल्क से अधिक न हो। 2019–2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियमों जिन्हें सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किया गया है, में समान प्रावधान हैं।

किशनगंगा पावर स्टेशन के मामले में (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथिः 17 मई, 2018), कंपनी ने आरंभिक दस वर्षों में कमतर टैरिफ निर्धारित कर तथा उसके बाद 1 से 10 वर्षों तक 1.5 प्रतिशत मूल्यह्रास द्वारा शेष 25 वर्षों तक तथा 11 से 40 वर्ष तक 2.5 प्रतिशत मूल्यह्रास प्रभारित कर किशनगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ में अनतिक्रम किया है और इस प्रकार से पावर स्टेशन की पूंजी लागत का कुल 90 प्रतिशत अनतिक्रम हुआ है। प्रचालन के आरंभिक वर्षों में टैरिफ को कम करने के उद्देश्य से इस अनतिक्रम को सीईआरसी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है।

किशनगंगा पावर स्टेशन में टैरिफ के निर्धारण के लिए मूल्यह्रास दरों का अनतिक्रम सीईआरसी द्वारा अनुमोदित पावर स्टेशन के टैरिफ आदेश के अनुसार टैरिफ के रूप में वाणिज्यिक प्रचालन और वसूली के प्रथम 12 वर्षों के दौरान खाते में प्रभारित उच्चतर मूल्यह्रास (सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार) के रूप में अत्यधिक असंतुलन को पैदा करता है। हालांकि, प्रथम 12 वर्षों के दौरान कमतर वसूली की प्रतिपूर्ति खाते में प्रभारित मूल्यह्रास की तुलना में टैरिफ के माध्यम से मूल्यह्रास की उच्चतर वसूली के द्वारा पावर स्टेशन के प्रचालनात्मक जीवनकाल की शेष अवधि के दौरान की जाएगी। आरंभिक वर्षों मे टैरिफ कम करने के उद्देश्य से लागतों की वसूली को टालना तथा बाद के वर्षों में इसकी वसूली यह दर्शाता है कि टैरिफ के माध्यम से भविष्य में वर्तमान लागतों की वसूली करने के अधिकार के रूप में परिसंपत्ति मौजूद है और ऐसे अधिकार को लागू किया जा सकता है।

भारतीय लेखांकन मानक 114 "विनियामक आस्थगित लेखा" के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, टैरिफ विनियम, 2014–19 के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित मूल्यह्रास और टैरिफ के रूप में अनुमति दिया गया मूल्यह्रास और बाद की अवधियों में लाभार्थियों से वसूले जाने वाले के बीच अंतर की पहचान पावर स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में की जा रही है। वाणिज्यिक प्रचालन के जीवनकाल के प्रथम 12 वर्षों के दौरान सृजित आरडीए शेष राशियों को पावर स्टेशन के शेष उपयोगी जीवनकाल के दौरान अर्थात 28 वर्षों की अवधि के दौरान टैरिफ के संघटक के रूप में उच्च मूल्यह्रास के माध्यम से लाभार्थियों से वसूला जाएगा।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में मान्यताप्राप्त विनियामक परिसंपत्ति (+)/देयता (–) नीचे दी गई हैः

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	**171.98**
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति(+)/देयता (–))	195.62
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (–)/वापस की गई राशि (+)	-
घ	**लाभ एवं हानि विवरण में पहचान की गई विनियामक आय/(व्यय) (ख–ग)**	**195.62**
ङ	**31.03.2020 को अंतिम शेष (क+घ)**	**367.60**

कंपनी का किशनगंगा पावर केंद्र के संबंध में दीर्घावधि पावर क्रय करार है। चूंकि, टैरिफ के अनतिक्रम को सीईआरसी द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है, अतः कंपनी किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में सृजित विनियामक आस्थगित लेखा शेषों की वसूलनीयता के संबंध में किसी महत्वपूर्ण जोखिम पर विचार नहीं करती है।

हालांकि, खाते में मूल्यह्रास प्रभार और टैरिफ के माध्यम से उसकी वसूली सीईआरसी द्वारा यथाअनुमत पावर स्टेशन की पूंजी लागत पर निर्भर है, किशनगंगा विद्युत केंद्र के मामले में विनियामक आस्थगित लेखा शेषों की वसूली विनियामक जोखिम के अध्यधीन होगी। समय और लागत आधिक्य आदि के कारण व्यय सहित विद्युत केंद्र पर वास्तविक पूंजी व्यय का अनुमोदन सीईआरसी द्व ारा विवेकसम्मत जांच के अध्यधीन है। विवेकसम्मत जांच के बाद व्यय की अनुमति न देना लाभार्थियों से वसूल किए जाने वाले विनियामक आस्थगित लेखा शेषों की मात्रा को प्रभावित कर सकता है।

(घ) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेषः

भारतीय लेखांकन मानक 23 – "उधार लागत" के अनुसार, ब्याज लागतों के सामयोजन के रूप में मानी गई सीमा तक विदेशी मुद्रा ऋण पर उधार लागत की अनुमति निर्माण अवधि के दौरान पूंजीकृत किए जाने के लिए दी जाती है। इसके अलावा, भारतीय लेखांकन मानक 21 – "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों का प्रभाव" में यह प्रावधान है कि जिन दरों पर इस अवधि के दौरान अथवा पूर्व के वित्तीय विवरणों में आरंभिक मान्यता पर उन्हें रुपांतरित किया गया था, से भिन्न दरों पर मौद्रिक मदों के निपटान अथवा रुपांतरण के कारण होने वाले विनिमय अंतर की पहचान उस अवधि में लाभ और हानि में की जाएगी जिसमें वे उत्पन्न होंगे।

भारतीय लेखांकन मानक 101 के पैरा घ13कक – "भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाना" में यह प्रावधान है कि पहली बार अपनाने वाली दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रुपांतरण के कारण विनिमय अंतरों के लेखांकन के लिए अपनाई गई मौजूदा लेखांकन नीति जारी रह सकती है। तद्नुसार, 01.04.2016 को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाली अवधियों के लिए, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज लागत के समायोजन के रूप में मानी गई सीमा तक उधार पर विनिमय अंतर को छोड़कर मौद्रिक मदों के रुपांतरण/निपटान के कारण होने वाले सभी विनिमय अंतरों को लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाना है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014–19 के अनुसार, विनिमय जोखिम अंतर के कारण किसी लाभ अथवा हानि को परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) पर टैरिफ की गणना के लिए पूंजी लागत के भाग के रूप में तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान आधार पर वसूला जाएगा। इसके अलावा, सीईआरसी ने टैरिफ आदेशों में पूंजी लागत के भाग के रूप में निर्माण अवधि के दौरान हुए विनिमय अंतरों की अनुमति दी है।

मान्यता के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 114–"विनियामक आस्थगित लेखा" के प्रावधानों को देखते हुए, और वसूलनीयता के संबंध में सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014–19, लाभ और हानि में प्रभारित सीमा तक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रुपांतरण/ निपटान के कारण विनिमय अंतरों की पहचान 01.04.2016 से (से प्रभावी) "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में की जा रही है। इन शेषों का समायोजन उस वर्ष से किया जाता है जिसमें वह परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) के बाद लाभार्थियों से वसूलनीय अथवा उन्हें भुगतान योग्य होंगे।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उन्हें भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्तियां (+)/देयताएं (–) नीचे दी गई हैं:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	**(0.97)**
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्तियां (+)/देयताएं (–))	0.99
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (–)/वापस की गई राशि (+)	0
घ	**लाभ एवं हानि विवरण में मानी गई विनियामक आय/(व्यय) (ख–ग)**	**0.99**
ङ	**31.03.2020 को अंतिम शेष (क+घ)**	**0.02**

2019–2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियम को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किया गया है। किसी परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) पर टैरिफ की गणना के लिए पूंजी लागत और टैरिफ विनियम 2014–19 के अनुसार पावर स्टेशन की ओएंडएम अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान के आधार पर विदेशी विनिमय दर परिवर्तन की वसूलनीयता के संबंध में विनियम टैरिफ अवधि 2019–24 के लिए भी जारी रखे गए हैं। तद्नुसार, प्रबंधन यह मानता है कि टैरिफ विनियम में प्रतिकूल परिवर्तन संभवतः विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में मान्यता प्राप्त आरडीए शेष राशियों की भावी वसूली के जोखिम का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं हो सकता है।

हालांकि, विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता मांग जोखिम के अध्यधीन है क्योंकि विनियामक आस्थगित निकासी/जमा शेष की वसूली/भुगतान लाभार्थियों को बिलिंग के रूप में होगी। तद्नुसार, वह दीर्घावधि पीपीए आदि पर हस्ताक्षर करने में दिक्कत जैसे भारत में बिजली की बिक्री पर प्रभाव डालने वाले सामान्य जोखिमों एवं अनिश्चितताओं से प्रभावित होता है।

(ङ) लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, टैरिफ अवधि 2004–09 के लिए होने वाली आय के कारण उत्पन्न होने वाले आस्थगित कर, चालू कर, के रूप में उसी वर्ष में लाभार्थियों से वसूली योग्य है, जिस वर्ष में वह होता है। टैरिफ अवधि 2014–19 के लिए आस्थगित कर भुगतान किए गए वास्तविक कर के आधार पर प्रभावी कर दर से इक्विटी पर लाभ को छोड़कर वसूली योग्य है। 31 मार्च, 2018 तक, भविष्य के वर्षों में लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर को आस्थगित कर देयता के समायोजन के रूप में प्रस्तुत किया गया था और उसे आरडीए के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी।

इस प्रथा की समीक्षा वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (आईसीएआई की ईएसी) के मत के आधार पर की गई थी। इस प्रकार का आस्थगित लेखा शेष, जो आईसीएआई की ईएसी के अनुसार कटौती योग्य अस्थायी अंतर नहीं है जिसके फलस्वरूप भारतीय लेखांकन मानक 12 के अंतर्गत आस्थगित कर परिसंपत्ति होता है बल्कि भारतीय लेखांकन मानक 114 के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष की परिभाषा पूरा करता है।

तद्नुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान विनियामक आस्थगित लेखा शेष के रूप में आस्थगित कर देयता के समायोजन के रूप में पूर्व में प्रस्तुत 2009 तक वसूली योग्य आस्थगित कर और टैरिफ अवधि 2014–19 से संबंधित आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन को वर्गीकृत किया है।

सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार, पूर्ववर्ती टैरिफ विनियम 2014–19 में यथा प्रदत्त वर्तमान कर और आस्थगित कर की वसूली के तरीके में कोई अंतर नहीं है।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्तियां (+)/देयताएं (–) नीचे दी गई हैं:

टैरिफ अवधि 2009 तक वसूली योग्य आस्थगित कर के संबंध में:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	**1654.73**
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्तियां (+)/देयताएं (–))	-
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (–)/वापस की गई राशि (+)	125.71
घ	**लाभ एवं हानि विवरण में मानी गई विनियामक आय/(व्यय) (ख–ग)**	**(125.71)**
ङ	**31.03.2020 को अंतिम शेष (क+घ)**	**1529.02**

आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन के संबंध में (2014–19 और उसके बाद की टैरिफ अवधि के संबंध में):

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	**767.63**
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्तियां (+)/देयताएं (–))	69.46
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (–)/वापस की गई राशि (+)	-
घ	**लाभ एवं हानि विवरण में मानी गई विनियामक आय/(व्यय) (ख–ग)**	**69.46**
ङ	**31.03.2020 को अंतिम शेष (क+घ)**	**837.09**

टैरिफ अवधि 2004–2009 तक वसूली योग्य आस्थगित कर के कारण मान्यताप्राप्त विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता तथा 2014–19 और उसके बाद की टैरिफ अवधि से संबंधित आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन कंपनी के भावी प्रचालनात्मक कार्य निष्पादन पर निर्भर है। इसके अलावा, चूंकि विनियामक आस्थगित लेखा शेष विगत टैरिफ अवधियों से संबंधित हैं, अतः वसूलनीयता भी सीईआरसी के विनियामक जोखिम के अध्यधीन है जो भावी टैरिफ विनियमों में ऐसे शेषों की वसूली की अनुमति देता है।

23. **(i)** उड़ी–II पावर स्टेशन जहां दुर्घटनावश 20.11.2014 को आग लग गई थी, जो उत्पादन के बंद होने में परिणत हुआ था, उससे जून, जुलाई, तथा अगस्त, 2015 माह के दौरान बहाल कर लिया गया है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर हैं। 31.03.2020 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

दावों के विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त की गई प्रतिदाय की निवल राशि	आज की तारीख तक लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	शेष प्राप्य	
				31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
व्यापार बाधा हानि	202.98	74.01	-	128.97*	202.26

* टिप्पणी 34 के पैरा 2(घ) में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान व्यापार बाधा हानि के संबंध में मानी गई आय **शून्य** है (आज की तारीख तक संचित **74.01 करोड़ रुपए** है)।

(ii) चमेरा–II पावर स्टेशन, जहां दिनांक 07.08.2019 को यूनिट#1 और यूनिट#2 के जनरेटर स्टाटर में मुख्य गड़बड़ी हुई थी। घटना की तिथि से 12 महीने की अवधि में उत्पादन यूनिटों का पुनर्स्थापन पूरा होने की आशा है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर हैं। 31.03.2020 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नवत है:

(करोड़ रूपए में)

दावों के विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त की गई राशि	आज की तारीख तक लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	शेष प्राप्य	
				31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
वास्तविक क्षति के निमित्त	31.23	-	4.00	27.23	-
व्यापार बाधा हानि	81.08	-	-	81.08*	-
कुल	**112.31**	**-**	**4.00**	**108.31**	**-**

* टिप्पणी 34 के पैरा 2(घ) में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

(iii) सभी विद्युत संयंत्रों की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत कवर हैं। 31.03.2020 के अनुसार पावर स्टेशनों (ऊपर 23(i) तथा (ii) में प्रकट किए गए उड़ी–II और चमेरा–II के प्रमुख दावों के अतिरिक्त) के संबंध में बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

दावों के विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त की गई राशि	आज की तारीख तक लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	शेष प्राप्य	
				31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
वास्तविक क्षति के निमित्त	38.91	5.28	18.50	15.13	23.53

24. निदेशक मंडल ने 20.03.2014 को हुई अपनी बैठक में चर्चा की कि बरसर जलविद्युत परियोजना की व्यवहार्यता भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार से वित्तीय सहायता पर निर्भर करती है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने **बरसर परियोजना** को व्यवहार्य बनाने के लिए सर्वेक्षण तथा जांच हेतु वित्तपोषण उपलब्ध करवाने के लिए पहल की थी। विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार निधियों को उपलब्ध करवाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर) से संपर्क किया गया था। दिनांक 27.04.2015 को जल संसाधन मंत्रालय के साथ हुई बैठक में उनके प्रतिनिधियों ने यह सूचित किया था कि डीपीआर को तैयार करने हेतु निधियां जारी करने का कंपनी का अनुरोध भारत सरकार के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सीईए को प्रस्तुत की गई थी और **226.78 करोड़ रुपए** (पूर्व वर्ष **226.32 करोड़ रुपए**) के किए गए व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्य में अग्रेणीत किया गया है। तथापि, पर्याप्त पूर्व–सावधानी के तौर पर, पूर्ववर्ती वर्षों में इस संबंध में किए गए प्रावधान को लेखाबहियों में जारी रखा गया है।

25. कोटलीभेल–1ए, कोटलीभेल–1बी और कोटलीभेल–II परियोजना उत्तराखंड राज्य में अवस्थित उन 24 जलविद्युत परियोजनाओं में से ऐसी तीन परियोजनाएं है जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.08.2013 के आदेश के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को इन परियोजनाओं को अगले आदेश तक पर्यावरणीय/वन स्वीकृति प्रदान न किए जाने के लिए और अलकनंदा तथा भागीरथी नदी बेसिन की जैव विविधता पर महत्वपूर्ण प्रभाव की जांच करने के लिए निदेश दिए गए हैं। इन परियोजना के भविष्य पर निर्णय लंबित होने तक, 31.03.2020 तक कोटलीभेल–1ए, कोटलीभेल–1बी और कोटलीभेल–II परियोजनाओं के संबंध में क्रमशः **265.94 करोड़ रुपए** (पूर्व वर्ष **255.40 करोड़ रुपए**), **42.95 करोड़ रुपए** (पूर्व वर्ष **42.95 करोड़ रुपए**) **और 51.42 करोड़ रुपए** (पूर्व वर्ष **51.42 करोड़ रुपए**) की राशि के किए गए व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत अग्रेणीत किया गया है। तथापि, पर्याप्त पूर्व–सावधानी के तौर पर, 31.03.2020 तक इन राशियों हेतु कुल **360.31 करोड़ रूपए** (पूर्व वर्ष **349.77 करोड़ रुपए**) की राशि का प्रावधान लेखाबहियों में किया गया है।

26. (क) तवांग चरण–II जलविद्युत परियोजना हेतु वन स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। तवांग–I जलविद्युत परियोजना की वन स्वीकृति, तवांग–II जलविद्युत परियोजना की वन स्वीकृति के बाद ली जाएगी। इसके लंबित रहने तक, इन परियोजनाओं पर व्यय की गई **225.23 करोड़ रुपए** (पूर्व वर्ष **217.37 करोड़ रुपए**) की राशि को चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेणीत किया जा रहा है।

(ख) 05.02.2013 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में बोर्ड संकल्प के संदर्भ में तवांग–I तथा II परियोजनाओं और बेसिन में अन्य परियोजनाओं हेतु बेसिन अध्ययन के प्रति राज्य सरकार को समानुपातिक आधार पर अरूणाचल प्रदेश सरकार (जाओएपी) द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए **2.49 करोड़ रुपए** की राशि का भुगतान किया गया है। इसके लंबित रहने तक, **2.49 करोड़ रुपए** (पूर्व वर्ष **2.49 करोड़ रुपए**) के किए गए व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्य के रुप में अग्रेणीत किया जा रहा है।

ग) तवांग–I जलविद्युत परियोजना के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। तदनुसार, परियोजना पर किए गए **97.57 करोड़ रुपए** के व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्य के तहत अग्रेणीत किया गया है। तथापि, पर्याप्त सावधानी के रुप में चालू वर्ष की लेखाबहियों में **97.57 करोड़ रुपए** का प्रावधान किया गया है।

27. (क) धौलीगंगा इंटरमीडिएट, चुंगर चाल और खरमोली लुमटी टुली जलविद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन अस्थायी रूप से स्थगित रखा गया है। इन परियोजनाओं को उत्तराखंड सरकार को सौंपे जाने का अंतिम निर्णय लंबित रहने तक, 31.03.2020 तक **35.70 करोड़ रुपए** (पूर्व वर्ष **35.61 करोड़ रुपए**) की राशि को किए गए व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेणीत किया जा रहा है। हालांकि, पर्याप्त पूर्व–सावधानी के रूप में लेखाबहियों में **35.70 करोड़ रुपए** (पूर्व वर्ष **35.61 करोड़ रुपए**) का प्रावधान किया गया है।

(ख) गोरीगंगा–IIIक परियोजना की पूंजीगत लागत और अनुकूल टैरिफ को कम करने के उपायों का पता लगाया जा रहा है। उस पर निर्णयों के लंबित रहने तक, 31.03.2020 तक **46.08 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **45.98 करोड़ रुपए**) के किए गए व्यय की राशि को चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेणीत किया गया है। तथापि, पर्याप्त पूर्व–सावधानी के तौर पर, लेखाबहियों में **46.08 करोड़ रुपए** (पूर्व वर्ष शून्य रुपए) का प्रावधान किया गया है।

28. समाप्त वर्ष के दौरान समूह ने इंड एएस 116 "पट्टे" लागू किया है। इसके अतिरिक्त, उन पावर स्टेशनों, जिन्होंने उपयोगी जीवनकाल के 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं, के मूल्यह्रास में परिणामी कमी सहित कंपनी के जल पावर स्टेशनों के संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के उपयोगी जीवनकाल को सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार संभावित रुप से 35 वर्षों की बजाए 40 वर्षों में परिवर्तित कर दिया गया है। कंपनी के वित्तीय विवरणों में इन परिवर्तनों का प्रभाव नीचे दिए अनुसार है:

क.सं.	विवरण	(करोड़ रूपए में)
1	लाभ एवं हानि के विवरण पर इंड एएस 116 'पट्टों' का प्रभावः लाभ में कमी **(टिप्पणी सं 29 देखें)**	0.22
2	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के उपयोगी जीवनकाल में परिवर्तन के कारण मूल्यह्रासित व्यय में कमी	82.13

29. सेबी (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 की अनुसूची–V द्वारा यथा अपेक्षित प्रकटनः

(क) ऋणों की प्रकृति में ऋण एवं अग्रिम

(i) सहायक कंपनियांः शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

(ii) संयुक्त उद्यम कंपनियां:

(करोड़ रूपए में)

कंपनी का नाम	को बकाया शेष		वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि	
	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी (प्रा.) लि.	6.27	6.00	6.27	6.00

(iii) उन फर्मों और कंपनियों को जिनमें निदेशक का हित है: शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

ख. एनएचपीसी के हिस्से में कर्जदारों (जिनका विवरण ऊपर दिया गया है) द्वारा निवेश : शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

30. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्रों (आरईसी) के मात्रात्मक ब्यौरे:

क्रम सं.	विवरण	मात्रा (संख्या में)	
		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	जारी आरईसी	7042	125386
2.	प्रमाणीकरण के अधीन आरईसी	-	4020
3.	वर्ष के दौरान बिक्री किए गए आरईसी	7042	125386

31. कोविड–19 का प्रभाव

कोविड–19 का प्रकोप, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक महामारी घोषित किया है, जिसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार और राज्य सरकारों ने लॉकडाउन की घोषणा की है, जिससे सामान्य रूप से व्यापार प्रभावित हुआ है। कंपनी के राजस्व का प्रमुख स्रोत जलविद्युत उत्पादन है। विद्युत की आपूर्ति के एक आवश्यक सेवा होने तथा रन ऑफ रिवर (आरओआर) परियोजनाओं के लिए संचालन की स्थिति के मद्देनजर तथा जल संग्रहण और भंडारण परियोजनाओं के साथ, आरओआर के मामले में आरएलडीसी द्वारा संभव सीमा तक समय निर्धारण करने से, कंपनी के वित्तीय संसाधनों और निष्पादनों पर कोविड–19 महामारी का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वित्तीय निष्पादन पर महामारी के अपेक्षित प्रभाव में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) पार्बती–II और सुबनसिरी लोअर परियोजनाओं से संबंधित निर्माण क्रियाकलाप क्रमशः 23.03.2020 से 22.04.2020 तक तथा 23.03.2020 से 20.04.2020 तक रोक दिये गये थे, जिससे इन परियोजनाओं की अनुमानित पूर्णता लागत और पूरा होने की समय सीमा पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

ख) कोविड–19 महामारी के मद्देनजर लगाए गए आवाजाही प्रतिबंधों के कारण चमेरा–II पावर स्टेशन, किशनगंगा पावर स्टेशन तथा लोकतक पावर स्टेशन जैसे तीन पावर स्टेशनों का पुनर्स्थापना शेड्यूल प्रभावित हुआ है।

ग) विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 15 मई, 2020 के पत्र तथा 16 मई, 2020 के शुद्धिपत्र द्वारा लाभार्थी डिस्कॉमों को बिल की गई नियत लागत पर 20–25 प्रतिशत की छूट प्रदान करने से संबंधित भारत सरकार के निर्णय को संप्रेषित किया है। तद्नुसार, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान लाभार्थी डिस्कॉमों को प्रदान की जाने वाली **185 करोड़ रुपए** की अनुमानित छूट का प्रस्ताव विचाराधीन है।

निर्माणाधीन सर्वेक्षण/जांच और सर्वेक्षण के अधीन परियोजनाओं के संबंध में, प्रबंधन मांग में किसी बड़े पैमाने पर संकुचन की उम्मीद नहीं रखता, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना पोर्टफोलियो में कमी हो सकती है। कंपनी के ऋण दस्तावेजों के लिए मांग में कोई संकुचन नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्याशित भावी पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए उधार की लागत में वृद्धि हो सकती है।

3818.34 करोड़ रुपए राशि के व्यापार प्राप्य, परिशोधित लागत पर वहन की गईं वित्तीय परिसंपत्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं, जिनका अनुमानित उधार हानि पद्धति के उपयोग करके हानि भत्ते के प्रावधान पर विचार किया गया। कंपनी के लाभार्थी अधिकांश राज्य वितरण कंपनियां हैं तथा भारत सरकार द्वारा इन लाभार्थियों के लिए आत्मनिर्भर भारत विशेष आर्थिक

तथा व्यापक पैकेज के अंतर्गत घोषित लिक्विडिटी प्रदान करने पर विचार करते हुए, कंपनी व्यापार प्राप्यों की वसूली में ऋण जोखिम की किसी वृद्धि का अनुमान नहीं लगाती है।

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों के एक महत्वपूर्ण भाग को स्तर–1 में वर्गीकृत किया गया है तथा इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य जो मुख्य रूप से एक सक्रिय बाजार के रूप में चिन्हित लिक्विड इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करता है जो कोविड–19 से उत्पन्न अनिश्चितताओं के कारक हैं। दिनांक 31 मार्च, 2020 को नकदी तथा नकदी समतुल्य, बैंक जमाओं और बैंकों के पास निर्धारत शेषों के रूप में परिशोधित लागत पर वहन की गई वित्तीय संपत्तियों के संबंध में, कंपनी ने आकलन किया है कि प्रतिपक्ष ऋण जोखिम में कोई वृद्धि नहीं हुई है। स्तर–2 और स्तर–3 में वर्गीकृत अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, प्रबंधन प्रतिपक्ष की प्रोफाइल के आकलन के आधार पर ऋण जोखिम में किसी वृद्धि की आशा नहीं रखता है, जिनमें से अधिकांश या तो कंपनी या राज्य सरकार/केंद्र सरकार के निकायों के कर्मचारी हैं।

तद्नुसार, प्रबंधन का विचार है कि निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर/चल रहे पूंजीगत कार्य की वहनीय राशि में हानि का अनुमान लगाने के कोई कारण नहीं हैं। इसी तरह, कंपनी द्वारा आस्थगित कर परिसंपत्तियों/विनियामक आस्थगित लेखा शेषों तथा आस्थगित कर देयता की तुलना में विनियामक आस्थगित लेखा शेषों की वसूलनीयता के संबंध में कोविड–19 का कोई प्रभाव नहीं है।

इंड एएस 116 – पट्टों के संबंध में, पट्टे की शर्तों में कोई परिवर्तन उन मामलों में अनुमानित नहीं है, जहां कंपनी संविदा के लिए पट्टेदार के रूप में है। इसके अतिरिक्त, एकल लाभार्थी सहित पावर स्टेशनों के संबंध में सन्निहित पट्टों के मामले में, पट्टों की शर्तों में कोई छूट प्रस्तावित नहीं है।

आंकलन के अनुसार, कंपनी की सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों सहित अन्य देनदारों से प्राप्य राशियों के संबंध में ऋण जोखिम में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके अलावा, अन्य निकायों (मुख्यतः कंपनी की सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों सहित) के साथ की गई परामर्श संविदाओं का अनुपालन दुष्कर है क्योंकि कंपनी की सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम समान तरह के व्यापार करते हैं।

प्रबंधन के आंकलन के अनुसार, अन्य बातों के साथ–साथ विभिन्न वर्तमान तथा गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों के वहनीय मूल्य सहित कंपनी की अवधारणाओं के विषयों में वृद्धि की संभावना सहित कंपनी के वित्तीय निष्पादन पर कोविड–19 का कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है। तथापि, महामारी का वास्तविक प्रभाव भावी विकास पर निर्भर करता है। कंपनी स्थितियों के परिवर्तन की निगरानी करना जारी रखेगी और उसी को विचारार्थ अथवा क्रिस्टलीकरण पर लिया जाएगा।

निदेशक बोर्ड के लिए एवं की ओर से

विजय गुप्ता	**महेश कुमार मित्तल**	**अभय कुमार सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 02889021	डीआईएन : 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी	**कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स**	**कृते लोधा एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 009487एन	एफआरएनः 006791एन	एफआरएनः 301051ई
(ए. के. अग्रवाल)	**(संजय जैन)**	**(आर. पी. सिंह)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 013833	सदस्यता सं. 084906	सदस्यता सं. 052438

स्थान : फरीदाबाद
तिथि : 27 जून, 2020

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्य
समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

मत

हमने **एनएचपीसी लिमिटेड** (जिसे यहां बाद में "धारक कंपनी" कहा गया है) और उसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को एक साथ "समूह" कहा गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिनमें उसके संयुक्त उद्यमों में लाभ का समूह का निवल हिस्सा शामिल है, जिसमें 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन–पत्र है तथा लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित) के समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तनों के समेकित विवरण और उस समय समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के समेकित विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार सहित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों (जिसे यहां बाद में "समेकित वित्तीय विवरण" कहा गया है) की लेखापरीक्षा की है।

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण यथापेक्षित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015, यथासंशोधित ("इंड एएस") के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप 31 मार्च, 2020 को समूह के कार्यों की स्थिति और लाभ, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों और उसके नकदी प्रवाह की भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं।

मत का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षण संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियां हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के भाग की लेखापरीक्षा के लिए लेख परीक्षकों की जिम्मेदारियों में निर्धारित हैं। हम उन नीतिगत अपेक्षाओं के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी नीति संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम और उसके तहत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए संगत हैं और हमने इन अपेक्षाओं एवं नीति संहिता के अनुसार अपनी नीतिगत जिम्मेदारियां पूरी की हैं। हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने और निम्नलिखित भाग में अन्य मामलों में बताई गई उनकी रिपोर्टों के अनुसार अन्य लेखापरीक्षकों ने लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हमारे व्यावसायिक निर्णय में वे मामले हैं, जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्व के थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारा मत बनाने के संदर्भ में हल किया गया था तथा हम इन मामलों पर अपना अलग से कोई मत नहीं देते हैं।

हमने अपनी रिपोर्ट में शामिल करने के लिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले बनने वाले मामलों पर निम्नलिखित रूप में विचार किया है। हमने इन मामलों से संबंधित जिम्मेदारियों सहित अपनी रिपोर्ट के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण भाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियों में निर्धारित जिम्मेदारियों को पूरा किया है। तद्नुसार, हमारी लेखापरीक्षा में समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत विवरण के जोखिम के हमारे मूल्यांकन का उत्तर देने के लिए बनाई गई प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमारे द्वारा लेखापरीक्षा न किए गए घटकों की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के परिणाम, प्रबंधन द्वारा हमें दी गई उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्टों में उनके द्वारा सूचित किए गए अनुसार, हम नीचे मामलों को हल करने के लिए की गई प्रक्रियाओं सहित संलग्न समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर अपना लेखापरीक्षा मत के लिए आधार प्रदान करते हैं। निम्नलिखित प्रमुख लेखापरीक्षा मामले धारक कंपनी से संबंधित हैं क्योंकि घटकों के अन्य लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्टों में कोई प्रमुख लेखापरीक्षा मामले नहीं दिए हैं।

	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को हल करना
1.	**विनियामक आस्थगित लेखा शेष एवं लंबित प्रशुल्क अधिसूचनाओं तक राजस्व का प्रोद्भवन**	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं, जिनके आधार पर हम विनियामक आस्थगित लेखा ऋण शेष के वहनीय मूल्य की उपयुक्तता के संबंध में निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं:**
	विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में टिप्पणी 34(23क) में दर्शाए गए अनुसार, 30.09.2019 तक कार्य में बाधा की तारीख अर्थात 16.12.2011 से अवधि के लिए सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना से संबंधित ब्याज लागत तथा अन्य आरोप्य व्ययों के लिए कुल 3470.59 करोड़ रुपए का प्रोद्भवन शामिल हैं। कंपनी के प्रचालनात्मक क्रियाकलाप सेवा विनियमों की लागत के अध्यधीन हैं जिनसे उत्पादित विद्युत के लिए प्रभारित प्रशुल्क अनुमति योग्य पूंजी तथा अन्य लागत और व्यय एवं उस पर नियत आय के आधार पर है। विनियामक आस्थगित लेखे अंतिम अनुमोदन और अधिसूचनाओं पर वर्तमान सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार उनकी वसूली योग्यता के संबंध में अनुमानों के आधार पर हैं। ऊपर किए गए प्रोद्भवन व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं जिनमें कंपनी प्रचालन कर रही है। निर्दिष्ट अधिसूचना और दर निर्धारण के अभाव में, ये प्रबंधन की अवधारणाओं और अनुमानों के आधार पर हैं जो सीईआरसी द्वारा प्रशुल्क को अंतिम रूप दिए जाने तथा परियोजना के प्रचालन के चालू होने के अध्यधीन हैं।	• प्रबंधन द्वारा वसूल की जाने वाली धनराशि के निर्धारण तथा आय के प्रोद्भवन के लिए स्थापित किए गए अनुसार नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावकारिता और डिजाइन को समझना तथा उसका परीक्षण करना। • सीईआरसी विनियमों के अनुसार वसूल की जाने वाली राशि प्राप्त करना तथा समझना और ऐसे मूल्यांकनों के लिए प्रबंधन द्वारा लागू महत्वपूर्ण निर्णयों को ध्यान में रखते हुए उसकी उपयुक्तता का निर्धारण, परीक्षण और मूल्यांकन करना। • उपर्युक्त में सीईआरसी दिशा–निर्देशों का मूल्यांकन और विगत में कंपनी द्वारा किए गए दावों की अस्वीकार्यता तथा विभिन्न आधारों पर उनकी अनुमति न देने की प्रवृत्ति और प्रबंधन द्वारा उनका अनुपालन तथा दी गई स्थिति और व्यापारिक परिवेश के तहत की गई अवधारणाओं के लिए युक्तिसंगतता शामिल है। • नकदी सृजक यूनिट का मूल्य, टिप्पणी 34(19) में सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना के मामले में, निकालने के लिए प्रबंधन द्वारा मानी गई विभिन्न अवधारणाओं का मूल्यांकन करना और उनको शामिल करना तथा चल रही परियोजना के वहनीय मूल्य और विनियामक आस्थगित लेखाओं के तहत उसी परियोजना से संबंधित शेष के संबंध में उनकी पर्याप्तता का मूल्यांकन करना।
2.	**संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों (पीपीई) और चल रहे पूंजीगत कार्यों (सीडब्ल्यूआईपी) की वहनीय राशि का हानि निर्धारण** कंपनी की कुछ नकदी सृजन यूनिटों (सीजीयू) का मूल्यांकन 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार हानि के लिए किया गया था। इसमें टिप्पणी 34(19) में दिए गए अनुसार परियोजनाओं के संबंध में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा चल रहे पूंजीगत कार्य शामिल हैं। इसका यह मूल्यांकन किया गया है कि कंपनी पर किसी प्रतिकूल प्रभाव से कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन वर्ष के दौरान नहीं हुआ है अथवा उस प्रौद्योगिकीय, आर्थिक एवं कानूनी परिवेश में निकट भविष्य में कोई परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है जिसमें कंपनी प्रचालन करती है। इस मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान हानि के लिए परीक्षित कंपनी की नकदी सृजन यूनिटों के संबंध में कोई महत्वपूर्ण हानि संकेतक अथवा कोई हानि मौजूद नहीं है। उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर, हानि के लिए किसी प्रावधान को कंपनी द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया है। किए गए हानि संबंधी कार्य, जो उपर्युक्त पैरा 1 के तहत लिए गए अनुसार सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना से संबंधित चल रहे पूंजीगत कार्य और उससे संबंधित विनियामक आस्थगित लेखा शेषों सहित कुछ परिसंपत्तियों की न्यायसंगत वहनीय राशि कंपनी के प्रचालनों के लिए काफी और महत्वपूर्ण है।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया, जिसके आधार पर हम हानि के परीक्षण पर आधारित किसी सीजीयू के गैर–प्रावधान की उपयुक्तता के संबंध में निष्कर्ष निकालते हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं:** • कंपनी को प्रभावित करने वाले आंतरिक तथा बाहरी कारकों का महत्वपूर्ण मूल्यांकन और भारतीय लेखांकन मानक 38 के अनुरूप हानि के संकेतक (अथवा उनके विपरीत); • इस संबंध में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त प्रमुख अवधारणाओं का विश्लेषण कर वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सहित सीजीयू के संबंध में प्रयुक्त हानि मूल्यांकन मॉडलों की समीक्षा; – मूल्य निर्धारण करने के लिए और किन्हीं परिवर्तनों के संभावित प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए पूर्वानुमान के संबंध में निरंतरता; – मॉडलों में प्रयुक्त कीमत अवधारणाएं और टैरिफ; – नकद प्रवाह अनुमानों अथवा छूट दर में सीजीयू में अंतर्निहित जोखिम के कारण। – पूंजी की भारित औसत लागत के लिए अवधारणा/अनुमान तथा प्रयोग में मूल्य निकालने के लिए छूट की दर। • परियोजना स्थापित करने के लिए सरकार की नीति और अनुमोदन, बोर्ड के निर्णय और इस संबंध में किए गए प्रयासों तथा उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई।

	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को हल करना
	हानि के मूल्यांकन में नकदी सृजन यूनिटों (सीजीयू) के प्रयोग में मूल्य का मूल्यांकन शामिल है और इसके लिए भावी नकदी प्रवाह पूर्वानुमान, पूर्वानुमान उत्पादन, पूर्वानुमान मात्रा, कीमत और छूट दर के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय तथा अवधारणाएं अपेक्षित होते है।	• पूर्णता समय–सीमा, उत्पादन की मात्रा और परिणामी राजस्व के लिए उसके निमित्त अपेक्षित टैरिफ के आधार पर प्रबंधन अनुमानों पर विश्वास किया गया है।
3.	**संविदाकारों से दावों के विरुद्ध आकस्मिक देयताएं (टिप्पणी सं. 34.2(क)(i))** संविदाकारों द्वारा दायर विभिन्न दावों को 10369.28 करोड़ रुपए की राशि के पूंजीगत कार्यों के निमित्त आकस्मिक देयता के तहत प्रकट किया गया है। इसमें मध्यस्थता के तहत और/अथवा न्यायालय के समक्ष वे मामले शामिल हैं जिनमें कंपनी के विरुद्ध निर्णय लिया गया है, जिनमें से 2021.60 करोड़ रुपए नीति आयोग के निर्देशों अथवा न्यायालय के आदेश के अनुसार दे दिए गए हैं/जमा कर दिए गए हैं। कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के विरुद्ध किए गए दावे महत्वपूर्ण हैं। ये मध्यस्थता अथवा अन्य न्यायिक मंचों के समक्ष निर्णय के लिए लंबित हैं और उनके परिणामी तथा संभावित प्रभाव एवं अपेक्षित प्रावधान/प्रकटन देयता होने की संभावना के प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर हैं।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया, जिसके आधार पर हम आकस्मिक देयताओं की उपयुक्तता के संबंध में निष्कर्ष निकालते हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं:** • विधिक विभाग से मामले की स्थिति और इस मामले में उनके विचार प्राप्त किए। • अब तक किए गए प्रावधान की पर्याप्तता के लिए संविदागत निबंधन एवं शर्तों तथा प्रबंधन की युक्तिसंगतता और कंपनी के विरुद्ध की गई मांगों के लिए प्रदान न की गई शेष राशि का मूल्यांकन किया। • प्रबंधन के साथ विचार–विमर्श करना तथा पत्राचार के ज्ञापनों एवं संबंधित मामलों की टिप्पणियों को पढ़ना/उनकी समीक्षा करना। • समान मामलों के संबंध में कानूनी मतों तथा निर्णयों और लंबित अंतिम न्याय/निर्णय से होने वाली देयता की संभावना पर विश्वास किया गया है। • भारतीय लेखांकन मानक 37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां" की अपेक्षा के अनुसार अपेक्षित प्रबंधन द्वारा प्रकटन की उपयुक्तता और पर्याप्तता की समीक्षा की।
4.	**31.03.2020 तक सर्वेक्षण एवं जांच परियोजनाओं और निर्माण–पूर्व चरण के तहत उन पर किया गया खर्च** टिप्पणी 2.2.2 में दिए गए अनुसार 1141.05 करोड़ रुपए का व्यय परियोजनाओं का सर्वेक्षण और जांच करने के लिए किया गया है। इसमें से 820.78 करोड़ रुपए (वर्ष के दौरान 154.73 करोड़ रुपए सहित) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मंजूरियों, अनुमोदन के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया गया है जिसमें 320.27 करोड़ रुपए छोड़ दिए गए हैं जिन्हें चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेणीत किया गया है। इसके अतिरिक्त चल रहे पूंजीगत कार्यों में ऐसी परियोजनाएं भी शामिल हैं जहां सक्रिय निर्माण कियाकलाप अभी होने हैं। चलाई न जा रही संबंधित परियोजनाओं की स्थिति में, सर्वेक्षण और जांच पर खर्च की गई और इसके निर्माण–पूर्व खर्च की गई/आबंटित की गई धनराशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेणीत किए जाने के लिए पात्र नहीं होगी।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया, जिसके आधार पर हम सर्वेक्षण और जांच परियोजनाओं पर किए गए खर्च की वहनीय राशि के संबंध में निष्कर्ष निकालते हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं:** • प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई परियोजनाओं की स्थिति और उन्हें स्थगित करने के कारण प्राप्त किए गए। • सर्वेक्षण एवं जांच परियोजनाओं के लिए किए गए खर्चों के लेखांकन के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित किए गए अनुसार डिजाइन की समझ तथा परीक्षण और नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावकारिता और कंपनी के व्यापार की प्रकृति को देखते हुए ऐसे खर्चों के लिए प्रावधान करने/ बट्टे खाते में डालने और निर्माण–पूर्व स्तर एवं उसके निमित्त खर्च की गई और आबंटित की गई ऋण और अन्य लागत के आबंटन के तहत परियोजना के लिए अपनाई गई नीति। • भविष्य में ऐसी परियोजनाओं को संभावित रूप से छोड़ने के संबंध में प्रबंधन के तर्क का मूल्यांकन करना और/अथवा उसके अपेक्षित आर्थिक प्रयोग का मूल्यांकन करना। • संबंधित परियोजना के प्रत्येक मामले में स्थान, आकार और प्रकृति को देखते हुए परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित सामान्य अवधि की परियोजना और प्रबंधन के निर्माण के पूर्व के टेन्योर और निर्माण चरण के तहत मूल्यांकन करना और इसके तकनीकी प्रकृति में होने के नाते मामले पर प्रबंधन के तर्क एवं अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है।

	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को हल करना
5.	**आस्थगित कर की मान्यता और उसके उपयोग का मूल्यांकनः** दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त 2196.82 करोड़ रुपयों के एमएटी ऋण पात्रता से संबंधित आस्थगित कर की पहचान नहीं की गई है। यह प्रबंधन के अनुमान के आधार पर है तथा विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर भविष्य में दी गई अवधि में कर योग्य लाभ के मूल्यांकन पर इस तरह के ऋण का उपयोग किया जा सकता है। इसमें भावी अनुमानों के आधार पर प्रबंधन का महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है, जिसमें क्षमता अभिवृद्धि हेतु भावी पूंजीगत व्यय तथा यह क्रिस्टलीकरण पर काफी भिन्न हो सकता है।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया, जिसके आधार पर हम अप्रयुक्त एमएटी ऋण की गैर–मान्यता की उपयुक्तता के संबंध में निष्कर्ष निकालते हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं:** • कराधान से संबंधित कंपनी के नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावकारिता को समझना और परीक्षण तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की वहनीय राशि का मूल्यांकन। • अप्रयुक्त एमएटी ऋण और वर्तमान वर्ष के विकास, यदि कोई हो, संबंधी आस्थगित कर परिसंपत्तियों के संबंध में कंपनी की लेखांकन नीति, उस नीति में अपेक्षित परिवर्तन तथा उस पर प्रबंधन के तर्क की समीक्षा। • कंपनी द्वारा तैयार किए गए आंतरिक पूर्वानुमान तथा भावी कर योग्य आय की संभावनाओं के आधार पर कंपनी के लिए कानूनी रूप से उपलब्ध कर ऋण पात्रता का मूल्यांकन। • आस्थगित कर परिसंपत्तियों के उपयोग की संभाव्यता की उचित स्तर पर पहुँचने के लिए विवेक के सिद्धांत तथा उसमें शामिल स्थिरता और अनिश्चितता हेतु अंतर्निहित अवधारणा की विशिष्ट समीक्षा। • विनियामक व्यवस्था से संबंधित अनुमान की समीक्षा जिसके तहत कंपनी प्रचालित होती है तथा दिए गए वर्तमान विनियामक प्रावधानों और प्रयोज्यता की अवधि के तहत वित्तीय विवरण पर उसके प्रभाव तथा तत्संबंधी एमएटी ऋण के उपयोग की संभावना है। • वित्तीय विवरण में किए गए प्रकटन की पर्याप्तता और उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।

वित्तीय विवरणों को छोड़कर सूचना तथा उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

मूल निदेशक बोर्ड अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य सूचना में बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंधों, प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट तथा व्यापार दायित्व रिपोर्ट सहित बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल सूचना होती है, परंतु उसमें समेकित वित्तीय विवरण, एकल वित्तीय विवरण तथा उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं होती है। बोर्ड की रिपोर्ट लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद होती है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं होती और हम उस पर कोई आश्वासन संबंधी निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व उपर्युक्त सूचना ऊपर अभिज्ञात अन्य सूचना उपलब्ध कराए जाने पर पढ़ना, अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों से तुलना करना अथवा प्रबंधन द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखापरीक्षा न किए गए संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों की तुलना इन कंपनियों के संबंध में उस सीमा तक करना और ऐसा करने में अन्य लेखा परीक्षकों/प्रबंधन प्रमाणन के कार्य पर विश्वास करना तथा इस पर विचार करना कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणों अथवा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान प्राप्त की गई जानकारी के वास्तविक रूप से अनुरूप नहीं है अथवा वास्तविक रूप से अन्यथा गलत बताई गई प्रतीत होती है। सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में जहां तक अन्य सूचना का संबंध है, वह अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित अथवा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित उनके वित्तीय विवरणों से ली गई है।

यदि जो कार्य हमने किया है, उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालें कि इस अन्य सूचना को वास्तविक रूप से गलत बताया गया है, तो हमें उस तथ्य को सूचित करना होता है।

हमें इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं देनी है।

अन्य सूचना के लिए उपर्युक्त रिपोर्टिंग धारक कंपनी से संबंधित है क्योंकि संघटकों के अन्य लेखापरीक्षकों ने "वित्तीय विवरणों के सिवाय सूचना और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट" के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में यथा–उल्लिखित इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में जो कार्यों की समेकित स्थिति (वित्तीय स्थिति), समेकित लाभ अथवा हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उसके संयुक्त उद्यमों सहित समूह के समेकित नकद प्रवाह की सही तस्वीर देते हैं।

समूह में शामिल कंपनियों और उनके संयुक्त उद्यमों के संबंधित निदेशक बोर्डों के दायित्व में समूह और उसके संयुक्त उद्यमों की परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग, वे निर्णय और अनुमान करना जो उपयुक्त और विवेकपूर्ण हों एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का कार्यान्वयन तथा रख–रखाव जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता सुनिश्चित के लिए लागू किए जा रहे थे, उनके वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति से संगत हैं जो सही एवं उचित दृष्टिकोण देते हैं तथा गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, जिनका प्रयोग उपर्युक्त मूल कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया गया है, के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रख–रखाव शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में समूह और उसके संयुक्त उद्यमों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक बोर्ड कंपनी की एक चलती रहने वाली कंपनी के रूप में जारी रहने की क्षमता का मूल्यांकन करने, यथा लागू स्थिति प्रकट करने, चल रही कंपनी से संबंधित मामलों और तब तक लेखांकन की चल रही कंपनी के आधार का प्रयोग करने का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है जबकि निदेशक बोर्ड या तो कंपनी का परिसमापन करने का इरादा करे अथवा प्रचालन बंद कर दे अथवा ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

समूह में शामिल कंपनियों और उसके संयुक्त उद्यमों के संबंधित निदेशक बोर्ड समूह और उसके संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए भी उत्तरदायी होता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से वास्तविक गलत विवरण से मुक्त है, क्या धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण, और लेखापरीक्षा की उस रिपोर्ट को जारी करने के लिए जिसमें हमारा मत शामिल है, गलत विवरण से मुक्त हैं। उपयुक्त आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन होता है, परंतु एक गारंटी नहीं होती है कि लेखा परीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा उस वास्तविक गलत विवरण का हमेशा पता लगाए जो मौजूद है। गलत विवरण धोखाधड़ी और त्रुटि से बन सकते हैं और यदि अलग–अलग अथवा समग्र रूप में वास्तविक माने जाते हैं तो वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए उपयुक्त रूप से प्रत्याशित हो सकते हैं।

लेखा परीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेहवाद बनाये रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणों का वास्तव में गलत विवरण देने के जोखिमों की पहचान करना और उनका मूल्यांकन करने कि क्या वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित करने और तैयार करने तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के कारण हैं जो कि हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप वास्तविक गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में टकराव, धोखेबाजी, इरादतन चूक, गलत प्रतिनिधित्व अथवा आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड हो सकता है।
- लेखा प्रक्रियाएं तैयार करने के लिए लेखापरीक्षा से संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त हो। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस संबंध में अपना मत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और उन नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावकारिता भी है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन का चल रही कंपनी के आधार का प्रबंधन के प्रयोग की उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या उन घटनाओं और स्थितियों से संबंधित वास्तविक अनिश्चितता विद्यमान है जिनसे कंपनी की क्षमता उसके संयुक्त उद्यमों सहित कंपनी के रूप में जारी रहने की योग्यता पर काफी संदेह बन सके। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना होता है अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपने मत में संशोधन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर हैं। तथापि, भावी घटनाओं अथवा स्थितियों से समूह और उसके संयुक्त उद्यमों का चालू रूप में जारी रहना बंद हो सकता है।
- प्रकटनों सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय वस्तु का मूल्यांकन करना और क्या समेकित वित्तीय विवरण उल्लिखित लेन–देनों और उन घटनाओं का उस तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं जो उचित प्रस्तुति हासिल करती हैं।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करने के लिए समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के भीतर व्यापारिक क्रियाकलापों की वित्तीय सूचना के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल व्यापारिक क्रियाकलापों के वित्तीय विवरणों जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं, की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए वे अन्य लेखापरीक्षक जिम्मेदार होते हैं। हम अपने लेखापरीक्षा मत के लिए पूर्णतः जिम्मेदार हैं।

वास्तविकता उन समेकित वित्तीय विवरणों में गलत विवरण की मात्रा है, जो अलग–अलग अथवा समग्र रूप से यह संभव बनाती है कि समेकित वित्तीय विवरणों के उपयुक्त रूप से ज्ञानवान प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के क्षेत्र की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; तथा (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात किसी गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक वास्तविकता और गुणात्मक कार्यों पर विचार करते हैं।

हम आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी जिसकी हम लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, सहित लेखापरीक्षा एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों के नियोजित क्षेत्र और समय एवं अन्य मामलों के संबंध में शासन पर लगाए गए मामलों के साथ सूचित करते हैं।

हम एक विवरण के साथ शासन पर लगाए गए वही मामले भी देते हैं जिनका हमने स्वतंत्र होने के संबंध में संगत नीतिगत अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और उनको सूचित करने के लिए सभी संबंध और अन्य मामले जो हमारी स्वायत्ता को लेने के लिए उपयुक्त रूप से माने जाएं और जहां लागू हों, संबंधित संरक्षोपाय हों।

शासन के साथ प्रभारित मामलों के साथ सूचित किए गए मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्व के थे और इसीलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों को तब तक वर्णित करते हैं जब तक कानून अथवा विनियम मामले के संबंध में सार्वजनिक प्रकटन का निवारण न करे अथवा जब अत्यधिक असामान्य परिस्थितियों में हम निर्धारित करें कि मामला हमारी रिपोर्ट में सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के विपरीत परिणाम से ऐसी सूचना के सार्वजनिक हित के लाभों को बाहर करने की उपयुक्त रूप से उम्मीद होगी।

अन्य मामले

1. हमने उन चार सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की जिनके वित्तीय विवरण कुल परिसंपत्तियां दर्शाते हैं और 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कुल निवल परिसंपत्तियां, कुल राजस्व और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकित वित्तीय विवरणों के तहत माने गए उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निवल नकद अंतर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह) दर्शाते हैं:

(करोड़ रुपए में)

सहायक कंपनियों के नाम	31 मार्च, 2020 के अनुसार कुल परिसंपत्तियां	31 मार्च, 2020 के अनुसार निवल परिसंपत्तियां	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व	निवल नकदी अंतर्प्रवाह / बहिर्प्रवाह)
एनएचडीसी लिमिटेड	7620.40	5562.79	1494.57	7.83
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचडीसी लिमिटेड)	148.36	143.27	0.18	0.97
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	26.38	9.40	0.01	0.85
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल)	968.39	961.37	-	10.58
कुल	**8763.53**	**6676.83**	**1494.76**	**20.23**

2. समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित न किए गए वित्तीय विवरणों के आधार के तहत मानी गई 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय सहित संयुक्त उद्यमों के संबंध में निवल लाभ का समूह का हिस्सा भी शामिल है:

(करोड़ रुपए में)

कंपनी का नाम	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लाभ में समूह का हिस्सा	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निवल अन्य व्यापक आय में समूह का हिस्सा	समूह का हिस्सा – कुल
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल)	7.05	-	7.05

3. उपरोक्त पैरा 1 और 2 में उल्लिखित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा उन अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्टें प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में इन सहायक कंपनियों तथा एक संयुक्त उद्यम के संबंध में शामिल धनराशि और प्रकटनों का संबंध है, पूर्णतः अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित हैं।

4. समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित न किए गए वित्तीय विवरणों के आधार पर मानी गई 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय सहित एक संयुक्त उद्यम के संबंध में निवल लाभ में समूह का हिस्सा शामिल है:

(करोड़ रुपए में)

कंपनी का नाम	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लाभ में समूह का हिस्सा	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निवल अन्य व्यापक आय में समूह का हिस्सा	समूह का हिस्सा – कुल
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)	(4.01)	(0.01)	(4.02)

वित्तीय सूचना लेखापरीक्षित नहीं है और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है तथा समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारा मत, जहां तक उपर्युक्त के अनुसार शामिल धनराशि और प्रकटनों का संबंध है, पूर्णतः लेखापरीक्षित न की गई वित्तीय सूचना पर आधारित है। हमारे मत में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार यह सूचना समूह के लिए वास्तविक नहीं है।

5. उपर्युक्त घटकों के अन्य लेखापरीक्षकों ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित मामले सूचित नहीं किए हैं:

   i. प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

   ii. वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को छोड़कर अन्य सूचना

   इसके अभाव में हम समूह के लिए इन मामलों को शामिल करने में असमर्थ हैं और तद्नुसार ये मामले केवल धारक कंपनी के लिए रिपोर्ट किए गए हैं।

6. भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारा मत और नीचे अन्य विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट उक्त मामलों के संबंध में किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता और प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों तथा भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में संशोधित नहीं है।

   इन मामलों के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की सूचना

अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा 3 की अपेक्षानुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों की अन्य वित्तीय सूचना पर और पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने पर, जैसा कि उपर्युक्त "अन्य मामले" पैराग्राफ में नोट किया गया है, हम यथा लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किए, जो हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार उक्त समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे;

ख. हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखापरीक्षा और अन्य लेखापीक्षकों की रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी ने उक्त वर्णित समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के किए कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है;

ग. इस रिपोर्ट से संबंधित समेकित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इस रिपोर्ट में लिए

गए समेकित नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तनों के समेकित विवरण, समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी के प्रयोजन के लिए रखी गई लेखाबहियों के अनुरूप है;

घ. हमारे मतानुसार, उक्त वर्णित समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;

ङ. एक सरकारी कंपनी होने के नाते कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ङ) के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यताओं के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान समूह और इसके संयुक्त उद्यमों पर लागू नहीं होते हैं;

च. समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उन नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में अनुबंध–"क" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें जो धारक कंपनी, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर आधारित है जिनकी लेखापरीक्षा की गई है। हमारी रिपोर्ट समूह और उसके संयुक्त उद्यमों की पर्याप्तता और प्रचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में असंशोधित मत व्यक्त करती है; और

छ. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मतानुसार और हमें दी गई सर्वोत्तम जानकारी तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

i. समूह और इसके संयुक्त उद्यमों की वित्तीय स्थिति पर लंबित याचिकाओं के प्रभाव को समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है – समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34, पैरा 2 देखें;

ii. समूह और इसके संयुक्त उद्यमों ने व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर वास्तविक पूर्वानुमान योग्य हानियों, यदि कोई हो, हेतु लागू विधि या भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षानुसार प्रावधान किए हैं; और

iii. समूह और इसके संयुक्त उद्यमों द्वारा निवेशक शिक्षा और बचाव निधि को अंतरित किए जाने हेतु अपेक्षित राशियों के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है।

iv. कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या 463(ई) के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म की आईसीएआई पंजीकरण
सं. 009487एन

(ए. के. अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता सं. 0013833
स्थानः लुधियाना

कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म की आईसीएआई पंजीकरण
सं. 006791एन

(संजय जैन)
साझेदार
सदस्यता सं. 084906
नई दिल्ली
यूडीआईएनः 20084906एएएएपीएल1008

कृते लोधा एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म की आईसीएआई पंजीकरण
सं. 301051ई

(आर. पी. सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 052438
कोलकाता
यूडीआईएनः 20052438एएएएबीएन9114

दिनांकः 27 जून, 2020
यूडीआईएनः 20013833एएएएबीएल6967

अनुबंध "क"

(हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के शीर्षक "अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं" के अंतर्गत पैराग्राफ (च) में संदर्भित) अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के अनुसार कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ हमने **एनएचपीसी लिमिटेड** (जिसे एतद्पश्चात "धारक कंपनी" कहा गया है) और इसकी सहायक कंपनियों तथा इसके संयुक्त उद्यमों, जो तद्नुरूपी तिथि को भारत में अधिनिगमित कंपनियां हैं, की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी, सहायक कंपनियों और इसके संयुक्त उद्यमों, जो भारत में अधिनिगमित कंपनियां हैं, के संबंधित निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक विवरणों के मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तयी नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रख–रखाव शामिल है जो इसके व्यापार के व्यवस्थित तथा दक्ष प्रचालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीति के साथ अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी तथा चूक को रोकना तथा पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता तथा पूर्णता और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से प्रस्तुत करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों पर मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट ("परामर्शी नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार की है और इसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित माना गया है, जो दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों तथा परामर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिकतापूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन मानदंड इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन को प्राप्त करने के लिए करें कि क्या आंतरिक विवरणों के मानदंडों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया तथा बनाए रखा गया था और क्या ऐसा नियंत्रण सभी वास्तविक संबंध में प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहा था।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाविधियां निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि कोई वास्तविक कमजोरी विद्यमान है, और आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना शामिल है। चयन की गई प्रक्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों की वास्तविक गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी से हुई हो अथवा त्रुटि से, के जोखिम का आकलन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और नीचे दिए अन्य मामले पैराग्राफ में उल्लिखित उनकी रिपोर्टों के अनुसार अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा मत हेतु एक आधार उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त तथा उचित है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय लेखांकन मानक) सहित सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में एक तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां तथा प्रक्रियाविधियां शामिल होती हैं जो कि (1) ऐसे रिकार्ड के अनुरक्षण से संबंधित होती हैं जिनमें तर्कसंगत रूप से ब्यौरे के साथ, सटीकता तथा उचित रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन तथा स्थिति को दर्शाया गया हो; (2) इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन देती हो कि दर्ज किए गए लेन–देन सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक हैं और कंपनी की प्राप्तियां तथा व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप ही किए गए हैं; और (3) वित्तीय विवरणों पर वास्तविक प्रभाव होने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत खरीद, उपयोग अथवा निपटान का समय से पता लगाने तथा रोकने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराती हो।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की निहित सीमाओं में, नियंत्रणों से ऊपर सांठ–गांठ या अनुचित प्रबंधन की संभाव्यता, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण वास्तविक गलतबयानी हो सकना तथा जिसका पता भी नहीं चल सकता, शामिल है। साथ ही भविष्य की अवधियों हेतु वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थितियों में बदलाव के चलते अपर्याप्त हो सकती है, अथवा नीतियों या प्रक्रियाविधियों के साथ अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार धारक कंपनी, सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यमों, जो भारत में अधिनिगमित कंपनियां हैं, के पास सभी वास्तविक पहलुओं के संबंध में एक पर्याप्त वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और यह वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च, 2020 को प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी, जो आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मानदंड पर आधारित हैं।

अन्य मामले

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हमारी उक्त रिपोर्टों का जहां तक दो सहायक कंपनियों और एक संयुक्त उद्यम, जो कि भारत में अधिनिगमित कंपनियां हैं, यह भारत में अधिनिगमित ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की तद्नुरूपी रिपोर्टों पर आधारित है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हमारी उक्त उल्लिखित रिपोर्टों का जहां तक भारत में अधिनिगमित एक सहायक कंपनी और एक संयुक्त उद्यम, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना गैर–लेखापरीक्षित है, के संबंध में और समूह के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में हमारा मत प्रबंधन द्वारा वर्णन किए गए अनुसार प्रभावित नहीं होता है क्योंकि ये वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी समूह के लिए वास्तविक नहीं है।

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म की आईसीएआई पंजीकरण
सं. 009487एन

(ए. के. अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता सं. 0013833
स्थानः लुधियाना

कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म की आईसीएआई पंजीकरण
सं. 006791एन

(संजय जैन)
साझेदार
सदस्यता सं. 084906
नई दिल्ली
यूडीआईएनः 20084906एएएएपीएल1008

कृते लोधा एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म की आईसीएआई पंजीकरण
सं. 301051ई

(आर. पी. सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 052438
कोलकाता
यूडीआईएनः 20052438एएएएबीएन9114

दिनांकः 27 जून, 2020
यूडीआईएनः 20013833एएएएबीएल6967

31 मार्च, 2020 के अनुसार समेकित तुलन–पत्र

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
	परिसंपत्तियां			
(1)	**गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां**			
	क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर	2.1	21,630.33	23,116.24
	ख) चल रहे पूंजीगत कार्य	2.2	17,180.41	15,036.80
	ग) परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	2.3	2,766.31	
	घ) निवेश संपत्ति	2.4	4.49	4.49
	ङ) अमूर्त परिसंपत्तियां	2.5	0.72	1,855.90
	च) इक्विटी पद्धति के उपयोग हेतु लेखांकित निवेश	2.6.1	933.53	792.65
	छ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	i) निवेश	3.1	464.13	490.20
	ii) प्राप्य व्यापार	3.2	-	61.51
	iii) ऋण	3.3	820.81	770.08
	iv) अन्य	3.4	7,567.27	7,453.54
	ज) गैर वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	4	153.29	145.87
	झ) अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	5	3,038.17	2,034.11
	कुल गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां		**54,559.46**	**51,761.39**
(2)	**वर्तमान परिसंपत्तियां**			
	क) माल–सूची	6	126.62	125.18
	ख) **वित्तीय परिसंपत्तियां**			
	i) प्राप्य व्यापार	7	3,816.44	2,838.00
	ii) नकदी और नकदी समतुल्य	8	42.17	25.04
	iii) नकदी तथा नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	9	1,651.10	2,220.21
	iv) ऋण	10	51.01	48.81
	v) अन्य	11	3,301.95	2,243.10
	ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	84.16	111.85
	घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	13	498.99	372.73
	कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		**9,572.44**	**7,984.92**
(3)	विनियामक आस्थगित लेखा ऋण शेष	14	7,213.06	6,979.14
	कुल परिसंपत्तियां और विनियामक आस्थगित लेखा ऋण शेष		**71,344.96**	**66,725.45**
	इक्विटी तथा देयताएं			
(1)	**इक्विटी**			
	क) इक्विटी शेयर पूंजी	15.1	10,045.03	10,045.03
	ख) अन्य इक्विटी	15.2	21,325.58	20,752.78
	कुल इक्विटी		**31,370.61**	**30,797.81**
(2)	**गैर–नियंत्रक ब्याज**	15.3	2,763.88	2,868.47
(3)	**देयताएं**			
	गैर–वर्तमान देयताएं			
	क) **वित्तीय देयताएं**			
	i) ऋण	16.1	20,891.80	17,044.63
	ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16.2	2,060.29	2,059.4

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
	ख) प्रावधान	17	55.56	46.94
	ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	18	4,229.12	4,720.68
	घ) अन्य गैर–वर्तमान देयताएं	19	3,199.47	2,986.06
	कुल गैर–वर्तमान देयताएं		**30,436.24**	**26,857.75**
(4)	**वर्तमान देयताएं**			
	क) वित्तीय देयताएं			
	i) ऋण	20.1	714.31	416.00
	ii) व्यापार देय	20.2		
	सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय		22.96	19.38
	सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय		293.70	176.89
	iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20.3	2,923.08	2,896.72
	ख) अन्य वर्तमान देयताएं	21	902.82	1,158.04
	ग) प्रावधान	22	1,442.94	1,534.39
	घ) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	23	-	-
(4)	विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष	14.2	474.42	
	कुल इक्विटी तथा देयताएं		**71,344.96**	**66,725.45**
	समेकित वित्तीय विवरणों पर साथ की टिप्पणियां देखें	1.34		

टिप्पणी 1 से 34 लेखों के अभिन्न भाग हैं

निदेशक बोर्ड के लिए एवं की ओर से

विजय गुप्ता	**महेश कुमार मित्तल**	**अभय कुमार सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 02889021	डीआईएन : 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी	**कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स**	**कृते लोधा एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 009487एन	एफआरएनः 006791एन	एफआरएनः 301051ई
(ए. के. अग्रवाल)	**(संजय जैन)**	**(आर. पी. सिंह)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 0013833	सदस्यता सं. 084906	सदस्यता सं. 052438

स्थान : फरीदाबाद
तिथि : 27 जून, 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को को समाप्त वर्ष हेतु
आय			
i) प्रचालनों से राजस्व	24.1	10,008.07	8,982.87
ii) अन्य आय	24.2	768.57	863.94
कुल आय		**10,776.64**	**9,846.81**
व्यय			
i) विद्युत की खरीद – व्यापार	25.1	234.13	12.68
ii) उत्पादन व्यय	25.2	904.33	800.75
iii) कर्मचारी हितलाभ व्यय	26	1,676.09	1,849.93
iv) वित्त लागत	27	795.98	895.14
v) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	1,614.04	1,657.96
vi) अन्य व्यय	29	1,699.39	1,319.60
कुल व्यय		**6,923.96**	**6,536.06**
आपवादिक मदों, दर नियंत्रित क्रियाकलापों और कर पूर्व लाभ		**3,852.68**	**3,310.75**
इक्विटी पद्धति का उपयोग करने हेतु लेखांकित संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ का हिस्सा	2.6.2	3.04	5.24
आपवादिक मदें		-	-
दर नियंत्रित कियाकलापों और कर पूर्व लाभ		**3,855.72**	**3,315.99**
कर व्यय	30.1		
i) वर्तमान कर		897.74	827.41
ii) आस्थगित कर		(607.24)	496.21
कुल कर व्यय		**290.50**	**1,323.62**
विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में निवल संचलन से पूर्व वर्ष हेतु लाभ		**3,565.22**	**1,992.37**
विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन (कर का निवल)	31	(240.50)	843.42
वर्ष के लिए लाभ (क)		**3,324.72**	**2,835.79**
अन्य व्यापक आय (ख)	30.2		
i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (कर का निवल)		36.29	0.99
घटाएं – परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर कर के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन		8.80	(0.46)
इक्विटी पद्धति का उपयोग करने हेतु लेखांकित संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय का हिस्सा	2.6.3	(0.01)	(0.01)
उप जोड़ (क)		**27.48**	**1.44**
(ख) इक्विटी दस्तावेजों में निवेश		(42.09)	(16.48)
उप जोड़ (ख)		**(42.09)**	**(16.48)**
कुल (i) = (क)+(ख)		**(14.61)**	**(15.04)**

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को को समाप्त वर्ष हेतु
(ii) मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि को पुनः वर्गीकृत किया जाएगा			
– ऋण दस्तावेजों में निवेश		12.10	2.37
कुल (ii)		**12.10**	**2.37**
अन्य व्यापक आय (ख) = (i+ii)		**(2.51)**	**(12.67)**
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय (क+ख)		**3,322.21**	**2,823.12**
निम्न पर आरोप्य लाभ :			
स्वामी		2,874.61	2,595.61
गैर–नियंत्रक ब्याज		450.11	240.18
		3,324.72	**2,835.79**
निम्न पर आरोप्य अन्य व्यापक आय :		(1.59)	(12.55)
स्वामी		(0.92)	(0.12)
गैर–नियंत्रक ब्याज		**(2.51)**	**(12.67)**
निम्न पर आरोप्य कुल व्यापक आय :			
स्वामी		2,873.02	2,583.06
गैर–नियंत्रक ब्याज		449.19	240.06
		3,322.21	**2,823.12**
निम्न से उत्पन्न स्वामी पर आरोप्य कुल व्यापक आयः			
जारी प्रचालन		2,873.02	2,583.06
बंद किए गए प्रचालन		-	-
		2,873.02	**2,583.06**
प्रति शेयर अर्जन (मूल एवं कम किया गया)			
(इक्विटी शेयर, 10 रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	34(14)		
विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन से पूर्व		3.10	1.71
विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन के पश्चात		2.86	2.54
समेकित वित्तीय विवरणों पर साथ की टिप्पणियां देखें	1.34		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
वर्ष के दौरान चल रहे पूंजीगत कार्य का भाग होने वाले निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी)	32		
वित्तीय दस्तावेज और जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटन	33		
लेखों से संबंधित अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां	34		
टिप्पणी 1 से 34 लेखों के अभिन्न भाग हैं			

निदेशक बोर्ड के लिए एवं की ओर से

विजय गुप्ता	**महेश कुमार मित्तल**	**अभय कुमार सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 02889021	डीआईएन : 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी	**कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स**	**कृते लोधा एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 009487एन	एफआरएनः 006791एन	एफआरएनः 301051ई
(ए. के. अग्रवाल)	**(संजय जैन)**	**(आर. पी. सिंह)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 0013833	सदस्यता सं. 084906	सदस्यता सं. 052438

स्थान : फरीदाबाद
तिथि : 27 जून, 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह का विवरण

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
क. प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह			
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन सहित वर्ष हेतु कर पूर्व लाभ		3,615.22	4,159.41
घटाएं : विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन		(240.50)	843.42
कर पूर्व लाभ		**3,855.72**	**3,315.99**
जोड़े :			
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	1,614.04		1,657.96
वित्त लागत	795.98		895.14
प्रावधान (निवल)	156.59		110.46
कर समायोजन (हानि)	27.79		65.37
विनिमय दर परिवर्तन के कारण बिक्री समायोजन	42.94		92.34
परिसंपत्तियों/दावे बट्टे खाते की बिक्री पर हानि (लाभ)	4.48		(1.15)
		2,641.82	2,820.12
		6,497.54	**6,136.11**
घटाएं :			
पश्च लेखित मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	48.38		65.23
प्रावधान (निवल लाभ)	5.22		31.43
लाभांश आय	4.80		4.80
ब्याज आय	307.21		309.04
विनिमय दर परिवर्तन	(50.15)		3.18
अन्य समायोजन	(2.61)		0.76
उचित मूल्य समायोजन	(2.04)		(3.59)
सरकारी अनुदानों का परिशोधन	98.46		92.17
संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ/(हानि) का हिस्सा (इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने हेतु लेखांकित)	3.04		5.24
	412.31		508.26
प्रचालनात्मक परिसंपत्तियों तथा देयताओं के समायोजन से पूर्व प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		**6,085.23**	**5,627.85**
प्रचालनात्मक परिसपंत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन			
माल–सूची	(1.69)		(20.63)
व्यापार प्राप्य	(1,655.75)		(1,951.62)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	(197.61)		(931.12)
अन्य वित्तीय देयताएं एवं प्रावधान	(184.39)		1,976.90
	(2,039.44)		(926.47)
कर पूर्व प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		**4,045.79**	**4,701.38**
घटाएं : भुगतान किया गया कर		793.92	877.17
प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से निवल नकदी (क)		**3,251.87**	**3,824.21**
ख. निवेशात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह			
"संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (वर्ष हेतु चल रहे पूंजीगत कार्य का भाग होने वाले निर्माण पर आरोप्य व्यय सहित) – **अनुदान का निवल**"		(3,631.74)	(1,360.20)
परिसंपत्तियों की बिक्री		0.52	0.92
निवेशों/बॉण्डों/बैंक जमा हेतु वसूली/(भुगतान)		253.35	(35.46)
संयुक्त उद्यम में निवेश		(140.45)	(100.00)
लाभांश आय		4.80	4.80
ब्याज आय		267.12	307.66
निवेशात्मक क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी (ख)		**(3,246.40)**	**(1,182.28)**

	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
ग. वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	-	(606.20)
इक्विटी शेयरों की बाय बैक (प्रीमियम भुगतान सहित)	2.50	-
गैर–नियंत्रक ब्याज से इक्विटी आय	(2,897.44)	(1,526.74)
लाभांश और अदा किए गए लाभांश पर कर (गैर–नियंत्रक ब्याजों सहित)	6,015.71	2,588.00
ऋण से आय	(1,773.05)	(1,877.16)
ऋण की चुकौती	(1,332.61)	(1,215.12)
ब्याज तथा वित्त प्रभार	(3.45)	-
पट्टा भुगतान की चुकौती	**11.66**	**(2,637.22)**
वित्तपोषण क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी (ग)		
घ. नकदी तथा नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	**17.13**	**4.7**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी समतुल्य	25.04	20.33
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी समतुल्य	42.17	25.04

उपरोक्त नकदी प्रवाह का विवरण इंड एएस 7 – "नकदी प्रवाह का विवरण" में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसरण तैयार किया गया है।

नकदी प्रवाह के विवरण की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. नकदी तथा नकदी समतुल्य में हस्तगत नकदी, हस्तगत चेक/ड्राफ्ट तथा बैंक शेष शामिल है जिसमें तीन माह से कम के मूल परिपक्वता वाले अल्पावधि जमा को भी शामिल किया गया है। तुलन पत्र की टिप्पणी 8 के अनुसार नकदी तथा नकदी समतुल्य का ब्यौरा निम्नवत है:

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
नकदी तथा नकद समतुल्य	42.17	25.04

2. 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार नकदी तथा नकद समतुल्य में शामिल 18.68 करोड़ रुपए की राशि के बैंकों के पास निर्धारित शेषों को नकदी तथा नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेषों में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। तद्नुसार, 31.03.2019 के अनुसार नकदी तथा नकदी समतुल्य 43.72 करोड़ रुपए से 25.04 करोड़ रुपए में परिवर्तित हो गया है।
3. वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह में ब्याज तथा वित्तीय प्रभार में अवधि के दौरान निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी) के निमित्त पूंजीकृत 462.90 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 365.33 करोड़ रूपए) की ऋण लागत शामिल है।
4. 31.03.2020 को आहरित न किए गए ऋण की राशि – 925.00 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 819.00 करोड़ रूपए)।
5. कंपनी ने 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय के निमित्त नकद 147.54 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष में 44.60 करोड़ रुपए) खर्च किए।
6. **निवल ऋण मिलान**

(करोड़ रुपए में)

	31.03.2020	31.03.2019
नकदी और नकदी समतुल्य	42.17	25.04
वर्तमान ऋण	(714.31)	(416.01)
गैर–वर्तमान ऋण	(23138.70)	(19234.76)
पट्टा देयता	(16.35)	0.00
निवल ऋण	(23827.19)	(19625.73)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	अन्य परिसंपत्तियां	वित्तपोषण क्रियाकलापों से देयताएं			कुल
	नकदी और नकदी समतुल्य	गैर–वर्तमान ऋण	पट्टा देयता	वर्तमान ऋण	
31 मार्च, 2018 को निवल ऋण	**20.33**	**(18,894.59)**	**-**	**(280.00)**	**19,154.26)**
नकदी प्रवाह	4.71	(574.83)	-	(136.01)	(706.13)
पट्टा देयता	-	.	-	-	-
विदेशी विनिमय समायोजन	-	(22.69)	-	-	(22.69)
ब्याज व्यय	-	(1,201.37)	-	(5.84)	(1,207.21)
अदा किया गया ब्याज	-	1,188.87	-	5.84	1,194.71
उचित मूल्य समायोजन	-	269.85	-	-	269.85
31 मार्च, 2019 को निवल ऋण	**25.04**	**(19,234.76)**	**-**	**(416.01)**	**19,625.73)**

(करोड़ रुपए में)

विवरण	अन्य परिसंपत्तियां	वित्तपोषण क्रियाकलापों से देयताएं			कुल
	नकदी और नकदी समतुल्य	गैर–वर्तमान ऋण	पट्टा देयता	वर्तमान ऋण	
31 मार्च, 2019 को निवल ऋण	**25.04**	**(19,234.76)**	**-**	**(416.01)**	**(19,625.73)**
01.04.2019 को इंड एएस 116 के तहत मान्यताप्राप्त पट्टा	-	-	(17.46)	-	(17.46)
नकदी प्रवाह	17.13	(3,944.34)	3.45	(298.31)	(4,222.07)
पट्टा देयता	-	-	(2.42)	-	(2.42)
विदेशी विनिमय समायोजन	-	(120.23)	-	-	(120.23)
ब्याज व्यय	-	(1,320.31)	(1.31)	(15.96)	(1,337.58)
अदा किया गया ब्याज	-	1,262.20	1.25	15.97	1,279.42
उचित मूल्य और अन्य समायोजन	-	218.74	0.14	-	218.88
31 मार्च, 2020 को निवल ऋण	**42.17**	**(23,138.70)**	**(16.35)**	**(714.31)**	**(23,827.19)**

निदेशक बोर्ड के लिए एवं की ओर से

विजय गुप्ता	**महेश कुमार मित्तल**	**अभय कुमार सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 02889021	डीआईएन : 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी	**कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स**	**कृते लोधा एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 009487एन	एफआरएनः 006791एन	एफआरएनः 301051ई
(ए. के. अग्रवाल)	**(संजय जैन)**	**(आर. पी. सिंह)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 0013833	सदस्यता सं. 084906	सदस्यता सं. 052438

स्थान : फरीदाबाद
तिथि : 27 जून, 2020

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (करोड़ रुपए में)
1 अप्रैल, 2019 के अनुसार	15.1	10,045.03
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		-
31 मार्च, 2020 के अनुसार	15.1	10,045.03

ख. अन्य इक्विटी

(करोड़ रुपए में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष				अन्य व्यापक आय						
	पूंजीगत आरक्षित	पूंजी मोचन आरक्षित	बॉण्ड मोचन आरक्षित	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि	सामान्य आरक्षित	अधिशेष / प्रतिधारित अर्जन	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी दस्तावेज	ओसीआई के माध्यम से ऋण दस्तावेज	कुल	गैर–नियंत्रक ब्याज (एनसी आई)	एनसी आई के पश्चात कुल
1 अप्रैल, 2019 को शेष	-	2,255.71	2,193.35	11.38	11,417.14	4,768.82	76.30	30.08	20,752.78	2,868.47	23,621.25
वर्ष हेतु लाभ						2,874.61			2,874.61	450.11	3,324.72
अन्य व्यापक आय						28.40	(42.09)	12.10	(1.59)	(0.92)	(2.51)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-		2,903.01	(42.09)	12.10	2,873.02	449.19	3,322.21
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों का इश्यू									-	2.50	2.50
व्यापार अधिग्रहण पर पूंजीगत आरक्षित (टिप्पणी 34(32) देखें)									40.93		40.93
प्रतिधारित अर्जन से अंतरण											
गैर–नियंत्रक ब्याज सहित लेन–देन						(0.16)			(0.16)	0.16	-
सीएसआर आरक्षित में अंतरण				0.22		(0.11)			0.11	(0.11)	
प्रतिधारित अर्जन में अंतरण											-
बॉण्ड मोचन आरक्षित से अंतरित राशि			(244.97)			244.97					
कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि से अंतरित राशि				(7.99)		4.08			(3.91)	3.91	-
सामान्य आरक्षित से / (में) अंतरित राशि					-	(127.69)			(127.69)		(127.69)
प्रतिधारित अर्जन से अंतरण					127.69				127.69		(127.69)
लाभांश						(1,938.69)			(1,938.69)	(464.72)	(2,403.41)
लाभांश पर कर						(398.50)			(398.50)	(95.52)	(494.02)
31 मार्च, 2020 को शेष	**40.93**	**2,255.71**	**1,948.38**	**3.61**	**11,544.83**	**5,455.73**	**34.21**	**42.18**	**21,325.58**	**2,763.88**	**24,089.46**

निदेशक बोर्ड के लिए एवं की ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 02889021

अभय कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 0009487एन

(ए. के. अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता सं. 013833

कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 006791एन

(संजय जैन)
साझेदार
सदस्यता सं. 084906

कृते लोधा एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 301051ई

(आर. पी. सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 052438

स्थान : फरीदाबाद
तिथि : 27 जून, 2020

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (करोड रुपए में)
1 अप्रैल, 2019 के अनुसार	15.1	10,259.32
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		(214.29)
31 मार्च, 2020 के अनुसार	15.1	10,045.03

ख. अन्य इक्विटी

(करोड़ रुपए में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष							अन्य व्यापक आय		कुल	गैर–नियंत्रक ब्याज (एनसी आई)	एनसी आई के पश्चात कुल
	पूंजी मोचन आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	बॉण्ड मोचन आरक्षित	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि	अनुसंधान एवं विकास निधि	सामान्य आरक्षित	अधिशेष / प्रतिधारित अर्जन	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी दस्तावेज	ओसीआई के माध्यम से ऋण दस्तावेज			
1 अप्रैल, 2018 को शेष	2,041.42	242.81	2,129.55	23.29	16.97	10,224.43	4,982.91	92.78	27.71	19,781.87	2,934.91	22,716.78
वर्ष हेतु लाभ							2,595.61			2,595.61	240.18	2,835.79
अन्य व्यापक आय							1.56	(16.48)	2.37	(12.55)	(0.12)	(12.67)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	2,597.17	(16.48)	2.37	2,583.06	240.06	2,823.12
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर अनुप्रयोग धनराशि										-		-
इक्विटी शेयरों के बाय बैक के लिए उपयोग		(242.81)				(142.90)				(385.71)		(385.71)
इक्विटी शेयरों के बाय बैक संबंधी व्यय के लिए उपयोग						(6.20)				(6.20)		(6.20)
प्रतिधारित अर्जन में अंतरण												
बॉण्ड मोचन आरक्षित में अंतरित राशि			(244.97)				244.97			-		-
लाभांश पर कर – प्रतिलेखन										-		-
कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि से अंतरित राशि				(11.91)			6.09			(5.82)	5.82	-
अनुसंधान और विकास निधि से अंतरित राशि					(16.97)	8.66				(8.31)	8.30	(0.01)
सामान्य आरक्षित से / (में) अंतरित राशि	214.29					(214.29)	(1,547.44)			(1,547.44)		(1,547.44)
प्रतिधारित अर्जन से अंतरण						1,547.44				1,547.44		1,547.44
लाभांश							(1,000.46)			(1,000.46)	(265.95)	(1,266.41)
लाभांश पर कर							(205.65)			(205.65)	(54.67)	(260.32)
बॉण्ड मोचन आरक्षित में अंतरण			308.77				(308.77)			-		-
31 मार्च, 2019 को शेष	**2,255.71**	**-**	**2,193.35**	**11.38**	**-**	**11,417.14**	**4,768.82**	**76.30**	**30.08**	**20,752.78**	**2,868.47**	**23,621.25**

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 02889021

अभय कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08646003

समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 0009487एन

(ए. के. अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता सं. 013833

कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 006791एन

(संजय जैन)
साझेदार
सदस्यता सं. 084906

कृते लोधा एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 301051ई

(आर. पी. सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 052438

स्थान : फरीदाबाद
तिथि : 27 जून, 2020

टिप्पणी संख्या – 1 : समूह सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(I) रिपोर्टिंग संस्था

एनएचपीसी लिमिटेड ("कंपनी") भारत में अधिवासित तथा शेयरों द्वारा सीमित एक कंपनी है। कंपनी के शेयरों की भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई लिमिटेड में सार्वजनिक रूप से बिक्री–खरीद की जाती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर–33 फरीदाबाद, हरियाणा – 121003 है।

इन समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों (सामूहिक 'समूह' के रूप में संदर्भित) और अपने संयुक्त में समूह का ब्याज शामिल है। यह समूह मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन, विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों को बल्क विद्युत की बिक्री में लगा हुआ है। अन्य व्यापार में परियोजना प्रबंधन/निर्माण संबंधी संविदाएं/परामर्शी कार्य सेवाएं और विद्युत का व्यापार प्रदान करना शामिल है।

(II) तैयार करने के आधार

(क) अनुपालन का विवरण

इन समेकित वित्तीय विवरणों को लेखांकन के निम्नलिखित प्रोद्भवन प्रणाली का सतत् संस्था के आधार पर और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) तथा तत्संबंधी परवर्ती संशोधनों, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित तथा लागू सीमा तक), कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधानों और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए तैयार किया जाता है।

समूह के समेकित वित्तीय विवरण 27 जून, 2020 को निदेशक बोर्ड द्वारा जारी किए जाने के लिए अनुमोदित कर दिए गए हैं।

(ख) मापन का आधार

समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित को छोड़कर ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं:

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं को उचित मूल्य पर मापा गया है।
- परिभाषित कर्मचारी हितलाभ योजनाओं की योजनागत परिसंपत्तियां।

उचित मूल्यों के मापन हेतु प्रयुक्त पद्धतियों पर चर्चा टिप्पणी 33 में की गई है।

ऐतिहासिक लागत भुगतान की गई नकदी तथा नकदी समतुल्य धनराशि या अधिग्रहण के समय परिसंपत्तियों को अधिग्रहीत करने के लिए दी गई धनराशि के उचित मूल्य या दायित्व के बदले में प्राप्त आय की राशि, या नकदी अथवा नकदी समतुल्य के लिए व्यापार की सामान्य कार्यपद्धति में देयता को पूरा करने के लिए अपेक्षित धनराशि है। उचित मूल्य, वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने से प्राप्त होता है अथवा मापन की तारीख को बाजार प्रतिभागियों के बीच तर्कसंगत लेन–देन में देयता को अंतरित करने के लिए किए गए भुगतान की धनराशि है।

(ग) नए एवं संशोधित मानकों को लागू करना

(i) **भारतीय लेखांकन मानक 116:** इंड एएस 116 के स्थान पर इंड एएस 117 – पट्टे तथा संविदा के दोनों पक्षकार, अर्थात पट्टादाता और पट्टेदार के लिए पट्टों की मान्यता, मापन, प्रस्तुति तथा प्रकटन हेतु सिद्धांतों को निर्धारित करता है। इंड एएस 116 एक एकल पट्टेदार लेखांकन मॉडल आरम्भ है तथा 12 महीने से अधिक की अवधि वाले सभी पट्टों के लिए परिसंपत्ति और देयताओं को मान्यता के लिए पट्टेदार की आवश्यकता होती है, जबकि अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो। समूह ने दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करके इंड एएस 116 "पट्टों" को अपनाया है। मानक को अपनाने का प्रभाव टिप्पणी XX में प्रकट किया गया है।

(ii) अन्य मानकों में परिवर्तन/संशोधन न तो लागू हैं और न ही वित्तीय विवरणों पर उनका कोई वास्तविक प्रभाव है।

(घ) कार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा

इन समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किया गया है जो समूह की कार्यात्मक मुद्रा है। भारतीय राष्ट्रीय रूपए में प्रस्तुत समूची वित्तीय आंकड़ों को, निकटतम करोड़ रूपए (दो दशमलव तक), जहां अन्यथा दर्शाई गई है, को छोड़कर, तक इसे पूर्णांकित किया गया है।

(ङ) समेकन के आधार

क) सहायक कंपनी

i) सहायक कंपनी एक ऐसी संस्था होती है जिस पर समूह का नियंत्रण होता है। समूह किसी निकाय को तब नियंत्रित करता है जब समूह के निकाय के साथ शामिल होने से इसके प्रतिफल परिवर्तनशील होते हों या उन पर इसका अधिकार हो तथा

उसके पास निकाय के संगत क्रियाकलापों को निर्देशित करने की शक्ति के माध्यम से उन प्रतिफलों को प्रभावित करने की क्षमता हो। सहायक कंपनियां, समूह को नियंत्रण अंतरित किए जाने की तिथि से पूर्णतः समेकित की जाती हैं। वे ऐसी नियंत्रण बंद होने की तारीख से असमेकित हैं।

ii) समूह मूल कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को लाइन–दर–लाइन आधार पर एकीकृत करता है जिसमें परिसंपत्ति, देयताओं, इक्विटी, आय तथा व्यय की मदों को एक साथ जोड़ा जाता है। प्रत्येक सहायक कंपनी में मूल कंपनी के निवेश की वहनीय राशि और प्रत्येक सहायक कंपनी में मूल कंपनी के इक्विटी अंश को समाप्त किया जाता है। अंतर–कंपनी लेन–देन, शेष तथा समूह कंपनियों के मध्य लेन–देन पर वसूल न किए गए लाभों को समाप्त किया जाता है। वसूल न की गई हानियों को भी समाप्त किया जाता है जब तक कि लेन–देन में अंतरित परिसंपत्ति के क्षति का साक्ष्य मौजूद न हो। सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियां समूह द्वारा अपनाई गई नीतयों के अनुरूप होती हैं।

iii) गैर–नियंत्रक हितों को अधिग्रहण की तिथि को प्राप्तकर्ता की निवल पहचान योग्य आस्तियों में उनके अनुपातिक अंश पर मापा जाता है। परिणामों में गैर–नियंत्रित हित और सहायक कंपनियों की इक्विटी को समेकित तुलन–पत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण में अलग से दर्शाया जाता है।

iv) जिस सहायक कंपनी के स्वामित्व के हित में परिवर्तन से नियंत्रण की हानि नहीं होती है, उसे इक्विटी लेन–देन के रूप में लेखांकित किया गया है।

v) यदि समूह किसी सहायक कंपनी पर नियंत्रण खो देता है, तो यह परिसंपत्तियों, देयताओं, किसी गैर–नियंत्रित हितों की वहनीय राशि और इक्विटी में दर्ज संचित परिवर्तन अंतरों को विमान्य कर देता है। पूर्व सहायक कंपनी में रखा गया कोई ब्याज नियंत्रण समाप्त होने की तारीख से उचित मूल्य पर मापा गया है जिसके परिणामस्वरूप लाभ तथा हानि के विवरण में माना गया लाभ/हानि है।

ख) संयुक्त उद्यम

i) संयुक्त उद्यम एक ऐसी संयुक्त व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण होने वाले पक्षों के पास व्यवस्था की निवल परिसंपत्तियों के अधिकार होते हैं। संयुक्त उद्यमों में हितों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता प्रदान की जाती है और तत्पश्चात उन्हें इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकित किया जाता है।

ii) लेखांकन की इक्विटी पद्धति के अंतर्गत, निवेशों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है और तत्पश्चात निवेशी की निवल परिसंपत्तियों के समूह के हिस्से में अधिग्रहण–पश्चात परिवर्तनों के लिए समायोजन किया जाता है। अधिग्रहण–पश्चात लाभों या हानियों तथा निवेशी की अन्य व्यापक आय में समूह के हिस्से को समूह के लाभ एवं हानि तथा अन्य व्यापक आय के विवरण में शामिल किया जाता है। संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्य लाभांशों को निवेश की वहनीय राशि में कमी के रूप में माना जाता है।

iii) जब संयुक्त उद्यम में हानियों का समूह का अंश निकाय में इसके निवेश के समान या उससे अधिक हो जाता है, किसी अन्य अप्रतिभूतित दीर्घावधि प्राप्य सहित, तो समूह आगे हानियों को तब तक मान्यता नहीं देता जब तक कि इसने संयुक्त उद्यम की ओर से बाध्यताएं वहन की हो या भुगतान किए हों।

iv) समूह तथा इसके संयुक्त उद्यमों के मध्य लेन–देन पर प्राप्त न किए गए लाभों का इन संस्था में समूह के हित की सीमा तक समाप्त किया जाता है। प्राप्त न की गई हानियों को भी समाप्त किया जाता है जब तक कि लेन–देन में अंतरित परिसंपत्ति की क्षति का कोई साक्ष्य मौजूद हो। जहां संयुक्त उद्यम की लेखांकन नीतियां समूह से भिन्न हैं, समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के साथ अनुरूपता को सुनिश्चित करने के लिए समान परिस्थितियों में समान लेन–देनों तथा घटनाओं हेतु उचित समायोजन किए जाते हैं।

v) संयुक्त उद्यम ने कम किए गए स्टेक पर उत्पन्न होने वाली किसी कमी के संबंध में किसी लाभ अथवा हानि, परन्तु संयुक्त नियंत्रण अभी भी बना हुआ है, को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

vi) जब निवेश संयुक्त उद्यम नहीं रहता है और प्रतिधारित हित एक वित्तीय परिसंपत्ति है, तो समूह प्रतिधारित हित का मापन एक उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई वहनीय राशि में परिवर्तन के साथ करता है। प्रतिधारित हित का उचित मूल्य एक संबद्ध अथवा किसी वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में प्रतिधारित हित हेतु लेखांकन के प्रयोजन हेतु प्रारंभिक वहनीय राशि बन जाता है। उस संयुक्त उद्यम के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले मान्यता दी गई किसी राशि को लाभ एवं हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

(च) अनुमानों तथा प्रबंधन के निर्णयों का उपयोग

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन द्वारा ऐसे निर्णय, अनुमान तथा मान्यताओं को लेना अपेक्षित

होता है जो लेखांकन नीति के अनुप्रयोग और तुलन–पत्र तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं, आय, व्यय तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं सहित संबंधित प्रकटीकरणों के सूचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हों। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और परिस्थितियों में तर्कसंगत तथा विवेकसम्मत माने गए अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान तथा आधारभूत मान्यताओं की समीक्षा सतत् आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में माने जाते हैं जिसमें अनुमानों में संशोधन किया जाता है और जिनमें कोई भावी अवधियां प्रभावित होती हैं।

वित्तीय विवरणों की समझ में वृद्धि करने के लिए, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमानों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता तथा महत्वपूर्ण निर्णयों के संबंध में जानकारी जिसका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की गई राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, उसे निम्नलिखित टिप्पणियों में शामिल किया गया है :

महत्वपूर्ण निर्णय तथा अनुमान

क) पट्टे

समूह यह मूल्यांकन करता है कि क्या कोई व्यवस्था इंड एएस 116 पट्टों की अपेक्षाओं के अनुसार पट्टे के लिए योग्य है। एक संविदा, वह है जिसमें एक पट्टा शामिल होगा, यदि एक संविदा धनराशि के विनिमय में कुछ समयावधि के लिए किसी अभिचिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देती है। पट्टे की मान्यता के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।

यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई संविदा किसी अभिचिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग की समयावधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देती है, एक संस्था यह आकलन करेगी कि उपयोग की अवधि के दौरान, ग्राहक के पास निम्नलिखित दोनों हैं:

क. अभिचिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग से व्यावहारिक रूप से सभी आर्थिक हितलाभ प्राप्त करने का अधिकार; और

ख. अभिचिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार।

अभिचिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए, ग्राहक को उपयोग की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से व्यावहारिक रूप से सभी आर्थिक लाभों को प्राप्त करने का अधिकार होना आवश्यक है। उपयोग की अवधि के दौरान एक ग्राहक को अभिचिन्हित संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है, यदि ग्राहक को उपयोग की अवधि के दौरान संपत्ति के उपयोग कैसे और किस उद्देश्य से किया गया है, यह निर्धारित करने का अधिकार है।

समूह लाभग्राहियों के साथ विद्युत क्रय करार करता है। विद्युत खरीद करार (पीपीए) किसी एकल लाभग्राही के साथ सन्निहित पट्टे की प्रकृति के होते हैं जहां न्यूनतम पट्टा अवधि संयंत्र के आर्थिक जीवनकाल के एक प्रमुख हिस्से हेतु होती है तथा न्यूनतम पट्टा भुगतान राशि संयंत्र के समूचे उचित मूल्य को व्यापक रूप से कवर करने के लिए वित्त पट्टे के रूप में मानी जाती है। अन्य सन्निहित पट्टों को प्रचालन पट्टे माना जाता है।

वित्त पट्टे की प्रकृति वाले सन्निहित पट्टे में संयंत्र में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता दी जाती है। न्यूनतम पट्टा भुगतान की पहचान शेष संविदा राशियों में से निहित पट्टा भुगतान को पृथक करके की जाती है। प्रत्येक पट्टा रसीद को प्राप्य तथा वित्त पट्टा आय के मध्य आवंटित किया जाता है ताकि प्राप्य बकाया पट्टे पर प्रतिफल की एक नियत दर प्राप्त की जा सके।

प्रचालन पट्टों अथवा निहित प्रचालन पट्टों के मामले में प्रचालन पट्टे से पट्टा आय को पट्टा अवधि पर एक सीधी रेखा आधार पर राजस्व में मान्यता दी जाती है। संबंधित पट्टा परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन–पत्र में शामिल किया जाता है।

समूह पट्टे की अवधि (प्रत्याशित नवीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय का भी उपयोग करता है।

समूह इस पट्टे की अवधि को पट्टे की गैर–निरस्तीकरण अवधि के रूप में निर्धारित करता है, यदि समूह उस विकल्प का उपयोग करने के लिए उचित रूप से आश्वस्त है, तो पट्टे को विस्तारित करने के लिए एक विकल्प द्वारा कवर दोनों अवधियों के साथ, तथा एक विकल्प द्वारा शामिल अवधि को पट्टे को समाप्त करने के लिए यदि समूह यथोचित रूप से आश्वस्त है कि उस विकल्प का उपयोग न करे। यह आकलन करने के लिए कि क्या यह समूह पट्टे को बढ़ाने के विकल्प का उपयोग करना चाहता है, या पट्टे को समाप्त करने का विकल्प नहीं उपयोग करना चाहता, यह सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करता है जो समूह के लिए एक आर्थिक प्रोत्साहन देता है ताकि पट्टे को आगे बढ़ाने के विकल्प को चुनना है या पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग नहीं करना है। यदि पट्टे की गैर–निरस्तीकरण अवधि में कोई परिवर्तन है तो समूह पट्टे की अवधि का संशोधन करता है।

छूट दर आम तौर पर समान विशेषताओं के साथ पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए या मूल्यांकित किए जा रहे पट्टे के लिए विशिष्ट वृद्धिशील उधार दर पर आधारित होती है।

ख) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों का उपयोगी जीवनकाल तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर और अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल कई कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अप्रचलन के प्रभाव, मांग, प्रतिस्पर्धा तथा अन्य आर्थिक कारक (जैसे कि उद्योग की स्थिरता तथा ज्ञात प्रौद्योगिकीय खोंजें) और परिसंपत्ति से प्रत्याशित भविष्य के नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित रख–रखाव व्यय के स्तर शामिल होते हैं।

विद्युत के उत्पादन हेतु प्रयुक्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–2 के भाग–ख में यथा उल्लिखित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) टैरिफ विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है सिवाय निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी और कम्प्यूटर एवं सहायक उपस्करों हेतु जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–II के अनुरूप और मोबाइल फोन जो प्रबंधन के आकलन के अनुसार हैं।

ग) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर और चल रहे पूंजीगत कार्य की वसूलयोग्य राशि तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर, चालू पूंजीगत कार्य और अमूर्त परिसंपत्तियों की प्राप्ति योग्य राशि अनुमानों तथा मान्यताओं पर आधारित होती है, विशेष रूप से विद्युत संयंत्रों से संबद्ध प्रत्याशित बाजार परिदृश्य तथा भविष्य के नकदी प्रवाहों के मामले में। इन मान्यताओं में किसी परिवर्तन का प्राप्ति योग्य राशि के मापन में वास्तविक प्रभाव होगा जो क्षति में परिणत होगा।

घ) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ योजनाएं

कर्मचारी लाभ दायित्वों को बीमांकित मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु तथा आहरण दर और साथ ही साथ छूट दरों में भविष्य के घटनाक्रम, वेतन वृद्धि की दर, मुद्रास्फीति दर और योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित दर संबंधी मान्यताएं शामिल हैं। समूह यह मानता है कि इसके दायित्वों के मापन हेतु प्रयुक्त मान्यताएं उचित तथा प्रलेखित हैं। तथापि, इन मान्यताओं में किसी परिवर्तन का परिणामी गणनाओं पर प्रभाव हो सकता है।

ङ) राजस्व

समूह विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व को इंड एएस 115 के सिद्धांतों के अनुसार सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर दर्ज करता है। तथापि, ऐसे मामलों में जहां टैरिफ दरों को अभी अनुमोदित किया जाना है, लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों पर विचार करते हुए अनंतिम दरो को अपनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, जहां प्रशुल्क में लागत अनुमानों में संशोधन के कारण संशोधन लंबित हैं, वहां प्रशुल्क का परिकलन सीईआरसी प्रशुल्क नियमावली के तहत निर्धारित मानदंडों और पद्धति के आधार पर किया जाता है तथा राजस्व की अनुमानित राशि तब मानी जाती है जब जिस सीमा तक यह अत्यधिक संभव हो कि माने गए राजस्व में नीचे की ओर कोई समायोजन नहीं होगा, आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सीईआरसी को आवेदन किया जाए।

च) प्रावधान तथा आकस्मिकताएं

प्रावधानों तथा आकस्मिकताओं की मान्यता में किए गए आकलनों को इंड एएस 37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों" के अनुसार किया गया है। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन आर्थिक संसाधनों के संभाव्य प्रवाह के संबंध में प्रबंधन द्वारा लिए गए श्रेष्ठ निर्णय के आधार पर किया गया है। ऐसे अनुमान अप्रत्याशित घटनाओं के कारण बदल सकते हैं।

छ) दर विनियमित परिसंपत्तियों की वसूलयोग्य राशि

समूह के प्रचालन क्रियाकलाप सेवा की लागत विनियमों के अधीन हैं जिसके द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु प्रभारित टैरिफ ब्याज लागत, मूल्यह्रास, एक निर्धारित प्रतिफल सहित प्रचालन तथा अनुरक्षण जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होते हैं। आईसीएआई द्वारा जारी दर नियंत्रित क्रियाकलापों संबंधी परामर्शी नोट (पिछला जीएएपी) और इंड एएस 114 "विनियामक आस्थगित लेखे" किसी निकाय को दर आधार में, स्व–निर्मित (मूर्त) अचल परिसंपत्तियों या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में, ऐसी राशियां शामिल करने की अनुमति देते हैं जिन्हें अन्यथा इंड एएस के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती। समूह अनुमान लगाता है कि वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की गई विनियामक आस्थगित लेखे की मदें वर्तमान सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2019–24 के अनुसार हैं। तथापि, वर्तमान टैरिफ अवधि से परे सीईआरसी टैरिफ विनियमों में परिवर्तन ऐसे शेष की वसूल किए जाने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।

ज) व्यापार प्राप्य की क्षति

व्यापार प्राप्य हेतु ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को देखते हुए समूह लाभग्राहियों से प्राप्य मूल्य में क्षति अथवा प्राप्य व्यापारों की

वसूली में विलंब के चलते राशि के समय मूल्य में हानि की परिकल्पना नहीं करता है, सिवाय पहले से प्रावधान किए गए की सीमा तक।

झ) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

निवेश लागत पर किया गया है और समूह के आकलन के अनुसार ऐसे निवेशों में क्षति का कोई संकेत नहीं है। मान्यता में किसी परिवर्तन का वसूली योग्य राशि के मापन पर वास्तविक प्रभाव हो सकता है।

ञ) प्राप्य बीमा दावा

संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर को क्षति के संबंध में बीमा दावे की प्राप्य राशि बीमा पॉलिसी के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अनुमानों तथा मान्यताओं पर आधारित है।

ट) आय कर

अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान/वसूल की जाने वाली अपेक्षित राशि सहित, आय कर के लिए प्रावधान निर्धारित करने में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल हैं।

(III) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां –

नीचे दिए गए अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में निरंतर लागू किया गया है। ये लेखांकन नीतियां इस तरह से तैयार की गई हैं जिससे लेन–देनों, अन्य घटनाओं और जिन पर वे लागू होती हैं, उन शर्तों के संबंध में संगत एवं विश्वसनीय सूचना वाले वित्तीय परिणाम बनते हैं। ये नीतियां उस समय लागू किए जाने की आवश्यकता नहीं होती, जब उन्हें लागू करने का प्रभाव अवास्तविक हो।

31 मार्च, 2015 तक संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, चल रहे पूंजीगत कार्य, अमूर्त परिसंपत्तियां और निवेश संपत्ति भारतीय जीएएपी के अनुसार तुलन पत्र में दी गई थीं। समूह ने भारतीय लेखांकन मानक में पारगमन की तारीख (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को मानी गई लागत के रूप में उन राशियों को मानने के लिए भारतीय लेखांकन मानक 101, "भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाना" द्वारा प्रदत्त छूट प्राप्त करना चुना था।

1.0 संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर (पीपीई)

क) पीपीई की किसी मद को तब एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है यदि यह संभावना हो कि मद के साथ संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकेगा।

ख) पीपीई को प्रारंभ में जहां–कहीं अपेक्षित हो, समाप्त किए जाने की लागत अथवा बाहरी लागत सहित अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर लिया जाता है। लागत में वह राशि शामिल होती है जो सीधे परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण पर आरोप्य हो। ऐसे मामलों में जहां संविदाकार के साथ बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, परन्तु परिसंपत्ति पूर्ण है तथा उपयोग हेतु उपलब्ध है, पूंजीकरण अनुमानित आधार पर आवश्यक समायोजनों के अधीन किया जाता है, जिसमें मध्यस्थता/अदालती मामलों के निपटान से उत्पन्न होने वाले भी शामिल हैं।

ग) पावर स्टेशन के मूल रूप से अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की पूर्णता पर पीपीई के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण पर किए गए व्यय को संबंधित परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा जाता है, जब यह मान्यता मानदंडों को पूरा करता है। विद्यमान परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के रूप में अधिगृहीत पीपीई को पूंजीकृत किया जाता है और सक्रिय उपयोग से हटाई गई/बंद की गई इसकी तदनुरूपी प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों को विमान्य किया जाता है।

घ) प्रारंभिक मान्यता के पश्चात संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर को संचयी मूल्यह्रास/परिशोधन तथा संचयी क्षति हानि, यदि कोई हो, घटा लागत पर वहन किया जाता है।

ङ) कब्जे में होने वाली भूमि से संबंधित मुआवजे (निर्णय की तिथि तक अदालत द्वारा दिए गए बढ़े हुए मुआवजे पर ब्याज सहित), पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं संबंधी व्यय सहित अन्य व्ययों के प्रति अनंतिम रूप से किए गए भुगतान/सृजित देयताओं को भूमि की लागत माना जाता है।

च) समूह का नियंत्रण होने वाली परिसंपत्तियां, भले ही समूह का स्वामित्व न होने वाली भूमि पर सृजित की गई हों, संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के अंतर्गत शामिल की जाती हैं।

छ) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के मान्यता मानदंड को पूरा करने वाले अतिरिक्त उपस्कर तथा सेवा उपस्कर को पूंजीकृत किया जाता है।

ज) मान्यता मानदण्ड को पूरा करने वाले कलपुर्जे (संयंत्र तथा मशीनरी के साथ अथवा बाद में खरीदे गए) को पूंजीकृत किया जाता है। उन कलपुर्जों की वहनीय राशि जिन्हें प्रतिस्थापित किया गया है, को विमान्य किया जाता है जब उनके उपयोग अथवा निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हों। मालसूची का भाग होने वाले अन्य कलपुर्जों को "भंडार

तथा कलपुर्जे" माना जाता है।

झ) यदि प्रतिस्थापित पुर्जे की लागत या पहले का निरीक्षण उपलब्ध नहीं है तो समान नए पुर्जे की अनुमानित लागत/निरीक्षण को विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण घटक की लागत के एक संकेत के रूप में लिया जाता है, जब मद को अधिगृहीत किया गया हो या उसका निरीक्षण किया गया हो।

ञ) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की किसी मद को निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान से भविष्य का कोई आर्थिक लाभ प्रत्याशित न होने पर विमान्य किया जाता है। परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने से उत्पन्न होने वाले किसी लाभ या हानि (जिसकी गणना परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्तियों तथा वहनीय राशि के मध्य अंतर के रूप में की जाती है) को परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

2.0 चल रहे पूंजीगत कार्य

क) निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (परियोजना सहित) पर किए गए व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत लागत पर किया जाता है। ऐसी लागत में आयात शुल्क तथा अप्रतिदेय करों सहित परिसंपत्तियों का खरीद मूल्य (व्यापार छूट तथा अन्य छूट की कटौती के पश्चात), परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच क्रियाकलापों के संबंध में व्यय, स्थल तैयार किए जाने की लागत, प्रारंभिक डिलीवरी तथा हैण्डलिंग प्रभार, स्थापन तथा असेम्बली लागतें आदि शामिल होती हैं।

ख) लागतों में कर्मचारी लाभ, पेशेवर शुल्क, आम जन सुविधाओं के रख–रखाव तथा उन्नयन पर किया गया व्यय, परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, निर्माण के दौरान ब्याज तथा परिसंपत्ति को स्थल पर लाने तथा प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके से प्रचालन करने हेतु समर्थ बनाने के लिए सीधे आरोप्य अन्य लागतों को "निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी)" के अंतर्गत संचित किया जाता है तथा बाद में परियोजनाओं के चालू होने पर भूमि तथा आधारभूत ढांचा सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है। चालू होने से पूर्व निवल आय/व्यय को सीधे ही संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया गया है।

ग) सुविधाओं के सृजन पर किया गया पूंजीगत व्यय, जिन पर समूह का नियंत्रण नहीं है, परन्तु जिनका सृजन परियोजना के निर्माण हेतु सिद्धांततः आवश्यक है, उन्हें "निर्माण पर आरोप्य व्यय" के अंतर्गत संचित किया जाता है तथा "चल रहे पूंजीगत कार्य" के अंतर्गत वहन किया जाता है और बाद में इंड एएस 16–"संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर" में "आरोप्यता" और "मापन की इकाई" को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं के चालू होने पर भूमि तथा आधारभूत ढांचा सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है। परियोजना की पूर्णता के पश्चात किया गया ऐसी प्रकृति का व्यय लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया जाता है।

3.0 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लेन–देन लागत सहित लागत तक मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, निवेश संपत्तियों को लागत पर घटा संचित मूल्यह्रास तथा संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, पर वहन किया जाता है।

निवेश संपत्तियों को निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान अथवा उपयोग से स्थायी रूप से हटा लिए जाने तथा उनके निपटान पर भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्रत्याशित न होने पर विमान्य किया जाता है। परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्तियों तथा वहनीय राशि के मध्य अंतर को विमान्य किए जाने की अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

निवेश संपत्ति में अथवा उससे अंतरण केवल तब ही किया जाता है जब साक्ष्यों द्वारा समर्थित प्रयोग में कोई परिवर्तन हो।

4.0 अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

क) अनुसंधान पर व्यय जब होता है तभी राजस्व में लगाया जाता है। विकास पर व्यय तभी पूंजीकृत किया जाता है यदि व्यय विश्वसनीय रूप से मापा जा सके, उत्पाद अथवा प्रक्रिया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो, भावी आर्थिक लाभ संभव हो तथा समूह का इरादा विकास पूरा करने तथा परिसंपत्ति का प्रयोग अथवा बिक्री करने का इरादा हो तथा इसके लिए पर्याप्त संसाधन हों।

ख) अलग से अधिगृहीत की गई अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर लागत पर मापा जाता है। परिसंपत्तियों को उसके प्रत्याशित प्रयोग के लिए तैयार करने हेतु होने वाले सीधी ही कोई आवश्यक व्यय लागत में शामिल होता है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात अमूर्त परिसंपत्तियों को किसी संचित परिशोधन तथा संचित हानियों से घटाई गई लागत पर वहन किया जाता है।

ग) आगामी व्यय को परिसंपत्ति की वहनीय राशि में वृद्धि के रूप में माना जाता है जब यह संभावना है कि व्यय की गई लागत से भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ उद्यम से प्रवाहित होंगे तथा वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

घ) निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान से भविष्य में आर्थिक लाभ की प्रत्याशा न होने वाली अमूर्त परिसंपत्ति की किसी

मद को विमान्य किया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानियों को निवल निपटान प्राप्तियों तथा परिसंपत्ति की वहनीय राशि के मध्य अंतर के रूप में मापा जाता है और उसे परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

5.0 विदेशी मुद्रा लेन–देन

क) विदेशी मुद्रा में लेन–देन प्रारंभ में मान्यता हेतु पहले अर्हक होने वाली लेन–देन की तिथि पर वित्तीय मुद्रा स्पॉट दर पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक मदों को उस तिथि को विद्यमान क्रियात्मक मुद्रा विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

ख) 1 अप्रैल, 2004 से पूर्व किए गए लेन–देन से उत्पन्न होने वाले संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर/चल रहे पूंजीगत कार्य के संबंध में विनिमय अंतरों को संबंधित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर/चल रहे पूंजीगत कार्य की वहन लागत पर समायोजित किया जाता है।

ग) 31 मार्च, 2016 से पूर्व विदेशी मुद्रा ऋण के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जो सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार आगे की अवधियों में लाभार्थियों से प्राप्य अथवा उन्हें देय हैं, उन्हें "आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव प्राप्य/देय लेखा" के रूप में मान्यता दी जाती है और उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिससे इन्हें वसूल/अदा किया जाना है।

घ) 01.04.2016 को अथवा उसके पश्चात की गई विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक मदों के निपटान/परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली विनिमय अंतरों को लाभार्थियों से प्राप्य अथवा उन्हें देय होने की सीमा तक निर्माण अवधि के दौरान "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी जाती है और उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष में इन्हें लाभार्थियों से वसूल अथवा उन्हें अदा किया जाना है।

ङ) किसी विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के रूप में मापी गई गैर–मौद्रिक मदों को लेन–देन की तिथि को विनिमय दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है। जहां समूह ने विदेशी मुद्रा में अग्रिम राशि दी है अथवा प्राप्त की है, वहां संबंधित परिसंपत्ति, व्यय अथवा आय (अथवा उसका भाग) की आरंभिक मान्यता पर प्रयोग करने के लिए विनिमय दर निर्धारित करने के प्रयोजन से लेन–देन की तारीख वह तारीख है जब समूह अग्रिम राशि के भुगतान अथवा प्राप्ति से होने वाली गैर–मौद्रिक परिसंपत्ति अथवा गैर–मौद्रिक देयता को आरंभिक मान्यता देता है।

6.0 विनियामक आस्थगित लेखे

क) जहां परियोजना के निर्माण की अवधि के दौरान व्यय किए गए खर्चे की किसी मद को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अर्थात इंड एएस के अनुसार संगत पीपीई के लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं होती, परन्तु फिर भी इसे सीईआरसी द्वारा भविष्य में टैरिफ के माध्यम से लाभार्थियों से वसूल किए जाने की अनुमति होती है, उक्त की वसूली के अधिकार को "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख) सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार आगे की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय होने की सीमा तक लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान किए गए व्यय/आय को सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार "विनियामक आस्थगित लेखा शीर्ष" के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग) इन विनियामक आस्थगित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिसमें ये लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय हैं।

घ) विनियामक आस्थगित लेखा शेषों का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि को यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि निहित क्रियाकलाप मान्यता मानदण्ड को पूरा करते हों और यह संभावना हो कि ऐसे शेषों से संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ निकाय को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदण्ड पूरे नहीं होते हैं तो विनियामक आस्थगित लेखा शेषों को विमान्य किया जाता है।

ङ) विनियामक आस्थगित लेखा शेषों को प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर क्षति हेतु जांच की जाती है।

7.0 उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी मापन तिथि को बाजार प्रतिभागियों के मध्य एक व्यवस्थित लेन–देन में किसी परिसंपत्ति की बिक्री करने पर मिलेगा या किसी देयता के अंतरण पर अदा किया जाएगा। सामान्यतः प्रारंभिक मान्यता पर लेन–देन मूल्य उचित मूल्य का श्रेष्ठ उदाहरण होता है।

तथापि, जब समूह यह निर्धारित करता है कि लेन–देन मूल्य उचित मूल्य को प्रदर्शित नहीं करता, यह अन्य बातों के साथ–साथ ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है जो परिस्थितियों में समुचित हों तथा जिसके लिए उचित मूल्य के मापन हेतु पर्याप्त

डाटा उपलब्ध हो, जो संगत मापन योग्य आदानों के उपयोग को अधिकतम कर सके तथा मापन योग्य न होने वाले आदानों के उपयोग को न्यूनतम कर सके।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं जिसके लिए उचित मूल्य का मापन अथवा प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में किया गया है, उन्हें उचित मूल्य तंत्र के भीतर श्रेणीबद्ध किया गया है। यह श्रेणीकरण आदान के उस निम्नतम स्तर पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है–

- स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देयताओं हेतु सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तर आदान वह है जो उचित मूल्य मापन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखे जाने पर महत्वपूर्ण है।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तर आदान जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है, मापा नही जा सकता।

वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं जिन्हें आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मान्यता प्रदान की जाती है, उनके लिए समूह यह निर्धारित करता है कि क्या अंतरण प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण के पुनः आकलन द्वारा क्रम में स्तरों के मध्य उत्पन्न हुए हैं अथवा नहीं।

8.0 संयुक्त उद्यमों में निवेश

संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों में निवेश को इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने के लिए लेखांकित किया जाता है।

9.0 संयुक्त उद्यमों में निवेश के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियां

किसी वित्तीय परिसंपत्ति में अन्य बातों के साथ–साथ नकदी, किसी अन्य निकाय के इक्विटी दस्तावेज अथवा नकदी या अन्य कोई वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार अथवा वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता विनिमय ऐसी स्थितियों के अंतर्गत शामिल होता है जो संभाव्य रूप से समूह के पक्ष में होती है। वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तब ही मान्यता दी जाती है जब समूह दस्तावेज के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाता है।

समूह की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकदी तथा नकदी समतुल्य, बैंक शेष, कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, व्यापार प्राप्य, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, प्राप्य दावे आदि शामिल होते हैं।

क) वर्गीकरण

समूह अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करता है –

- परिशोधित लागत पर,
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर, और

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है :

क) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु निकाय का व्यापार मॉडल और

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताएं।

उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों हेतु लाभ तथा हानियां या तो लाभ एवं हानि के विवरण अथवा अन्य व्यापक आय में दर्ज की जाएंगी। ऋण दस्तावेज में निवेश हेतु यह उस व्यापार मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश धारित है। इक्विटी दस्तावेज में निवेश हेतु यह इस पर निर्भर करेगा कि क्या समूह ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश हेतु लेखे को प्रारंभिक मान्यता के समय कोई वापिस न लिया जा सकने वाला चयन किया है।

ख) प्रारंभिक मान्यता और मापन

प्राप्य व्यापार के सिवाय सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता प्रदान की जाती है, साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज न किए जाने के मामले में वित्तीय परिसंपत्ति की खरीद पर आरोप्य होने वाली लेन–देन लागत पर मान्यता दी जाती है।

यदि प्राप्य व्यापारों ने कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं हो तो समूह अपने लेन–देन मूल्य पर प्राप्य व्यापारों को मापता है।

ग) अनुवर्ती मापन

परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज

किसी "ऋण दस्तावेज" को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों स्थितियां पूरी होती हों:

i) परिसंपत्ति एक ऐसे व्यापार मॉडल के मध्य भारित है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों के एकत्रीकरण हेतु परिसंपत्तियों को धारित करना है, और

ii) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं जो केवल बकाया मूलधन पर मूलधन तथा ब्याज का भुगतान (एसपीपीआई) हो।

प्रारंभिक मापन के पश्चात, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और ईआईआर का अभिन्न भाग होने वाले शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआरईआर परिशोधन को लाभ तथा हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षति से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर ऋण लिखत

किसी "ऋण दस्तावेज" को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित में से दोनों मानदण्ड पूरे होते हों :

i) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों के एकत्रीकरण तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री दोनों से प्राप्त होता हो, और

ii) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह मूल धन और ब्याज के एकमात्र भुगतान (एसपीपीआई) को प्रदर्शित करता हो।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज का मापन उनकी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्रदान की जाती है। तथापि, समूह ब्याज आय, क्षति हानियों, वापिसी और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता देता है। परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर ओसीआई में पहले मान्यता प्रदान किए गए संचित लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ तथा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज संबंधी आय को एफआईआर पद्धति का उपयोग करके अन्य आय में शामिल किया जाता है।

इक्विटी निवेश

सभी इक्विटी निवेश को उचित मूल्य पर मापा जाता है। व्यापार हेतु धारित इक्विटी दस्तावेज, यदि कोई हो, को लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य भी इक्विटी दस्तावेज हेतु, समूह उक्त को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत करता है। समूह दस्तावेज–दर–दस्तावेज आधार पर ऐसा चयन करता है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और इसे वापिस नहीं लिया जा सकता है।

इक्विटी दस्तावेज में एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। लाभ एवं हानि विवरण में उचित मूल्य लाभ तथा हानियों में आगे कोई पुनःवर्गीकरण नहीं होता है। तथापि, समूह इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि में अंतरित कर सकता है। ऐसे निवेश से लाभांश को लाभ एवं हानि विवरण में अन्य आय के रूप में तब मान्यता प्रदान की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का समूह का अधिकार स्थापित हो जाता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी दस्तावेज, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान किए गए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा गया हो।

व्यापार प्राप्यः

व्यापार प्राप्य किसी महत्वपूर्ण वित्तीय घटक में शामिल होता है जिसे बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

घ) विमान्य किया जाना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तब विमान्य किया जाता है जबः

i) समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के अपने अधिकार को अंतरित कर दिया है, अथवा

ii) वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकारों को बनाए रखता है, परन्तु एक अथवा अधिक प्राप्तिकर्ताओं को नकदी प्रवाह के भुगतान की संविदात्मक बाध्यता ले लेता है।

जहां संस्था ने किसी परिसंपत्ति को अंतरित किया है, समूह यह मूल्यांकन करता है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा पारितोषिक को व्यापक रूप से अंतरित कर दिया है या नहीं। ऐसे मामलों में वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है। जहां समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा पारितोषिक को व्यापक रूप से अंतरित नहीं किया है, वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य नहीं किया जाता है।

जहां समूह ने किसी वित्तीय परिसंपत्ति को न तो अंतरित किया है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा पारितोषिक को व्यापक रूप से अंतरित किया है, समूह द्वारा वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण न रखे जाने पर उस वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है। जहां समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण रखा है, परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में सतत भागीदारी की सीमा तक मान्यता प्रदान किया जाना जारी रहता है।

विमान्य किए जाने पर वहनीय राशि और प्राप्य/प्राप्य राशि के बीच अंतर को लाभ तथा हानि विवरण में माना जाता है।

ङ) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

इंड एएस 109 के अनुसार, समूह निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हानि के मापन तथा मान्यता हेतु प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करता है–

i) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण दस्तावेज हैं, और जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

ii) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण दस्तावेज हैं, और जिन्हें एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

iii) इंड एएस 115, ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व के तहत संविदा परिसंपत्तियां और व्यापार प्राप्य।

iv) इंड एएस 116, पट्टे के अंतर्गत प्राप्य पट्टे।

समूह इंड एस 116 और इंड एएस 115 के क्षेत्र के भीतर होने वाले लेन–देनों से परिणत होने वाली संविदा परिसंपत्तियों, प्राप्य पट्टों तथा व्यापार प्राप्य के संबंध में आरंभिक मान्यता से जीवन पर्यंत प्रत्याशित ऋण हानि के आधार पर क्षति की हानि के भत्ते की मान्यता के लिए इंड एएस 109 "वित्तीय दस्तावेज" के अंतर्गत अनुमेय "सरलीकृत पद्धति" का पालन करता है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबध में क्षति हानि की मान्यता हेतु समूह यह आकलन करता है कि क्या प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। यदि ऋण जोखिम में अधिक वृद्धि नहीं हुई है, तो 12 माह के ईसीएल का उपयोग क्षति हानि उपलब्ध करवाने के लिए किया जाता है। तथापि, यदि ऋण जोखिम में अत्यधिक वृद्धि हुई है तो जीवन पर्यन्त ईसीएल का उपयोग किया जाता है। ऋण जोखिम तथा क्षति हानि में वृद्धि के आकलन हेतु समूह दस्तावेज–दर–दस्तावेज आधार पर ऋण जोखिम विशेषताओं का आकलन करता है। बाद की अवधि में यदि दस्तावेज की ऋण गुणवत्ता में ऐसा सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता दिए जाने से ऋण जोखिम में कोई अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई है, तो निकाय 12 माह के ईसीएल के आधार पर क्षति हानि अनुमेय किए जाने को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु निकाय वापिस कार्रवाई करता है। अवधि हेतु प्रत्याशित ऋण हानि (या वापिसी) की राशि को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय/आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

10.0 माल–सूची

माल–सूची में मुख्यतः संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के रख–रखाव हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले भण्डार तथा कलपुर्जे शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत पर अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी), जो भी कम हो, किया जाता है। लागत का निर्धारण धारित लागत सूत्र का उपयोग करके किया जाता है और एनआरवी व्यापार के सामान्य चालन के दौरान अनुमानित बिक्री मूल्य, घटा बिक्री हेतु आवश्यक अनुमानित लागते हैं।

रद्दी माल का मूल्यांकन निवल वसूलयोग्य मूल्य पर किया जाता है।

निवल वसूली योग्य मूल्य पर मालसूची को कम करके लिखे जाने और माल–सूची की सभी हानियों की राशि को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें ऐसा कम करके लिखा जाना या हानि उत्पन्न हुई हो।

11.0 लाभांश

शेयरधारकों को अदा किए गए लाभांश तथा अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जब उन्हें क्रमशः समूह शेयरधारकों तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाए।

12.0 वित्तीय देयताएं

समूह की वित्तीय देयताएं किसी अन्य निकाय को नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति देने अथवा समूह के लिए संभाव्य रूप से प्रतिकूल होने वाली शर्तों के अंतर्गत किसी अन्य निकाय के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के आदान–प्रदान का संविदात्मक दायित्व है।

समूह की वित्तीय देयताओं में ऋण तथा उधार, व्यापार तथा अन्य देय शामिल हैं।

क) वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता तथा मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटा तथा लेन–देन लागतों को उचित मूल्य घटा ऐसी लेन–देन लागतों पर मान्यता

दी जाती है जो सीधे आरोप्य हों तथा जिन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता हो। वित्तीय देयताओं को वर्गीकृत किया जाता है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। प्राप्तियों (लेन–देन लागतों का निवल) और प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के मध्य किसी अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में अथवा किसी परिसंपत्ति की वहनीय राशि में मान्यता प्रदान की जाती है यदि ऐसा अन्य कोई मानक इस प्रकार से ब्याज की प्रभावी दर का उपयोग करते हुए ऋणों की अवधि पर समावेशन की अनुमति देता हो।

ऋणों को वर्तमान देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि समूह के पास रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह हेतु दायित्व के निपटान को निलंबित करने का कोई बिना शर्त अधिकार न हो।

ख) अनुवर्ती मापन

प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, वित्तीय देयताओं को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ तथा हानियों को किसी परिसंपत्ति की वहनीय राशि में लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है, यदि कोई अन्य मानक ऐसे समावेशन की अनुमति देता हो, जब देयताओं को विमान्य किया जाता है और साथ ही साथ ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया चलाई जाती है।

परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और ईआईआर का अभिन्न भाग होने वाले शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ तथा हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

ग) विमान्य करना

किसी वित्तीय देयता को तब विमान्य किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वाहन अथवा निरस्तीरण या समाप्ति होती है। जब किसी विद्यमान वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से व्यापक भिन्न शर्तों पर किसी अन्य से प्रतिस्थापित किया जाता है, अथवा विद्यमान देयता की शर्तें व्यापक रूप से संशोधित की जाती हैं, ऐसे किसी विनिमय या संशोधन को मूल देयता का विमान्यकरण तथा नई देयता को मान्यता प्रदान किया जाना माना जाता है। संबंधित वहनीय राशियों में अंतर को लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

घ) वित्तीय दस्तावेज का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का समायोजन किया जाता है और निवल राशि को तुलन–पत्र में सूचित किया जाता है, यदि मान्यता प्रदान की गई राशियों के निपटान हेतु वर्तमान में लागू किया जा सकने वाला कोई विधिक अधिकार हो तथा निवल आधार पर निपटान की कोई मंशा परिसपंत्तियों को वसूल करने तथा साथ ही साथ देयताओं के निपटान की हो।

ङ) व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज

विदेशी मुद्रा तथा ब्याज दर जोखिम प्रदर्शन के बचाव के लिए समूह द्वारा धारित व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेजों को बचाव के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है तथा लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर लेखांकित किया जाता है। उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

13.0 सरकारी अनुदान

क) बाजार दर से कम ब्याज पर प्राप्त होने वाले सरकारी ऋण के लाभों को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है। ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और मापा जाता है तथा सरकारी अनुदान को ऋण की प्रारंभिक मान्यता प्राप्त राशि तथा प्राप्त की गई प्राप्तियों के मध्य अंतर के रूप में मापा जाता है। बाद में ऋण को वित्तीय देयताओं पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है और सरकारी अनुदान को प्रारंभ में आस्थगित आय तथा बाद में परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर एक व्यवस्थित आधार पर लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सरकार से प्राप्त मौद्रिक अनुदानों को प्रारंभ में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब इसका तर्कसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और समूह अनुदान से संबद्ध स्थितियों का अनुपालन करेगा। इस प्रकार मान्यता प्रदान की गई आस्थगित आय को बाद में संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाता है।

ग) आय से संबंधित सरकारी अनुदान को लाभ एवं हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर उन अवधियों में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें कोई निकाय उन संबंधित लागतों के व्यय के रूप में मान्यता प्रदान करता है जिसके लिए अनुदानों की प्रतिपूर्ति किए जाने की मंशा है।

14.0 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब समूह की किसी विगत गतिविधि के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान विधिक या रचनात्मक बाध्यता हो और यह संभाव्य हो कि आर्थिक लाभ निहित होने वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह दायित्वों के निपटान

हेतु अपेक्षित होगा और दायित्व की राशि से एक विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है। ऐसे प्रावधानों का निर्धारण तुलन–पत्र तिथि को दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित राशि के प्रबंधन के अनुमान के आधार पर किया जाता है। जब किसी तृतीय पक्ष से प्रावधान के निपटान हेतु अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभ वसूल किया जाना प्रत्याशित हो, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है यदि यह पूर्णतः निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति को प्राप्त किया जाएगा और प्राप्ति की राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके। किसी प्रतिपूर्ति के निवल होने वाले प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में अथवा किसी अन्य मानक द्वारा ऐसे समावेशन की अनुमति होने पर परिसंपत्ति के वहन मूल्य में प्रस्तुत किया जाएगा।

ख) यदि राशि का समय मूल्य प्रभाव पूर्ण है, तो प्रावधानों का निर्धारण एक वर्तमान कर–पूर्व दर का उपयोग करते हुए प्रत्याशित भविष्य के नकदी प्रवाहों पर छूट देकर किया जाता है जो देयता के प्रति विशिष्ट होने वाले जोखिमों को प्रदर्शित करता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है तो समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

ग) आकस्मिक देयताएं ऐसी संभावित बाध्यताएं हैं जो पूर्व के किसी क्रियाकलाप के कारण उत्पन्न होती है और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि भविष्य में होने या न होने वाली किसी एक या अधिक घटनाओं द्वारा की जाएगी जो पूरी तरह से समूह के नियंत्रण में नहीं है। जहां यह संभावना न हो कि आर्थिक लाभ का बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा, अथवा राशि का विश्वसनीयतापूर्ण ढंग से अनुमान न लगाया जा सके, बाध्यता को एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्प्रवाह की संभावना सुदूर हो। आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

घ) आकस्मिक परिसंपत्तियां ऐसी संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पूर्व के किसी क्रियाकलाप के कारण उत्पन्न होती है और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि भविष्य में होने या न होने वाली किसी एक या अधिक घटनाओं द्वारा की जाएगी जो पूरी तरह से समूह के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में तब प्रकट किया जाता है जब आवधिक लाभों का अंतर्वाह प्रबंधन के निर्णय के अनुसार संभाव्य है। उनका सतत रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए आकलन किया जाता है कि इन घटनाक्रमों को वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रदर्शित किया जाए।

15.0 राजस्व मान्यता एवं अन्य आय

समूह का राजस्व ऊर्जा की बिक्री तथा व्यापार, परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं, परामर्शी कार्य सेवाओं और अन्य आय से होता है। अन्य आय से राजस्व में बैंकों, कर्मचारियों, संविदाकारों आदि से ब्याज, इक्विटी में निवेश से लाभांश, बांडों में निवेश से ब्याज विलंब से भुगतानों के लिए लाभार्थियों से प्राप्त अधिभार, रद्दी माल की बिक्री, अन्य विविध आय आदि हैं।

क) विद्युत की बिक्री से राजस्व

i) राजस्व उस राशि के आधार पर मापा जाता है जो ग्राहक के साथ संविदा में निर्धारित है अथवा उत्पादों अथवा सेवाओं के लिए विनिमय में प्राप्त किए जाने की उम्मीद है तथा इसमें तीसरे पक्षकारों की ओर से एकत्रित राशि शामिल नहीं है। समूह राजस्व को तब मान्यता देता है जब वह उत्पादों अथवा सेवाओं पर नियंत्रण ग्राहक को अंतरित करता है।

ii) विद्युत की बिक्री से राजस्व (वित्त/प्रचालनात्मक पट्टे के रूप में माने गए पावर स्टेशनों को छोड़कर) लागू सीमा तक विद्युत अपीलीय अधिकरण के आदेश द्वारा यथासंशोधित सीईआरसी (प्रशुल्क के निबंधन एवं शर्तें) विनियामवली, 2019 के तहत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क के अनुसार लेखांकित किया जाता है। जिन पावर स्टेशनों के संबंध में अनंतिम/अंतिम प्रशुल्क अभी अधिसूचित किया जाना है अथवा जहां प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन सीईआरसी (प्रशुल्क के निबंधन एवं शर्तें) विनियामवली के अनुसार लगाए जाने योग्य/देय हैं, वहां राजस्व उस सीमा तक माना जाता है, जहां तक यह अत्यधिक संभव हो कि माने गये संचयी राजस्व की राशि काफी बदलाव नहीं होगा। शीघ्र भुगतान के प्रोत्साहनों के रूप में लाभार्थियों को दी गई छूटें राजस्व की राशि से घटाई जाती हैं।

iii) ग्राहकों के बिल आवधिक और नियमित आधार पर बनाए जाते हैं। चूंकि, प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को विद्युत की बिक्री से राजस्व में ग्राहकों को दिए गए बिक्री के लिए प्रोद्भवन शामिल था, परंतु अभी तक बिल नहीं बनाया गया (बिल रहित राजस्व)।

iv) विदेशी मुद्रा ऋण और आय कर के निमित्त वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा अंतर के निमित्त वसूली/वापसी विनियामक मानदंडों के आधार पर वर्ष दर वर्ष आधार पर मानी जाती है। 31 मार्च, 2009 तक मानी गई आस्थगित कर मदों के निमित्त वसूली उसके वास्तविक होने पर लेखांकित की जाती है।

v) क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने के कारण समायोजन यद्यपि वास्तविक नहीं है, संबंधित अंतिम रूप दिए जाने के वर्ष में प्रभावित किए गए हैं।

vi) 31 मार्च, 2009 तक आस्थगित आय के रूप में मानी गई मूल्यह्रास के विरुद्ध आय (एएडी) पावर स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 12 वर्ष की अवधि के बाद शेष उपयोगी जीवनकाल पर सीधी लाइन आधार पर बिक्री में शामिल है।

ख) परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्यों से राजस्व

i) परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्यों से राजस्व उस आधार पर मापा जाता है जो ग्राहक के साथ संविदा में निर्दिष्ट है अथवा सेवाओं के लिए विनिमय में प्राप्य किए जाने की उम्मीद है तथा तीसरे पक्षकार की ओर से एकत्रित की गई राशि इसमें शामिल नहीं है। समूह इनपुट पद्धति के आधार पर राजस्व को मानता है। इनपुट पद्धति उस निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के अनुसार कुल प्रत्याशित लागतों के संबंध में निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के निमित्त की गई लागतों के आधार पर राजस्व मानती है।

ii) यदि कोई संविदा संशोधन होती हैं तो उनको तब लेखांकित किया जाता है जब उस संविदा के क्षेत्र अथवा कीमत (अथवा दोनों) में परिवर्तन हो जिसको संविदा में पक्षकारों द्वारा अनुमोदित किया गया है और जब किसी संविदा का कोई पक्षकार ऐसा कोई संशोधन अनुमोदित करे जो संविदा के पक्षकारों के मौजूदा लागू होने योग्य अधिकारों और दायित्वों में नए अथवा परिवर्तन करे। संविदाओं में संशोधन के लिए लेखांकन में इस बात का मूल्यांकन करना शामिल होता है कि क्या मौजूदा संविदा में जोड़ी गई सेवाएं भिन्न हैं और क्या कीमत निर्धारण एकल बिक्री कीमत पर है। संविदा संशोधन एकल आधार पर रिकार्ड किए जाते हैं जब संविदा का क्षेत्र आश्वस्त सामानों अथवा सेवाओं के कारण बढ़ता हो अथवा संविदा की कीमत उस राशि तक बढ़ती हो जो अतिरिक्त आश्वस्त सामानों अथवा सेवाओं की समूह की एकल बिक्री कीमत दर्शाए और उस कीमत में कोई उपयुक्त समायोजन संविदा विशेष की परिस्थितियां दर्शाए। जोड़ी गई सेवाओं, जो भिन्न नहीं हैं, संचयी कैचअप आधार पर लेखांकित की जाती हैं, जबकि जो सेवाएं भिन्न हैं वे उसी समय के लिए या तो पृथक संविदा के रूप में, यदि अतिरिक्त सेवाओं की कीमत एकल बिक्री कीमत पर रखी जाती हों, अथवा मौजूदा संविदा की समाप्त पर और यदि एकल बिक्री कीमत पर कीमत नहीं रखी गई तो नई संविदा के सृजन पर लेखांकित की जाती हैं।

ग) विद्युत के व्यापार से राजस्व

i) विद्युत के व्यापार से राजस्व के लिए लेखांकन में यह निर्धारित करने के लिए संविदा की शर्तों का मूल्यांकन शामिल होता है कि क्या समूह के लिए प्रमुख की क्षमता अथवा एक एजेंट के रूप में कार्य करना अपेक्षित है। समूह प्रमुख के स्वरूप में तब कार्य करता है यदि वह विद्युत का नियंत्रण उसे ग्राहक को अंतरित करने से पूर्व ले लेता है। नियंत्रण के संकेतकों में इसका मूल्यांकन शामिल होता है कि क्या समूह विद्युत प्रदान करने के लिए आश्वासन को पूरा करने हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, कीमत स्थापित करना उसका विवेकाधिकार है अथवा क्या वह मालसूची जोखिम रखता है जहां समूह ग्राहक को विद्युत अंतरित करने से पूर्व विद्युत का नियंत्रण प्राप्त नहीं करता और उसका निष्पादन दायित्व किसी अन्य पक्षकार द्वारा विद्युत की आपूर्ति करने के लिए होता है, वहां वह एजेंट के स्वरूप में कार्य करता है।

ii) जहां समूह विद्युत के व्यापार के लिए संविदा में प्रमुख के रूप में कार्य करता है, वहां निष्पादन दायित्व में आबंटित लेन–देन कीमत की राशि, जो कि संतुष्ट होती है, राजस्व के रूप में मानी जाती है।

iii) जहां समूह विद्युत के व्यापार के लिए संविदा में एजेंट के रूप में कार्य करता है, वहां ग्राहक को दी गई विद्युत के लिए आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने के बाद रखी गई निवल राशि प्रचालनों से राजस्व के रूप में मानी जाती है। इन लेन–देनों के कारण होने वाली वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं पृथक नहीं की जाती हैं।

घ) अन्य आय

i) लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब उक्त को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो।

ii) परिशोधित लागत अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए सभी ऋण दस्तावेज हेतु ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो अनुमानित भविष्य के नकदी भुगतान या प्राप्तियों को वित्तीय परिसंपत्ति के प्रत्याशित जीवनकाल के प्रति वित्तीय परिसंपत्ति के सकल वहन मूल्य को सटीक रूप से छूट देती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना किए जाने के समय, समूह वित्तीय दस्तावेज की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए पूर्व भुगतान, विस्तार, आमंत्रण तथा ऐसे अन्य विकल्प) पर विचार करते हुए प्रत्याशित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाता है पर प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को नहीं लेता। ब्याज आय को लाभ एवं हानि विवरण में अन्य आय में शामिल किया जाता है।

iii) विद्युत के व्यापार के लिए संविदाओं से आने वाले ब्याज/अधिभार तथा संविदाकारों को अग्रिम पर परिसमाप्त क्षतियों/ब्याज सहित ग्राहकों से वसूलयोग्य ब्याज/अधिभार तब माना जाता है जब इसकी अत्यधिक संभावना हो कि माने गए राजस्व की राशि में काफी विपरीत परिवर्तन भविष्य में नहीं होगा।

16.0 कर्मचारी लाभ

i) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ दायित्वों का मापन एक छूट रहित आधार पर किया जाता है और इनका व्यय या किसी परिसंपत्ति की वहनीय राशि में तब शामिल किया जाता है यदि कोई अन्य मानक ऐसे समावेशन को अनुमेय करे क्योंकि संबंधित सेवा उपलब्ध करवाई जाती है।

अल्पावधि निष्पादन से संबंधित नकदी बोनस के अंतर्गत अदा किए जाने हेतु प्रत्याशित राशि के दायित्व को तब माना जाता है यदि समूह की कर्मचारी द्वारा पूर्व में प्रदान की गई सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने की वर्तमान में कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता हो और बाध्यता का अनुमान विश्वसनीय ढंग से लगाया जा सके।

ii) निर्धारित अंशदान योजनाएं

कोई निर्धारित अंशदान योजना एक ऐसी रोजगार पश्चात लाभ योजना है जिसके अंतर्गत कोई निकाय पृथक ट्रस्टों में निर्धारित अंशदान का भुगतान करता है और उसकी आगे राशियों के भुगतान हेतु कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता नहीं होती। निर्धारित अशंदान योजनाओं को अंशदानों हेतु देयताओं को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अथवा यदि कोई अन्य मानक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के दौरान ऐसे समावेशन को अनुमेय करता हो तो किसी परिसंपत्ति के वहन मूल्य में शामिल किया जाता है। किसी निर्धारित अशंदान योजना में अंशदान जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के अंत के पश्चात 12 माह से अधिक के लिए देय हैं, उन्हें छूट देकर उनके वर्तमान मूल्य पर लाया जाता है।

पेंशन लाभ तथा सामाजिक सुरक्षा योजना को अंशदान उपलब्ध करवाने के लिए कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना (ईडीसीएसएस) को निर्धारित अंशदान योजना के रूप में लेखांकित किया जाता है।

iii) परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ योजना किसी निर्धारित अंशदान योजना के अतिरिक्त कोई रोजगार पश्चात लाभ योजना है। समूह की उपदान योजना, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस), भविष्य निधि योजना, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और कर्मचारियों की अधिवर्षिता पर स्मृति चिन्ह निर्धारित लाभ योजनाओं की प्रकृति के हैं। कर्मचारियों को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति/नियुक्ति संबंधी भत्ते और स्मृति चिह्न को छोड़कर ये सभी योजनाएं पृथक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित की जाती हैं।

उपदान और सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के संबंध में तुलन–पत्र में मान्यता प्रदान की गई देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य घटा योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य है।

भविष्य निधि योजना के संबंध में, देयता को तुलन–पत्र में माना जाता है जहां रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से अधिक है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य पर योजनागत परिसंपत्तियों के किसी अधिशेष को परिसंपत्ति के रुप में नहीं माना जाता है क्योंकि कंपनी के पास योजना से प्रतिदाय के रूप में या योजना में कम अंशदान के माध्यम से लाभ प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

परिभाषित लाभ दायित्व की गणना वार्षिक रूप से बीमांकक द्वारा प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है।

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संबंधित बाध्यता के संबंध में निकट आ रही अवधियों के लिए लगभग समान अवधि वाले सरकारी बॉण्ड के बाजार मूल्यों के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी बाह्य प्रवाहों को छूट देकर किया जाता है।

निवल ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के निवल शेष और योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर लगाकर की जाती है। इस लागत को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय में शामिल किया जाता है अथवा किसी अन्य मानक के ऐसे समावेशन को अनुमेय करने पर किसी परिसंपत्ति के वहन मूल्य में शामिल किया जाता है।

अनुभव समायोजन तथा बीमांकित अवधारणाओं में परिवर्तन से होने वाले पुनः मापन लाभ (भविष्य निधि योजना के मामले में छोड़कर) तथा हानियों को सीधे ही अन्य व्यापक आय में उनके घटित होने वाली अवधि में मान्यता दी जाती है और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में तथा तुलन–पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है।

iv) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

समूह अवकाश नकदीकरण योजना के अंतर्गत लाभ में अन्य दीर्घावधिक कर्मचारी लाभ शामिल होते हैं।

दीर्घावधिक कर्मचारी लाभों के संबंध में समूह की निवल बाध्यता भविष्य के लाभों की वह राशि है जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान तथा पूर्व की अवधि में अपनी सेवा के एवज में अर्जित किया है। लाभ को इसका वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और किसी संबंधित परिसंपत्ति के उचित मूल्य की कटौती की जाती है। छूट दर रिपोर्टिंग तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों के विद्यमान बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है जिनकी परिपक्वता तिथि समूह की बाध्यता की अवधि के निकट होती हैं। गणना प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है। योजना और बीमांकित लाभों या हानियों में अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति की वहनीय राशि में शामिल किया जाता है यदि कोई अन्य मानक उनके उत्पन्न होने की अवधि में ऐसे समावेश को अनुमेय करते हों।

v) सेवांत लाभ

अनुग्रह राशि भुगतान और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं में नोटिस वेतन के रूप में सीमांत लाभों पर किए गए व्यय को ऐसे व्यय को किए जाने के वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया जाता है।

17.0 ऋण लागतें

ऋण लागत में (क) इंड एएस 109 – "वित्तीय दस्तावेजों" में वर्णित प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके ब्याज व्यय की गणना, (ख) इंड एएस 116 – "पट्टों" के अनुसार मान्यताप्राप्त वित्त पट्टों के संबंध में वित्त प्रभार, और (ग) विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न विनिमय अंतर को ब्याज लागत के समायोजन के संदर्भ की सीमा तक माना जाता है।

ऋण लागतें अधिग्रहण, निर्माण तथा अर्हक परिसंपत्तियों के उत्पादन पर सीधे आरोप्य हैं, वे परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पंजीकृत हैं, जब तक कि वे परिसंपत्तियां उनके इच्छित उपयोग के लिए वास्तव में तैयार नहीं होती हैं। अर्हक परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जिन्हें उनके अभीष्ठ उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयारी के रूप में काफी समय आवश्यक रूप से लग जाता है। अन्य सभी ऋण लागतें उस अवधि में व्यय होती हैं जिसमें वे हुई होती हैं।

जब कंपनी विशेष रूप से अर्हक संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से निधि उधार लेती है, तो उधार ली गई लागत को पंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी आम तौर पर धनराशि उधार लेती है तथा उसे अर्हक परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए उपयोग करती है, ऋण लागत की पूंजीकरण उस अवधि के दौरान बकाया सभी उधार लागतों की गणना करके भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है तथा अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण अथवा इरेक्शन के लिए उपयोग करती है। तथापि, विशेष रूप से अर्हक संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से लिए गए ऋण पर लागू ऋण लागत को इस गणना से बाहर रखा गया है, जब तक कि उस परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक सभी गतिविधियां पूरा नहीं हो जाती हैं।

अर्हक परिसंपत्ति पर उनके व्यय को लंबित ऋण के अस्थायी निवेश पर अर्जित आय के पूंजीकरण के लिए पात्र ऋण लागतों से काट लिया जाता है।

ऋण लागतों का पूंजीकरण तब समाप्त हो जाता है जब अर्हक मूर्त परिसंपत्तियों को उनके वांछित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए आवश्यक होने वाले सभी क्रियाकलाप व्यापक रूप से पूरे हो जाते हैं।

अन्य ऋण लागतों को उस वर्ष में व्यय के रुप में माना जाता है जिसमें वे व्यय की गई हैं।

18.0 मूल्यह्रास तथा परिशोधन

क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर (पीपीई) से वर्ष के दौरान वर्धन/कटौतियों पर मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर उस तिथि से/तक के लिए प्रभारित किया जाता है जिसको परिसंपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध थी।

ख) (i) पावर स्टेशन के उपयोगी जीवनकाल के अंत से पूर्व पांच वर्षों तक पूंजीकृत समूह की प्रचालन यूनिटों की संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर पर मूल्यह्रास सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु अधिसूचित दरों तथा पद्धति का पालन करते हुए सीधी रेखा पद्धति पर लाभ तथा हानि के विवरण को प्रभारित किया जाता है सिवाय नीति संख्या 18.0(घ) में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों हेतु।

(ii) पावर स्टेशन के उपयोगी जीवनकाल के अंतिम पांच वर्षों के दौरान पूंजीकृत संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों पर मूल्यह्रास उस परिसंपत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तारीख से सीईआरसी प्रशुल्क विनियमावली/आदेशों के अनुसार जीवन विस्तार की अवधि के लिए सीधी लाइन पद्धति पर प्रभारित किया जाता है।

(iii) जहां पावर स्टेशन का जीवनकाल और/अथवा दक्षता आधुनिकीकरण एवं पुनरुद्धार के कारण बढ़ाई जाती है, वहां उसके अपरिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि सहित उस पर व्यय संशोधित/शेष उपयोगी जीवनकाल में सीधी लाइन पद्धति पर उसी तारीख से प्रभारित किया जाता है।

ग) (i) समूह की प्रचालन यूनिटों के अतिरिक्त संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर (सिवाय पुराने तथा प्रयुक्त के) पर मूल्यह्रास लागत के 90 प्रतिशत की सीमा से सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु अधिसूचित दरों को अपनाते हुए प्रभारित किया जाता है सिवाय नीति संख्या 18.0(घ) में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों हेतु।

(ii) प्रचालन यूनिटों के अतिरिक्त, पीपीई के पुरानी तथा प्रयुक्त वस्तुओं पर मूल्यह्रास परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक सीधी रेखा पद्धति पर परिसंपत्ति के तकनीकी आकलन के आधार पर निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर किया जाता है।

घ) (i) पीपीई की निम्नलिखित मदों के संबंध में मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में दिए गए जीवन तथा अवशिष्ट मूल्य (5 प्रतिशत) के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है :

– निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी

– कम्प्यूटर तथा सहायक उपस्कर

(ii) प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर, मोबाइल फोनों पर मूल्यह्रास एक रुपए के शेष मूल्य के साथ तीन वर्षों की अवधि में सीधी पद्धति आधार पर प्रदान किया जाता है।

(iii) प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर, रूफ टॉप सौर विद्युत प्रणाली/उपस्कर संबंधी मूल्यह्रास 10 प्रतिशत के अवशिष्ट मूल्य के साथ पच्चीस वर्षों की अवधि में सीधी पद्धति आधार पर प्रदान किया जाता है।

ङ) अस्थायी संस्थापन को एक रूपया डब्ल्यूडीवी के रूप में रखते हुए खरीद/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्णतः (100 प्रतिशत) मूल्यह्रासित किया जाता है।

च) 5,000/– रूपए या उससे कम परन्तु 750/– रूपए से अधिक की मूल्य वाली मूर्त परिसंपत्तियों को 1/– रूपए डब्ल्यूडीवी के साथ उपयोग हेतु उपलब्ध कराए गए वर्ष के दौरान पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है।

छ) निम्न मूल्य वाली मदें जो परिसंपत्ति की प्रकृति की होती हैं (अचल परिसंपत्तियों के अतिरिक्त) और जिनका मूल्य 750/–रूपए तक होता है, उन्हें पूंजीकृत नहीं किया जाता और उपयोग के वर्ष में राजस्व को प्रभारित किया जाता है।

ज) प्रचालन यूनिटों की पट्टाधारी भूमि को पट्टे की अवधि अथवा 40 वर्ष, जो भी कम हो, में सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के माध्यम से अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों को अपनाते हुए परिशोधित किया जाता है।

झ) प्रचालन यूनिटों के अतिरिक्त अन्य यूनिटों के मामले में पट्टाधारी भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 40 वर्ष, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

ञ) पट्टाधारी भूमि पर सृजित मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास उपयोग हेतु ऐसी परिसंपत्ति के उपलब्ध रहने की तिथि से संबंधित भूमि की शेष उपलब्ध पट्टा अवधि की मूल लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक अथवा ऐसा ऐसी परिसंपत्तियों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमनों द्वारा अधिसूचित लागू मूल्यह्रास दरों तथा पद्धति, जो भी अधिक हो, पर किया जाता है।

ट) भूमि – उपयोग के अधिकार का परिशोधन टैरिफ निर्धारण हेतु अधिसूचित सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 30 वर्ष की अवधि पर किया जाता है।

ठ) "अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में मान्यता प्रदान की गई सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति पर उपयोग के विधिक अधिकार की अवधि या तीन वित्तीय वर्ष, जो भी पहले हो, पर इसके अधिग्रहण के वर्ष से प्रारंभ करके किया जाता है।

ड) जहां विनिमय बदलाव, मूल्य समायोजन, मध्यस्थता/अदालती मामलों के निपटान, शुल्कों में परिवर्तन या समान कारकों से वर्ष के दौरान दीर्घावधि देयताओं में वृद्धि/कमी के कारण मूल्यह्रास वाली परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई परिवर्तन हुआ है, वहां ऐसी परिसंपत्तियों के अपरिशोधित शेष का मूल्यह्रास संदर्शी तौर पर ऐसी परिसंपत्तियों के शेष जीवनकाल में सीईआरसी टैरिफ विनियमनों द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दर तथा पद्धतियों पर किया जाएगा।

ढ) संयंत्र तथा मशीनरी के साथ या बाद में खरीद किए गए कलपुर्जे जिन्हें पूंजीकृत किया जाता है तथा ऐसी मद की वहनीय राशि में जोड़ा जाता है, उनका मूल्यह्रास संबंधित संयंत्र तथा मशीनरी के शेष उपयोगी जीवनकाल में सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों पर किया जाता है।

ण) परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल, मूल्यह्रास की पद्धति और शेष मूल्य, जहां मूल्यह्रास प्रबंधन के मूल्यांकन के अनुसार प्रभारित किया जाता है, की समीक्षा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और जहां भी अपेक्षित हो, वहां परिसंपत्ति के शेष जीवनकाल में उसी तारीख में समायोजित की जाती है।

19.0 माल–सूची के अतिरिक्त गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

क. समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इसका आलकन करता है कि क्या इसका कोई संकेत है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद होता है, अथवा जब किसी परिसंपत्ति हेतु वार्षिक क्षति परीक्षण अपेक्षित होता है,

समूह परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पादन यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य घटा निपटान की लागतें तथा उपयोग में इसके मूल्य से अधिक होगी। वसूली योग्य राशि का निर्धारण एक पृथक परिसंपत्ति हेतु किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति से ऐसे नकदी प्रवाह न उत्पन्न हों जो मुख्यतः समूह की अन्य परिसंपत्तियों से व्यापक रूप से स्वतंत्र है। जब किसी परिसंत्ति या सीजीयू की वहनीय राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और उससे उसकी वसूली योग्य राशि तक पश्चलेखित किया जाता है। परिणामी क्षति हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख. उपयोग में मूल्य के आकलन हेतु अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाहों को छूट देकर एक कर पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य तक लाया जाता है जो राशि के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलनों और परिसंपत्ति के विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करता है। निपटान की लागत घटा उचित मूल्य के निर्धारण में हाल के बाजार लेन–देनों पर ध्यान दिया जाता है। यदि ऐसे किसी लेन–देन की पहचान न की जा सके, तो एक उचित मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से व्यापार किए जाने वाली कंपनियों के उद्धृत शेयर मूल्य अथवा अन्य उपलब्ध उचित मूल्य सूचकांकों से पुष्ट किया जाता है।

ग. परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच पर व्यय के मामले में यदि ऐसी किसी परियोजना को परित्याग करने का निर्णय लिया जाता है तो उस पर किए गए व्यय को निर्णय लिए जाने के वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

घ. सर्वेक्षण तथा जांच के अंतर्गत होने वाली कोई परियोजना समुचित प्राधिकारी के आदेश/अदालती आदेश की निषेधाज्ञा के चलते स्थगित रहीं ऐसी परियोजनाओं पर आदेश/अदालत की निषेधाज्ञा की तिथि से किए गए किसी भी व्यय को ऐसे आदेश की तिथि से ऐसे आदेश/निषेधाज्ञा द्वारा परियोजना को स्थगित रखे जाने की अवधि तक लेखाबहियों में उपलब्ध करवाया जाएगा। तथापि, इस प्रकार किए गए प्रावधान को उक्त आदेश/निषेधाज्ञा के वापिस लिए जाने तक प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

ङ. पूर्व की अवधियों में मान्यता दी गई क्षति हानियों का आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ऐसे किसी संकेत हेतु किया जाएगा कि हानि कम हो गई है अथवा अब मौजूद नहीं है। यदि वसूली योग्य राशि के निर्धारण में प्रयुक्त अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ हो तो क्षति हानि को वापिस किया जाता है। किसी क्षति हानि को केवल उस सीमा तक वापिस किया जाता है कि परिसंपत्तियों की वहनीय राशि ऐसी वहनीय राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसे मूल्यह्रास या परिशोधन के निवल पर किसी क्षति हानि को मान्यता न दिए जाने को दर्ज किया जाता।

20.0 आय कर

आय कर व्यय में वर्तमान तथा आस्थगित कर शामिल होते हैं। कर को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है सिवाय उस सीमा के जहां तक यह सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्रदान की गई मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में कर को भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

क) वर्तमान कर

i) वर्तमान कर रिपोर्टिंग तिथि को लागू होने वाले कर नियमों के आधार पर वर्ष हेतु कर योग्य आय पर देय प्रत्याशित कर तथा पिछले वर्षों में देय कर को करों के प्रति अन्य कोई समायोजन है। कर योग्य लाभ, एवं हानि के विवरण में यथासूचित लाभ से भिन्न होते हैं क्योंकि इसमें आय या व्यय की वे मदें शामिल नहीं होती अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य है (अस्थायी अंतर) और आगे इसमें वे मदें भी शामिल नहीं होती जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं है।

ii) लाभांश के वितरण से उत्पन्न अतिरिक्त आय कर को उसी समय मान्यता दी जाती है जब संबंधित लाभांश के भुगतान के दायित्व को माना जाता है।

ख) आस्थगित कर

i) आस्थगित कर को समूह के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों तथा देयताओं की वहनीय राशि के मध्य अस्थायी अंतर के रूप में मान्यता दी जाती है और कर योग्य लाभ की गणना में तदनुरूपी कर आधार का प्रयोग किया जाता है और तुलन–पत्र पद्धति का उपयोग करके लेखांकित किया जाता है। आस्थगित कर देयताओं को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के रूप में मान्यता दी जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सामान्यतः सभी कटौती–योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिट हेतु इस सीमा तक मान्यता प्रदान की जाती है कि यह संभव है कि भविष्य के कर योग्य लाभ उन कटौती योग्य और अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों के प्रति उपलब्ध होंगे और अप्रयुक्त कर ऋणों का उपयोग किया जाएगा। ऐसी परिसंपत्तियों तथा देयताओं को तब मान्यता नहीं दी जाती है यदि किसी लेन–देन में किसी परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता (किसी व्यापार

संयोजन के अतिरिक्त) से अस्थायी अंतर उत्पन्न होते हों जो लेन–देन के समय न तो कर योग्य लाभ एवं हानि और न ही लेखांकन लाभ या हानि को प्रभावित करते हों।

ii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहनीय राशि की प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है और उसे इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नही है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके प्रति अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।

iii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को ऐसी कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू किए जाने की प्रत्याशा हो जिसमें देयता का निपटान या परिसंपत्ति की वसूली की जाएगी, यह तुलन–पत्र तिथि द्वारा अधिनिगमित या व्यापक रूप से बनाई गई कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित होगा। आस्थगित कर देयताओं तथा परिसंपत्तियों का मापन ऐसे कर परिणामों को दर्शाता है जो समूह की प्रत्याशा वाले तरीके से रिपोर्टिंग तिथि को इसकी परिसंपत्तियों तथा देयताओं की वहनीय राशि की वसूली या निपटान करेंगे।

iv) आस्थगित कर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है सिवाय उस सीमा के जहां यह अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में इसे अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

v) आस्थगित आय कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं का निपटान वहां किया जाता है जहां वर्तमान कर परिसंपत्तियों का वर्तमान कर देयताओं से निपटान का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जब आस्थगित आय कर परिसपंत्तियां तथा देयताएं समान कराधान प्राधिकरण द्वारा या तो किसी एक करयोग्य निकाय अथवा विभिन्न करयोग्य निकायों पर लगाए गए आय कर से संबंधित हो तथा जहां निवल आधार पर शेषों के निपटान की मंशा हो।

vi) समायोजन लेखे से आस्थगित कर वसूली को वर्तमान अवधि हेतु आस्थगित कर की सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाएगा जो आगे की अवधियों में वर्तमान कर का हिस्सा होता हो तथा टैरिफ के एक घटक इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) की गणना को प्रभावित करता हो।

vii) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश की वहनीय राशि तथा कर आधार के मध्य अस्थाई अंतरों को वहां पर मान्यता नहीं प्रदान की जाती है जहां समूह अस्थाई अंतरों के प्रत्यावर्तन के समय को नियंत्रित करने में समर्थ हो और यह संभव हो कि अंतरों को निकट भविष्य में वापिस प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा।

viii) जब आय कर सुधारों से संबंधित अनिश्चितता रहती है, तो कंपनी यह आकलन करती है कि क्या कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर सुधार को स्वीकार करने की संभावना है। यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर सुधार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है तो, कर योग्य आय, कर आधारों तथा अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर ऋण पर अनिश्चितता के प्रभाव को मान्यता दी जाती है। अनिश्चितता के प्रभाव को उस पद्धति का प्रयोग करके पहचाना जाता है जो प्रत्येक मामले में, अनिश्चितता के परिणाम को अच्छी तरह दर्शाता है या सबसे अधिक संभावित परिणाम या अपेक्षित मूल्य है। प्रत्येक मामले के लिए, कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर सुधार पर अलग से विचार करना चाहिए, अथवा किसी अन्य या कई अन्य अनिश्चित कर सुधारों के साथ संयोजन के रूप में, इस दृष्टिकोण के आधार पर कि अनिश्चितता के संकल्प का सर्वोत्तम उपसर्ग करता है।

21.0 तृतीय पक्षों से मुआवजा

मदों की क्षति या हानि, बीमा कंपनियों सहित तृतीय पक्षों से मुआवजे के भुगतान हेतु संबंधित दावे और परिसंपत्तियों/माल–सूची की बाद की कोई खरीद या निर्माण पृथक आर्थिक घटनाएं हैं और इन्हें पृथक रूप से लेखांकित किया जाता है।

बीमा कंपनियों सहित तृतीय पक्षों से संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मदों और क्षतिग्रस्त, गुम या छोड़ी गई अन्य मदों हेतु मुआवजे को मुआवजा प्राप्य होने पर लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है। लाभ की हानि हेतु बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

22.0 खंड रिपोर्टिंग

क) इंड एएस 108–प्रचालन खंड के अनुसार खंड सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए गए प्रचालन खंडों की पहचान समूह के प्रबंधन द्वारा आंतरिक रिपोर्टों के उपयोग के आधार पर खंडों को संसाधन के आवंटन तथा उनके निष्पादन हेतु चिन्हित करने के लिए की जाती है। निदेशक मंडल सामूहिक रूप से इंड एएस 108 के अर्थ के भीतर समूह का "मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता" अथवा "सीओडीएम" है।

ख) विद्युत उत्पादन समूह का प्रधान व्यापार क्रियाकलाप है। अन्य प्रचालन यथा संविदाएं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य इंड एएस–108 "प्रचालन खंडों" के अनुसार सूचना योग्य खंड नहीं होते हैं।

ग) समूह का एक एकल भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर अवस्थित हैं।

23.0 पट्टे

दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से, समूह ने संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करके इंड एएस 116 को लागू किया है और इसलिए तुलनात्मक जानकारी को दोहराया नहीं गया है और इंड एएस 17 के अंतर्गत सूचना जारी है। इंड एएस 17 के अंतर्गत लेखा नीतियों का ब्यौरा अलग से दिया गया है, यदि वे इंड एएस 116 के अंतर्गत से अलग हो तथा परिवर्तनों का प्रभाव टिप्पणी 34 में प्रकट किया गया है।

दिनांक 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद, किसी संविदा की शुरूआत में, संविदा को शुरू या उसे बदल दिया गया, समूह यह आकलन करता है कि यह कोई संविदा है या एक पट्टा। एक संविदा वह है जिसमें एक पट्टा शामिल होगा, यदि एक संविदा क्षतिपूर्ति के बदले कुछ समयावधि के लिए किसी अभिचिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रण का अधिकार देती है। यह आकलन करने के लिए कि कोई संविदा किसी अभिचिन्हित संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देती है, समूह यह आकलन करता है कि:

– इस संविदा में किसी अभिचिन्हित परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है – यह स्पष्ट रूप से या अंतर्निहित रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए तथा वास्तविक रूप से अलग अथवा वास्तविक रूप से अलग परिसंपत्ति की सभी क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। अगर आपूर्तिकर्ता के पास पर्याप्त प्रतिस्थापन अधिकार हो तो परिसंपत्ति को अभिचिन्हित नहीं किया गया है;

– समूह को उपयोग की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से जुड़े सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार है; और समूह को संपत्ति के उपयोग से संबंधित निर्देश देने का अधिकार है।

– समूह के पास यह अधिकार तब होता है जब उसके पास निर्णय लेने का अधिकार होता है जो परिसंपत्ति को किस तरह और किस उद्देश्य से उपयोग करने से संबंधित बदलावों पर बहुत अधिक प्रासंगिक है। असाधारण मामलों में, जहां परिसंपत्ति के उपयोग का तरीका और उद्देश्य पूर्व निर्धारित हो, समूह को परिसंपत्ति के उपयोग से संबंधित निर्देश देने का अधिकार है यदि:

- समूह के पास परिसंपत्ति के प्रचालन का अधिकार है; या
- समूह ने परिसंपत्ति की अभिकल्पना इस तरह से की है कि उसके उपयोग का तरीका और उद्देश्य पूर्व निर्धारित हो।

प्रत्येक पट्टा संघटक में संविदा के पुनर्मूल्यांकन या उसके प्रारंभ में, समूह अपनी संबंधित एकल कीमतों के आधार पर प्रत्येक पट्टा संघटक को संविदा में क्षतिपूर्ति आबंटित करता है। तथापि, भूमि और भवनों के पट्टों के लिए जिसमें यह एक पट्टेदार है, समूह ने गैर–पट्टा संघटकों को अलग न करने तथा पट्टा एवं गैर–पट्टा संघटकों को एकल पट्टा संघटक बनाने का चयन किया है।

दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से पहले किए गए अनुबंधों के लिए, समूह ने यह निर्धारित किया है कि क्या इस व्यवस्था में मूल्यांकन के आधार पर एक पट्टा शामिल था यदि:

- व्यवस्था का पूरा होना एक विशिष्ट परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के उपयोग पर निर्भर था; और
- इस व्यवस्था में परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार प्राप्त था।

इसके अतिरिक्त, एक व्यवस्था परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार की सूचना देती है, यदि तथ्यों और परिस्थितियों ने संकेत दिया कि क्रेता के अलावा एक या उससे अधिक पक्षकार तुच्छ से भी अधिक उत्पाद या अन्य यूटिलिटी ले रहा है जो असंबद्ध है तथा व्यवस्था की अवधि के दौरान परिसंपत्ति द्वारा सृजित या उत्पादित है, तथा उत्पाद के वितरण के समय उत्पाद के लिए क्रेता द्वारा भुगतान की गई कीमत न तो संविदात्मक रूप से उत्पाद के प्रति यूनिट पर नियत है या उत्पाद के प्रति यूनिट पर वर्तमान बाजार मूल्य के समान है।

क) पट्टेदार के रूप में समूह

समूह पट्टा शुरू होने की तारीख से परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार और पट्टा देयता को मान्यता देता है। परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार को प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है, जिसमें प्रारंभिक तारीख में या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि शामिल है, साथ ही किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत तथा अंतर्निहित परिसंपत्ति को हटाने तथा उसको तोड़ने की लागत का अनुमान या अंतर्निहित परिसंपत्ति या उस स्थल को पुनर्स्थापित करना, जहां वह स्थित है और उसमें पट्टे से प्राप्त प्रोत्साहन राशि जोड़ी नहीं जाएगी।

राज्य सरकार से उपयोग के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण किए बिना) राहत और पुनर्वास पर खर्च के साथ–साथ भूमि की निकासी के लिए वैकल्पिक सुविधाओं के निर्माण पर या जलमग्नता के अंतर्गत आने वाली मौजूदा सुविधाओं के बदले में और जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के उद्देश्य से भूमि के अधिग्रहण के लिए एक विशिष्ट पूर्व शर्त है, उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति हेतु उत्तरदायी है।

परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार का उपयोगी जीवनकाल समाप्त होने से पहले या पट्टे की अवधि समाप्त होने पर, प्रारंभिक तारीख से सीधी रेखा कार्यपद्धति के आधार पर परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार के मूल्यह्रास का आकलन किया जाता है। परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार के उपयोगी जीवन का निर्धारण संपत्ति तथा उपस्कर के समान आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार आवधिक रूप से हानि यदि कोई हो, द्वारा कम हो जाता है और पट्टा देयता के कुछ पुनर्मापन के लिए समायोजित किया जाता है।

पट्टा देयता को प्रारंभ में पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिनका प्रारंभिक तिथि को भुगतान नहीं हुआ है, पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग रियायती या, यदि उस दर को आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है तो वह समूह की वृद्धिशील उधार दर है। आम तौर पर, समूह अपने वृद्धिशील दर का उपयोग छूट दर के रूप में करता है।

पट्टा देयता के मापन में निहित पट्टा भुगतान में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वास्तविक नियत भुगतान सहित, नियत भुगतान;
- सूची या दर पर निर्भर परिवर्तित पट्टा भुगतान, प्रारंभ में सूची या दर का उपयोग करके शुरूआती तिथि के अनुसार आंका जाता था;
- अपशिष्ट गारंटी मूल्य के अंतर्गत भुगतान हेतु अनुमानित धनराशि; और
- खरीद विकल्प के अंतर्गत इस्तेमाल मूल्य, जो कि समूह लागू करने वाला है, यदि समूह विस्तार विकल्प का उपयोग करने के लिए उचित रूप से आश्वस्त है तो वैकल्पिक नवीकरण अवधि में पट्टा भुगतान तथा जब तक समूह शीघ्र समाप्ति के लिए तैयार नहीं है तब तक पट्टे की शीघ्र समाप्ति हेतु शास्ति।

पट्टा देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इसका पुनर्मापन किसी सूची या दर में परिवर्तन से भावी पट्टा भुगतानों में कोई परिवर्तन आने पर होता है, यदि अपशिष्ट गारंटी मूल्य के अंतर्गत देय समूह के अनुमानित राशि में कोई परिवर्तन आता है, या यदि समूह खरीद, विस्तार या समाप्ति को लागू करने के उसके आकलन में परिवर्तन लाता है।

जब पट्टा देयता का पुनर्मापन किया जाता है, परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार की वहनीय राशि में संगत समायोजन किया जाता है या परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार की वहनीय राशि यदि शून्य हो गयी है तो उसे लाभ हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

समूह निवेश संपत्ति की परिभाषा में न आने वाले परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार को तुलन–पत्र के प्रारंभ में अलग लाइन मद के रूप में प्रस्तुत करता है।

समूह ने परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार तथा 12 माह या उससे कम अवधि के अल्पावधिक पट्टों हेतु पट्टा देयताओं तथा निम्न मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों को मान्यता देने का चयन किया है। समूह इन पट्टों से संबंधित पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि पर सीधी लाइन आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी है।

इंड एएस 17 के तहतः

तुलनात्मक अवधि में, संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के पट्टे, जहां समूह पट्टाधारक है, तथा जिसमें स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा निर्णयों को व्यापक रूप से शामिल किया गया था, उन्हें वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ऐसे वित्त पट्टे सामान्यतः पट्टे की संपत्ति के उचित मूल्य पर पट्टे के प्रारंभ में पूंजीकृत किए जाते थे जो लेन–देन मूल्य अर्थात एकमुश्त भुगतान के समान होता था।

पट्टे जिसमें जोखिम तथा निर्णयों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पट्टाधारक के रूप में समूह को अंतरित नहीं किया जाता था, वह प्रचालन पट्टा था। प्रचालन पट्टों के अंतर्गत किए गए भुगतान को पट्टे की अवधि में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता था।

ख) समूह पट्टादाता के रूप में

जब समूह एक पट्टादाता के रूप में कार्य करता है, यह पट्टे की शुरूआत में निर्धारित करता है कि वह वित्त पट्टा है या प्रचालनात्मक पट्टा। पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब किसी अंतर्निहित

परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी आकस्मिक जोखिम तथा रिवार्ड को पर्याप्त रूप से अंतरित करता है। पट्टे को प्रचालनात्मक पट्टे के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी आकस्मिक जोखिम तथा रिवार्ड का पर्याप्त रूप से अंतरण नहीं करता है।

वित्त पट्टे की प्रकृति वाले निहित पट्टों हेतु संयंत्र में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। न्यूनतम पट्टा भुगतान की पहचान शेष संविदा राशियों से निहित पट्टा भुगतानों को अलग करके की जाती है जिसमें सीईआरसी टैरिफ विनियमों 2004–09 के अनुसार 31 मार्च, 2009 तक मान्यता प्रदान किए गए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी) सहित शेष संविदा राशियां शामिल है और इन्हें आस्थगित आय माना गया है। प्रत्येक पट्टा प्राप्ति को प्राप्य तथा प्रचालनों से राजस्व का भाग बनने वाली वित्तीय पट्टा आय के बीच आवंटित किया जाता है ताकि पट्टा प्राप्य बकाया पर स्थिर आय दर प्राप्त की जा सके।

यदि किसी व्यवस्था में पट्टा और गैर–पट्टा संघटक शामिल हैं, तो समूह संविदा में धनराशि आबंटित करने के लिए इंड एएस 115 लागू करता है।

प्रचालन पट्टों या निहित प्रचालन पट्टों के मामले में प्रचालन पट्टे से पट्टा आय को राजस्व में पट्टा अवधि पर पट्टे वाली परिसंपत्ति से प्राप्त उपयोग लाभ के पैटर्न को दर्शाने के लिए मान्यता प्रदान की गई है। संबंधित पट्टे वाली परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन–पत्र में शामिल किया जाता है तथा उनके आर्थिक जीवनकाल पर इनका मूल्यह्रास किया जाता है।

तुलनात्मक अवधि में पट्टादाता के रूप में समूह पर लागू लेखांकन नीतियां इंड एएस 116 से अलग नहीं थीं।

24.0 व्यावसायिक संयोजन

अधिग्रहण की तिथि, जिस तिथि को नियंत्रण समूह अंतरित किया जाता है, को अधिग्रहण लेखांकन पद्धति का उपयोग करके सहायक कंपनियों और व्यवसायों का अधिग्रहण किया जाता है। इस निधि में प्रत्येक व्यावसायिक समायोजन में हस्तांतरित क्षतिपूर्ति का मापन दी गई परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की तारीख के उचित मूल्यों, समूह द्वारा प्राप्तकर्ता के पूर्व मालिकों को देय देयताओं तथा अधिग्रहण के नियंत्रण के बदले में समूह द्वारा जारी किए गए इक्विटी ब्याज, यदि कोई हो तो, के आधार पर किया जाता है। अधिग्रहित अभिचिन्हित योग्य परिसंपत्तियों और देयताओं को उनके अधिग्रहण की तारीख (उन कुछ परिसंपत्तियों और देयताओं को छोड़कर जिन्हें लागू मानक के अनुसार मापा जाना अपेक्षित है) को उचित मूल्यों पर मान्यता दी है तथा गैर–नियंत्रक ब्याज को प्रारंभ में प्राप्तकर्ता के निवल अभिचिन्हित योग्य परिसंपत्ति के गैर–नियंत्रक ब्याज अनुपात के हिस्से की मान्यता है।

अधिग्रहण संबंधी लागतों को लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है।

अधिग्रहीत अभिचिन्हित योग्य परिसंपत्तियों के निवल उचित मूल्य में समूह के ब्याज पर हस्तांतरित की गई क्षतिपूर्ति की अधिकता के कारण, कल्पित देयताओं तथा मानी गईं आकस्मिक देयताओं को साख को प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है।

अधिग्रहीत अभिचिन्हित परिसंपत्तियों तथा परिकल्पित देयताओं का उचित मूल्य हस्तांतरित क्षतिपूर्ति से अधिक है तो निवल परिसंपत्तियों तथा आकस्मिक देयताओं के उचित मूल्य के पुनः आकलन के बाद, अधिकता को समेकन में आरक्षित पूंजी के रूप में मान्यता दी जाती है।

समान नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले संस्थाओं में ब्याज के अंतरण से उत्पन्न होने वाले व्यापार संयोजन का लेखांकन ब्याज पूलिंग पद्धति हेतु किया जाता है। कोई भी हस्तांतरित क्षतिपूर्ति तथा अधिग्रहीत निकायों की परिसंपत्तियों और देयताओं के समग्र ऐतिहासिक वहनीय मूल्य के बीच का अंतर को शेयरधारकों की इक्विटी में मान्यता दी गई है।

यदि व्यवसाय समायोजन चरणों में हासिल किया जाता है तो अधिग्रहित कंपनी में अधिग्राहक द्वारा पहले से प्राप्त इक्विटी ब्याज के वहनीय मूल्य का अधिग्रहण की तारीख को उचित मूल्य पर पुनर्मापन किया जाता है। इस तरह के पुनर्मापन से होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि या ओसीआई के विवरण, यथाउपयुक्त, के रूप में मान्यता दी जाती है।

25.0 पूर्व अवधि की वास्तविक त्रुटियां

पूर्व अवधि की वास्तविक त्रुटियों को पश्चगामी प्रभाव से त्रुटि होने वाले पूर्व अवधि के प्रस्तुत किए गए विवरणों में तुलनात्मक राशि को पुनः बताकर ठीक किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत नवीनतम अवधि से पहले हुई हो तो नवीनतम अवधि हेतु परिसंपत्तियों, देयताओं तथा इक्विटी के प्रारंभिक शेषों को तब पुनः बताया जाता है जब तक कि यह अव्यवहार्य न हो और ऐसे मामले में तुलनात्मक सूचना को व्यवहार्य नवीनतम तिथि से संदर्शी रूप से नई लेखांकन नीति को लागू करते हुए समायोजित किया जाता है।

26.0 प्रति शेयर अर्जन

(क) प्रति इक्विटी शेयर आधारभूत अर्जन की गणना वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को समूह के इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य निवल लाभ या हानि को भाग देकर की जाती है।

(ख) प्रति इक्विटी शेयर कम आंके गए अर्जन की गणना प्रति इक्विटी शेयर आधारभूत अर्जन निकालने के लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और साथ ही सभी कम किए गए संभाव्य इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को समूह के इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य निवल लाभ या हानि को भाग देकर की जाती है।

(ग) प्रति शेयर इक्विटी मूल और कम किए गए अर्जन को विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन के अतिरिक्त अर्जित राशि का उपयोग करके भी प्रस्तुत किया जाता है।

27.0 नकदी प्रवाह का विवरण

क) नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी प्रवाहों के विवरण में प्रस्तुतीकरण के प्रयोजन हेतु नकदी तथा नकदी समतुल्यों में हस्तगत नकदी, वित्तीय संस्थानों के साथ आमंत्रण पर धारित जमा, अन्य अल्पावधि अत्यधिक नकदी निवेश जिनकी मूल परिपक्वता तीन माह या उससे कम की हैं जो नकदी की ज्ञात राशियों में तत्काल परिवर्तनशील हैं तथा जो मूल्य में परिवर्तन के कम महत्वपूर्ण जोखिम के अधीन हैं तथा बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल है। तथापि, तुलन–पत्र प्रस्तुतीकरण हेतु बैंक ओवरड्राफ्ट को वर्तमान देयताओं के अंतर्गत ऋण में दर्शाया गया है।

ख) नकदी प्रवाह के विवरण को इंड एएस 7 "नकदी प्रवाहों के विवरण" में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है।

28.0 वर्तमान बनाम गैर–वर्तमान वर्गीकरण

समूह तुलन–पत्र में परिसंपत्तियों तथा देयताओं को वर्तमान/गैर–वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करता है।

क) कोई परिसंपत्ति तब वर्तमान है जब यह :

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्त किए जाने या बिक्री अथवा उपभोग किए जाने की मंशा प्रत्याशित है
- मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन हेतु धारित है
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर प्राप्त किए जाने की प्रत्याशा है, अथवा
- नकदी या नकद समतुल्य जब तक कि विनिमय किए जाने से प्रतिबंधित न हो अथवा रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम बारह माह पश्चात किसी दायित्व के निपटान के लिए इन्हें लिया गया हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ख) किसी देयता को तब वर्तमान माना जाता है जब वह :

- सामान्य प्रचालन चक्र में निपटान हेतु प्रत्याशित है
- इसे मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन हेतु धारित किया गया है
- यह रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर निपटाए जाने हेतु देय है, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह हेतु देयता के निपटान को आस्थगित करने का एक बिना शर्त अधिकार है।

अन्य सभी देयताओं को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को गैर वर्तमान परिसंपत्तियों तथा देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

29.0 विविध

क) समान मदों की प्रत्येक वास्तविक श्रेणी को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। असमान प्रकृति या कार्यवाही मदों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गैर–वास्तविक न हो।

ख) मार्गस्थ वस्तुओं/निष्पादित पूंजीगत कार्यों किन्तु प्रमाणित नहीं के लिए देयताओं का प्रावधान समूह द्वारा निरीक्षण तथा स्वीकृति लम्बित होने पर नहीं किया जाता है।

(IV) हाल की लेखांकन घोषणाएं : मानक जारी किंतु अभी प्रभावी नहीं

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने मौजूदा मानकों के संबंध में नए मानक अथवा संशोधन अधिसूचित किए हैं। ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है जो 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगी।

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक						मूल्यह्रास					निवल ब्लाक	
	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकरण	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकरण	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि–फ्रीहोल्ड **(टिप्पणी 2.1.1 और 2.1.2 देखें)**	337.71	-	61.18	0.41	(0.40)	398.08	-	-	-	-	-	398.08	337.71
भूमि–लीजहोल्ड **(टिप्पणी 2.1.8 देखें)**	302.59	(302.59)	-	-	-	-	22.08	(22.08)	-	-	-	-	280.51
सड़कें और पुल	222.58	-	89.80	-	-	312.38	41.11	-	24.62	-	65.73	246.65	181.47
भवन	2,352.06	-	55.61	0.14	(0.23)	2,407.30	354.44	-	86.27	0.06	440.77	1,966.53	1,997.62
भवन – पट्टे के अधीन **(टिप्पणी 2.1.8 देखें)**	17.01	(17.01)	-	-	-	-	0.36	(0.36)	-	-	-	-	16.65
रेलवे साइडिंग्स	16.57	-	-	-	-	16.57	13.09	-	3.47	0.01	16.57	-	3.48
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	16,949.35	-	25.31	1.40	-	16,973.26	3,466.89	-	942.68	(1.14)	4,408.43	12,564.83	13,482.46
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	8,220.79	-	120.29	25.71	(1.72)	8,313.65	1,746.91	-	468.30	(11.42)	2,203.79	6,109.86	6,473.88
संयंत्र तथा मशीनरी – सब–स्टेशन	51.30	-	4.74	0.03	0.01	56.02	11.44	-	2.30	(0.02)	13.72	42.30	39.86
संयंत्र तथा मशीनरी –ट्रांसमिशन लाइनें	70.71	-	0.57	.	(0.20)	71.08	17.46	-	4.84	(0.02)	22.28	48.80	53.25
संयंत्र तथा मशीनरी –अन्य	36.01	-	0.39	0.01	(0.18)	36.21	10.10	-	1.85	(0.02)	11.93	24.28	25.91
निर्माण उपकरण	52.56	-	1.80	0.17	0.27	54.46	19.90	-	4.00	(0.03)	23.87	30.59	32.66
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	52.44	-	2.93	-	-	55.37	8.44	-	2.07	-	10.51	44.86	44.00
विद्युतीय संस्थापनाएं	4.78	-	7.88	0.38	3.90	16.18	0.90	-	0.56	0.16	1.62	14.56	3.88
वाहन	22.45	-	1.04	0.70	-	22.79	6.90	-	1.49	(0.08)	8.31	14.48	15.55
विमान/नौकाएं	1.92	-	.	0.01	-	1.91	0.31	-	0.15	0.01	0.47	1.44	1.61
फर्नीचर और फिक्सचर	36.11	-	2.03	0.12	-	38.02	9.57	-	2.30	(0.04)	11.83	26.19	26.54
कम्प्यूटर	39.20	-	7.28	0.82	0.02	45.68	24.24	-	6.42	(0.47)	30.19	15.49	14.96
संचार उपकरण	11.82	-	0.59	0.15	-	12.26	3.10	-	0.68	(0.08)	3.70	8.56	8.72
कार्यालय उपकरण	105.37	-	7.74	0.93	(3.29)	108.89	29.85	-	6.69	(0.48)	36.06	72.83	75.52
कुल	**28,903.33**	**(319.60)**	**389.18**	**30.98**	**(1.82)**	**28,940.11**	**5,787.09**	**(22.44)**	**1,558.69**	**(13.56)**	**7,309.78**	**21,630.33**	**23,116.24**
विगत वर्ष	23,484.31	-	5,451.29	15.91	(16.36)	28,903.33	4,206.58	-	1,604.20	(23.69)	5,787.09	23,116.24	

टिप्पणी :–

2.1.1 क) 1458.55 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1458.55 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 6.51 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 6.51 करोड़ रूपए) राशि की फ्री–होल्ड भूमि को राजस्व रिकार्डों में जम्मू एवं कश्मीर सरकार के माध्यम से भारत सरकार के पक्ष में दर्ज किया गया है जो सलाल पावर स्टेशन (एनएचपीसी लिमिटेड का एक पावर स्टेशन) के कब्जे में है। तथापि, 0.10 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 0.10 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 0.0004 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 0.0004 करोड़ रूपए) राशि की फ्री–होल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलेख अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।

ख) तथापि अन्य यूनिटों के संबंध में, 143.38 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 109.75 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 20.47 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 6.73 करोड़ रूपए) राशि की फ्री–होल्ड भूमि संबंधी स्वामित्व विलेख/स्वामित्व अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।

2.1.2 फ्री–होल्ड भूमि में किराये के रूप में 100 रुपए प्रति वर्ष की राशि के लिए लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) (एनएचपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) द्वारा प्रयुक्त की जा रही भूमि का 8 हेक्टेयर (पूर्व वर्ष में 8 हेक्टेयर) शामिल है।

2.1.3 सकल ब्लाक के समायोजन में विदेशी विनिमय दर परिवर्तन, परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभारित तथा पूंजीकृत मूल्यह्रास शामिल है। (एफईआरवी समायोजन के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(8) देखें)

2.1.4 सेवा– II, किशनगंगा, चमेरा– III, तीस्ता लो डैम– III, उड़ी–II और तीस्ता लो डैम–IV पावर स्टेशनों के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन पावर स्टेशनों पर किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।

2.1.5 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(11) देखें।

2.1.6 अनंतिम आधार पर पूंजीकृत परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी हेतु समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(5) देखें।

2.1.7 परिसंपत्तियों की हानि से संबंधित जानकारी हेतु समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(19) देखें।

2.1.8 319.60 करोड़ रुपए की राशि को भूमि – लीजहोल्ड, भवन – लीजहोल्ड में पुर्नवर्गीकृत किया गया है और इंड एएस–116 के कारण तुलन–पत्र पर परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार के रुप में प्रस्तुत किया गया है। इंड एएस–116 के तहत अतिरिक्त प्रकटन के लिए टिप्पणी सं. 34(18) देखें।

2.1.9 थंगाल गांव में 3835 वर्ग फुट माप वाली भूमि का एक टुकड़ा थंगाल गांव के प्राधिकारियों द्वारा एनएचपीसी लिमिटेड को दान में दिया गया था। उक्त भूमि को उस पर निर्मित अस्थायी शेड के साथ अधिनिगमन के समय लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी) को अंतरित किया गया था। भूमि समूह के कब्जे में है परंतु इसे कोई मूल्य प्रदान नहीं किया गया है।

2.1.10 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई) के अतिरिक्त प्रकटन परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास इस टिप्पणी के अनुबंध–। में उपलब्ध करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणी सं. 2.1 का अनुबंध–I संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का अतिरिक्त प्रकटन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक						मूल्यह्रास					निवल ब्लाक	
	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकरण	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकरण	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि–फ्रीहोल्ड	337.71	-	61.18	0.41	(0.40)	398.08	-	-	-	-	-	398.08	337.71
भूमि–लीजहोल्ड	316.00	(316.00)	-	-	-	-	35.49	(35.49)	-	-	-	-	280.51
सड़कें और पुल	316.30	-	89.80	-	-	406.10	134.83	-	24.62	-	159.45	246.65	181.47
भवन	3,079.01	-	55.61	0.59	(0.29)	3,133.74	1,081.39	-	86.27	(0.45)	1,167.21	1,966.53	1,997.62
भवन – उपयोग का अधिकार	17.01	(17.01)	-	-	-	-	0.36	(0.36)	-	-	-	-	16.65
रेलवे साइडिंग्स	36.10	-	-	-	-	36.10	32.62	-	3.47	0.01	36.10	-	3.48
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	22,895.92	-	25.31	1.41	0.01	22,919.83	9,413.46	-	942.68	(1.14)	10,355.00	12,564.83	13,482.46
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	11,202.45	-	120.29	27.23	(1.79)	11,293.72	4,728.57	-	468.30	(13.01)	5,183.86	6,109.86	6,473.88
संयंत्र तथा मशीनरी – सब–स्टेशन	102.93	-	4.74	0.18	0.02	107.51	63.07	-	2.30	(0.16)	65.21	42.30	39.86
संयंत्र तथा मशीनरी –ट्रांसमिशन लाइनें	97.90	-	0.57	-	(0.20)	98.27	44.65	-	4.84	(0.02)	49.47	48.80	53.25
संयंत्र तथा मशीनरी –अन्य	52.32	-	0.38	0.01	(0.16)	52.53	26.41	-	1.85	(0.01)	28.25	24.28	25.91
निर्माण उपकरण	112.70	-	1.80	1.49	0.34	113.35	80.04	-	4.00	(1.28)	82.76	30.59	32.66
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	62.24	-	2.93	0.01	-	65.16	18.24	-	2.07	(0.01)	20.30	44.86	44.00
विद्युतीय संस्थापनाएं	5.99	-	7.89	0.40	3.89	17.37	2.11	-	0.56	0.14	2.81	14.56	3.88
वाहन	33.51	-	1.04	1.41	-	33.14	17.96	-	1.49	(0.79)	18.66	14.48	15.55
विमान/नौकाएं	2.19	-	-	0.03	(0.01)	2.15	0.58	-	0.15	(0.02)	0.71	1.44	1.61
फर्नीचर और फिक्सचर	60.73	-	2.03	0.37	-	62.39	34.19	-	2.30	(0.29)	36.20	26.19	26.54
कम्प्यूटर	69.76	-	7.28	3.32	0.01	73.73	54.80	-	6.42	(2.98)	58.24	15.49	14.96
संचार उपकरण	17.61	-	0.59	0.21	-	17.99	8.89	-	0.68	(0.14)	9.43	8.56	8.72
कार्यालय उपकरण	162.42	-	7.74	2.15	(3.29)	164.72	86.90	-	6.69	(1.70)	91.89	72.83	75.52
कुल	**38,980.80**	**(333.01)**	**389.18**	**39.22**	**(1.87)**	**38,995.88**	**15,864.56**	**(35.85)**	**1,558.69**	**(21.85)**	**17,365.55**	**21,630.33**	**23,116.24**
विगत वर्ष	33,625.87	-	5,451.29	30.23	(66.13)	38,980.80	14,348.14	-	1,604.20	(87.78)	15,864.56	23,116.24	

व्याख्यात्मक टिप्पणीः–

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में "भूमि – उपयोग का अधिकार" पर सृजित, 10491.91 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 10508.57 करोड़ रुपए) राशि के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					संचयी मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2018 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2019 को	01.04.2018 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2019 को	31.03.2019 को	31.03.2018 को
भूमि–फ्रीहोल्ड	319.40	12.16	0.01	6.16	337.71	-	-	-	-	337.71	319.40
भूमि–लीजहोल्ड	327.43	0.02	-	(24.86)	302.59	35.29	11.65	(24.86)	22.08	280.51	292.14
सड़कें और पुल	215.84	6.67	0.15	0.22	222.58	27.85	10.20	3.06	41.11	181.47	187.99
भवन	2,019.98	331.94	0.74	0.88	2,352.06	259.50	94.27	0.67	354.44	1,997.62	1,760.48
भवन – पट्टे के अधीन	-	17.01	-	-	17.01	-	0.36	-	0.36	16.65	-
रेलवे साइडिंग्स	16.58	-	0.01	-	16.57	7.41	5.68	-	13.09	3.48	9.17
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	12,925.66	4,025.59	3.44	1.54	16,949.35	2,502.38	965.12	(0.61)	3,466.89	13,482.46	10,423.28
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	7,213.74	1,017.32	9.24	(1.03)	8,220.79	1,267.41	481.48	(1.98)	1,746.91	6,473.88	5,946.33
संयंत्र तथा मशीनरी – सब–स्टेशन	49.49	2.04	0.01	(0.22)	51.30	9.23	2.43	(0.22)	11.44	39.86	40.26
संयंत्र तथा मशीनरी –ट्रांसमिशन लाइनें	68.93	1.61	-	0.17	70.71	12.70	4.59	0.17	17.46	53.25	56.23
संयंत्र तथा मशीनरी –अन्य	32.82	3.39	0.11	(0.09)	36.01	8.16	2.06	(0.12)	10.10	25.91	24.66
निर्माण उपकरण	50.80	2.15	0.19	(0.20)	52.56	16.16	3.94	(0.20)	19.90	32.66	34.64
जलापूर्ति प्रणाली / नालियां और सीवर प्रणाली	47.09	5.29	0.06	0.12	52.44	6.15	2.18	0.11	8.44	44.00	40.94
विद्युतीय संस्थापनाएं	4.34	0.42	0.05	0.07	4.78	0.54	0.31	0.05	0.90	3.88	3.80
वाहन	22.26	0.48	0.26	(0.03)	22.45	5.17	1.82	(0.09)	6.90	15.55	17.09
विमान / नौकाएं	0.89	1.05	0.01	(0.01)	1.92	0.19	0.13	(0.01)	0.31	1.61	0.70
फर्नीचर और फिक्सचर	33.28	2.77	0.16	0.22	36.11	6.95	2.43	0.19	9.57	26.54	26.33
कम्प्यूटर	33.93	5.83	0.46	(0.10)	39.20	18.14	6.45	(0.35)	24.24	14.96	15.79
संचार उपकरण	10.80	1.14	0.31	0.19	11.82	2.22	0.81	0.07	3.10	8.72	8.58
कार्यालय उपकरण	34.42	4.05	0.43	0.27	38.31	7.74	3.04	0.16	10.94	27.37	26.68
अनुसंधान और विकास उपकरण	0.73	-	-	-	0.73	0.25	0.08	-	0.33	0.40	0.48
अन्य परिसंपत्तियां	52.67	9.19	0.23	0.10	61.73	9.92	4.03	0.04	13.99	47.74	42.75
गौण मूल्य की मूर्त परिसंपत्तियां >750 और <5000 रुपए।	3.23	1.17	0.04	0.24	4.60	3.22	1.14	0.23	4.59	0.01	0.01
कुल	**23,484.31**	**5,451.29**	**15.91**	**(16.36)**	**28,903.33**	**4,206.58**	**1,604.20**	**(23.69)**	**5,787.09**	**23,116.24**	**19,277.73**
विगत वर्ष	23,033.16	462.59	12.40	0.96	23,484.31	2,781.43	1,422.46	2.69	4,206.58	19,277.73	

टिप्पणी : संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई) के अतिरिक्त प्रकटन परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार हैं और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास इस टिप्पणी के अनुबंध–I में उपलब्ध करवाए गए अनुसार है। अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों हेतु इन्हें टिप्पणी 2.1 के अनुबंध–I में बताया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 का अनुबंध– I संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का अतिरिक्त प्रकटन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2018 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2019 को	01.04.2018 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2019 को	31.03.2019 को	31.03.2018 को
भूमि–फ्रीहोल्ड **(टिप्पणी सं 2.1.1 और 2.1.2 देखें)**	319.40	12.16	0.01	6.16	337.71	-	-	-	-	337.71	319.40
भूमि–लीजहोल्ड **(टिप्पणी सं 2.1.1 और 2.1.3 देखें)**	370.77	0.02	-	(54.79)	316.00	78.63	11.65	(54.79)	35.49	280.51	292.14
सड़कें और पुल	313.07	6.67	0.26	(3.18)	316.30	125.08	10.20	(0.45)	134.83	181.47	187.99
भवन	2,760.97	331.94	2.49	(11.41)	3,079.01	1,000.49	94.27	(13.37)	1,081.39	1,997.62	1,760.48
भवन – पट्टे के अधीन **(34(18ख) देखें)**	-	17.01	-	-	17.01	-	0.36	-	0.36	16.65	-
रेलवे साइडिंग्स	36.13	-	0.03	-	36.10	26.96	5.68	(0.02)	32.62	3.48	9.17
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	18,876.49	4,025.59	8.00	1.84	22,895.92	8,453.21	965.12	(4.87)	9,413.46	13,482.46	10,423.28
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	10,194.07	1,017.32	9.47	0.53	11,202.45	4,247.74	481.48	(0.65)	4,728.57	6,473.88	5,946.33
संयंत्र तथा मशीनरी – सब–स्टेशन	101.19	2.04	0.10	(0.20)	102.93	60.93	2.43	(0.29)	63.07	39.86	40.26
संयंत्र तथा मशीनरी –ट्रांसमिशन लाइनें	96.34	1.61	-	(0.05)	97.90	40.11	4.59	(0.05)	44.65	53.25	56.23
संयंत्र तथा मशीनरी –अन्य	49.80	3.39	0.43	(0.44)	52.32	25.14	2.06	(0.79)	26.41	25.91	24.66
निर्माण उपकरण	113.37	2.15	1.67	(1.15)	112.70	78.73	3.94	(2.63)	80.04	32.66	34.64
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	57.05	5.29	0.08	(0.02)	62.24	16.11	2.18	(0.05)	18.24	44.00	40.94
विद्युतीय संस्थापनाएं	5.64	0.42	0.07	-	5.99	1.84	0.31	(0.04)	2.11	3.88	3.80
वाहन	34.78	0.48	1.06	(0.69)	33.51	17.69	1.82	(1.55)	17.96	15.55	17.09
विमान/नौकाएं	1.15	1.05	0.01	-	2.19	0.45	0.13	-	0.58	1.61	0.70
फर्नीचर और फिक्सचर	58.77	2.77	0.31	(0.50)	60.73	32.44	2.43	(0.68)	34.19	26.54	26.33
कम्प्यूटर	67.97	5.81	3.11	(0.91)	69.76	52.18	6.45	(3.83)	54.80	14.96	15.79
संचार उपकरण	17.13	1.16	0.65	(0.03)	17.61	8.55	0.81	(0.47)	8.89	8.72	8.58
कार्यालय उपकरण	54.72	4.05	1.08	(0.20)	57.49	28.04	3.04	(0.96)	30.12	27.37	26.68
अनुसंधान और विकास उपकरण	1.35	-	-	-	1.35	0.87	0.08	-	0.95	0.40	0.48
अन्य परिसंपत्तियां	76.94	9.19	0.86	(0.64)	84.63	34.19	4.03	(1.33)	36.89	47.74	42.75
गौण मूल्य की मूर्त परिसंपत्तियां >750 और <5000 रुपए।	18.77	1.17	0.54	(0.45)	18.95	18.76	1.14	(0.96)	18.94	0.01	0.01
कुल	**33,625.87**	**5,451.29**	**30.23**	**(66.13)**	**38,980.80**	**14,348.14**	**1,604.20**	**(87.78)**	**15,864.56**	**23,116.24**	**19,277.73**
विगत वर्ष	33,190.52	462.59	28.19	0.95	33,625.87	12,938.79	1,422.46	(13.11)	14,348.14	19,277.73	

व्याख्यात्मक टिप्पणी :–

2.1.1 क) 1458.55 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1485.19 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 6.51 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 6.51 करोड़ रूपए) राशि की फ्री–होल्ड भूमि को राजस्व रिकार्डों में जम्मू एवं कश्मीर सरकार के माध्यम से भारत सरकार के पक्ष में दर्ज किया गया है जो सलाल पावर स्टेशन (एनएचपीसी लिमिटेड का एक पावर स्टेशन) के कब्जे में है। तथापि, 0.10 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 4.76 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 0.0004 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 0.10 करोड़ रूपए) राशि की फ्री–होल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलेख अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।

ख) अन्य यूनिटों के संबंध में, 109.75 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 125.03 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 6.73 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 0.52 करोड़ रूपए) राशि की फ्री–होल्ड भूमि संबंधी स्वामित्व विलेख/स्वामित्व और 519.68 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 870.87 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 251.28 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 306.08 करोड़ रूपए) राशि की लीजहोल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलेख अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।

ग) "पट्टे के अधीन भवन" वर्ष के दौरान अधिग्रहीत 17.01 करोड़ रुपए की राशि के किदवईनगर, नई दिल्ली में 5001 वर्गफीट का भवन स्थल दर्शाता है। उसके संबंध में पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है।

2.1.2 फ्री–होल्ड भूमि में किराये के रूप में 100 रुपए प्रति वर्ष की राशि के लिए लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) (एनएचपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) द्वारा प्रयुक्त की जा रही भूमि का 8 हेक्टेयर (पूर्व वर्ष में 8 हेक्टेयर) शामिल है।

2.1.3 भूमि – लीजहोल्ड भूमि के अंतर्गत सुबनसिरी अपर परियोजना के लिए 1 रुपए प्रति वर्ष के नाममात्र किराये पर 99 वर्ष के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से पट्टे पर ली गई 2.72 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2.72 हेक्टेयर) भूमि शामिल है। इस क्षेत्र में से, 1.06 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1.06 हेक्टेयर) भारत तिब्बत सीमा बल पुलिस (आईटीबीपी) को सौंपी गई है।

2.1.4 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित 10508.57 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 6302.08 करोड़ रुपए) मूल्य के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अतर्गत दर्शाया गया है।

2.1.5 सकल ब्लाक के समायोजन में विदेशी विनिमय दर परिवर्तन, परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभारित तथा पूंजीकृत मूल्यह्रास शामिल है।

2.1.6 सेवा–II, चमेरा– III, तीस्ता लो डैम– III, उड़ी–II और तीस्ता लो डैम–IV पावर स्टेशनों के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन पावर स्टेशनों पर वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।

2.1.7 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34(11) देखें।

2.1.8 थंगाल गांव में 3835 वर्ग फुट माप वाली भूमि का एक टुकड़ा थंगाल गांव के प्राधिकारियों द्वारा एनएचपीसी लिमिटेड को दान में दिया गया था। उक्त भूमि को उस पर निर्मित अस्थायी शेड के साथ अधिनिगमन के समय लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी) को अंतरित किया गया था। भूमि समूह के कब्जे में है परंतु इसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है।

2.1.9 समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं 34(5), 34(19) और 34(33) देखें।

टिप्पणी सं. 2.2 : चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	01.04.2019 के अनुसार	अभिवृद्धि	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2020 के अनुसार
सड़कें और पुल	92.99	50.55	0.01	88.80	54.75
भवन	911.04	151.18	2.11	61.51	1,002.82
भवन – पट्टे के अधीन	-	-	-	-	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	4,520.39	1,129.18	6.12	17.80	5,637.89
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,584.49	323.49	0.48	68.55	2,839.91
संयंत्र तथा मशीनरी – सब–स्टेशन	2.98	1.31	.	4.29	-
संयंत्र तथा मशीनरी –ट्रांसमिशन लाइनें	1.28	5.78	(0.01)	0.90	6.15
संयंत्र तथा मशीनरी –अन्य	0.01	0.49	(0.01)	-	0.49
निर्माण उपकरण	-	0.02	-	0.02	-
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	1.93	2.80	-	1.78	2.95
संस्थापना की प्रतीक्षा कर रही अन्य आस्तियां	12.44	46.08	(0.46)	39.93	18.13
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	175.22	10.65	(2.82)	-	183.05
प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	15.94	0.01	-	-	15.95
निर्माण पर आरोप्य व्यय **(टिप्पणी सं. 32 देखें)**	7,281.55	887.62	(6.28)	13.12	8,149.77
उप जोड़	**15,600.26**	**2,609.16**	**(0.86)**	**296.70**	**17,911.86**
घटाएं : प्रावधान किए गए चल रहे पूंजीगत कार्य **(टिप्पणी सं. 2.2.2 देखें)**	668.87	154.73	(2.82)	-	820.78
उप जोड़ (क)	**14,931.39**	**2,454.43**	**1.96**	**296.70**	**17,091.08**
निर्माण भंडार	107.82		(17.15)		90.67
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	2.41		(1.07)		1.34
उप जोड़ (ख)	**105.41**		**(16.08)**		**89.33**
कुल	**15,036.80**	**2,454.43**	**(14.12)**	**296.70**	**17,180.41**
पिछले वर्ष	19,086.74	1,545.67	(84.71)	5,510.90	15,036.80

व्याख्यात्मक टिप्पणी:–

2.1.1 निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी) में ऋण लागत के निमित्त शामिल 661.15 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 367.95 करोड़ रुपए) को अवधि के दौरान पूंजीकृत किया गया है **(टिप्पणी सं. 32 भी देखें)।**

2.1.2 चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत 119.54 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 151.75 करोड़ रूपए) के सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्शी एवं पर्यवेक्षण प्रभारों सहित परियोजनाओं पर 1141.05 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1422.80 करोड़ रूपए) का संचयी व्यय शामिल है। इसमें से, 43.52 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 43.52 करोड़ रूपए) की राशि सुबनसिरी अपर परियोजना से संबंधित है, जिसे अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी विकासकर्ता को सौंपने का निर्णय लिया गया था। तथापि, परियोजना को सौंपने और इस पर किए गए व्यय की वसूली लम्बित होने तक, पर्याप्त पूर्व–सावधानी के तौर पर बहियों में यह राशि पहले ही उपलब्ध करवाई गई है। कंपनी के पास होने वाली परियोजनाओं से संबंधित 1097.53 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1379.28 करोड़ रूपए) के शेष में से, 777.26 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 625.35 करोड़ रूपए) की राशि को उपलब्ध करवाया गया है जहाँ अनिश्चितताएं शामिल हैं और 320.27 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 753.93 करोड़ रूपए) अन्य परियोजनाओं से संबंधित है जहाँ स्वीकृति प्राप्त करने की तर्कसंगत निश्चितता है तथा उन्हें अग्रेणीत किया गया है **(टिप्पणी सं. 34(25), 34(26) और 34(28) भी देखें)।**

2.2.3 सियांग बेसिन, सुबनसिरी बेसिन और दिबांग बहु–उद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा निपटान लंबित रहते, इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को लेखांकित किया गया है। सियांग लोअर और सियोम जलविद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबनसिरी मिडल (सुबनसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासकर्ता को सौंपी जा चुकीं हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के लेखाओं के निपटान से उत्पन्न होने वाली देयता संबंधित निजी विकासकर्ता से वसूल की जाएगी।

2.2.4 "भूमि – उपयोग का अधिकार" पर सृजित, 2234.15 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2172.97 करोड़ रुपए) राशि के भूमिगत कार्य चल पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंधित शीर्षों के अंतर्गत शामिल हैं।

2.2.5 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के पास रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 34(11) देखें।

2.2.6 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय के साथ संशोधन होते हैं क्योंकि जलविद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती है और कुछ में परिकल्पित समय से अधिक समय लगता है। इसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते, किए गए व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्यों (सीडब्ल्यूआईपी) में अग्रेणीत किया गया है।

2.2.7 अनंतिम आधार पर पूंजीकृत परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी हेतु समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(5) देखें।

2.1.8 परिसंपत्तियों की हानि से संबंधित जानकारी हेतु समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(19) देखें।

2.2.9 चल रहे पूंजीगत कार्य में सुबनसिरी लोअर परियोजना, जहां दिसंबर, 2011 से सितंबर, 2019 तक निर्माण क्रियाकलापों में बाधा के बाद सक्रिय निर्माण अक्तूबर, 2019 से फिर से शुरु हो गया है, के संबंध में 7263.48 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष में 6317.39 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

टिप्पणी सं. 2.2 : चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	01.04.2018 के अनुसार	अभिवृद्धि	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2019 के अनुसार
सड़कें और पुल	98.56	4.23	-	9.80	92.99
भवन	1,157.35	52.72	(32.06)	266.97	911.04
भवन – पट्टे के अधीन	-	17.01	-	17.01	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	7,226.04	500.18	-	3,205.83	4,520.39
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,185.16	139.62	(0.09)	740.20	2,584.49
संयंत्र तथा मशीनरी – सब–स्टेशन	28.05	1.47	(10.08)	16.46	2.98
संयंत्र तथा मशीनरी –ट्रांसमिशन लाइनें	1.76	0.60	-	1.08	1.28
संयंत्र तथा मशीनरी –अन्य	0.50	-	(0.49)	-	0.01
निर्माण उपकरण	-	-	-	-	-
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	3.62	3.43	(0.12)	5.00	1.93
संस्थापना की प्रतीक्षा कर रही अन्य आस्तियां	9.38	29.83	(0.02)	26.75	12.44
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	304.91	6.93	(0.24)	136.38	175.22
प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	15.94	-	-	-	15.94
निर्माण पर आरोप्य व्यय **(टिप्पणी सं. 32 देखें)**	7,516.80	850.17	-	1,085.42	7,281.55
उप जोड़	**19,548.07**	**1,606.19**	**(43.10)**	**5,510.90**	**15,600.26**
घटाएं : प्रावधान किए गए चल रहे पूंजीगत कार्य **(टिप्पणी सं 2.2.2 देखें)**	608.35	60.52	.	.	668.87
उप जोड़ (क)	**18,939.72**	**1,545.67**	**(43.10)**	**5,510.90**	**14,931.39**
निर्माण भंडार	148.26		(40.44)		107.82
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	1.24		1.17		2.41
उप जोड़ (ख)	**147.02**		**(41.61)**		**105.41**
कुल	**19,086.74**	**1,545.67**	**(84.71)**	**5,510.90**	**15,036.80**
पिछले वर्ष	17,587.59	1,891.31	33.37	425.53	19,086.74

व्याख्यात्मक टिप्पणी:–

2.1.1 निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी) में ऋण लागत के निमित्त शामिल 367.95 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 388.68 करोड़ रुपए) को अवधि के दौरान पूंजीकृत किया गया है **(टिप्पणी सं. 32 भी देखें)।**

2.1.2 चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 1422.80 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1290.74 करोड़ रूपए) का संचयी व्यय शामिल है। इसमें से, 43.52 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 43.52 करोड़ रूपए) की राशि सुबनसिरी अपर परियोजना से संबंधित है, जिसे अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी विकासकर्ता को सौंपने का निर्णय लिया गया था। तथापि, परियोजना को सौंपने और इस पर किए गए व्यय की वसूली लम्बित होने तक पर्याप्त पूर्व–सावधानी के तौर पर बहियों में यह राशि पहले ही उपलब्ध करवाई गई है। कंपनी के पास होने वाली परियोजनाओं से संबंधित 1379.28 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1247.22 करोड़ रूपए) के शेष में से, 625.35 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 564.83 करोड़ रूपए) की राशि को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में उपलब्ध करवाया गया है जहाँ अनिश्चितताएं शामिल हैं और 753.93 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 682.39 करोड़ रूपए) अन्य परियोजनाओं से संबंधित है जहाँ स्वीकृति प्राप्त करने की तर्कसंगत निश्चितता है तथा उन्हें अग्रेणीत किया गया है **(टिप्पणी सं. 34(25), 34(26) और 34(28) भी देखें)।**

2.2.3 सियांग बेसिन, सुबनसिरी बेसिन और दिबांग बहु–उद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा निपटान लंबित रहते, इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को लेखाओं में लिया गया है। सियांग लोअर और सियोम जलविद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबनसिरी मिडल (सुबनसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासकर्ता को सौंपी जा चुकीं हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के लेखाओं के निपटान से उत्पन्न होने वाली देयता संबंधित निजी विकासकर्ता से वसूल की जाएगी।

2.2.4 "भूमि – उपयोग का अधिकार" पर सृजित, 2172.97 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 5177.50 करोड़ रुपए) राशि के भूमिगत कार्य चल पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंधित शीर्षों के अंतर्गत शामिल हैं।

2.2.5 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के पास रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34(11) देखें।

2.2.6 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय के साथ संशोधन होते हैं क्योंकि जलविद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती है और कुछ में परिकल्पित से अधिक समय लगता है। इसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते, किए गए व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्यों (सीडब्ल्यूआईपी) में अग्रेणीत किया गया है।

2.2.7 चल रहे पूंजीगत कार्य में सुबनसिरी लोअर परियोजना, जहां निर्माण क्रियाकलाप डैम-विरोधी आंदोलनकारियों के विरोध के कारण 16.12.2011 से बाधित हो गए हैं और मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण में लंबित है, के संबंध में 6638.37 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष में 6317.39 करोड़ रुपए) का संचयी व्यय शामिल है **(टिप्पणी सं. 34(23क) देखें)।**

2.2.8 समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(5), 34(19), 34(27) और 34(29) देखें।

टिप्पणी संख्या 2.3 परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक						मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लाक		
	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकरण	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकरण	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि – लीजहोल्ड (टिप्पणी 2.3.1 देखें)	9.50	302.59	5.30	-	-	317.39	-	22.08	11.71	-	33.79	283.60	
पट्टे के अधीन भवन (टिप्पणी 2.3.2 देखें)	4.53	17.01	1.12	0.32	-	22.34	-	0.36	2.47	(0.07)	2.76	19.58	
निर्माण उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
वाहन	2.19	-	1.30	0.05	-	3.44	-	-	1.97	(0.03)	1.94	1.50	
भूमि – उपयोग का अधिकार	-	2,103.47	675.63	-	-	2,779.10	-	248.58	68.89	-	317.47	2,461.63	
कुल	**16.22**	**2,423.07**	**683.35**	**0.37**	**-**	**3,122.27**	**-**	**271.02**	**85.04**	**(0.10)**	**355.96**	**2,766.31**	**-**
पिछले वर्ष	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

टिप्पणी:

2.3.1 (क) भूमि – लीजहोल्ड भूमि के अंतर्गत सुबनसिरी अपर परियोजना के लिए 1 रुपए प्रति वर्ष के नाममात्र किराये पर 99 वर्ष के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से पट्टे पर ली गई 2.72 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2.72 हेक्टेयर) भूमि शामिल है। इस क्षेत्र में से, 1.06 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1.06 हेक्टेयर) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) को सौंपी गई है।

(ख) अन्य यूनिटों के संबंध में, 530.88 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 519.68 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 251.20 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 247.90 करोड़ रूपए) राशि की लीजहोल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलेख अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।

(ग) भूमि – लीजहोल्ड भूमि के अंतर्गत इंड एएस 116–पट्टे जिसे पूर्व में प्रचालनात्मक पट्टों के रुप में वर्गीकृत किया गया था, के अनुसरण में परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार के रुप में वर्ष के दौरान 9.81 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष शून्य रुपए) की राशि को मान्यता प्रदान की गई है। इंड एएस 116 के तहत अन्य प्रकटन के लिए टिप्पणी सं. 34(18) देखें।

2.3.2 "पट्टे के अधीन भवन" वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान अधिग्रहीत 17.01 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष 17.01 करोड़ रुपए) की राशि के किदवईनगर, नई दिल्ली में 5001 वर्गफीट का भवन स्थल शामिल है। उसके संबंध में पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है।

2.3.3 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(11) देखें।

2.2.4 परिसंपत्तियों की हानि से संबंधित जानकारी हेतु समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(19) देखें।

2.3.5 2423.27 करोड़ रुपए की राशि को इंड एएस–116 के कारण संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों से वर्ष के दौरान भूमि – लीजहोल्ड, भवन – लीजहोल्ड और भूमि – उपयोग का अधिकार के रुप में पुर्नवर्गीकृत किया गया है।

2.3.6 संपत्ति के प्रयोग के अधिकार का प्रयोग का अतिरिक्त प्रकटन परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास इस टिप्पणी के अनुबंध–। में उपलब्ध करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणी संख्या 2.3 परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार का अनुबंध–1

परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार का अतिरिक्त प्रकटन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक						मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लाक		
	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकरण	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकरण	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि – लीजहोल्ड	9.50	316.00	5.30	-	-	330.80	-	35.49	11.71	-	47.20	283.60	
पट्टे के अधीन भवन	4.53	17.01	1.12	0.32	-	22.34	-	0.36	2.47	(0.07)	2.76	19.58	
निर्माण उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
वाहन	2.19	-	1.30	0.05	-	3.44	-	-	1.97	(0.03)	1.94	1.50	
भूमि – उपयोग का अधिकार	-	-	675.63	-	-	3,131.62	-	601.10	68.89	-	669.99	2,461.63	
कुल	**16.22**	**2,789.00**	**683.35**	**0.37**	**-**	**3,488.20**	**-**	**636.95**	**85.04**	**(0.10)**	**721.89**	**2,766.31**	**-**
पिछले वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी संख्या 2.4 निवेश संपत्ति

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2019 को	वृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि – फ्रीहोल्ड	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-	-	4.49	4.49
कुल	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.49**	**4.49**
पिछले वर्ष	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-	-	4.49	

2.4.1 निवेश संपत्ति हेतु लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया आय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य

(करोड़ रुपए में)

31.03.2020 को	31.03.2019 को
53.58	53.58

2.4.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य

2.4.3 निवेश संपत्ति में फ्री–होल्ड भूमि शामिल होती है जिसे समूह की सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण, समूह संपत्ति के भावी उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। भारतीय लेखांकन मानक 40, निवेश संपत्ति उदाहरण के द्वारा यह प्रावधान करता है कि वर्तमान में गैर–निर्धारित भावी उपयोग के लिए रखी गई किसी भूमि को पूंजी वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और अतः इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

2.4.4 मूल्यांकन प्रक्रिया

उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। तथापि, निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बाजार मूल्य के आधार पर निकाला गया है तथा उचित मूल्यांकन अनुक्रम के स्तर–3 पर माना जाएगा।

टिप्पणी संख्या 2.4 निवेश संपत्ति

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2018 को	वृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2019 को	01.04.2018 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2019 को	31.03.2019 को	31.03.2018 को
भूमि – फ्रीहोल्ड	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-	-	4.49	4.49
कुल	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.49**	**4.49**
पिछले वर्ष	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-	-	4.49	

2.4.1 निवेश संपत्ति हेतु लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया आय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य

(करोड़ रुपए में)

31.03.2019 को	31.03.2018 को
53.58	53.58

2.4.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य

2.4.3 निवेश संपत्ति में फ्री–होल्ड भूमि शामिल होती है जिसे समूह की सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण, समूह संपत्ति के भावी उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। भारतीय लेखांकन मानक 40, निवेश संपत्ति उदाहरण के द्वारा यह प्रावधान करता है कि वर्तमान में गैर–निर्धारित भावी उपयोग के लिए रखी गई किसी भूमि को पूंजी वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और अतः इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

2.4.4 मूल्यांकन प्रक्रिया

उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। तथापि, निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बाजार मूल्य के आधार पर निकाला गया है तथा उचित मूल्यांकन अनुक्रम के स्तर–2 पर माना जाएगा।

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक						परिशोधन					निवल ब्लाक	
	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकरण	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकरण	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि – उपयोग का अधिकार **(टिप्पणी 2.5.1 देखें)**	2,103.47	(2,103.47)	-	-	-	-	248.58	(248.58)	-	-	-	-	1,854.89
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	10.35	-	0.66	0.03	-	10.98	9.34	-	0.96	(0.04)	10.26	0.72	1.01
कुल	**2,113.82**	**(2,103.47)**	**0.66**	**0.03**	-	**10.98**	**257.92**	**(248.58)**	**0.96**	**(0.04)**	**10.26**	**0.72**	**1,855.90**
पिछले वर्ष	2,108.88	-	10.38	.	(5.44)	2,113.82	190.19		66.84	0.89	257.92	1,855.90	

टिप्पणी :

2.5.1 2103.47 करोड़ रुपए की राशि को भूमि – उपयोग का अधिकार में पुर्नवर्गीकृत किया गया है और इंड एएस–116 के कारण तुलन–पत्र पर परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार के रुप में प्रस्तुत किया गया है। इंड एएस–116 के तहत अन्य प्रकटन के लिए टिप्पणी 34(18) देखें।

2.5.2 अमूर्त परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रकटन परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास इस टिप्पणी के अनुबंध–I में उपलब्ध करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां का अनुबंध-I

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक						परिशोधन					निवल ब्लाक	
	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकरण	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकरण	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि – उपयोग का अधिकार	2,455.99	(2,455.99)	-	-	-	-	601.10	(601.10)	-	-	-	-	1,854.89
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	48.13	-	0.66	0.17	-	48.62	47.12	-	0.96	(0.18)	47.90	0.72	1.01
कुल	**2,504.12**	**(2,455.99)**	**0.66**	**0.17**	-	**48.62**	**648.22**	**(601.10)**	**0.96**	**(0.18)**	**47.90**	**0.72**	**1,855.90**
पिछले वर्ष	2,500.47	-	10.38	0.33	(6.40)	2,504.12	581.78		66.84	(0.40)	648.22	1,855.90	-

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2018 को	वृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2019 को	01.04.2018 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2019 को	31.03.2019 को	31.03.2018 को
भूमि – उपयोग का अधिकार	2,099.38	9.53	-	(5.44)	2,103.47	182.10	65.59	0.88	248.57	1,854.90	1,917.28
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	9.50	0.85	-	-	10.35	8.09	1.25	0.01	9.35	1.00	1.41
कुल	**2,108.88**	**10.38**	**-**	**(5.44)**	**2,113.82**	**190.19**	**66.84**	**0.89**	**257.92**	**1,855.90**	**1,918.69**
पिछले वर्ष	2,110.50	1.88	-	(3.50)	2,108.88	126.30	63.89	-	190.19	1,918.69	

टिप्पणी : अमूर्त परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रकटन परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास इस टिप्पणी के अनुबंध–I में उपलब्ध करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां का अनुबंध-I

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2018 को	वृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2019 को	01.04.2018 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2019 को	31.03.2019 को	31.03.2018 को
भूमि – उपयोग का अधिकार	2,452.79	9.53	-	(6.33)	2,455.99	535.51	65.59	-	601.10	1,854.89	1,917.28
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	47.68	0.85	0.33	(0.07)	48.13	46.27	1.25	(0.40)	47.12	1.01	1.41
कुल	**2,500.47**	**10.38**	**0.33**	**(6.40)**	**2,504.12**	**581.78**	**66.84**	**(0.40)**	**648.22**	**1,855.90**	**1,918.69**
पिछले वर्ष	2,502.11	1.88	0.02	(3.50)	2,500.47	517.91	63.89	(0.02)	581.78	1,918.69	

टिप्पणी सं. 2.6.1 : इक्विटी पद्धति के उपयोग हेतु लेखांकित निवेश

संयुक्त उद्यमों में ब्याज

नीचे सूचीबद्ध किए गए संस्थाओं की शेयर पूंजी में पूर्णतः इक्विटी शेयर शामिल हैं जो सीधे समूह द्वारा धारित है। अधिनिगमन या पंजीकरण का देश ही उनके व्यापार का प्रमुख स्थान है, और स्वामित्व हित का अनुपात उनके द्वारा धारित मताधिकार के अनुपात के समान है।

(करोड़ रुपए में)

संस्था का नाम और संबंध	व्यापार का स्थान	लेखांकन पद्धति	स्वामित्व ब्याज का प्रतिशत		वहनीय राशि	
			31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल), संयुक्त उद्यम	भारत	इक्विटी पद्धति	20.00%	20.00%	22.06	26.08
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल), संयुक्त उद्यम	भारत	इक्विटी पद्धति	49.89%	51.94%	911.47	766.57
कुल इक्विटी लेखांकित निवेश					**933.53**	**792.65**

व्याख्यात्मक टिप्पणी:

1. वर्ष के दौरान, कंपनी ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) में 140.45 करोड़ रूपए का और निवेश किया है और इसके संयुक्त उद्यम जेकेएसपीडीसी ने 200.45 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की शेयरधारिता 51.94 प्रतिशत से घटकर 49.89 प्रतिशत हो गई है। सीवीपीपीपीएल संयुक्त उद्यम करार के अनुपालन में अन्य संयुक्त उद्यमों के साथ संयुक्त रूप से नियंत्रण प्राप्त रहने के चलते एक संयुक्त उद्यम बना हुआ है। इंड एएस 28 के अनुसार लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत इसे मान्यता दी गई इक्विटी शेयरहोल्डिंग में उक्त विलयन के परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा धारित इक्विटी के अनुपात में निवल परिसंपत्ति मूल्य में कमी के कारण हानि 1.76 करोड़ रुपए है तथा दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए इसे "अन्य व्ययों" में शामिल किया गया है।

टिप्पणी सं. 2.6.2: इक्विटी पद्धति के उपयोग हेतु लेखांकित संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ/(हानि) का हिस्सा

(करोड़ रुपए में)

संस्था का नाम	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल) संयुक्त उद्यम	(4.01)	(1.74)
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) संयुक्त उद्यम	7.05	6.98
कुल	**3.04**	**5.24**

टिप्पणी सं. 2.6.3 : इक्विटी पद्धति के उपयोग हेतु लेखांकित संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय का हिस्सा

(करोड़ रुपए में)

संस्था का नाम	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल) संयुक्त उद्यम	(0.01)	(0.01)
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) संयुक्त उद्यम	-	-
कुल	**(0.01)**	**(0.01)**

व्याख्यात्मक टिप्पणी:

संयुक्त उद्यमों हेतु सारबद्ध वित्तीय सूचना

नीचे दी गई तालिका समूह के संयुक्त उद्यमों हेतु सारबद्ध वित्तीय जानकारी उपलब्ध करवाती है। प्रकट की गई सूचना संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशि को प्रदर्शित करती है। इन्हें इक्विटी पद्धति का उपयोग करके निकाय द्वारा किए जाने वाले समायोजनों को प्रदर्शित करने के लिए संशोधित किया गया है, जिसमें लेखांकन नीतियों में अंतर हेतु अधिग्रहण तथा संशोधन के समय किए गए उचित मूल्य समायोजन शामिल हैं।

1. सारबद्ध तुलन–पत्र

(करोड़ रूपए में)

	एनएचपीटीएल		सीवीपीपीपीएल	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
वर्तमान परिसंपत्तियां				
नकदी और नकदी समतुल्य	2.53	12.77	102.40	259.82
अन्य परिसंपत्तियां	10.46	4.91	113.70	16.40
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां	12.99	17.68	216.10	276.22
कुल गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	337.28	336.34	1,921.07	1,413.30
कुल परिसंपत्तियां (क)	**350.27**	**354.02**	**2,137.17**	**1,689.52**
वर्तमान देयताएं				
वित्तीय देयताएं (व्यापार देय के अतिरिक्त)	60.43	58.58	25.42	118.74
अन्य देयताएं	2.52	2.07	269.47	89.50
कुल वर्तमान देयताएं	62.95	60.65	294.89	208.24
गैर–वर्तमान देयताएं				
वित्तीय देयताएं (देय व्यापार के अतिरिक्त)	176.77	162.81	4.07	0.72
अन्य देयताएं	0.24	0.17	5.62	3.08
कुल गैर–वर्तमान देयताएं	177.01	162.98	9.69	3.80
कुल देयताएं (ख)	**239.96**	**223.63**	**304.58**	**212.04**
निवल परिसंपत्तियां (क–ख)	**110.31**	**130.39**	**1,832.59**	**1,477.48**

2. वहनीय राशियों का मिलान

(करोड़ रूपए में)

	एनएचपीटीएल		सीवीपीपीपीएल	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
प्रारंभिक निवल परिसंपत्तियां	130.39	139.16	1,477.48	1,076.68
वर्ष हेतु लाभ	(21.38)	(8.72)	14.22	13.06
अन्य व्यापक आय	(0.04)	(0.05)	-	-
इक्विटी अंशदान	-	-	340.90	387.74
अन्य इक्विटी में समायोजन (प्रारंभिक)	1.35			
अंतिम निवल परिसंपत्तियां	**110.32**	**130.39**	**1,832.60**	**1,477.48**
समूह का अंश (प्रतिशत में)	20.00%	20.00%	49.89%	51.94%
समूह का अंश	22.06	26.08	914.29	767.39
साख / (पूंजीगत आरक्षित)	-	-	-	1.14
वहनीय राशि	**22.06**	**26.08**	**914.29**	**768.53**
घटाएं : अंतर समूह लेन–देन पर लाभ	**0.00**	**0.00**	**2.82**	**1.96**
निवल वहनीय राशि	**22.06**	**26.08**	**911.47**	**766.57**

3. लाभ एवं हानि का सारबद्ध विवरण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	एनएचपीटीएल		सीवीपीपीपीएल	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
राजस्व	11.36	26.03	-	-
ब्याज आय	0.19	0.41	20.86	20.45
मूल्यह्रास और परिशोधन	7.65	8.37	-	-
ब्याज व्यय	16.67	15.83	-	-
अन्य व्यय	8.62	10.96	1.38	1.43
आय कर व्यय	-	-	5.27	5.96
सतत प्रचालनों से लाभ	**(21.39)**	**(8.72)**	**14.21**	**13.06**
वर्ष हेतु लाभ	**(21.39)**	**(8.72)**	**14.21**	**13.06**
अन्य व्यापक आय	(0.04)	(0.05)	-	-
कुल व्यापक आय	(21.43)	(8.77)	14.21	13.06

टिप्पणी सं. 3.1 : गैर–वर्तमान निवेश

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
		शेयर/बॉण्ड/प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिटों में)	राशि (करोड़ रुपए में)	शेयर/बॉण्ड/प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिटों में)	राशि (करोड़ रुपए में)
क.	**उद्धृत इक्विटी निवेश – अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर**				
	कारपोरेट निकाय				
	इंडियन ओवरसीज बैंक (पूर्णतः प्रदत्त)	360800	0.25	360800	0.52
	(10 रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)				
	पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्णतः प्रदत्त)	12000000	46.32	12000000	88.14
	(10 रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)				
	कुल (क)		**46.57**		**88.66**
ख.	**उद्धृत ऋण निवेश – अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर**				
	क) सरकारी प्रतिभूतियां (टिप्पणी 3.1.2 और 3.1.4 देखें)				
	8.35 प्रतिशत एसबीआई राइट्स इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 27 मार्च 2024	150000	162.76	150000	157.11
	(10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)				
	8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बॉण्ड 15 सितंबर 2024	12380	13.36	12380	12.90
	(10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)				
	8.28 प्रतिशत भारत सरकार 21 सितंबर 2027 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	57000	62.52	57000	59.77
	8.26 प्रतिशत भारत सरकार 02 अगस्त 2027 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	17940	19.67	17940	18.76
	8.28 प्रतिशत भारत सरकार 15 फरवरी 2032 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	35000	39.38	35000	36.89
	8.32 प्रतिशत भारत सरकार 02 अगस्त 2032 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	34000	38.24	34000	35.99
	उप जोड़ (क)		**335.93**		**321.42**
	(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कारपोरेट्स के बांड्स				
	7.41 प्रतिशत आईआईएफसीएल कर मुक्त बाण्ड 15 नवंबर 2032 (10,00,000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	120	13.79	120	13.89
	8.12 प्रतिशत आरईसी कर मुक्त बाण्ड 27 मार्च 2027 (1000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	100000	11.94	100000	11.83
	8.48 एनएचएआई कर मुक्त 22 नवंबर 2028 (10,00,000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	473	55.90	473	54.40
	उप जोड़ (ख)		**81.63**		**80.12**
	कुल (ग) (क + ख)		**417.56**		**401.54**
	कुल (क + ख)		**464.13**		**490.20**

3.1.1	(i) उद्धृत निवेशों की समग्र राशि और बाजार मूल्य	464.13	490.20
	(ii) उद्धृत न किए गए निवेशों की समग्र राशि	-	-

3.1.2 165.50 करोड़ रुपए (विगत वर्ष 165.50 करोड़ रुपए) की लागत पर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को 165.42 करोड़ रुपए (विगत वर्ष 165.42 करोड़ रुपए) की तुलना में प्रतिभूति के रूप में निर्धारित किया गया है क्योंकि यह वित्तीय वर्ष 2020–2021 के दौरान परिपक्वता वाले डिबेंचर के कुल मोचन मूल्य का 15 प्रतिशत होता है।

3.1.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के प्रावधानों के तहत यथा अपेक्षित निवेशों का विवरण ऊपर टिप्पणी 3.1 के तहत प्रकट किया गया है।

3.1.4 ऋण दस्तावेजों के संबंध में उद्धृत निवेश जिनके लिए उद्धरण उपलब्ध नहीं है, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रकाशित मूल्य के आधार पर बाजार मूल्य पर विचार किया गया है।

टिप्पणी संख्या 3.2 गैर–वर्तमान – वित्तीय परिसंपत्तियां – व्यापार प्राप्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	-	61.51
कुल	**-**	**61.51**

टिप्पणी संख्या 3.3 गैर–वर्तमान – वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
	परिशोधित लागत पर		
क.	**जमा**		
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	24.55	23.52
	उप–जोड़	**24.55**	**23.52**
ख.	**कर्मचारियों को ऋण (टिप्पणी 3.3.1 देखें)**		
	– अच्छे माने गए – प्रतिभूतित	117.05	123.85
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	3.41	2.71
	उप–जोड़	**120.46**	**126.56**
ग.	**अरुणाचल प्रदेश सरकार को ब्याज सहित ऋण (टिप्पणी 3.3.2 एवं 3.3.4 देखें)**		
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	675.80	620.00
	उप–जोड़	**675.80**	**620.00**
	कुल	**820.81**	**770.08**

3.3.1	कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों से बकाया	शून्य	शून्य
3.3.2	अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण इसमें शामिल है:		
	– मूलधन	225.00	225.00
	– ब्याज	450.80	395.00

3.3.3 ऋण गैर–व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं, जिनसे कंपनी को निर्धारित अथवा परिवर्तनशील ब्याज आय प्राप्त होती है। मूल कीमत दूसरे पक्ष के ऋण जोखिम में परिवर्तनों से प्रभावित हो सकती है

3.3.4 व्यावसायिक प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए ऋणों को दर्शाता है।

3.3.5 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(17) देखें।

टिप्पणी संख्या 3.4 गैर–वर्तमान – वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
क.	12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा **(टिप्पणी 3.4.1 एवं 3.4.2 देखें)**	394.75	77.32
ख.	पट्टा किराया प्राप्य **(टिप्पणी 34(18(ख)) देखें)**	5,111.73	5,355.41
ग.	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए वसूलीयोग्य राशि **(टिप्पणी 3.4.3 और 11(ज) देखें)**	2,017.20	2,017.20
घ.	पर प्रोद्भूत ब्याजः		
	– 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा	9.88	3.61
ङ.	व्युत्पन्न बाजार से बाजार परिसंपत्ति	33.71	
	कुल	**7,567.27**	**7,453.54**

3.4.1	12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले बैंक जमा में माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार बैंकों के साथ ग्रहणाधिकार के तहत राशि मौजूद होती है जो कि उक्त राशि कंपनी के व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है।	शून्य	
3.4.2	12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले बैंक जमा में गैर–निधि आधारित ऋण के लिए बैंकों के साथ ग्रहणाधिकार के तहत एक राशि शामिल होती है, जो कि उक्त राशि कंपनी के व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है।		शून्य

3.4.3 भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों की देय राशि के संबंध में टिप्पणी संख्या 16.2.1 देखें।

3.4.4 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।

टिप्पणी संख्या 4 गैर–वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम आय कर	1,664.22	1,843.70
घटाएं: वर्तमान कर के लिए प्रावधान	1,510.93	1,697.83
कुल	**153.29**	**145.87**

टिप्पणी सं. 5 : अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
क.	**पूंजी अग्रिम**		
	– अच्छे माने गए – प्रतिभूतित	45.06	1.22
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित		
	– बैंक गारंटी के बदले	164.73	255.49
	– अन्य (टिप्पणी संख्या 5.1 देखें)	199.53	244.00
	घटाएं : लंबित उपयोग प्रमाण–पत्र में बुक किए गए व्यय	30.28	42.68
	– संदिग्ध माने गए – अप्रतिभूतित	145.58	4.50
	घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 5.2 देखें)	145.58	4.50
	उप जोड़	**379.04**	**458.03**
ख.	**पूंजीगत अग्रिमों के अतिरिक्त अग्रिम**		
i)	**जमा**		
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	1.30	0.53
	– संदिग्ध माने गए – अप्रतिभूतित	0.04	0.04
	घटाएं : संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 5.3 देखें)	0.04	0.04
	उप जोड़	**1.30**	**0.53**
ii)	**अन्य अग्रिम**		
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	0.67	0.83
	उप जोड़	**0.67**	**0.83**
ग.	**प्रोद्भूत ब्याज**		
	अन्य		
	– अच्छे माने गए	47.97	-
	उप जोड़	**47.97**	**-**
घ.	**अन्य**		
i)	**पूंजीगत कार्यों के संबंध में मध्यस्थता निर्णयों के लिए अग्रिम (अप्रतिभूतित)**		
	ठेकेदारों को जारी – बैंक गारंटी के बदले	697.09	617.39
	ठेकेदारों को जारी – अन्य	34.61	34.61
	न्यायालय में जमा	1,222.90	334.24
	उप जोड़	**1,954.60**	**986.24**
ii)	**आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियां/व्यय**		
	आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियां	468.37	398.56
	विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव पर आस्थगित व्यय	131.53	130.91
	उप जोड़	**599.90**	**529.47**
iii)	**कर्मचारी को दिए गए अग्रिमों पर आस्थगित लागत**	**54.69**	**59.01**
	कुल	**3,038.17**	**2,034.11**

5.1 पूंजीगत अग्रिम – अन्य में चमेरा–III पावर स्टेशन से पानी के रिसाव/सीपेज के कारण मकानों/दुकानों को हुए नुकसान के लिए ग्रामवासियों को क्षतिपूर्ति हेतु भूमि का अधिग्रहण करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के पास जमा की गई शून्य रुपए (विगत वर्ष 41.34 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है।

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
5.2	**संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	4.50	4.50
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	135.38	-
	समायोजन	5.82	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.13	-
	अंतिम शेष	**145.58**	**4.50**
5.3	**संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	0.04	0.04
	अंतिम शेष	**0.04**	**0.04**
5.4	शेषों की पुष्टि के लिए समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।		

टिप्पणी सं. 6 : मालसूची

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
	(न्यून लागत अथवा निवल वसूली मूल्य पर मूल्यांकित)		
	भंडार तथा कलपुर्जे	124.67	123.51
	परिवहन/निरीक्षण के लिए लंबित भंडार	1.00	2.06
	खुले औजार	2.51	2.43
	रद्दी मालसूची	1.42	0.43
	स्थल पर सामग्री	4.93	4.96
	ठेकेदार/निर्माता को जारी सामग्री	-	0.02
	घटाएं : अप्रचलन तथा मूल्य में कमी के लिए प्रावधान **(टिप्पणी संख्या 6.1 देखें)**	7.91	8.23
	कुल	**126.62**	**125.18**
6.1	**अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	8.23	9.06
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि **(टिप्पणी संख्या 6.1.1 देखें)**	0.26	0.87
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.19	0.38
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित **(टिप्पणी संख्या 6.1.2 देखें)**	0.39	1.32
	अंतिम शेष	**7.91**	**8.23**
6.1.1	वर्ष के दौरान, निवल वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) को पश्चलेखित मालसूची और लाभ तथा हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की गई।	0.26	0.87
6.1.2	पूर्ववर्ती वर्ष में बुक की गई और वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित मालसूची के अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	0.39	1.32

टिप्पणी सं. 7 : वित्तीय परिसंपत्ति – वर्तमान – व्यापार प्राप्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
– व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित **(टिप्पणी संख्या 7.2, 7.3, 7.5 और 7.6 देखें)**	3,816.44	2,838.00
– व्यापार प्राप्य – प्रभावित ऋण **(टिप्पणी संख्या 7.2 और 7.3 देखें)**	37.71	37.71
घटाएं – व्यापार प्राप्य के लिए हेतु हानि प्रावधान (टिप्पणी संख्या 7.1 देखें)	37.71	37.71
कुल	**3,816.44**	**2,838.00**

	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
7.1	**व्यापार प्राप्यों के लिए हानि प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	37.71	37.71
	अंतिम शेष	**37.71**	**37.71**
7.2	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा अथवा उनमें से किसी एक द्वारा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय ऋण अथवा फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण जिसमें क्रमशः कंपनी का कोई निदेशक भागीदार अथवा निदेशक या कोई सदस्य है।	शून्य	शून्य
7.3	उपरोक्त मद 7.2 पर कंपनी के सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों तथा अन्य संबंधित पक्षों द्वारा देय ऋण।	शून्य	शून्य

7.4 वर्तमान प्राप्तियों की अल्पावधि प्रकृति के कारण, उनकी वहनीय राशि को उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।

7.5 विभिन्न बैंकों से बिलों में छूट के माध्यम से प्राप्त 714.31 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष में यह शून्य था) की राशि व्यापार प्राप्यों को बिल छूट समझौतों की शर्तों के अनुसार मान्यता नहीं दी गई है, जिसके अनुसार कंपनी संबंधित लाभार्थियों से चूक होने पर क्रेडिट हानियों के लिए बैंकों को क्षतिपूर्ति की गारंटी देती है। रियायती बिलों के संबंध में मान्यताप्राप्त देयताओं के संबंध में टिप्पणी 20.1.2 देखें।

7.6	व्यापार प्राप्य अप्रतिभूतित – देय शून्य सहित अच्छे माने गए, करार के अनुसार लागू ब्याज के साथ समान मासिक किश्तों में आस्थगन प्राप्य के लिए सहमत बकाया 120.89 हैं।	शून्य	120.89

7.7 शेषों की पुष्टि के लिए समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।

टिप्पणी सं. 8 : वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान – नकदी और नकदी समतुल्य

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
क.	**बैंकों के पास शेष**		
	अनुसूचित बैंकों के पास	41.11	25.02
	i) चालू खाते में		
	ii) जमा खाते में (3 माह से कम की मूल परिपक्वता वाले जमा)	1.05	-
ख.	**हस्तगत चेक, ड्राफ्ट**	-	0.01
ग.	**हस्तगत नकदी (टिप्पणी सं. 8.1 देखें)**	0.01	0.01
	कुल	**42.17**	**25.04**
8.1	इसमें हस्तगत स्टाम्प शामिल हैं	0.01	0.01

टिप्पणी सं. 9 : वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान – नकदी और नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
क.	3 माह से अधिक 12 माह तक की मूल परिपक्वता के लिए बैंक जमा **(टिप्पणी संख्या 9.1 देखें)**	1,539.67	2,095.44
ख	जमा – भुगतान न किया गया लाभांश	22.64	19.17
ग.	जमा – भुगतान न किया गया ब्याज	86.90	86.92
घ.	बैंकों के पास अन्य अभिनिर्धारित शेष **(टिप्पणी संख्या 9.2 और 9.3 देखें)**	1.89	18.68
	कुल	**1,651.10**	**2,220.21**

	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
9.1	**इसमें ऐसे शेष शामिल है, जो:**		
	i) कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए रखे गए हैं और जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं	268.78	253.82
	ii) अल्पावधिक उधारियों के उपयोग लिए बैंकों के अधिकार में रखे गए हैं, जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं	-	10.00
	iii) ओंकारेश्वर परियोजना के संबंध में भूमि के लिए भूमि के निमित्त विस्थापितों द्वारा किए गए जमा, जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं	0.35	2.64
	iv) माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार बैंकों में बैंकों के अधिकार में रखे गए हैं, जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं	6.88	7.89
9.2	इसमें ऐसे शेष शामिल हैं, जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है:		
	i) कंपनी द्वारा अन्य एजेसियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे कार्यों हेतु रखे गए हैं।	1.36	18.18
	(ii) माननीय उच्च न्यायालय, सिक्किम के आदेश के अनुसरण में सृजित एनएचपीसी आपातकालीन राहत निधि	0.53	0.50

9.3 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार बैंकों में 18.68 करोड़ रुपए के अभिनिर्धारित शेषों को "नकदी एवं नकदी समतुल्य" से "नकदी एवं नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष" में पुर्नवर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी सं. 10 : वित्तीय परिसंपत्ति – वर्तमान – ऋण

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
क.	**जमा**		
	– अप्रतिभूतित (अच्छे माने गए)	0.48	0.62
	उप जोड़	**0.48**	**0.62**
ख.	**संबंधित पक्षकार को ऋण (उस पर ब्याज सहित) – अप्रतिभूतित – (अच्छे माने गए) (टिप्पणी सं. 34(10) देखें)**	6.27	6.00
	– नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्रा.) लिमिटेड	**6.27**	**6.00**
	उप जोड़		
ग.	**कर्मचारियों को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित) (टिप्पणी संख्या 10.2 देखें)**		
	– ऋण प्राप्य – अच्छे माने गए – प्रतिभूतित	15.64	17.62
	– ऋण प्राप्य – अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	28.62	24.57
	– ऋण प्राप्य, जिनसे ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई	0.01	0.01
	घटाएं: ऐसे ऋणों के लिए हानि प्रावधान, जिनसे ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है (टिप्पणी संख्या 10.1 देखें)	0.01	0.01
	उप जोड़	**44.26**	**42.19**
	कुल	**51.01**	**48.81**
10.1	**ऐसे ऋणों के लिए हानि प्रावधान, जिनसे ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है**	0.01	0.03
	प्रारंभिक शेष		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	0.02
	अंतिम शेष	**0.01**	**0.01**
10.2	कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों से देय	0.05	0.05
10.3	ऐसी फर्मों अथवा निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम राशि, जिनमें कंपनी का कोई निदेशक कंपनी का निदेशक अथवा सदस्य है	शून्य	शून्य

10.4 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अनुसार यथापेक्षित ऋणों के विवरणों को उपरोक्त टिप्पणी संख्या 10 के तहत प्रकट किया गया है।

10.5 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।

टिप्पणी सं. 11 : वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान – अन्य

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
क.	प्राप्य राशि **(टिप्पणी सं. 11.4 देखें)**	770.97	543.11
	घटाएं – संदिग्ध वसूलीयोग्य हेतु प्रावधान **(टिप्पणी सं. 11.1 देखें)**	285.78	203.43
	उप जोड़	**485.19**	**339.68**
ख.	बैंक जमा पर प्रोद्भूत ब्याज आय	56.33	60.16
ग.	बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य **(टिप्पणी सं. 11.2 देखें)**	2,589.41	1,524.14
घ.	संयुक्त उद्यमों से प्राप्य **(टिप्पणी सं. 11.3 देखें)**	43.00	95.46
ङ.	लाभार्थियों से वसूली योग्य ब्याज	3.52	2.79
च.	प्राप्य पट्टा किराया (वित्त पट्टा) **(टिप्पणी सं. 34(18)(ख) देखें)**	117.50	213.86
छ.	निवेश (बॉण्ड) पर प्रोद्भूत ब्याज	2.52	2.52
ज.	भारत सरकार द्वारा सेवित बांडों पर वसूलीयोग्य राशि **(टिप्पणी सं. 3.4(ग) देखें)**		
	– प्रोद्भूत ब्याज	4.48	4.49
	कुल	**3,301.95**	**2,243.10**
11.1	**संदिग्ध वसूलीयोग्य हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	203.43	210.41
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	85.69	4.84
	समायोजन	-	(1.75)
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	0.22
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	3.34	9.85
	अंतिम शेष	**285.78**	**203.43**
11.2	**के लिए प्रस्तुत प्राप्यः**		
	इक्विटी पर लाभ को सकल रूप देना	(40.78)	53.15
	जल उपकर	647.12	264.34
	मार्च माह हेतु बिल न की गई बिक्री	558.69	455.15
	लंबित संशोधन/अनुमोदन के कारण वार्षिक नियत प्रभार – पार्बती–III पावर स्टेशन	-	16.11
	लंबित संशोधन/अनुमोदन के कारण वार्षिक नियत प्रभार – चमेरा–III पावर स्टेशन	-	2.83
	लंबित संशोधन/अनुमोदन के कारण वार्षिक नियत प्रभार – सेवा–II पावर स्टेशन	-	214.04
	लंबित संशोधन/अनुमोदन के कारण वार्षिक नियत प्रभार – टीएलडीपी–IV पावर स्टेशन	128.65	93.43
	लंबित संशोधन/अनुमोदन के कारण वार्षिक नियत प्रभार – ओंकारेश्वर पावर स्टेशन	10.86	-
	पुनःवित्तपोषण और बांड इश्यू व्ययों के कारण बचत	(2.66)	(58.77)
	आस्थगित कर कार्यान्वयन सहित कर समायोजन	196.01	128.10
	ऊर्जा कमी	383.58	151.75
	वस्तु एवं सेवा कर का अतिरिक्त प्रभाव	112.59	55.83
	प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय – बैरास्यूल	-	40.14
	विदेशी विनिमय दर परिवर्तन	43.68	93.67
	ओएंडएम एवं प्रतिभूति व्यय – नए टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार वृद्धि	257.46	-
	परियोजना के जीवनकाल में परिवर्तन के कारण मूल्यह्रास	(47.91)	-

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
मजदूरी संशोधन	221.38	-
देनदार का बिल न किया गया विद्युत व्यापार व्यवसाय	58.03	-
वार्षिक नियत प्रभारों का संशोधन – सेवा-II, उड़ी-II, चमेरा-III और टीएलडीपी-III पावर स्टेशन	92.33	-
ट्रूइंग–अप 2014–19 का प्रभाव और 2019–24 के लिए याचिका दायर की गई	83.89	-
दर संशोधन – टीएलडीपी–III पावर स्टेशन	(123.18)	-
अन्य	9.67	14.37
कुल	**2,589.41**	**1,524.14**

11.3 संयुक्त उद्यम से प्राप्य में किरू और क्वार जलविद्युत परियोजनाओं पर किये गये पूंजीगत व्यय के निमित्त कंपनी का दावा शामिल है जिन्हें मैसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड, जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर डेवलेपमेंट कारपोरेशन और पीटीसी इंडिया लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) को अंतरित किया गया है।

11.4 प्राप्य राशि (उक्त "क" पर) में मध्य प्रदेश सरकार से कुल 43.50 करोड़ रूपए (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 22.00 करोड़ रूपए) शामिल हैं जिसका ब्यौरा लेखाओं (पैरा सं. 7 टिप्पणी सं. 34 देखें) की अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इसमें विस्थापितों से दोहरे भुगतान के प्रति वसूलीयोग्य 0.03 करोड़ रूपए (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 0.03 करोड़ रूपए) शामिल हैं जिसके लिए पहले से प्रावधान किया गया है।

11.5 समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं 34(17) देखें।

टिप्पणी सं. 12 : वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
वर्तमान कर परिसंपत्तियां		
वर्तमान कर **(टिप्पणी सं.–23 देखें)**	84.16	111.85
कुल	**84.16**	**111.85**

टिप्पणी सं. 13 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

	विवरण		31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
क. क)	**पूंजीगत अग्रिमों के अतिरिक्त अग्रिम जमा**			
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित		31.47	93.82
	घटाएं: सरकारी विभागों द्वारा प्रस्तुत मांग के लिए रखा गया व्यय		0.10	0.10
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित		0.01	0.01
	घटाएं: संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान **(टिप्पणी सं 13.1 देखें)**		0.01	0.01
		उप जोड़	**31.37**	**93.72**
ख)	**संविदाकार/आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (टिप्पणी सं 13.7 देखें)**			
	– अच्छे माने गए – प्रतिभूतित		0.76	0.14
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित			
	– बैंक गारंटी के प्रति		13.40	13.30
	– अन्य		60.77	25.64
	घटाएं : लंबित उपयोग प्रमाणपत्र के लिए बुक किया गया व्यय		12.26	0.14
	– संदिग्ध माने गए – अप्रतिभूतित		45.52	45.52
	घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं 13.2 देखें)		45.52	45.52
		उप जोड़	**62.67**	**38.94**
ग)	**अन्य अग्रिम – कर्मचारी**			
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित **(टिप्पणी सं 13.6 देखें)**		2.94	0.90
		उप जोड़	**2.94**	**0.90**

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
घ) निम्न पर प्रोद्भूत ब्याजः		
अन्य		
– अच्छे माने गए	67.45	11.05
– संदिग्ध माने गए	-	108.90
घटाएं : संदिग्ध ब्याज हेतु प्रावधान **(टिप्पणी सं. 13.3 देखें)**	-	108.90
उप जोड़	**67.45**	**11.05**
ख. अन्य		
क) **समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय**	37.06	37.06
घटाएं : पश्चलेखन की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाले परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान **(टिप्पणी सं. 13.4 देखें)**	37.06	37.06
उप जोड़	**-**	**-**
ख) पश्च लेखन स्वीकृति/लंबित जांच हेतु प्रतीक्षित हानियां	11.49	39.25
घटाए : लंबित जांच/पश्चलेखन की प्रतीक्षा वाली/स्वीकृति की हानियों हेतु प्रावधान **(टिप्पणी सं. 13.5 देखें)**	11.49	39.25
उप जोड़	**-**	**-**
ग) **पूर्वप्रदत्त व्यय**	141.35	102.32
घ) **कर्मचारी अग्रिमों पर आस्थगित लागत**	5.64	5.96
ङ) **आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव**		
आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियां	38.32	30.83
विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव पर आस्थगित व्यय	1.71	7.93
च) **अधिशेष/अप्रचलित परिसंपत्तियां (टिप्पणी सं. 13.8 देखें)**	5.53	3.66
छ) **प्राप्य वस्तु एवं सेवा कर इनपुट**	15.47	13.82
ज) **प्रतिदेययोग्य आय कर**	90.95	40.19
झ) **अन्य (ठेकेदारों को जारी सामग्री के संबंध में मुख्यतः)**	35.59	23.41
कुल	**498.99**	**372.73**
13.1 **संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान**		
प्रारंभिक शेष	0.01	-
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	0.01
अंतिम शेष	**0.01**	**0.01**
13.2 **संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान (संविदाकार और आपूर्तिकर्ता)**		
प्रारंभिक शेष	45.52	45.52
अंतिम शेष	**45.52**	**45.52**
13.3 **संदिग्ध प्रोद्भूत ब्याज हेतु प्रावधान**		
प्रारंभिक शेष	108.90	104.11
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	19.44
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	108.90	14.65
अंतिम शेष	**-**	**108.90**
13.4 **पश्चलेखन स्वीकृति हेतु प्रतीक्षित परियोजना व्यय हेतु प्रावधान**		
प्रारंभिक शेष	37.06	37.06
अंतिम शेष	**37.06**	**37.06**
13.5 **जांच लंबित/पश्चलेखन प्रतीक्षा वाली/स्वीकृति की हानियों हेतु प्रावधान**		
प्रारंभिक शेष	39.25	38.96
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.26	0.15
समायोजन	1.24	1.75
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	29.08	0.37
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.18	1.24
अंतिम शेष	**11.49**	**39.25**
13.6 निदेशकों या अन्य अधिकारियों से वर्ष के अंत में देय ऋण तथा अग्रिम	शून्य	शून्य
13.7 फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम, जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या कोई सदस्य है।	शून्य	शून्य

13.8 निपटान हेतु धारित अधिशेष परिसंपत्तियों/अप्रचलित परिसंपत्तियों को बही मूल्य तथा निवल वसूलीयोग्य मूल्य से कम पर दर्शाया गया है।

13.9 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं 34(17) देखें।

टिप्पणी सं. 14 : विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(क)	**सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष**		
	प्रारंभिक शेष	3,267.34	3,172.81
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि **(टिप्पणी सं. 31 देखें)**	203.25	94.53
	अंतिम शेष	**3,470.59**	**3,267.34**
(ख)	**तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन**		
	प्रारंभिक शेष	670.93	450.50
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (लाभ एवं हानि के माध्यम से) **(टिप्पणी सं. 31 देखें)**	-	220.43
	अंतिम शेष	**670.93**	**670.93**
(ग)	**किशनगंगा पावर स्टेशनः टैरिफ संतुलन के कारण अंतरीय मूल्यह्रास**		
	प्रारंभिक शेष	171.98	-
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि **(टिप्पणी सं. 31 देखें)**	195.62	171.98
	अंतिम शेष	**367.60**	**171.98**
(घ)	**मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर**		
	प्रारंभिक शेष	(0.97)	(0.40)
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि **(टिप्पणी सं. 31 देखें)**	0.99	(0.57)
	अंतिम शेष	**0.02**	**(0.97)**
(ङ)	**2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूलीय आस्थगित कर के लिए समायोजन**		
	प्रारंभिक शेष	2,034.82	2,186.70
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि **(टिप्पणी सं 31 देखें)**	167.99	151.88
	अंतिम शेष	**1,866.83**	**2,034.82**
(च)	**2014–2019 की टैरिफ अवधि के लिए आस्थगित कर देयताओं के लिए समायोजन**		
	प्रारंभिक शेष	835.04	326.11
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि **(टिप्पणी सं 31 देखें)**	69.46	508.93
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित **(टिप्पणी सं 31 देखें)**	67.41	-
	अंतिम शेष	**837.09**	**835.04**
	अंतिम शेष = (क+ख+ग+घ+ङ+च)	**7,213.06**	**6,979.14**
	घटाएं : विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर आस्थगित कर	(320.96)	(340.62)
	जोड़ें : लाभार्थियों से वसूलीय आस्थगित कर	(320.96)	(340.62)
	आस्थगित कर का निवल विनियामक आस्थगित लेखा शेष	**7,213.06**	**6,979.14**

14.1 समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(19) और 34(23) देखें।

टिप्पणी सं 14.2 विनियामक आस्थगित लेखा केडिट शेष

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
न्यूनतम वैकल्पिक कर केडिट पात्रता		
प्रारंभिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (टिप्पणी सं 31 देखें)	474.42	-
अंतिम शेष	**474.42**	-

14.2.1 समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(23) देखें।

टिप्पणी संख्या 15.1 : इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)
(क) प्राधिकृत शेयर पूंजी (प्रति शेयर अंकित मूल्य 10/–रुपए)	15000000000	15,000.00	15000000000	15,000.00
(ख) जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों (प्रति शेयर अंकित मूल्य 10/–रुपए)	10045034805	10,045.03	10045034805	10,045.03

15.1.1 रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलानः

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)
प्रारंभिक शेष	10045034805	10,045.03	10259320519	10,259.32
घटाएं : वर्ष के दौरान शेयरों की बाय बैक	-	-	214285714	214.29
अंतिम शेष	10045034805	10,045.03	10045034805	10,045.03

15.1.2 कंपनी ने केवल एक तरह के शेयर जारी किए हैं, जो शेयरधारकों की शेयरहोल्डिंग के अनुपात में वोटिंग राइट्स के साथ जारी किए गए हैं। इन वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक समय–समय पर उनके लिए घोषित लाभांश लेने के भी हकदार हैं।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमान्य राशियों का वितरण करने के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के पात्र होंगे। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में है ।

15.1.3 कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक की धारिता वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या निर्दिष्ट करते हुए शेयरः

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	संख्या	(प्रतिशत) में	संख्या	(प्रतिशत) में
– भारत के राष्ट्रपति	7126772676	70.95%	7365964993	73.33%
– भारतीय जीवन बीमा निगम	736631947	7.33%	734379599	7.31%

15.1.4 तुलन पत्र की तारीख से तत्काल पूर्व के पांच वर्षों के दौरान 10 रुपए प्रत्येक के 1,02,56,33,691 इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद की गई।

टिप्पणी सं. 15.2 : अन्य इक्विटी

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(i)	**पूंजी आरक्षित (टिप्पणी सं. 34(32) देखें)**	40.93	-
(ii)	**पूंजी मोचन आरक्षित**	-	
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	2,255.71	2,041.42
	जोड़े : प्रतिभूति प्रीमियम खाते से अंतरण	-	214.29
	तुलन–पत्र की तारीख पर	**2,255.71**	**2,255.71**
(iii)	**प्रतिभूति प्रीमियम**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	-	242.81
	घटाएं : इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद हेतु उपयोग	-	242.81
	तुलन–पत्र की तारीख पर	-	-
(iv)	**बांड मोचन आरक्षित**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	2,193.35	2,129.55
	जोड़े : अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन में अंतरण	-	308.77
	जोड़ें : सामान्य आरक्षित में अंतरण		
	घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलेखित	244.97	244.97
	तुलन–पत्र की तारीख पर	**1,948.38**	**2,193.35**

	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(v)	**कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि**		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	11.38	23.29
	जोड़ें : अधिशेष से अंतरण	0.22	-
	घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलेखित	7.99	11.91
	तुलन–पत्र की तारीख पर	**3.61**	**11.38**
(vi)	**अनुसंधान एवं विकास निधि**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	-	16.97
	घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलेखित	-	16.97
	तुलन–पत्र की तारीख पर	-	-
(vii)	**सामान्य आरक्षित**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	11,417.14	10,224.43
	जोड़ें : अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन से अंतरण	127.69	1,547.44
	जोड़ें : अनुसंधान और विकास निधि से अंतरण	-	8.66
	घटाएं : पूंजीगत मोचन आरक्षित में अंतरण	-	214.29
	घटाएं : इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद और संगत व्ययों के लिए उपयोग	-	149.10
	तुलन–पत्र की तारीख पर	**11,544.83**	**11,417.14**
(viii)	**अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	4,768.82	4,982.91
	जोड़ें – वर्ष के दौरान लाभ	2,874.61	2,595.61
	जोड़ें – वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	28.40	1.56
	जोड़ें – बॉण्ड मोचन आरक्षित से पश्चलेखित राशि	244.97	244.97
	जोड़ें – कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से पश्चलेखित राशि	4.08	6.09
	घटाएं : लाभांश (अंतिम और अंतरिम) **(टिप्पणी सं. 33(3)(ग) देखें)**	1,938.69	1,000.46
	घटाएं : लाभांश पर कर **(टिप्पणी सं. 33(3)(ग) देखें)**	398.50	205.65
	घटाएं – बॉण्ड मोचन आरक्षित में अंतरण	-	308.77
	घटाएं – सामान्य आरक्षित में अंतरण	127.69	1,547.44
	घटाएं – कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि में अंतरण	0.11	-
	जोड़ें – एनसीआई के साथ लेन–देन	(0.16)	-
	तुलन–पत्र तिथि के अनुसार	**5,455.73**	**4,768.82**
(ix)	**एफवीटीओसीआई – इक्विटी दस्तावेज**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	76.30	92.78
	जोड़ें – एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)	(42.09)	(16.48)
	तुलन–पत्र तिथि के अनुसार	**34.21**	**76.30**
(x)	**एफवीटीओसीआई – ऋण दस्तावेज**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	30.08	27.71
	जोड़ें – एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)	12.10	2.37
	तुलन–पत्र तिथि के अनुसार	42.18	30.08
	कुल	**21,325.58**	**20,752.78**

15.2.1 आरक्षित की प्रकृति तथा प्रयोजन

(i) **पूंजी रिजर्व:** कंपनी ने वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कंपनी न्याय अधिकरण (एनसीएलटी) के माध्यम से लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) का अधिग्रहण किया है। एलटीएचपीएल की मोल–भाव खरीद पर लाभ को पूंजी रिजर्व में मान्यता दी गई है।

(ii) **पूंजी मोचन आरक्षित** – यदि शेयरों की पुनः खरीद को मुक्त आरक्षित से किया जाए तो कंपनी को वितरण योग्य लाभ से एक पूंजी मोचन आरक्षित बनाना अपेक्षित है। इस प्रकार खरीद किए गए शेयरों के नामिनिक मूल्य को पूंजी मोचन आरक्षित को अंतरित किया जाना अपेक्षित है।

(iii) **प्रतिभूति प्रीमियम** – प्रतिभूति प्रीमियम प्रतिभूतियों के समान मूल्य से अधिक प्राप्त की गई राशि को दर्शाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 प्रतिभूति प्रीमियम की सीमा और उपयोग को विनिर्दिष्ट करती है।

(iv) **बॉण्ड मोचन आरक्षित** – कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 के अनुसार, कंपनी के लिए बांडों के मोचन के उद्देश्य के लिए उपलब्ध लाभों से बांड मोचन आरक्षित सृजित करना अपेक्षित था। कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) संशोधन नियमावली, 2019 से कंपनी को बांड मोचन आरक्षित के सृजन से छूट मिलती है। संशोधन नियमावली, 2019 में आगे यह निर्धारित है कि कंपनी द्वारा डिबेंचर मोचन आरक्षित में जमा की गई राशि का उपयोग डिबेंचर के मोचन के प्रयोजन के सिवाय अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। तद्नुसार, यद्यपि 31.03.2019 तक बनाए गए बांड मोचन आरक्षित को अग्रेणीत किया गया है और वर्ष के दौरान मोचित किए गए बांडों के लिए आगे उपयोग किया जाएगा, आरक्षित में कोई अतिरिक्त प्रोद्भवन नहीं किया गया है।

(v) **कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि** का सृजन पूर्व वर्षों के सीएसआर क्रियाकलापों के संबंध में अप्रयुक्त बजट के वित्तपोषण के लिए समूह की एक सहायक कंपनी एनएचडीसी लिमिटेड द्वारा किया गया है।

(vi) **अनुसंधान और विकास आरक्षित** का सृजन पूर्व वर्षों में अनुसंधान एवं विकास बजट के वित्तपोषण हेतु किया गया था। वर्ष के दौरान, समूह की एक सहायक कंपनी एनएचडीसी लिमिटेड द्वारा सृजित अनुसंधान एवं विकास कोष को अधिशेष/प्रतिधारित आय के साथ मिलाया गया है।

(vii) **सामान्य आरक्षितः** सामान्य आरक्षित राशि का उपयोग समय–समय पर विनियोजन के प्रयोजनों के लिए रखी गई आय से लाभ के अंतरण के लिए किया गया है क्योंकि इसे इक्विटी के एक घटक से दूसरे घटक में अंतरित करके सृजित किया गया है।

(viii) **अधिशेष/प्रतिधारित अर्जनः** सामान्यतः अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन कंपनी की संचयी आय की अवितरित लाभ/राशि को दर्शाता है और इसमें परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर लाभ/हानि का पुनः मापन शामिल है।

(ix) **एफवीटीओसीआई–इक्विटी दस्तावेज** – कंपनी ने इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता देने का विकल्प चुना है। यह परिवर्तन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी दस्तावेजों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न संचयी लाभ व हानि को दर्शाता है। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को तब प्रतिधारित आय में अंतरित करती है जब इक्विटी प्रतिभूतियों को संगत विमान्य किया जाता है।

(x) **एफवीटीओसीआई–ऋण दस्तावेज** – कंपनी ने ऋण प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता देने का विकल्प चुना है। यह परिवर्तन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ऋण दस्तावेजों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न संचयी लाभ व हानि को दर्शाता है। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को लाभ एवं हानि के माध्यम से तब प्रतिधारित आय में अंतरित करती है जब संगत ऋण प्रतिभूतियों को विमान्य किया जाता है।

टिप्पणी सं. 15.3 : गैर–नियंत्रक हित (एनसीआई)

(करोड़ रूपए में)

सहायक कंपनियों का नाम	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
एनएचडीसी लिमिटेड	2,719.74	2,827.02
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)	38.43	35.74
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा प्रा. लिमिटेड (बीएसयूएल)	5.71	5.71
लैंको तीस्ता हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड (एलटीएचपीएल)	-	-
कुल	**2,763.88**	**2,868.47**

व्याख्यात्मक टिप्पणीः

क) अन्य निकायों में ब्याज

31 मार्च, 2020 के अनुसार समूह की सहायक कंपनियां नीचे दिए अनुसार हैं। जब तक कि अन्यथा न बताया गया हो, उनकी शेयर पूंजी में केवल इक्विटी शेयर शामिल हैं जो सीधे समूह द्वारा धारित हैं, और स्वामित्व ब्याजों का अनुपात समूह द्वारा धारित मत अधिकारों के समान हैं। अधिनिगमन या पंजीकरण का देश ही उनके व्यापार का प्रमुख स्थान है।

(करोड़ रूपए में)

कंपनी का नाम	व्यापार का स्थान/ अधिनिगमन का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व ब्याज		गैर–नियंत्रक हितों द्वारा धारित स्वामित्व ब्याज		प्रमुख क्रियाकलाप
		31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को	
		%	%	%	%	
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत	51.08	51.08	48.92	48.92	विद्युत उत्पादन
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)	भारत	73.17	74.00	26.83	26.00	विद्युत उत्पादन
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा प्रा. लिमिटेड (बीएसयूएल)	भारत	99.99	99.99	0.01	0.01	विद्युत उत्पादन
लैंको तीस्ता हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड (एलटीएचपीएल) (09.10.2019 से)#		100.00				विद्युत उत्पादन

वर्ष के दौरान, एनएचपीसी लिमिटेड ने एनसीएलटी के माध्यम से लैंको तीस्ता हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। विस्तृत प्रकटन के लिए समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(32) देखें।

ख) गैर–नियंत्रक ब्याज (एनसीआई)

नीचे प्रत्येक सहायक कंपनी हेतु सारबद्ध वित्तीय सूचना दी गई है जिसके समूह में गैर–नियंत्रक ब्याज है। प्रत्येक सहायक कंपनी हेतु प्रकट की गई राशियां अंतर–कंपनी समाप्ति से पूर्व की हैं।

(करोड़ रूपए में)

विवरण	एनएचडीसी लिमिटेड		लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड		बुंदेलखंड सौर ऊर्जा प्रा.लिमिटेड		लैंको तीस्ता हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड (एलटीएचपीएल)	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
वर्तमान परिसंपत्तियां	1,975.40	2,397.60	2.20	5.05	12.73	11.89	16.15	-
वर्तमान देयताएं	837.58	358.87	5.09	7.16	16.97	12.85	5.76	-
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां	**1,137.82**	**2,038.73**	**2.89**	**2.11**	**4.24**	**0.96**	**10.39**	**-**
गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	5,268.15	5,155.99	146.16	139.58	13.64	9.56	952.24	-
विनियामक आस्थगित लेखा शेष	376.85	486.53	-	-	-	-	.	-
गैर–वर्तमान देयताएं	**1,220.03**	**1,891.41**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.26**	**-**
निवल गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	**4,424.97**	**3,751.11**	**146.16**	**139.58**	**13.64**	**9.56**	**950.98**	**-**
निवल परिसंपत्तियां	**5,562.79**	**5,789.84**	**143.27**	**137.47**	**9.40**	**8.60**	**961.37**	**-**
आवंटन लंबित रहने वाली शेयर अनुप्रयोग राशि	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.71**	**5.71**	**-**	**-**
निर्दिष्ट आरक्षित	**3.61**	**11.38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
गैर नियंत्रक ब्याज का कुल	**2,719.74**	**2,827.02**	**38.43**	**35.74**	**5.71**	**5.71**	**-**	**-**

ग) लाभ एवं हानि का सारबद्ध विवरण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	एनएचडीसी लिमिटेड		लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड		बुंदेलखंड सौर ऊर्जा प्रा.लिमिटेड		लैंको तीस्ता हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड (एलटीएचपीएल) (09.10.2019 से)	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
राजस्व	1,494.57	1,037.30	0.18	0.93	0.01	0.02	-	-
वर्ष हेतु लाभ/(हानि)	1,504.08	470.69	0.10	0.39	(0.19)	(0.20)	(0.06)	-
विनियामक आस्थगित आय	(584.11)	20.02			-	-	-	-
अन्य व्यापक आय	(1.87)	(0.25)	-	-	-	-	-	-
कुल व्यापक आय	**918.10**	**490.46**	**0.10**	**0.39**	**(0.19)**	**(0.20)**	**(0.06)**	**-**
एनसीआई को आवंटित लाभ	450.09	240.08	0.03	0.10	-	-	-	-
एनसीआई को अदा किया गया लाभांश (डीडीटी सहित)	560.24	320.63	-	-	-	-	-	-

घ) सारबद्ध नकदी प्रवाह

(करोड़ रूपए में)

विवरण	एनएचडीसी लिमिटेड		लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड		बुंदेलखंड सौर ऊर्जा प्रा.लिमिटेड		लैंको तीस्ता हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड (एलटीएचपीएल) (09.10.2019 से)	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	777.72	403.91	0.01	(0.44)	0.76	0.98	(0.30)	-
निवेशात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	385.80	230.50	(4.74)	0.57	(0.90)	(0.66)	(12.12)	-
वित्त–पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	(1,155.69)	(635.44)	5.70	-	0.99	-	23.00	-
नकदी तथा नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी)	**7.83**	**(1.03)**	**0.97**	**0.13**	**0.85**	**0.32**	**10.58**	**-**

टिप्पणी सं. 16.1 : वित्तीय देयताएं – गैर वर्तमान – उधारियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
परिशोधित लागत पर		
क. – प्रतिभूतित ऋण		
– बाण्ड	14,532.79	11,635.59
– सावधि ऋण		
– बैंकों से	500.00	200.00
– अन्य से (वित्तीय संस्थान)	474.00	840.34
ख. – अप्रतिभूतित ऋण		
– सावधि ऋण		
– भारत सरकार से (अधीनस्थ ऋण)	3,597.58	3,352.83
– अन्य से (विदेशी मुद्रा में)	1,774.29	1,015.87
उप–जोड़ (क + ख)	**20,878.66**	**17,044.63**
ग. पट्टा दायित्वों की दीर्घावधिक परिपक्वता (टिप्पणी सं. 34(18) देखें)	13.14	-
कुल (क + ख + ग)	**20,891.80**	**17,044.63**

16.1.1 ऋण प्रसंविदाएं – पूंजीगत प्रबंधन के संबंध में टिप्पणी संख्या 33(3) देखें।

16.1.2 मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण।

टिप्पणी सं. 16.1.2

(करोड़ रूपए में)

16.1.2.क मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(क) बॉण्ड (गैर–परिवर्तनीय और गैर–संचयी) – प्रतिभूतित		
i) कर मुक्त बॉण्ड – 3ए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3 व 6) देखें) (1,000/- रुपए प्रत्येक के 8.67 प्रतिशत प्रति वर्ष के 20 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2033)	336.07	336.07
ii) कर मुक्त बॉण्ड – 3बी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3 व 6) देखें) (1,000/- रुपए प्रत्येक के 8.92 प्रतिशत प्रति वर्ष 20 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2033)	253.62	253.62
iii) बॉण्ड – यू सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(2 व 7) देखें) (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.24 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 27.06.2031)	540.00	540.00
iv) बॉण्ड – यू1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(2 व 7) देखें) (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.17 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 27.06.2031)	360.0	360.0
v) कर मुक्त बॉण्ड – 2ए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3 व 6) देखें) (1,000/- रुपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2028)	213.12	213.12
vi) कर मुक्त बॉण्ड – 2बी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3 व 6) देखें) (1,000/- रुपए प्रत्येक के 8.79 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2028)	85.61	85.61
vii) बाण्ड–एए–1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(13) देखें) (6.89 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूतित चुकौती योग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (500 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.03.2026 से प्रारंभ होगी।)	500.00	-

16.1.2.क	मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
viii)	**बाण्ड–एए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(13) देखें)** (7.13 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/- रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूतित चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (1500 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.02.2026 से प्रारंभ होगी।)	1,500.00	-
ix)	**बाण्ड–वाई–1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(13) देखें)** (7.38 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/- रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूतित चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (500 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 03.01.2026 से प्रारंभ होगी।)	500.00	-
x)	**बाण्ड–वाई सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(12) देखें)** (7.50 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/- रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूतित चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (1500 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 07.10.2025 से प्रारंभ होगी।)	1,500.00	-
xi)	**कर मुक्त बॉण्ड – 1ए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3 व 6) देखें)** (1,000/- रुपए प्रत्येक के 8.18 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2023)	50.81	50.81
xii)	**कर मुक्त बॉण्ड – 1बी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3 व 6) देखें)** (1,000/- रुपए प्रत्येक के 8.43 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2023)	60.77	60.77
xiii)	**बाण्ड–डब्ल्यू2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(10) देखें)** (7.35 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूतित चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धनराशि सहित) (15.09.2023 से 15.09.2027 तक 150.00 करोड़ रूपए प्रत्येक की 5 वर्षीय मोचन)	750.00	750.00
xiv)	**बाण्ड–वी2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3) देखें)** (7.52 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/- रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूतित चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (06.06.2023 से 06.06.2027 तक 295.00 करोड़ रूपए प्रत्येक की 5 वर्षीय मोचन)	1,475.00	1,475.00
xvi)	**बाण्ड–एक्स सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(1 और 3) देखें)** (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.65 प्रतिशत प्रति वर्ष के 10 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनीय गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड, जो 7 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय) (7 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय 1500 करोड़ रुपए की राशि के बांड इश्यू, जो 08.02.2023 से प्रारंभ है। (मोचन की तिथि 08.02.2029)	1,500.00	1,500.00
xvii)	**बॉण्ड – टी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(1, 2 व 7) देखें)** (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.50 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनीय गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (14.07.2019 से 14.07.2030 के बीच 122.91 करोड़ रुपए के 12 वर्षीय मोचन)	1,352.01	1,474.92
xvii)	**बॉण्ड – आर–3 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3) देखें)** (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.78 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनीय गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय मोचनीय योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (11.02.2019 से प्रारंभ 892.00 करोड़ रुपए के 10 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय बांड इश्यू। दिनांक 31.03.2020 को 89.20 करोड़ रुपए की 8 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	713.60	802.80

16.1.2.क	मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
xviii)	**बॉण्ड – एस–2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(7) देखें)** (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनीय गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (26.11.2018 से प्रारंभ 660.00 करोड़ रुपए के 12 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय योग्य बांड इश्यू। दिनांक 31.03.2020 को 55.00 करोड़ रुपए प्रत्येक की 10 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	550.00	605.00
xix)	**बाण्ड–डब्ल्यू1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(10) देखें)** (6.91 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/- रूपए प्रत्येक के 5 वर्षीय प्रतिभूतित चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (15.09.2018 से प्रारंभ 1500 करोड़ रुपए के प्रत्येक की 5 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय योग्य बांड इश्यू। दिनांक 31.03.2020 को 300 करोड़ रुपए 3 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	900.00	1,200.00
xx)	**बॉण्ड – वी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3) देखें)** (5,00,000/- रुपए प्रत्येक के 6.84 प्रतिशत प्रति वर्ष 5 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें 5 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/5 है) (24.01.2018 से 24.01.2022 के बीच 155.00 करोड़ रुपए के 5 वार्षिक मोचन। 31.03.2020 को 155 करोड़ रूपए की 2 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	310.00	465.00
xxi)	**बॉण्ड – क्यू सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(4 व 8) देखें)** (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 9.25 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूललधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (1266.00 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 12.3.2016 से प्रारंभ हुई है। 31.03.2020 के अनुसार 105.50 करोड़ रूपए प्रत्येक की 7 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)	738.50	844.00
xxii)	**बॉण्ड – आर–2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3) देखें)** (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.85 प्रतिशत प्रति वर्ष 14 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (382.08 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.02.2016 से प्रारंभ हुई है। 31.03.2020 के अनुसार 31.84 करोड़ रूपए प्रत्येक की 7 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)	222.88	254.72
xxiii)	**बॉण्ड – पी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3, 5 व 6) देखें)** (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 10 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना चाहिए।) (2000 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 01.2.2016 से प्रारंभ हुई है। 31.03.2020 के अनुसार 200 करोड़ रूपए प्रत्येक की 5 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)	1,000.00	1,200.00
xxiv)	**बॉण्ड –एस1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(7) देखें)** (8.49 प्रतिशत 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 10,00,000/- रूपए है और जो 10 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/10वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है)। (365 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 26.11.2015 से प्रारंभ हुई है। 31.03.2020 के अनुसार 36.50 करोड़ रूपए की 5 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)	182.50	219.00
xxv)	**बॉण्ड –आर1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(7) देखें)** (8.70 प्रतिशत 13 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 12,00,000/- रूपए है और जो 12 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/12वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है)। 82.20 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.2.2015 से प्रारंभ हुई है। 31.03.2020 के अनुसार 6.85 करोड़ रूपए की 6 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।	41.10	47.95
	कुल बॉण्ड	**15,635.59**	**12,738.39**
	घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	**1,102.80**	**1,102.80**
	बांड – वर्तमान परिपक्वता का निवल (क)	**14,532.79**	**11,635.59**

16.1.2.क मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(ख) सावधि ऋण – प्रतिभूतित (बैंक)		
i) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(2) देखें) (7.207 प्रतिशत प्रति वर्ष की ऊपरी सीमा के साथ 3 वर्ष की स्थिर ब्याज दर से 10 करोड़ रुपए प्रत्येक की 3 समान वार्षिक किश्तों में 27.12.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य जिसमें 3 वर्ष का पुनर्निर्धारण खंड है। वर्तमान में दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार यह 7.207 प्रतिशत प्रति वर्ष है।) दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार 10 करोड़ रुपए प्रत्येक की 1 वार्षिक किश्त बकाया है।)	10.00	20.00
ii) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(11) देखें) (दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार 8.00 प्रतिशत की फ्लोटिंग (वार्षिक पुनर्निर्धारण के साथ एमसीएलआर) ब्याज दर पर 31.08.2028 तक 28 समान तिमाही किश्तों (17.858 करोड़ रुपए की 27 किश्तें और 17.834 करोड़ रुपए की 28वीं किश्त) में पुनर्भुगतान योग्य)	500.00	190.00
कुल सावधि ऋण – बैंक (प्रतिभूतित)	**510.00**	**210.00**
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	10.00	10.00
कुल सावधि ऋण – बैंक – वर्तमान परिपक्वता का निवल (ख)	**500.00**	**200.00**
(ग) सावधि ऋण – अन्य से (प्रतिभूतित)		
i) भारतीय जीवन बीमा निगम (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (3 व 5) देखें) 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार 8.33 करोड़ रुपए पर 9.25 प्रतिशत और 200 करोड़ रुपए पर 8 प्रतिशत की नियत ब्याज दर पर 104.16667 करोड़ रुपए प्रत्येक की 2 छमाही किश्तों में 15.10.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य)।	208.33	416.67
ii) भारतीय जीवन बीमा निगम (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (4 व 8) देखें) (31.03.2020 की स्थिति के अनुसार 9.118 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर के साथ 79 करोड़ रुपए प्रत्येक की 8 समान छमाही किश्तों में 31.10.2023 पुनर्भुगतान योग्य।)	632.00	790.00
कुल सावधि ऋण–अन्य पक्षकार (प्रतिभूतित)	**840.33**	**1,206.67**
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	366.33	366.33
सावधि ऋण – अन्य वर्तमान परिपक्वता का निवल (ग)	**474.00**	**840.34**
(घ) भारत सरकार से सावधि ऋण (अप्रतिभूतित)		
भारत सरकार से ऋण (उचित मूल्य पर)		
i) निम्मो बाज़गो पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (4 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 12वें वर्ष अर्थात 10.10.2025 से 29.0577 करोड़ की 18 समान वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)	424.54	420.78
ii) चुटक पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (2.50 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 6वें वर्ष अर्थात 01.02.2019 से 23.11 करोड़ रूपए की 24 समान वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)	442.14	460.18
iii) किशनगंगा पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (1 प्रतिशत वार्षिक नियत ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से 364.458 करोड़ रुपए की 10 समान वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से अर्थात 24.05.2029 से वार्षिक आधार पर देय होगा)	2,754.01	2,494.98
कुल सावधि ऋण – सरकार (अप्रतिभूतित)	**3,620.69**	**3,375.94**
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	23.11	23.11
सावधि ऋण – अन्य पक्षकार – वर्तमान परिपक्वता का निवल (घ)	**3,597.58**	**3,352.83**
(ङ) सावधि ऋण – अन्यों से – विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूतित)		
i) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी शृंखला–I (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(9) देखें) (31.03.2020 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.01.2026 तक 8.56 करोड़ रूपए प्रत्येक की 12 समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)	102.67	107.47
ii) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी शृंखला–II (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(9) देखें) (31.03.2020 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.12.2027 तक 28.07 करोड़ रूपए प्रत्येक की 16 समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)	449.07	453.29
iii) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी शृंखला–III (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(9) देखें) (31.03.2020 को 1.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.03.2034 तक 20.73 करोड़ रूपए प्रत्येक की 28 समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)	580.49	558.03

16.1.2.क मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
iv) एमयूएफजी बैंक लिमिटेड, सिंगापुर (6 माह लिबर की परिवर्तनशील दर +0.75 प्रतिशत पर 25.07.2024 को एक ही किश्त में पुनर्भुगतान योग्य। ऋण का बचाव 0.931 प्रतिशत (भारतीय रुपए) प्रति वर्ष की केवल कूपन विनिमय नियत दर पर तथा 0.90 रुपए की जेपीवाई स्ट्राइक कीमत सहित 6.25 प्रतिशत (भारतीय रुपए) प्रति वर्ष की मांग फैलाव कूपन नियत दर पर किया जाता है)	756.77	-
कुल सावधि ऋण – अन्य पक्षकार – विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूतित)	**1,889.00**	**1,118.79**
घटाएं : वर्तमान परिपक्वताएं	114.71	102.92
सावधि ऋण – अन्य पक्षकार – विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूतित) (ङ)	**1,774.29**	**1,015.87**
सकल जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ)	**20,878.66**	**17,044.63**

16.1.2.ख प्रतिभूति का विवरण

1. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के चमेरा पावर स्टेशन–I की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
2. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के उड़ी–I पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
3. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी की पार्बती–II जलविद्युत परियोजना की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
4. पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित कम्पनी की तीस्ता लो डैम–III पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
5. उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी की धौलीगंगा जलविद्युत परियोजना की सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
6. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी की चमेरा–III पावर स्टेशन की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
7. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी की पार्बती–III पावर स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक तथा रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूतित।
8. सिक्किम राज्य में अवस्थित कम्पनी की तीस्ता–V पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूतित।
9. उपरोक्त क्रमांक ङ(i), ङ(ii)और ङ(iii) पर वर्णित ऋण भारत सरकार द्वारा प्रतिभूतित हैं।
10. हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित में कंपनी की पार्बती–II परियोजना की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (लेखा बही तथा भण्डारों के अतिरिक्त) के प्रति साम्य बंधक तथा रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूतित सृजन और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित कंपनी के दुलहस्ती पावर स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (लेखा बही तथा भण्डारों के अतिरिक्त) के प्रति रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूतित प्रक्रियाधीन है।
11. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी की टीएलडीपी–III पावर स्टेशन की अचल और चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूतित।
12. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी की पार्बती–II परियोजना की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (लेखा बही तथा भण्डारों के अतिरिक्त) के प्रति बंधक/रेहन के माध्यम से प्रभार द्वारा प्रतिभूतित सृजन और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के किशनगंगा पावर स्टेशन की चल परिसंपत्तियों (लेखा बही तथा भण्डारों के अतिरिक्त) के प्रति रेहन के माध्यम से प्रभार द्वारा प्रतिभूतित।
13. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी की पार्बती–II परियोजना, पार्बती–III पावर स्टेशन, चमेरा–II पावर स्टेशन तथा उत्तराखंड राज्य में अवस्थित धौलीगंगा पावर स्टेशन की चल तथा अचल परिसंपत्तियों (लेखा बही तथा भण्डारों के अतिरिक्त) के प्रति साम्य बंधक/रेहन के माध्यम से प्रभार द्वारा प्रतिभूतित सृजन।

टिप्पणी सं. 16.2 वित्तीय देयताएं – गैर वर्तमान – अन्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देय **(टिप्पणी संख्या 16.2.1 देखें)**		
. मूलधन	2,017.20	2,017.20
प्रतिधारण राशि	43.09	42.24
कुल	**2,060.29**	**2,059.44**

16.2.1 वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) योजना के लिए भारत सरकार की वित्तपोषण आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी ने डिबेंचर (बांड) के रूप में 10,00,000/– रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य के साथ अप्रतिभूतित गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय मोचनीय, करयोग्य "भारत सरकार के पूर्णतः सेवित बांड – सीरीज–I" की निजी प्लेसमेंट के माध्यम से 2017.20 करोड़ रुपए की समग्र राशि जुटाई है। वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के दिनांक 21.01.2019 और 11.03.2019 के पत्र के साथ पठित विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के दिनांक 12.03.2019 के पत्र के तहत भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बांडों के मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान अनुमानित देयताओं के अनुसार विद्युत मंत्रालय की मांग में उपयुक्त बजट प्रावधान करके किया जाएगा। तद्नुसार, ऐसे बांडों की राशि और बांडधारकों को देय ब्याज की राशि उपरोक्तानुसार वित्तीय देयता के रूप में प्रतीत हो रही है और साथ ही भारत सरकार से कंपनी द्वारा वसूलीय राशि भी **टिप्पणी संख्या 3.4** के तहत गैर–वर्तमान – वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य के तहत "भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलीय राशि" के रूप में दर्शाई गई है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान जुटाए गए भारत सरकार पूर्णतः सेवित बांडों का ब्यौरा इस प्रकार है:

भारत सरकार पूर्णतः सेवित बांड–I सीरीजः

8.12 प्रतिशत पर प्रत्येक 10,00,000/– रुपए के अर्द्ध वार्षिक 10 वर्षीय अप्रतिभूतित गैर–संचयी, मोचनीय, गैर–परिवर्तनीय कर योग्य बांण्ड, (मोचन की तारीख 22.03.2029)	2,017.20	2,017.20

टिप्पणी सं. 17 प्रावधान – गैर वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
क)	**कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान**		
i)	**दीर्घावधि हितलाभ हेतु प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	27.38	21.50
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	8.67	7.66
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.98	1.78
	अंतिम शेष	**35.07**	**27.38**
ख.	**अन्य**		
i)	**प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	1.37	1.25
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.08	-
	छूट की समाप्ति	0.14	0.12
	अंतिम शेष	**1.43**	**1.37**
ii)	**आजीविका सहायता हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	17.66	17.40
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	1.35	0.66
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.73	0.62
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.14	0.14
	छूट की समाप्ति	0.43	0.36
	अंतिम शेष	**18.57**	**17.66**
iii)	**प्रावधान – अन्य**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	0.53	0.51
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.05	0.05
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.06	0.03
	अंतिम शेष	**0.49**	**0.53**
	कुल	**55.56**	**46.94**

टिप्पणीः प्रावधानों के संबंध में जानकारी समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(22) में दी गई है।

टिप्पणी सं. 18 आस्थगित कर देयताएं (निवल) – गैर वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
	आस्थगित कर देयता		
क)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, उपयोग का अधिकार, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	3,980.45	3,911.72
ख)	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	24.21	(7.75)
ग)	अन्य मदें	744.18	793.26
घ)	अवितरित अर्जन	514.46	400.63
	आस्थगित कर देयता	**5,263.30**	**5,097.86**
	घटाएं – समायोजन प्रावधानों के अनुपालन में समायोजित आस्थगित कर परिसपंत्तियां		
क)	कर्मचारी हितलाभ योजना, संदिग्ध ऋण, माल–सूची तथा अन्य हेतु प्रावधान	374.90	332.71
ख)	अन्य मदें	45.69	44.47
ग)	एमएटी ऋण पात्रता **(टिप्पणी सं 18.2 देखें)**	613.59	-
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**1,034.18**	**377.18**
	आस्थगित कर देयता (निवल)	**4,229.12**	**4,720.68**

18.1 आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्तियों) में संचलन

18.2 एनएचडीसी लि., समूह की एक सहायक कंपनी द्वारा एमएटी क्रेडिट की मान्यताः सीईआरसी विनियम वार्षिक नियत लागत की वसूली का विश्वसनीय प्रमाण प्रदान करता है। इसलिए, उपरोक्त क्षतिपूर्ति से भावी कर योग्य आय पर एमएटी ऋण का परिणामी आंशिक उपयोग होगा। दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 613.59 करोड़ रुपए (चालू वर्ष के दौरान 83.71 करोड़ रुपए के एमएटी ऋण के उपयोग के पश्चात) की एमएटी ऋण पात्रता को लेखाबहियों में आस्थगित कर संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है। उपरोक्त में से, 474.43 करोड़ रुपए की राशि को (उक्त को प्रभावी कर दर समायोजन के माध्यम से लाभार्थी को दिया जाता है) विनियामक आस्थगित ऋण शेष के रूप में मान्यता दी गई है।

18.3 आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115खकक के प्रावधानों के अनुसार कर कानून (संशोधित) अध्यादेश 2019 द्वारा घोषित तथा 11 दिसंबर, 2019 को कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 में अधिनियमित नियम 1 अप्रैल, 2019 से लागू होने हैं, घरेलू कंपनियों के पास उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अनुसार कुछ एक छूट/कटौतियों (नयी कर पद्धति) को छोड़कर रियायती दरों पर आय कर का भुगतान करने का विकल्प है। मूल कंपनी के पास 31 मार्च, 2020 तक 2196.82 करोड़ रुपए का न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) ऋण अप्रयुक्त पड़ा है और कुछ पावर स्टेशनों से विद्युत के उत्पादन से लाभ के संबंध में कर कटौती का लाभ उठा रही है। इस संबंध में वर्तमान तथा आस्थगित कर मान्यता के लिए मौजूदा कर संरचना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। धारा 115खकक के अंतर्गत विकल्प का उपयोग करने के लिए आवश्यक निर्णय, कर कटौती उपलब्ध न होने पर तथा एमएटी क्रेडिट की वास्तविक समाप्ति पर लिया जाएगा।

18.4 एमएटी ऋण पात्रता को मान्यता देने की आवश्यकता है क्योंकि निकट भविष्य में भावी कर योग्य लाभ की संभाव्यता के विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर आस्थगित कर संपत्ति, जिसके लिए ऋण का उपयोग किया जा सकता है। इस संदर्भ में तथा एमएटी ऋण पात्रता के उपयोग के लिए किसी मौजूदा विकास की अनुपस्थिति में, पूर्ववर्ती वर्षों में जारी विवेकसम्मत सिद्धांत पर 2196.82 करोड़ रुपए के अप्रयुक्त एमएटी ऋण को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जा रही है। इसके अलावा, आस्थगित कर प्रोद्भवन अथवा प्रत्यावर्तन से संबंधित विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर परिणामी प्रभाव पड़ता है तथा यहां तक कि इससे समूह के लाभ पर वास्तविक प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

18.1 आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्तियों) में संचलन

2019–20

आस्थगित कर देयता में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य मदें	अवितरित अर्जन	कुल
01 अप्रैल, 2019 को प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)	**3,911.72**	**(7.75)**	**793.26**	**400.63**	**5,097.86**
– लाभ या हानि में	68.73	-	(48.43)	113.83	134.13
– ओसीआई में	-	31.96	(0.65)	-	31.31
31 मार्च, 2020 को	**3,980.45**	**24.21**	**744.18**	**514.46**	**5,263.30**

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	कर्मचारी हितलाभ योजना, संदिग्ध ऋणों, मालसूची तथा अन्य हेतु प्रावधान	अन्य मदें	एमएटी ऋण	कुल
01 अप्रैल, 2019 को प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)	**332.71**	**44.47**	**-**	**377.18**
– लाभ या हानि में	42.84	1.22	613.59	657.65
– ओसीआई में	.0.65	-	-	(0.65)
31 मार्च, 2020 को	**374.90**	**45.69**	**613.59**	**1,034.18**

2018–19

आस्थगित कर देयता में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य मदें	अवितरित अर्जन	कुल
01 अप्रैल, 2018 को प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)	**3,148.21**	**9.07**	**929.24**	**386.89**	**4,473.41**
– लाभ या हानि में	763.51	(17.61)	(135.89)	13.74	623.75
– ओसीआई में	-	0.79	(0.09)	-	0.70
31 मार्च, 2019 को	**3,911.72**	**(7.75)**	**793.26**	**400.63**	**5,097.86**

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	कर्मचारी हितलाभ योजना, संदिग्ध ऋणों, मालसूची तथा अन्य हेतु प्रावधान	अन्य मदें	कुल
01 अप्रैल, 2018 को	**26.01**	**223.72**	**249.73**
(प्रभार)/क्रेडिट	**-**		
– लाभ या हानि में	306.79	(179.25)	127.54
– ओसीआई में	(0.09)	-	(0.09)
31 मार्च, 2019 को	**332.71**	**44.47**	**377.18**

टिप्पणी सं. 19 अन्य गैर वर्तमान देयताएं

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
	अग्रिम में प्राप्त आय – मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	992.02	1,027.80
	विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव लेखे से आस्थगित आय	42.81	48.51
	सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय **(टिप्पणी सं. 19.1 देखें)**	2,164.64	1,909.75
	कुल	**3,199.47**	**2,986.06**
19.1	**सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय**		
	प्रारंभिक शेष (वर्तमान और गैर–वर्तमान)	2,014.66	1,797.16
	जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त	362.21	309.67
	घटाएं : लाभ एवं हानि के विवरण में अंतरित (टिप्पणी सं 24.2 देखें)	98.46	92.17
	अंतिम शेष (वर्तमान और गैर वर्तमान) (टिप्पणी सं 19.1.1 देखें)	**2,278.41**	**2,014.66**
	सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय (वर्तमान) – (टिप्पणी सं 21 देखें)	113.77	104.91
	सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय (गैर–वर्तमान)	2,164.64	1,909.75
19.1.1	**अनुदान में निम्नलिखित शामिल है :**		
(i)	सहायता अनुदान के रूप में लेखांकित चुटक पावर स्टेशन, निम्मो बाजगो पावर स्टेशन और किशनगंगा जलविद्युत स्टेशन से प्राप्त अधीनस्थ ऋणों का उचित मूल्यांकन	1,163.35	862.65
(ii)	तमिलनाडु में 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के माध्यम से भारत सरकार से प्राप्त निधियां (सहायता अनुदान) तथा रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां (सहायता अनुदान)	24.26	23.98
(iii)	मध्य प्रदेश सरकार से इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर पावर स्टेशनों के लिए प्राप्त अनुदान	1,077.79	1,118.03
(iv)	राज्य में सौर विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से उन पर प्रोद्भूत ब्याज सहित प्राप्त निधियां (सहायता अनुदान)	13.01	10.00

टिप्पणी सं. 20.1 ऋण – वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
क	**मांग पर प्रतिदेय ऋण**		
	बैंकों से – प्रतिभूतित (टिप्पणी सं 20.1.1 देखें)	-	116.00
ख	**अन्य ऋण**		
	बैंकों से – प्रतिभूतित (टिप्पणी सं 20.1.2 देखें)	714.31	300.00
	कुल	**714.31**	**416.00**

20.1.1 ऋणों का ब्यौरा (प्रतिभूतित)

क्र.सं.	प्रतिभूति के ब्यौरे के साथ–साथ बैंक का नाम	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
1.	केनरा बैंक बही ऋणों और स्टाक से प्रतिभूतित है	-	106.00
2.	पंजाब एंड सिंध बैंक – सावधि जमा रसीद (एफडीआर) से प्रतिभूतित है	-	10.00
	कुल	**-**	**116.00**

20.1.2 714.31 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य) की राशि बैंक से प्रतिभूति ऋण व्यापार प्राप्यों के लिए लाभार्थियों हेतु छूट वाले बिलों द्वारा बैंक को देय राशि के लिए है। बिल छूट के माध्यम से परिसमाप्त व्यापार प्राप्यों की निरंतर मान्यता प्रदान करने से संबंधित टिप्पणी 7.5 देखें।

टिप्पणी सं. 20.2 व्यापार देय – वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय **(टिप्पणी सं 20.2.1 देखें)**	22.96	19.38
सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय	293.70	176.89
कुल	**316.66**	**196.27**

20.2.1 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।

टिप्पणी सं. 20.3 अन्य वित्तीय देयताएं – वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
दीर्घावधि ऋण संबंधी वर्तमान परिपक्वताएं (टिप्पणी सं 20.3.1 देखें)		
– बॉण्ड	1,102.80	1,102.80
– सावधि ऋण – बैंक – प्रतिभूतित	10.00	10.00
– सावधि ऋण – वित्तीय संस्थान – प्रतिभूतित	366.33	366.33
– अप्रतिभूतित – सरकार से (अधीनस्थ ऋण)	23.11	23.11
– अन्य – अप्रतिभूतित (विदेशी मुद्रा में)	114.71	102.92
पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वताएं **(टिप्पणी सं 34(18) देखें)**	3.34	-
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को छोड़कर पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता	409.91	348.89
पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता – सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	10.56	5.27
ऋणों पर प्रोद्भूत किन्तु देय न होने वाला ब्याज	643.10	584.99
भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में देय ब्याज	4.48	4.49
बयाना राशि/प्रतिधारण राशि	107.46	129.23
अदा न किया गया लाभांश **(टिप्पणी सं 20.3.2 देखें)**	22.64	19.17
अदा न किया गया ब्याज **(टिप्पणी सं 20.3.2 देखें)**	0.25	0.26
कर्मचारियों को देय	26.06	125.06
अन्य को देय	78.33	74.20
कुल	**2,923.08**	**2,896.72**

20.3.1 मोचन, ब्याज की दर, चुकौती की अवधि तथा प्रतिभूति के ब्यौरे **टिप्पणी संख्या 16.1.2** में प्रकट किए गए हैं।

20.3.2 "अदा न किया गया लाभांश" और "अदा न किया गया ब्याज" में वे राशियां शामिल हैं जिनका इक्विटी शेयर/बॉण्ड के निवेशकों/धारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है। उपर्युक्त में से, निवेशक शिक्षा और बचाव निधि में अंतरित किए जाने हेतु अपेक्षित राशि को अंतरित कर दिया गया है। निवेशक शिक्षा और बचाव निधि में भुगतान के लिए कोई राशि बकाया नहीं है।

20.3.3 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।

टिप्पणी सं. 21 अन्य वर्तमान देयताएं

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम)	52.60	65.19
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव लेखे से आस्थगित आय	5.92	6.17
देय जल उपयोग प्रभार	324.45	262.83
भुगतान योग्य सांविधिक देय	116.53	489.97
संविदा देयताएं – जमा कार्य	9.37	19.96
संविदा देयताएं – परियोजना प्रबंधन/परामर्श कार्य	268.49	196.82
ग्राहकों से अग्रिम और अन्य	11.69	12.19
सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय **(टिप्पणी सं 19.1 देखें)**	113.77	104.91
कुल	**902.82**	**1,158.04**

21.1 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।

टिप्पणी सं. 22 प्रावधान – वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
क)	**कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान**		
i)	**दीर्घावधि हितलाभ हेतु प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	2.20	142.89
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.72	1.13
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.42	141.82
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.12	-
	अंतिम शेष	**2.38**	**2.20**
ii)	**मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	14.92	13.59
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	3.75	14.53
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	18.33	13.20
	अंतिम शेष	**0.34**	**14.92**
iii)	**उत्पादकता संबंधित वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	279.25	283.86
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	288.25	198.37
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	147.54	202.92
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.88	0.06
	अंतिम शेष	**418.08**	**279.25**
iv)	**अधिवर्षिता/पेंशन निधि के लिए प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	0.10	3.63
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	0.10
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.10	3.63
	अंतिम शेष	**0.00**	**0.10**

	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
v)	**वेतन संशोधन हेतु प्रावधान – तीसरी वेतन संशोधन समिति**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	19.76	368.68
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.14	5.46
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	16.00	354.38
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	3.90	-
	अंतिम शेष	-	**19.76**
ख.	**अन्य**		
i)	**टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	223.45	242.56
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	35.91	68.69
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	103.44	87.80
	अंतिम शेष	**155.92**	**223.45**
ii)	**प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	163.97	200.51
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	0.81
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	6.46	37.85
	छूट की समाप्ति	-	0.50
	अंतिम शेष	**157.48**	**163.97**
iii)	**बीमित परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार व्यय हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	24.54	21.77
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	46.21	16.65
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	15.66	4.33
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.98	9.55
	अंतिम शेष	**54.11**	**24.54**
iv)	**आजीविका सहायता हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	15.99	15.59
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.90	0.59
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.93	0.24
	छूट की समाप्ति	0.05	0.05
	अंतिम शेष	**16.01**	**15.99**
v)	**मध्यस्थता निर्णय/अदालती मामलों के संबंध में प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	373.22	392.56
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.59	22.22
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	3.33	32.03
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.65	9.53
	अंतिम शेष	**369.83**	**373.22**
vi)	**प्रावधान – अन्य**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	416.99	331.30
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	39.68	108.71
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	185.82	21.20
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	2.06	1.82
	अंतिम शेष	**268.79**	**416.99**
	कुल	**1,442.94**	**1,534.39**

22.1 प्रावधानों के संबंध में जानकारी समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(22) में दी गई है।

टिप्पणी सं. 23 वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार वर्तमान कर देयता	1,175.20	822.78
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	1,498.78	1,175.20
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	(1,175.20)	(822.78)
वर्तमान कर देयता का अंतिम शेष (क)	1,498.78	1,175.20
घटाएं: स्रोत पर कर कटौती सहित वर्तमान अग्रिम कर (ख)	1,582.94	1,287.05
निवल वर्तमान कर देयताएं (क–ख)	**(84.16)**	**(111.85)**
(उपरोक्त टिप्पणी सं. 12 के तहत प्रकट किया गया है)	**84.16**	**111.85**
कुल	-	-

टिप्पणी सं. 24.1 : सतत प्रचालनों से राजस्व

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
	प्रचालनात्मक राजस्व		
क.	**बिक्री (टिप्पणी संख्या 24.1.1, 24.1.3 और 34(21) देखें)**		
	विद्युत की बिक्री	7,138.75	6,739.13
	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम – अवधि के दौरान पश्चलेखित	48.38	65.23
	निष्पादन आधारित प्रोत्साहन/(विनिवेश)	1,090.23	785.71
	उप–जोड़ (i)	**8,277.36**	**7,590.07**
	घटाएं:		
	विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के कारण बिक्री समायोजन	42.94	92.34
	टैरिफ समायोजन **(टिप्पणी संख्या 24.1.2 देखें)**	27.79	65.37
	विद्युत के उत्पादन से आय – चालू किए जाने से पूर्व (निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित)	25.56	9.17
	उपभोक्ताओं को छूट	29.06	44.62
	उप जोड़ (ii)	**125.35**	**211.50**
	उप जोड़ (क) = (i-ii)	**8,152.01**	**7,378.57**
ख.	**वित्त पट्टे से आय (टिप्पणी संख्या 34(18(ख) देखें)**	755.82	772.49
ग.	**प्रचालनात्मक पट्टे से आय (टिप्पणी संख्या 34(18(ग) देखें)**	666.57	748.61
घ.	**परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व**	23.33	23.19
ङ.	**विद्युत व्यापार से राजस्व**		
	विद्युत की बिक्री (छूट का निवल)	238.56	12.96
	व्यापार लाभ	0.91	-
	उप जोड़ (ङ)	**239.47**	**12.96**
	उप जोड़ -I (क+ख+ग+घ+ङ)	**9,837.20**	**8,935.82**
च.	**अन्य प्रचालनात्मक राजस्व**		
	स्वयं सृजित वीईआर/आरईसी की बिक्री से आय	1.76	14.23
	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) के संबंध में आय	2.53	3.21
	लाभग्राही राज्यों से ब्याज – टैरिफ का संशोधन	166.58	29.61
	उप जोड़-II	**170.87**	**47.05**
	कुल (I+II)	**10,008.07**	**8,982.87**

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
24.1.1	विद्युत की बिक्री में शामिल है:–		
	(i) वर्ष 2009 तक की अवधि से संबंधित आस्थगित कर देयता के संबंध में लाभार्थी से सीधे वसूली गई/वसूलनीय राशि और वर्ष के दौरान व्यवहार में लाई गई राशि	258.22	233.46
	(ii) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमत्य माना गया उत्पादन	72.56	105.48
	(iii) टैरिफ को अंतिम रूप देना लंबित रहने के चलते पूर्व वर्ष की बिक्री की राशि	220.50	411.47
	(v) विद्युत शुल्क तथा ऊर्जा प्रभाग उपकर लाभग्राहियों से वसूली योग्य है और तदनुसार लाभग्राहियों को इसका बिल भेजा गया है:		
	– विद्युत शुल्क	0.66	0.30
	– ऊर्जा विकास उपकर	61.44	28.75
24.1.2	टैरिफ समायोजन :– दिनांक 21.02.2014 की अधिसूचना के तहत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि पूंजीगत लागत के आधार पर टैरिफ का निर्धारण चालू टैरिफ अवधि के अंत में उसकी पूंजीगत लागत की सत्यता पर निर्भर करेगा, जिससे टैरिफ घट या बढ़ सकता है। तदनुरूप, वर्ष के दौरान बहियों में उक्त राशि का प्रावधान किया गया है।	27.79	65.37
24.1.3	बिल न किए गए राजस्व का राशि को बिक्री में शामिल किया गया है।	2,099.47	1,599.38

टिप्पणी सं. 24.2 अन्य आय

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
क)	**ब्याज आय**	5.68	5.68
	– एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश – गैर कर योग्य	25.76	25.81
	– एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश – कर योग्य	55.80	51.19
	– अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	175.96	213.06
	– जमा खाता	14.77	18.19
	– कर्मचारी ऋण और अग्रिम (छूट का निवल)	29.83	24.62
	– संविदाकारों को अग्रिम	20.64	10.74
	– अन्य		
ख)	**लाभांश आय**	4.80	4.80
	– लाभांश – अन्य		
ग)	**अन्य गैर–प्रचालनात्मक आय (उस आय पर सीधे ही आरोप्य व्यय का निवल)**	259.34	303.15
	विलंब भुगतान अधिभार	-	48.77
	व्यापार बाधा के कारण हानि की वसूली	-	1.20
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)	29.33	5.02
	बीमा दावे से आय	115.67	31.80
	पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/हानि प्रावधान/प्रावधान **(टिप्पणी संख्या 24.2.1 देखें)**		
	संविदाकार को जारी सामग्री	32.17	27.47
	(i) संविदाकारां को जारी सामग्री के कारण बिक्री	(37.63)	(42.44)
	(ii) वसूलीयोग्य आधार पर संविदाकारों को जारी सामग्री की लागत	5.46	14.98
	(iii) संविदाकार को जारी सामग्री के कारण समायोजन		

	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
	सहायता अनुदान का परिशोधन	98.46	92.17
	विनिमय दर परिवर्तन (निवल)	-	3.18
	व्युत्पन्न संबंधी बाजार से बाजार लाभ	33.71	-
	अन्य	32.19	44.65
	उप जोड़	**901.94**	**884.04**
	घटाएं – निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	128.69	13.12
	घटाएं – ग्राहक/संविदादाता से अग्रिम/जमा तथा जमा कार्यों के प्रति अंतरित	3.99	6.98
	घटाएं – अन्य आय से अनुदान का अंतरण	0.69	-
	कुल	**768.57**	**863.94**
24.2.1	**पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताओं/हानि प्रावधानों/प्रावधानों का ब्यौरा**		
	क) अशोध्य एवं संदिग्ध पूंजीगत अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.11	-
	ख) अप्रचलन और मालसूची के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	0.35	1.20
	ग) ऐसे ऋण के लिए हानि का प्रावधान, जिससे ऋण जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हुई	-	0.02
	घ) संदिग्ध चुकौतीयोग्य हेतु प्रावधान	3.34	8.00
	ङ) संदिग्ध प्रोद्भूत ब्याज के लिए प्रावधान	108.90	-
	च) लंबित जांच/प्रतीक्षित पश्चलेखन/स्वीकृति हानियों हेतु प्रावधान	0.16	1.18
	छ) आजीविका सहायता के लिए प्रावधान	-	0.14
	ज) बीमित परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार व्ययों हेतु प्रावधान	0.98	9.55
	झ) अन्य	1.83	11.71
	कुल	**115.67**	**31.80**

24.2.2 कुल में टिप्पणी संख्या 34(23) में वर्णन किए अनुसार सुबनसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 43.54 करोड़ रूपए (विगत वर्ष 24.71 करोड़ रूपए) शामिल हैं। तथापि, सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 9.82 करोड़ रूपए (विगत वर्ष 21.24 करोड़ रूपए) करोड़ रूपए की राशि हेतु विनियामक आस्थगित लेखा शेष को इंड एएस 114–"विनियामक आस्थगित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 25.1 : विद्युत की खरीद – व्यापार

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
विद्युत कर खरीद	238.32	12.94
घटाएं : आपूर्तिकर्ता से छूट	4.19	0.26
कुल	**234.13**	**12.68**

टिप्पणी सं. 25.2 : उत्पादन व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
जल उपयोग प्रभार	882.93	775.31
भंडार एवं कलपुर्जों की खपत	21.40	25.44
कुल	**904.33**	**800.75**

टिप्पणी सं. 26 : कर्मचारी हितलाभ व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन और मजदूरी	1,641.01	1,776.33
भविष्य तथा अन्य निधियों में अंशदान	212.85	280.47
कर्मचारी कल्याण व्यय	90.21	93.66
उप जोड़	**1,944.07**	**2,150.46**
घटाएं : निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	267.98	300.08
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	-	0.45
कुल	**1,676.09**	**1,849.93**

26.1 कर्मचारियों के लिए आवासीय मकानों के निमित्त पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण टिप्पणी 34(18)(क) में दिए गए है।

26.2 भविष्य निधि और अन्य निधि में अंशदान में निम्नलिखित अंशदान शामिल है:	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
(i) कर्मचारी भविष्य निधि के निमित्त	95.31	111.24
(ii) कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना के निमित्त	96.66	137.12

26.3 मजदूरी एवं वेतन इंड एएस 116 "पट्टों" के अनुसार अल्पावधि पट्टों पर व्यय में शामिल हैं। (टिप्पणी 34(18क) देखें) 1.76 -

26.4 कुल में टिप्पणी संख्या 34(23) में वर्णन किए अनुसार सुबनसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 35.61 करोड़ रूपए (विगत वर्ष 103.90 करोड़ रूपए) शामिल हैं। तथापि, सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 35.60 करोड़ रूपए (विगत वर्ष 20.68 करोड़ रूपए) की राशि हेतु विनियामक आस्थगित लेखा शेष को इंड एएस 114 –"विनियामक आस्थगित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 27 : वित्त लागत

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
क.	**परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज**		
	बॉण्ड	1,101.23	996.02
	सावधि ऋण	140.04	128.31
	विदेशी ऋण	25.29	21.37
	भारत सरकार ऋण	69.71	61.52
	पट्टा देयता	1.33	
	छूट शुरु करना – भारत सरकार ऋण	42.83	29.87
	उप जोड़	**1,380.43**	**1,237.09**
ख.	**अन्य ऋण लागत**		
	मांग फैलाव/कूपन विनिमय	30.23	-
	बॉण्ड निर्गम/सेवा व्यय	1.28	1.02
	विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	13.43	18.61
	अन्य वित्त प्रभार	0.96	0.78
	छूट शुरु करना – प्रावधान और वित्तीय देयताएं	5.54	5.75
	उप जोड़	**51.44**	**26.16**
ग.	**विदेशी मुद्रा लेनदेन और परिवर्तन पर लागू निवल (लाभ)/हानि**		
	ब्याज लागत पर समायोजन के संदर्भ में विनिमय अंतर	143.79	22.69
	घटाएं: आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियों में अंतरित	(120.23)	(22.69)
	उप जोड़	**23.56**	**-**

	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
घ.	**आय कर पर ब्याज**	2.42	-
	कुल (क+ख+ग+घ)	**1,457.85**	**1,263.25**
	घटाएं : निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	661.87	368.11
	कुल	**795.98**	**895.14**

27.1 कुल में टिप्पणी संख्या 34(23) में वर्णन किए अनुसार सुबनसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 157.61 करोड़ रूपए (विगत वर्ष 302.72 करोड़ रूपए) शामिल हैं। तथापि, सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 157.61 करोड़ रूपए (विगत वर्ष 76.78 करोड़ रूपए) की राशि हेतु विनियामक आस्थगित लेखा शेष को इंड एएस 114–"विनियामक आस्थगित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. : 28 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
मूल्यह्रास – संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	1,558.69	1,604.20
मूल्यह्रास – परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार	85.04	
परिशोधन– अमूर्त परिसंपत्तियां	0.96	66.84
विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के कारण मूल्यह्रास समायोजन **(टिप्पणी संख्या 5(घ)(ii) और 19 देखें)**	(0.36)	(4.09)
उप जोड़	**1,644.33**	**1,666.95**
घटाएं : निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	30.29	8.99
कुल	**1,614.04**	**1,657.96**

28.1 कुल में टिप्पणी संख्या 34(23) में वर्णन किए अनुसार सुबनसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 3.59 करोड़ रूपए (विगत वर्ष 8.54 करोड़ रूपए) शामिल हैं। तथापि, सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 3.59 करोड़ रूपए (विगत वर्ष 1.77 करोड़ रूपए) की राशि हेतु विनियामक आस्थगित लेखा शेष को इंड एएस 114–"विनियामक आस्थगित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 29 : अन्य व्यय

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
क.	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**		
	– भवन	72.50	70.28
	– मशीनरी	82.58	65.41
	– अन्य	170.31	173.38
ख.	**अन्य व्यय**		
	किराया	24.56	57.03
	हायर प्रभार	28.86	-
	दरें और कर	77.64	43.32
	बीमा	180.93	136.30
	सुरक्षा व्यय	408.08	340.48
	विद्युत प्रभार	52.11	56.09
	यात्रा एवं वाहन	29.70	28.69
	वाहनों पर खर्च	6.93	8.85
	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	18.16	16.86

	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
	विज्ञापन एवं प्रचार	8.15	17.21
	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	0.62	0.74
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	5.35	5.25
	परामर्शी प्रभार	16.17	17.91
	लेखा परीक्षा खर्च	3.14	2.15
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/ पर्यावरण सुधार पर खर्च	10.69	116.36
	कंपनी से गैर–संबंधित भूमि पर व्यय	3.63	9.59
	परिसंम्पत्तियों पर हानि (निवल)	4.48	0.05
	बीमा दावों से होने वाली हानियां	46.21	72.89
	पुस्तकें व पत्रिकाएं	-	0.03
	चंदा	-	1.00
	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	152.04	47.98
	सामुदायिक विकास व्यय	0.13	0.11
	निदेशकों को बैठक शुल्क	0.20	0.28
	अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	0.33
	मध्यस्थता/अदालती मामलों पर ब्याज	4.13	1.01
	लाभार्थी को ब्याज	77.00	-
	स्वतः उत्पन्न वीईआर/आरईसी संबंधी व्यय	0.10	0.27
	विनियम दर परिवर्तन (निवल)	49.75	-
	प्रशिक्षण व्यय	8.72	7.29
	सीईआरसी/आरएलडीसी/आरपीसी/आईईएक्स/पीएक्सआईएल को याचिका शुल्क/पंजीकरण शुल्क/अन्य शुल्क	11.23	9.14
	केन्द्रीय विद्यालय के प्रचालनात्मक/चालन व्यय	6.19	31.80
	अन्य विद्यालयों के प्रचालनात्मक/चालन व्यय	0.56	3.03
	अतिथि गृह/ट्रांजिट छात्रावास के प्रचालनात्मक/ चालन व्यय	22.55	20.55
	डीजी सेट के प्रचालन व्यय – आवासीय के अतिरिक्त	7.94	7.16
	अन्य सामान्य व्यय	33.13	39.59
	उप जोड़	**1,624.47**	**1,408.41**
	घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित	81.67	193.04
	घटाएं : जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	0.04
	घटाएं : पुनः खरीद पर व्यय के लिए सामान्य आरक्षित राशि में अंतरण	-	6.20
	उप जोड़ (i)	**1,542.80**	**1,209.13**
ग.	**प्रावधान/हानि का प्रावधान**		
	शोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान	-	0.01
	शोध्य तथा संदिग्ध चुकौती हेतु प्रावधान	-	2.99
	संदिग्ध ब्याज हेतु प्रावधान	-	4.79
	भण्डार तथा कलपुर्जों/निर्माण भंडारों के लिए प्रावधान	0.20	2.99
	परियोजना व्यय के लिए प्रावधान	154.73	60.52
	अचल परिसंपत्तियों/भंडार हेतु प्रावधान	0.28	0.10
	लाभार्थी को ब्याज **(टिप्पणी सं. 29.2 देखें)**	1.38	41.31
	उप जोड़	**156.65**	**112.71**
	घटाएं : निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	0.06	2.24
	उप जोड़ (ii)	**156.59**	**110.47**
	कुल (i+ii)	**1,699.39**	**1,319.60**

	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
29.1	पट्टों के संबंध में प्रकटन टिप्पणी 34(16)(क) में दिए गए है।		
29.2	कंपनी द्वारा सीईआरसी की दिनांक 21.02.2014 की अधिसूचना के अंतर्गत संतुलन के लिए दायर आवेदन के संबंध में सीईआरसी द्वारा संशोधन आदेश की अधिसूचना के लंबित होने के चलते, संबंधित राशि का बहियों में लाभग्राही राज्यों के प्रति ब्याज के लिए प्रावधान उस वर्ष/अवधि के लिए किया गया है जिसे उक्त संशोधन आदेश के परिणामस्वरूप टैरिफ में कमी के मामले में अदा करना पड़ सकता है।	1.38	41.31
29.3	किराये में इंड एएस 116 "पट्टों" के अनुसार निम्नलिखित व्यय में शामिल हैं **(टिप्पणी सं. 34(18क) देखें)**		
	(i) एक माह अथवा उससे कम अवधि के पट्टे के अतिरिक्त अल्पावधि पट्टे पर व्यय	15.15	-
	(ii) निम्न मूल्य परिसंपत्तियों के दीर्घावधि पट्टे पर व्यय	0.14	-
	(iii) पट्टा देयताओं के मापन में शामिल नहीं किए गए परिवर्तनशील पट्टा भुगतान	9.27	-
29.4	लाभ एवं हानि के विवरण पर इंड एएस 116 "पट्टों" का प्रभाव। **(टिप्पणी सं. 34(29) देखें)**	0.26	
29.5	कुल में टिप्पणी संख्या 34(23) में वर्णन किए अनुसार सुबनसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 70.44 करोड़ रूपए (विगत वर्ष 58.83 करोड़ रूपए) शामिल हैं। तथापि, सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 16.27 करोड़ रूपए (विगत वर्ष 16.54 करोड़ रूपए) की राशि हेतु विनियामक आस्थगित लेखा शेष को इंड एएस 114–"विनियामक आस्थगित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।		

टिप्पणी सं. : 30.1 कर व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्तमान कर		
वर्तमान कर के लिए प्रावधान	877.36	873.71
पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन	20.38	(46.30)
कुल वर्तमान कर व्यय	**897.74**	**827.41**
आस्थगित कर		
आस्थगित कर परिसंपत्तियों में कमी (वृद्धि)		
– अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	(44.68)	131.23
– एमएटी ऋण पात्रता के कारण समायोजन	(697.30)	
आस्थगित कर देयताओं में कमी/(वृद्धि)		-
– अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	20.91	351.24
– अवितरित अर्जन से संबंधित	113.83	13.74
कुल आस्थगित कर व्यय (हितलाभ)	**(607.24)**	**496.21**
निवल आस्थगित कर	**(607.24)**	**496.21**
कुल	**290.50**	**1,323.62**

30.1.1	**कर व्यय और भारत की घरेलू दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ का मिलान**	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु**
	विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन सहित आय कर से पूर्व लेखांकन लाभ/हानि	3,615.22	4,431.34
	लागू कर दर (प्रतिशत)	34.9440	34.9440
	गणना किए गए कर व्यय	**1,263.30**	**1,548.49**
	कर योग्य आय की गणना करते समय कटौती योग्य न होने वाले (कर योग्य) राशियों का कर प्रभाव		
	गैर कटौती योग्य कर व्यय	305.71	69.85

कर व्यय और भारत की घरेलू दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ का मिलान		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
	कर छूट आय	(3.66)	(141.28)
	कर प्रोत्साहन (80–I क कटौती)	(933.27)	(714.38)
	पूर्व की अवधि के वर्तमान कर हेतु समायोजन	(0.75)	(46.30)
	न्यूनतम वैकल्पिक कर समायोजन	(477.11)	593.35
	अवितरित लाभ	113.83	13.74
	अन्य	22.45	0.15
	लाभ एवं हानि के विवरण में सूचित आय कर व्यय	**290.50**	**1,323.62**
30.1.2	**इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त राशियां**		
	रिपोर्टिंग अवधि में उत्पन्न होने वाले समेकित वर्तमान तथा आस्थगित कर जिन्हें निवल लाभ या हानि या अन्य व्यापक आय में मान्यता नहीं दी गई है परंतु सीधे ही इक्विटी में डेबिट/(क्रेडिट) किया गया है:		
	वर्तमान कर	शून्य	शून्य
	आस्थगित कर	शून्य	शून्य
	कुल	**शून्य**	**शून्य**
30.1.3	**कर हानियां तथा क्रेडिट**		
(i)	अप्रयुक्त कर हानियां जिनके लिए किसी आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता प्रदान नहीं की गई है	शून्य	शून्य
	संभावित कर लाभ 30 प्रतिशत की दर से	शून्य	शून्य
(ii)	कंपनी को भविष्य में उपलब्ध मैट क्रेडिट का ब्यौरा जिसे बहियों में मान्यता प्रदान नहीं की गई है **(टिप्पणी सं. 30.1.5 देखें)**	2,196.82	3,122.92
30.1.4	**मान्यता प्रदान न किए गए अस्थायी अंतर**		
	सहायक कंपनियों में निवेश से संबंधित अस्थायी अंतर जिनके लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता नहीं प्रदान की गई है		
	अवितरित आय	शून्य	शून्य
	उपरोक्त अस्थायी अंतरों से संबंधित मान्यता न दी गई आस्थगित कर देयताएं	शून्य	शून्य

30.1.5 कंपनी को भविष्य में उपलब्ध न्यूनतम कर समायोजन (एमएटी) क्रेडिट का ब्यौरा जिसे बहियों में मान्यता प्रदान नहीं की गई है, नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2020 के अनुसार		31 मार्च, 2019 के अनुसार	
	राशि	समाप्ति का वर्ष	राशि	समाप्ति का वर्ष
2019-20	156.01	2034-35		
2018-19	706.37	2033-34	696.15	9.18
2017-18	328.67	2032-33	328.67	2032-33
2016-17	234.26	2031-32	234.26	2031-32
2015-16	280.94	2030-31	280.94	2030-31
2014-15	219.13	2029-30	219.13	2029-30
2013-14	686.67	2028-29	686.67	2028-29
2012-13	376.94	2027-28	376.94	2027-28
2011-12	24.45	2026-27	24.45	2026-27
2010-11	57.24	2025-26	76.81	2025-26
2009-10	-	2024-25	64.13	2024-25
2008-09	125.59	2023-24	125.59	2023-24
कुल	**3,196.27**		**3,113.74**	

वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2020 को राशि समाप्ति का वर्ष	31 मार्च, 2019 को राशि समाप्ति का वर्ष
घटाएं: आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में मान्यताप्राप्त एमएटी क्रेडिट	613.59	-
भविष्य में कंपनी को पूर्वोक्त उपलब्ध एमएटी क्रेडिट के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों को निकट भविष्य में इसकी अनिश्चितता को देखते हुए मान्यता नहीं दी गई है।	385.86	-
भविष्य में उपलब्ध एमएटी क्रेडिट	**2,196.82**	**3,113.74**

भविष्य में कंपनी को पूर्वोक्त उपलब्ध एमएटी क्रेडिट के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों को निकट भविष्य में इसकी अनिश्चितता को देखते हुए मान्यता नहीं दी गई है।

टिप्पणी सं: 30.2 अन्य व्यापक आय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
(i) मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
(क) रोजगार पश्च परिभाषित लाभ दायित्वों का पुनर्मापन	55.78	1.52
घटाएं: रोजगार पश्च परिभाषित लाभ दायित्वों के पुनर्मापन पर आस्थगित कर	19.49	0.53
रोजगार पश्च परिभाषित लाभ दायित्वों का पुनर्मापन (कर का निवल)	**36.29**	**0.99**
घटाएं: परिभाषित लाभ दायित्वों पर कर के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन	8.80	(0.46)
इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने के लिए लेखांकित संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय का हिस्सा	**(0.01)**	**(0.01)**
उप–जोड़ (क)	**27.48**	**1.44**
(ख) इक्विटी दस्तावेजों में निवेश	(42.09)	(16.48)
उप–जोड़ (ख)	**(42.09)**	**(16.48)**
कुल (i) = (क) + (ख)	**(14.61)**	**(15.04)**
(ii) मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		
ऋण दस्तावेजों में निवेश	15.77	3.09
घटाएं: ऋण दस्तावेजों में निवेश पर आय कर	3.67	0.72
कुल (ii)	**12.10**	**2.37**
कुल (i) + (ii)	**(2.51)**	**(12.67)**

टिप्पणी सं. : 31 विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
निम्नलिखित के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलनः		
(i) सुबनसिरी लोअर परियोजना		
क) कर्मचारी लाभ व्यय	35.60	20.68
ख) अन्य व्यय	16.27	16.54
ग) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	3.59	1.77
घ) वित्त लागत	157.61	76.78
ङ) अन्य आय	(9.82)	(21.24)
उप जोड़ (i)	**203.25**	**94.53**
(ii) तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन	-	220.43
(iii) किशनगंगा पावर स्टेशनः टैरिफ के अनतिक्रम के कारण मूल्यह्रास	195.62	171.98
(iv) मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर	0.99	(0.57)
(v) 2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूलीय आस्थगित कर के निमित्त समायोजन	(167.99)	(151.88)
(vi) 2014–2019 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूलीय आस्थगित कर के निमित्त समायोजन	2.05	508.93
(vii) न्यूनतम वैकल्पिक कर केडिट पात्रता	(474.42)	-
कुल (क) = (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)	**(240.50)**	**843.42**
विनियामक आस्थगित लेखे पर कर का प्रभाव		
घटाएंः– विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर आस्थगित कर	19.65	(250.35)
जोड़ें – लाभार्थियों से वसूलीय आस्थगित कर	19.65	(250.35)
कुल	**(240.50)**	**843.42**

समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 14 देखें।

टिप्पणी सं. : 32 वर्ष हेतु चल रहे पूंजीगत कार्य का भाग बनने वाला निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
क. कर्मचारी लाभ व्यय		
वेतन एवं मजदूरी	130.23	133.91
भविष्य और अन्य निधियों में अंशदान	17.34	21.61
कर्मचारी कल्याण व्यय	5.47	4.79
उप जोड़	**153.04**	**160.31**
ख. वित्त लागत		
निम्नलिखित पर ब्याज : **(टिप्पणी संख्या 2.2.1 देखें)**		
बॉण्ड	564.44	349.92
विदेशी ऋण	3.56	-
सावधि ऋण	55.59	15.41
	623.59	**365.33**
ब्याज लागत पर समायोजन के संदर्भ में विनिमय अंतर	14.15	-
हेजिंग लेन–देनों पर हानि	22.01	-
ईएसी में व्ययों का अंतरण – केन्द्र सरकार से ऋण पर ब्याज – प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	-	1.44
ईएसी में व्ययों का अंतरण – प्रतिभूति जमा/ प्रतिधारण राशि पर ब्याज – प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	1.81	1.18
ईएसी में व्ययों का अंतरण – एफसी ऋणों पर ब्याज – प्रभावी ब्याज समायोजन	0.09	-
उप जोड़	**661.65**	**367.95**
ग. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28.07	7.27
उप जोड़	**28.07**	**7.27**

	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
घ.	**अन्य व्यय**		
	मरम्मत एवं अनुरक्षण		
	– भवन	6.72	4.39
	– मशीनरी	0.91	0.03
	– अन्य	7.68	3.70
	किराया और हायर प्रभार	9.65	8.11
	दरें और कर	2.37	1.40
	बीमा	2.59	0.26
	प्रतिभूति व्यय	20.15	22.97
	विद्युत प्रभार	3.96	3.19
	यात्रा एवं वाहन	2.81	2.67
	वाहनों पर व्यय	0.74	0.78
	टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	1.64	2.16
	विज्ञापन एवं प्रचार	0.01	0.27
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	0.31	0.37
	डिजाइन एवं परामर्शी प्रभारः		
	– देशीय	3.20	2.24
	क्षतिपूर्ति वनरोपण/जल संग्रहण क्षेत्र उपाय/पर्यावरणीय व्ययों पर व्यय	0.20	115.72
	कंपनी से गैर–संबंधित भूमि पर व्यय	0.73	6.94
	भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास व्यय	-	0.15
	अन्य सामान्य व्यय	6.77	8.53
	लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक	0.06	-
	विनिमय दर परिवर्तन (डेबिट)	0.26	-
	उप जोड़	**70.76**	**183.88**
ङ.	**प्रावधान**	0.06	2.24
	उप जोड़	**0.06**	**2.24**
च.	**निगम कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय**		
	अन्य आय	(1.06)	(0.97)
	अन्य व्यय	10.91	9.18
	कर्मचारी लाभ व्यय	114.94	139.77
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	2.22	1.71
	वित्त लागत	0.22	0.16
	उप जोड़	**127.23**	**149.85**
छ.	**घटाएं : प्राप्तियां और वसूलियां**		
	विद्युत उत्पादन से आय – चालू किए जाने से पूर्व	25.56	9.17
	ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	15.92	7.19
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.05	-
	विनिमय दर परिवर्तन (केबिट)	0.66	-
	पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान/देयताएं	110.45	0.35
	विविध प्राप्तियां	0.55	4.62
	उप जोड़	**153.19**	**21.33**
	कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च–छ) (टिप्पणी संख्या 2.2 देखें)	**887.62**	**850.17**

32.1 कर्मचारियों को भुगतान किए गए एरियर के लिए समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(29) देखें।

टिप्पणी सं. 33 वित्तीय दस्तावेज और जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटन

(1) उचित मूल्य मापन

क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय दस्तावेज

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय परिसंपत्तियां	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को			31 मार्च, 2019 को		
		लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) गैर–वर्तमान निवेश							
क) इक्विटी दस्तावेज में (उद्धृत)	3.1		46.57	-		88.66	-
ख) ऋण दस्तावेज (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में – उद्धृत"	3.1		417.56	-		401.54	-
उप जोड़			**464.13**	-		**490.20**	-
(ii) व्यापार प्राप्य	3.2			-			61.51
(iii) ऋण							
क) जमा	3.3			24.55			23.52
ख) कर्मचारी	3.3			120.46			126.56
ग) अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित)"	3.3			675.80			620.00
(iv) अन्य							
– ब्याज सहित पट्टा प्राप्य	3.4			5,111.73			5,355.41
– भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलीय	3.4			2,017.20			2,017.20
– व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्ति	3.4	33.71			-		
– 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा सहित अन्य (प्रोदभूत ब्याज सहित)"	3.4			404.63			80.93
कुल गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां		**33.71**	**464.13**	**8,354.37**	-	**490.20**	**8,285.13**
वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) व्यापार प्राप्य	7			3,816.44			2,838.00
(ii) नकदी और नकदी समतुल्य	8			42.17			25.04
(iii) नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	9			1,651.10			2,220.21
(iv) ऋण	10						
– कर्मचारी ऋण				44.26			42.19

वित्तीय परिसंपत्तियां	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को			31 मार्च, 2019 को		
		लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
– संयुक्त उद्यम के लिए ऋण (नेशलन हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा.) लिमिटेड				6.27			6.00
– जमा				0.48			0.62
(v) अन्य (पट्टा प्राप्य को छोड़कर)	11			3,184.45			2,029.24
(vi) अन्य (ब्याज सहित पट्टा प्राप्य)	11			117.50			213.86
कुल वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां			-	**8,862.67**		-	**7,375.16**
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**33.71**	**464.13**	**17,217.04**		**490.20**	**15,660.29**

वित्तीय देयताएं	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को			31 मार्च, 2019 को		
		लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
(i) दीर्घावधि ऋण	16.1			20,878.66			17,044.63
(ii) पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि परिपक्वताएं	16.1			13.14			-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देयों सहित)	16.2			2,060.29			2,059.44
(iv) ऋण – अल्पावधि	20.1			714.31			416.00
(v) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहित व्यापार देय	20.2			316.66			196.27
(vi) अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं							
क) दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं	20.3			1,616.95			1,605.16
ख) पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वताएं	20.3			3.34			-
ग) ऋण पर प्रोद्भूत किंतु देय नहीं ब्याज	20.3			643.10			584.99
घ) अन्य वर्तमान देयताएं	20.3			659.69			706.57
कुल वित्तीय देयताएं				**26,906.14**			**22,613.06**

ख) उचित मूल्य मापन

1) उचित मूल्य स्तर

यह खंड (क) उचित मूल्य पर मान्यता दिए जाने तथा मापे जाने वाले और (ख) परिशोधित लागत पर मापे गए और जिसके उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्यों के निर्धारण में अपनाए गए निर्णयों तथा अनुमानों को स्पष्ट करता है। उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले आदानों की विश्वसनीयता के संबंध में एक संकेत उपलब्ध करवाने हेतु समूह ने अपने वित्तीय दस्तावेजों को इंड एएस–113 "उचित मूल्य मापन" के अंतर्गत विहित निम्नलिखित 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है:

स्तर–1 : स्तर –1 स्तर में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे जाने वाले वित्तीय दस्तावेज शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी दस्तावेज और व्यापार किए जाने वाले वे बॉण्ड शामिल हैं जिनका उद्धृत मूल्य है। बॉण्ड सहित सभी इक्विटी दस्तावेज का उचित मूल्य जिनका मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज तथा मनी मार्केट में व्यापार किया जाता है, उनका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि को अंतिम मूल्यों का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर–2 : सक्रिय बाजार में व्यापार न किए जाने वाले वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो प्रत्यक्ष बाजार डाटा के उपयोग को अधिकतम करता है और निकाय विशिष्ट अनुमानों पर यथा संभव कम निर्भर करता है। यदि किसी दस्तावेज के उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण आदान देखे जा सकने योग्य हैं तो दस्तावेज स्तर–2 में शामिल किया जाता है।

स्तर–3 : यदि एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण आदान प्रत्यक्ष बाजार डाटा पर आधारित नहीं हैं तो दस्तावेज को स्तर–3 में शामिल किया जाता है। स्तर–3 में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य सामान्य रूप से स्वीकृत कीमत प्रवाह मॉडल के साथ निर्धारित किया जाता है, जो प्रत्यक्ष वर्तमान बाजार लेन–देनों और समान दस्तावेजों के डीलर उद्धरण से कीमतों का उपयोग करके नकदी प्रवाह विश्लेषण पर आधारित होता है। इसमें व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्तियां/देयताएं, प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि और ब्याज की बाजार दर से कम पर ऋण शामिल हैं।

(क) उचित मूल्य पर मापी गईं वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं – आवर्ती उचित मूल्य मापन

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को			31 मार्च, 2019 को		
			स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i)	**निवेश –**							
	– इक्विटी दस्तावेजों में (उद्धृत)	3.1	46.57			88.66		
	– ऋण दस्तावेजों (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में – उद्धृत*	3.1	417.56			401.54		
(ii)	**एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियां**							
	व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्ति (मांग फैलाव विकल्प और केवल कूपन विनिमय)			33.71	-		-	-
	कुल		**464.13**	**33.71**	-	**490.20**	-	-

टिप्पणी:

* इन दस्तावेजों के संबंध में नवीनतम उद्धृत बाजार दर न होने पर, दरों को फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) के तहत निकाला गया है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को तुलन–पत्र की तारीख को परिशोधित लागत पर मापा गया है और उन्हें गैर–आवर्ती उचित मूल्य मापन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय परिसपंत्तियां/देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य को प्रकट किया गया है:

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को			31 मार्च, 2019 को		
			स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
	वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i)	**व्यापार प्राप्य**	3.2		-			61.51	
(ii)	**ऋण**							
क)	कर्मचारी	3.3		137.35			134.76	
ख)	अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)"	3.3		675.80			620.00	

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को			31 मार्च, 2019 को		
			स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
ग)	जमा	3.3			24.55			23.52
(ii)	**अन्य**							
	– 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)"	3.4		404.63			80.93	
	– भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलनीय	3.4	2,017.20			2,017.20		
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**2,017.20**	**1,217.78**	**24.55**	**2,017.20**	**897.20**	**23.52**
	वित्तीय देयताएं							
(i)	वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोद्भूत ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण	16.1 व 20.3	16,161.49	3,444.70	2,654.45	13,863.26	2,596.46	2,054.78
(ii)	पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि और अल्पावधि परिपक्वताएं	16.1 व 20.3	-	-	16.48	-	-	-
(iii)	अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देयों सहित)	16.2	2,017.20		48.04	2,017.20		42.98
	कुल वित्तीय देयताएं		**18,178.69**	**3,444.70**	**2,718.97**	**15,880.46**	**2,596.46**	**2,097.76**

(ग) परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का उचित मूल्य

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
			वहनीय राशि	उचित मूल्य	वहनीय राशि	उचित मूल्य
	वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i)	व्यापार प्राप्य	3.2	-	-	61.51	61.51
(ii)	ऋण					
क)	कर्मचारी	3.3	120.46	137.35	126.56	134.76
ख)	अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)"	3.3	675.80	675.80	620.00	620.00
ग)	जमा	3.3	24.55	24.55	23.52	23.52
(ii)	**अन्य**					
	– 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)"	3.4	404.63	404.63	80.93	80.93
	– भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलनीय	3.4	2,017.20	2,017.20	2,017.20	2,017.20
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**3,242.64**	**3,259.53**	**2,929.72**	**2,937.92**

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
			वहनीय राशि	उचित मूल्य	वहनीय राशि	उचित मूल्य
	वित्तीय देयताएं					
(i)	वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोद्भूत ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण	16.1 व 20.3	23,138.71	22,260.65	19,234.78	18,514.50
(ii)	पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि और अल्पावधि परिपक्वताएं	16.1 व 20.3	16.48	16.48	-	-
(iii)	अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देय सहित)	16.2	2,060.29	2,065.24	2,059.44	2,060.18
	कुल वित्तीय देयताएं		**25,215.48**	**24,342.37**	**21,294.22**	**20,574.68**

टिप्पणी :–

1. वर्तमान निवेश, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, नकदी तथा नकदी समतुल्य, अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम, अल्पावधि उधार, व्यापार देय और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं की वहनीय राशि को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।
2. उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं हेतु वहनीय राशि उनके उचित मूल्य के समान है।

(घ) मूल्यांकन तकनीक और उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया

1. समूह वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन उपलब्ध सर्वोत्तम तथा सर्वाधिक संगत डाटा का उपयोग करते हुए करता है। वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल हैं–
   - उद्धृत बाजार मूल्य अथवा समान दस्तावेज हेतु डीलर उद्धरण का उपयोग।
   - शेष वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य का निर्धारण छूट दिए गए नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करके किया जाता है।
2. स्तर – 3 पर वर्गीकृत वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्य के लिए प्रयुक्त छूट दर समूह के बकाया ऋणों की भारित औसत दर पर आधारित है, सिवाय अधीनस्थ ऋण तथा विदेशी मुद्रा ऋण के।
3. बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटा लेन–देन लागत पर मान्यता प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके दिया जाता है जहां दीर्घावधि ऋण पर व्यय की गई ऐसी लेन–देन लागत वास्तविक होती है।

(2) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(क) वित्तीय जोखिम कारक

समूह के कियाकलाप विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों के बारे में इस प्रकार बताती हैं:

जोखिम	निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाला प्रदर्शन	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी तथा नकदी समतुल्य, अन्य बैंक शेष, व्यापार प्राप्य और परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां, पट्टा प्राप्य	आयु विश्लेषण, क्रेडिट रेटिंग	बैंक जमा का विविधीकरण, चुनिंदा ग्राहकों हेतु लेटर ऑफ क्रेडिट
लिक्विडिटी जोखिम	ऋण तथा अन्य सुविधाएं	चल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान और बजट	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों तथा ऋण सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम - ब्याज दर	परिवर्तनशील दरों पर दीर्घावधि ऋण	संवेदनशीलता विश्लेषण	1. नियत दर तथा परिवर्तनशील दरों का विविधीकरण 2. पुनः वित्तपोषण 3. वास्तविक ब्याज की वसूली सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से की जाती है
बाजार जोखिम - प्रतिभूतित मूल्य	इक्विटी तथा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधीकरण
बाजार जोखिम - विदेशी विनिमय	भारतीय राष्ट्रीय रूपए में दर्शायी न गई मान्य वित्तीय देयताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	विदेशी विनिमय दर परिवर्तन को सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है। मांग फैलाव विकल्प और केवल कूपन विनिमय

ऋण जोखिम ढांचा

समूह के कियाकलाप इसे विभिन्न जोखिमों के लिए अतिसंवेदनशील बनाते हैं। समूह ने पर्याप्त प्रणालियों और पद्धतियों का विकास करके ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। समूह में जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र अवसंरचना प्रदान करने हेतु समूह की सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीति है। समूह के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी के लिए पूरी तरह निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

समूह अपने वित्तीय दस्तावेजों के उपयोग से निम्नलिखित जोखिमों का सामना करता है:

i) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है कि कोई प्रतिपक्ष किसी वित्तीय दस्तावेज या उपभोक्ता संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगा जो वित्तीय हानि में परिणत होगा। समूह को अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य/पटटेवाली परिसंपत्तियों) और वित्तपोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के पास जमा शामिल है, से ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

ii) लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम वह जोखिम है कि समूह अपनी वर्तमान तथा भविष्य की नकदी एवं सहायक दायित्वों को अस्वीकार्य हानियों को वहन किए बिना पूरा करने में असमर्थ होगा।

iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव आएगा। बाजार मूल्यों में 3 प्रकार के जोखिम शामिल हैं – मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे कि इक्विटी मूल्य जोखिम तथा वस्तु जोखिम। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय दस्तावेज में ऋण तथा उधार, जमा तथा निवेश शामिल हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम यह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा।

समूह एक विनियमित परिवेश में प्रचालन करता है। समूह के टैरिफ को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक स्थिर प्रभारों (एएफसी) के माध्यम से निर्धारित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित 5 घटक होते हैं –

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), 2. मूल्यह्रास, 3. ऋणों पर ब्याज, 4. प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय और 5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज। उक्त विदेशी मुद्रा विनिमय परिवर्तनों के अतिरिक्त, टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों से कर भी वसूले जाने होते हैं। अतः ब्याज दर में परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन और अन्य मूल्य जोखिम अंतरों को टैरिफ से वसूला जाना होता है और ये समूह की लाभप्रदता को प्रभावित नहीं करते।

(ख) ऋण जोखिम

समूह अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य) और अपने वित्तपोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों के साथ जमा तथा अन्य वित्तीय दस्तावेज शामिल है, से ऋण जोखिम के संपर्क में आता है।

व्यापार प्राप्य, बिल न किया गया राजस्व तथा पट्टा प्राप्य

समूह व्यापार के सामान्य चालन में ग्राहकों को ऋण का विस्तार करता है। समूह ग्राहकों के भुगतान ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करता है। बकाया उपभोक्ता प्राप्यों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। समूह प्राप्य व्यापारों के संबंध में जोखिम संकेन्द्रण का मूल्यांकन अत्यधिक निम्न के रूप में करता है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्यतः राज्य सरकार के प्राधिकरण हैं और यह एक अधिकांशतः स्वतंत्र बाजारों में प्रचालन

करती है। बकाया राजस्व मुख्यतः रिपोर्टिंग तारीख पर बिल नहीं किए गए परन्तु पूरा किए गए कार्यों हेतु मुआवजे पर समूह के अधिकार तथा वास्तव में समान प्रकार की संविदा के लिए व्यापार प्राप्यों के रूप में समान जोखिम विशेषताओं से संबंधित है।

समूह द्वारा प्राप्य पट्टे विद्युत खरीद समझौतों के संबंध में है जिन्हें टिप्पणी संख्या 34–लेखे में संदर्भित किए अनुसार इंड एएस 17 "पट्टों " के परिशिष्ट ग के अनुसार निहित वित्त पटटे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विद्युत क्रय समझौते किसी एकल लाभार्थी को विद्युत की बिक्री के लिए है और ब्याज आय तथा पट्टे वाली परिसंपत्तियों पर मूलधन की वसूली अर्थात पावर स्टेशनों की पीपीई का आकलन उसी आधार पर किया जाता है जिन्हें व्यापार प्राप्यों हेतु लगाया जाता है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां:

कर्मचारी ऋण: समूह ने कर्मचारियों को समूह की नीति के अनुसार रियायती दरों पर ऋण दिए हैं जिनका मापन तुलन–पत्र तिथि को परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण की वसूली स्थिर किश्त आधार पर कर्मचारियों के मासिक वेतन में से की जाती है। ये ऋण उन परिसंपत्तियों के रेहन/गिरवी रखे जाने के माध्यम से सुरक्षित हैं जिनके लिए ऐसे ऋण दिए गए हैं। प्रबंधन ने पूर्व के डाटा का आंकलन किया है और इन ऋणों के संबंध में चूक की किसी संभाव्यता की परिकल्पना नहीं करती है।

अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण: समूह ने अरूणाचल प्रदेश सरकार को 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर राज्य में जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु समूह तथा अरूणाचल प्रदेश सरकार के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार ऋण दिया है। ऋण का मापन परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण राज्य में चालू की जाने वाली पहली जलविद्युत परियोजना से राज्य सरकार के निशुल्क विद्युत के अंश से वसूला जाना है। प्रबंधन को ऋण संबधी चूक की कोई संभाव्यता नहीं दिखती।

वित्तीय दस्तावेज और नकदी जमा:

समूह बैंकों के साथ शेष तथा जमा को रखने के लिए बैंक का चयन करने हेतु ट्रैक रिकार्ड, बैंक के आकार, बाजार ख्याति और सेवा मानकों जैसे कारकों पर विचार करता है। सामान्यतः शेष को उन बैंकों के साथ रखा जाता है जिनसे समूह ने ऋण भी लिया है। समूह अधिशेष नकदी का निवेश अनुसूचित बैंकों के साथ अल्पावधि जमा में करता है। समूह के शेष तथा जमा ऐसे बैंकों के पास हैं जो भलीभांति निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विविधीकृत हैं और किसी एक बैंक के साथ इसका सीमित संपर्क है।

i) ऋण जोखिम का प्रदर्शन

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहनीय राशि अधिकतम ऋण प्रभाव को दर्शाती है। रिपोर्टिंग तिथि को ऋण जोखिम का अधिकतम प्रभाव निम्नानुसार था :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर–वर्तमान निवेश (सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा)	464.13	490.20
ऋण–गैर वर्तमान (ब्याज सहित)	820.81	770.08
अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां	2,421.83	2,098.13
नकदी और नकदी समतुल्य	42.17	25.04
नकदी और नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	1,651.10	2,220.21
ऋण – वर्तमान	51.01	48.81
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (प्राप्य पट्टे को छोड़कर)	3,184.45	2,029.24
कुल (क)	**8,635.50**	**7,681.71**
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्य	3,816.44	2,899.51
पट्टा प्राप्य (ब्याज सहित)	5,229.23	5,569.27
कुल (ख)	**9,045.67**	**8,468.78**
कुल (क+ख)	**17,681.17**	**16,150.49**

(ii) प्रत्याशित ऋण हानियों हेतु प्रावधान:–

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

समूह भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर प्राप्य बकायों का आकलन करता है और मामला दर मामला आधार पर प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान करता है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली में चूक तब होती है जब प्रबंधन के विचार में वसूली के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद प्राप्यों की वसूली की महत्वपूर्ण संभावना नहीं होती है। चूंकि समूह के पावर स्टेशन और लाभार्थी भारत के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, फिर भी भौगोलिक रूप से ऋण जोखिम का कोई संकेंद्रण नहीं है।

यह समूह मुख्य रूप से थोक उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करता है जिसमें मुख्य रूप से राज्य सरकार के स्वामित्व वाली राज्य यूटिलिटियां शामिल हैं। समूह के पास भारत सरकार, आरबीआई तथा व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच त्रिपक्षीय करारों (टीपीए) द्वारा समर्थित ऋण पत्र (एलसी) के रूप में एक मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र है, जो 2001–02 के दौरान भारत सरकार द्वारा सेबी के बकाया राशि का एकमुश्त निपटान जारी करने के बाद, अक्तूबर, 2016 तक वैध था। भारत सरकार ने अगले 10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए इस टीपीए के विस्तार को अनुमोदित किया। अधिकांश राज्यों ने इन टीपीए पर हस्ताक्षर किए हैं तथा शेष राज्यों द्वारा हस्ताक्षर करने का कार्य जारी है। टीपीए के प्रावधानों के अनुसार, ग्राहकों के लिए पिछले 12 महीनों हेतु समूह की औसत मासिक बिलिंग का 105 प्रतिशत कवर करने के लिए साख–पत्र की स्थापना करना अपेक्षित है। टीपीए में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी राज्य यूटिलिटी द्वारा वर्तमान बकाया के भुगतान में कोई चूक हुई है तो बकाया राशि की कटौती राज्य की केंद्रीय योजना सहायता से की जा सकती है तथा संबंधित सीपीएसयू को भुगतान की जा सकती है। इसमें बकाया राशि का भुगतान न करने तथा साख पत्रों की गैर–स्थापना के संदर्भ में समूह द्वारा विद्युत के विनियमन का भी प्रावधान है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019–24 समूह को विलंब भुगतान अधिभार हेतु लाभग्राहियों से बिल जुटाने की अनुमति देते है जो समूह के भुगतान में विलंब के कारण उत्पन्न होने वाली राशि के समय मूल्य हेतु पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि लाभग्राही मुख्यतः राज्य सरकारें/राज्य की वितरण कंपनियां हैं और प्राप्य व्यापार हेतु ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को देखते हुए कंपनी लाभग्राहियों से प्राप्य के मूल्य में किसी क्षति या प्राप्य व्यापारों को मूर्त रूप देने में विलंब के कारण धन के समय मूल्य में क्षति हेतु कोई परिकल्पना नहीं करती है। तथापि, समूह प्रचालन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तनों पर विचार करते हुए चालू आधार पर बकाया व्यापार प्राप्यों का आंकलन करता है और मामला–दर–मामला आधार पर प्रत्यशित ऋण हानियों का प्रावधान करती है। रिपोर्टिंग तिथि को समूह व्यापार प्राप्य की गैर–वसूली के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करता है।

(iii) क्षति हानि प्रावधानों का मिलान

वर्ष के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हेतु प्रावधान में संचलन निम्नवत थाः

(करोड़ रूपए में)

विवरण	व्यापार प्राप्य	वसूली योग्य राशि	ऋण	कुल
01.04.2018 को शेष	**37.71**	**210.41**	**0.03**	**248.15**
हानि भत्ते में परिवर्तन	-	(6.98)	(0.02)	(7.00)
01.04.2019 को शेष	**37.71**	**203.43**	**0.01**	**241.15**
हानि भत्ते में परिवर्तन	-	82.35	-	82.35
31.03.2019 को शेष	**37.71**	**285.78**	**0.01**	**323.50**

ऐतिहासिक चूक दरों के आधार पर, समूह का विश्वास है कि किन्हीं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में हानि प्रावधान आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसे प्रावधानों की राशियां महत्वपूर्ण नहीं हैं।

(ग) लिक्विडिटी जोखिम

विवेकसम्मत लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन का अर्थ पर्याप्त नकदी तथा बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देयताओं के देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से वित्तपोषण की उपलब्धता है।

i) समूह का उद्देश्य नकदी तथा प्रतिभूति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर समय नकदी के इष्टतम स्तरों को बनाए रखना है। समूह निधियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण तथा अत्यधिक प्रचालनशील नकदी प्रवाहों के एक मिश्रण पर निर्भर करता है। ऋण तथा आंतरिक प्रोद्भवनों की वर्तमान प्रतिबद्ध लाइनें इसकी अल्प तथा मध्यम अवधि विस्तार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। समूह अपनी नकदी आवश्यकताओं के चल अनुमानों की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि उसके पास पूंजीगत व्यय तथा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी हो जबकि उसके पास हर समय आहरित न की गई प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं हेतु पर्याप्त गुंजाइश हो ताकि इसकी किसी ऋण सुविधा पर ऋण सीमाओं या प्रसंविदाओं (जहां लागू हो) का उल्लंघन न हो।

समूह की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित न की गई ऋण सुविधाओं पर पहुंच थीः

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
परिवर्तनशील दर पर	925.00	819.00
कुल	**925.00**	**819.00**

ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वताएं:

नीचे तालिका में दर्शाई गई राशियां संविदात्मक छूट न दिए गए नकदी प्रवाह हैं। एक वर्ष के भीतर देय शेष उनके वहन शेषों के समान है क्योंकि छूट का प्रभाव अत्यधिक नहीं है।

31 मार्च, 2020 को

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2020 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1, 20.1 और 20.3	24,262.41	2,331.26	2,963.68	3,782.02	15,185.45
पट्टा दायित्व	16.1 और 20.3	28.17	3.34	5.89	3.70	15.25
अन्य वित्तीय देयताएं	16.2 और 20.3	3,396.44	1,319.98	11.99	6.97	2,057.50
व्यापार देय	20.2	316.66	316.66	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		**28,003.68**	**3,971.24**	**2,981.56**	**3,792.68**	**17,258.20**

31 मार्च, 2019 को

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2020 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1, 20.1 और 20.3	19,899.53	2,021.17	3,006.08	3,205.12	11,667.16
पट्टा दायित्व	16.1 और 20.3	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	16.2 और 20.3	3,362.76	1,287.92	10.92	6.88	2,057.04
व्यापार देय	20.2	196.27	196.27	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		**23,458.56**	**3,505.36**	**3,017.00**	**3,212.00**	**13,724.20**

(घ) बाजार जोखिम

संवेदनशीलता विश्लेषण में रोजगार–पश्चात लाभ बाध्यता प्रावधानों के वहन मूल्य और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं पर बाजार परिवर्तनशील कारकों के संचलन का प्रभाव शामिल नहीं होता है। लाभ एवं हानि के विवरण के संगत मत की संवेदनशीलता संबंधित बाजार जोखिम में माने गए परिवर्तन का प्रभाव है। समूह के क्रियाकलाप इसे कई प्रकार के वित्तीय जोखिमों के संपर्क में ला देते हैं जिसमें ब्याज दरों में परिवर्तन का प्रभाव शामिल है।

i) ब्याज बाजार जोखिम और संवेदनशीलता

बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम से समूह का खुलासा मुख्यतः परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ समूह की दीर्घावधि ऋण दायित्वों से संबंधित है। समूह की नीति अपने अधिकांश ऋणों को नियत दर पर बनाए रखने की है। समूह के नियत दरों पर ऋण को परिशोधित लागत पर लिया जाता है और यह ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त, समूह अनुकूल शर्तें उपलब्ध होने पर इन ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करती हैं। समूह को परिवर्तनशील दर में परिवर्तनों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजनों की वसूली के माध्यम से भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण समूह का जोखिम निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2020 के अनुसार		31 मार्च, 2019 के अनुसार	
	भारित औसत ब्याज दर (%)	(करोड़ रूपए में)	भारित औसत ब्याज दर (%)	(करोड़ रूपए में)
परिवर्तनशील दर ऋण (भारतीय रूपए)	8.00	500.00	8.50	190.00
नियत दर ऋण (भारतीय रूपए)	8.07	20,106.61	8.30	17,340.99
नियत दर ऋण (एफसी)	1.47	1,889.00	1.97	1,118.79
कुल		**22,495.61**		**18,649.78**

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

ब्याज दरों में बदलाव के परिणास्वरूप उधार से अधिक/कम ब्याज व्यय के लिए लाभ या हानि संवेदनशील होता है। समूह के अधिकांशतः ऋण नियत दर पर होते हैं। यदि परिवर्तन दरें हैं तो ब्याज दरों में वृद्धि/कमी के कारण समूह का लाभ और हानि विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वह लाभार्थियों से टैरिफ के माध्यम से वसूलनीय है।

(ii) मूल्य जोखिमः

(क) प्रदर्शन

मूल्य जोखिम से समूह का संपर्क वित्तीय विवरणों में ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी शेयरों तथा ऋण दस्तावेजों में निवेश से उत्पन्न होता है। इक्विटी शेयरों में समूह का निवेश मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होता है और उस पर सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। ऋण दस्तावेजों में समूह के निवेश में उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां और सार्वजनिक क्षेत्र के बॉण्ड शामिल होते हैं और उनका बाजार में सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। निवेश को तुलन–पत्र में गैर–वर्तमान निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(ख) मूल्य जोखिम संवेदनशीलता

इक्विटी दस्तावेजों में निवेश हेतु (आईओबी तथा पीटीसी के इक्विटी शेयरों में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष हेतु समूह की इक्विटी पर इक्विटी दस्तावेजों में निवेश के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव के सार को प्रस्तुत करती है :

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
निम्नलिखित के इक्विटी शेयरों में निवेशः	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)
पीटीसी इंडिया लिमिटेड	24.11	11.21	22.06	19.46
इंडियन ओवरसीज बैंक	22.83	0.06	15.75	0.08

संवेदनशीलता को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में उद्धृत शेयर मूल्यों में छमाही उतार–चढ़ाव के पिछले तीन वर्षों के औसत के आधार पर निकाला गया है।

ऋण दस्तावेज में निवेश हेतु (सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बॉण्ड में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष हेतु कंपनी की इक्विटी पर ऋण दस्तावेजों में निवेश के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव के सार को प्रस्तुत करती है :

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	प्रतिशत परिवर्तन	ऋण दस्तावेजों के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)	प्रतिशत परिवर्तन	ऋण दस्तावेजों के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)
सरकारी प्रतिभूतियां	1.34	4.56	0.57	1.84
सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम कर मुक्त बाण्ड	1.56	1.29	1.48	1.20

(iii) विदेशी मुद्रा जोखिम

समूह को सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजन के द्वारा वसूली के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तनशीलता हेतु प्रतिपूर्ति की जाती है।

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रदर्शनः

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति समूह के प्रदर्शन को भारतीय राष्ट्रीय रूपए में निम्नानुसार व्यक्त किया गया हैः

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
वित्तीय देयताएं		
विदेशी मुद्रा ऋण		
जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन लि. (जेपीवाई)	1,132.22	1,118.79
एमयूएफजी बैंक (जेपीवाई)	756.77	-
अन्य वित्तीय देयताएं	57.59	62.53
विदेशी मुद्रा जोखिम से निवल प्रदर्शन (देयताएं)	**1,946.58**	**1,181.32**

उपरोक्त में से, एमयूएफजी बैंक से ऋण का बचाव व्युत्पन्न दस्तावेज द्वारा किया जाता है। विनिमय परिवर्तन के कारण शेष प्रदर्शन लाभ/(हानि), टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार लाभार्थियों से वसूलीयोग्य है। इसलिए, ऐसे प्रदर्शन के संबंध में मुद्रा जोखिम अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा।

(ख) संवेदनशीलता विश्लेषण

विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव का समूह के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि इन्हें या तो संबंधित अचल परिसंपत्ति/चल रहे पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है अथवा सीईआरसी टैरिफ विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है। इसलिए मुद्रा जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण को प्रकट नहीं किया गया है।

(3) पूंजी प्रबंधन

(क) पूंजी जोखिम प्रबंधन

समूह के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है। सीईआरसी टैरिफ विनियमन विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन हेतु 70:30 के ऋण : इक्विटी अनुपात को विहित करते है। तदनुसार, समूह अपने पूंजी ढांचे का प्रबंधन सीईआरसी द्वारा विहित मानदण्ड संबंधी पूंजी ढांचे को बनाए रखने के लिए करता है।

समूह ऋण : इक्विटी अनुपात का उपयोग करते हुए पूंजी की निगरानी करता है, जो कुल पूंजी द्वारा विभाजित निवल ऋण है। ऋण : इक्विटी अनुपात निम्नानुसार है:

गियरिंग अनुपात का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(क) कुल ऋण (करोड़ रूपए में)	24,529.29	20,666.99
(ख) कुल पूंजी (करोड़ रूपए में)	31,370.61	30,797.81
गियरिंग अनुपात (क/ख)	0.78	0.67

टिप्पणी: समूह के पूंजीगत प्रबंधन हेतु, पूंजी में निर्गत पूंजी और आरक्षित शामिल है। निवल ऋण में ब्याजधारी ऋण तथा उधार शामिल होते है।

(ख) ऋण प्रसंविदाएं:

प्रमुख ऋण सुविधाओं की शर्तों के अंतर्गत समूह द्वारा निम्नलिखित वित्तीय प्रसंविदाओं का अनुपालन अपेक्षित है:–

1. समूह क्रेडिट रेटिंग एएए को बनाए रखेगा और यदि रेटिंग नीचे आती है तो ब्याज की दर एएए रेटिंग से नीचे वाले प्रत्येक स्तर हेतु 25 आधार बिंदु तक बढ़ जाएगी।
2. निवल मूल्य की तुलना में ऋण 2:1 से अधिक नहीं होगा।
3. ब्याज कवरेज अनुपात 2 गुणा से अधिक होगा और इसकी गणना ((निवल लाभ + निवल नकदी व्यय + देय ब्याज – गैर नकदी आय)/देय ब्याज)) के रूप में की जाएगी।
4. कंपनी का सकल ऋण सेवा कवरेज अनुपात ऋण की मुद्रा के दौरान 1.25 गुना से कम नहीं होगा।
5. कंपनी में सरकार की धारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
6. समरूप आधार पर 1:1.33 कवरेज के साथ परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार।

वर्ष के दौरान कंपनी ने उक्त ऋण प्रसंविदाओं का अनुपालन किया है।

(ग) लाभांश

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(i) इक्विटी शेयर		
0.75 रूपए के पूर्णतः प्रदत्त शेयर पर वर्ष 2018–19 हेतु अंतिम लाभांश को सितम्बर 2019 में अनुमोदित और अक्तूबर 2019 में अदा किया गया (31 मार्च, 2018 को – वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु 0.28 भारतीय रूपए पूर्णतः प्रदत्त शेयर)	753.38	287.26
अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	101.29*	1.97*
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु 1.18 रूपए प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयर का अंतरिम लाभांश (31 मार्च, 2019 – 0.71 रूपए)	1,185.31	713.20
अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	197.49*	146.60
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मान्यता न दिया गया लाभांश		
उक्त लाभांशों के अतिरिक्त, वर्ष के अंत से निदेशकों ने 0.32 रूपए (31 मार्च, 2019 – 0.75 रूपए) प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयर के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। प्रस्तावित लाभांश आगामी एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।	321.44	753.38
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	कोई नहीं	154.86

* एनएचडीसी लिमिटेड से प्राप्त लाभांश पर लाभांश वितरण कर के साथ समायोजित।

टिप्पणी संख्या – 34: लेखाओं पर अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम कंपनियां निम्नानुसार है:

कंपनी का नाम	अधिनिगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात (प्रतिशत)	
		31.03.2020	31.03.2019
क. सहायक कंपनियां			
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत	51.08%	51.08%
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)	भारत	73.17%	74.00%
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	भारत	99.99%	99.99%
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड* (09.10.2019 से)		100.00%	-
ख. संयुक्त उद्यम कंपनियां			
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल)**	भारत	49.89%	51.94%
नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड (एनएचपीटीएल)***	भारत	20.00%	20.00%

* वर्ष के दौरान, एनएचपीसी लिमिटेड ने एनसीएलटी के माध्यम से लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है। विस्तृत प्रकटन के लिए टिप्पणी संख्या 34(32) देखें।

** वर्ष के दौरान कंपनी की शेयरधारिता सह–उद्यमी द्वारा आगे निवेश के कारण 51.94 प्रतिशत से घटकर 49.89 प्रतिशत हो गई है। तथापि, सीवीपीपीपीएल संयुक्त उद्यम समझौते के अनुपालन में अन्य संयुक्त उद्यमों के साथ संयुक्त रूप से नियंत्रण प्राप्त रहने के चलते एक संयुक्त उद्यम बना हुआ है।

*** वित्तीय विवरण गैर–लेखापरीक्षित हैं। वित्तीय विवरणों में आने वाले आंकड़े लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर बदल भी सकते हैं।

2. **आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटन :–**

जहां तक प्रावधान नहीं किया गया है, वहां तक आकस्मिक देयताएं–

(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें निम्नलिखित के संबंध में ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है:

(i) पूंजीगत कार्य

संविदाकारों ने दर तथा मात्रा विचलन, समय विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के बन्द होने/स्थल आदि सौंपे जाने में विलंब के कारण खाली रहने के प्रभारों के चलते समूह के प्रति कुल **11015.52 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **11245.90 करोड़ रूपए)** के दावे दर्ज किए हैं। इन दावों का समूह द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार देय नहीं हैं अथवा अधिनिर्णय अधिकरण/अन्य मंचों/समूह में जांच के अधीन पड़े हैं। इसमें तत्संबंधी ब्याज सहित समूह के विरूद्ध अधिनिर्णय पंचाटों के प्रति **5223.46 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **4580.80 करोड़ रूपए)** शामिल हैं, जिन्हें न्यायालयों में चुनौती दी गई है/चुनौती देने का निर्णय लिया गया है।

प्रबंधन ने उक्त दावों का आंकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभाव्यता के आधार पर **395.89 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **419.44 करोड़ रूपए**) के प्रावधान को मान्यता दी है और **10369.28 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **10699.43 करोड़ रूपए)** की राशि का अनुमान आकस्मिक देयता हेतु लगाया है अर्थात वह राशि जिसके लिए समूह को आकस्मिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसे अनुमानित आकस्मिक दावों के संबंध में या तो आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बर्हिप्रवाह की संभावना नहीं है अथवा दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। शेष दावों/ दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बर्हिप्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(ii) भूमि मुआवजा मामले

परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के संबंध में कुछ भू–वंचितों ने विभिन्न प्राधिकारियों/ न्यायालयों के समक्ष उच्चतर मुआवजे हेतु 430.74 **करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **495.90 करोड़ रूपए**) की राशि हेतु दावे दायर किए हैं। निपटान लम्बित होने तक समूह ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना के आधार पर **19.62 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **23.02 करोड़ रूपए)** की राशि उपलब्ध करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **411.12 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **472.88 करोड़ रूपए)** का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बर्हिप्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है।

(iii) विवादित कर मांग

विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित विवादित आयकर/बिक्री कर/सेवा कर/जल उपकर/हरित ऊर्जा उपकर/अन्य कर/शुल्क मामलों की राशि **761.14 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **640.42 करोड़ रूपए**) है। निपटान लम्बित होने तक समूह ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना के आधार पर **17.70 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **23.50 करोड़ रूपए**) की राशि उपलब्ध करवाई है और शेष दावों अर्थात **642.23 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **515.92 करोड़ रूपए)** को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि संसाधनों के बर्हिप्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बर्हिप्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(iv) अन्य

अन्य विविध मामलों के संबंध में दावे **631.38 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **797.65 करोड रूपए)** के है। ये दावे विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं। निपटान लम्बित होने तक समूह ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना के आधार पर **17.81 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **18.25 करोड़ रूपए)** की राशि उपलब्ध करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **661.69 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **777.52 करोड़ रूपए**) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बर्हिप्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बर्हिप्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

उक्त का सार निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2020 को दावे	दावों के निमित्त आज की तारीख तक प्रावधान	31.03.2020 को आकस्मिक देयता	31.03.2019 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वृद्धि/(कटौती)	01.04.2019 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
1.	पूंजीगत कार्य	11,015.52	395.89	10,369.28	10699.43	(330.15)	1,417.06
2.	भूमि मुआवजा मामले	430.74	19.62	411.12	472.88	(61.76)	101.17
3.	विवादित कर मामले	761.14	17.70	642.43	515.92	126.51	0.04
4.	अन्य	681.38	17.81	661.69	777.52	(115.83)	157.13
	कुल	**12,888.78**	**451.02**	**12,084.52**	**12,465.75**	**(381.23)**	**1,675.40**

(ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

(ग) आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी बर्हिप्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

(घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में समूह को **365.26 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **396.38 करोड़ रुपए**) की भरपाई होने की संभावना है।

(ङ) (i) पूंजीगत कार्यों के संबंध में उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति **697.09 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **617.39 करोड़ रूपए**) की राशि का भुगतान उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति किया गया है, जो ऐसे मामलों हेतु है जहां माध्यथम अधिकरणों ने मध्यस्थता कार्यवाहियों में संविदाकार के पक्ष में आदेश पारित किए हैं और ऐसे पंचाट/आदेशों को समूह द्वारा न्यायालय में चुनौती दी जा रही है, के लिए नीति आयोग के दिनांक 5 सितम्बर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14070/14/2016–पीपीपीएयू के माध्यम से अनुदेश जारी किए गए हैं। इस प्रकार अदा की गई राशि को अन्य गैर–वर्तमान परिसंपतियों के तहत दर्शाया गया है (टिप्पणी संख्या 5 भी देखें)।

(ii) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में **1324.51 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **456.59 करोड रूपए**) मामलों के प्रतिवाद के लिए अदा किए गए है, जिन्हें अन्य गैर–वर्तमान परिसंपतियों/वर्तमान परिसंपतियों/दावेदारों की अन्य देयताओं के विरूद्ध समायोजित में दर्शाया गया है (टिप्पणी संख्या 5 और 13 भी देखें)।

(च) कंपनी का प्रबंधन तर्कसंगत रूप से यह प्रत्याशित नहीं करता कि उक्त दावे/दायित्व (जो मुकदमेबाजी के अधीन है), अन्त में जब समाप्त होंगे तथा उन पर निर्णय लिया जाएगा, उनका कम्पनी के प्रचालनों के परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा।

(छ) 31.03.2020 को आकस्मिक देयता के एजेंसी–वार ब्यौरों की श्रेणी निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2020 को दावे	दावों के निमित्त आज की तारीख तक प्रावधान	31.03.2020 को आकस्मिक देयता	31.03.2019 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वृद्धि / (कटौती)	01.04.2019 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
1.	केन्द्र सरकार के विभाग	173.70	0.83	71.87	53.79	18.08	0.04
2.	राज्य सरकार के विभाग या स्थानीय निकाय	678.61	33.95	644.66	531.53	113.13	-
3.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई)	101.21	0.06	100.36	100.93	(0.57)	0.57
4.	अन्य	11,935.26	416.18	11,267.63	11779.50	(511.87)	1,674.79
	कुल	**12,888.78**	**451.02**	**12,084.52**	**12,465.75**	**(381.23)**	**1,675.40**

(ज) सिक्किम सरकार ने दिनांक 2 अगस्त, 2019 के अपने पत्र के द्वारा तीस्ता–V पावर स्टेशन के लिए भूमि के अधिग्रहण तथा उसी भूमि पर संबंधित घरों और अन्य निर्माणों हेतु क्षतिपूर्ति के निमित्त 35.80 करोड़ रुपए की मांग की है जो वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान कथित रुप से क्षतिग्रस्त हो गया था। इस दावे को प्रबंधन ने इस आधार पर खारिज कर दिया है कि पावर स्टेशन के लिए भूमि की आवश्यकता नहीं है और साथ ही निर्माण क्रियाकलापों के कारण नुकसान नहीं हुआ था, जो वित्तीय वर्ष 2008 में पहले ही पूर्ण हो गया था। क्षति स्पष्ट रूप से क्षेत्र में पुराने स्लाइड जोन के मौजूद होने के कारण हुई है। सिक्किम सरकार के राजपत्र में दिनांक 06.03.2018 को प्रकाशित आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना एकपक्षीय है और पावर स्टेशन की सहमति के बिना है तथा कानूनी रुप से तर्कसंगत नहीं है। मामला राज्य सराकर के साथ विचाराधीन है और मामले से संबंधित अतिरिक्त समीक्षा एवं विचार–विमर्श / करार लंबित है तथा विचार किया जा रहा है कि मांग उस भूमि से संबंधित है जो समूह द्वारा पावर स्टेशन के लिए अधिग्रहीत नहीं की गई है एवं इस प्रकार इस संबंध में कोई बहिर्प्रवाह अपेक्षित नहीं है।

3. आकस्मिक परिसंपत्तियां – समूह के संबंध में आकस्मिक परिसंपत्तियां निम्नलिखित के कारण हैं:

क) समूह द्वारा अन्य निकायों पर दर्ज किए गए प्रति दावे:

समूह ने अन्य निकायों के दावों के प्रति **915.84 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **875.05 करोड़ रूपए**) के कुल प्रति दावों को दर्ज किया है। इन दावों को संविदात्मक प्रावधानों के आधार पर दर्ज किया गया है और इनका मध्यस्थता अधिकरण / अन्य मंचों पर प्रतिवाद किया जा रहा है / ये प्रतिपक्ष के साथ जांच के अधीन हैं। इसमें मध्यस्थता निर्णयों के प्रति उस पर तदनुरूपी अद्यतन ब्याज सहित **28.16 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **28.16 करोड़ रूपए)** शामिल है।

प्रबंधन के आंकलन के अनुसार, **803.37 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **780.09 करोड़ रूपए**) की कुल राशि वाले दावों के संबंध में एक अनुकूल निर्णय आने की संभावना है और शेष दावों के संबंध में अंतर्वाह की कोई संभावना बहुत कम प्रतीत होती है। तथापि, राशि को मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) विलंब भुगतान अधिभार:

सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014–19 / 2019–24 लाभग्राहियों को बिल प्रस्तुत किए जाने की तिथि से निर्दिष्ट दिवसों के बाद के भुगतान में विलंब के मामले में उत्पादक समूह द्वारा विलंब भुगतान अधिभार को लगाए जाने का प्रावधान करता हैं। लाभग्राहियों को अंतिम एकत्रीकरण हेतु व्यापक अनिश्चितता के चलते प्रबंधन ने **239.48 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **109.35 करोड़ रूपए**) का अनुमान लगाया है, जिसे मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

ग) पावर स्टेशनों के संबंध में मान्यता प्रदान न की गई सीमा तक राजस्व:

टैरिफ आदेश 2019–24 सभी पावर स्टेशनों के संबंध में लंबित हैं और टैरिफ आदेश 2014–19 टीएलडीपी–IV पावर स्टेशन के संबंध में लंबित है। इसके अतिरिक्त, 2014–19 के ट्रूइंग–अप आदेश इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर पावर स्टेशनों के संबंध में सीईआरसी का अनुमोदन होने के चलते लंबित हैं। प्रबंधन ने यह आकलन किया है कि **561.10 करोड़ रुपए** (पूर्व वर्ष में **1246.79 करोड़ रुपए**) का अतिरिक्त राजस्व टैरिफ संशोधन के कारण उत्पन्न होने की संभावना है जिसकी उसके अनुमोदन के लिए महत्वपूर्ण अनिश्चितता के कारण पहचान नहीं की गई है।

घ) **व्यापार बाधा हानिः**

पावर स्टेशनों के संबंध में व्यापार बाधा हानि के कारण बीमा दावे तब देय होते हैं जब अंतिम एकत्रीकरण में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो। प्रबंधन ने व्यापार बाधा हानियों के कारण कुल **210.05 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **202.26 करोड़ रूपए)** की राशि के दावे को संभाव्य माना है। दावों का पावर स्टेशन–वार ब्यौरा एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(24) में दिया गया है।

ङ) **अन्य मामले**

अन्य विविध मामलों के कारण दावों की राशि **396.39 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **175.79 करोड़ रूपए)** अनुमानित है जिसकी पहचान नहीं की गई है।

4. प्रतिबद्धताएं (जिनका प्रावधान नहीं किया गया है):

क) पूंजी लेखे पर निष्पादित की गई शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (चल रहे पूंजीगत कार्य सहित)	5339.32	2709.17
2.	अमूर्त परिसंपत्तियां	16.65	18.95
	कुल	**5355.97**	**2728.12**

ख) कंपनी की 31 मार्च, 2020 के अनुसार सहायक कंपनियों में अतिरिक्त निवेश के प्रति **1113.25 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **99.33 करोड़** रूपए) की प्रतिबद्धताएं हैं।

ग) कंपनी की 31 मार्च, 2020 के अनुसार संयुक्त उद्यम निकायों में अतिरिक्त निवेश के प्रति **1345.64 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **1284.97** करोड़ रूपए) की प्रतिबद्धताएं हैं।

5. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान/प्रावधान किए गए हैं, जिनकी कुल राशि **0.41 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **4.06 करोड़ रुपए**) है, जिसे चल रहे पूंजीगत कार्य/संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में शामिल किया गया है।

6. भारतीय लेखांकन मानक 115 – "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" के अनुसार प्रकटन

(क) वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति

राजस्व का अधिकांश हिस्साः समूह के राजस्व में विद्युत बिक्री, व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री, परामर्श तथा अन्य सेवाएं शामिल हैं। प्रमुख क्रियाकलापों का विवरण निम्नानुसार है:–

(क) विद्युत की बिक्री से राजस्व

समूह का प्रमुख राजस्व विद्युत की बिक्री से आता है। समूह विद्युत की बिक्री थोक उपभोक्ताओं, प्रमुखतः राज्य सरकार के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटियों और राज्यों में प्रचालनात्मक निजी डिस्कॉमों को करता है। विद्युत की बिक्री आमतौर पर लाभार्थियों के साथ किए गए दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुरूप होती है।

विद्युत की बिक्री हेतु संविदाओं के अंतर्गत प्रकृति का ब्यौरा, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें निम्नलिखित है:–

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
विद्युत की बिक्री	समूह लाभार्थियों के साथ किए गए दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार के आधार पर विद्युत की बिक्री के लिए संविदा से राजस्व की पहचान करता है, जो पावर Lटेशनों के संपूर्ण जीवनकाल, अर्थात् 40 वर्ष, के लिए है। विद्युत अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों द्वारा लागू सीमा तक यथासंशोधित 5 वर्षों की टैरिफ अवधि के लिए सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ दरों के आधार पर विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व को लेखांकित किया जाता है। पावर Lटेशनों के संबंध में, जहां टैरिफ दरें सीईआरसी द्वारा अपने आदेशों में अभी अनुमोदित की जानी हैं/अनंतिम रूप से अनुमोदित हैं, लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों पर विचार करते हुए अनंतिम दरों को अपनाया है। एक बार लाभार्थी को बिजली पहुंचाने के बाद विद्युत की बिक्री से राजस्व को मान्यता दी जाती है। लाभार्थियों को समय–समय पर और नियमित आधार पर बिल दिया जाता है।

(ख) परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाएं/परामर्शी कार्य (परियोजना और परामर्श कार्य)

परामर्शी एवं अन्य सेवाओं के लिए संविदाओं के अंतर्गत निष्पादन दायित्व की संतुष्टि की समय एवं महत्वपूर्ण भुगतान शर्तों की प्रकृति का विवरण निम्नानुसार है:

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
परामर्शी सेवाएं	समूह समय में परामर्शी सेवाओं के लिए संविदा से राजस्व का पहचान करता है क्योंकि उपभोक्ता समूह द्वारा एक साथ प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और उपभोग करता है। संविदा के अंतर्गत अंतरित परिसंपत्तियों (प्रदेय, रिपोर्ट आदि) का समूह के लिए कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है और समूह को अब तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान करने का अधिकार है। परामर्श सेवाओं से राजस्व संविदा की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राशियों का बिल संविदा की शर्तों के अनुसार बनाया जाता है और अनुबंधित सहमत ऋण अवधि के भीतर देय होता है।
ग्रामीण सड़क परियोजना/ ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना	समूह समय में योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों से राजस्व की पहचान करता है क्योंकि परिसंपत्तियों का समूह के लिए कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है और समूह को अब तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान करने का अधिकार है। योजना से राजस्व संविदा की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राशियों का बिल संविदा की शर्तों के अनुसार बनाया जाता है और अनुबंधित सहमत ऋण अवधि के भीतर देय होता है।

(ग) विद्युत का व्यापार

समूह उत्पादन कंपनियों से विद्युत खरीदता है और इसे डिस्कॉमों को बेचता है। करारों की प्रकृति, जोखिम तथा रिवार्ड प्रोफाइल के आधार पर, समूह एजेंट के रूप में या प्रमुख के रूप में विद्युत के व्यापार से राजस्व का हिसाब करता है।

व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री हेतु संविदाओं के अंतर्गत प्रकृति का ब्यौरा, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें निम्नलिखित है:–

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री	समूह समय में व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री के लिए संविदा से राजस्व की पहचान करता है क्योंकि उपभोक्ता समूह द्वारा एक साथ प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और उसका उपभोग करता है। व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री से राजस्व की गणना हेतु टैरिफ करार के शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राशियों का बिल संविदा में निहित शर्तों के अनुसार बनाया जाता है और अनुबंधित सहमत ऋण अवधि के भीतर देय होता है।

(ख) राजस्व का विभाजीकरण

निम्नलिखित तालिका में, राजस्व का विभाजन उत्पादन और सेवाओं की प्रकृति, भौगोलिक बाजार और राजस्व मान्यता का समय द्वारा किया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए विद्युत का उत्पादन (वित्त एवं प्रचालनात्मक पट्टों के तहत वर्गीकृत राजस्व सहित)		परियोजना प्रबंधन/ निर्माण संविदाएं/ परामर्शी कार्य		विद्युत का व्यापार		अन्य		कुल	
भौगोलिक बाजार	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**
भारत	9,574.40	8,899.67	19.03	17.03	239.47	12.96	170.87	47.05	10,003.77	8,976.71
अन्य			4.30	6.16	-	-	-	-	4.30	6.16
कुल	**9,574.40**	**8,899.67**	**23.33**	**23.19**	**239.47**	**12.96**	**170.87**	**47.05**	**10,008.07**	**8,982.87**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए विद्युत का उत्पादन (वित्त एवं प्रचालनात्मक पट्टों के तहत वर्गीकृत राजस्व सहित)		परियोजना प्रबंधन/ निर्माण संविदाएं/ परामर्शी कार्य		विद्युत का व्यापार		अन्य		कुल	
राजस्व मान्यता का समय	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**
समय में अंतरित उत्पाद और सेवाएं	9,574.40	8,899.67	23.33	23.19	239.47	12.96	170.87	47.05	10,008.07	8,982.87
बेची गईं यूनिटें (एमयू)	26990	23369	-	-	-	-	-	-	26990	23369

(ग) संविदा शेष

व्यापार प्राप्य, बिल न किये गये राजस्व और जमा कार्यों एवं संविदा देयताओं के लिए उपभोक्ताओं/ग्राहकों से अग्रिम – परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	वर्तमान	गैर–वर्तमान	वर्तमान	गैर–वर्तमान
व्यापार प्राप्य	3816.44	-	2,838.00	61.51
बिल न किया गया राजस्व	2,589.41	-	1,524.14	-
संविदा देयताएं – जमा कार्य	9.37	-	19.96	-
संविदा देयताएं – परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य	268.49	-	196.82	-
उपभोक्ताओं से अग्रिम और अन्य	11.69	-	12.19	-

समूह ने प्रारंभिक संविदा देयताओं से **3.63 करोड़ रुपए** (पूर्व वर्ष **5.84 करोड़ रुपए**) के राजस्व को मान्यता दी है।

(घ) शेष निष्पादन दायित्वों पर आबंटित लेन–देन कीमत कंपनी के प्रचालनों पर न तो लागू है और न ही वास्तविक है।

(ङ) इंड एएस 115 "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" के अनुसार लागू किए गए व्यावहारिक उपाय:

(i) समूह ने शेष निष्पादन दायित्वों के बारे में सूचना प्रकट नहीं की है, जिनकी मूल अपेक्षित अवधि एक वर्ष या उससे कम है और जहां राजस्व मान्यता प्राप्त है, जो अब तक पूर्ण किए गए निकाय के निष्पादन के उपभोक्ता के मूल्य के साथ मेल खाती है।

(ii) समूह के पास सामान्य व्यापार में कोई संविदा नहीं है जहां ग्राहक को वादा किए गए वस्तुओं या सेवाओं के हस्तांतरण और ग्राहक द्वारा भुगतान के बीच की अवधि एक वर्ष से अधिक है। तदनुसार, लेन–देन के मूल्य को केवल धन मुद्रा के समय मूल्य के लिए समायोजित किया गया है, जहां ऐसी मुद्रा का समय मूल्य महत्वपूर्ण है।

(च) समूह ने ग्राहक के साथ संविदा प्राप्त करने की कोई वृद्धिशील लागत नहीं व्यय की है और इसलिए ऐसी लागतों के लिए किसी संपत्ति को मान्यता नहीं दी है।

7. मध्य प्रदेश सरकार (जीओएमपी) ने एक संयुक्त उद्यम भागीदार होने के चलते सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के माध्यम से विभिन्न लेखे में योगदान दिया है जिसका ब्यौरा निम्नवत है (तुलन–पत्र की टिप्पणी संख्या 19 देखें)।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान संचलनः

इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी):–

(करोड़ रूपए में)

(क) नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	31.03.2019 तक संचयी	2019–20 के दौरान	31.03.2020 तक संचयी
i. परियोजना के निमित्त एनवीडीए द्वारा व्यय	1,363.95	6.77	1,370.72
ii. प्राप्त नकदी	669.71	-	669.71
iii. ओएसपी खाते से अंतरित राशि	8.56	-	8.56
(क) का कुल	**2,042.22**	**6.77**	**2,049.00**
(ख) निम्नलिखित के कारण देय/समायोजित			
i. इक्विटी पूंजी	660.00	-	660.00
ii. सिंचाई घटक	406.34	0.23	406.57
iii. एसएसपी घटक	519.23	0.29	519.52
iv. अधिक आरएंडआर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	418.34	1.65	419.99
v. विद्युत प्रभार और जलापूर्ति रख–रखाव प्रभार	5.04	-	5.04
vi. ओएसपी की इक्विटी	33.08	-	33.08
(ख) का कुल	**2,042.03**	**2.17**	**2,044.20**
(ग) एनवीडीए से वसूलनीय राशि अर्थात (ख–क)	**(0.19)**	**(4.60)**	**(4.79)**

ओंकारेश्वर परियोजना (ओएसपी) :–

(करोड़ रूपए में)

(घ) नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	31.03.2019 तक संचयी	2019–20 के दौरान	31.03.2020 तक संचयी
i. परियोजना के निमित्त एनवीडीए द्वारा व्यय	127.76	-	127.76
ii. प्राप्त नकदी	651.41	-	651.41
iii. आईएसपी खाते से अंतरित राशि	33.08	-	33.08
(घ) का कुल	**812.25**	**-**	**812.25**
(ङ) निम्नलिखित के कारण देय/समायोजित			
i इक्विटी पूंजी	300.16	-	300.16
ii. सिंचाई घटक	239.64	0.43	240.07
iii. अधिक आरएंडआर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	77.90	0.99	78.89
iv. आईएसपी खाते में अंतरित राशि	8.56	-	8.56
v. अतिरिक्त विशेष आरएंडआर पैकेज	208.18	24.68	232.86
(ङ) का कुल	**834.44**	**26.10**	**860.54**
(च) एनवीडीए से वसूलनीय राशि अर्थात (ङ–घ)	**22.19**	**26.10**	**48.29**
(छ) कुल वसूलनीय राशि अर्थात (ग+च)	**22.00**	**21.50**	**43.50**

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आरक्षित में अनुदान का संचलन निम्नानुसार हैः

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2019	अभिवृद्धि	कटौती	31.03.2020
1.	सहायता अनुदान के रूप में आईएसपीएस में सिंचाई घटक के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुपातिक योगदान	225.39	0.23	12.56	213.06
2.	आईएसपीएस हेतु एनवीडीए लेखे से सरदार सरोवर परियोजना के निमित्त अनुपातिक आर्थिक सहायता	288.04	0.29	16.05	272.28
क्रम सं.	**विवरण**	**01.04.2019**	**अभिवृद्धि**	**कटौती**	**31.03.2020**

3.	आईएसपीएस के आर एंड आर के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार का योगदान	267.00	1.65	16.36	252.28
4.	सहायता अनुदान के रूप में ओएसपीएस में सिंचाई घटक के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुपातिक योगदान	128.54	0.43	10.78	118.19
5.	ओएसपीएस के आरएण्डआर के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योगदान	209.06	25.67	12.75	221.99
	कुल	**1,118.03**	**28.27**	**68.50**	**1,077.79**

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान संचलनः

इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी):–

(करोड़ रूपए में)

(क) नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	**31.03.2018 तक संचयी**	**2018–19 के दौरान**	**31.03.2019 तक संचयी**
i. परियोजना पर एनवीडीए द्वारा व्यय	1,356.23	7.72	1,363.95
ii. प्राप्त नकदी	669.71	-	669.71
iii. ओएसपी खाते से अंतरित राशि	8.56	-	8.56
(क) का कुल	**2,034.50**	**7.72**	**2,042.22**
(ख) निम्नलिखित के कारण देय/ समायोजित			**-**
i. इक्विटी पूंजी	660.00	-	660.00
ii. सिंचाई घटक	405.56	0.78	406.34
iii. एसएसपी घटक	518.23	1.00	519.23
iv. अधिक आरएंडआर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	412.68	5.66	418.34
v. विद्युत प्रभार और जलापूर्ति रख–रखाव प्रभार	5.04	-	5.04
vi. ओएसपी की इक्विटी	33.08	-	33.08
(ख) का कुल	**2,034.59**	**7.44**	**2,042.03**
(ग) एनवीडीए से वसूलनीय राशि अर्थात (ख–क)	**0.09**	**(0.28)**	**(0.19)**

ओंकारेश्वर परियोजना (ओएसपी):–

(करोड़ रूपए में)

(घ) नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	**31.03.2018 तक संचयी**	**2018–19 के दौरान**	**31.03.2019 तक संचयी**
i. परियोजना पर एनवीडीए द्वारा व्यय	126.11	1.65	127.76
ii. प्राप्त नकदी	646.41	5.00	651.41
iii. आईएसपी खाते से अंतरित राशि	33.08	-	33.08
(घ) का कुल	**805.60**	**6.65**	**812.25**
(ङ) निम्नलिखित के कारण देय/ समायोजित			-
i. इक्विटी पूंजी	300.16	-	300.16
ii. सिंचाई घटक	239.33	0.31	239.64
iii. अधिक आरएंडआर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	76.06	1.84	77.90
iv. आईएसपी लेखे में अंतरित राशि	8.56	-	8.56
v. अतिरिक्त विशेष आरएंडआर पैकेज	207.83	0.35	208.18
(ङ) का कुल	**831.94**	**2.50**	**834.44**
(च) एनवीडीए से वसूलनीय राशि अर्थात (ङ–घ)	**26.34**	**(4.15)**	**22.19**
(छ) कुल वसूलनीय राशि अर्थात (ग+च)	**26.43**	**(4.43)**	**22.00**

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आरक्षित में अनुदान का संचलन निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2018	अभिवृद्धि	कटौती	31.03.2019
1.	सहायता अनुदान के रूप में आईएसपीएस में सिंचाई घटक के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुपातिक योगदान	237.60	0.78	12.99	225.39
2.	आईएसपीएस हेतु एनवीडीए लेखे से अंतरित सरदार सरोवर परियोजना के निमित्त अनुपातिक आर्थिक सहायता	303.64	1.00	16.60	288.04
3.	आईएसपीएस के आर एंड आर के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार का योगदान	277.60	5.66	16.26	267.00
4.	सहायता अनुदान के रूप में ओएसपीएस में सिंचाई घटक के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आनुपातिक योगदान	138.92	0.31	10.77	128.46
5.	ओएसपीएस के आरएण्डआर के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योगदान	218.30	2.19	11.35	209.14
	कुल	**1,176.06**	**9.94**	**67.97**	**1,118.03**

8. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन (एफईआरवी) का प्रभाव निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

कम सं	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	एफईआरवी के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	49.75	(3.18)
(ii)	ऋण लागत* के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	143.79	22.69
(iii)	विनियामक आस्थगित लेखा शेष में मानी गई राशि	0.99	(0.57)
(iv)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की वहनीय राशि को जोड़ कर समायोजित राशि	0.05	(0.02)

*तथापि, समूह की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभग्राहियों से विद्यमान सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019–24 के अनुरूप वसूल किया जाना है। वर्ष हेतु उधार लागत के अंतर्गत शामिल विनिमय दर परिवर्तन को समूह द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियों (लाभग्राहियों से वसूली योग्य) में अंतरित किया जाता है।

9. प्रचालन खंड:

क) विद्युत उत्पादन (निहित वित्त/प्रचालन पट्टों से आय सहित) समूह का मुख्य व्यापार क्रियाकलाप है। अन्य प्रचालन अर्थात संविदाएं, परियोजना प्रबंधन, परामर्शी कार्य और विद्युत व्यापार कारोबार "प्रचालन खंड" के संबंध में इंड एएस–108 के अनुसार सूचना योग्य खंड नहीं बनते हैं।

ख) समूह का एकमात्र भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।

ग) प्रमुख उपभोक्ताओं के संबंध में सूचना: निम्नलिखित उपभोक्ताओं से **6084.17 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष हेतु **5436.57 करोड़** रूपए) का राजस्व नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निकाला जाता है:

क्रम सं.	उपभोक्ता का नाम	उपभोक्ता से राजस्व (करोड़ रूपए में)		कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में उपभोक्ता से राजस्व	
		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	1616.62	1476.40	16.15%	16.46%
2.	विद्युत विकास विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार/जेके पावर कारपोरेशन लिमिटेड	1479.07	1380.28	14.78%	15.39%
3.	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	1273.37	804.54	12.72%	8.97%
4.	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	865.67	908.55	8.65%	10.13%
5.	पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड	849.44	866.80	8.49%	9.66%
	कुल	**6084.17**	**5436.57**	**60.79%**	**60.61%**

घ) बाहरी उपभोक्ताओं से राजस्व : समूह भारत में अधिवासित है। बाहरी ग्राहकों से इसके राजस्व की राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	बाहरी उपभोक्ताओं से राजस्व	31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2019 को समाप्त वर्ष हेतु
1.	भूटान	4.30	6.16
	कुल	**4.30**	**6.16**

टिप्पणी : उपरोक्त में विदेशी मुद्रा में शून्य रूपए (पिछले वर्ष शून्य) की राशि शामिल है।

10. इंड एएस–24 ''संबंधित पक्ष प्रकटन'' के अंतर्गत प्रकटन:

(क) संबंधित पक्षकारों की सूची:

(i) संयुक्त उद्यम:

कंपनियों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्राइवेट) लिमिटेड (एनएचपीटीएल)	भारत
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (ससीवीपीपीपीएल)	भारत

(ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

क्रम संख्या	नाम	धारित पद
1	श्री अभय कुमार सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (24.02.2020 को कार्यभार ग्रहण किया)
2	श्री बलराज जोशी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.12.2019 को अधिवर्षिता की आयु को प्राप्त हो गए)
3	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं), (01.01.2020 से 23.02.2020 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार)
4	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)
5	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
6	श्री जनार्दन चौधरी	निदेशक (तकनीकी)
7	श्री अनिरुद्ध कुमार	सरकारी नामिति निदेशक
8	श्री भागवत प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक
9	श्री जुगल किशोर महापात्रा	स्वतंत्र निदेशक

क्रम संख्या	नाम	धारित पद
10.	प्रो. (श्रीमती) कनिका टी. भाल	स्वतंत्र निदेशक (17.11.2019 को सेवानिवृत्त हो गईं)
11.	श्री सत्य प्रकाश मंगल	स्वतंत्र निदेशक (17.11.2019 को सेवानिवृत्त हो गए)
12.	प्रो. अरूण कुमार	स्वतंत्र निदेशक (17.11.2019 को सेवानिवृत्त हो गए)
13.	श्री विजय गुप्ता	कम्पनी सचिव

(iii) रोजगार–पश्चात हितलाभ योजनाएं:

संबंधित पक्षकारों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी अवकाश नकदीकरण ट्रस्ट	भारत

(iv) समूह पर संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाली अन्य कंपनियां :

समूह बहुसंख्यक शेयरधारिता के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है। समूह ने सरकार संबंधित निकायों हेतु उपलब्ध छूटों को लागू किया है और इंड एएस 24 के अनुसार वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है। अतः ऐसे कारोबार के पक्ष–वार ब्यौरे को नहीं दिया गया है क्योंकि ऐसे कारोबार व्यापार के सामान्य चालन में आम वाणिज्यिक शर्तों पर किए जाते हैं तथा इन्हें अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता।

क्रम सं.	सरकार का नाम	एनएचपीसी के साथ संबंध की प्रकृति
1.	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण होने वाले शेयरधारक
2.	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मणिपुर की राज्य सरकार	एनएचपीसी की सहायक कंपनियों में शेयरधारक (एनसीआई)
3.	जम्मू एवं कश्मीर की राज्य सरकार	संयुक्त नियंत्रित निकाय में सहायक उद्यम
4.	विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और अन्य सरकारी नियंत्रण वाली कंपनियां (बीएचईएल, आईओसीएल, पोसोको, सेल, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, दामोदर वैली कारपोरेशन, पीजीसीआईएल, आरईसी, बीएसएनएल, ईईएसएल, केवी, बॉमर लॉरी एंड कंपनी लि., आदि)	एनएचपीसी पर नियंत्रण होने वाली समान सरकार (केन्द्र सरकार) द्वारा नियंत्रित निकाय

(ख) संबंधित पक्षकारों के साथ निम्नलिखित लेन–देन किए गए:

(i) संयुक्त उद्यमों के साथ लेन–देन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्रदान की गईं सेवाएं		
▪ सीवीपीपीपीएल	20.25	19.13
कंपनी द्वारा इक्विटी अंशदान		
▪ सीवीपीपीपीएल	140.45	100.00
प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी की लागत की प्रतिपूर्ति		
▪ सीवीपीपीपीएल	3.25	2.84
दिए गए ऋण पर ब्याज		
▪ एनएचपीटीएल	0.60	0.60

(ii)) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को क्षतिपूर्तिः

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ	4.76	3.70
रोजगार–पश्चात हितलाभ	0.72	0.77
अन्य दीर्घावधिक हितलाभ	0.28	0.18

(करोड़ रुपए में)

केएमपी के साथ अन्य लेन–देन	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
गैर–कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क एवं अन्य प्रतिपूर्तियां	0.24	0.44
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	0.01	0.02

अन्य संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देन – रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
ईपीएफ ट्रस्ट में अंशदान	467.11	342.47
उपदान ट्रस्ट में अंशदान/(ट्रस्ट से प्रतिदाय का निवल)	(83.60)	(59.20)
आरईएचएस ट्रस्ट में अंशदान/(ट्रस्ट से प्रतिदाय का निवल)	(88.30)	1.73
सामाजिक सुरक्षा स्कीम ट्रस्ट में अंशदान	6.97	7.46
ईडीसीएसएस ट्रस्ट में अंशदान	201.64	131.91
अवकाश नकदीकरण ट्रस्ट में अंशदान	34.14	27.12

(iv) सरकार के वे लेन–देन जिनका कंपनी में नियंत्रण है – केंद्र सरकार/राज्य सरकार (इसमें विभिन्न मंत्रालयों, सीआईएसएफ आदि के साथ लेन–देन शामिल हैं)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
समूह द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं (इसमें जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार से संबंधित 199.25 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 504.44 करोड़ रूपए) शामिल हैं)	535.96	813.93
समूह द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	5.76	31.66
समूह द्वारा बनाई गई वस्तु/माल–सूची की बिक्री (जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार से संबंधित 1347.11 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1295.42 करोड़ रूपए) और उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित 1273.36 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1367.01 करोड़ रूपए) शामिल है)	4262.99	2758.03
संपत्ति/अन्य परिसंत्तियों की खरीद	-	1.83
वस्तुओं/माल–सूची की खरीद	40.23	5.87
वर्ष के दौरान भारत सरकार को अदा किया गया लाभांश	1393.41	738.15
वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को अदा किया गया लाभांश	464.72	265.96

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
समूह द्वारा प्राप्त अधीनस्थ ऋण	554.64	482.00
भारत सरकार को गारंटी शुल्क का भुगतान	13.43	18.61
भारत सरकार से समूह द्वारा शेयरों की पुनः खरीद	-	142.27
एमएनआरई से प्राप्त अनुदान (एसईसीआई के माध्यम से)	-	12.50
विद्युत मंत्रालय के आदेश पर जारी और भारत सरकार को भुगतान किए गए 8.12 प्रतिशत एनएचपीसी भारत सरकार पूर्णतः सेवा बांड (भारत सरकार से प्राप्त ब्याज सहित)	164.01	2021.69

(v) सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियों के साथ लेन–देन जिनका कंपनी में नियंत्रण है

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
संपत्ति/अन्य परिसंपत्तियों की खरीद	87.99	52.52
वस्तुओं/मालसूची की खरीद	36.48	32.66
समूह द्वारा प्राप्त सेवाएं	215.51	120.19
समूह द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	1.64	16.20
समूह द्वारा बनाई गई वस्तुओं/मालसूची की बिक्री	79.21	880.21
बीमा दावों के विरुद्ध समूह द्वारा प्राप्त निपटान राशि	56.39	52.92

(ग) संबंधित पक्षकारों के पास बकाया शेष और गारंटियां:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(i)	(ii)	(iii)
संयुक्त उद्यमों (सीवीपीपीपीएल और एनएचपीटीएल) के पास शेष		
• प्राप्य	42.94	95.46
• बकाया ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	6.27	6.00
केएमपी के पास शेष		
• प्राप्य	0.05	0.05
एनएचपीसी की रोजगार पश्चात लाभ योजनाओं के लिए बनाए गए ट्रस्ट के पास शेष		
प्राप्य		
• उपदान ट्रस्ट	40.30	78.45
• आरईएचएस ट्रस्ट	135.52	-
देय		
• ईपीएफ ट्रस्ट	28.50	143.92
• आरईएचएस ट्रस्ट	0.24	2.40
• सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	0.54	0.62
• ईडीसीएसएस ट्रस्ट	11.17	83.24
• अवकाश नकदीकरण ट्रस्ट	1.78	38.51

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(i)	(ii)	(iii)
सरकार जिसका इस समूह पर नियंत्रण है, के पास शेष – केन्द्र सरकार/राज्य सरकार		
• देय	221.31	86.36
• प्राप्य	4619.23	3828.87
• सरकार से ऋण (अधीनस्थ ऋण)	4741.21	4209.69
सरकार से प्राप्त गारंटी (विदेशी मुद्रा ऋण के प्रति)	1132.22	1118.79
सरकार जिसका इस समूह पर नियंत्रण है, द्वारा नियंत्रित कंपनियों के पास शेष		
• देय	63.96	46.27
• प्राप्य	94.89	365.85
• प्रतिबद्धताओं में से शेष	0.29	-

(घ) संबंधित पक्षकार लेन–देनों के संबंध में अन्य टिप्पणियां

(i) संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देन की निबंधन एवं शर्तें

(क) राज्य सरकारों के साथ तथा भारत सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ लेन–देन तात्कालिकता, उपयुक्तता अथवा अन्य कारणों से एकल निविदा आधार पर प्रोपाइटरी मदों के लिए मूल उपस्कर निर्माताओं (ओईएम) से कल–पुर्जे/सेवाएं प्राप्त करने के कुछ मामलों को छोड़कर खुली निविदाओं के विरुद्ध एक पारदर्शी कीमत खोज प्रक्रिया के माध्यम से स्वतंत्र तथा बिना किसी संबंध के आधार पर (केंद्र सरकार से रियायती दर पर प्राप्त अधीनस्थ ऋण को छोड़कर) बाजार की शर्तों पर किया जाता है। इस प्रकार की एकल निविदा खरीद उसी/समान मदों की उपलब्ध कीमत आंकड़ों के प्रति निर्धारित कीमतों से मोलभाव की प्रक्रिया के माध्यम से भी की जाती है।

(ख) एनएचपीटीएल को दिये गये 6.00 करोड़ रुपए के प्रतिभूतिरहित ऋण पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है और उसे वार्षिक आधार पर जोड़ा जाता है।

(ग) इस समूह द्वारा सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों को दी गई परामर्श सेवा आम तौर पर नामांकन आधार पर उन शर्तों, निबंधनों और सिद्धांतों पर होती है जो अन्य पक्षकारों को दी जाने वाली परामर्श सेवाओं के लिए लागू होते हैं।

(घ) सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम कंपनी की देय बकाया राशि प्रतिभूतिरहित होती है और इसका भुगतान बैंकिंग लेन–देन के माध्यम से होता है। ऋण को छोड़कर इन शेष राशियों पर ब्याज नहीं लगता है। संबंधित पक्षकारों के पास की राशियों से संबंधित प्राप्य राशियों की किसी हानि को मान्यता नहीं दी गई है। हानि का आकलन संबंधित पक्षकार की वित्तीय स्थिति एवं बाजार, जिसमें संबंधित पक्षकार कार्य करता है, की जांच करने के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया जाता है।

(ii) सहायक कंपनी तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों में आगे निवेशों के लिए प्रतिबद्धताओं को टिप्पणी 34(4) में प्रकट किया गया है।

(iii) सेवानिवृत्त पश्चात लाभ योजनाओं में अंशदान न्यासों से प्रतिदाय का निवल होता है।

11. प्रतिभूति का विवरणः ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में रेहन/गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों की वहन राशि निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
	प्रथम प्रभार		
1	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	11,617.29	10190.38
2	चल रहे पूंजीगत कार्य	7,898.75	7429.43
	कुल	**19,516.04**	**17619.81**

12. भारतीय लेखांकन मानक–19 के अंतर्गत "कर्मचारी लाभों" के संबंध में प्रकटीकरण

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं

(i) सामाजिक सुरक्षा योजना: अनुकंपा नियुक्ति की पूर्व की योजना के स्थान पर समूह की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। समूह प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान भी करता है और यह अंशदान योजना के लागू होने की तिथि अर्थात 01.06.2007 से एक निधि को बनाने के लिए 8 वर्षों तक किया जाना था जिसे 5 और वर्ष के लिए 31.05.2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में शोकसंतप्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस अवधि के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय **5.52 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **3.81 करोड़ रूपए**) है।

(ii) कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना (ईडीसीएसएस): समूह में कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए एक कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना है। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 5 प्रतिशत की दर से अंशदान देता है। समूह मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की दर से निकाली गई राशि में से भविष्य निधि, उपदान न्यास तथा आरईएचएस को अंशदान के प्रति नियोक्ता के अंशदान को घटाने के पश्चात उपलब्ध होने वाले शेष का अंशदान देता है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। वर्ष के दौरान कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय **87.82 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **127.36 करोड़ रूपए**) है।

(ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं: समूह के निम्नलिखित परिभाषित रोजगार–पश्चात लाभ दायित्व हैं:

(क) योजनाओं का विवरण

(i) भविष्य निधि: यह समूह पूर्व–निर्धारित दरों से एक पृथक न्यास में भविष्य निधि में नियत अंशदान जमा कराता है, जो धन का निवेश अनुमत्य प्रतिभूतियों में करता है। वर्ष के दौरान, निधि में अंशदान को व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते/निर्माण पर आरोप्य व्यय में प्रभारित किया जाता है। समूह का यह दायित्व है कि वह इस निधि में निर्धारित अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करे।

(ii) उपदान: समूह की एक निर्धारित लाभ उपदान योजना है। उपदान की उच्चतम सीमा का निर्धारण उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन (15/26 X अंतिम आहरित मूल वेतन+मंहगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.20 करोड़ रुपए है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जा रहा है और समूह का दायित्व बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर न्यास में अंशदान देना है।

(iii) सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस): समूह की एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और/अथवा उसके जीवन–साथी (पति/पत्नी) और दिवंगत कर्मचारियों के पात्र आश्रित बच्चों को कपंनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे समूह द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जा रहा है और समूह का दायित्व बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर न्यास में अंशदान देने का है।

(iv) सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता: समूह के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है। मृत्यु होने की स्थिति में मृतक कर्मचारी का परिवार भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(v) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह: समूह की नीति है कि वह अधिवर्षिता पर कर्मचारियों को 10,000/– रुपए मूल्य का स्मृतिचिन्ह भेंट करे। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ख) तुलन पत्र राशियों और योजनाओं के संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रकटन

(i) भविष्य निधि : वर्ष 2019–20 तथा 2018–19 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन नीचे दिए गए है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व / (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2019–20		
01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	**2647.07**	**2718.80**	**(71.73)**
समायोजन	0.00	(0.30)	
वर्तमान सेवा लागत	131.13	-	131.13
ब्याज व्यय / (आय)	236.54	229.37	7.17
कुल	**367.67**	**229.07**	**138.60**
पुनर्मापन			
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, ब्याज व्ययों / (आय) में शामिल राशि को छोड़कर	0.00	11.76	(11.76)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	0.01	0.00	0.01
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	0.23	0.00	0.23
अनुभव (लाभ) / हानि	63.27	0.00	63.27
कुल	**63.51**	**11.76**	**51.75**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	0.00	131.13	(131.13)
– योजना प्रतिभागी	342.71	342.71	0.00
हितलाभ भुगतान	(433.79)	(433.79)	0.00
31.03.2020 को अंतिम शेष	**2987.17**	**2999.68**	**(12.51)**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व / (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2018–19		
01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	**2502.67**	**2522.49**	**(19.82)**
वर्तमान सेवा लागत	95.73	.	95.73
ब्याज व्यय / (आय)	192.71	186.74	5.97
कुल	**288.44**	**186.74**	**101.70**
पुनर्मापन			
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, ब्याज व्ययों / (आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	7.08	(7.08)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	0.04	-	0.04
अनुभव (लाभ) / हानि	(28.03)	22.80	(50.83)
कुल	**(27.99)**	**29.88**	**(57.87)**
अंशदानः–			
– नियोक्ता	-	95.73	(95.73)
– योजना प्रतिभागी	268.97	268.97	-
हितलाभ भुगतान	(385.02)	(385.02)	-
31.03.2019 को अंतिम शेष	**2647.07**	**2718.80**	**(71.73)**

वित्तपोषित और गैर–वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2,987.17	2,647.07
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2,999.68	2,718.80
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	**(12.51)**	**(71.73)**
गैर–वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	**(12.51)**	**(71.73)**

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार, समूह को बीमांकित मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित 12.51 करोड़ रूपए के निवल अधिशेष के प्रति योजना से प्रतिदाय लेने अथवा योजना में निम्न भावी अंशदान में हितलाभों का कोई अधिकार नहीं होता है। तदनुसार, समूह ने अधिशेष को परिसंपत्ति के रूप में तथा अन्य व्यापक आय में बीमांकित लाभों को मान्यता प्रदान नहीं की है क्योंकि ये भविष्य निधि न्यास से संबंधित हैं न कि समूह से।

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमान में परिवर्तनों के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है–

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन		परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर प्रभाव					
			अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी		
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	0.006%	0.005%	इससे वृद्धि	0.006%	0.005%

(ii) **उपदानः** 31.03.2020 तथा 31.03.2019 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2019–20 तथा 2018–19 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2019–20		
01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	**695.89**	**763.91**	**(68.02)**
वर्तमान सेवा लागत	19.53	0.00	19.53
ब्याज व्यय/(आय)	52.61	57.75	(5.14)
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि/निर्माण के दौरान व्यय	**72.14**	**57.75**	**14.39**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर	0.00	(2.00)	2.00
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.59	0.00	0.59
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	32.80	0.00	32.80
अनुभव (लाभ)/हानि	(13.59)	0.00	(13.59)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**19.80**	**(2.00)**	**21.80**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	0.00	0.00	0.00
– योजना प्रतिभागी	0.00	0.00	0.00
हितलाभ भुगतान	(116.88)	(121.29)	4.41
31.03.2020 को अंतिम शेष	**670.95**	**698.37**	**(27.42)**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2018–19		
01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	**724.52**	**608.33**	**116.19**
समायोजन	-	(0.10)	0.10
वर्तमान सेवा लागत	22.50	-	22.50
ब्याज व्यय/(आय)	55.79	46.84	8.95
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि/निर्माण के दौरान व्यय	**78.29**	**46.74**	**31.55**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	4.01	(4.01)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.27)	-	(0.27)
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	5.92	-	5.92
अनुभव (लाभ)/हानि	(13.97)	-	(13.97)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(8.32)**	**4.01**	**(12.33)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	200.66	(200.66)
– योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(98.60)	(95.83)	(2.77)
31.03.2019 को अंतिम शेष	**695.89**	**763.91**	**(68.02)**

वित्तपोषित और गैर–वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	670.95	695.89
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	698.37	763.91
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	**(27.42)**	**(68.02)**
गैर–वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	**(27.42)**	**(68.02)**

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमान में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन		परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर प्रभाव					
				अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	3.18%	2.96%	इससे वृद्धि	3.40%	3.16%
वेतन वृद्धि दर	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	0.53%	0.63%	इससे कमी	0.60%	0.73%

(iii) सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस): 31.03.2020 तथा 31.03.2019 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2019–20 तथा 2018–19 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2019–20		
01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	**865.53**	**863.48**	**2.05**
वर्तमान सेवा लागत	17.03	0.00	17.03
ब्याज व्यय/(आय)	65.43	64.69	0.74
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि/निर्माण के दौरान व्यय पुनर्मापन	**82.46**	**64.69**	**17.77**
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर	0.00	10.02	(10.02)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.21)	0.00	(0.21)
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	73.46	0.00	73.46
अनुभव (लाभ)/हानि	(136.43)	0.00	(136.43)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(63.18)**	**10.02**	**(73.20)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	0.00	80.65	(80.65)
– योजना प्रतिभागी	0.00	0.00	0.00
हितलाभ भुगतान	(32.63)	(31.12)	(1.51)
31.03.2020 को अंतिम शेष	**852.18**	**987.72**	**(135.54)**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2018–19		
01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	**793.62**	**791.62**	**2.00**
वर्तमान सेवा लागत	16.12	-	16.12
ब्याज व्यय/(आय)	61.11	60.47	0.64
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि/निर्माण के दौरान व्यय पुनर्मापन	**77.23**	**60.47**	**16.76**
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	7.52	7.52)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.92)	-	(0.92)
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	16.23	-	16.23
अनुभव (लाभ)/हानि	3.16	-	3.16
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**18.47**	**7.52**	**10.95**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	27.63	(27.63)
– योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(23.79)	(23.76)	(0.03)
31.03.2019 को अंतिम शेष	**865.53**	**863.48**	**2.05**

वित्तपोषित और गैर–वित्तपोषित के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	852.18	865.53
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	987.72	863.48
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	**(135.54)**	**2.05**
गैर–वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	**(135.54)**	**2.05**

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमान में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है:

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन		परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर प्रभाव					
				अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	6.79%	6.77%	इससे वृद्धि	6.86%	6.85%
चिकित्सा लागत दर	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	6.87%	6.91%	इससे कमी	6.80%	6.78%

(iii) सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता: 31.03.2020 तथा 31.03.2019 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2019–20 तथा 2018–19 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2019–20		
01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	**5.78**	**-**	**5.78**
वर्तमान सेवा लागत	0.29	-	0.29
ब्याज व्यय/(आय)	0.44	-	0.44
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि/निर्माण के दौरान व्यय पुनर्मापन	**0.73**	**-**	**0.73**
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.00	-	0.00
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.47	-	0.47
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.62)	-	(0.62)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(0.15)**	**-**	**(0.15)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	-	-
– योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(0.31)	-	(0.31)
31.03.2020 को अंतिम शेष	**6.05**	**-**	**6.05**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2018–19	
01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	**5.75**	**-**	**5.75**
वर्तमान सेवा लागत	0.27	-	0.27
ब्याज व्यय/(आय)	0.44	-	0.44
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि/निर्माण के दौरान व्यय पुनर्मापन	**0.71**	**-**	**0.71**
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.02)	-	(0.02)
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.07	-	0.07
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.66)	-	(0.66)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(0.61)**	**-**	**(0.61)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	-	-
– योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(0.07)	-	(0.07)
31.03.2019 को अंतिम शेष	**5.78**	**-**	**5.78**

प्रकट की गई उपरोक्त निवल देयता गैर–वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमान में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है:

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन			परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर प्रभाव				
				अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	4.87%	3.93%	इससे वृद्धि	5.92%	4.00%
लागत वृद्धि	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	6.12%	4.05%	इससे कमी	5.11%	3.81%

(v) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को स्मृति–चिन्ह: 31.03.2020 तथा 31.03.2019 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2019–20 तथा 2018–19 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2019–20	
01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	**3.63**	**-**	**3.63**
वर्तमान सेवा लागत	0.14	-	0.14

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2019–20		
ब्याज व्यय/(आय)	0.27	-	0.27
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि/निर्माण के दौरान व्यय पुनर्मापन	**0.41**	**-**	**0.41**
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.00	-	0.00
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.20	-	0.20
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.30)	-	(0.30)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(0.10)**	**-**	**(0.10)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	-	-
– योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(0.49)	-	(0.49)
31.03.2020 को अंतिम शेष	**3.45**	**-**	**3.45**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2018–19		
01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	**2.19**	**-**	**2.19**
वर्तमान सेवा लागत	1.72	-	1.72
ब्याज व्यय/(आय)	0.17	-	0.17
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि/निर्माण के दौरान व्यय पुनर्मापन	**1.89**	**-**	**1.89**
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.01)	-	(0.01)
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.03	-	0.03
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.18)	-	(0.18)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(0.16)**	**-**	**(0.16)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	-	-
– योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(0.29)	-	(0.29)
31.03.2019 को अंतिम शेष	**3.63**	**-**	**3.63**

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर–वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमान में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है:

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन			परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर प्रभाव				
				अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	4.61%	4.90%	इससे वृद्धि	4.87%	5.19%

(ग) परिभाषित हितलाभ योजनाएं: महत्वपूर्ण अनुमानः बीमांकित अवधारणाएं:

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
छूट दर	6.78%	7.56%
वेतन वृद्धि दर	6.50%	6.50%

(घ) योजनागत परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार हैं:

भविष्य निधि

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण दस्तावेज				
सरकारी बॉण्ड	1751.33	-	**1751.33**	58.51
कारपोरेट बॉण्ड	1067.84	-	**1067.84**	35.68
निवेश निधियां				
म्युचुअल फंड	72.29	-	**72.29**	2.42
एलआईसी	-	-	**-**	-
नकदी और नकदी समतुल्य	-	**29.74**	**29.74**	**0.99**
प्रोद्भूत ब्याज	**71.92**	-	**71.92**	**2.40**
कुल	**2963.38**	**29.74**	**2993.12**	**100.00**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण दस्तावेज				
सरकारी बॉण्ड	1557.03	-	**1557.03**	57.36
कारपोरेट बॉण्ड	1012.64	-	**1012.64**	37.31
निवेश निधियां				
म्युचुअल फंड	60.68	-	**60.68**	2.23
एलआईसी	-	-	**-**	-
नकदी और नकदी समतुल्य	**-**	**10.78**	**10.78**	**0.40**
प्रोद्भूत ब्याज	**73.23**	**-**	**73.23**	**2.70**
कुल	**2703.58**	**10.78**	**2714.36**	**100.00**

उपदान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना	-	698.36	**698.36**	100.00
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.01	**0.01**	-
कुल	**-**	**698.37**	**698.37**	**100.00**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना	-	763.90	**763.90**	100.00
नकदी और नकदी समतुल्य	-	-	**-**	-
कुल	**-**	**763.90**	**763.90**	**100.00**

सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस):

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण दस्तावेज				
सरकारी बॉण्ड	4.72	-	**4.72**	0.48
कारपोरेट बॉण्ड	716.27	-	**716.27**	72.55
एलआईसी योजना	**-**	**247.18**	**247.18**	**25.04**
सावधि जमा	-	0.41	**0.41**	0.04
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.20	**0.20**	0.02
प्रोद्भूत ब्याज	**18.48**	**-**	**18.48**	**1.87**
कुल	**739.47**	**247.79**	**987.26**	**100.00**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण दस्तावेज				
सरकारी बॉण्ड	4.72	-	**4.72**	0.55
कारपोरेट बॉण्ड	739.05	-	**739.05**	85.62
एलआईसी योजना	**-**	**88.69**	**88.69**	**10.28**
सावधि जमा	-	2.77	**2.77**	0.32
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.47	**0.47**	0.05
प्रोद्भूत ब्याज	**27.47**	**-**	**27.47**	**3.18**
कुल	**771.24**	**91.93**	**863.17**	**100.00**

(ङ) **जोखिम प्रदर्शनः** अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से यह समूह कई जोखिमों के प्रभाव में आती है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

जोखिम प्रदर्शनों का विवरणः

मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित है जो परिवर्तनशील प्रकृति के हैं और समय के साथ भिन्न होती हैं। अतः समूह नीचे दिए गए विभिन्न जोखिमों के प्रभाव में आती है–

क) वेतन वृद्धि – वास्तविक वेतन वृद्धि योजना के दायित्व में वृद्धि करेगी। वेतन में वृद्धि दर मान्यता वृद्धि भविष्य के मूल्यांकनों में देयता में भी वृद्धि करेगी।

ख) निवेश जोखिम – यदि योजना को वित्तपोषित किया जाता है तो परिसंपत्ति देयताएं असंतुलन और अंतिम तिथि को मानी गई छूट दर से निम्न होने वाला परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल दायित्व को प्रभावित कर सकता है।

ग) छूट दर – बाद के मूल्यांकनों में छूट दर में कमी योजना के दायित्व में वृद्धि कर सकती है।

घ) मृत्यु तथा निशक्तता – मूल्यांकन में माने गए से कम या अधिक होने पर वास्तविक मृत्यु तथा निशक्तता के मामले देयताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

ङ) निकासी – वास्तविक निकासी मानी गई निकासी से अधिक या कम होने और बाद के मूल्यांकनों में निकासी दरों में परिवर्तन योजना के दायित्व को प्रभावित कर सकता है।

च) **परिभाषित लाभ देयता और नियोक्ता अंशदान:** वित्तपोषण स्तरों की निगरानी वार्षिक आधार पर की जाती है और वर्तमान अंशदान दर मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 30 प्रतिशत है। समूह यह मानता है कि पिछली मूल्यांकन तिथि को निर्धारित अंशदान दरें सहमत अवधि पर कमी को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं और नियमित अंशदान, जो सेवा लागतों पर आधारित है, उनमें अत्यधिक वृद्धि नहीं होगी।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु परिभाषित लाभ योजनाओं में प्रत्याशित अंशदान **151.72 करोड़ रूपए** है।

परिभाषित लाभ दायित्वों की भारित औसत अवधि **10–15 वर्ष** है (2018–2019 – 10–14 वर्ष)।

छूट न दी गई परिभाषित लाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है:

भविष्य निधि (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि) का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	0–1 वर्ष के मध्य	1–5 वर्ष के मध्य	5–10 वर्ष के मध्य	10 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2020	500.03	983.71	449.08	1,054.36	2,987.18
31.03.2019	430.95	916.17	443.34	856.61	2647.07

उपदान (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि), रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ (एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना न्यास), सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और स्मृतिचिन्ह का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष के मध्य	2–5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2020					
उपदान	97.79	84.87	169.85	318.43	670.94
रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	30.06	38.97	136.15	647.00	852.18
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता	0.62	0.59	1.30	3.54	6.05
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह	0.52	0.46	0.89	1.59	3.46
कुल	**128.99**	**124.89**	**308.19**	**970.56**	**1532.63**
31.03.2019					
उपदान	106.75	75.39	100.40	413.35	695.89
रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	36.31	38.51	128.68	662.00	865.50
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता	0.65	0.65	1.40	3.10	5.80
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह	0.56	0.51	1.00	1.56	3.63
कुल	**144.27**	**115.06**	**231.48**	**1080.01**	**1570.82**

(ग) **अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ (अवकाश हितलाभ):** समूह अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्ध–वेतन अवकाश प्रदान करता है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। अर्जित अवकाश (ईएल) सेवा के दौरान नकदीकरण योग्य भी होते हैं। अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस की है। तथापि, अधिवर्षिता पर अर्जित अवकाश के 300 दिवस की अधिकतम सीमा में कोई कमी उस सीमा तक अर्ध वेतन अवकाश से पूरी की जाएगी। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के दौरान मान्यताप्राप्त व्यय **108.81 करोड़ रूपए** (31 मार्च 2019: **68.28 करोड़ रूपए**) है।

13. विदेशी मुद्रा में आय और व्यय तथा कल–पुर्जों की खपत का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

क.सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ब्याज	25.29	21.37
	ii) अन्य विविध मामले	81.53	83.60
ख)	प्रचालनात्मक यूनिटों में उपभोग किए गए कल–पुर्जों तथा घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	-	-
	ii) देशीय	21.40	25.44

14. प्रति शेयर अर्जन:–

क) प्रति शेयर अर्जन (मूल तथा कम किया गया) निम्नानुसार हैं:

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को सम.प्त वर्ष के लिए
विनियामक आय से पूर्व प्रति शेयर अर्जन (रूपए) – मूल और कम किया गया	3.10	1.71
विनियामक आय के पश्चात प्रति शेयर अर्जन (रूपए) – मूल और कम किया गया	2.86	2.54
प्रति शेयर समान मूल्य (रुपए)	10	10

ख) प्रति शेयर अर्जन की गणना में प्रयुक्त आय का मिलान:

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अंश के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात किंतु विनियामक आय से पूर्व निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	3115.11	1752.19
अंश के रूप में प्रयुक्त कर तथा विनियामक आय के पश्चात निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	2874.61	2595.61

ग) विभाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या का मिलान:

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
विभाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या	10045034805	10218811713

15. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III के अनुसार प्रकटीकरण:

(करोड़ रुपए में)

समूह में निकायों के नाम	निवल परिसंपत्तियां अर्थात कुल परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं		लाभ या हानि में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मूल कंपनी								
एनएचपीसी लिमिटेड								
31.03.2020	78.24	27047.22	75.67	2515.70	24.70	(0.62)	75.71	2515.09
31.03.2019	81.21	27343.27	82.99	2353.39	97.94	(12.41)	82.92	2340.98
सहायक कंपनियां								
एनएचडीसी								
31.03.2020	6.82	2328.59	10.71	356.05	38.25	(0.96)	10.69	355.09
31.03.2019	7.61	2562.20	8.35	236.90	1.03	(0.13)	8.39	236.77
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसी लिमिटेड)								
31.03.2020	0.29	99.86	0.01	0.07	-	-	0.01	0.07
31.03.2019	0.29	96.80	0.01	0.29	-	-	0.01	0.29
बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)								
31.03.2020	0.01	3.69	(0.01)	(0.19)	-	-	(0.01)	(0.19)
31.03.2019	0.01	2.89	(0.01)	(0.20)	-	-	(0.01)	(0.20)
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल)								
31.03.2020	2.81	957.72	(0.01)	(0.06)	-	-	(0.01)	(0.06)
31.03.2019	-	-	-	-	-	-	-	.
सभी सहायक कंपनियों में गैर–नियंत्रक ब्याज								
31.03.2020	8.10	2763.88	13.54	450.10	36.65	(0.92)	13.52	449.18
31.03.2019	8.52	2868.47	8.47	240.17	0.95	(0.12)	8.50	240.05
संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)								
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)								
31.03.2020	0.06	22.06	(0.12)	(4.01)	0.40	(0.01)	(0.12)	(4.02)
31.03.2019	0.08	26.08	(0.06)	(1.74)	0.08	(0.01)	(0.06)	(1.75)
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (पी) लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल)								
31.03.2020	2.67	911.46	0.21	7.05	-	-	0.21	7.05
31.03.2019	2.28	766.57	0.25	6.98	-	-	0.25	6.98
कुल								
31.03.2020	**100.00**	**34134.49**	**100.00**	**3324.72**	**100.00**	**(2.51)**	**100.00**	**3322.21**
31.03.2019	**100.00**	**33666.28**	**100.00**	**2835.79**	**100.00**	**(12.67)**	**100.00**	**2823.12**

16. संयुक्त उद्यम के संबंध में प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिक देयताएं:

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
क.	आकस्मिक देयताएं	43.88	2.89
ख.	पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	3840.00	1998.39

17. शेषों की पुष्टि संबंधी प्रकटन निम्नवत हैः

(क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम, विविध देनदार, संविदाकारों को अग्रिम, विविध लेनदार तथा नीचे (ख) में दिए गए को छोड़कर संविदाकारों से जमा/धरोहर राशि के अंतर्गत दर्शाए गए शेष, समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गईं या सौंपने का निर्णय की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं।

(ख) व्यापार प्राप्य, देय भुगतान राशि, जमा, संविदाकारों/आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम जिसमें पूंजीगत व्यय शामिल है और संविदाकारों को जारी सामग्री हेतु **0.05 करोड़** रूपए अथवा उससे अधिक के बकाया शेष हेतु पुष्टि प्रत्येक पक्ष के संबंध में 31 दिसम्बर, 2019 को मांगी गई है। 31 दिसम्बर, 2019 के अनुसार शेष की पुष्टि और साथ ही साथ 31.03.2020 को बकाया राशि की स्थिति निम्नानुसार हैः

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.12.2019 को बकाया राशि	पुष्टि की गई राशि	31.03.2020 को बकाया राशि
व्यापार प्राप्य	3784.03	213.66	3816.44
पूंजीगत व्यय और संविदाकारों को जारी सामग्री सहित जमा, संविदाकारों/आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम	983.47	315.57	976.09
व्यापार/अन्य देय	362.84	62.63	642.66
प्रतिभूति जमा/देय प्रतिधारण राशि	165.69	26.61	127.32

(ग) प्रबंधन के मतानुसार, अपुष्ट शेषों का कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होगा।

18. भारतीय लेखांकन मानक–116 "पट्टे" के अनुसार पट्टों के संबंध में प्रकटन

क) समूह पट्टेदार के रूप में

(i) इंड एएस 116 में परिवर्तन

1 अप्रैल, 2019 से, समूह ने इंड एएस–116 "पट्टों" को अपनाया है तथा संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का उपयोग करके दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को मौजूदा सभी पट्टा संविदाओं पर यह मानक लागू किया। तदनुसार, 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली वर्ष की तुलना में नहीं की जा सकती।

समूह ने पट्टा देयता को प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख में वृद्धिशील उधार दर पर छूट प्राप्त शेष पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर और प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख से तुरंत पहले तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त उसे पट्टे से संबंधित प्रोद्भूत पट्टा भुगतान अथवा किसी भी प्रीपेड राशि द्वारा समायोजित पट्टा देयता की समान राशि पर परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार पर दर्ज किया है। इंड एएस–116 में परिवर्तन पर, समूह ने परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार और **16.22 करोड़ रुपए** राशि की पट्टा देयताओं के बराबर की राशि को मान्यता दी है।

इसके अतिरिक्त, **2423.07 करोड़ रूपए** राशि की भूमि – उपयोग का अधिकार, भवन उपयोग का अधिकार के समतुल्य तथा अन्य परिसंपत्तियों को वर्गीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है तथा तुलन–पत्र में परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान वर्ष हेतु लाभ और हानि विवरण में, पट्टा व्ययों को अन्य व्ययों से तथा कर्मचारी लाभ व्ययों से पट्टा परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार के लिए मूल्यह्रास और परिशोधन व्ययों तथा पट्टा देयता पर प्रोद्भूत ब्याज हेतु वित्तीय लागत में वर्गीकृत किया गया है।

समूह ने इंड एएस–116 के प्रारंभिक अनुप्रयोग पर निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय लागू किये हैंः–

क. समान अंतिम तिथि के साथ समान आर्थिक पर्यावरण में समान परिसंत्तियों के पट्टों के पोर्टफोलियो पर एकल छूट दर लागू की।

ख. उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों की पहचान न करके तथा प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख को 12 माह से कम पट्टा अवधि वाली पट्टों देयताओं पर छूट लागू की।

ग. प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, यदि कोई हो तो उसे छोड़कर, प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि को उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों का मापन।

घ. यदि अनुबंध में पट्टे को विस्तारित करने या समाप्त करने का विकल्प शामिल है तो पट्टे की अवधि निर्धारित करते समय दूरदर्शिता का प्रयोग किया।

ङ. समूह ने इस मानक को अनुबंध पर लागू न करने के लिए व्यवहारिक प्रणाली के उपयोग करने का चयन किया है जो इंड एएस 17 में लागू पट्टे के रूप में पूर्व में अभिज्ञात नहीं किए गए थे। तद्नुसार, इंड एएस 116 केवल उन अनुबंध पर ही लागू होगा जो इंड एएस 17 के अंतर्गत पट्टों के रूप में पहले से अभिज्ञात थे।

दिनांक 1 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार पट्टा देयताओं पर लागू की गई भारित औसत वृद्धिशील उधार दर 7.85% है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 34 की क्रम सं. 18 में प्रकट किए गए अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को इंड एएस–17 के अनुसार गैर–निरस्तीकरण प्रचालनात्मक पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा किराये की प्रतिबद्धता नहीं थी। तदनुसार, इंड एएस–116 में परिवर्तित होने के कारण 1 अप्रैल, 2019 को लेखांकित पट्टा देयताएं, इन पट्टा करारों की निरस्तीकरण शर्तों के लिए पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य को शामिल करने के कारण हैं।

(ii) **पट्टे की प्रकृतिः** समूह की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाएं निम्नलिखित परिसंत्तियों के संबंध में हैं:

(क) 3–4 माह से 3 साल तक की अवधि के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के आवासीय उपयोग हेतु निरस्तीकरण योग्य पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत परिसर।

(ख) कार्यालयों, अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों हेतु पट्टे पर परिसर जो निरस्त नहीं किए जा सकते तथा आम तौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।

(ग) परियोजनाओं और/अथवा प्रशासनिक कार्यालयों के निर्माण के लिए भूमि पट्टे पर प्राप्त की गई।

(घ) वाहनों को सामान्यतः 1 से 2 वर्षों की अवधि हेतु प्रचालनात्मक पटटों पर लिया है और ये पट्टे निरस्त नहीं किए जा सकते।

(iii) राशि को 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान अल्पावधि, निम्न मूल्य और परिवर्तनीय पट्टे के संबंध में लाभ और हानि/निर्माण पर आरोप्य व्यय के विवरण में माना गया है:

(करोड़ रुपए में)

कम सं.	विवरण	31.03.2020
1	अल्पावधि पट्टों पर व्यय	16.91
2	निम्न–मूल्य परिसंपत्तियों के पट्टे पर व्यय	0.14
3	पट्टा देयताओं के पुनर्मापन में परिवर्तनीय पट्टा भुगतान शामिल नहीं हैं	9.27

(iv) 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार अल्पावधि पट्टों के लिए प्रतिबद्धता **4.30 करोड़ रुपए** है।

(v) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं में संचलन निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2020
प्रारंभिक शेष	16.22
पट्टा देयताओं में वृद्धि	3.97
वर्ष के दौरान प्रोद्भूत वित्त लागत	1.33
घटाएंः पट्टा देयताओं का भुगतान	5.04
अंतिम शेष	**16.48**

(ख) वित्त पट्टा – कंपनी पट्टादाता के रूप में

समूह ने दो पावर स्टेशनों नामतः निम्मो बाजगो पावर स्टेशन और चुटक पावर स्टेशन से उत्पादित समूची विद्युत की बिक्री हेतु एकल लाभार्थी पीडीडी जम्मू एवं कश्मीर और दो पावर स्टेशनों नामतः इन्दिरा सागर और ओंकारेश्वर पावर स्टेशनों से उत्पादित समूची विद्युत की बिक्री हेतु मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट समूह के साथ इन पावर स्टेशनों के अपेक्षित जीवनकाल की वास्तविक अवधि के लिए एक समझौता किया है। समझौतों के अंतर्गत उपभोक्ता केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उत्पादन को खरीदने के लिए बाध्य है। समूह ने इन पावर स्टेशनों को इंड एएस 17–पट्टे के परिशिष्ट–ग के अनुसार निहित वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया है। समूह ने इस मानक को अनुबंध पर लागू न करने के लिए व्यवहारिक प्रणाली के उपयोग करने का चयन किया है जो इंड एएस 17 में लागू पट्टे के रूप में पूर्व में अभिज्ञात नहीं किए गए थे। तद्नुसार, इंड एएस 116 केवल उन अनुबंध पर ही लागू होगा जो इंड एएस 17 के अंतर्गत पट्टों के रूप में पहले से अभिज्ञात थे। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (वर्तमान तथा गैर–वर्तमान) में प्राप्य पट्टे शामिल हैं जो समूह द्वारा की गई निहित पट्टा व्यवस्थाओं पर प्राप्य भविष्य के पट्टा किराए के वर्तमान मूल्य को दर्शाते हैं।

समूह ने वर्ष के दौरान **755.82 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **772.49 करोड़ रुपए**) की "वित्त पट्टे से आय" अर्जित की।

निम्नलिखित तालिका 31.03.2020 को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त होने वाले छूट न दिए गए पट्टा भुगतान दर्शाते हुए, पट्टा प्राप्य की परिपक्वता विश्लेषण निर्धारित करती है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2020
गैर–छूटशुदा पट्टा भुगतान प्राप्यः	
एक वर्ष से कम	840.69
एक से दो वर्ष	828.48
दो से तीन वर्ष	816.60
तीन से चार वर्ष	802.15
चार से पांच वर्ष	789.62
पांच से अधिक वर्ष	15,018.81
कुल छूट न दिए गए पट्टा भुगतान प्राप्यः	**19,096.35**
घटाएं: अर्जित न की गई वित्त आय	13,879.87
जोड़ें: छूट दिए गए गैर–गारंटीबद्ध अवशिष्ट मूल्य	12.75
पट्टे में निवल निवेश	**5,229.23**

वित्त पट्टों में निवल निवेश की वहनीय राशि में महत्वपूर्ण परिवर्तन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2020
प्रारंभिक शेष	5,569.27
वर्ष के दौरान वृद्धि	22.79
वर्ष के लिए वित्त पट्टे से आय	755.82
घटाएं: वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	1,118.65
अंतिम शेष	**5,229.23**

31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में पट्टे में सकल निवेश और प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार था:

(i) पट्टे में सकल निवेश:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2019
एक वर्ष के भीतर	968.69
एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्षों से अधिक नहीं	3409.82
पांच वर्ष से अधिक	13738.83
कुल	**18117.34**

(ii) प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2019
एक वर्ष के भीतर	213.86
एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	617.04
पांच वर्ष से अधिक	4738.37
कुल	**5569.27**

(iii) पट्टे में सकल निवेश और प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य के मध्य मिलान निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2019
पट्टे में सकल निवेश	18117.34
समायोजन :	
घटाए : अर्जित न की गई वित्त आय	11759.68
घटाए : गैर–गारंटीबद्ध अवशिष्ट मूल्य	788.39
न्यूनतम पट्टा भुगतान (एमएलपी) का वर्तमान मूल्य	**5569.27**

(ग) प्रचालनात्मक पट्टा – कंपनी पट्टादाता के रूप में

समूह ने टीएलडीपी–III तथा टीएलडीपी–IV पावर स्टेशनों से विद्युत की बिक्री हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड और पवन विद्युत परियोजना, जैसलमेर से विद्युत की बिक्री हेतु जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ 3 वर्ष की अवधि हेतु एक करार किया है। इन करारों के अंतर्गत ग्राहक केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उत्पादन की खरीद के लिए बाध्य है। तदनुसार, समूह ने इन पावर स्टेशनों को भारतीय लेखांकन मानक 17–पटटे के परिशिष्ट–ग के अनुसार प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया है। समूह ने इस मानक को अनुबंध पर लागू न करने के लिए व्यवहारिक प्रणाली के उपयोग करने का चयन किया है जो इंड एएस 17 में लागू पट्टे के रूप में पूर्व में अभिज्ञात नहीं किए गए थे। तद्नुसार, इंड एएस 116 केवल उन अनुबंध पर ही लागू होगा जो इंड एएस 17 के अंतर्गत पट्टों के रूप में पहले से अभिज्ञात थे।

समूह ने वर्ष के दौरान **666.57 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **748.61 करोड़ रुपए**) की "वित्त पट्टे से आय" अर्जित की।

निम्नलिखित तालिका विद्युत क्रय करार की तारीख तक टीएलडीपी–IV पावर स्टेशन के संबंध में दिनांक 31.03.2020 को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त होने वाले छूट न दिए गए पट्टा भुगतान दर्शाते हुए, पट्टा भुगतानों की परिपक्वता विश्लेषण निर्धारित करती है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2020
एक वर्ष से कम	198.05
एक से दो वर्ष	-
दो से तीन वर्ष	-
तीन से चार वर्ष	-
चार से पांच वर्ष	-
पांच से अधिक वर्ष	-
कुल	**198.05**

31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में गैर–निरस्तीकरण योग्य प्रचालनात्मक पट्टों के अंतर्गत प्राप्य भावी न्यूनतम किराया निम्नानुसार था:–

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2019
एक वर्ष के भीतर	211.02
एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	198.34
कुल	**409.36**

19. भारतीय लेखांकन मानक 36 के अनुसार, परिसंपत्तियों की हानि में किसी निकाय के लिए प्रत्येक तुलन पत्र पर यह आकलन करना होता है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि किसी परिसंपत्ति को हानि हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत हो तब निकाय से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना अपेक्षित है। यदि संभावित हानि के संबंध में घाटे का कोई संकेत न हो, तब इस मानक में किसी उपक्रम के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वह वसूली योग्य राशि का औपचारिक अनुमान लगाए।

प्रबंधन ने यह निर्धारित किया है कि इस समूह की प्रत्येक परियोजना/पावर स्टेशन सबसे छोटा पहचान योग्य परिसंपत्ति समूह है जो सतत उपयोग से नकदी के प्रवाह का सृजन करता है जो अन्य परिसंपत्तियों अथवा परिसंपत्ति समूहों से नकदी के प्रवाहों से व्यापक तौर पर स्वतंत्र है और तद्नुसार नकदी सृजित करने वाली इकाई (सीजीयू) के रूप में नामित किए जाने के योग्य है। इन सीजीयू पर लागू हानि संबंधी संकेतकों का आकलन किया गया है और ऐसे आकलन के आधार पर, प्रबंधन का यह मत है कि इस समूह पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के प्रौद्योगिकीय, आर्थिक अथवा कानूनी परिवेश, जिसमें यह कार्य करता है, में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन इस वर्ष के दौरान नहीं हुआ है अथवा न ही निकट भविष्य में होने की आशा है। इसमें टैरिफ अवधि 2019–24 के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विनियम जहां कोई प्रमुख संशोधन नहीं हुए हैं जिनका इन सीजीयू से भावी नकदी प्रवाह पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, शामिल हैं। ऐसा कोई साक्ष्य आंतरिक रिपोर्टिंग से उपलब्ध नहीं है जो यह संकेत देता हो कि सीजीयू का आर्थिक कार्य निष्पादन आशा से बदतर है अथवा होगा।

इसके अलावा, इस समूह के आठ सीजीयू का आकलन 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार हानि के लिए किया गया था। इस समूह के सीजीयू का चयन प्रति मेगावाट पूंजीगत लागत, टैरिफ आदि जैसे मानदंड के आधार पर किया गया था और इसमें कंपनी की दो प्रमुख निर्माण परियोजनाओं और 100 मेगावाट से अधिक वाले हाल ही में शुरू किए गए चार पावर स्टेशन शामिल हैं। इन सीजीयू में से, एक में पहचान की गई पूंजी लागत के भाग के रूप में टैरिफ के माध्यम से भविष्य में वसूले जाने वाले विनियामक आस्थगित लेखा शेष पर भी विचार हानि के आकलन के लिए सीजीयू की वहन राशि के साथ किया गया है।

हानि का विश्लेषण प्रत्येक सीजीयू के लिए विशिष्ट जोखिमों के लिए समायोजित लागू सीईआरसी विनियमों तथा पूंजी परिसंपत्ति कीमत निर्धारण मॉडल, जो मुद्रा के समय मूल्य का बाजार आकलन दर्शाता है, के आधार पर नकदी के प्रवाह संबंधी अनुमानों के अनुसार सीजीयू की वसूली योग्य राशि की माप कर उपयोग में मूल्य परिचालन के आधार पर किया गया था।

इस आकलन के आधार पर, ऐसा कोई महत्वपूर्ण संकेतक नहीं है जो वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान इस समूह के विनियामक आस्थगित लेखा शेषों सहित सीजीयू की वहनीय राशि की हानि को इंगित करेगा। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान समूह की परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के संबंध में कोई हानि नहीं हुई है।

20. जलविद्युत नीति, 2008 के अनुसार किसी परियोजना के चालू होने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) को 100 यूनिट विद्युत की तदनुरूपी ऊर्जा उपलब्ध करवाई जानी है। पीएएफ के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अभी अधिसूचना जारी की जानी है। चूंकि, किसी पावर स्टेशन से कुल बिक्री योग्य ऊर्जा को डिजाइन ऊर्जा में से ऐसी निःशुल्क विद्युत की कटौती करके निकाला जाना है, इसका समूह के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

21. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के अनुमोदन और/अथवा संशोधित लागत अनुमान के अनुमोदन के लंबित रहने तक, टीएलडीपी–IV पावर स्टेशन के संबंध में बिक्री की पहचान टैरिफ विनियमों/आदेशों पर आधारित प्रबंधन अनुमान के अनुसार की गई है। इसके अतिरिक्त, बिक्री को भी उक्त आधार पर तथा ऊर्जा की कमी के प्रति अवधारणा, कानून में परिवर्तन के कारण जीएसटी के अतिरिक्त प्रभाव की प्रतिपूर्ति, सुरक्षा खर्चों की प्रतिपूर्ति, जल वियुत उत्पादन स्टेशनों के जीवनकाल में वृद्धि के कारण मूल्यह्रास दर में परिवर्तन का प्रभाव, एनएचपीसी तथा केवी स्कूल के कर्मचारी के वेतन संशोधन का प्रभाव, सीईआरसी विनियम 2019 के कार्यान्वयन के कारण ओएंडएम व्यय का प्रभाव के आधार पर मान्यता दी गई है। परिणामस्वरूप, प्रचालन से राजस्व में इनसे संबंधित 601.94 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 515.05 करोड़ रुपए) शामिल हैं तथा 601.94 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 515.05 करोड़ रुपए) के ऐसे लंबित अनुमोदन अब तक प्राप्त किए गए हैं तथा इसे बिल न किए गए राजस्व में प्राप्य के अंतर्गत शामिल किया गया है।

22. प्रावधानों की प्रकृति और ब्यौरा (टिप्पणी संख्या 17 तथा 22 देखें)।

(i) सामान्य

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब समूह का वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा रचनात्मक) किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप हो और यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ शामिल होने वाले संशोधनों के अंतर्वाह की आवश्यकता दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित हो और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। जब समूह यह प्रत्याशा करता है कि कुछ अथवा सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जैसे कि किसी बीमा संविदा के अंतर्गत, तो प्रतिपूर्ति को एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है परन्तु केवल तब जब प्रतिपूर्ति स्पष्टतः निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि के विवरण में किसी प्रतिपूर्ति के निवल पर प्रस्तुत किया जाता है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव वास्तविक है, तो प्रावधानों में एक वर्तमान कर–पूर्व–दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता से विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करते हैं। जहां छूट का उपयोग किया जाता है, समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

(ii) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान (परिभाषित अंशदान और परिभाषित लाभ योजनाओं हेतु प्रावधानों के अतिरिक्त जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार टिप्पणी संख्या 34 के कम सं 12 पर प्रकट किया गया है)।

क) कार्य–निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधानः

लेखे में कर्मचारियों के निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन के प्रति अल्पावधि प्रावधान को प्रबंधन अनुमानों पर इस संबंध में समूह नियमों के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है जो लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों पर आधारित है।

ख) तीसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) के अनुसार वेतन संशोधन हेतु प्रावधानः

कंपनी के कर्मचारियों के वेतन संशोधन हेतु अल्पावधि प्रावधान को लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार पूर्व में मान्यता दी गई थी।

(iii) अन्य प्रावधान

क) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधानः

टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान को अनुमानित आधार पर केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा 2014–19/2019–24 की अवधि हेतु टैरिफ के अनुमोदन/समायोजन के लंबित होने पर बिल किए गए टैरिफ के पुनः आकलन पर लाभग्राहियों को संभावित धन वापसी के प्रति किया गया है।

ख) आजीविका सहायता हेतु प्रावधानः

पार्बती–II तथा पार्बती–III में परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) को आजीविका सहायता हेतु राज्य सरकार के परामर्श से और एनएचपीसी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार अंतिम रूप दिए गए विशेष वित्तीय पैकेज के प्रति लेखे में औसत मुद्रास्फीति हेतु छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है। पैकेज के अनुसार, भुगतान की औपचारिकताएं लम्बित होने तक प्रत्येक पीएएफ को निम्नलिखित अवधियों हेतु मासिक किश्त आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्र सरकार, जो भी अधिक हो, के अनुसार अकुशल श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य आजीविका सहायता मुहैया करवाई जाएगी :

i) रोजगार हेतु पात्र पीएएफ की अधिवर्षिता की तिथि तक।

ii) ऐसे पीएएफ जिनके पास भूमि बिल्कुल नहीं बची है परन्तु जिन्हें रोजगार हेतु शामिल नहीं किया गया है, को 2000 दिवस के लिए।

iii) शेष सभी पीएएफ को 1000 दिवस के लिए।

ग) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधानः

पर्यावरण, प्रतिपूरक वनीकरण, स्थानीय क्षेत्र विकास आदि के प्रति किए जाने वाले पूंजीगत व्यय हेतु गैर–वर्तमान राशि के मामले में छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है जो परियोजना के निर्माण हेतु अनुमोदन प्राप्त करते समय एक पूर्व शर्त है और जिसके प्रति व्यय परियोजना के चालू किए जाने तक पूरा नहीं किया गया था। ऐसे प्रावधानो को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग के अनुसार वास्तविक व्यय के किए जाने पर समायोजित किया जाता है।

घ) बीमित परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार व्ययों हेतु प्रावधानः

मेगा तथा निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी पॉलिसी के अंतर्गत बीमित क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार हेतु प्रबंधन अनुमानों के आधार पर लेखे में प्रावधान को मान्यता दी गई है। प्रावधान का उपयोग परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार के प्रति वास्तविक व्यय को वहन किए जाने के प्रति किया जाना है।

ङ) मध्यस्थता निर्णय/अदालती मामलों के संबंध में व्यय हेतु प्रावधानः

इसमें मध्यस्थता निर्णय/अदालती निर्णय प्राप्त हो चुके तथा न्यायालय में आगे चुनौती दिए गए संविदाकार के दावे के संबंध में संभावित बाह्य प्रवाह संबंधी प्रबंधन आकलन के आधार पर सृजित किए गए प्रावधान शामिल हैं। इस प्रावधान का उपयोग/बहिर्प्रवाह मामले को निर्णय के आधार पर होगा।

च) प्रावधान – अन्य –इसमें निम्नलिखित के प्रति किए गए प्रावधान शामिल हैं :–

(i) संभावित बहिर्प्रवाह के प्रति प्रबंधन के आकलन के आधार पर सृजित संविदाकार के दावे, भूमि मुआवजा मामले, विवादित कर मांगे और अन्य मामले। इस प्रावधान का उपयोग/बहिर्प्रवाह मामले के परिणाम पर निर्भर करेगा।

(ii) समूह द्वारा सेवाएं उपयोग किए जा रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन संशोधन।

(iii) वर्ष 2014–19 की अवधि हेतु टैरिफ विनियमों के अनुसार वसूले गए अधिक टैरिफ पर लाभग्राहियों को ब्याज हेतु प्रावधान जहां वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि पर प्रक्षेपित पूंजीगत लागत के आधार पर सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु ली गई पूंजीगत लागत अथवा प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, व्यय की गई वास्तविक पूंजीगत लागत से अधिक होता है।

(iv) अनुमेय छूट की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर कर्मचारियों को मुहैया करवाए गए गृह निर्माण अग्रिम के ब्याज के प्रति छूट हेतु एकमुश्त प्रावधान।

(v) अनुमेय छूट की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर विद्युत की बिक्री हेतु उपभोक्ताओं को छूट हेतु एकमुश्त प्रावधान।

23. भारतीय लेखांकन मानक 114 के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा (आरडीए) शेष के सृजन संबंधी प्रकटनः

समूह प्रमुखतः जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालन में लगा हुआ है। समूह द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु प्रभारित किए जाने वाले मूल्य (टैरिफ) का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा लागू सीईआरसी (टैरिफ के निंबधन एवं शर्तें) विनियमों के अंतर्गत किया जाता है। उक्त मूल्य (टैरिफ) ब्याज लागत, मूल्यह्रास, प्रचालन और अनुरक्षण जिसमें निर्धारित रिटर्न शामिल है जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होता है। दर विनियमन के इस रूप को सेवा के लागत विनियमों के रूप में जाना जाता है। ऐसे विनियमों का मुख्य उद्देश्य निकाय को वस्तु या सेवा उपलब्ध करवाने की उसकी लागत तथा एक उचित प्रतिफल को वसूल करने का अवसर प्रदान करना है।

इस प्रयोजन हेतु समूह को लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित अथवा सीईआरसी द्वारा पहले ही स्वीकार किए गए अथवा किए जा चुके व्यय अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक किए जाने हेतु प्रक्षेपित और लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित अतिरिक्त पूंजी व्यय या टैरिफ वर्ष के दौरान व्यय किए जाने हेतु प्रक्षेपित व्यय के आधार पर सीईआरसी को एक आवेदन देना अपेक्षित होता है। सीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ को उन उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) से वसूला जाता है जिन पर वह बाध्यकारी हो।

उक्त दर विनियम लेखांकन ढांचे में यथा परिकल्पित किसी अधिकार (परिसंपत्ति) अथवा किसी दायित्व (देयता) के सृजन में परिणत होते हैं जो अन्य उद्योगों के मामले में नहीं होता। आईसीएआई ने दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी एक परामर्शी नोट जारी किया है जो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध करवाने वाले निकायों पर लागू होता है जिनके मूल्य सेवा की लागत विनियमों के अधीन होते हैं और विनियामक द्वारा निर्धारित टैरिफ उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) पर बाध्यकारी होता है। परामर्शी नोट के अनुसार किसी विनियामक परिसंपत्ति को तब मान्यता दी जाती है जब इसकी संभावना हो (एक तर्कसंगत आश्वासन) कि इससे संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ संबंधित निकाय को लागू विनियामक ढांचे के अंतर्गत विनियामक के वास्तविक या प्रत्याशित कृत्यों के परिणामस्वरूप प्राप्त हों और राशि का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सके।

परामर्शी नोट में कुछ मामलों में यह भी प्रावधान है कि कोई विनियामक किसी निकाय को दर आधार में उसके द्वारा स्व–निर्मित (मूर्त) स्थिर परिसंपत्तियों या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों को शामिल करने की अनुमति दे, ऐसी राशियां जिन्हें अन्यथा लेखांकन मानकों के अनुरूप लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता हों।

01.04.2016 से ऐसी दर नियंत्रित मदों का लेखांकन भारतीय लेखांकन मानक 114 (विनियामक आस्थगित लेखे" के अनुसार किया जाना है। भारतीय लेखांकन मानक–114 में किसी निकाय को विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मान्यता, मापन, क्षति तथा विमान्य किए जाने हेतु पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीतियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस प्रयोजन हेतु "दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन" के संबंध में आईसीएआई मार्गदर्शी टिप्पण पूर्ववर्ती जीएएपी को माना जाएगा।

(क) सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेषः

सुबनसिरी लोअर परियोजना के स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप 16.12.2011 से बाधित थे और मामला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में लंबित था। तथापि, परियोजना में तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य जारी थे।

31 जुलाई, 2019 के अपने आदेश में, माननीय एनजीटी ने माना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञ समिति के गठन में पक्षपात करने वाले आवेदकों की याचिकाओं में कोई औचित्य नहीं है और तदनुसार, एनजीटी के समक्ष लंबित सुबनसिरी लोअर परियोजना के विरुद्ध मामलों को खारिज कर दिया गया है। अक्टूबर, 2019 से परियोजना में सक्रिय निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्शी समिति (ईएसी) के मतानुरूप 30 सितंबर, 2019 तक व्यय की गई **2735.61 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **2578.00 करोड़ रूपए** तक) की ऋण लागत, **1427.67 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष तक **1318.03 करोड़ रूपए**) के कर्मचारी लाभ व्यय, मूल्यह्रास और अन्य व्यय, **322.60 करोड़ रूपए** की अन्य आय के निवल (पिछले वर्ष तक **279.06 करोड़ रूपए)** को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

परियोजना में सक्रिय निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान फिर से शुरू कर दिया गया है, 01.10.2019 से व्यय की गई ऋण लागत, कर्मचारी हितलाभ व्यय, मूल्यह्रास और अन्य व्यय (अन्य आय का निवल) को निर्माण पर आरोप्य व्यय के रूप में पूंजीकृत किया गया है।

समूह ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दर विनियमित क्रियाकलापों संबंधी परामर्शी नोट के अनुसार लेखांकन को अपनाया था जो "विनियामक परिसंपत्ति" और तदनुरूपी "विनियामक आय" की मान्यता को अनुमति देता

है जिसमें ऐसे व्यय को वसूल करने का अधिकार है जिसे लेखांकन मानकों के अनुसार संगत स्थिर परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं है, परन्तु फिर भी विनियामक केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभग्राहियों से वसूल किए जाने की योजना है।

चूंकि भारतीय लेखांकन मानक–114 में किसी निकाय को विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मान्यता, मापन, क्षति तथा विमान्य किए जाने हेतु पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीतियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है और यह पूर्ववर्ती जीएएपी को "दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन" के संबंध में आईसीएआई मार्गदर्शी टिप्पणी के रूप में मान्यता देता है, समूह ने विनियामक आस्थगित लेखा शेष हेतु लेखांकन नीति को जारी रखा है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए और उस वर्ष तक, सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में माने गए कुल विनियामक आस्थगित लेखा ऋण शेष नीचे दिए गए अनुसार हैं:

(करोड़ रूपए में)

निम्नलिखित के संबंध में सृजित विनियामक परिसंपत्तियां	31.03.2019 तक	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान	31.03.2020 तक
ऋण लागत	2352.06	157.61	2509.67
कर्मचारी हितलाभ व्यय	593.13	35.60	628.73
मूल्यह्रास	51.27	3.59	54.86
अन्य व्यय	546.56	16.27	562.83
अन्य आय	(275.68)	(9.82)	(285.50)
कुल	**3267.34**	**203.25**	**3470.59**

प्रबंधन ने यह आकलन किया है कि परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष में बढ़े हुए योग इंड एएस 114 के अनुसार मान्यता हेतु अपेक्षित निश्चितता एवं विवेक के स्तर को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन के आकलन के अनुसार परियोजना की परिसंपत्तियों की वहन राशि में उसमें मान्यता प्राप्त विनियामक आस्थगित लेखा शेषों सहित इस परियोजना की प्रगति में पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल **7263.48 करोड़ रुपए** की राशि को कोई क्षति नहीं हुई है।

परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखाओं में पड़ी शेष राशि को मूल्यह्रास के अनुपात में परियोजना के जीवनकाल अर्थात 40 वर्षों में सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों का पालन करते हुए परिशोधित/परिसमाप्त किया जाएगा।

वर्ष 2019–2024 के लिए टैरिफ विनियम सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। मौजूदा टैरिफ विनियमों (2014–19), उधार की पूंजी में परिणत का अधिकार देना एवं अनियंत्रण किए जाने योग्य कारकों, जिनमें अप्रत्याशित घटनाएं जैसे टैरिफ विनियम 2014–19 के अनुसार रुकावट/अस्थायी रूप से व्यापार रोकने संबंधी आदेश शामिल हैं, के अलावा, नए विनियमों में अप्रत्याशित घटनाओं में से एक के रूप में परियोजनाओं के लिए सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब भी शामिल है। तद्नुसार, प्रबंधन यह मानता है कि टैरिफ विनियमों में प्रतिकूल परिवर्तन सुबनसिरी लोअर परियोजना में मान्यताप्राप्त आरडीए शेष की भावी वसूली के जोखिम के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में संभावित नहीं है।

कुछ जोखिम तथा अनिश्चितताएं सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में सृजित विनियामक आस्थगित लेखा शेष की भविष्य की वसूली को प्रभावित कर सकते हैं। ये हैं :

क) **मांग जोखिम**: विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूली टैरिफ के माध्यम से मूल्यह्रास द्वारा की जाएगी। तदनुसार, यह सामान्य जोखिमों तथा अनिश्चितताओं से प्रभावित है जो भारत में विद्युत की बिक्री को प्रभावित करती हैं जैसे परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए लागत और आवश्यक लाभ को कवर करने वाली दर पर दीर्घावधि विद्युत खरीद करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए जाने में कठिनाई।

ख) **विनियामक जोखिम**: टैरिफ विनियमों में आगे यह प्रावधान है कि यदि विलंब उत्पादक समूह पर आरोप्य नहीं है बल्कि अनियंत्रणीय कारकों के कारण है, आईईडीसी को उचित विवेकसम्मत जांच के पश्चात अनुमेय किया जा सकता है। विवेकसम्मत जांच के पश्चात व्यय को अनुमेय न करने से सृजित किए जा रहे विनियामक आस्थगित खाता शेष की वसूली प्रभावित हो सकती है।

(ख) केंद्रीय क्षेत्र की सार्वजनिक यूनिट (सीपीएसयू) के तीसरे वेतन संशोधन के कारण मान्यता दिए गए व्यय के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेषः

सीपीएसयू के कर्मचारियों का वेतन 1 जनवरी, 2017 से संशोधित किया गया है। जैसा कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, 01.01.2017 से मूल वेतन, महंगाई भत्ता और भत्तों में वृद्धि करने के अलावा, उपदान को 01.01.2017 से मौजूदा 0.10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 0.20 करोड़ रुपए किया गया है। सभी कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन लागू किया गया है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014–19, सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2014 के कारणों के कथन के साथ पढ़े जाने पर यह प्रावधान करते हैं कि प्रचालनात्मक पावर स्टेशन के वेतन संशोधन के कारण कर्मचारी लागत में वास्तविक वृद्धि का प्रभाव टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभार्थियों से वसूली योग्य है। इसके अतिरिक्त, टैरिफ अवधि 2004–09 के दौरान सीईआरसी ने 31.12.2006 के अनुसार याचिकाकर्ता समूह के कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) की 50 प्रतिशत तक वेतन संशोधन (1.1.2007 से) के कारण कर्मचारी लागत में वास्तविक वृद्धि की लाभार्थियों से वसूली को बारह समान मासिक किश्तों में अनुमेय किया था। वर्ष 2019–2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियम जिसके साथ सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दिनांक 15 मार्च, 2019 का शुद्धिपत्र पढ़ा जाए, में यह भी प्रावधान है कि टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभार्थियों से वेतन संशोधन की वसूली की जाए।

भारतीय लेखांकन मानक–114–"विनियामक आस्थगित लेखा" के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च, 2019 तक वेतन/उपदान सीमा के संशांधन के कारण कर्मचारी लाभों पर अतिरिक्त व्यय को लाभ एवं हानि विवरण अथवा अन्य व्यापक आय पर प्रभारित किए जाने की सीमा तक "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। एक बार इस संबंध में सीईआरसी के साथ समक्ष दायर याचिकाओं को मंजूरी मिलने के बाद लाभार्थियों को बिलिंग के माध्यम से यह शेष राशि वापस मिल जाएगी।

टैरिफ अवधि 2014–19 के विपरीत, जहां वेतन संशोधन के आरडीए शेषों को इस उम्मीद के साथ बनाया गया था कि सीईआरसी उसके अनुसरण में टैरिफ में उसी की अनुमति देगा, जिसकी वित्तीय वर्ष 2009 के दौरान वेतन संशोधन के लिए पहले अनुमति दी गई थी, टैरिफ विनियम 2019–24 वेतन संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय की विशिष्ट रूप से वसूली करने की अनुमति देता है।

तद्नुसार, दिनांक 01.04.2019 से 221.38 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ तीसरी पीआरसी के कारण अतिरिक्त व्यय को "बिल न किया गया राजस्व" के रूप में माना गया है, जबकि दिनांक 31.03.2019 तक अतिरिक्त व्यय के कारण 670.93 करोड़ रुपए को आरडीए डेबिट शेष के रूप में निरंतर प्रस्तुत किया जा रहा है।

वित्तीय विवरण में 31.03.2020 तक मान्यता प्रदान किए गए कुल आरडीए डेबिट शेष नीचे दिए अनुसार हैं:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	**670.93**
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (+)	-
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित राशि (–)	-
घ	**लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई विनियामक आय (ख+ग)**	**-**
ङ	**31.03.2020 को अंतिम शेष (क+घ)**	**670.93**

हालांकि, कर्मचारियों के वेतन संशोधन के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता **विनियामक जोखिम** के अध्यधीन है क्योंकि ऐसे व्यय को आम तौर पर सीईआरसी द्वारा विवेकसम्मत जांच करने के बाद ही किए जाने की अनुमति दी जाती है। विवेकसम्मत जांच के बाद व्यय की अनुमति न देने से लाभार्थियों से वसूले जाने वाले विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मात्रा पर प्रभाव पड़ सकता है। समूह की वर्तमान सीईआरसी विनियम 2019–24 की अवधि के दौरान तीसरे वेतन संशोधन के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेषों की वहनीय राशि को वसूल करने की आशा है।

(ग) किशनगंगा विद्युत केंद्र के टैरिफ के अनतिक्रम के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेषः

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014–19/2019–24 के अनुसार, किसी विद्युत की पूंजीगत लागत पर मूल्यह्रास टैरिफ के संघटकों में से एक है। मूल्यह्रास को 12 वर्षों की आरंभिक प्रचालन अवधि में टैरिफ विनियम 2014–19/2019–24 में दी गई दरों के अनुसार बुक में प्रभारित किया जाता है और उसके बाद शेष मूल्यह्रास को शेष 23/28 वर्षों में समान रूप से रखा जाता है ताकि मूल्यह्रास के रूप में विद्युत केंद्र की पूंजी लागत का 90 प्रतिशत वसूला जा सके। टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार, जलविद्युत स्टेशन का प्रचालनात्मक जीवनकाल 40 वर्ष है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार, उत्पादक समूह द्वारा विद्युत की बिक्री के लिए टैरिफ का भी निर्धारण विनियम में उल्लिखित मानदंडों के विपथन में किया जा सके, बशर्ते विपथन में मानदंडों के आधार पर परियोजना के उपयोगी जीवनकाल पर समान स्तर पर किया हुआ टैरिफ विनियमों में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर परिकलित समान किये हुए शुल्क से अधिक न हो। 2019–2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियमों, जिन्हें सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किया गया है, में समान प्रावधान हैं।

किशनगंगा पावर स्टेशन के मामले में (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथिः 17 मई, 2018), समूह ने आरंभिक दस वर्षों में कमतर टैरिफ निर्धारित कर तथा उसके बाद 1 से 10 वर्षों तक 1.5 प्रतिशत ह्रास द्वारा शेष 25 वर्षों तक तथा 11 से 40 वर्ष तक 2.5 प्रतिशत ह्रास प्रभारित कर किशनगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ में अनतिक्रम किया है और इस प्रकार से विद्युत केंद्र की पूंजी लागत का कुल 90 प्रतिशत अनतिक्रम हुआ है। प्रचालन के आरंभिक वर्षों में टैरिफ को कम करने के उद्देश्य से इस अनतिक्रम को सीईआरसी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है।

किशनगंगा पावर स्टेशन में टैरिफ के निर्धारण के लिए मूल्यह्रास दरों का अनतिक्रम सीईआरसी द्वारा अनुमोदित पावर स्टेशन के टैरिफ आदेश के अनुसार टैरिफ के रूप में वाणिज्यिक प्रचालन और वसूली के प्रथम 12 वर्षों के दौरान खाते में प्रभारित उच्चतर मूल्यह्रास (सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार) के रूप में अत्यधिक असंतुलन को पैदा करता है। हालांकि, प्रथम 12 वर्षों के दौरान कमतर वसूली की प्रतिपूर्ति खाते में प्रभारित मूल्यह्रास की तुलना में टैरिफ के माध्यम से मूल्यह्रास की उच्चतर वसूली के द्वारा पावर स्टेशन के प्रचालनात्मक जीवनकाल के शेष अवधि के दौरान की जाएगी। आरंभिक वर्षों में टैरिफ कम करने के उद्देश्य से लागतों की वसूली को टालना तथा बाद के वर्षों में इसकी वसूली यह दर्शाता है कि टैरिफ के माध्यम से भविष्य में वर्तमान लागतों की वसूली करने के अधिकार के रूप में परिसंपत्ति मौजूद है और ऐसे अधिकार को लागू किया जा सकता है।

भारतीय लेखांकन मानक 114 "विनियामक आस्थगित लेखा" के प्रावधानों को ध्यान में रखकर, टैरिफ विनियम, 2014–19 के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित मूल्यह्रास और टैरिफ के रूप में अनुमति दिया गया मूल्यह्रास और बाद की अवधियों में लाभार्थियों से वसूले जाने वाले के बीच अंतर की पहचान विद्युत केंद्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में की जा रही है। वाणिज्यिक प्रचालन के जीवनकाल के प्रथम 12 वर्षों के दौरान सृजित आरडीए शेषों की वसूली पावर स्टेशन के शेष उपयोगी जीवनकाल अर्थात 28 वर्षों की अवधि के दौरान में टैरिफ के संघटक के रूप में उच्च मूल्यह्रास के माध्यम से लाभार्थियों से की जाएगी।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्ति (+)/देयता (–) नीचे दी गई हैः

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	**171.98**
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति(+)/देयता (–))	195.62
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (–)/वापस की गई राशि (+)	-
घ	**लाभ एवं हानि के विवरण में पहचान की गई विनियामक आय/(व्यय) (ख–ग)**	**195.62**
ङ	**31.03.2020 को अंतिम शेष (क+घ)**	**367.60**

समूह का किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में दीर्घावधि विद्युत खरीद करार है। चूंकि, टैरिफ के अनतिक्रम को पहले ही सीईआरसी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, अतः समूह किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में सृजित विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता के संबंध में किसी महत्वपूर्ण जोखिम पर विचार नहीं करता है।

हालांकि, खाते में ह्रास प्रभार और टैरिफ के माध्यम से उसकी वसूली सीईआरसी द्वारा यथा अनुमति दी गई पावर स्टेशन की पूंजी लागत पर निर्भर है, किशनगंगा पावर स्टेशन के मामले में विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूली विनियामक जोखिम के अध्यधीन होगी। समय और लागत आधिक्य आदि के कारण व्यय सहित पावर स्टेशन पर वास्तविक पूंजी व्यय का अनुमोदन सीईआरसी द्वारा निर्णय लेने की तर्कसंगतता की जांच के अध्यधीन है। निर्णय लेने की तर्कसंगतता की जांच के बाद व्यय की अनुमति न देना लाभार्थियों से वसूल किए जाने वाले विनियामक आस्थगित लेखा शेष को प्रभावित कर सकता है।

(घ) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेषः

भारतीय लेखांकन मानक 23 – "उधार लागत" के अनुसार, ब्याज लागतों के सामयोजन के रूप में मानी गई सीमा तक विदेशी

मुद्रा ऋण पर उधार लागत की अनुमति निर्माण अवधि के दौरान पूंजीकृत किए जाने के लिए दी जाती है। इसके अलावा, भारतीय लेखांकन मानक 21 – "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों का प्रभाव" में यह प्रावधान है कि जिन दरों पर इस अवधि के दौरान अथवा पूर्व के वित्तीय विवरणों में आरंभिक मान्यता पर उन्हें रुपांतरित किया गया था, से भिन्न दरों पर मौद्रिक मदों का निपटान अथवा रुपांतरण के कारण होने वाले विनिमय अंतर की पहचान उस अवधि में लाभ और हानि में की जाएगी जिसमें वे उत्पन्न होंगी।

भारतीय लेखांकन मानक 101 के पैरा घ13कक – "भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाना" में यह प्रावधान है कि पहली बार अपनाने वाली दीर्घ अवधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रुपांतरण के कारण विनिमय अंतरों के लेखांकन के लिए अपनाई गई मौजूदा लेखांकन नीति जारी रह सकती है। तद्नुसार, 01.04.2016 को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाली अवधियों के लिए, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज लागत के समायोजन के रूप में मानी गई सीमा तक उधार पर विनिमय अंतर को छोड़कर मौद्रिक मदों का रुपांतरण/निपटान के कारण होने वाले सभी विनिमय अंतरों को लाभ और हानि विवरणी में प्रभारित किया जाना है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014–19 के अनुसार, विनिमय जोखिम अंतर के कारण कोई लाभ अथवा हानि को परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) पर टैरिफ की गणना के लिए पूंजी लागत के भाग के रूप में तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान आधार पर वसूला जाएगा। इसके अलावा, सीईआरसी ने विगत टैरिफ आदेशों में पूंजी लागत के भाग के रूप में निर्माण अवधि के दौरान हुए विनिमय अंतरों की अनुमति दी है।

भारतीय लेखांकन मानक 114 के प्रावधानों को देखते हुए, मान्यता के संबंध में "विनियामक आस्थगित लेखा" और वसूलनीयता के संबंध में सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014–19, लाभ और हानि को प्रभावित सीमा तक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रुपांतरण/निपटान के कारण विनिमय अंतरों की पहचान 01.04.2016 से "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में की जा रही है। इन शेष राशियों का समायोजन उस वर्ष से किया जाता है जिसमें वह परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) के बाद लाभार्थियों से वसूलनीय अथवा उन्हें भुगतान योग्य होगी।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्ति (+)/देयता (–) नीचे दी गई है:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	**(0.97)**
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति(+)/देयता (–))	0.99
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (–)/वापस की गई राशि (+)	0
घ	**लाभ एवं हानि के विवरण में पहचान की गई विनियामक आय/(व्यय) (ख–ग)**	**0.99**
ङ	**31.03.2020 को अंतिम शेष (क+घ)**	**0.02**

2019–2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियम को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किया गया है। किसी परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) पर टैरिफ की गणना के लिए पूंजी लागत और टैरिफ विनियम 2014–19 के अनुसार पावर स्टेशन की ओएंडएम अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान के आधार पर विदेशी विनिमय दर अंतर की वसूलनीयता के संबंध में विनियम टैरिफ अवधि 2019–24 के लिए भी जारी रखी गई है। तद्नुसार, प्रबंधन यह मानता है कि टैरिफ विनियम में प्रतिकूल परिवर्तन संभवतः विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में मान्यता प्राप्त आरडीए शेष राशियों की भावी वसूली के जोखिम का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं हो सकता है।

हालांकि, विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता **मांग जोखिम** के अध्यधीन है क्योंकि विनियामक आस्थगित निकासी/जमा शेष की वसूली/भुगतान लाभार्थियों को बिलिंग के रूप में होगा। तद्नुसार, दीर्घ अवधि पीपीए आदि पर हस्ताक्षर करने में दिक्कत जैसे भारत में बिजली की बिक्री पर प्रभाव डालने वाले सामान्य जोखिमों एवं अनिश्चितताओं से प्रभावित होता है।

(ङ) लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष:

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, टैरिफ अवधि 2004–09 के लिए होने वाली आय के कारण उत्पन्न होने वाले आस्थगित कर, चालू कर के रूप में उसी वर्ष में लाभार्थियों से वसूली योग्य है, जिस वर्ष में वह होता है। टैरिफ अवधि 2014–19 के लिए आस्थगित कर भुगतान किए गए वास्तविक कर के आधार पर प्रभावी कर दर से इक्विटी पर लाभ को छोड़कर वसूली योग्य है। 31 मार्च, 2018 तक, भविष्य के वर्षों में लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर को आस्थगित कर देयता के समायोजन के रूप में प्रस्तुत किया गया था और उसे आरडीए के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी।

इस प्रथा की समीक्षा वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (आईसीएआई की ईएसी) के मत के आधार पर की गई थी। इस प्रकार का आस्थगित लेखा शेष, जो आईसीएआई की ईएसी के अनुसार कटौती योग्य अस्थायी अंतर नहीं है जिसके फलस्वरूप भारतीय लेखांकन मानक 12 के अंतर्गत आस्थगित कर परिसंपत्ति होता हो बल्कि भारतीय लेखांकन मानक 114 के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष की परिभाषा पूरा करता है।

तद्नुसार, समूह ने विनियामक आस्थगित लेखा शेष के रूप में आस्थगित कर देयता के समायोजन के रूप में पूर्व में प्रस्तुत 2009 तक वसूली योग्य आस्थगित कर और टैरिफ अवधि 2014–19 से संबंधित आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन को वर्गीकृत किया है।

सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार, पूर्व के टैरिफ विनियम 2014–19 में यथा प्रदत्त वर्तमान कर और आस्थगित कर की वसूली के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं है।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्ति (+)/देयता (–) नीचे दी गई है:

विनियामक आस्थगित लेखा ऋण शेषों का संचलन:

(i) टैरिफ अवधि 2009 तक वसूली योग्य आस्थगित कर के संबंध में:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	**2034.82**
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति(+)/देयता (–))	-
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (–)/वापस की गई राशि (+)	167.99
घ	**लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यताप्राप्त विनियामक आय/(व्यय) (ख–ग)**	**(167.99)**
ङ	**31.03.2020 को अंतिम शेष (क+घ)**	**1866.83**

आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन (2014–19 और उसके बाद की टैरिफ अवधि के संबंध में) के संबंध में:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	**835.04**
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति(+)/देयता (–))	69.46
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (–)/वापस की गई राशि (+)	(67.41)
घ	**लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यताप्राप्त विनियामक आय/(व्यय) (ख–ग)**	**2.05**
ङ	**31.03.2020 को अंतिम शेष (क+घ)**	**837.09**

विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेषों का संचलन:

(i) आस्थगित कर परिसंपत्तियों के प्रति आस्थगित कर समायोजन (एमएटी क्रेडिट के प्रति) के संबंध में:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	-
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति(+)/देयता (–))	(474.42)
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (–)/वापस की गई राशि (+)	-
घ	**लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यताप्राप्त विनियामक आय/(व्यय) (ख–ग)**	(474.42)
ङ	**31.03.2020 को अंतिम शेष (क+घ)**	(474.42)

टैरिफ अवधि 2004–2009 तक वसूली योग्य आस्थगित कर के कारण मान्यताप्राप्त विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता तथा टैरिफ अवधि 2014–19 से संबंधित आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन समूह के भावी प्रचालनात्मक कार्य निष्पादन पर निर्भर है। इसके अलावा, चूंकि विनियामक आस्थगित लेखा शेष विगत टैरिफ अवधियों से संबंधित हैं, अतः वसूलनीयता भी सीईआरसी के **विनियामक जोखिम** के अध्यधीन है जो भावी टैरिफ विनियमों में ऐसी शेष राशि की वसूली की अनुमति देता है।

24. **(i)** उड़ी–II पावर स्टेशन जहां दुर्घटनावश 20.11.2014 को आग लग गई थी, जिससे उत्पादन बंद हो गया था, उसे जून, जुलाई, तथा अगस्त, 2015 माह के दौरान बहाल कर लिया गया है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर है। 31.3.2020 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

दावों के विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्रतिदाय की प्राप्त की गई निवल राशि	आज की तारीख तक लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
व्यापार बाधा हानि	202.98	74.01	-	128.97*	202.26

* टिप्पणी 34 के पैरा 3(घ) में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान व्यापार बाधा हानि के संबंध में मान्यता प्रदान की गई आय शून्य है (अद्यतन तिथि को संचयी **74.01 करोड़ रूपए** है)।

(ii) चमेरा–II पावर स्टेशन, जहां दिनांक 07.08.2019 को यूनिट#1 और यूनिट#2 के जनरेटर स्टाटर में मुख्य गड़बड़ी हुई थी। घटना की तिथि से 12 महीने की अवधि में उत्पादन यूनिटों का पुनर्स्थापन पूरा होने की आशा है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि को मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर किया गया है। 31.03.2020 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नवत है:

(करोड़ रूपए में)

दावों के विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	आज की तारीख तक लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
वास्तविक क्षति के निमित्त	31.23	-	4.00	27.23	-
व्यापार बाधा हानि	81.08	-	-	81.08*	-
कुल	**112.31**	**-**	**4.00**	**108.31**	**-**

* टिप्पणी 34 के पैरा 3(घ) में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

(iii) सभी पावर स्टेशनों की परिसंपत्तियां और उत्पादन में हानि मेगा जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत कवर हैं। 31.3.2020 के अनुसार पावर स्टेशनों (ऊपर 24 (i) तथा (ii) में प्रकट किए गए उड़ी–II और चमेरा–II के प्रमुख दावों के अतिरिक्त) के संबंध में बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

दावे का विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	आज की तारीख तक लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
वास्तविक क्षति के निमित्त	38.91	5.28	18.50	15.13	23.53

25. निदेशक मंडल ने 20.3.2014 को हुई अपनी बैठक में चर्चा की कि बरसर जलविद्युत परियोजना की अर्थक्षमता भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार से वित्तीय सहायता पर निर्भर करती है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने बरसर परियोजना को अर्थक्षम बनाने के लिए सर्वेक्षण तथा जांच हेतु वित्तपोषण उपलब्ध करवाने के लिए पहल की थी। विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार निधियों को उपलब्ध करवाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय से संपर्क किया गया था। दिनांक 27.4.2015 को जल संसाधन मंत्रालय के साथ हुई बैठक में उनके प्रतिनिधियों ने यह सूचित किया था कि डीपीआर को तैयार करने हेतु निधियां जारी करने का एनएचपीसी का

अनुरोध भारत सरकार के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। परियोजना पर अन्वेषण कार्य जारी है और **226.78 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **226.32 करोड़ रूपए**) का व्यय किया जा चुका है और इसे चल रहे पूंजीगत कार्य में अग्रेणीत किया गया है। तथापि, पर्याप्त सावधानी के तौर पर इस राशि का प्रावधान लेखाबहियों में किया गया है।

26. कोटलीभेल–1ए, कोटलीभेल–1बी और कोटलीभेल–II परियोजनाओं उत्तराखंड राज्य में अवस्थित उन 24 जलविद्युत परियोजनाओं में से ऐसी तीन परियोजनाएं है जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.8.2013 के आदेश के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को इन परियोजनाओं को अगले आदेश तक पर्यावरणीय/वन स्वीकृति प्रदान न किए जाने के और अलकनंदा तथा भागीरथी नदी बेसिन की जैव विविधता पर महत्वपूर्ण प्रभाव की जांच करने के निदेश दिए गए हैं। परियोजना के भविष्य पर निर्णय लंबित होने तक 31.3.2020 तक कोटलीभेल–1ए, कोटलीभेल–1बी और कोटलीभेल–II परियोजनाओं के संबंध में क्रमशः **265.94 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **255.40 करोड़ रूपए**), **42.95 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **42.95 करोड़ रूपए**) और **51.42 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **51.42 करोड़ रूपए**) की राशि के किए गए व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत रखा गया है। तथापि, 31.03.2020 तक पर्याप्त सावधानी के तौर पर इन राशियों हेतु कुल **360.31 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **349.77 करोड़ रूपए**) की राशि हेतु लेखाबहियों में प्रावधान किया गया है।

27 (क) तवांग चरण–I जलविद्युत परियोजना हेतु वन स्वीकृति (चरण–I) प्रक्रियाधीन है। तवांग चरण–II जलविद्युत परियोजना के संबंध में वन स्वीकृति के बाद परियोजना शुरु की जाएगी। इसके लंबित रहने तक, इन परियोजनाओं पर व्यय की गई **225.23 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **217.37 करोड़ रूपए**) की राशि को चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में आगे लाया जा रहा है।

(ख) 5.2.2013 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में बोर्ड संकल्प के संदर्भ में तवांग–I तथा II परियोजनाओं और बेसिन में अन्य परियोजनाओं हेतु बेसिन अध्ययन के प्रति राज्य सरकार को समानुपातिक आधार पर अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए **2.49 करोड़ रुपए** की राशि का भुगतान किया गया है। इसके लंबित रहने तक, **2.49 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **2.49 करोड़ रूपए**) का व्यय चल रहे पूंजीगत कार्य के रुप में आगे लाया जा रहा है।

(ग) तवांग–I जलविद्युत परियोजना के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। तदनुसार, परियोजना पर किए गए **97.57 करोड़ रुपए** के व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्य के तहत अग्रेणीत किया गया है। तथापि, पर्याप्त सावधानी के रुप में चालू वर्ष की लेखाबहियों में **97.57 करोड़ रुपए** का प्रावधान किया गया है।

28. क) धौलीगंगा इंटरमीडिएट, चुंगर चाल और खरमोली लुमटी टुली जलविद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन अस्थायी रूप से स्थगित रखा गया है। इन परियोजनाओं को उत्तराखंड सरकार को सौंपे जाने का अंतिम निर्णय लंबित रहने तक, **35.70 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **35.61 करोड़ रूपए**) की राशि का 31.03.2020 तक हुए व्यय के चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में आगे लाया गया है। हालांकि, पर्याप्त पूर्व–सावधानी के रूप में खाता बुक में **35.70 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **35.61 करोड़ रूपए**) का प्रावधान किया गया है।

(ख) गोरीगंगा–IIIक परियोजना की पूंजीगत लागत और अनुकूल टैरिफ को कम करने के उपायों का पता लगाया जा रहा है। उस पर निर्णयों के लंबित रहने तक, 31.03.2020 तक **46.08 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **45.98 करोड़ रुपए**) के किए गए व्यय की राशि को चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेणीत किया गया है। तथापि, पर्याप्त पूर्व–सावधानी के रुप में, लेखाबहियों में **46.08 करोड़ रुपए** (पूर्व वर्ष शून्य रुपए) का प्रावधान किया गया है।

29. समाप्त वर्ष के दौरा समूह ने इंड एएस 116 "पट्टे" लागू किया है। इसके अतिरिक्त, समूह के जलपावर स्टेशनों की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवनकाल को सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019–24 के अनुसार 35 वर्षों के बजाय 40 साल के लिए संभावित रूप से परिवर्तित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उन पावर स्टेशनों के मूल्यह्रास में कमी आई है जिन्होंने उपयोगी जीवनकाल के 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। समूह के वित्तीय विवरणों में इन परिवर्तनों का प्रभाव निम्नानुसार हैः

क.सं.	विवरण	(करोड़ रूपए में)
1	लाभ एवं हानि के विवरण पर इंड एएस 116 'पट्टे' का प्रभावः लाभ में कमी **(टिप्पणी सं. 29 देखें)**	0.26
2	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के उपयोगी जीवनकाल में परिवर्तन के कारण व्यय (मूल्यह्रास) में कमी	83.16

30. सेबी (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 की अनुसूची–V द्वारा यथा अपेक्षित प्रकटनः

(क) ऋणों के रुप में ऋण एवं अग्रिम

(i) सहायक कंपनियांः शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

(ii) संयुक्त उद्यम कंपनियांः

(करोड़ रूपए में)

कंपनी का नाम	को बकाया शेष		वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि	
	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (प्रा.) लि.	6.27	6.00	6.27	6.00

(iii) उन फर्मों और कंपनियों को जिनमें निदेशक का हित हैः शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

(ख) एनएचपीसी के हिस्से में कर्जदारों (जिनका विवरण ऊपर दिया गया है) द्वारा निवेश : शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

31. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्रों (आरईसी) के मात्रात्मक ब्यौरेः

क्रम सं.	विवरण	मात्रा (संख्या में)	
		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	जारी आरईसी	7042	125386
2.	प्रमाणीकरण के अधीन आरईसी	-	4020
3.	वर्ष के दौरान बिक्री किए गए आरईसी	7042	125386

32. **इंड एएस 103 "व्यापार संयोजन" के अनुसार प्रकटनः**

लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड ("एलटीएचपीएल") का अधिग्रहणः वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय कंपनी न्याय अधिकरण ('एनसीएलटी') ने 897.50 करोड़ रुपए की राशि पर लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) के अधिग्रहण के लिए कंपनी द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना को अनुमोदित किया। इस आदेश के अनुसार, एलटीएचपीएल 9 अक्टूबर 2019 से 100% वोटिंग इक्विटी हितों के साथ कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई हैः

(i) अधिग्रहण के लिए प्रमुख कारण

(क) कंपनी के व्यापार का विकास

(ख) तीस्ता बेसिन का केस्केड विकास को सक्षम बनाना

(ग) बड़े पैमाने पर आंतरिक विशेषज्ञता और सिक्किम राज्य में कंपनी की मजबूत उपस्थिति के कारण कम लागत पर परियोजना विकसित करना।

(ii) अंतरित धनराशिः समूह ने लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए नकद में क्रय धनराशि के रुप में 897.50 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

(iii) **(क) अभिचिन्हित योग्य अधिग्रहित परिसंपत्तियां तथा स्वीकृत देयताएंः** निम्नलिखित तालिका में अधिग्रहण की तारीख को अधिग्रहीत परिसंपत्तियों तथा स्वीकृत देयताओं की मान्यता राशि को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया हैः

(करोड़ रूपए में)

विवरण	राशि
परिसंपत्ति	
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	2.70
चल रहे पूंजीगत कार्य	919.00
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	16.65
नकदी एवं नकदी समतुल्य	0.08

विवरण	राशि
कुल परिसंपत्तियां	**938.43**
कुल देयताएं	**शून्य**
कुल अधिग्रहीत निवल अभिचिन्हित योग्य परिसंपत्तियां	**938.43**
घटाएंः क्रय राशि	**897.50**
मोल–भाव खरीद पर लाभ	**40.93**

(ख) समूह द्वारा व्यापार प्राप्यों और आकस्मिक देयताओं का अधिग्रहण नहीं किया गया था।

(iv) **क्रय राशि – नकदी का बर्हिप्रवाह**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	राशि
नकद राशि	897.50
घटाएंः अधिग्रहीत नकदी एवं नकदी समतुल्य	0.08
नकदी का बर्हिप्रवाह – निवेशात्मक गतिविधियां	**897.42**

(v) **मोल–भाव खरीद पर लाभः** समूह ने **40.93 करोड़ रुपए** को "अन्य इक्विटी" में आरक्षित पूंजी पर मोल–भाव खरीद पर लाभ के रूप में मान्यता दी है।

(vi) **अधिग्रहण संबंधी लागतेंः** समूह द्वारा **0.51 करोड़ रुपए** की अधिग्रहण संबंधी लागत विधि तथा व्यवसाय शुल्क पर व्यय की गई। इन लागतों को लाभ और हानि के विवरण में "अन्य व्यय" के अंतर्गत तथा नकदी प्रवाह के विवरण में प्रचालनात्मक क्रियाकलापों गतिविधियों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(vii) **राजस्व एवं लाभ का अंशदान**

9 अक्तूबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि हेतु, समूह के परिणाम में लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड ने शून्य राजस्व तथा **0.06 करोड़ रुपए** की हानि प्रदान की है। चूंकि कंपनी ने अपने प्रचालन शुरू नहीं किये हैं और अधिग्रहण 1 अप्रैल, 2019 को हुआ है, इसलिए 2019–20 के लिए समूह का कर पूर्व लाभ तथा राजस्व पर प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सकता।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में कोई अधिग्रहण नहीं थे।

33. कोविड–19 का प्रभाव

कोविड–19 का प्रकोप, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक महामारी घोषित किया है, जिसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार और राज्य सरकारों ने लॉकडाउन की घोषणा की है, जिससे सामान्य रूप से व्यापार प्रभावित हुआ है। समूह के राजस्व का प्रमुख स्रोत जलविद्युत उत्पादन है। विद्युत की आपूर्ति के एक आवश्यक सेवा होने तथा रन ऑफ रिवर (आरओआर) परियोजनाओं के लिए संचालन की स्थिति के मद्देनजर तथा जल संग्रहण और भंडारण परियोजनाओं के साथ, आरओआर के मामले में आरएलडीसी द्वारा संभव सीमा तक समय निर्धारण करने से, समूह के वित्तीय संसाधनों और निष्पादनों पर कोविड–19 महामारी का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वित्तीय निष्पादन पर महामारी के अपेक्षित प्रभाव में निम्नलिखित शामिल हैंः

क) पार्बती–II और सुबनसिरी लोअर परियोजनाओं से संबंधित निर्माण क्रियाकलाप क्रमशः 23.03.2020 से 22.04.2020 तक तथा 23.03.2020 से 20.04.2020 तक रोक दिये गये थे, जिससे इन परियोजनाओं की अनुमानित पूर्णता लागत और पूरा होने की समय सीमा पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

ख) कोविड–19 महामारी के मद्देनजर लगाए गए आवाजाही प्रतिबंधों के कारण चमेरा–II पावर स्टेशन, किशनगंगा पावर स्टेशन तथा लोकतक पावर स्टेशन जैसे तीन पावर स्टेशनों का पुनर्स्थापना शेड्यूल प्रभावित हुआ है।

ग) विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 15 मई, 2020 के पत्र तथा 16 मई, 2020 के शुद्धिपत्र द्वारा लाभार्थी डिस्कॉमों को बिल की गई नियत लागत पर 20–25 प्रतिशत की छूट प्रदान करने से संबंधित भारत सरकार के निर्णय को संप्रेषित किया है। तद्नुसार, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान लाभार्थी डिस्कॉमों को प्रदान की जाने वाली **185 करोड़ रुपए** की अनुमानित छूट का प्रस्ताव विचाराधीन है।

निर्माणाधीन सर्वेक्षण/जांच और सर्वेक्षण के अधीन परियोजनाओं के संबंध में, प्रबंधन मांग में किसी बड़े पैमाने पर संकुचन की उम्मीद नहीं रखता, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना पोर्टफोलियो में कमी हो सकती है। समूह के ऋण दस्तावेजों के लिए मांग में कोई संकुचन नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्याशित भावी पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए उधार की लागत में वृद्धि हो सकती है।

3816.44 करोड़ रुपए राशि के व्यापार प्राप्य, परिशोधित लागत पर वहन की गईं वित्तीय परिसंपत्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं, जिनका अनुमानित उधार हानि पद्धति के उपयोग करके हानि भत्ते के प्रावधान पर विचार किया गया। समूह के लाभार्थी अधिकांश राज्य वितरण कंपनियां हैं तथा भारत सरकार द्वारा इन लाभार्थियों के लिए आत्मनिर्भर भारत विशेष आर्थिक तथा व्यापक पैकेज के अंतर्गत घोषित लिक्विडिटी प्रदान करने पर विचार करते हुए, समूह व्यापार प्राप्यों की वसूली में ऋण जोखिम की किसी वृद्धि का अनुमान नहीं लगाता है।

समूह की वित्तीय परिसंपत्तियों के एक महत्वपूर्ण भाग को स्तर–1 में वर्गीकृत किया गया है तथा इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य जो मुख्य रूप से एक सक्रिय बाजार के रूप में चिन्हित लिक्विड इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करता है जो कोविड–19 से उत्पन्न अनिश्चितताओं के कारक हैं। दिनांक 31 मार्च, 2020 को नकदी तथा नकदी समतुल्य, बैंक जमाओं और बैंकों के पास निर्धारत शेषों के रूप में परिशोधित लागत पर वहन की गई वित्तीय संपत्तियों के संबंध में, समूह ने आकलन किया है कि प्रतिपक्ष ऋण जोखिम में कोई वृद्धि नहीं हुई है। स्तर–2 और स्तर–3 में वर्गीकृत अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, प्रबंधन प्रतिपक्ष की प्रोफाइल के आकलन के आधार पर ऋण जोखिम में किसी वृद्धि की आशा नहीं रखता है, जिनमें से अधिकांश या तो समूह या राज्य सरकार/केंद्र सरकार के निकायों के कर्मचारी हैं।

तद्नुसार, प्रबंधन का विचार है कि निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर/चल रहे पूंजीगत कार्य की वहनीय राशि में हानि का अनुमान लगाने के कोई कारण नहीं हैं। इसी तरह, समूह द्वारा आस्थगित कर परिसंपत्तियों/विनियामक आस्थगित लेखा शेषों तथा आस्थगित कर देयता की तुलना में विनियामक आस्थगित लेखा शेषों की वसूलनीयता के संबंध में कोविड–19 का कोई प्रभाव नहीं है।

इंड एएस 116 – पट्टों के संबंध में, पट्टे की शर्तों में कोई परिवर्तन उन मामलों में अनुमानित नहीं है, जहां समूह संविदा के लिए पट्टेदार के रूप में है। इसके अतिरिक्त, एकल लाभार्थी सहित पावर स्टेशनों के संबंध में सन्निहित पट्टों के मामले में, पट्टों की शर्तों में कोई छूट प्रस्तावित नहीं है।

आंकलन के अनुसार, समूह के अन्य देनदारों से प्राप्य राशियों के संबंध में ऋण जोखिम में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

प्रबंधन के आंकलन के अनुसार, अन्य बातों के साथ–साथ विभिन्न वर्तमान तथा गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों के वहनीय मूल्य सहित समूह की अवधारणाओं के विषयों में वृद्धि की संभावना सहित समूह के वित्तीय निष्पादन पर कोविड–19 का कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है। तथापि, महामारी का वास्तविक प्रभाव भावी विकास पर निर्भर करता है। समूह स्थितियों के परिवर्तन की निगरानी करना जारी रखेगा और उसी को विचारार्थ अथवा क्रिस्टलीकरण पर लिया जाएगा।

निदेशक बोर्ड के लिए एवं की ओर से

विजय गुप्ता	**महेश कुमार मित्तल**	**अभय कुमार सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएनः 02889021	डीआईएनः 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी	**कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स**	**कृते लोधा एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन 0009487एन	एफआरएनः 006791एन	एफआरएनः 301051ई
(ए. के. अग्रवाल)	**(संजय जैन)**	**(आर. पी. सिंह)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 013833	सदस्यता सं. 084906	सदस्यता सं. 052438

स्थान : फरीदाबाद
तिथि : 27 जून, 2020

फार्म एओसी–1

(कंपनी (लेखे) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप धारा(3) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में)

सहायक कपनियों अथवा एसोसिएटस कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं समाहित करने वाला विवरण

भाग "क" – सहायक कंपनियां

(करोड़ रुपए में)

1	क्रम सं.	1	2	3	4
2	**सहायक कंपनी का नाम**	**एनएचडीसी लिमिटेड**	**लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड**	**बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड**	**लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड*** **
3	वह तिथि जब से सहायक कंपनी का अधिग्रहण किया गया था	01.08.2000	23.10.2009	02.02.2015	09.10.2019
4	संबंधित सहायक कंपनी हेतु रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	"धारक कंपनी के समान (01.04.2019 - 31.03.2020)"	"धारक कंपनी के समान (01.04.2019 - 31.03.2020)"	"धारक कंपनी के समान (01.04.2019 - 31.03.2020)"	"धारक कंपनी के समान (01.04.2019 - 31.03.2020)"
5	विदेशी सहायक कंपनी के मामले में संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा तथा विनिमय दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	शेयर पूंजी	1,962.58	123.39	5.00	920.50
7	आरक्षित तथा अधिशेष	3,600.21	19.88	4.41	40.87
8	कुल परिसंपत्तियां	7,620.40	148.36	26.38	968.39
9	कुल देयताएं	2,057.61	5.09	16.97	7.02
10	निवेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	कारोबार	1,273.36	-	-	-
12	कराधान से पूर्व लाभ *	495.45	0.13	-	(2,955.75)
13	कराधान हेतु प्रावधान **	(424.52)	0.03	0.17	-
14	कराधान पश्चात लाभ	919.97	0.10	(0.17)	(2,955.75)
15	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16	शेयरधारिता की सीमा (प्रतिशत में)	51.08%	73.17%	99.99%	100%

* विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर आय सहित।

** कराधान हेतु प्रावधान में कर व्यय और विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर कर शामिल है।

*** लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड ("एलटीएचपीएल") को एनसीएलटी के माध्यम से दिनांक 09.10.2019 को एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा अधिग्रहीत किया गया था। अधिग्रहण की तिथि को, एलटीएचपीएल की परिसंपत्तियां उचित मूल्य पर थीं तथा एलटीएचपीएल की सहायक कंपनी के लाभ और हानि के विवरण में 2955.69 करोड़ रुपयों की हानि की पहचान की गई थी। पूर्ववर्ती इक्विटी धारकों की इक्विटी शेयर पूंजी की निकासी के कारण लाभ, ऋणों के निपटान तथा अन्य सभी देयताओं को समाप्त करने के लिए, 3685.08 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित संकल्प योजना की शर्तों के अनुसार एलटीएचपीएल की आरक्षित पूंजी में पहचानी गई थी। तथापि, दिनांक 09.10.2019 से लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड के लेखा एनएचपीसी समूह के लाखों में समेकित किये गए हैं, उस तिथि के बाद हुई 0.06 करोड़ रुपए की हानि पर विचार समूह के लेखाओं में समेकन के लिए किया गया है।

एलटीएचपीएल की परिसंपत्तियों को अधिग्रहण की तारीख को उचित मूल्य पर लेखांकित किया गया था। एनएचपीसी समूह लेखाओं में, 40.93 करोड़ रुपए राशि के के क्षतिपूर्ति भुगतान पर अधिग्रहीत परिसंपत्तियों का अधिशेष आरक्षित पूंजी के अंतर्गत "अन्य इक्विटी" में जोड़ा गया है।

टिप्पणियां:

1.	सहायक कंपनियों के नाम जिन्हें अभी प्रचालन प्रारंभ करना है	1) लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड 2) बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड 3) लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड
2.	सहायक कंपनियों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त किया गया अथवा बेचा गया	शून्य

भाग "ख " – संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में विवरण

(करोड़ रुपए में)

	संयुक्त उद्यम का नाम	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्राइवेट) लिमिटेड	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड
1.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन–पत्र तिथि	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019*
2.	वह तिथि जब से संयुक्त उद्यम को अधिग्रहित किया गया	13.06.2011	22.05.2009
3.	**वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यमों के शेयर**		
	संख्या	888,000,000	30,400,000
	संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	888.00	30.40
	धारिता प्रतिशत की सीमा	49.89%	20%
4.	महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है, का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	संयुक्त उद्यम को समेकित न किए जाने के कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन–पत्र के अनुसार शेयरधारिता पर आरोप्य निवल मूल्य	914.28	26.35
7.	**वर्ष हेतु लाभ/(हानि)**		
i	समेकन में मानी गई	7.05	(4.01)
ii	समेकन में नहीं मानी गई	लागू नहीं	लागू नहीं

* प्रबंधन द्वारा नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड के प्रमाणित खातों को 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समूह समेकन हेतु माना गया है।

टिप्पणियां:

1.	संयुक्त उद्यम के नाम जिन्हें अभी प्रचालन प्रारंभ करना है	1. चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड
2.	संयुक्त उद्यम के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया अथवा बिक्री की गई है	शून्य

निदेशक बोर्ड के लिए एवं की ओर से

विजय गुप्ता	**महेश कुमार मित्तल**	**अभय कुमार सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 02889021	डीआईएन : 08646003

समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी	**कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स**	**कृते लोधा एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 0009487एन	एफआरएनः 006791एन	एफआरएनः 301051ई
(ए. के. अग्रवाल)	**(संजय जैन)**	**(आर. पी. सिंह)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 013833	सदस्यता सं. 084906	सदस्यता सं. 052438

स्थान : फरीदाबाद

तिथि : 27 जून, 2020

अनुबंध-XIII

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसे उनके द्वारा अपनी दिनांक 27 जून, 2020 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील कागजातों पर किसी पहुंच के बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों और कुछ लेखांकन रिकार्डों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक रिपोर्ट बनती हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए एवं की ओर से

हस्ता./–
(डी. के. सेकर)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा), दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 अगस्त, 2020

---

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसे उनके द्वारा अपनी दिनांक 27 जून, 2020 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। हमने उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड और एनएचडीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है, परंतु **अनुलग्नक–I** में सूचीबद्ध सहायक कंपनियों, एसोसिएट कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। यह पूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील कागजातों पर किसी पहुंच के बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों और कुछ लेखांकन रिकार्डों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है।

मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक रिपोर्ट बनती हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए एवं की ओर से

हस्ता./–
(डी. के. सेकर)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा), दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 अगस्त, 2020

अनुलग्नक - I

उन सहायक कंपनियों, एसोसिएट कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों की सूची जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक नहीं की गई थी:

<u>सहायक कंपनियां</u>

1. लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड
2 लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड
3. बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड

टिप्पणियां

टिप्पणियां



2000 मेगावाट सुबनसिरी लोअर परियोजना (अरूणाचल प्रदेश/असम) – निर्माणाधीन बांध



800 मेगावाट पार्बती-II परियोजना (हिमाचल प्रदेश) – सर्फेस पावर हाउस

एनएचपीसी का अनुसरण निम्न पर करें:

https://www.facebook.com/NHPCIndiaLimited
https://twitter.com/nhpcltd
https://www.instagram.com/nhpclimited



CIN L40101HR1975GOI032564

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

NHPC Limited
(A Government of India Enterprise)

एन एच पी सी कार्यालय परिसर, सैक्टर–33, फरीदाबाद–121003, हरियाणा (भारत) वेबसाइट : www.nhpcindia.com
NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad-121003, Haryana (India) Website : www.nhpcindia.com
फोन.: 0129-2588110 फैक्स: 0129-2278018

Alps Printers, New Delhi.